सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग

सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा

सामर्थ्य

समानता

उत्तरदायित्व

गुणवत्ता

योग्यता

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

http://mhrd.gov.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नई खोज, नए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की आधारशिला है जो व्यक्ति तथा किसी राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि को गति प्रदान करती है। इसके लिए, हमें अपनी पाठ्यचर्या और शिक्षा को हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक बनाने और किशोरावस्था से ही समस्या–समाधान की खूबियों तथा सृजनात्मक सोच, कार्य करते हुए सीखने, सजीव प्रसंगों की बेहतर समझ विकसित करने और विश्वास से स्वअभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और इसे संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करना
- देशभर में शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार और पहुंच को बढ़ाने सहित नियोजित विकास
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में लाभवंचित समूहों की महिला–पुरूष समानता और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना
- समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ऋण सहायिकी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करना
- यूनेस्को और विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ निकटता से कार्य करने सहित शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

1. भारत सरकार, अपने विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और शोध के संबंध में जनसंख्या की अपेक्षाओं के बदलते स्वरूप की पूर्ति हेतु नई शिक्षा नीति तैयार कर रही है।

2. परामर्श प्रक्रिया त्रि–आयामी थी और इस प्रकार थीः (i) ऑनलाइन परामर्श (ii) गांव आधार स्तर से राज्य स्तर तक परामर्श, और (iii) प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के परामर्शों सहित विषयक परामर्श। 26 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 के बीच www.MyGov.in पर ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई और 33 चिन्हांकित विषयों (स्कूल शिक्षा पर 13 थीम्स और उच्चतर शिक्षा पर 20 थीम्स) पर लगभग 29,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन 33 थीमों का संक्षिप्त ब्यौरा www.MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मई से अक्टूबर, 2015 के बीच लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000

शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक व्यापक, समयबद्ध, सहभागी, बॉटम–अप परामर्शी प्रक्रिया की गई थी।

3. सरकार ने भारत सरकार के हितधारी मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भी एनईपी पर अनेक व्यक्तिगत परामर्श किए। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए परामर्शी प्रक्रिया पर विचार–विमर्श करने और अन्य मंत्रालयों और विभागों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 14.02.2015 को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 मार्च, 2015 को राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें MyGov पर सिफारिशों को अपलोड करने की प्रक्रिया सहित परामर्श प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताया गया और प्रक्रियाओं तथा थीमों पर राज्यों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए।

4. सरकार ने जुलाई–अक्टूबर, 2015 में विशेषज्ञों, अकादमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी आदि सहित सभी संबंधित हितधारकों को आमंत्रित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् और पृथक विषयों पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले अनेक केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, संबद्ध कार्यालयों के जरिए विषयक परामर्श किए। इसके अलावा, मंत्रालय ने विषयक विचार–विमर्श आयोजित किए जिसमें डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

5. केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (सीएबीई) की 19 अगस्त, 2015 को आयोजित बैठक में परामर्श प्रक्रिया भी कार्यसूची की मदों में शामिल थी। परामर्श प्रक्रिया और विषयों पर सभी के विचार आमंत्रित किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सितंबर–अक्टूबर, 2015 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पूर्वी, मध्य, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में छः क्षेत्रीय बैठकें की थी जिनमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। अक्टूबर, 2016 को आयोजित सीएबीई की 64वीं बैठक में भी नई शिक्षा नीति पर विचार–विमर्श किया गया।

6. मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2015 को भारत सरकार के पूर्व मंत्रिमंडल सचिव, श्री टी.एस.आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) बनाया गया। समिति ने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट तथा विभिन्न परामर्शदाताओं से प्राप्त सिफारिशों और साथ ही प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के परिशीलन के पश्चात् एमएचआरडी ने "मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट" तैयार किए हैं। इन दोनों दस्तावेजों को नीति के लिए इनपुट माना जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी संसद सदस्यों को लिखा है और मंत्रालय ने भी भारत सरकार के सभी संगत मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लिखा है जिसमें उनसे 31 अक्टूबर, 2016 तक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर टिप्पणियां/विचार/सुझाव मांगे गए हैं। तत्पश्चात् 10 नवम्बर, 2016 को माननीय संसद सदस्यों के साथ सुझावों पर विचार–विमर्श करने और उनकी राय जानने के लिए 'शिक्षा वार्ता' का आयोजन भी किया गया।

7. सरकार ने हाल ही में 24 जून, 2017 को प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार

करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह समिति इस नीति का मसौदा तैयार कर रही है जिसके लिए सात बैठकें आयोजित की चुकी है।

******

भाग – I

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

विषय वस्तु

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/अधीनस्थ संस्थाएं	पृष्ठ
1.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009	1-27
2.	अध्यापक शिक्षा पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई)	29-34
3.	मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास योजना (आईडीएमआई)	35-38
4.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	39-46
5.	स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	47-58
6.	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना और माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना	59-61
7.	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	63-65
8.	प्रौढ़ शिक्षा	67-76
9.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	77-86
10.	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	87-100
11.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)	101-109
12.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई)	111-113
13.	राष्ट्रीय बाल भवन	115-119
14.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	121-124
15.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)	125-135
16.	संलग्नक I, II और III	137-144

01

प्रारंभिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21–क और इसका परिणामी विधान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को कुछ अनिवार्य मानकों और मानदंडों को पूरा करने के बाद औपचारिक स्कूल में अवसर की समानता के आधार पर, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सभी राज्यों ने अपने राज्यों में शिक्षा का अधिकार नियमों को अधिसूचित किया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करने के प्रयास में सहायता प्रदान करती है। इनके कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ नए स्कूल खोलना, स्कूल और अतिरिक्त शिक्षण–कक्षों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण और पेयजल सुविधाएं, शिक्षकों का प्रावधान, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दियां, अध्ययन उपलब्धि स्तरों में सुधार हेतु सहायता, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग शामिल हैं।

कार्यक्रम के पहलें

I. **सर्वसुलभ पहुंचः** सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए 2001 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने सर्वसुलभ पहुंच और इक्विटी में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(i) **नए स्कूलः** कई वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्वसुलभ पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रगति हुई है। इन वर्षों में 2,04,683 प्राथमिक स्कूल और 1,59,681 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई जिनमें 274 स्कूल वर्ष 2017–18 में अनुमोदित किए गए थे।

(ii) **स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षणः** शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित प्रवेश प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का विशिष्ट प्रावधान किया गया है। स्कूल न जाने वाले अधिकांश बच्चे लाभवंचित समुदायों से हैं – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, विस्थापित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शहरी वंचित बच्चे, कार्यरत बच्चे, अन्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, उदाहरणार्थ वे जो दुर्गम स्थानों में रहते हैं, विस्थापित परिवारों के बच्चे और वे जो नागरिक संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के होते हैं। विशेष प्रशिक्षण वरीयता रूप से स्कूल के परिसर में आवासीय पाठ्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जा सकता है, परंतु यदि ऐसी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो सुरक्षित, संरक्षित व पहुंच वाली वैकल्पिक सुविधाओं की पहचान कर उनका प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2017–18 में स्कूल न जाने वाले 9.26 लाख (9,26,937)

बच्चों के विशेष प्रशिक्षण के लिए कुल 561.30 करोड़ रुपए (56130.90 लाख) रुपए दिए गए हैं।

(iii) **आवासीय सुविधाएं**: एसएसए में छितरी आबादी वाले क्षेत्र या पहाड़ी एवं घने जंगली क्षेत्र जहां भौगोलिक भूभाग दुर्गम हैं और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 1,01,805 बच्चों की क्षमता वाले 942 आवासीय संस्थान उपलब्ध कराए गए हैं।

(iv) **परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं**: छितरी आबादी वाली दूरस्थ बस्तियों अथवा ऐसे शहरों जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है अथवा बच्चे जो अत्यंत वंचित समूह से हों अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2017–18 के लिए एसएसए ने 2.79 लाख छात्रों को परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान करने के लिए 83.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

स्कूल तक पहुंचने के लिए परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा

सार्वभौमिक आधार पर स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करना, एसएसए की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव समाधान खोजा जा रहा है। कम आबादी वाली सुदूर बस्तियों में रहने वाले और उन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है और इस प्रकार नया स्कूल खोलना व्यवहार्य नहीं है, को परिवहन और एस्कॉर्ट देने की पहल शुरू की गई है। परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधाओं के प्रावधान से बिना स्कूल की बस्तियों में रहने वाले बच्चे पास के स्कूल में जा सकते हैं।

परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा, आरटीई अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच को आसान बनाने के लिए दी जाती है यह सुनिश्चित करती है कि सुदूर बस्तियों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, खतरनाक वन क्षेत्रों, जहां मोटर योग्य सड़कें और जन–परिवहन सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, के बच्चे भी आसानी से स्कूल तक पहुंच सके।

परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा के लिए योजना को प्रत्येक वर्ष स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की सहायता से तैयार किया जाता है। इस कवायद में, पहुंच से दूर वाली बस्तियों की पहचान करना, उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें इस सुविधा की आवश्यकता है, अभिभावकों को प्रोत्साहित करना और परिवहन के साधन की पहचान तथा स्वयंसेवकों की पहचान आदि शामिल है।

इन सुविधाओं में पहाड़ी क्षेत्रों, छितरे क्षेत्रों, रेतीले क्षेत्रों और वनीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और साथ ही तंग बस्तियों वाले क्षेत्रों के बच्चों, मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अपवंचित समूहों तथा उन शहरों के बच्चे शामिल हैं जो दूरी, यातायात समस्या तथा अन्य मानव सृजित बाधाओं आदि के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते।

(v) **वर्दियां:** सर्व शिक्षा अभियान सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बच्चों को वर्दी के दो सैट उपलब्ध कराता है जहां कहीं (i) राज्य सरकारों ने अपने राज्य के शिक्षा अधिकार नियमावली में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल वर्दी का प्रावधान शामिल किया है और (ii) राज्य सरकारें राज्य के बजट से वर्दियां प्रदान नहीं कर रही हैं। वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान ने 7,27,53,580 बच्चों को निःशुल्क वर्दी प्रदान करने के लिए 2844.05 करोड़ रु. का वित्तीय प्रावधान किया है।

II. **प्रारंभिक शिक्षा में जेंडर अंतराल पाटना**

(i) **बालिका शिक्षा:** शिक्षा का अधिकार– सर्व शिक्षा अभियान ने बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों पर स्पष्ट जोर और विशेष फोकस का प्रावधान किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामान्य सुविधा सभी बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों

वैराकपम प्रिंसी देवी, केजीबीवी मोयरांग, बिशनुपुर जिला, मणिपुर

वैराकपम प्रिंसी देवी 12 (बारह) साल की थी, जब उसका नाम केजीबीवी में लिखवाया गया और वह बिशनुपुर जिले के एक गांव त्रोंग्लाबोई मखा लेकई के वैराकपम हेमसोनसिंह और वैराकपम शीला देवी की सबसे बड़ी बेटी है। उसके माता–पिता कृषि श्रामिक हैं और ऑफ सीजन में वे छोटी–मोटी नौकरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। इतनी कम आय में प्रिंसी के माता–पिता उसे स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं थे।

एक आईपीएस अधिकारी बनने के सपना देखने वाली प्रिंसी अपने माता–पिता की आय के बारे में जानते हुए उन्हें उसे स्कूल भेजने के लिए नहीं कह सकती थी। उसका सपना तब पूरा हुआ जब उसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, थमनापोकपी मोयरांग में दाखिला मिला, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केजीबीवी, थमनापोकपी मोयरांग, जो सुरम्य लोकतक झील और थांगजिंग पर्वत के बीच स्थित है जहां अधिकांशतः अनुसूचित जातियां और अल्पसंख्यक बसे हुए हैं तथा लाभवंचित और पिछड़े वर्गों के युवा और उत्साही बच्चों को तैयार करने के लिए एक आदर्श शैक्षणिक व्यवस्था है।

उसे वर्ष 2014 में कक्षा 6 (छः) में केजीबीवी में नामांकित किया गया था। तब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर, शर्मीली, डरपोक और अंतर्मुखी बालिका थी। धीरे–धीरे केजीबीवी समुदाय, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से संबंधित जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों के सतत् प्रयासों से उसके सपने साकार होने लगे।

केजीबीवी समुदाय ने प्रिंसी और उसके साथियों को खाली समय में अनेक पाठ्येत्तर कार्यकलाप शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रिंसी द्वारा शुरू की गई किचन गार्डन पहल सफलता की मिसाल है जिसे अब और केजीबीवी और आवासीय स्कूलों में भी अपनाया जा रहा है। केजीबीवी का योगदान अन्य प्रयास इस बात से प्रमाणित होता है कि केजीबीवी में दाखिला लेने के केवल तीन साल बाद ही उसने केजीबीवी थमनापोकपी की 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि वह केजीबीवी में आने से पहले औसत से कम छात्रा थी। केजीबीवी थमनापोकपी, मोयरांग से 8वीं कक्षा से निकलने के बाद वह शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए एक स्वस्थ, निर्भीक और आत्मविश्वासी लड़की बन गई थी।

के लिए लागू की गई है, इसमें आरटीई नियमों के तहत उल्लिखित बस्तियों के भीतर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा पर भी अधिक ध्यान दिया गया है क्योंकि इस वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से सबसे अधिक वंचित होते हैं।

(ii) **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):** केजीबीवी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। केजीबीवी, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल बस्तियों से काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती होती है। केजीबीवी उन किशोरियों, जो नियमित स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं से 10 आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तक, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और छितरी बस्तियों के जटिल क्षेत्रों की विस्थापित जनसमुदायों की बालिकाओं, जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए सफल नहीं हो पाईं, तक पहुंचता है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक 3703 केजीबीवी संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से राज्यों में 3603 केजीबीवी कार्यात्मक होने की सूचना हैं (अर्थात् 99.75 प्रतिशत) और इनमें 3,67,850 लड़कियों को नामांकित किया गया है। 3430 केजीबीवी के भवन निर्मित किए गए हैं और 140 केजीबीवी का निर्माण प्रगति पर है।

चेंगा (पश्चिम बंगाल) के केजीबीवी का नवनिर्मित भवन

सोनितपुर ढ़ेकियाजुली (नया) (असम)

(iii) **स्कूल पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से महिला–पुरूष भेद समाप्त करना:** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने बहुत सोच समझकर लड़कियों एवं महिलाओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व में वृद्धि और विपरीत भूमिका के माध्यम से जेंडर को परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अधिकांश राज्यों ने बालिकाओं के नामांकन, रिटेंशन और शिक्षा पूरी करने, स्कूलों में बालिकाओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने, महिला–पुरूष जागरूकता आदि पर विचार–विमर्श के लिए महिला शिक्षकों से

संपर्क बनाने जैसे कार्य करने के लिए नियमित स्कूल प्रबंध कमेटी (एसएमसी), प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर जागरूकता को शामिल किया है। राज्यों में विशेषकर किशोर लड़कियों द्वारा सामना किए जा रहे जेंडर मुद्दों के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) **भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलसः** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट में भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस तैयार किया है। यूनिसेफ की सहायता से तैयार किए गए टूल, विशिष्ट जेंडर संबंधित शिक्षा सूचकों पर एससी, एसटी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की बालिकाओं के लिए कम निष्पादन वाले भौगोलिक साधनों की पहचान करने में सहायक होंगे। शैक्षिक हस्तक्षेप नियोजित और कार्यान्वित करने के लिए जेंडर एटलस का उद्देश्य निःशक्त बालिकाओं सहित बालिकाओं पर फोकस करने के साथ उचित शिक्षा की पहचान और समान शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू–डाइज) (2011–14), जनगणना 2011 के आंकड़ों और जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएलएचएस) 2007–08 जैसे उपलब्ध सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जेंडर एटलस प्रयोक्ता को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भौगोलिक प्रतिनिधित्व और सांख्यिकीय आंकड़ें तक पहुंचने में समर्थ बनाएगा और प्रारंभिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के मुख्य सूचकों पर जानकारी देगा।

(v) **स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत,** सितम्बर, 2014 से अगस्त, 2015 की अवधि के दौरान 4,17,796 (बालकों के लिए 2.26 लाख शौचालय और बालिकाओं के लिए 1.91 लाख शौचालय) शौचालय खंडों का निर्माण किया गया या उन्हें कार्यात्मक बनाया गया। इसमें देश के सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्र जैसे वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिले, वन, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र और भीड़भाड वाली बस्तियां शामिल हैं। इसके साथ देश भर के 11.21 लाख सरकारी स्कूलों में 13. 77 करोड़ बच्चों को लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधाएं मुहैया कराई गईं।

स्वच्छता पखवाड़ाः 1 से 15 सितम्बर, 2017

I. किए गए कार्यकलापः

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरूआत की गई।

- स्वच्छता पखवाड़े के पहले ही दिन देश भर के 8.03 लाख स्कूलों ने भाग लिया।
- देश में 8.31 करोड़ बच्चों ने स्वच्छता शपथ ली।
- देशभर के 6.81 लाख स्कूलों में कूड़ेदानों को रंग करके ग्रीन स्कूल अभियान चलाया गया। कूड़े के वर्गीकरण के बारे में बच्चों को सिखाने की दृष्टि से रिसाइक्लड। अनरिसाइक्लेबल कूड़े के लिए क्रमशः नीले/हरे रंग के कूड़ेदानों का प्रयोग किया गया। इस्तेमाल किए गए पानी का बागवानी के लिए उपयोग करने के लिए शौचालयों के आसपास स्कूल परिसर में पेड़ लगाए गए।

- देशभर के कक्षा I से V तक के विद्यार्थियों के लिए "मेरे सपनों का स्वच्छ भारत" नामक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देशभर के कक्षा VI से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए "मैं स्वच्छता के लिए क्या करूंगा/करूंगी" पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। स्कूल की नाटिकाओं में स्वच्छता और आरोग्यता संबंधी आदतों पर विद्यार्थियों के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कविता लेखन और स्वच्छता संबंधी वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।
- 7.75 लाख स्कूलों ने टूटे–फूटे फर्नीचर, उपयोग में न आने वाले उपस्करों आदि जैसे सभी प्रकार के बेकार सामान को हटाने का कार्य शुरू किया। देशभर के विद्यार्थियों ने नाखून स्वच्छता दिवस पर नाखूनों को सही ढंग से काटने और साफ रखने का तरीका सीखा।
- आस–पास के क्षेत्रों में नागरिकों के बीच पखवाड़े के विषय के प्रचार–प्रसार हेतु 7.96 लाख स्कूलों ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ हैंडवॉश डे कार्यकलाप में हिस्सा लिया।
- विद्यार्थियों/कर्मचारियों और अन्यों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों में ऑडियो–विजुवल कार्यक्रम चलाए गए। शौचालयों को स्वच्छतापूर्वक इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने के लिए स्कूलों में शौचालय जागरूकता दिवस कार्यकलाप किए गए।
- 10 सितम्बर, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 तक समुदाय जागरूकता दिवस, स्वच्छता स्कूल प्रदर्शनी दिवस, स्वच्छ जल दिवस, जल संचयन दिवस और पत्र लेखन दिवस मनाए गए।

(vii) **स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, 2016:** जून 2016 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जल, स्चवच्छता, साबुन से हाथ धोने, प्रचालन और अनुरक्षण, व्यावहारिक बदलाव और क्षमतावर्धन के क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और आरोग्यता संबंधी उत्कृष्ट प्रणालियों को पहचानने, प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरूआत की। इस पुरस्कार के लिए कुल 2,68,402 स्कूलों ने वेबपोर्टल/मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया। स्कूलों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया। राष्ट्रीय स्तर पर 643 स्कूलों का मूल्यांकन किया गया और 1 सितम्बर, 2017 को शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर सहित 172 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।

III. **समावेशी शिक्षा**

(i) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम**

सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के बावजूद शिक्षा तक पहुंच और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराने हेतु राज्य के प्रयास के प्रति माता–पिता में जागरूकता में वृद्धि का सकारात्मक रूझान देखा गया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 2010–11 में 19.6 प्रतिशत से 2015–16 में 19.80 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो उनकी जनसंख्या के भाग से 16.60 प्रतिशत से अधिक है (2011 की जनगणना के अनुसार)। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 2015–16 में 10.35% हो गया है जो उनकी जनसंख्या के भाग से 8.60 प्रतिशत अधिक है (2011 की जनगणना के अनुसार)। प्रारंभिक स्तर

पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन 2010–11 में 12.50 प्रतिशत से 2015–16 में 13.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के वर्तमान प्रयास सामान्य और विशिष्ट/लक्षित दोनों हैं। सामान्य प्रयासों में शामिल हैं: यूनिफार्म/पुस्तकों/साइकिलों जैसे प्रोत्साहन, सामाजिक समूहों और जेन्डर को दर्शाने वाले अलग–अलग डाटा ट्रैक करना, मध्याह्न भोजन का प्रावधान आदि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए वर्दी, पुस्तकों जैसे कई विशिष्ट/लक्षित कार्यक्रमों का सभी बच्चों तक विस्तार कर दिया गया है।

वर्ष 2017–18 के लिए 88 मुसलमान बहुल विशेष फोकस जिलों के लिए 15232.17 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो एसएसए के अंतर्गत कुल आबंटनों का 19% है। 2017–18 में 109 एसटी फोकस प्राप्त जिलों के लिए 10836.03 करोड़ रुपए (एसएसए के अंतर्गत कुल परिव्यय का 13%) दिए गए हैं। 61 एससी फोकस प्राप्त जिलों के लिए 10945.15 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है (एसएसए के अंतर्गत कुल आबंटन का 13%)।

ओडिशा के जनजातीय बच्चों के लिए बहुभाषायी शिक्षा (एमएलई)

यद्यपि ओडिशा की राजकीय राज्य भाषा उडिया है, ओडिशा में 22 राजकीय मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषाएं हैं। ओडिशा की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1991 में 49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 73 प्रतिशत हो गई है। जनजातीय आबादी के बीच साक्षरता दर में भी कई वर्षों से संवर्धनात्मक रुझान दिखाई दिया है, फिर भी जनजातीय साक्षरता और पूरी आबादी के बीच काफी अधिक अंतर बना हुआ है।

गुणवत्ता और इक्विटी संबंधी मुद्दों को प्रभावित करने में शिक्षण–कक्षों में प्रयोग की जाने वाली भाषा द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका को पहचानते हुए आरटीई अधिनियम, 2009 ने धारा 29 के तहत जहां तक व्यवहार्य हो, शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृ भाषा (एमटी) का उपयोग करने पर बल दिया है।

एमएलई का व्यापक उद्देश्य जनजातीय बच्चों को समान और गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृ भाषा के प्रयोग के जरिए जनजातीय छात्रों के पठन, लेखन कौशलों और अधिगम में सुधार करना, जनजातीय बच्चों को राज्यव्यापी शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रारंभिक चरणों में राज्य और राष्ट्र भाषा शुरू करना और जनजातीय बच्चों के बीच उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

कक्षा–I में 100% जनजातीय भाषा वाले बच्चों को पांच वर्ष की अवधि में कक्षा–V तक 100% उड़िया में प्रतिवर्तित करने के लिए कार्यनीति तैयार की गई। मातृ भाषा (एमटी) आधारित एमएलई के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष जनजातीय भाषा बोलने वालों में 90% से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को चुना गया है। एमएलई कार्यक्रम अंगुल, बारगढ़, बालासोर, धेनकनाल, गंजम, गजापति, कंधामल, कालाहांडी, कोरापुट, क्योन्झर, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, संभलपुर और सुंदरगढ़ नामक 17 जनजातीय बहुल जिलों में 21 जनजातीय भाषाओं में 1485 स्कूलों में चलाया जा रहा है।

स्कूलों में एमएलई पहल के शुरू होने से जनजातीय छात्रों की उपस्थिति और रिटेंशन में वृद्धि हुई है। कक्षा में निर्देश के माध्यम के रूप में मातृ भाषा के प्रयोग के परिणामस्वरूप बच्चे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में और अधिक शामिल होने लगे हैं।

(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन)

आरटीई–एसएसए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निःशक्तता का प्रकार, श्रेणी और पैमाने पर ध्यान दिए बिना, विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को अर्थपूर्ण और गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए।

सीडब्ल्यूएसएन के लिए एसएसए की पहलों के मुख्य संघटकों में पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, समुचित शैक्षिक नियोजन, वैयक्तिक शैक्षिक योजना, सहायक उपस्करों और उपकरणों का प्रावधान अध्यापक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तुशिल्पीय बाधाओं को हटाना, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन तथा विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं पर विशेष फोकस शामिल है। एसएसए के अंतर्गत, विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार निःशक्त बच्चों के एकीकरण के लिए 3000/– रुपए तक की वित्तीय सहायता हर बच्चे के लिए दी जाती है।

एसएसए के तहत सर्वेक्षण के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले 25.97 लाख बच्चों की पहचान की गई है। 22.86 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (पहचान किए गए बच्चों का 88.02%) स्कूलों में नामांकित हैं। इसके अलावा, विशेष आवश्यकताओं

आईई में उपलब्धियां

तमिलनाडु एसएसए ने स्कूलों में विशिष्ट अधिगम निशक्ततावाले बच्चों (एसएलडी) के लिए एक जांच टूल तैयार किया।

हरियाणा एसएसए ने एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की जिसमें एसएसए और आरएमएसए की समावेशी शिक्षा योजनाएं विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए संयुक्त रूप से चलाई जा रही हैं।

राजस्थान एसएसए में दृश्य विकलांगता वाले बच्चों के लिए इंटरनेट पंहुच के लिए भारतीयों की आवाजों में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर एनवीडीए के साथ स्कूल तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।

वाले 64926 बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के माध्यम से कवर किया जा रहा है। और विशेष आवश्यकताओं वाले 1.34 लाख बच्चों को घर–घर शिक्षा प्रदान की जा रही है। विशेष आवश्यकताओं वाले सभी 95.69% बच्चों को विभिन्न नीतियों के माध्यम से कवर किया गया है।

संसाधन सहायता को मजबूत करने के लिए:

- सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले 3.02 लाख बच्चों को उपस्कर और उपकरण प्रदान किए गए हैं।
- 2.82 लाख सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन सहायता प्रदान की गई है।
- 2.85 लाख सीडब्ल्यूएसएन को एस्कॉर्ट सहायता प्रदान की गई है
- 3.33 लाख सीडब्ल्यूएसएन को चिकित्सीय सहायता दी जाती है और 12195 सीडब्ल्यूएसएन को शल्य चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई गई।
- 61.83% स्कूलों में निर्बाध पहुंच की व्यवस्था की गई है और ऐसे 23.08% स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालय की व्यवस्था की गई है जहां सीडब्ल्यूएसएन नामांकन >0 है।
- 18,934 रिसोर्स व्यक्ति नियमित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा से संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- एनसीईआरटी ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए दो अलग–अलग हैंडबुक तैयार की हैं। यह प्रतिमान सामग्री विशेष रूप से नियमित शिक्षण–कक्षों में मुख्यधारा के शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले पाठ्यक्रम अनुकूलन, शिक्षण संबंधी कार्य नीतियों और अनुकूलित मूल्यांकन से संबंधित है। इस अनुकरणीय सामग्री से 4.06 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- 2017–18 के लिए एसएसए के तहत सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहलों हेतु 545.06 करोड़ रुपए का कुल आबंटन किया गया है।

मेबाकॉर्डर का जन्म 31 जनवरी 2006 को सामान्य प्रसव से हुआ था। वह श्री डेविड ब्राह्मण, जो एक मजदूर हैं और श्रीमती बयरलिन खारकोंगोर, जो एक गृहिणी हैं, की चौथी संतान है। मेबा के सात भाई–बहन हैं जिनमें 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं। उसने 6 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी। मस्तिष्क टीबी से पीड़ित होने के कारण वह पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गई थी। उस समय वह हर चीज के लिए अपने परिवार और साथियों पर निर्भर हो गई थी, खासकर तब जब उसे बाहर जाना होता था। वह पूरी तरह से अपने परिवार के संरक्षण ाधीन थीं जो उसके रोजमर्रा के कामों का ध्यान रखते थे।

मेबाकॉर्डर 8 साल की उम्र से एक नियमित स्कूल जा रही है। वह 9 साल की उम्र तक प्रिंट सीख रही थी जिसके बाद उसके शिक्षक को एहसास हुआ कि उसे अपने सहपाठियों के बराबर रहने के लिए ब्रेल की आवश्यकता होगी। उसके स्कूल में आईई पर एक ब्लॉक रिसोर्स व्यक्ति है जो हफ्ते में एक बार उसके स्कूल आते थे। उन्होंने उसे केवल कभी–कभार एक मौखिक संकेत की सहायता से गेट से अपनी कक्षा तक स्वतंत्र रूप से चलना सिखाया।

मेबाकॉर्डर ने एक वर्ष के भीतर अपने सभी ब्रेल अक्षरों और संख्याओं को सीखा और अब विराम चिह्नों को सीख रही है। उसकी बड़ी बहन हर सप्ताह इस सत्र को देखती है ताकि वह उसे घर पर पढ़ा सके। इस साल मेबा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी कक्षा की शिक्षिका के अनुसार वह कक्षा में अच्छी तरह से आगे है और उसे दोगुनी तरक्की मिलती है।

जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों, अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों और समुदाय के बीच जिम्मेदार व्यवहार विकास के मुद्दों और जनसंख्या के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। यह किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी सरोकारों के बारे में शिक्षार्थियों को प्रमाणिक ज्ञान प्रदान करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और जिम्मेदार व्यवहार के लिए उपयुक्त जीवन कौशल विकसित करने पर केन्द्रित है। इसे 33 राज्यों/संघ राज्यों और एनसीईआरटी के 5 आरआईईएस में कार्यान्वित किया जा रहा है। हर साल नियोजन गतिविधियों के लिए वार्षिक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष 2016 में यह बैठक 4–5 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें सभी एजेंसियों के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सभी एजेंसियों ने सामग्री विकास, एडवोकेसी, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम गतिविधियों और अनुसंधान और मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाई जो जनसंख्या शिक्षा और किशोरावस्था शिक्षा पर केन्द्रित थी। 'उच्च प्राथमिक चरण के लिए किशोरावस्था शिक्षा पाठ्यक्रम और संसाधन सामग्री का विकास' नामक सामग्री तैयार की गई है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरणों के लिए एईपी प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री हिन्दी में तैयार की गई है। मुद्रण से पहले सामग्री को केवीएस और एनवीएस के शिक्षकों के साथ भी आजमाया गया।

एनसीईआरटी में समग्र किशोर स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न संसाधनों (मुद्रित और ऑडियो–विजुवल दोनों) वाली aeparc.org नामक वेबसाइट शुरू की गई। इस वेबसाइट का उपयोग एक सुविधा मंच के रूप में, छात्रों सहित विभिन्न हितधारकों को उनके प्रश्नों और शंकाओं के जवाब खोजने के लिए किया जाता है। किशोरावस्था संसाधन केन्द्र (एआरसी) किशोरावस्था के मुद्दों पर एक ज्ञान कोष के रूप में भी कार्य करता है।

एनसीईआरटी ने 5–9 सितम्बर, 2016 को दिल्ली में जनसंख्या और सतत विकास, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, स्वास्थ्य और परिवार, लिंग समानता और साम्यता, किशोरावस्था शिक्षा, शहरीकरण और प्रवासन जैसे जनसंख्या शिक्षा और किशोरावस्था से संबंधित

मुद्दों पर केन्द्रित कार्यशाला का आयोजन किया था। जनसंख्या शिक्षा का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आरआईई के 48 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। इन कार्यशालाओं ने एपीईपी के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन, स्कूल में निगरानी और मूल्यांकन में अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों के आयोजन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए।

2009 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के नौवीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय रोल प्ले और लोकगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। रोल प्ले प्रतियोगिता में सात उद्धरणों वाले चार प्रमुख विषयों को शामिल किया गया (किशोरों के बीच स्वस्थ संबंध, किशोरावस्था के आकर्षण और चुनौतियां, एचआईवी/एड्सः लांछन और नशीली दवाओं के दुरूपयोग का कारण और परिणाम)। इस प्रतियोगिता में 451 जिलों के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

लोक नृत्य, आनंद और कल्पनाओं को व्यक्त करने का लोकप्रिय माध्यम हैं। तथापि, इनमें प्रतिभागियों में चपलता, संतुलन, समन्वय, शक्ति और धैर्य जैसे बुनियादी कौशलों को विकसित करने के साथ–साथ जीवन कौशल विकसित करने की समान क्षमता है। वर्ष 2016 में 354 जिलों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लोकगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत शामिल विषयों में (i) बालकों और बालिकाओं के लिए समान अवसरः कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करना (ii) बड़ों के प्रति आदर और सम्मान (iii) पर्यावरण की रक्षा (iv) नशीली दवाओं का दुरुपयोग और (v) किशोरावस्था के आकर्षण और चुनौतियां शामिल हैं।

5–8 दिसम्बर, 2016 को किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कॉमिक्स के माध्यम से विचारों को साझा करने और उनके जीवन कौशलों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति नामक तीन विद्यालयी प्रणालियों के शिक्षार्थियों/छात्रों और शिक्षकों/एस्कॉर्ट को मंच प्रदान करना है।

IV. गुणवत्ता में सुधारः

आरटीई–एसएसए का एक प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक बालक को समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। अतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा की प्रक्रिया सहित स्कूलों के घटनाक्रमों में सुधार की दिशा में व्यापक बदलाव लाना है और ऐसी प्रणालियों का निर्माण करना है जो बच्चों के अनुकूल और समावेशी हों, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हों। देश भर में, राज्यों को अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम सामग्री, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिणामों, मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाने के लिए व्यापक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

(i) **बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें:** सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं। 2017–18 में 8.22 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। साथ ही, गतिविधि आधारित कक्षा प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और सीखने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कई राज्यों द्वारा कार्य पुस्तिकाएं और कार्यपत्रक प्रदान किए जा रहे हैं।

(ii) **प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग द्वारा की गई नई पहलः**

(क) कक्षा I–VIII से ग्रेड–वार **अधिगम परिणाम** तैयार किए जाते हैं और इन्हें सभी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होता है। कक्षा–वार, विषय–वार सीखने के संदर्भ में 20 फरवरी, 2017 को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2010 (नियम 23(2)(ग)) के केन्द्रीय अधिकार में संशोधन करके इन अधिगम के

प्रेरणा– हिमाचल प्रदेश में गुणवत्ता सुधार संबंधी पहल

प्रेरणा का उद्देश्य परिणाम संवर्धन, संसाधन पोषण और मूल्यांकन तथा पठन, लेखन और संख्यात्मक कौशल सिखाकर बच्चों के अधिगम स्तरों में सुधार करना है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अधिगम में कठिनाइयों को पहचानकर अधिगम स्तरों में सुधार करना और इन कठिनाईयों का निदान करना तथा शिक्षकों की शिक्षण पद्धति में बदलाव लाना है।

- प्रेरणा को प्रायोगिक आधार पर जिला हमीरपुर में 2015–16 में 150 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया गया था।
- जिले के 6 ब्लॉकों के लगभग 8000 छात्रों को इस पहल के तहत कवर किया गया था।
- कार्यक्रम को जिला प्रशासन और प्रथम के सहयोग से डीआईईटी हमीरपुर द्वारा कार्यान्वित किया गया था।
- बच्चों के अधिगम स्तरों को सुधारने के लिए सही समय पर शिक्षण संबंधी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

इस पहल की सफलता को देखते हुए, कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

परिणामों को संहिताबद्ध किया गया, जिसमें सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा–वार, विषय–वार अधिगम सुधारों से संबंधित संदर्भ को शामिल किया गया और परिभाषित अधिगम परिणामों को सतत् व्यापक मूल्यांकन के साथ जोड़ा गया। तत्पश्चात्,

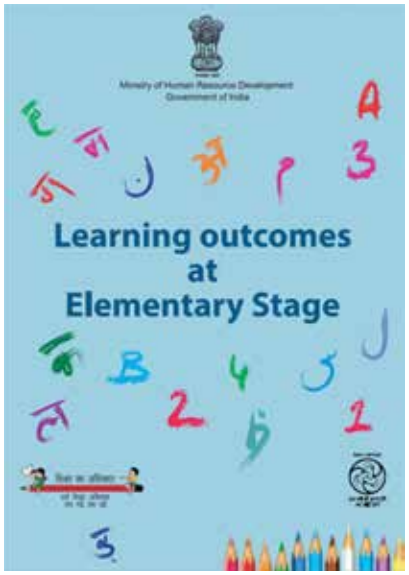

जम्मू और कश्मीर सहित 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिगम परिणामों को अपने राज्य नियमों में शामिल किया है, जबकि शेष राज्यों ने यह प्रक्रिया शुरू की है, आशा है कि यह प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी।

(ख) **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस):** पूर्व में कक्षा 3, 5 और 8 के परीक्षित केवल 4.43 लाख छात्रों की तुलना में, इस बार वर्ष 2017–18 (13 नवम्बर, 2017) में भारत के 700 जिलों (ग्रामीण और शहरी सहित) से लगभग 1,10,000 स्कूलों के करीब 22 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह सर्वेक्षण छात्र अधिगम उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रतिमान सर्वेक्षण बन गया है। इस सर्वेक्षण में एनएएस के पिछले चक्रों की तुलना में सुधार

हुआ है और अब यह पूरे एक अकादमिक वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसमें छात्रों के अंक प्रदर्शित किए जाएंगे और इससे अकादमिक पहल से संबंधित सुझाव भी मिलेंगे। परीक्षा होने के 20 दिनों के भीतर जिलावार परिणाम तैयार किए जाएंगे। एनएएस रिपोर्टिंग दर्शाएगी कि छात्रों के अधिगम स्तर उस कक्षा विशेष के अधिगम परिणामों के अनुसार हैं अथवा नहीं। इसमें डाटा का विश्लेषण करते हुए स्कूल, शिक्षक और छात्रों के संबंधों की पृष्ठभूमि तथा छात्रों की उपलब्धियों को भी शामिल किया जाएगा।

(ग) आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधनः– आरटीई अधिनियम, 2009 में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक इस अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त कर लें। इसे शिक्षकों और शिक्षण प्रक्रियाओं की समग्र गुणवत्ता में और परिणामतः बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, यह प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर सरकार के बल को पुरजोर समर्थन करती है। इस पहल की अद्भुत विशेषता यह है कि एनआईओएस द्वारा स्व–अनुदेशात्मक रीति में तैयार किए गए पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री को स्वयम प्लेटफॉर्म पर चार भागों में डाला जाएगा अर्थात् (1) ऑडियो/वीडियो लेक्चर, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/मुद्रित किया जा सके, (3) परीक्षाओं और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षाओं और (4) संदेहों को स्पष्ट करने के लिए एक ऑनलाइन विचार–विमर्श फोरम।

(घ) सभी शिक्षकों को प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के लिए पृथक व्यवस्थाओं के साथ–साथ स्वयम पोर्टल और स्वयम प्रभा चैनल के जरिए ऑनलाइन अनुदेश दिए जाएंगे। सेवारत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनआईओएस डी.एल.एड कार्यक्रम में 13,78,979 दाखिलों की पुष्टि की गई है।

(ड.) सभी सरकारी और सहायता–प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों के सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के कारगर कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है।

(च) उपचारात्मक कक्षाओं के लिए ग्रेडवार कमजोर विद्यार्थियों की पहचान की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों को ग्रेड अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त हो।

(छ) सभी सरकारी और सहायता–प्राप्त स्कूलों में सूचना पट्ट पर शिक्षकों की ग्रेडवार फोटो लगाई जा रही है। इससे सभी विद्यार्थी और उनके माता–पिता उस स्कूल के नियमित शिक्षकों के बारे में जान पाएंगे और इससे 'परोक्ष' शिक्षकों की परिपाटी हतोत्साहित होगी।

(ज) विभाग ने राज्यों में स्थित छोटे स्कूलों, विशेष रूप से शून्य या बहुत कम नामांकन वाले स्कूलों के यौक्तिकीकरण और सकारात्मक समन्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इससे राज्यों को छात्रों और शिक्षकों दोनों के व्यवहार्य संख्याबल

के साथ अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी।

(झ) देश में स्कूल जाने वाले 5 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आधार के तहत कवर किया जा रहा है। इससे बच्चों पर नजर रखने में मदद मिलेगी ताकि वे स्कूल जाना न छोड़ें और उनकी शैक्षणिक प्रगति की मॉनिटरिंग भी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें नकद या अन्य किसी प्रकार से लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल, इस आयु वर्ग में 26.07 करोड़ बच्चों के कुल नामांकन की तुलना में इस आयु वर्ग के 23.24 करोड़ बच्चों को आधार के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ञ) http://schoolgis.nic.in/ नामक वेबसाइट शुरू की गई है जो भारत के नक्शे पर सभी स्कूलों का स्थान दर्शाता है। स्कूलों को नाम, स्थान, यूडीआईएसई कोड आदि द्वारा खोजा सकता है। स्कूल रिपोर्ट कार्ड को स्कूलों के निर्देशांकों के साथ एकीकृत किया गया है। 1 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 15,22,925 स्कूलों की तुलना में (यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार), 14,45,504 (94.05%) को मैप किया गया है।

(ट) **न्यूपा** द्वारा प्राध्यापक प्रशिक्षण हेतु राज्यवार प्रशिक्षण कलेंडर तैयार किया गया है जिससे सभी प्राध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

(ठ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तेज और प्रभावी निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन

में ई–गवर्नेंस का प्रयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है। इसके लिए विभाग द्वारा गुजरात राज्य द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर साझा किया गया है। कई राज्यों ने इस उद्देश्यार्थ वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए हैं।

(ड) राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में स्कूल प्राध्यापक/प्रधानाचार्य के एक अलग कैडर के निर्माण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इससे स्कूलों को प्रभावी नेता मिलेगा और उनका प्रबंधन बेहतर होगा।

(ढ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्यकाल तय करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समुचित शिक्षक कार्यकाल नीति तैयार करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

(iii) एसएसए के तहत उप–कार्यक्रम

इनके अलावा, यह विभाग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पहलों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दे रहा है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) एसएसए का उप–कार्यक्रम 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (पीबीबीबी),

पढ़ने–लिखने और समझने एवं गणित पर जोर देने के साथ कक्षा 1 और 2 में प्रारंभिक ग्रेड मिलने वाली बुनियादी शिक्षा पर केन्द्रित है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र तमिलनाडु में एबीएल, कर्नाटक में नल्ली कली, गुजरात में प्रज्ञा जैसी विशिष्ट पहलें चलाई जा रही हैं, कक्षा 1 और 2 में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पंजाब, मेघालय, दिल्ली ने कक्षा 1 और 2 में गणित के शिक्षण को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। सिक्किम के स्कूलों में समुदाय के सदस्यों की सहायता से मूलभूत कक्षाओं में बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर्स स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017–18 के लिए **पढ़े भारत बढ़े भारत** के लिए 932.04 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

(ख) एसएसए के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) का शुभारंभ स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कक्षा के अंदर और बाहर की गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में पर्यवेक्षण, प्रयोग, निष्कर्ष निकालना और मॉडल निर्माण द्वारा 6–18 वर्ष के बच्चों को प्रेरित करना और व्यस्त रखना है। स्कूलों को आईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा मार्गदर्शन हेतु अंगीकृत किया

राष्ट्रीय आविष्कार लैब

यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट (आईआईटी कानपुर के पूर्व विद्यार्थी) इनोवेशन मिशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की आर्थिक मदद से पूरे भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय नवाचार लैब स्थापित किए जा रहे हैं। गेल–पाटा की सहायता से उत्तर प्रदेश के औरैय्या जिले में पहले लैब की स्थापना की गयी थी।

आरएएल का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम (राष्ट्रीय आविष्कार अभियान) का समर्थन करना और स्कूली छात्रों, शिक्षकों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योगों, कॉर्पोरेट और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए स्कूली बच्चों में विज्ञान और गणित के लिए शोध, रचनात्मकता और रुचि के भाव को प्रोत्साहित करना है । इस आरएएल का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है और डिजाइन माइंडसेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, अडोप्टिव लर्निंग और फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशलों का विकास करना है।

यह लैब, जो भारत में इस प्रकार की पहली और अनूठी लैब है, स्कूल के शिक्षकों और स्कूली विद्यार्थियों को भारतीय प्रौयोगिकी संस्थानों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों, प्रोफेसर, शोध लैब वैज्ञानिकों को शोध आधारित समाधान खोजने में सहायता प्रदान करेगा।

गया है। कुछ राज्यों में छात्रों को कारखानों, अनुसंधान केन्द्रों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जाया गया है। स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित क्लब बनाए जा रहे हैं, छात्र गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं। 2017–18 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए कुल प्रावधान 177.00 करोड़ रु. है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में देश भर के सरकारी प्रारम्भिक स्कूलों में समुदाय और निजी क्षेत्र की सहभागिता बढाने के लिए, एसएसए के तहत विद्यांजलि नामक एक अन्य उप–कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयंसेवकों की सेवाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सहविद्यालयी गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है। अब तक, इस कार्यक्रम के लिए स्कूलों में की जाने वाली 10443 गतिविधियों का सृजन करते हुए 3306 स्वयंसेवकों ने पंजीकरण किया है। 841 स्वयंसेवक स्कूलों में गए और उन्होंने गतिविधियाँ आयोजित की हैं।

(iv) **शगुन पोर्टल– एसएसए के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए एक पहल :** एमएचआरडी ने शगुन (शाला और गुणवत्ता शब्दों के प्रयोग से) नामक एक वेब पोर्टल तैयार किया है जिसके दो भाग हैं अर्थात् एक प्रारम्भिक शिक्षा पर अच्छी पद्धतियों, फोटोग्राफों, वीडियो, केस स्टडीज, अखबार के लेखों आदि का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा कोष है । यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है । इसका प्रयोजन सफल घटनाक्रमों को प्रदर्शित करना है जिससे वे एक दूसरे से सीखें। इससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सकारात्मक स्पर्धा का भाव आएगा।

दूसरा भाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित एसएसए की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के संबंध में है और सभी स्तर के सरकारी अधिकारी अपने अपने विशिष्ट

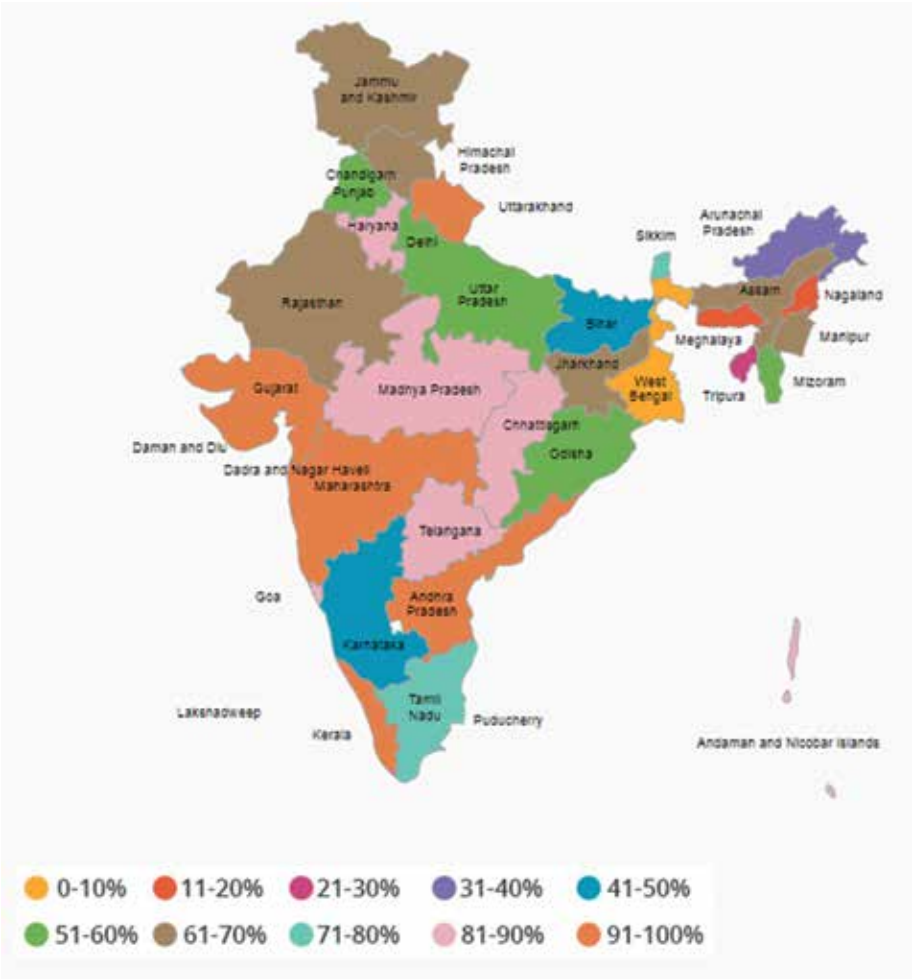

पासवर्ड का प्रयोग करके इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें एस एस ए के अंतर्गत विभिन्न पहलों और राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित प्रश्नावलियां हैं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भरी जाएंगी। प्रश्नावलियों में भरे गए डाटा से स्वयं सृजित होने वाली 141 रिपोर्टें हैं। कोष में दिए गए सफल घटनाक्रमों के साथ मिलकर ये रिपोर्टें एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म का सृजन करेंगी जिसे विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग आदि के अधिकारी देख सकते हैं, जिस से वे एसएसए के कार्यान्वयन और सभी राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति देख सकें।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनके निष्पादन और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कवर किए गए कुछ अन्य लक्ष्यों के आधार पर एक ग्रेडिंग प्रक्रिया भी तैयार की गई है। स्वीकृत लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धि के प्रतिशत को ग्रेडिंग तैयार करने के लिए लिया जाता है और मौजूदा ग्रेडिंग 10 चिह्नांकित संघटकों के आधार पर 1 अक्टूबर, 2017 को की गई। इस ग्रेडिंग से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्रगति देख सकेगा और इससे वे और बेहतर बनने के लिए प्रतिस्पर्धी रूप से कार्य कर सकेंगे। इसे जल्दी ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

(V) **अध्यापक प्रशिक्षण**

(i) **अध्यापकों की उपलब्धताः** प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को

पूरा करने के लिए, 2017–18 तक एसएसए के तहत अध्यापकों के 19.33 लाख अतिरिक्त पद बनाए गए हैं। इसमें से 15.16 लाख पद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भरे गए हैं। इनके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 2.34 लाख अंशकालिक प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है ।

(ii) **सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण:** अध्यापकों के कौशलों को विकसित करने के लिए एसएसए सभी अध्यापकों के लिए 20 दिन के वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा नव प्रशिक्षित अध्यापकों को 30 दिन का प्रवेश प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 2017–18 में, एमएचआरडी द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 33.45 लाख अध्यापक (बीआरसी स्तर पर), 34.58 लाख अध्यापक (सीआरसी स्तर पर) और प्रवेश प्रशिक्षण के लिए 0.27 लाख अध्यापकों को अनुमोदित किया गया है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय–वस्तु और कार्य प्रणाली सहित अध्यापन संबंधी मुद्दों को कवर करते हैं, जो शिक्षण–कक्षों में शिक्षण– अधिगम के आदान प्रदान और स्कूलों में अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने की ओर लक्षित हैं। कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, सीसीई, बच्चे कैसे सीखते हैं, विशिष्ट विषय वस्तु या अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, कार्यकलाप उन्मुखी विधियां, टीएलएम या लर्निंग किटों का प्रयोग आदि शामिल है। राज्य, चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

(iii) **मुख्याध्यापकों को प्रशिक्षण:** अध्यापकों को प्रबंधन संबंधी कौशलों की ओर प्रवृत करने के लिए, स्कूलों के मुख्याध्यापकों को अकादमिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017–18 के दौरान 4,840 आरपी और 1,01,900 प्राध्यापकों को न्यूपा स्कूल नेतृत्व फ्रेमवर्क के आधार पर स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(VI) शैक्षिक सहायता प्रणाली

(i) **शैक्षिक सहायता संरचनाएं:** मार्च, 2017 तक देश भर में शिक्षकों और स्कूलों को विकेंद्रीकृत अकादमिक सहायता, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्रों के रूप में 7,165 ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और 75,142 ब्लॉक संसाधन केंद्रों (सीआरसी) की स्थापना की गई है। प्रत्येक बी आर सी और सी आर सी में विषय विशिष्ट साधन संपन्न व्यक्ति मौजूद हैं, जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और शिक्षकों को अध्यापन संबंधी और विषय वस्तु से संबंधित मुद्दों पर ऑन–साईट सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों का दौरा भी करते हैं। बीआरसी/सीआरसी को स्कूलों की अकादमिक मॉनिटरिंग, शिक्षण कक्ष अवलोकन तथा शिक्षकों और छात्रों के लिए संसाधन सामग्री तैयार करने में भी शामिल किया जाता है।

सीआरसी पर नियमित पीयर–शेयरिंग और विचारशील चर्चाओं के लिए

मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर के संसाधन समूह स्थापित किए हैं, ताकि तकनीकी संसाधन नेटवर्क को सरकारी तंत्र से बाहर लाकर गुणवत्तापरक सुधार उपायों के व्यापक पहलुओं के मार्गनिर्देशन हेतु और बेहतर शिक्षक और स्कूल प्रदर्शन के लिए विकेंद्रीकृत स्तरों पर सुनियोजित सुधार और बदलावों हेतु प्रयासों को बढाने के लिए एससीईआरटी, डीआईईटी और बीआरसी के साथ मिलकर कार्य किया जा सके।

(ii) **स्कूल अनुदानः** स्कूल की उपभोग्य सामग्री की लागत की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को 5,000 रु. और प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल को अलग से 7,000 रु. का वार्षिक स्कूल अनुदान दिया जाता है। अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए प्रत्येक स्कूल को 7500 रु. दिए जाते हैं। वर्ष 2017–18 में स्कूल अनुदान देने के लिए 13.49 लाख स्कूलों को चुना गया था। नए स्कूलों के लिए, स्कूली उपकरणों और व्यय की पूर्ति हेतु 20,000/– रूपए प्रति नए प्राथमिक स्कूल और 50,000/– रूपए प्रति नए उच्च प्राथमिक स्कूल की दर पर एकमुश्त 'शिक्षण अधिगम उपकरण' अनुदान दिया जाता है। 2017–18 में, टीएलई अनुदान प्राप्त करने के लिए 908 स्कूलों को चुना गया था।

(iii) **कंप्यूटर समर्थित अधिगमः–** एसएसए के अंतर्गत बच्चों के अधिगम को बढाने में सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर समर्थित अधिगम के सशक्तिकरण हेतु प्रत्येक जिले को 50 लाख रूपए तक के अनुदान का प्रावधान है। कार्यकलापों में स्कूलों के लिए कंप्यूटर उपकरण या लैब उपलब्ध कराना, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यचर्या–आधारित ई–लर्निंग सामग्री तैयार करना और शिक्षकों को कंप्यूटर के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण देना शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत से, इस पहल से 106753 स्कूल लाभान्वित हुए हैं।

(iv) **अधिगम संवर्धन कार्यक्रमः–** प्रत्येक जिले के लिए "अधिगम संवर्धन कार्यक्रम" हेतु कुल एसएसए के परिव्यय का 2% भाग उपलब्ध कराया गया है जो विशेष रूप से अधिगम प्रक्रियाओं और अधिगम परिणामों की गुणवत्ता को सुधारने की ओर लक्षित है। 2016–17 में, प्राथमिक स्तर पर फोकस करने वाले शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम (विशेषकर शुरूआती पठन और गणित कौशल) चलाने के लिए 35 राज्यों की सहायता की गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के अधिगम को मजबूत बनाने पर फोकस करने वाले अधिगम संवर्धन कार्यक्रमों के लिए सभी राज्यों की सहायता की गई है। इन विषय–विशिष्ट कार्यक्रमों को डिजाइन करने में राज्यों की सहायता करने के लिए एनसीईआरटी ने "बरखा" तैयार किया है जिसमें अध्यापकों का एक प्रशिक्षण मैन्युअल है, जो 40 शुरुआती पाठकों की प्रोटो टाइप ग्रेडेड श्रृंखला और पठन अध्यापन संबंधी सामग्रियों का एक डोजियर है, और हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध है। इसी प्रकार, एनसीईआरटी ने शुरुआती प्राथमिक

ग्रेडों में गणित के शिक्षण को मजबूत बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कक्षा I और II के लिए प्रोटोटाइप गणित लर्निंग किट और समुचित अध्यापन संबंधी कार्यनीतियों वाला अध्यापक प्रशिक्षण मैन्युअल तैयार करना शामिल है।

(v) **विद्यार्थी अधिगम परिणामों में सुधार करना:–** एसएसए की विभिन्न गुणवत्तापरक पहलों का प्रभाव, बालकों के अधिगम के संवर्धन के रूप में दिखता है। एक प्रमुख क्षेत्र होने के नाते, एनसीईआरटी ने एमएचआरडी की सलाह पर कक्षा 3, 5 और 8 में पढने वाले सभी बालकों के उपलब्धि स्तर को मापने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कक्षा 3, 5 और 8 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए हर तीन वर्ष में एनसीईआरटी के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन किया जाता है। यह सर्वेक्षण (एनएसए) दी गई शिक्षा की गुणवता का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में विश्वसनीय डाटा देता है। एनसीईआरटी ने इस सर्वेक्षण के 4 चक्र पूरे कर लिए हैं। कक्षा v के लिए चौथे चक्र की रिपोर्ट मार्च, 2017 तक उपलब्ध होगी। सर्वेक्षणों को ध्यान में रखते हुए इन वर्षों में और सभी राज्यों में एक रुझान देखा जा सकता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सर्वेक्षण भाषा और गणित में उनके अधिगम स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन भाषा, गणित और ई वी एस के लिए किया जाता है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए किया जाता है।

एनसीईआरटी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण चक्र

सर्वेक्षण चक्र	कक्षा III	कक्षा V	कक्षा VIII
चक्र 1	2003–04	2001–02	2002–03
चक्र 2	2007–08	2005–06	2007–08
चक्र 3	2012–13	2009–11	2010–13
चक्र 4	2014–16	2013–15	2014–16
परीक्षित विषय	गणित, भाषा	गणित, भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन (ईवीएस)	गणित, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान

तीसरे दौर से, परीक्षा आइटम रिस्पांस थ्योरी (आईआरटी) के आधार पर होने लगी क्योंकि अधिगम स्तरों को मापने के लिए यह एक बेहतर कार्यप्रणाली रही है और इसकी तुलना काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से की जा सकती है। आईआरटी की अन्य विशेषता यह है कि बालकों के अंतर्राज्यीय अधिगम स्तर की तुलना की जा सकती है। इस समग्र उपलब्धि परीक्षा का मूलभूत उद्देश्य यह जानना है कि विशिष्ट कक्षाओं के विद्यार्थी कितना जानते हैं और कितना कर सकते हैं और इन निष्कर्षों का प्रयोग उन अंतरालों को चिह्नांकित करने और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए

करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। बच्चों के उपलब्धि स्तर के संबंध में कक्षा 3,5 और 8 का परिणाम नीचे सारणी में दिया गया है।

	I – दौर	II – दौर	III – दौर	IV – दौर
कक्षा–III				
गणित	58.25	↑ 61.89	252	उपलब्ध नहीं
भाषा	63.12	↑ 67.84	257	
कक्षा–V				
गणित	46.51	↑ 48.46	247	241
भाषा	58.57	↑ 60.31	251	241
पर्यावरणीय अध्ययन	50.30	↑ 52.19	249	244
कक्षा–VIII				
गणित	39.17	↑ 42.58	245	उपलब्ध नहीं
भाषा	53.86	↑ 56.50	247	
विज्ञान	41.30	↑ 42.72	251	
सामाजिक विज्ञान	46.19	↑ 47.90	247	

(↑ वृद्धि की प्रवृत्ति)

(VII) एसएसए के अंतर्गत शोध अध्ययन

(i) **गैर–शिक्षण कार्यकलापों में शिक्षकों की सहभागिता और शिक्षा पर इसका प्रभाव संबंधी अध्ययनः** – शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और यह जानने के लिए कि शिक्षक, शिक्षण संबंधी कार्यकलापों में कितना वास्तविक समय देते हैं, न्यूपा द्वारा एक अध्ययन कराया गया। यह अध्ययन देश के चार भू–भागों–पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती हुई विभिन्न भौगोलिक स्थितियों वाले चार राज्यों में किया गया। इस सैंपल में 8 जिलों (चार राज्य) के 200 स्कूलों के कुल 872 शिक्षक और 153 प्राध्यापक, 8 जिला शिक्षा अधिकारी और 47 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शामिल थे। डाटा का संग्रहण चार राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और उत्तराखंड) से प्रश्नावलियों, अर्द्ध संरचित साक्षात्कार कार्यक्रमों और 'स्कूली जीवन' पर केस अध्ययन की सहायता से किया गया। इस प्रकार, प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट में उल्लेख है कि शिक्षक शिक्षणेतर मूल कार्यकलापों में 42.6% समय बिताते हैं और स्कूल से संबंधित शिक्षणेतर कार्यकलापों में 31.8% समय व्यतीत करते हैं।

(ii) **डाटा के मिलान में प्रयुक्त संकल्पनाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाविधियों का मानकीकरण और स्कूल शिक्षा में संकेतकों के परिकलन पर अध्ययनः–** एक ही संकेतक का परिकलन करने के लिए अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग दृष्टिकोण, परिभाषाएं, डाटा संग्रहण प्रक्रियांएं अपनाती हैं। डाटा संग्रहण और संकेतकों के परिकलन में प्रयुक्त

प्रक्रियाविधियों और परिभाषाओं में संगतता, अनुरूपता, मानकीकरण के मुद्दों को उठाने में सहायता करने के लिए न्यूपा को एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

VIII. **अवसंरचना**

स्कूल भवन, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, जलापूर्ति और सीवरेज , बिजली आदि जैसी अन्य सुविधाओं सहित सिविल अवसंरचना को समग्र स्कूल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाता है।

राज्य, स्थानीय स्थल की दशा, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, स्थानीय रीतियों आदि पर आधारित भवन डिजाइन तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मौजूदा राज्य अनुसूची दरों के आधार पर तैयार लागत अनुमानों पर सामान्यतः एसएसए फ्रेमवर्क के अनुसार विचार किया जाता है।

राज्यों को आयोजना और निर्माण हेतु सम्पूर्ण स्कूल विकास दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, स्कूल परिसरों के भीतर शिक्षण कक्षों का उपयुक्त स्थान, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं तथा खेल के मैदान सुनिश्चित करने और साथ ही बढे हुए नामांकनों, स्कूल में बालक अनुकूल संघटकों को शामिल करने से उत्पन्न भावी विस्तार के आवश्यकता को देखते हुए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदर्शन अथवा चाक बोर्डों, स्टोरेज शैल्फ जैसे पर्याप्त अधिगम संघटक, जो सभी बालकों की पहुंच में हो,

Sri Sankardev Lower Primary School Assam

का प्रावधान करना, बच्चों के लिए उनकी आयु और लम्बाई को ध्यान में रखते हुए पेयजल और मूत्रालयों (युरिनल्स) जैसी विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था, विभिन्न तरीकों से अधिगम को आसान बनाने के लिए अध्यापन संबंधी संसाधनों के रूप में आंतरिक और बाह्य स्थानों जैसे फर्श, दीवारें, सीढियां, खिड़कियाँ, दरवाजे, सीलिंग आदि को डिजाइन करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त हो रही है, अद्यतन राष्ट्रीय भवन कोड के आधार पर स्कूल डिजाइन में समुचित 'सुरक्षा विशेषताए' शामिल करना आदि है। स्कूल भवन डिजाइन में समय–समय पर निर्बाध पहुंच, अग्नि सुरक्षा मानकों और अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों को शामिल किया जा रहा है।

मार्च, 2018 तक स्कूल भवनों के निर्माण की प्रगति इस प्रकार है:–

कार्यकलाप	पूर्ण कार्य	कार्य प्रगति पर	कुल स्वीकृति
स्कूल भवन	294431	7552	312187
अतिरिक्त शिक्षण कक्ष	1803460	39800	1887596
पेय जल सुविधाएं	235483	827	241999
शौचालय (सभी)	1003987	19146	1053887

तथापि, स्कूल संरचना प्रावधान ही एकमात्र कार्य नहीं है। स्कूल अवसंरचना के डिजाइन और गुणवत्ता का स्कूलों के नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एसएसए, प्रत्यक्ष कार्यक्रम निधियन तथा केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य संगत योजनाओं के अभिसरण , दोनों ही के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में विनिर्दिष्ट मानकों और मानदंडों के अनुसार स्कूल अवसंरचना के सृजन में सहायता करता है।

आरटीई – एसएसए मानकों के अनुसार, स्थानीय समुदाय में स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी सिविल कार्यों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थल के चुनाव, डिजाइन के विकल्प और स्कूल सुविधा के अनुरक्षण आदि में समुदाय की पूर्व–सक्रिय भूमिका होती है। देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ समुदाय ने उनके गाँव के स्कूलों की बेहतरी के लिए धनराशी, सामग्री और श्रमदान आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आरटीआई – एसएसए मानक पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत, बिना भवन वाले क्षतिग्रस्त स्कूलों के संबंध में स्कूल भवनों के प्रावधान और प्राकृतिक रोशनी तथा वेंटिलेशन आदि की स्थिति सुधारने सहित विभिन्न सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए स्कूल भवनों की रेट्रोफिटिंग का भी प्रावधान करते हैं। सिविल कार्यों में तृतीय पक्ष मूल्यांकन, आरटीई– एसएसए मानकों के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और उनके समयपूर्वक निपटान के लिए एक व्यापक पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू की गई है।

स्कूलों में उपलब्ध अधिगम सुविधाएं

IX. **स्कूल प्रबंधन समितियां और समुदाय की भागीदारी** एसएसए ने सदैव ही सरकारी स्कूल के सुचारू कार्यकरण के संबंध में 'समुदाय के स्वामित्व' के महत्व को स्वीकार किया है। मानकों के अनुसार, स्कूलों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों (एस एम सी) का गठन करें जिसमें सम्बद्ध

स्कूल में पढने वाले छात्रों के अभिभावक/अभिरक्षक सदस्य होंगे। प्रत्येक एस एम सी सदस्य को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके जरिये उन्हें उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में अवगत कराया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए हैं जिन्हें विभिन्न भाषाओं यथा बोडो, असमिया, बंगाली, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और आवश्यकतानुसार अन्य स्थानीय बोलियों में तैयार किया जाता है। वर्ष 2016–17 में कुल 37,16,322 एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और वर्ष 2017–18 में कुल 62,87,899 एस एम सी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

जहाँ तक स्कूलों में नामांकन, अवसंरचना, विकास को बेहतर बनाना और पात्रताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से संबंधित कार्य का संबंध है, महिला सदस्य भी उतनी ही अहम् भूमिका निभाती हैं। एसएमसी के सदस्यों द्वारा स्कूल स्तर पर निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं:–

(i) बच्चों का नामांकन, रिटेंशन और शिक्षा पूरी करना,

(ii) स्कूलों में छात्राओं के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हुए जेंडर संवेदीकरण

(iii) समुचित सरकार द्वारा दी गई अथवा दान के रूप में प्राप्त निधियों का कारगर उपयोग

(iv) छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग

(v) एमडीएम की मॉनिटरिंग

उत्तराखंड में एसएमसी का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

मार्च, 2019 तक 'जीरो ड्रॉपआउट पंचायत'

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जेईपीसी) यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक ब्लॉक में 'जीरो ड्रॉपआउट पंचायत' की संकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में सभी को अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों।

यह संकल्पना ड्रॉपआउट दर को समाप्त करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों के "मुखिया" को सचेत करने के बारे में है। सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया यह सुनिश्चित करेंगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में आने वाले सभी बच्चों को अपनी–अपनी पंचायतों में निकटतम स्कूलों में दाखिला दिया जाए। इससे नागरिकों में जागरूकता बढ़ने के साथ साथ व्यावहारिक बदलाव भी आएँगे।

'शिक्षादूत' नामक शिक्षा अधिकारियों का एक दल किसी भी पंचायत को 'जीरो ड्रॉपआउट पंचायत' घोषित करने से पहले डी सी के पर्यवेक्षणाधीन पंचयातों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

इन कार्यकलापों के चलते, दिसंबर, 2017 तक 1,000 पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत घोषित किया गया है।

X. आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत दाखिला

धारा 12 (1)(ग) में सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष श्रेणी के स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम 25% सीटें आरक्षित करने का अधिदेश है। एसएसए के अंतर्गत, भारत सरकार, एस एस ए की वार्षिक कार्य योजना और बजट की 20% की उच्चतम सीमा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बालक लागत मानकों के आधार पर निजी और गैर–सहायताप्राप्त स्कूलों में 25% दाखिले के लिए राज्य व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्यों को यह प्रतिपूर्ति 2014–15 में स्कूलों में दाखिल बच्चों के लिए 01 अप्रैल, 2015 से दी गई है। राज्यों ने सूचित किया है कि वर्ष 2014–15, 2015–16, और 2016–17 के दौरान धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में क्रमशः 18.10 लाख, 24.22 लाख और 29.25 लाख बच्चों को दाखिला दिया गया। पीएबी ने राज्यों को निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए उनके किए गए व्यय की तुलना में कक्षा । और ऊपर के 5.05 लाख बच्चों के लिए वर्ष 2015–16 में 250.65 करोड़ रूपए, वर्ष 2016–17 में 11.14 लाख बच्चों के लिए 492.69 करोड़ रूपए और वर्ष 2017–18 में 14.54 लाख बच्चों के लिए 509.75 करोड़ रूपए दिए।

******

02

अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई)

अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई)

अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई):

क. अध्यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तैयार हो जाने के पश्चात् सन् 1987 में शुरू किया गया था। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 के अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) में केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने की तुलना में अब 6308.45 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ संशोधित किया गया है जिसमें अब केंद्र और राज्यों/विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 की साझेदारी होगी (8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए 90:10) और विधानमंडल–रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% भाग केंद्र द्वारा दिया जाएगा। यह योजना सरकारी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) को अवसंरचनात्मक और संस्थागत सहायता प्रदान करने की ओर लक्षित है। सीएसएसटीई के अधीन सरकारी अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) अध्यापक शिक्षा कॉलेज (सीटीई), उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) और ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई) शामिल हैं।

वर्ष 2017–18 के लिए सीएसएस – अध्यापक शिक्षा के लिए 480.00 करोड़ रूपए का बजट अनुमान है, जिसमें से 31.03.2018 तक 478.38 करोड़ रूपए खर्च कर लिए गए हैं।

ख. अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता

1) **अध्यापक शिक्षा संस्थानः** भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक देश भर में 82 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी/डीआरसी), 19 अध्यापक शिक्षा कॉलेज (सीटीई) और 7 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) की स्थापना को अनुमोदित किया है। साथ ही, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 196 अनु.जा. अनु.ज.जा.अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों में प्रारंभिक पूर्व–सेवा अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना की गई है, इनमें से देश के विभिन्न भागों में अनु.जा.अनु.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अध्यापक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2017–18 तक 81 ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान स्वीकृत किए गए हैं।

2) **पृथक संकाय का सृजनः** 31 मार्च, 2017 तक, 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ ने अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक संकाय की स्थापना की है। शेष 16 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र या तो प्रक्रियाधीन हैं

अथवा उनमें अभी अध्यापक शिक्षकों के लिए पृथक संकाय का सृजन किया जाना है।

3) **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) विनियम, 2014– मानदंड और मानकः** एनसीटीई की स्थापना संसद के अधिनयम (1993 का सं.73) द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य देश भर में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का सुनियोजित और समन्वित विकास प्राप्त करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और समुचित अनुरक्षण करने और इससे संबंधित मामलों को देखना था। एनसीटीई के संशोधित विनियम, नवंबर, 2014 में अधिसूचित किए गए और संशोधित विनियमों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- 12 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों में संशोधन किया गया।
- 3 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए मानदंड और मानकः 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों: बीए/ बी.एड. और बीएस.सी./बी.एड, बी.एड अंशकालिक आमने–सामने (वहीं उपलब्ध अध्यापकों के लिए), और 3 वर्षीय एकीकृत बी. एड./एम.एड के लिए नए मानक और मानदंड तैयार किए गए।
- सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या संशोधित की गई तथा और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई।
- सभी कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में योग, आईसीटी जेंडर और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को शामिल किया गया।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोगों (प्रेक्टिकम) स्कूल इंटर्नशिप और फील्ड कार्य पर स्पष्ट बल और फोकस
- पूरे 20 सप्ताह के लिए स्कूल इंटर्नशिप
- प्रत्यायन सिद्धांत को शुरू किया गया।

4) **एससीईआरटी की पुनर्संरचना और अध्यापक शिक्षकों के लिए संकाय पुनर्संरचनः** 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 12 राज्यों, अर्थात असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु ने एससीईआरटी की संगठनात्मक पुनर्संरचना की है। शेष 21–राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र या तो प्रक्रियाधीन हैं अथवा उन्हें अपने–अपने एससीईआरटी/एसआईई की पुनर्संरचना करनी है।

5) **अध्यापक शिक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशनः** टीई योजना के मॉनीटरिंग तंत्र के भाग के रूप में, वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक 30 राज्यों में अध्यापक शिक्षा के विशेषज्ञों वाला संयुक्त समीक्षा मिशन भेजा गया है ताकि अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। संयुक्त समीक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रगति की समीक्षा करना और संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के लिए योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संबंधी पहलों में से प्रत्येक पहल के संबंध में कार्यक्रम आयोजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना है। इसका मार्गदर्शी सिद्धांत अधिगम मिशन का एक भाग है: (क) सम्मत संकेतकों और प्रक्रियाओं की तुलना में की गई प्रगति से अधिगम और साथ ही कार्यान्वयन समर्थताओं को

मजबूत बनाने की दृष्टि से उन अनुभवों को आपस में साझा करना जो ताकतों और कमजोरियों को मुख्यांकित करते हों। संयुक्त समीक्षा मिशनों की विस्तृत रिपोर्टें ब्यूरो की वेबसाइटः www.teindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

6) **प्रशिक्षक, अध्यापक शिक्षा पोर्टलः** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (एसईएंडएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 30.06.2016 को प्रशिक्षक, अध्यापक शिक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। सरकारी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ई–गवर्नेंस पहल है। प्रशिक्षण का उद्देश्य डीआईईटी को अपने संस्थानों के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद करना, देश/राज्य में स्थित अन्य डीआईईटी की तुलना में उनके संस्थान के निष्पादन की तुलना करना और साथ ही महत्वाकांक्षी शिक्षकों को यह निर्णय लेने में सहायता करना है कि वे किस संस्थान में जाएं। इस पोर्टल के मुख्य हितधारक और प्रयोक्ता हैंः अध्यापक शिक्षक, डीआईईटी के प्रधानाचार्य और संकाय, जिला, राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर नीति–निर्माता, विद्यार्थी शिक्षक, सेवारत प्रशिक्षण शिक्षक, और आम जनता। इस पोर्टल में देश के सभी कार्यशील डीआईईटी (वित्त वर्ष 2015–16) के डाटाबेस के साथ–साथ इन संस्थानों के निष्पादन संकेतकों सहित इनसे संबंधित सभी संगत सूचना मौजूद है।

7) **अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यशालाएंः** वर्ष 2017–18 में एससीईआरटी/एसआईई के निदेशकों और डीआईईटी प्रधानाचार्यों के लिए एक राष्ट्रीय और 5 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) की पुनर्संरचना पर पहली कार्यशाला का आयोजन 17 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के साथ अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई)

(जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) की पुनर्संरचना पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई, 2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में किया गया।

(डीआईईटी के सुदृढ़ीकरण संबंधी दिशानिर्देश (एमएचआरडी, 2017) और एससीईआरटी के सुदृढ़ीकरण संबंधी संकल्पना दस्तावेज की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

के मूल्यांकन के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार–विमर्श करने के लिए किया गया और यह 25 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, 12 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली और 23 तथा 24 दिसम्बर, 2017 को गोवा, में डीआईईटी (एमएचआरडी, 2017) के सुदृढ़ीकरण संबंधी दिशानिर्देश और एससीईआरटी के सुदृढ़ीकरण संबंधी संकल्पना दस्तावेज की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सीएसएसटीई योजना के मूल्यांकन के लिए विभिन्न हितधारकों से इन्पुट्स इकट्ठे करना, डीआईईटी और एससीईआरटी/एसआईई की पुनर्संरचना, लोक वित्त मॉनीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन और डीआईईटी/एससीईआरटी के सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना है।

8) **टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा सीएसएसटीई का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (2017):** वर्ष 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ही टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा सीएसएसटीई का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन में 11 राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) तथा 2 संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की 90 संस्थाओं को कवर किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों और मुख्य सिफारिशों को सीएसएसटीई के अंतर्गत संचलित अध्यापक शिक्षा की क्षेत्रीय कार्यशालाओं में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

9) **सीएसएसटीई योजना 2017–18 के अंतर्गत नए कार्यकलाप/पहल**

- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के सुदृढ़ीकरण संबंधी दिशानिर्देश 2017: एनपीई (1986) के अनुसार, डीआईईटी की परिकल्पना सेवाकालीन शिखा और साथ ही सेवा–पूर्व शिक्षा के रूप में की गई थी। तथापि, कुछ वर्षों से इसका फोकस धीरे–धीरे बदलकर सेवा–पूर्व शिक्षा पर हो गया। इसके अलावा, फिलहाल कोई ऐसी नोडल एजेंसी नहीं है जिसे सेवाकालीन प्रशिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त हो और इसीलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में डीआईईटी के सुदृढ़ीकरण संबधी दिशा–निर्देश तैयार किए हैं। तद्नुसार, राज्यों को डीआईईटी से संबंधित एमएचआरडी के दिशानिर्देशों में प्रस्तावित प्रारूपों के अनुसार डीआईईटी की पुनः संकल्पना पर विचार करने से पहले जिला–स्तर विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में और अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने में भी स्वतंत्रता मिलेगी।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) का सुदृढ़ीकरण: आरटीई, 2009 के कारण पिछले दशक में स्कूल शिक्षा के विस्तार और सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा हेतु बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए, एससीईआरटी का मूल्यांकन करना आवश्यक लगा ताकि एससीईआरटी की ताकतों और कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए उसे सुदृढ़ संसथाओं के साथ उसके संयोजको के बीच अंतरालों को पाटा जा सके। एमएचआरडी ने 'एससीईआरटी के सुदृढ़ीकरण' पर एक व्यापक संकल्पना दस्तावेज तैयार किया है जिसे (6.10.2017 को) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। यह एससीईआरटी की पुनर्संरचना, विभिन्न सहायक संरचनाओं के बीच अभिसरण और संयोजन, तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एससीईआरटी पर फोकस करता है।

- दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नोलेज शेयरिंग): दीक्षा का शुभारंभ भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति, श्री वैंकेय्या नायडु द्वारा 5 सितंबर, 2017 को किया गया। दीक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण और व्यावसयिक विकास के क्षेत्रों में किए जाने वाले और प्रयासरत समाधानों, प्रयोगों और नवाचारों की ओर तेजी से बढ़ने और उन्हें परिवर्धित करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को अपनी आवश्यकताओं और प्रयोजनों के अनुसार दीक्षा को पुनः नियोजित ओर विस्तार कर सकते हैं। दीक्षा स्कूलों के अध्यापकों, और अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अध्यापक शिक्षकों तथा विद्यार्थी शिक्षकों के लाभ के लिए बनाया गया है।

******

03

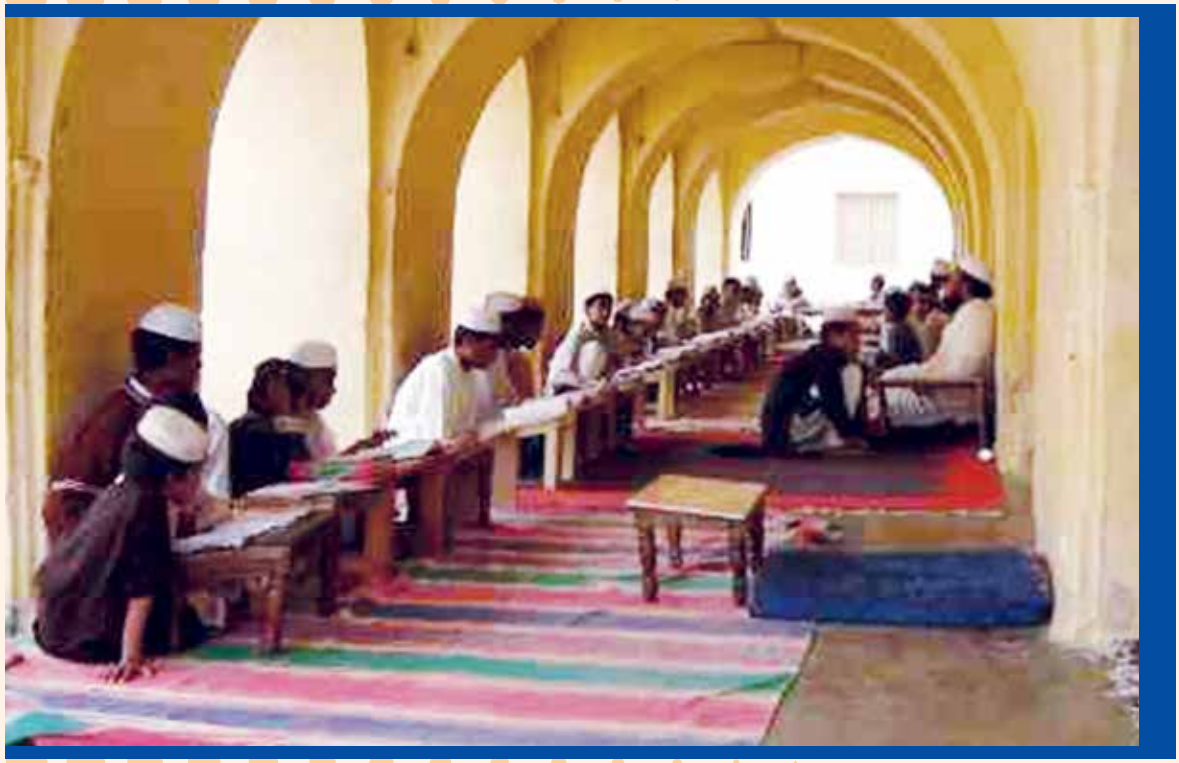

मदरसो में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और मदरसा अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने हेतु योजना (एसपीईएमएम) अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) की योजना

मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने हेतु योजना (एसपीईएमएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) की योजना

मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने हेतु योजना (एसपीईएमएम)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक सहायक योजना (एसपीईएमएम) कार्यानवित कर रहा है जिसमें **मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)** और **अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)** नामक 2 योजनाएं शामिल हैं। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। दोनों ही योजनाएं स्वैच्छिक है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से 16 राज्य अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प. बंगाल, सिक्किम और मिजोरम लाभानवित हुए हैं।

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)

एसपीक्यूईएम का उद्देश्य मदरसों में गुणवत्तापरक सुधार लाना हैं जिससे मुस्लिम बालक औपचारिक शिक्षा के विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त कर सकें। एसपीक्यूईएम योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

i. अध्यापक मानदेय के वर्धित भुगतान के जरिए विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि जैसे औपचारिक पाठ्यक्रम विषयों के शिक्षण हेतु मदरसों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

ii. अध्यापन संबंधी नई पद्धतियों में इन शिक्षकों को प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण देना।

iii. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण के मदरसों में वार्षिक अनुरक्षण लागतों सहित विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब्स की व्यवस्था करना।

iv. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किटों का प्रावधान।

v. पुस्तकालयों/पुस्तक कोषों का सुदृढ़ीकरण और मदरसों के सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम सामग्री मुहैया कराना।

vi. इस आशोधित योजना की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्यायन केंद्रों के रूप में मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के साथ जोड़ने को प्रोत्साहित करता है: जिससे कक्षा 5,8,10 और 12 के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे समर्थ हो सकेंगे। इससे वे उच्चतर अध्ययन की ओर जा पाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सदृश गुणवत्ता मानक भी सुनिश्चित होंगे। इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस को दी जाने वाली पंजीकरण और परीक्षा फीस एवं साथ ही प्रयोग की जाने वाली शिक्षण और अधिगम सामग्री भी कवर की जाएगी।

vii. मदरसों में माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की इस योजना के अधीन एनआईओएस लिंकेज दिए जाएंगे।

viii. योजना की मॉनीटरिंग और लोकप्रियता के लिए, यह राज्य मदरसा बोर्ड को वित्तपोषित करेगी। भारत सरकार, स्वयं ही आवधिक मूल्यांकन करेगी, पहला मूल्यांकन दो वर्ष के भीतर किया जाएगा।

2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई दो अलग–अलग योजनाएं थीं। दोनों योजनाओं को वर्ष 2014–15 में मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अम्ब्रेला योजना (एसपीईएमएम) के तहत लाया गया, दोनों योजनाओं के लिए निधियां एक ही मद के अंतर्गत दी गई। वर्ष 2016–17 के दौरान, एसपीईएमएम के लिए 120 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल थीं। वर्ष 2016–17 के दौरान एसपीक्यूईएम योजना के अंतर्गत 8706 मदरसों और 20969 शिक्षकों को लाभान्वित करती हुई 106.94 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। 2017–18 के दौरान एसपीईएमएम के लिए 120 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल हैं। इसमें से 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार एसपीक्यूईएम के अंतर्गत 77.5954899 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं जिससे 6204 मदरसे और 15909 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) की योजना

आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थाओं में अवसंरचना का संवर्धन करना है। आईडीएमआई योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

i. इस योजना से अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) में अवसंरचना का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुकर बनाना है।

ii. इस योजना में संपूर्ण देश को कवर किया जाएगा, किंतु 20% से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और शहरों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी सहायता–प्राप्त/ गैर–सहायताप्राप्त/ प्रारंभिक/ माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों) को प्राथमिकता दी जाएगी।

iii. यह योजना बालिकाओं के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शैक्षिक रूप से सर्वाधिक लाभवंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करती है।

iv. यह योजना मौजूदा स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना और भौतिक सुविधाओं जिसमें (i) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, (ii) विज्ञान/कम्प्यूटर लैब कक्ष, (iii) पुस्तकालय कक्ष, (iv) शौचालय (v) पेय जल सुविधाएं, और (vi) बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन शामिल हैं, के सुदृढ़ीकरण के लिए 75% की सीमा तक और अधिकतम 50.00 लाख रूपए प्रति संस्था की दर से निजी सहायता–प्राप्त/गैर सहायता–प्राप्त/प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अवसंरचना विकास के लिए राशि उपलब्ध करती है।

2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई दो अलग–अलग योजनाएं थीं। दोनों योजनाओं को वर्ष 2014–15 में मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अम्ब्रेला योजना (एसपीईएमएम) के तहत

लाया गया, दोनों योजनाओं के लिए निधियां एक ही मद के अंतर्गत दी गई। वर्ष 2016–17 के दौरान, एसपीईएमएम के लिए 120 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल थीं। वर्ष 2016–17 के दौरान आईडीएमआई योजना के अधीन 2.25 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई जिससे 39 संस्थान लाभान्वित हुए। वर्ष 2017–18 के दौरान, एसपीईएमएम जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई दोनों शामिल हैं, के लिए 120 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार आईडीएमआई योजना के अंतर्गत 30.296415 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई जिससे 156 संस्थान लाभान्वित हुए।

******

04

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

माध्यमिक शिक्षा
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए):

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से मार्च, 2009 में इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना, वर्ष 2017 तक 90% का जीईआर सुनिश्चित करने और वर्ष 2020 तक सर्वसुलभ रिटेंशन करने के लक्ष्य के साथ, किसी भी निवास स्थल से उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल की सुविधा मुहैया कराकर माध्यमिक चरण पर नामांकन को बढ़ाने की परिकल्पना करती है। अन्य उद्देश्यों में सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, जेंडर, सामाजिक – आर्थिक और निरूशक्तता संबंधी बाधाओं को हटाना आदि शामिल है।

- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं में (i) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, (ii) प्रयोगशालाएं, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला और शिल्प कक्ष, (v) शौचालय खंड (vi) पेय जल व्यवस्था, (vii) बिजली टेलीफोन/इंटरनेट कनेक्टिविटी और (viii) निःशक्तजन अनुकूल प्रावधान शामिल हैं।
- (i) पीटीआर को सुधारने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति (ii) शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, (iii) आईसीटी समर्थित शिक्षा (iv) पाठ्यचर्या सुधार और (v) शिक्षण अधिगम सुधारों के जरिए गुणवत्ता में सुधार
- (i) सूक्ष्म आयोजना पर विशेष फोकस (ii) स्कूल खोलने के लिए अनु.जा./अनु.ज.जा./अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता (iii) कमजोर वर्गों के लिए विशेष नामांकन अभियान (iv) स्कूलों में अधिक महिला शिक्षक और (v) बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय खंडों के माध्यम से समता संबंधी पहलुओं का निपटान।

निधियन पैटर्न में संशोधन और निधि प्रवाहः दिनांक 01.04.2015 से विधानमंडल सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच शेयरिंग पैटर्न 60:40 है, इसमें 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्य शामिल नहीं हैं, जिनके लिए यह 90:10 है। विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह शेयर 100% है। आरएमएसए के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज की जाती हैं जो उसे राज्य शेयर के साथ राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज करते हैं।

कार्यान्वयन की प्रगति (2016–17): एकीकृत आरएमएसए योजना के लिए 3700 करोड़ रूपए का कुल बजटीय आबंटन किया गया है। कुल आबंटन में से, 3699.31 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है।

आरएमएसए के अंतर्गत, कुल 12682 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं जिसकी तुलना में 12015 स्कूलों को प्रचालनरत किया गया है। इसके अलावा, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के अधीन, 50713 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 35800 पूरे हो गए हैं। 26260 विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 18588 पूरी हो गई हैं, 19076 कम्प्यूटर कक्ष स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 13197 पूरे हो गए हैं, 25597 पुस्तकालय कक्ष स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 18438 पूरे हो गए हैं और 30092 कला/शिल्प कक्ष स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 20533 पूरे हो गए हैं।

आरएमएसए के बालिका छात्रवास घटक के अधीन 2549 बालिका छात्रावास अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 1308 कार्यात्मक हैं। स्कूल संघटक में आईसीटी के अंतर्गत, 88757 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं और 59330 कार्यात्मक हैं। व्यावसायिक शिक्षा संघटक के अंतर्गत 8227 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं और 6129 कार्यात्मक हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आरएमएसए के अधीन की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:–

(i) **शाला सिद्धी–** स्कूल मानक और मूल्यांकन फ्रेमवर्क और इसके बेव पोर्टल को 7 नवंबर, 2015 को शुरू किया गया। यह स्कूल मूल्यांकन के लिए एक व्यापक साधन है जो स्कूल सुधार में परिणत होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) द्वारा विकसित इस साधन का लक्ष्य स्कूलों को उनके प्रदर्शन का अधिक संकेद्रित और कार्यनीति प्रकार से मूल्यांकन करना और सुधार के लिए व्यावसायिक फैसले लेने में उनकी सहायता करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों के मुख्य प्रदर्शन डोमेनों और उनके मूल मानदंडों पर फोकस करके प्रत्येक स्कूल के लिए सम्मत मानक और बेंचमार्क स्थापित करना है। इस फ्रेमवर्क के वेब पोर्टल से सभी स्कूल फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल 7 मुख्य डोमेनों में स्व–मूल्यांकन कर सकेंगे। इन मूल्यांकनों के परिणाम स्कूल की रिपोर्ट कार्ड के साथ सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होंगे।

(ii) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सभी सरकारी स्कूलों के लिए शाला–सिद्धी कार्यक्रम कार्यानवित करने के लिए कहा गया है। अब तक, लगभग 4,44,509 स्कूलों को कवर करते हुए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शाला–सिद्धी कार्यान्वित किया गया है।

(iii) **जीआईएस मैपिंग:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी निवास स्थल से उचित दूरी के भीतर और बिना किसी भेदभाव के माध्यमिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों तक पहुंच सर्वसुलभ हो, स्कूलों के जीआईएस वेब समर्थित प्लेटफार्म अर्थात http://schoolgis.nic.in पर यूडीआईएसई में उपलब्ध स्कूल के भौगोलिक निर्देशांकों के साथ स्कूलों की सूचना अपलोड की जा रही है। सभी राज्यों ने जीआईएस मैपिंग की है और एनआईसी के साथ स्कूलों के भौगोलिक निर्देशांकों को साझा किया है। इस मैपिंग को यूडीआईएसई डाटाबेस से जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक स्कूल को मैप किया गया है और यूडीआईएसई की सूचना के आधारपर उसका एक विस्तृत स्कूल रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। स्कूल सूचना के बारे में यह वेब–समर्थित प्लेटॅफार्म (स्थान संबंधी और गैर स्थान संबंधी डाटा) एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत बेहतर आयोजना और उपलब्ध संशोधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

कुल 15,22,925 स्कूलों की तुलना में (यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार) जीआईएस पोर्टल पर 14,32,961 (94.09%) स्कूलों को मैप किया गया है।

(iv) **कक्षा X के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार कक्षा X के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कराया गया। एनसीईआरटी ने दिनांक 4 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) कक्षा X की एक संक्षिप्त रिपोर्ट मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की। यह सर्वेक्षण पांच विषयों यथाः अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा में विद्यार्थी उपलब्धि की जांच करता है। तकनीकी प्रक्रिया विधियों का सख्त अनुपालन करते हुए सैम्पल डिजाइन, परीक्षा विकास और अनुवाद की वैज्ञानिक और सुदृढ़ प्रक्रिया के पश्चात् यह परीक्षा 33 राज्यों और संघ राज्यों में कराई गई।

एक बालक की उपलब्धि, विभिन्न पार्श्व कारकों पर निर्भर करती है, जिसे सर्वेक्षण के अधीन सविस्तार एकत्र किया गया है। उपलब्धि अंकों और बैकग्राउंड वेरिएबल्स का गहन विश्लेषण नीति निर्माताओं और पाठ्यचर्या विकासकों ओर अन्य पणधारकों को अधिक जानकारी दे रहा है। तद्नुसार, विभिन्न विषयों के संबंध में अध्यापन संबंधी पहलुओं को सुधारने के लिए एनएएस के निष्कर्षों के आधार पर अध्यापक

प्रशिक्षण (सेवा–पूर्व तथा सेवा–कालीन) कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इससे राज्यों को पाठ्यचर्या से संबंधित प्रत्याशाओं का पुनरावलोकन करने और पाठ्यचर्या संबंधी सुधार शुरू करने में भी सहायता होगी। राज्य रिपोर्ट कार्डों को भी आगे के विश्लेषण और कारवाई हेतु संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया है।

देश के सभी जिलों में एनएएस का दूसरा चरण 5 फरवरी, 2018 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थियों के भाग लेने की संभावना है।

(v) **कला उत्सवः** कला उत्सव देश में माध्यमिक स्तर के स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभाओं को विकसित और प्रदर्शित करके शिक्षा में कला (संगीत, थिएटर, नृत्य, विजुअल आर्ट और शिल्प) को प्रोत्साहित करने के लिए एमएचआरडी की एक पहल है और यह एक समावेशी माहौल में कला को सामने लाने के लिए भी एक मंच है।

कला उत्सव के भाग के रूप में, जिला और राज्य स्तर पर संगीत, नृत्य, थिएटर और विजुअल आर्ट की चार थीमों पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई और विजयी दलों ने तत्पश्चात् **एक भारत श्रेष्ठ भारत** की थीम वाले राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव 2017 में भाग लिया जिसका आयोजन 3–6 जनवरी, 2018 से भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। इस कार्यक्रम में 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केवीएस और एनवीएस के लगभग 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

(vi) **विज्ञान और गणित पर फोकसः** 9 जुलाई, 2015 को शुरू किए गए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत, आरएमएसए के अधीन विज्ञान और गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षण, गणित और विज्ञान किट, विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों का भ्रमण, विज्ञान और गणित पर विशेष शिक्षण, जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी, वैदिकगणित का शिक्षण आदि को शामिल किया गया है। 2017–18 में आरएए के लिए 177 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(viii) **शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का प्रयोग करते हुए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (अवार्ड):–** स्कूलों में आईसीटी के अंतर्गत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग ओर कम्प्यूटर समर्थित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षण–अधिगम में आईसीटी के अभिनव प्रयोग के लिए शिक्षकों और अध्यापक–शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आईसीटी के अभिनव प्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।

2016 के लिए शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का प्रयोग करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 24 शिक्षकों को दिया गया था।

(viii) **विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटाबेसः –**

17.01.2018 की स्थिति के अनुसार, 5 से 18 वर्ष की आयु समूह के 21,74,35,349 विद्यार्थियों का डाटा तैयार किया गया है और 7,98,43,471 बच्चों को डाटा के आधार के साथ जोड़ा गया है। 31,20,354 शिक्षकों का डाटा तैयार किया गया और ई–संपर्क पोर्टल पर अपलोड किया गया। न्यूपा ने यूडीआईएसई के लिए अपने डाटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) में उपर्युक्त ब्यौरा समाविष्ट किया है जिससे उसका आवधिक अद्यतनीकरण सुनिश्चित होगा।

(ix) **ई–पाठशालाः** एनसीईआरटी ने सभी शैक्षणिक ई–संसाधनों जिसमें पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, विडियो, पत्र–पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित तथा अनुदित सामग्री को प्रदर्शित करने और उनके प्रचार–प्रसार के लिए ई–पाठशाला विकसित की गई है। अब तक इस पोर्टल और मोबाइल एप पर 3027 ऑडियो और विडियो, 650 ई–पुस्तकें (ई–पब्स) ओर 504 फ्लिप पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

(x) **सुधारात्मक शिक्षणः** आरएमएसए योजना की गुणवत्ता संघटक के अंतर्गत, कक्षा IX के कमजोर विद्यार्थियों के लिए (कक्षा IX के नामांकन के 20% तक) सुधारात्मक शिक्षण के लिए प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भी

और विद्यार्थियों के बराबर हो सकें। वर्ष 2016–17 के दौरान 8,43,584 विद्यार्थियों को सुधारात्मक शिक्षण दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017–18 के दौरान, देश में कक्षा IX के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण को अनुमोदित किया गया है।

(xi) **सेवा–कालीन प्रशिक्षणः** आरएमएसए योजना के अंतर्गत, अध्यापकों के शिक्षण कौशलों को बेहतर बनाने के लिए प्राध्यापकों/प्रधानाचार्यों को सेवा–कालीन अध्यापक प्रशिक्षण, मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, मुख्य संपर्क व्यक्तियों को प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रवेश प्रशिक्षण, प्राध्यापकों/प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास/प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण और न्यूपा के जरिए प्राध्यापकों तथा राज्य संपर्क समूहों के नेतृत्व प्रशिक्षण सहित विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। 2016–17 के दौरान 312461 शिक्षकों को सेवा–कालीन प्रशिक्षण दिया गया।

(xii) **बालिकाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षणः** बालिकाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें किसी भी खतरे अथवा प्रहार की स्थिति से जूझने के लिए उनके जीवनकौशलों में संवृद्धि करने की दृष्टि से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आरएमएसए के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर आत्म रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन का निधियन किया गया है। अब तक अलग–अलग वर्षों में आरएमएसए के अंतर्गत आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिए 1,76,737 स्कूलों को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 5880.81 लाख रूपए के परिव्यय के साथ 63,400 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं।

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस) को वर्ष 2009–10 से शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। यह योजना कक्षा IX–XII में निःशक्त बच्चों के समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सभी निःशक्त बच्चों को प्रारंभिक स्कूलिंग के आठ वर्ष पूरे करने के पश्चात् एक समावेशी और समर्थकारी माहौल में माध्यमिक स्कूलिंग (कक्षा IX–XII) के आगे के चार वर्ष पूरे करने में समर्थ बनाना है।

इस योजना में प्रारंभिक स्कूल से उत्तीर्ण होने और सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बालकों जो निःशक्तजन अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के तहत यथापरिभाषित एक या एक से अधिक निःशक्तताओं नामतः i) दृष्टिहीनता, ii) कम दृष्टि, iii) कुष्ठ रोग से ठीक होने वाले, iv) बधिर, v) लोको–मोटर विकलांगता, vi) मानसिक मंदता, vii) मानसिक बीमारी, viii) स्वलीनता, ix) मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त हैं, को कवर किया गया है और बाद में वाक् बाधा, अधिगम निःशक्तता को भी कवर किया जाएगा।

इस योजना के संघटकों में दो मुख्य संघटकों के लिए सहायता शामिल है अर्थात क) विद्यार्थी–उन्मुखी संघटकोंः (i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन (ii) विद्यार्थी उन्मुखी सुविधाओं जैसे सहायता उपस्करों, चिकित्सीय सेवा, पुस्तक समर्थित सेवाओं आदि का प्रावधान (iii) अधिगम सामग्री का विकास (iv) स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर की खरीद। निःशक्तता वाली बालिकाओं को विशेष फोकस किया जाता है और योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि निःशक्त बालिकाओं के लिए 200/– रूपए मासिक स्टाईपंड के प्रावधान के साथ माध्यमिक स्कूलों तक पहुंच सकें। केंद्रीय सहायता के रूप में 3,000/– रूपए प्रति बालक प्रति वर्ष दिया जाता है जिसके ऊपर राज्यों द्वारा 600/– रूपए प्रति निःशक्त बालक प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ख) अन्य संघटकः (i) विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति (ii) विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों के लिए 400/–रूपए प्रति माह का विशेष वेतन (iii) संसाधन कक्षों के निर्माण और उन्हें तैयार करना (iv) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करने हेतु सामान्य स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण (v) स्कूलों को निर्बाध बनाना। योजना में कवर की गई सभी मदों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है।

सभी मदों के लिए केंद्र/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संशोधित निधियन पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) के लिए निधियन पैटर्न 60:40 है। हिमालयी राज्यों सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के निधियन पैटर्न 90 (भारत सरकार):10 (राज्य) है जबकि संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल के बिना) के लिए इस योजना का 100% निधियन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का स्कूल शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है।

केंद्रीय स्तर पर, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए और मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए भी इन प्रस्तावों पर विचार करता है। बोर्ड में सदस्यों के रूप में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं।

पीएबी, अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता है अब तक 3245 विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति/उनकी सेवाएं बनाए रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

आरएमएसए की परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली (पीएमएस) ने सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों की आधार नामांकन प्रक्रिया की प्रगति को जानने के लिए एक रीयल–टाईम ऑनलाइन तंत्र तैयार किया है। इस तंत्र का प्रयोग सीडब्लयूएसएन विद्यार्थियों को वस्तुरूप अथवा नकदी डीबीटी लाभों के संवितरण को मॉनीटर करने के लिए भी किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 225690 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (106155 बालिकाएं और 119535 बालक) को कवर किया गया है। पीएमएस के अनुसार आईईडीएसएस संघटक के लिए आरएमएसए के पीएमएस के अनुसार, दिनांक 20.03.2018 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में अनावर्ती निधि के तहत 86.56 लाख रूपए और आवर्ती के लिए 7896.00 लाख रूपए दिए गए हैं। इस योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in.ieds पर उपलब्ध है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण और उसे चलाना– आएमएसए की केंद्रीय प्रायोजित योजना का एक संघटक।

''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण और उसे चलाने की केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी और 2009–10 से एनजीओ द्वारा पहले से चलाई जा रही योजना को प्रतिस्थापित करते हुए कार्यानवित किया जा रहा है। इस योजना को मई, 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में सम्मिलित कर लिया गया। आरएमएसए के जीएच संघटक का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (IX–XII) तक बालिकाओं की पहुंच को आसान बनाना और उनकी शिक्षा जारी रखना है ताकि छात्राओं को स्कूल से दूरी, अभिभावकों की वित्तीय संवहनीयता और अन्य संबंधित सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के अवसर से वंचित न किया जाए। अनु. जाति, अनु. जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय और बीपीएल परिवारों की कक्षा IX से XII में पढ़ने वाली 14–18 वर्ष के आयु समूह की छात्राएं इस योजना का लक्ष्य समूह हैं। केजीबीवी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को छात्रावासों में दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक अनुमोदित 2549 बालिका छात्रावासों में सें 1353 छात्रावासों का निर्माण पूरा किया गया है। 585 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है जबकि 611 छात्रावासों का निर्माण शुरू किया जाना शेष है। दिनांक 19.03.2018 की स्थिति के अनुसार 1311 बालिका छात्रावासों को कार्यात्मक किया गया है। मंत्रालय ने 2017–18 में 68 नए बालिका छात्रावास अनुमोदित किए (आंध्रप्रदेश में 15, बिहार में 40, झारखंड में 3, तेलंगाना में 5 और पश्चिम बंगाल में 5)।

"माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण" – आरएमएसए की केंद्रीय प्रायोजित योजना का संघटक।

प्रस्तावनाः

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना को 12 फरवरी, 2014 को संशोधित किया गया जिससे उसे राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनसीक्यूएफ) के साथ श्रेणीबद्ध किया जा सके। इस योजना का वर्ष 2013–14 से एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विलय किया गया है।

उद्देश्यः–

योजना का विशिष्ट उद्देश्य मांगचालित, योग्यता आधारित, मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाना है। मल्टी–एंट्री, मल्टी–एक्जिट अधिगम अवसरों के प्रावधानों के जरिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और अर्हताओं में वर्टिकल गतिशीलता/परस्पर योग्यता बनाए रखना, शिक्षित और नियोजनीय के बीच अंतर को कम करना, और माध्यमिक सतर पर ड्रॉपआउट दर को कम करना तथा शैक्षणिक उच्चतर शिक्षा पर दबाव को कम करना।

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करते समय संशोधित योजना, सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और छात्रों को होरीजोंटल और वर्टिकल गतिशीलता देने की ओर लक्षित है। यह योजना, कौशल संबंधी विषयों के डिजाइन, विकास, डिलीवरी, मूल्यांकन और प्रमाणन में उद्योग के साथ निकट भागीदारी की परिकल्पना करती है।

कवरेज

अभी तक, 17 क्षेत्रों अर्थात् कृषि, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य और स्वास्थ्य, बैकिंग/वित्तीय सेवाएं और बीमा, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी और आईटीईएस, लॉजिसटिक्स, मीडिया और मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा और खेल, रिटेल, सुरक्षा, टेलीकॉम, यात्रा और पर्यटन, बहु कौशल को कवर करते हुए 16,45,400 छात्रों की कवरेज क्षमता के साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 8227 सरकारी स्कूल अनुमोदित किए गए है। अब तक यह योजना देश के 6481 स्कूलों में कार्यान्वित की गई है और मौजूदा सूचित नामांकन 5,00,825 छात्र हैं।

कार्यकलापः–

- वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के संघटक के कार्यान्वयन के लिए 1053 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, जो मानव संसाधन विकास मंत्रऋालय का एक स्वायत्त संगठन है, ने प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमकारिता मंत्रालय के साथ, आईटीआई से उत्तीर्ण छात्रों को शैक्षणिक समकक्षता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन उन आईटीआई छात्रों/पास हुए बच्चों को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु एक तंत्र की व्यवस्था करता है, जिन्होंने कक्षा VIII और कक्षा X के पश्चात् क्रमशः दो वर्ष का आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा किया हो। प्रमाणन के लिए, शिक्षार्थियों को एनआईओएस द्वारा प्रस्तुत किए गए भाषा पाठ्यक्रमों के समूह में से एक भाषा पाठ्यक्रम को और एनआईओएस द्वारा प्रस्तुत किए गए विषयों के समूह में से एक शैक्षणिक विषय चुनना होगा।
- ग्रामीण स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए ग्राम स्तर के कुशल और अर्ध कुशल व्यक्तियों को पहचानने और वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए एमएचआरडी द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई।
- एमएचआरडी द्वारा स्कूलों में गुणपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अनुबंध के आधार पर रखने के लिए सूचीबद्ध करने के दिशानिर्देश जारी किए गए।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को पुनर्संरचित किया गया है, अब चार वर्ष की अवधि में कार्य संबंधी दो भूमिकाओं को कवर किया जाएगा। योग्यता और अनुदेशात्मक घंटों की संख्या के आधार पर कार्य संबंधी पहली भूमिका

को कक्षा 9–10 में और दूसरी को कक्षा 11–12 में पूरा किया जाएगा।

- ऐसी 100 से अधिक कार्य संबंधी भूमिकाओं की पहचान की गई है जिन्हें आगामी वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूल प्रणाली द्वारा शुरू किया जाना है।
- पंडित सुंदर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) द्वारा संप्रेषण कौशल, प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमी कौशल, हरित कौशल समाहित एक नियोजनीयता मॉड्यूल तैयार किया गया है और एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर विकसित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के संघटक के विभिन्न मॉनीटरिंग तंत्रों के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने और कार्य भूमिकाओं और उसकी प्रगति सहित संशोधित कार्यान्वयन मॉड्यूल को साझा करने के लिए 12 जनवरी, 2018 को पीएसएससीआईवीई, भोपाल में राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक आयोजित की गई।

भूमिका – सौन्दर्य और स्वस्थता

भूमिका – सुरक्षा

भूमिका – रिटेल

भूमिका – स्वास्थ्य देखभाल

भूमिका – ऑटोमोबाइल

******

05

माध्यमिक शिक्षा

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

1. **पृष्ठभूमि**

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन में वृद्धि के साथ–साथ उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 अगस्त, 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना ''प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई)'' शुरू की गई थी। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए 2008–09 के दौरान योजना का विस्तार किया गया था और योजना का नाम बदल कर ''राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'' किया गया था। सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा–I से VIII में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना की विषय–वस्तु और कवरेज में समय–समय पर संशोधन किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

2. **उद्देश्य:**

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की अत्यावश्यक समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा का समाधान करना है:

i. सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा–I से VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना।

ii. लाभवंचित वर्ग के निर्धन बच्चों को और अधिक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षण–कक्ष के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना।

iii. ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को सहायता मुहैया कराना।

3. **औचित्य:**

i. **क्लास रूम हंगर का निवारण:** समाज के लाभवंचित वर्गों के अधिकांश बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि जो बच्चे स्कूल जाने से पहले भोजन करते हैं, वे भी दोपहर तक भूख का अनुभव करने लगते हैं और अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 'शिक्षण–कक्ष में भूख' को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना उन परिवारों के बच्चों की सहायता करती है जो भोजन का डिब्बा नहीं जुटा पाते हैं अथवा स्कूल से अधिक दूरी पर रहते हैं।

ii. **स्कूल प्रतिभागिता का संवर्धन करना:** मध्याह्न भोजन योजना न केवल रजिस्टर में और अधिक बच्चों को नामांकित करने के संदर्भ में बल्कि दैनिक आधार पर छात्रों की नियमित उपस्थित के संदर्भ में स्कूल प्रतिभागिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

iii. **बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनाना:** मध्याह्न भोजन बच्चों के ''अनुपूरक पोषण'' के नियमित स्रोत का कार्य भी कर सकता है और उनके स्वस्थ विकास में मदद करता है।

iv. **मूलभूत शैक्षिक मूल्य:** एक सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतें सिखाने (जैसे भोजन से पूर्व और उसके पश्चात् अपने हाथ धोना) और उन्हें स्वच्छ जल, अच्छे स्वास्थ्य और अन्य सम्बद्ध मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

v. **सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करना:** मध्याह्न भोजन समतावादी मूल्यों का प्रसार करने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे इकट्ठे बैठना सीखते हैं और साझा भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के बीच जाति और वर्ग की जंजीरों को तोड़ने में भी सहायता कर सकती है। बच्चों को जाति विद्वेष भावों को दूर करना सिखाने का एक अन्य तरीका है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से रसोइयों को नियुक्त करना।

vi. **महिला–पुरुष समता में वृद्धि करना:** स्कूल प्रतिभागिता में महिला–पुरुष अंतराल कम हो रहा है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का उपयोगी स्रोत भी उपलब्ध कराती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर भोजन पकाने के बोझ से मुक्त कराती है। इन तरीकों से और अन्य ढंग से मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और छात्राओं की विशेष हिस्सेदारी है।

vi. **मनोवैज्ञानिक लाभ:** शारीरिक अभाव के कारण आत्मसम्मान में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षा, चिंता और तनाव होता है। मध्याह्न भोजन योजना इनका समाधान करने में सहायता कर सकती है और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुगम बना सकती है।

4. कवरेज

वर्ष 2016–17 के दौरान योजना के तहत देश के 11.40 लाख स्कूलों में कक्षा I–VIII में पढ़ने वाले 9.78 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्नक–I और II में दिया गया है।

5. मध्याह्न भोजन योजना के मानदंड

i) **मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्य:** प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जी तथा 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होती हैं। उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 150 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जी तथा 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए 7.5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होती हैं।

ii) भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल, मसाला सामग्री और ईंधन आदि पर किया गया व्यय शामिल है। भोजन पकाने की लागत को विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है(वर्ष 2016–17 में 7 प्रतिशत को छोड़कर)। वर्ष 2017–18 में भोजन पकाने की लागत में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। भोजन पकाने की लागत में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के बीच की भागीदारी 90:10 पर और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों के साथ 60:40 पर आधारित है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भोजन पकाने की लागत के मानदंड तथा केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी पैटर्न निम्नानुसार है:

तालिका 1:

वर्ष	स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	केन्द्र–राज्य हिस्सेदारी			
			गैर–पूर्वोत्तर राज्य (75:25)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
2013–14	प्राथमिक	₹ 3.34	₹ 2.51	₹ 0.83	₹ 3.01	₹ 0.33
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.00	₹ 3.75	₹ 1.25	₹ 4.5	₹ 0.50
2014–15	प्राथमिक	₹ 3.59	₹ 2.69	₹ 0.90	₹ 3.23	₹ 0.36
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.38	₹ 4.04	₹ 1.34	₹ 4.84	₹ 0.54
संशोधित अनुदान पैटर्न		**संघ शासित प्रदेश 100%)**	**60:40(गैर–पूर्वोत्तर)**		**पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयन राज्य (90:10)**	
2015–16	प्राथमिक	₹ 3.86	₹ 2.32	₹ 1.54	₹ 3.47	₹ 0.39
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.78	₹ 3.47	₹ 2.31	₹ 5.20	₹ 0.58
2016–17	प्राथमिक	₹ 4.13	₹ 2.48	₹ 1.65	₹ 3.72	₹ 0.41
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.18	₹ 3.71	₹ 2.47	₹ 5.56	₹ 0.62

iii) **रसोइया–सह–सहायक की नियुक्ति और उन्हें दिया जाने वाला मानदेय:**

25 छात्रों के लिए एक रसोइया–सह–सहायक, 26 से 100 छात्रों के लिए दो रसोइया–सह–सहायक और 100 छात्रों की प्रत्येक वृद्धि के लिए अतिरिक्त रसोइया–सह–सहायक रखा जा सकता है। प्रत्येक रसोइया–सह–सहायक प्रति माह न्यूनतम 1000/– रुपए मानदेय के रूप में पाने का हकदार है। तथापि, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से रसोइया–सह–सहायक को निर्धारित न्यूनतम मानदेय से अधिक प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। रसोइया–सह–सहायकों के मानदेय का व्यय केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर शेयर किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में योजना के अंतर्गत 26.63 लाख रसोइया–सह–सहायकों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुमोदन की तुलना में 25.38 लाख रसोइया–सह–सहायकों को नियुक्त किया है।

iv) **रसोई–सह–भण्डारगृहों का निर्माण:**

रसोइ–सह–भण्डारगृह की निर्माण लागत, प्लिन्थ एरिया मानकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस विभाग ने 100 बच्चों तक वाले स्कूलों में रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर प्लिन्थ एरिया निर्धारित किया है। हर 100 अतिरिक्त बच्चों तक अतिरिक्त 4 वर्ग मीटर प्लिन्थ एरिया जोड़ा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 बच्चों के स्लैब में स्थानीय स्थितियों को देखते हुए संशोधन करने की छूट है। रसोई–सह–भंडारगृहों के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और

हिमालयन राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर शेयर की जाती है।

वर्ष 2006–07 से 10,05,477 रसोइ–सह–भंडारगृहों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8009.02 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है। इनमें से 8,17,400 (81%) रसोइ–सह–भंडारगृह निर्मित किए जा चुके हैं और 79,915 (8%) निर्माणाधीन हैं। राज्य–वार/संघ राज्य–वार ब्यौरा अनुलग्नक – III में दिया गया है।

v) **विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:**

विशेष श्रेणी के 11 राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में वहां प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर परिवहन सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में खाद्यान्न परिवहन सहायता की प्रतिपूर्ति, 75 रुपए प्रति क्विंटल अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर की जा रही है।

vi) **जिला स्तर के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:**

खाद्यान्नों की लागत का भुगतान, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत था, एफसीआई को समय पर भुगतान तथा खाद्यान्नों को शीघ्र उठाने को सुनिश्चित करने में जिला प्राधिकरणों की भूमिका और अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर 01.04.2010 से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने का समय–अंतराल कम हो गया है।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में आरंभ हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति दी गई है।

6. **केंद्रीय सहायता की पद्धति:**

मध्याह्न भोजन योजना के अधीन, केंद्र सरकार खाद्यान्नों, परिवहन लागत, निगरानी, प्रबंधन तथा मूल्यांकन (एमएमई) और रसोई उपकरणों की खरीद की पूरी लागत वहन करती है।

भोजन बनाने की लागत, रसोई–सह–भंडारगृह की लागत तथा रसोइया–सह–सहायक के मानदेय की लागत केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के बीच 90:10 संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर बांटी जाती है।

7. **मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन**

i) पात्र बच्चों को पका हुआ और पोषक मध्याह्न भोजन प्रदान करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक पात्र स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और पका हुआ भोजन नियमित रूप से मिले। इसमें पर्याप्त अवसंरचना का विकास अर्थात् रसोईघर–सह–भंडार का निर्माण और अन्य विभागों अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की बजटीय सहायता के अन्य विकासशील कार्यक्रमों के साथ सहक्रियाशीलता के माध्यम से रसोई उपकरणों की खरीद शामिल है। पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान, पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के सामंजस्य से करना होगा।

(ii) खाद्यन्नों का आवंटन एडवांस में किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही में आवंटित अनाज को एक ही बार ले जाने की छूट होती है। भारतीय खाद्य निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने डिपुओं और

प्रमुख संवितरण केन्द्रों में पर्याप्त खाद्यान्नों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न एक माह पहले ही ले जाने की अनुमति है। प्रत्येक स्कूल/खाना पकाने वाले अभिकरण को एक महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टॉक रखना होता है।

8. खाना पकाने का कार्य

i) मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि जहां तक संभव हो खाना पकाने/पके–पकाए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने का दायित्व स्थानीय महिलाओं/माताओं के या स्व–सहायता ग्रुप, नेहरू युवक केन्द्र से जुड़े स्थानीय युवा क्लब अथवा स्वयं सेवी संगठन या एसएमसी/वीईसी/ एसएमडीसी/ पीटीए/ ग्राम पंचायत/ नगर निगम द्वारा स्वयं रखे गए कार्मिक को सौंपना चाहिए।

ii) शहरी क्षेत्रों में जहां रसोई का शैड निर्मित करने के लिए जगह की कमी होती है, वहां पर स्कूलों के क्लस्टर के लिए केन्द्रीकृत रसोई का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। खाना पकाने का कार्य केन्द्रीकृत रसोई में करके पका–पकाया गर्म भोजन एक विश्वसनीय परिवहन के माध्यम से स्वच्छ हालात में दूसरे स्कूलों में ले जाना चाहिए। किसी शहरी क्षेत्र में ऐसे एक या अधिक नोडल किचन हो सकते हैं जो बच्चों की संख्या और सेवा प्रदाताओं की क्षमता पर निर्भर होगा।

9. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

i) मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता अधिकांशतः खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। भारतीय खाद्य निगम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध गुणवत्तायुक्त अनाज देने के लिए जिम्मेदार है जो हर हालत में कम–से–कम अच्छे औसत दर्जे (एफएक्यू) का तो होना ही चाहिए। भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक राज्य के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं की देखभाल करता है। जिला पंचायत का जिला क्लैक्टर/सीईओ यह सुनिश्चित करता है कि कम–से–कम एफएक्यू के खाद्यान्नों को एफसीआई और क्लैक्टर/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामिति, जिला पंचायत भारतीय खाद्य निगम से युक्त टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण और यह पुष्टीकरण करने के बाद कि अनाज एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप ही है, उठाना चाहिए।

ii) केन्द्रीय सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए कारगर प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने, बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व एक शिक्षक सहित 2–3 वयस्कों द्वारा भोजन का चखना अनिवार्य बनाने, सुरक्षित भंडारण और स्कूलों को दाल और मसाले सामग्री की सप्लाई करने, महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रांडेड और एगमार्क गुणवत्ता के दालों और मसालों की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।

iii) मध्याह्न भोजन के अंतर्गत स्कूल स्तर की रसोइयों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में 13.02.2015 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में खरीद, भंडारण, भोजन पकाने और परोसने का सुरक्षा पहलू तथा खाद्यान्न मदों के अपशिष्ट के निपटारे एवं छात्रों और जो खाना पकाते हैं और परोसते हैं की व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले शामिल हैं।

iv) जिले के वरिष्ठतम संसद–सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करना।

v) योजना की कारगर ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब समर्थित मध्याह्न भोजन–एमआईएस की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल में वार्षिक आधार पर श्रेणीवार नामांकन, शिक्षकों (एमडीएम का कार्य देखने वाले) के ब्यौरे, सामाजिक संरचना के साथ रसोइये–सह–सहायकों के ब्यौरे, अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि रसोई–सह–भंडारगृह और रसोई उपकरण, भोजन पकाने की पद्धति, पेयजल, शौचालय सुविधाओं इत्यादि की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों से संबंधित सूचना दी गयी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी पोर्टल में मासिक आंकडे दे रहे हैं जो एमडीएमएस के महत्वपूर्ण घटकों/संकेतकों की निगरानी में सहायता प्रदान करते हैं जैसे कि परोसे गए भोजन की संख्या, खाद्यानों का उपयोग और भोजन पकाने की लागत, रसोईया–सह–सहायकों को प्रदत्त मानदेय, स्कूल निरीक्षण विवरण इत्यादि जिसमें से वर्ष 2016–17 के लिए 98 प्रतिशत वार्षिक आंकड़ा प्रविष्टि और 96 प्रतिशत मासिक आंकड़ा प्रविष्टि पूरी कर ली गयी है।

vi) स्वचालित निगरानी प्रणाली (एएमएस)

इस विभाग ने एमडीएमएस की वास्तविक निगरानी के लिए आंकड़े एकत्रित करने की एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की है। ये आंकड़े (उस दिन परोसे गए भोजन की संख्या तथा यदि भोजन नहीं परोसा गया तो उसके कारणों के संबंध में) स्कूल मुख्य अध्यापक/शिक्षक पर बिना किसी लागत के इकट्ठे किए जा रहे हैं।

स्वचालित निगरानी प्रणाली के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने दैनिक आधार पर स्कूलों से आंकड़ा एकत्रीकरण की उपयुक्त प्रणाली (अर्थात इंटरएक्टिव वॉयस रेसपोंस सिस्टम (आईवीआरएस)/एसएमएस/मोबाइल एप्लीकेशन/वेब एप्लीकेशन) स्थापित की है और निगरानी तथा समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनआईसी द्वारा संचालित केन्द्रीय सर्वर पर वास्तविक आधार पर पूर्व निर्धारित स्वरूप में विशिष्ट फील्ड में आंकड़े भर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर डाटा विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल है। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर योजना की वास्तविक निगरानी के लिए विभिन्न ड्रिल डाउन रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन स्कूलों की संख्या के संबंध में दैनिक ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं जिन्होंने उस दिन आंकड़े सूचित किए हैं और जिन स्कूलों में भोजन नहीं परोसा गया है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने लगभग 3.8 लाख (33 प्रतिशत) स्कूलों के बारे में केन्द्रीय सर्वर में दैनिक आंकड़े भेजना आरंभ कर दिया है।

vii) स्कूलों में कोई अप्रत्याशित घटना होने पर उससे निपटने के लिए आपात चिकित्सा योजना।

viii) हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

10. निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. **स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था:** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि, एसएमसी, वीईसी, पीटीए, एसडीएमसी एवं मातृ समितियों के प्रतिनिधियों से

निम्नलिखित की दैनिक आधार पर निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है (i) बच्चों को दिए गए मध्याह्न भोजन की नियमितता और पौष्टिकता, (ii) मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने में सफाई (iii) अच्छी कोटि की खाद्य सामग्री, ईंधन इत्यादि की समय पर खरीद, (iv) अलग–अलग व्यंजन सूची (v) दैनिक आधार पर सामाजिक और महिला–पुरुष समता।

ii. **सूचना का प्रदर्शनः** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन सभी स्कूलों और केंद्रों में जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, निम्नलिखित सूचना को परिसर में दृष्टिगोचर स्थान पर आम जनता के लिए प्रदर्शित करना अपेक्षित हैः

क. प्राप्त किए खाद्यान्नों की मात्रा, प्राप्ति की तारीख

ख. खाद्यान्नों की उपयोग की गई मात्रा

ग. खरीदे गए/ उपयोग किए गए अन्य दाल, मसाले इत्यादि

घ. ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया

ड. दैनिक व्यंजन सूची

च. पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए समुदाय के सदस्यों का रोस्टर

iii. **ब्लॉक स्तर पर समितिः** विस्तृत आधार वाली संचालन–सह–निगरानी समिति भी मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की ब्लॉक स्तरों पर निगरानी करती है।

iv. **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणः** राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभागों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे कि महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य इत्यादि के राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों से भी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, निरीक्षण करने की अपेक्षा है। यह सिफारिश की गई है कि 25 प्रतिशत स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का हर तीन महीने में दौरा किया जाए।

v. **जिला स्तर की समितिः** जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए संचालन –सह–निगरानी समिति के अलावा योजना की तिमाही आधार पर निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एमपी) की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति गठित की गई है।

यह समिति जिले में एसएसए, आरएमएसए और साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

(vi) **आवधिक विवरणियांः** राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार को निम्नलिखित के बारे में सूचना देने हेतु आवधिक विवरणियां भेजनी भी अपेक्षित हैं (i) बच्चों और संस्थाओं का कवरेज (ii) स्कूल दिवसों की संख्या (iii) केंद्रीय सहायता की उपयोगिता में प्रगति (iv) स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता (v) कोई अप्रत्याशित घटना इत्यादि।

(vii) **शिकायत निवारणः** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसका कि व्यापक प्रचार किया जाए और जो आसानी से सुलभ हो।

viii. राज्य स्तर की निगरानीः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए राज्य स्तर पर भी योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए संचालन–सह–निगरानी समिति का गठन करने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थाएं तैनात की हैं।

ix. **राष्ट्रीय स्तरः**

क. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है ताकि मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में सुलभता (पहुंच), सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक पहलुओं की मॉनीटरिंग की जाए। योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग और मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तंत्र मौजूद हैं। योजना में सामुदायिक सहभागिता और इसकी प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए तंत्र मौजूद है।

ख. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारी परिषद् भी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करती है।

ग. सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय संचालन–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी), कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)।

घ. मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों के साथ राष्ट्रीय बैठकें और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

x. **9वें संयुक्त समीक्षा मिशन** ने 3–8 मई, 2016 के दौरान आंध्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात चित्तूर और कडप्पा तथा 19–23 अप्रैल, 2016 के दौरान गुजरात का दौरा किया।

10वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने 3–9 अक्तूबर, 2017 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य (जिला देवास और शियोपुर), 27 नवंबर–4 दिसंबर, 2017 के दौरान तेलंगाना (जिला करीमनगर और वारंगल), तथा 14–21 दिसंबर, 2017 के दौरान अरूणाचल प्रदेश (जिला पप्मपारे और लोअर सुबनसिरी) का दौरा किया।

xi) **सामाजिक लेखा परीक्षा**

'सामाजिक लेखा परीक्षा' का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम अथवा स्कीम की आयोजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता (एसएसएएटी) द्वारा 2012–13 के दौरान दो जिलों अर्थात अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम और चित्तूर में लेखापरीक्षा की गयी थी। आंध्र प्रदेश में सामाजिक लेखापरीक्षा के परिणाम से प्रोत्साहित होकर विभाग ने मध्याहन भोजन योजना के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। अब तक 13 राज्यों अर्थात बिहार, महाराष्ट्र, ओडिसा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु ने सामाजिक लेखापरीक्षा पूरी की है। यह मध्य प्रदेश में अभी चल रही है।

11. योजना का प्रभाव

अनेक अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि एमडीएमएस ने बच्चों को पढ़ाई करते समय लगने वाली भूख रोकने, स्कूल में भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक समानता का विकास करने एवं महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देकर बच्चों के समग्र स्वास्थ्य विकास को सुगम बनाने में सहायता की है। सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने पाया कि भारत सरकार की अधिक सफल पात्रता योजनाओं में से एक के रूप में एमडीएम की व्यापक सराहना की गई है और उसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन तथा स्कूल में बने रहने की दर में वृद्धि हुई है।

12. उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2016–17 में बजट अनुमान 9700.00 करोड़ रुपए था जिसमें से 9483.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान 10000.00 करोड़ रुपए है।

विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की वर्षवार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

तालिका 2 : कवरेज तथा व्यय का रुझान:

घटक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
शामिल बच्चे (करोड़ में)	10.54	10.68	10.80	10.22	10.03	9.78
आबंटित खाद्यान्न (लाख मी.टन में)	29.09	29.55	29.77	29.33	28.83	27.17
बजट आबंटन (करोड़ रुपये में)	10380	11937	13215	13215	9236.4	9700
कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	9901.91	10868	10927.21	10526.97	9151.55	9483.40

13. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए घटक–वार बजट आबंटन:

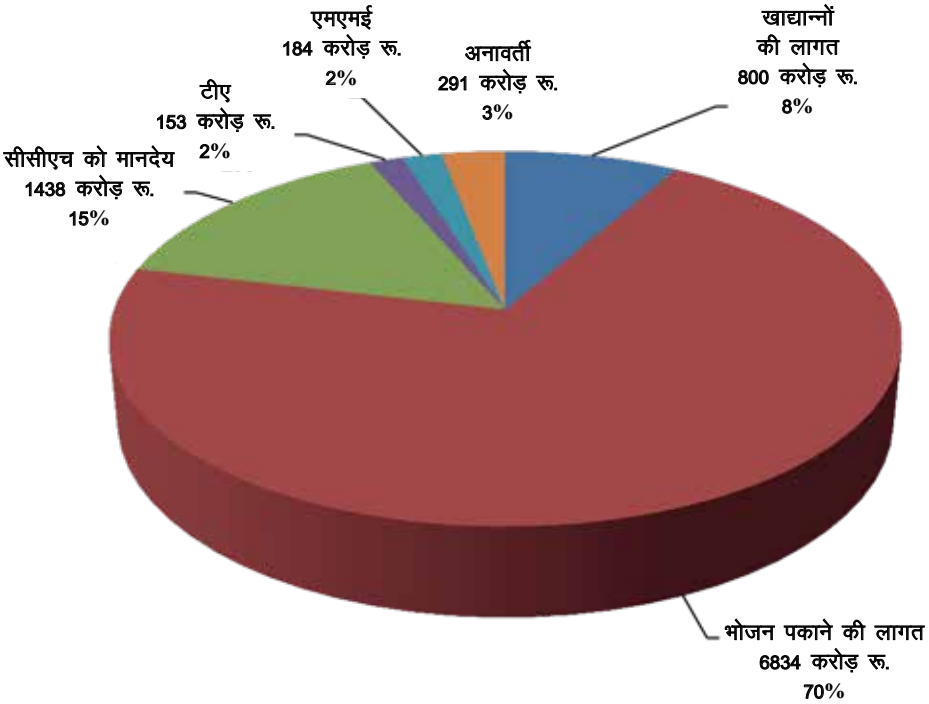

14. प्रशिक्षण के माध्यम से रसोईया–सह–सहायक का क्षमता–निर्माण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करना स्कूलों में भोजन प्रदान करने के लिए नियुक्त स्टाफ तथा रसोईया–सह–सहायक के ज्ञान और कौशल पर निर्भर करता है। स्व–सहायता समूह और रसोईया–सह–सहायक (सीसीएच) जो मध्याह्न भोजन योजना के स्तंभ हैं, समाज के वंचित वर्गों से आते हैं जहां पोषण, भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे खाद्यान तथा सब्जियां, पाक–कला, परोसने की कुशलता, आदि के संबंध में सीमित सूचना होती है। अतः यह आवश्यक है फील्ड स्तर के इस कार्यबल की क्षमता को सतत आधार पर तैयार किया जाए। तद्नुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने होटल प्रबंधन संस्थान, पाक–कला संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य एवं पोषण संस्थानों के सहयोग से रसोईया–सह–सहायकों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा है।

15. योजना में सुधार

विगत कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में कई सुधार देखे गए हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

क) भोजन पकाने की लागत में समय–समय पर संशोधन किया गया है।

ख) 01.12.2009 से रसोईया–सह–सहायकों के लिए 1000/–रुपए प्रति माह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त योगदान करके इस मानदेय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। रसोईया–सह–सहायकों को मानदेय देने के लिए 13 राज्य अपने संसाधनों से अधिक योगदान दे रहे हैं।

ग) विशेष श्रेणी के ग्यारह राज्यों में परिवहन सहायता इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस की दरों के बराबर दी जा रही है।

घ) 01.04.2010 से खाद्यान्नों की लागत भुगतान का भारतीय खाद्य निगम से जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया है।

16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्याहन भोजन नियमावली, 2015 की अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 30.09.2015 को भारत के राजपत्र में मध्याहन भोजन नियमावली, 2015 अधिसूचित की गयी है। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

i) कक्षा I से VIII में पढ़ने वाला छह से चौदह वर्ष के आयु समूह का प्रत्येक बच्चा जिसने सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के स्कूलों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में दाखिला लिया हो, उन्हें स्कूल अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्रमशः 450 कैलोरी और 700 कैलोरी और साथ में 12 ग्राम एवं 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाएगा।

ii) स्कूल के मुख्य अध्यापक अथवा मुख्य अध्यापिका को स्कूल में किसी भी निधि का स्कूल में मध्याहन भोजन योजना को जारी रखने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा।

iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन एमडीएम नियमों में निर्धारित पोषण मानकों और गुणवत्ता वाला हो, राज्य का खाद्य एवं ड्रग प्रशासन विभाग गुणवत्ता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुने गए स्कूलों से नमूने एकत्र कर सकता है।

17. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत बेहतरीन प्रथाओं के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त मदें

क्र. सं.	सर्वोत्तम प्रथाएं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1.	अंडे, केला, कोई अन्य फल	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमण और दीव
2.	दूध	पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
3.	डाइनिंग हाल	त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
4.	मानदेय सीसीएच और भोजन पकाने की लागत का अतिरिक्त हिस्सा	बिहार, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, चंडीगढ़, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, मिजोरम, केरल, ओडिसा, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव
5.	किचन गार्डन	असम, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप
6.	अतिरिक्त खाद्यान्न	गुजरात, केरल
7.	टैबलेट आधारित निगरानी	बिहार
8.	कक्षा 9 और 10 के लिए एमडीएम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना
9.	फेब्रीकेटिड रसोई	महाराष्ट्र
10.	खाने के बर्तन	बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

******

06

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना और माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना और माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना

"राष्ट्रीय साधन–सह–योजना छात्रवृत्ति योजना" की केन्द्र प्रायोजित योजना मई, 2008 में आरंभ की गई थी, इसका उद्देश्य कक्षा 8 की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर को रोकने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें कक्षा 12 तक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 9 में चुने गए छात्रों को सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने के लिए कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रति छात्र 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2017–18 से छात्रवृत्ति राशि 6000/–रूपए से बढ़ाकर 12000/– रूपए कर दी गई है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है। वे छात्र जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1,50,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकार के मानकों के अनुसार इसमें आरक्षण है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृतियों को प्रतिवर्ष डीबीटी मोड से छात्रों के बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक ट्रांसफर के जरिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीधे भेजा जाता है।

वर्ष 2017–18 (10 नवंबर, 2017 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 205.25 करोड़ रूपए के व्यय को शामिल करते हुए 340801 छात्रवृतियां संस्वीकृत की गई हैं।

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना

"माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)" की केंद्र प्रायोजित योजना पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने और माध्यमिक स्कूलों में मुख्यतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के नामांकन का संवर्धन करने के उद्देश्य से मई 2008 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अनुसार, अविवाहित पात्र बालिका के नाम में कक्षा IX में नामांकन पर सावधि जमा के रूप में 3000/– रुपए की राशि जमा की जाती है जो इसे कक्षा X उत्तीर्ण करने और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ब्याज सहित निकालने की पात्र होती हैं। योजना में (i) एससी/एसटी समुदाय से संबंधित सभी बालिकाएं जिन्होंने VIIIवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, और (ii) वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से VIII परीक्षा उत्तीर्ण की हो (चाहे वे एससी/एसटी से संबद्ध हो अथवा अन्यथा) और जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता–प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूल में कक्षा IX में प्रवेश लिया हो, शामिल होती हैं। योजना के लिए यूनियन बैंक और इंडियन बैंक कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

2017–18 (10 नवंबर, 2017 तक) के दौरान, 230919 छात्राओं को शामिल करते हुए 70.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का कार्यान्वयन

1. भारत सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना/प्रणाली आरंभ की है जिसके अंतर्गत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 पायलट जिलों में डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु 8 मंत्रालयों/विभागों की 25 योजनाओं का चयन किया गया है। इसमें आधार भुगतान सेतु (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे निधियों के अंतरण की परिकल्पना की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पहले चरण के 43 जिलों के अतिरिक्त 78 और जिलों में डीबीटी के दूसरे चरण का आरंभ किया गया। जनवरी 2015 से डीबीटी योजना का पूरे देश में प्रसार किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की दो छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय साधन सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना को डीबीटी में शामिल किया गया है।

2. राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों/लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पर प्रस्तुत करने के लिए नैशनल छात्रवृत्ति पोर्टल (एनईएसपी) शुरू किया गया है। विभाग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे लाभार्थी छात्रों का आधार नम्बर एकत्र कर उसे डिजिटाइज्ड डाटाबेस में डालें। राज्यों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे लाभार्थियों के बैंक खाते को दोनों योजनाओं के अंतर्गत आधार नम्बर से जोड़ें ताकि आधार भुगतान सेतु के माध्यम से भुगतान में सुविधा हो।

******

07

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कारः

वर्ष 1958 में आरंभ किए गए अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक, मिडल और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रतिभावान शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से पहचान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 378 पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें से 23 पुरस्कार संस्कृत, पारसी और अरबी के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन ने शिक्षकों की संख्या के आधार पर कोटा निर्धारित किया है। इस योजना में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं जिनमें विदेश स्थित स्वतंत्र संबद्ध स्कूलों, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई), सैनिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) तथा परमाणु उर्जा शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं। पुरस्कार वर्ष 2001 से स्कूलों में समावेशी शिक्षा तथा नियमित स्कूलों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा का संवर्धन करने वाले शिक्षकों के लिए 'विशेष पुरस्कार' आरंभ किया गया है। 'विशेष पुरस्कारों' की संख्या 43 है। 'विशेष पुरस्कार' निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं:

- मुख्यधारा के स्कूलों में कार्यरत निःशक्त शिक्षक।
- विशेष शिक्षक अथवा प्रशिक्षित सामान्य शिक्षक जिन्होंने समावेशी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है।

प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 50,000/– रूपए नगद और एक रजत पदक दिया जाता है।

5 सितंबर 2017 (शिक्षक दिवस) को निःशक्त बच्चों के स्कूलों में समेकित/समावेशी शिक्षा के संवर्धन के लिए देशभर में 92 महिला शिक्षकों, 11 संस्कृत शिक्षकों और 17 शिक्षकों को शामिल करते हुए 294 शिक्षकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक भव्य समारोह में 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' दिये गये। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत भी की।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को समुदाय विकास, विषय वार मॉडयूल्स तैयार करने, शोध दस्तावेजों, पाठ्यपुस्तक–सह–कार्यकलाप पुस्तिका तैयार करने, और मूल्यांकन साधन तैयार करने, वंचित बच्चों के उत्थान, विषयों के शिक्षण को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए नवाचारी पद्धतियों के प्रयोग, निःशक्त बच्चों के कल्याण कार्यकलाप इत्यादि में संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए पुरस्कार दिए गए थे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये शिक्षक बच्चों के समग्र व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे भारत के अच्छे भावी नागरिक बन सकें।

******

08

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

कार्यकारी सार

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी और उस समय प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सबसे निचले पायदान पर था अर्थात इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'बुनियादी साक्षरता' प्रदान करने पर था, प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, इनमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 15 (पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु) के वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने हेतु 1988 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में जीवनपर्यंत शिक्षा के नए शिक्षा शास्त्रों के अनुरूप साक्षर भारत 2009 के रूप में पुनः निरूपित किया गया। देश की साक्षरता दरों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है परंतु साक्षरता का स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में अभी भी असमान है। प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानक के माध्यम से पूर्ण रूप से साक्षर समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास में परिकल्पित सभी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और कार्यान्वयन संगठन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएलएमए का उद्देश्य साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा पुरूष–महिला अंतर को 10 प्रतिशत से नीचे लाना था।

410 जिलों में से जो साक्षर भारत कार्यक्रम के अधीन कवरेज के लिए अर्हता रखते हैं 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 1.64 लाख ग्रम पंचायत के साथ 404 जिलों में यह कार्यक्रम स्वीकार किया गया। 2017–18 के दौरान यह कार्यक्रम इन 404 जिलों में जारी रखा गया है। दिसंबर, 2017 के अंत तक लगभग 1.56 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (एईसी) की स्थापना की गयी है। लगभग 1.57 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जिसमें 1.64 लाख ग्राम पंचायतों तथा 10.74 करोड़ शिक्षार्थियों की पहचान कर ली गई है। 65.47 लाख साक्षरता केन्द्रों में शिक्षक अध्यापन कार्य शुरू हो गया है। लगभग 48.90 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा तथा 2.65 लाख मास्टर प्रशिक्षकों को रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब तक लगभग 13.76 हजार रिसोर्स व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2.75 लाख प्रेरकों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कार्यकलाप आयोजित कर सकें। 13 भाषाओं और 26 स्थानीय बोलियों में बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका पुस्तिकाएं छपवाई गई और शिक्षार्थियों में वितरित की गई है। दिसंबर, 2017 तक लगभग 9.88 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत नामांकित कर लिया गया है। कुल 9.63 करोड़ शिक्षुओं में से 7.27 करोड़ (5.12 करोड़ महिलाओं तथा 2.15 करोड़ पुरूषों ने) एआईओएस द्वारा अगस्त 2010 से अगस्त 2017 के दौरान आयोजित आकलन टेस्ट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिए हैं। समुदाय–वार 1.75 करोड़ अ.जा., 99.77 लाख अ.ज.जा., 70.74 लाख अल्पसंख्यक और 3.81 लाख अन्य समुदायों के उम्मीदवारों को साक्षर के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। फरवरी, 2018 तक 140.38 करोड़ रू. की राशि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में जारी की गई ताकि वे वर्ष 2017–18

के दौरान भारत साक्षरता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकें।

राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) को अधिदेश दिया गया है कि वे शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास, कार्यकर्ताओं के शिक्षण, पर्यावरण निर्माण कार्यकलापों, कार्य अनुसंधान, निगरानी तथा मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा के लिए अकादमिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करें। इस समय देश में 32 एसआरसी हैं। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) निरक्षर, नव–साक्षर प्रौढ़ों और साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को लगातार ऐसे कौशलों का पता लगवा कर जिनका उनके प्रतिष्ठान के क्षेत्र में एक बाजार हो सकता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। जेएसएस कार्यकरण में कार्यदक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सार्वजनिक जांच अंतर–निविष्ट करने में उद्देश्य से एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जो कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एनएलएमए को सहायता प्रदान करता है। 8 सितंबर, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर साक्षर भारत पुरस्कार वितरित किए गए। समकक्ष कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री तथा दिशानिर्देश पुस्तिका तैयार की गयी है। क्षमता निर्माण कार्यकलाप आरंभ किए गए और एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन को भी सहायता दी गई।

प्रस्तावना

साक्षरता सभी के लिए बुनियादी शिक्षा और सभी मानव क्षमताओं का केन्द्र है। बुनियादी साक्षरता गरीबी उन्मूलन, बाल मृत्यु दर को कम करने, जनसंख्या वृद्धि रोकने, महिला–पुरूष समानता प्राप्त करने और सतत विकास शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सार्वभौमिक साक्षरता का उनके लिए भी विशेष महत्व है जो विगत में शिक्षा की प्राप्ति से वंचित रहे हैं। विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और वयस्कों को सशक्त बनाने के अलावा, सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता की लक्ष्य प्राप्ति प्रौढ़ और सतत शिक्षा का एक मौलिक लक्ष्य है। वास्तव में, बुनियादी साक्षरता कार्यक्रमों की शुरूआत को इस क्षेत्र की गतिविधियों के साथ शिक्षा को जीवनपर्यन्त सीखने के एक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाता है।

साक्षरता प्रोफाइल

नियोजित कार्यक्रमों तथा निरंतर प्रयासों के साथ, उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वर्ष 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 72. 98 प्रतिशत हो गई। दिलचस्प बात यह है, महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत से 64.63 तक बढ़ी है जिसमें 10.96 प्रतिशत का तीव्र सुधार हुआ है जबकि इसकी तुलना में पुरूषों के मामले में सुधार 75.26 से बढ़कर 80.88 प्रतिशत तक का हुआ है जो 5.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

साक्षरता के स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में अभी भी असमान है। जबकि कुछ राज्यों ने विशेष साक्षरता अभियान के आरंभ तथा सामुदायिक समर्थन से उच्च साक्षरता का स्तर हासिल कर लिया है, जबकि कुछ राज्य अभी तक पीछे चल रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता के स्तर में सुधार हुआ है, परंतु मुस्लिम समुदाय की साक्षरता का स्तर अभी भी काफी नीचे है। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और केंद्रित समूहों पर ध्यान केन्द्रित करके असमानताओं को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

साक्षरता दर

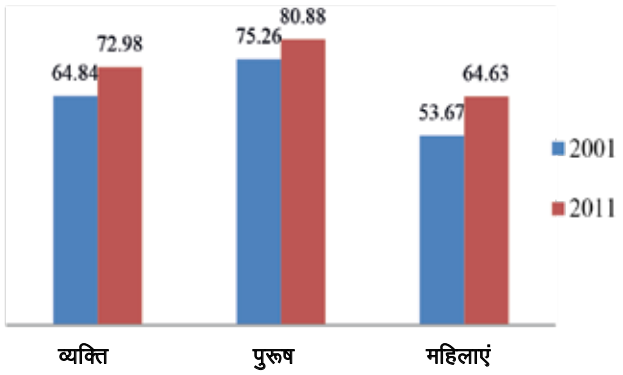

लक्ष्य

प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य 'प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानकों के माध्यम से पूरी तरह से साक्षर समाज की स्थापना करना'' है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

अधिदेश

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) को साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्कंध के रूप में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रचालन एवं कार्यात्मक संगठन है तथा इससे प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित मानी गई अन्य गतिविधियों का संचालन करना भी अपेक्षित होता है। इस प्राधिकरण की विविधीकृत भूमिका में प्रौढ़ शिक्षा नीति एवं नियोजन, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन निगरानी, अनुसंधान और मूल्यांकन, समर्थन और पर्यावरण निर्माण, प्रौद्योगिकी लागू करना, क्षमता समर्थन निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रकाशन भी शामिल हैं।

संगठनात्मक ढांचा

एनएलएमए के दो मुख्य निकाय हैं नामतः परिषद तथा कार्यकारी समिति/एलएनएमए परिषद में अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और उपाध्यक्ष मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। यह परिषद प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में किए गए सभी कार्यकलापों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एनएलएमए की कार्यकारी समिति (ईसी) के अध्यक्ष सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हैं। एनएलएमए की कार्यकारी समिति परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार एलएनएमए के सभी कार्यों का निर्वाह करती है।

एनएलएमए को अपने अधिदेश के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) का गठन किया गया है। सामान्य प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, मास मोबाइजेशन, मूल्यांकन, आईसीटी आदि के क्षेत्र में इस मिशन की तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी), का गठन किया गया है।

नीति और योजना

11वीं योजना के दौरान साक्षर भारत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अल्प साक्षर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों पर मुख्य रूप से ध्यान संकेद्रित करने के उद्देश्य से सितंबर, 2009 में आरंभ किया गया था। यह गुणवत्ता पर बल देता है। बड़े पैमाने पर देश भर के पर्यावरण निर्माण एवं जन संघटन अभियान स्वैच्छिक शिक्षकों/प्रेरकों को बड़ी संख्या में प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया है और इससे समाज में सक्रियता आई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने और महिला–पुरूष अंतर को 10 प्रतिशत से कम करने के लिए प्रयास करेगा। साक्षर भारत युवा वयस्कों और स्कूल छोड़ चुके किशोरों पर विशेष रूप से ध्यान संकेद्रित करेगा। इसी दौरान न केवल साक्षरता को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है बल्कि आदर्श परिवर्तन की ओर उन्मुख होते हुए बुनियादी साक्षरता से जीवन–पर्यन्त अधिगम की ओर बढ़ने की भी आवश्यकता है।

प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण दो योजनाओं :– प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास (साक्षर भारत) और प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए एनजीओ/सस्थानों/एसआरसी को लागू कर रहा है।

साक्षर भारत

साक्षर भारत (एसबी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया संस्करण है जिसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 8 सितंबर 2009 को किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 11वीं योजना अवधि के अन्त अर्थात 31.3.2012 तक प्रचालन में थी। अब साक्षर भारत कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा उससे आगे मार्च, 2018 तक (2012 से मार्च, 2018 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है।

उद्देश्य

इस मिशन के चार व्यापक उद्देश्य हैं :–

i. निरक्षर तथा गणित न जानने वाले व्यस्कों को कार्यात्मक साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान प्रदान करना;

ii. नव–साक्षर प्रौढ़ों को उनकी बुनियादी साक्षरता से आगे अध्ययन जारी रखने के लिए सक्षम बनाना और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की समकक्षता प्राप्त करना;

iii. निरक्षर तथा नव–साक्षरों के लिए संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रसार करना ताकि उनके आय अर्जन तथा जीवनयापन की शैली में सुधार हो।

iv. नव–साक्षर वयस्कों को शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करते हुए अध्ययनरत समाज को प्रोत्साहन देना।

घटक

इस कार्यक्रम के घटक हैं: (i) आजीवन–शिक्षा, (ii) औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समकक्षता के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, (iii) व्यवसायिक कौशल विकास और (iv) कार्यात्मक साक्षरता।

कवरेज

साक्षर भारत के अधीन एक जिला जिसे पूर्व जिले में से काटकर बनाया गया है तथा जिसकी प्रौढ़ महिलाओं की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे कम थी, उसे शामिल करने के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूईए) सभी जिले, साक्षरता दर पर ध्यान दिए बगैर इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं। तद्नुसार 410 जिलों को इस प्रकार शामिल किए जाने के योग्य माना गया है जिसमें 35 एलडब्ल्यूईए जिले शामिल हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान 167 जिले शामिल किए गए थे। वर्ष 2010–11 के दौरान 115 जिले मंजूर किए गए थे और वर्ष 2011–12 के दौरान 90 जिलों को मंजूरी प्रदान की गई थी तथा फरवरी, 2018 के अंत तक इस कार्यक्रम में 26 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में 404 जिले शामिल हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रगति

प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना

अनेक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय, वाचनालय, जागरूकता जैसी सतत शिक्षा सुविधाएं और इन पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की जीवन–यापन और कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इन ग्राम पंचायतों में 1.56 लाख प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली साक्षरता कक्षाओं के अतिरिक्त कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भी साक्षरता कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा अब तक लगभग 48.90 लाख स्वैच्छिक शिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं तथा रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा भी 2.64 लाख मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 13.76 हजार रिसोर्स व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। एईसी में कार्यकलाप आयोजित करने के लिए 2.75 लाख प्रेरकों को भी ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण दिया गया है।

साक्षरता– प्रवेशिकाओं का वितरण

एसआरसी ने विभिन्न भाषाओं में प्रारंभिक साक्षरता प्रवेशिकाएं तैयार की हैं। ये प्रवेशिकाएं भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की गुणवत्ता आश्वासन समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं। एसएलएम ने बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम में उपयोग के लिए इन प्रवेशिकाओं का मुद्रण कराया है। अब तक शिक्षुओं के लिए 13 भाषाओं व 26 स्थानीय बोलियों में लगभग 6.44 करोड़ बुनियादी साक्षरता प्रवेशिकाएं मुद्रित व वितरित की गई हैं।

शिक्षण अधिगम कार्यकलाप व मूल्यांकन तथा बुनियादी साक्षरता प्रमाणन

देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 65.47 लाख साक्षरता अधिगम केन्द्र काम कर रहे हैं। दिसंबर, 2017 तक

बुनियादी साक्षरता के अन्तर्गत लगभग 9.88 करोड़ शिक्षु नामांकित किए गए हैं। प्रौढ़ों के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा सक्षमता स्तरों को ऐसा प्रमाणन भारत के साक्षरता आंदोलन के इतिहास में पहली बार शुरू किया गया अनूठा नवाचार है। केवल वही प्रौढ़, जो पठन, लेखन व संख्या मान के निर्धारित सक्षमता स्तरों के अनुरूप हो, साक्षर के रूप में प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) द्वारा विकसित प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के परामर्श से किए जाते हें। शिक्षुओं का मूल्यांकन पठन, लेखन व संख्या कौशलों में किया जाता है। ये मूल्यांकन सामाजिक मुद्दों व किसी के कार्य जीवन के वातावरण सहित शिक्षा की सामान्य जागरूकता को मापने के लिए तैयार किया जाता है। वे शिक्षु, जो सभी तीनों घटकों में क्रमशः 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किए जाते हैं तथा उन्हें एनएलएमए और एनआईओएस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। असफल रहने वाले उम्मीदवारों को उन कौशलों में अपनी श्रेणी–सुधार के लिए आगे और अवसर दिए जाते हैं, जिसमें वे सफल नहीं रहे होते। इस प्रकार का मूल्यांकन नव–साक्षरों का विश्वास बढ़ाता है और उनके लिए सुअवसर कार्यक्रम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है। हर वर्ष अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन किए जाते हैं।

एनआईओएस द्वारा आयोजित अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षणों में लगभग 9.63 करोड़ शिक्षु सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित मूल्यांकन परीक्षण में अब तक लगभग 7.27 करोड़ शिक्षु (5.12 करोड़ महिलाओं सहित) उत्तीर्ण चुके हैं और अगस्त, 2017 तक साक्षर प्रमाणित किए जा चुके हैं। 7.27 करोड़ प्रमाणित साक्षर शिक्षुओं में से 1.75 करोड़ (24.07%), अ.जा., 99.77 लाख (13.72%) अ.ज.जा. तथा 70.74 लाख (9.73%) अल्पसंख्यक थे।

निधियों का उपयोग

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 320.00 करोड़ रूपए का बजट रखा गया था जिसमें से 140.38 करोड़ रूपए की धनराशि एसएलएमए को फरवरी, 2018 तक साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश में प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता कार्य्रक्रमों के राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तत्वाधान में समय–समय पर प्रारंभ किये गए कार्य्रक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक, अकादमिक व तकनीकी संसाधन सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करता है। यह निदेशालय शिक्षण–अधिगम सामग्रियां तैयार करता है, प्रशिक्षण व अभिमुखी कार्यक्रमों का आयोजन करता है, मीडिया सामग्री–निर्माण, सभी प्रकार के मीडिया के उपयोग, शिक्षु–मूल्यांकन, कार्य–निरीक्षण

करता और प्रौढ़ शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य संसाधन केन्द्रों और जन शिक्षण संस्थाओं को परामर्श देता है।

डीएई के मुख्य कार्यकलापों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां और उनके प्रकाशन तैयार करना, कार्यात्मक साक्षरता के संबंध में ऑडियो–वीडियो स्पॉट तैयार करना और उन्हें दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो में प्राइम स्लॉट पर डालना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह का प्रचार करना और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार और संवर्धनात्मक कार्य करना, शोध और मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तथा प्रशिक्षु मूल्यांकन परीक्षा की निगरानी शामिल है। यह निरक्षरों और नव साक्षरों के लिए अधिगम सामग्रियां तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और गुणवत्ता के बैंचमार्क की रूपरेखा तैयार करता है और शिक्षण–अधिगम सामग्रियां तैयार करने में राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2017 का आयोजन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 08 सितम्बर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस–2017 का आयोजन किया गया। भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वैकेय्या नायडू, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, भारत सरकार द्वारा की गई। स्वागत भाषण श्री उपेन्द्र कुशवाहा, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया। डॉ. सत्य पाल सिंह, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस समारोह में लोगों को संबोधित किया। श्री अनिल स्वरूप, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), सुश्री रीना रे, विशेष सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और श्री सीगेरू ओयागी, निदेशक, यूनेस्को, नई दिल्ली ने समारोह की भव्यता बढ़ाई। यूनेस्को की महानिदेशक, सुश्री इरिना बोकोआ का इस समारोह में सभी अतिथियों को सन्देश प्राप्त हुआ। इस समारोह में संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों, साक्षरता कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों तथा विभिन्न राज्यों से लगभग 300 नव साक्षरों और साक्षर भारत पुरस्कार– 2017 के विजेताओं सहित 1,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

साक्षर भारत पुरस्कार

साक्षरता कार्यकर्ताओं को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने हेतु भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एन. वैकेय्या नायडू ने राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) और जन शिक्षण संस्थान, (जेएसएस) स्तर के कार्यकर्ताओं को 11 साक्षर भारत पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों का विवरण निम्नानुसार है:

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार प्राप्तकर्ता
एसएलएमए (राज्य)	भोपाल मध्य प्रदेश
जिला लोक शिक्षा समिति (जिला)	i) छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला ii) छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला iii) मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला
ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति (जीपीएलएसएस)	i) वेल्लमपाली ग्राम पंचायत, परकला ब्लॉक वारंगल रूरल जिला, तेलंगाना ii) कर्महा ग्राम पंचायत, सुरगूजा, छत्तीसगढ़ iii) डुमरीकला ग्राम पंचायत, माजोरगंज ब्लॉक, सीतामढ़ी जिला iv) टेमरी ग्राम पंचायत, धारविसा ब्लॉक, रॉयपुर जिला, छत्तीसगढ़ v) गादमल्लियाहा गुडा ग्राम पंचायत, याचराम ब्लॉक, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना
संसाधन सहायता संगठन	i) राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर, मध्य प्रदेश ii) जन शिक्षण संस्थान, महबूबनगर, तेलंगाना

सामग्री तैयार करना और प्रकाशन

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित विभिन्न साक्षरता सामग्रियां तैयार करता है और इन सामग्रियों की विषय–वस्तुओं को क्षमता–निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान करता है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के हाल के प्रकाशन निम्नानुसार है:

- *एसआरसी पब्लिकेशन 2010–2016 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे:* साक्षरता कार्यकर्ताओं को स्वच्छता, व्यक्तिगत सफाई, बाल टीकाकरण, स्वच्छता इत्यादि के बारे में जागरूक बनाने के प्रयास किये गये हैं। यह पुस्तक एसआरसी द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संबंध में किए गए कार्यों का समेकन हैं। इसमें देश भर में साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एसआरसी द्वारा दिए गए योगदान का ब्यौरा दिया गया है।
- *मूल शिक्षा, समकक्षता और सतत शिक्षा हेतु सभी सामग्रियों के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन समिति हेतु पृष्ठभूमि टिप्पणी:* यह पुस्तक डॉ. लक्ष्मीधर मिश्रा, पूर्व डी. जी. (एनएलएमए) और पूर्व केंद्रीय श्रम सचिव, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भलीभांति जाना जाता है, द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मूल शिक्षा, समकक्षता और सतत शिक्षा प्रदान करने हेतु तैयार की गई शिक्षण अधिगम सामग्रियों के लिए उच्च मानक सुनिश्चित करने में योगदान देती है। यह पुस्तक शिक्षुओं के लिए सामग्रियां तैयार करते हुए व्यापक तथ्यों और अनुदेशों, संदर्भों, भाषा एवं सांख्यिकी कौशल प्रदान करने के तरीके इत्यादि प्रदान करती है। इसमें सामग्रियों की विषय–वस्तु की समग्र गहनता और संदर्भों के संबंध में विस्तृत सूचना निहित है और यह स्थानीय संदर्भ के साथ राष्ट्रीय हित के मुख्य मूल्यों के संतुलन में उपयोगी होगी। यह मूल शिक्षाविदों को उनके अनुभव साझा करने और साक्षरता से संबंधित सभी सामग्रियों को समृद्ध बनाने के लिए टिप्पणियां देने हेतु मूल्यवान सुझाव प्रदान करेगी।

डीएई की नई पहलें

- **ऑडियो–वीडियो कार्यक्रम का डिजिटीकरण:** डीएई की मीडिया लैब में विभिन्न भाषाओं में 421 वीडियो कार्यक्रम और 1748 एपिसोड हैं (206 कार्यक्रम और 1104 एपिसोड हिन्दी भाषा में, 215 कार्यक्रम और 644 एपिसोड विभिन्न भाषाओं में)। इसके अतिरिक्त हिन्दी में 166 वीडियो स्पॉट सहित विभिन्न भाषाओं में 272 वीडियो स्पॉट हैं। मीडिया लैब में 103 ऑडियो स्पॉट (हिन्दी में 26) के अलावा 39 ऑडियो कार्यक्रम (हिन्दी में 22) और 373 एपिसोड (हिन्दी में 293) हैं। डीएई के इन ऑडियो/वीडियो कार्यक्रमों, जिन्हें डीएई की मीडिया लैब द्वारा कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है, का संरक्षण और प्रसार करने के लिए एनसीईआरटी के सीआईईटी के सहयोग से सभी ऑडियो/वीडियो सामग्रियों के डिजिटीकरण/परिवर्तन की एक बड़ी पहल की गई है। इन वीडियो और कार्यक्रमों/स्पॉट को संरक्षण एवं प्रौद्योगिकीय अनुरूपता के लिए डीबीसी– प्रो/बीटा स्वरूप से डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने के कदम पहले ही उठाए गए हैं। अब तक निदेशालय के 200 से अधिक कार्यक्रमों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित किया गया है। चूंकि तैयार की गई ऑडियो/वीडियो सामग्री बड़ी संख्या में है और यह कार्य काफी मात्रा में है, इसलिए यह एक सतत कार्यकलाप होगा। डिजिटाइजेशन की इस प्रक्रिया को ऑडियो–वीडियो सामग्रियों को उभरती हुई नवीनतम मीडिया प्रौद्योगिकी में उपयोगी बनाने और भविष्य में प्रयोग हेतु उन्हें संरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया था।
- **'ई–पाठशाला' पोर्टल पर प्राइमर अपलोड करना:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने एसआरसी द्वारा तैयार किए गए 16 प्राइमरों और डीएई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय मॉडल मौलिक साक्षरता प्राइमर (नया सवेरा) को एनसीईआरटी के 'ई–पाठशाला' पोर्टल पर अपलोड किया।

शोध और मूल्यांकन

- चुने गए एसआरसी के निदेशकों और एनएलएमए, डीएई के अधिकारियों तथा टीएसजी–एनएलएमए के परामर्शदाताओं के लिए डीएई में 22–24 जून, 2017 तक स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना तथा साक्षर भारत कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रश्नावली एवं शोध साधन तैयार करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में साक्षर भारत कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए 7 टूल्स तैयार किए गए, जबकि स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता की योजना (एसआरसी और जेएसएस) के मूल्यांकन के लिए 13 टूल्स तैयार किए गए। प्रश्नावली और शोध टूल्स को 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुदित किया गया और प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो को प्रस्तुत किया गया।
- साक्षर भारत कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता की योजना के लिए अभिज्ञात एजेंसियों को संक्षिप्त ब्यौरे प्रदान करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2017 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में एक अभिमुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता, संयुक्त सचिव (एई) और डीजी (एनएलएमए) द्वारा की गई तथा इसमें एई ब्यूरो और डीएई के अधिकारियों ने भाग लिया। पूर्व में डीएई ने 20 शोध टूल्स तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्नावलियां पूरी की थी और उन्हें चुनी गई एजेंसियों के मूल्यांकन को देने के लिए एई ब्यूरो को प्रस्तुत किया ताकि उनके मूल्यांकन कार्य को सुगम बनाया जा सके।
- वर्ष 2014–15 में राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा किए गए 62 शोध अध्ययनों के कार्यकारी सार के संग्रह को तैयार करने के लिए कार्यशालाओं की श्रंखला का आयोजन किया गया। 62 अध्ययनों में से कुछ संबंधित एसआरसी द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे और उनके वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित करवाये गए थे तथा कुछ उन्हें एनएलएमए द्वारा विशेष कार्य के तहत सौंपे गए थे। शोध अध्ययनों को साक्षरता से संबंधित 10 विषयों में श्रेणीबद्ध किया गया था अर्थात् स्वयंसेवा, पर्यावरण निर्माण, अंतर–वैयक्तिक मीडिया अभियान का प्रभाव, अधिगम सामग्री का शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकलाप/प्रभाव/

प्रभाविता, केंद्र/मॉडल/प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, प्रशिक्षु मूल्यांकन/एनआईओएस परीक्षा, साक्षर भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन (आवश्यकता आधारित मूल्यांकन और उच्च अथवा निम्न निष्पादन वाले जिले), कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी, कौशल विकास कार्यक्रम, एससी/एसटी अल्पसंख्यक/विशेष समूह। अंतिम कार्यशाला 6 से 10 नवम्बर, 2017 तक आयोजित की गई थी। मसौदा संग्रह प्रकाशन हेतु तैयार है।

राष्ट्रीय कार्यशाला/सम्मेलन

- साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एसएलएमए के समक्ष आने वाले वर्तमान मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए संयुक्त सचिव (एई) और डीजी (एनएलएमए) की अध्यक्षता में विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में 25 और 26 मई, 2017 को एसएलएमए तथा एसआरसी के निदेशकों के साथ दो दिवसीय संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। एसआरसी की वार्षिक कार्य योजना 2017–18 पर भी विचार–विमर्श किया गया।
- शोध पद्धति एवं साक्षर भारत कार्यक्रम को पुनः तैयार करने के संबंध में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा 24–25 जुलाई, 2017 को राज्य संसाधन केंद्र (पुणे) और गोवा विश्वविद्यालय (गोवा) के सहयोग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशों में साक्षर भारत (एसबी) कार्यक्रम की संरचना, प्रबंधन ढांचे, संचालन नीतियों के पहलुओं, योजना की कवरेज, पाठ्यचर्या एवं अवधारणा फ्रेमवर्क, सतत शिक्षा कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, अभिसरण, वित्त, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, प्रशिक्षण, प्रशिक्षु मूल्यांकन और प्रमाणन, अवसरंचना, जुटाव, जागरूकता, प्रचार, संवेदीकरण, कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं, एसबी कार्यक्रम को फिर से तैयार करने के लिए अवसर, रोडमैप और सामान्य सुझावों से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

प्रशिक्षु मूल्यांकन परीक्षा (एलएटी)

20 अगस्त, 2017 के लिए निर्धारित प्रशिक्षु मूल्यांकन परीक्षा की तैयारी के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2017 को एसएलएमए और एसआरसी के निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग का आयोजन किया गया। सभी एसआरसी और एसएलएमए को फील्ड कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगामी प्रशिक्षु मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रशिक्षुओं को जुटाने के लिए ऑडियो और वीडियो स्पॉट वाली डीवीडी भेजी गई थी। एसएलएमए के माध्यम से प्रशिक्षु मूल्यांकन परीक्षा का 15वां चरण संचालित किया गया। डीएई के निदेशक और अपर निदेशक को परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए क्रमशः मध्य प्रदेश में सतना और महाराष्ट्र में बीड़ में आब्जर्वर के रूप में कार्य करने हेतु तैनात किया गया।

******

09

अधीनस्थ संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

अधीनस्थ संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

योजना

केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर नवम्बर, 1962 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की योजना अनुमोदित की गई। परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की इकाई के रूप में केन्द्रीय स्कूल संगठन आरंभ किया गया। शुरू में, शैक्षिक सत्र 1963–64 के दौरान विभिन्न स्थानों पर चल रहे बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों वाले स्थानों पर 20 रेजीमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहित किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिनांक 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। संगठन का मुख्य उद्देश्य समूचे भारत और विदेशों में केन्द्रीय स्कूल (केन्द्रीय विद्यालय) उपलब्ध कराना, स्थापित करना, वृत्तियां प्रदान करना, उनका नियंत्रण और प्रबंधन करना है। भारत सरकार संगठन का पूर्ण वित्तपोषण करती है।

पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ते हुए 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार 1183 हो गयी है जिनमें विदेशों में स्थित तीन केवीएस (काठमांडु, मॉस्को, तेहरान) शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालय प्रशासन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री उपाध्यक्ष है। आयुक्त, संगठन के कार्यकारी प्रमुख हैं। इसमें 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाती है जो क्षेत्र में सभी केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य की निगरानी करते हैं। यहां 5 कार्यात्मक जेड़आईईटी (क्षेत्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान) हैं। प्रत्येक की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है। केन्द्रीय विद्यालय की अध्यक्षता प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य ग्रेड–II द्वारा की जाती है जो स्कूल के कार्यों का प्रबंध करते है।

क्षेत्रवार 1183 केन्द्रीय विद्यालयों का संवितरण **(31.10. 2017 को)** निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सेक्टर	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	रक्षा	351
2.	सिविल	691
3.	उच्च अध्ययन संस्थान	33
4.	परियोजनाएं	108
	कुल	**1183**

प्रवेश

केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा–। में प्रवेश के लिए बुनियादी मानदंड गत 7 वर्ष में अभिभावकों का स्थानांतरण है। इसके पश्चात् प्रवेश दिए जाने वाले अन्य बच्चों की श्रेणियों में, अस्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्थानांतरणीय और अस्थानांतर कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों और यदि सीटें उपलब्ध हों तो अस्थायी आबादी के बच्चे होते हैं, कुल 1257099 छात्र (695740 लड़के और 561359 लड़कियां) (31.03.2017 की स्थिति

के अनुसार) केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं जिनमें 254090 (20.21%) अ.जा. छात्रों 73205 (5.82%) अ.ज.जा. छात्रों, 221280 (17.6%) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों और 3768 (0.3%) निःशक्तजन छात्रों का नामांकन शामिल है।

बालिका शिक्षा को सशक्त बनाना

सभी बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 तक ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी गई है। केवीएस में एकल बालिका के प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है: (i) कक्षा 1 में प्रति सैक्शन 2 सीटें और (ii) कक्षा 6 से आगे कक्षाओं में प्रति कक्षा 2 सीटें। ये सीटें कक्षा की स्वीकृत संख्या से अतिरिक्त होती हैं।

एससी/एसटी की शिक्षा

सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेश में 15% सीटें अनुसूचित जाति और 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वे एससी/एसटी छात्र जिन्हें, आरटीई कोटा के तहत प्रवेश दिया गया है, उन्हें फीस के भुगतान से छूट दी जाती है और साथ ही निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी और परिवहन भी प्रदान किया जाता है। सभी एससी/एसटी छात्रों को कक्षा 12 तक ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी जाती है।

निःशक्त व्यक्तियों का शैक्षिक विकास

नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों के 3% सीटें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के साथ पठित) आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार निःशक्त बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

सभी केंद्रीय विद्यालयों में इन बच्चों के आरामदायक आवास को सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रकार से तैयार किए गए शौचालय और रैम्प अनिवार्य किये गये हैं। शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शारीरिक और साथ ही अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों की देखभाल के प्रति निरंतर उन्मुखी बनाया जा रहा है।

प्रमुख पहलें

i) **ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया:** सत्र 2017–18 से सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन दिया जाता है। कक्षा एक की 1,05,040 सीटों के लिए 648941 पंजीकरण किये गये थे, जिनका परिणाम सभी स्कूलों के लिए एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया गया और अभिभावकों को ई–मेल तथा स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया गया। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई और अभिभावकों एवं स्कूल प्रशासन को भी काफी आसानी हुई। टनों कागज और अत्यधिक मानव घंटों की बचत हुई।

ii) **कर्मचारियों का ऑनलाइन स्थांनातरण:** स्थांनातरण की समूची प्रक्रिया 2016–17 से ऑनलाइन हो गई तथा कर्मचारियों के विकल्पों तथा संगठन की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार 7108 स्थानांतरण किये गये।

iii) **ई–ऑफिस:** अब हम प्रणाली में त्वरित निपटान और जबाबदेही सुनिश्चित करते हुए केवीएस मुख्यालय से आरंभ करते हुए एक चरणबद्ध तरीके से ई–ऑफिस की शुरूआत के साथ पेपरलेस कार्यालय की ओर अग्रसर हैं।

iv) **एकेडमिक लॉस कंपेन्सेशन प्रोग्राम (एएलसीपी):** छात्रों की विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं/क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक इवेंटों–जैसे कि खेलकूद/स्काउट तथा गाइड/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु स्कूल से बाहर जाने के कारण शैक्षिक विषयों में पढ़ाई के नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए यह एक स्कूल स्तरीय अनन्य कार्यक्रम है। एएलसीपी के कारण उनके अध्ययन की निरंतरता नहीं टूटती है चूंकि उनके अध्ययन पर आयोजन के स्थान पर विशेष कक्षाएं और उनके घर पर अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। आशा है कि उन अभिभावकों में विश्वास पैदा होगा जिनके बच्चे खेल कूद एवं अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में अपनी किस्मत आजमाते हैं।

v) **स्वच्छतम विद्यालय और हरित विद्यालय:** शैक्षिक वर्ष 2016–17 से केंद्रीय विद्यालयों में स्वच्छ एवं हरे–भरे वातावरण पर जोर देने के लिए पुरस्कार आरंभ किए गए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर वार्षिक रूप से तीन केंद्रीय विद्यालयों प्रत्येक को रनिंग ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016

में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय विद्यालय एफआरआई देहरादून को स्वच्छतम विद्यालय पुरस्कार दिया गया है।

vi) **जागरूक नागरिक कार्यक्रमः** राम कृष्ण मिशन के सहयोग से जागरूक नागरिक कार्यक्रम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय ग्रेडिड मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है। वर्ष 2016–17 में केवीएस के 400 स्कूलों में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम को शैक्षिक वर्ष 2017–18 से सभी 1140 केंद्रीय विद्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जागरूक नागरिकों से परिपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है और इससे राष्ट्र का पुनःनिर्माण होगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति में असीमित संभावनाओं के सशक्त संदेश पर आधारित है जिन्हें जीवन के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता के रूप में मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इस कार्यकम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से सशक्त बनाना है ताकि उन्हें स्वयं अपने बल पर मजबूत बनने और जागरूक नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना है। इसमें उनके जीवन में मूल्यों को समेकित करना तथा छात्रों को क्या करें और क्या न करें, यह बताने के स्थान पर परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।

vii) **स्वस्थ बच्चे–स्वस्थ भारतः** ओलिम्पिज्म में 12 लाख से अधिक विद्यार्थी– सत्र 2017–18 से सभी केंद्रीय विद्यालयों में पटना क्षेत्र में आरंभ किए गए मस्तिष्क, शरीर और हृदय की फिटनेस में वृद्धि करने की परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। 39000 से अधिक छात्रों के शारीरिक फिटनेस घटक और सामान्य मोटर योग्यता का मूल्यांकन करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल की योजना पटना और चंडीगढ़ में आरंभ की गयी थी। योजना में संतुलित आहार, दैनिक रूटीन और योग पर भी जोर दिया गया।

viii) **ग्रीन बिल्डिंग पहलः** संसाधनों के संरक्षण को अधिकतम बनाने और उनके उपयोग को इष्टतम बनाने एवं प्रणालियों तथा कार्यों की सक्षमता में वृद्धि करने की एक पहल। निर्माणाधीन केवी भवनों के डिजाइन में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का न्यूनतम विघटन, कम कठोर फुटपाथ, शिक्षण कक्षों में सूर्य की प्राकृतिक रोशनी में बढ़ोतरी इत्यादि और वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का प्रावधान शामिल है। केंद्रीय विद्यालयों में ऊर्जा सक्षम फिटिंग्स और फिक्सचर्स (एलईडी और बीईई 5 स्टार उपकरण) तथा जल संरक्षण के लिए अल्प प्रवाह जल फिक्सचर्स अपनाना। हम उन सभी नए केंद्रीय विद्यालय भवनों में बाधा मुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं जो निर्माणाधीन हैं और भविष्य में जिनका निर्माण किया जाना है।

ix) **केवीएस राष्ट्रीय एकता कैम्प–एक भारत श्रेष्ठ भारतः** केवीएस की यह गतिविधि कई मायनों में अनोखी है। केवीएस के 25 क्षेत्र 25 भारतीय राज्यों को उनकी सांस्कृतिक विरासत–नृत्य, संगीत और सामाजिक–आर्थिक प्रगति के रूप में शामिल करते हैं। यह हमारे छात्रों को न केवल भारत के अन्य राज्यों बल्कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति, परंपरा, कला और वास्तुकला के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। छात्र अंग्रेजी और हिन्दी वाद–विवाद, प्रश्नमंच, परियोजना प्रदर्शन और प्रस्तुति, स्किट, सोलो गायन, ग्रुप डांस, ग्रुप सांग, संस्कृत श्लोक सस्वर पाठ, अंग्रेजी वाग्मिता, हिन्दी काव्य पाठ, संस्कृत प्रश्नमंच और ऑन–द–स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस वर्ष नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस बड़े इवेंट का भाग बनने के लिए 125 एस्कॉर्ट शिक्षकों के साथ 1200 विद्यार्थी इकट्ठा हुए। इस इवेंट की अनूठी विशेषता यह है कि राष्ट्र के भाग के छात्र देश के दूसरे भाग बनने के लिए 125 एस्कॉर्ट शिक्षकों के साथ 1200 विद्यार्थी इकट्ठा हुए। इस इवेंट की अनन्य विशेषता यह है कि राष्ट्र के एक भाग के छात्र देश के दूसरे भाग की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर–सह–सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और भारतीयता एवं सार्वभौमिक भाईचारे की भावना पैदा करना है।

x) **'तरूणोत्सव'**: यह सभी केंद्रीय विद्यालयों में 2016–17 में कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले

विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2017–18 से आरंभ किया जा रहा यह आयोजन जिम्मेदारी और प्रसन्नता के साथ जुड़े शिक्षण के उच्च मानक प्रदान करने हेतु युवावस्था में कदम रखने का आयोजन है। यह महसूस किया जाता है कि ये छात्र कक्षा X में अपने प्रवेश से पहले दो माह से अधिक के लिए अध्ययन और स्कूल से कटे रहते हैं। उन्हें स्कूल तथा अध्ययन के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जुड़े रहने के लिए कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं था। इस योजना के तहत अभिभावकों की सहमति से छात्र चार प्रमुख क्षेत्रों के तहत स्कूल में विभिन्न गतिविधियां संचालित करेंगे।

1. भाषायी कौशल में सुधार हेतु गतिविधियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में)
2. काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस सेवाएं।
3. कौशल/हॉबी का विकास
4. कक्षा XI के लिए फाउंडेशन विषयों से अवगत कराना

ये गतिविधियां 80 मिनट प्रत्येक की अवधि के चार ब्लॉक पीरियड के दौरान संचालित की जाएंगी।

xi) **जिज्ञासाः** विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने और शोध के लिए प्रेरित करने हेतु मौजूदा 37 केंद्रीय विज्ञान प्रयोगशालाओं को केवी के साथ जोड़ने की योजना को स्थापित करने में केवीएस और सीएसआईआर के बीच सहयोगी प्रयास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना से लगभग 355 केंद्रीय विद्यालय और 1 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के स्कूलों में दौरे और सत्र, विद्यार्थियों की प्रयोगशालाओं में दौरे, छात्र आवासीय गतिविधियों, प्रयोगशालाओं में छात्रों के प्रशिक्षुता कार्यक्रम, स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों का प्रयोगशाला संकाय द्वारा प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। यह योजना सत्र 2017–18 से आरंभ की गयी है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम से भावी विद्यार्थियों पर उनमें शुद्ध विज्ञान में शोध के अध्ययन हेतु रूचि पैदा करने में दीर्घावधि प्रभाव पड़ने की संभावना है।

xii) **बैक टू बेसिकः** सभी विषयों में कक्षा I से VIII में एनसीईआरटी के दस्तावेजों में उल्लिखित संभावित अधिगम परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की एक पहल बैक टू बेसिक का उद्देश्य आरटीई अधिनियम का अधिदेश सुनिश्चित करना और शिक्षण में अंतरालों को भरना है। संगठन के शिक्षकों ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त तथा उनका समर्थन वाली गतिविधियों एवं अभ्यास के रूप में सामग्री तैयार की है और मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन सत्र 2017–18 से आरंभ किया गया है। हमारा उद्देश्य इस परियोजना के माध्यम से कक्षा/आयु के उपयुक्त अधिगम क्षमता सुनिश्चित करना है।

xiii) **विद्यालय योजना और मूल्यांकन उपकरणः** यह एक व्यापक विद्यालय योजना है जिसमें पूरे वर्ष के लिए प्रधानाचार्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गतिविधियों की योजना बनाते हैं। मूल्यांकन उपकरण एक समग्र उपकरण है जो स्कूल की विद्यालय योजना और इसके कार्यान्वयन के आधार पर उसकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। स्कूल को ऑब्जेक्टिविटी के साथ 1000 प्वाइंट दिए जाएंगे और यह उसके सतत विकास को सुगम बनाएगा। यह परियोजना सत्र 2017–18 से कार्यान्वित की गयी है।

शैक्षिक निष्पादन

गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों का प्रदर्शन नीचे सारणी में दिया गया हैः

कक्षा X	2013	2014	2015	2016	2017
केवीएस	99.90	99.59	99.39	98.92	99.74
कुल (सीबीएसई)	99.49	98.87	97.32	96.21	90.95
कक्षा XII					
केवीएस	94.82	97.39	94.75	95.46	95.86
कुल (सीबीएसई)	82.10	82.66	82.00	83.05	82.02

केन्द्रीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में केंद्रीय विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं और मानक हैं:–

1. सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए समान पाठ्यपुस्तकें और अनुदेश का माध्यम द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) है।
2. सभी केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।
3. सभी केन्द्रीय विद्यालय सह शिक्षा, कम्पोजिट स्कूल हैं।
4. कक्षा 6 से 8 तक के लिए तीन भाषाओं–अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य है। कक्षा 9 और 10 में अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में से कोई भी दो भाषाएं ली जा सकती हैं। संस्कृत को +2 स्तर पर एक इलेक्टिव विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।
5. एक आदर्श और अद्यतन पद्धति के माध्यम से केवीएस शैक्षिक अध्ययन में उत्कृष्टता बनाए रखने का प्रयास करता है।
6. एससी/एसटी विद्यार्थियों, केवीएस कर्मचारियों के बच्चों, 1962, 1965, 1971, 1999–कारगिल युद्ध (चीन और पाकिस्तान के विरूद्ध) के दौरान मारे गए अथवा निःशक्त हुए सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों (लड़कों से कक्षा 8 तक, लड़कियों से कक्षा 12 तक) से कोई टयूशन फीस नहीं ली जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित स्कूल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक गति निर्धारक संगठन है और इसने विभिन्न दृश्य/श्रव्य उपकरण और सूचना एवं संचार तथा प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग सहित देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने एवं व्यापक सुधार के लिए विभिन्न पहल आरंभ की हैं।

31.10.2017 तक केंद्रीय विद्यालयों में अवसरंचना इस प्रकार हैं:–

क्र. सं.	मदें	संख्या
1	कार्यरत केवी की कुल संख्या	1183
2	केवी में उपलब्ध कम्प्यूटरों की कुल संख्या	68,398
3	केवी में छात्रों की कुल संख्या	12,57,099
4	छात्र–कम्प्यूटर अनुपात	18:1
5	कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं वाले केवी की संख्या	1128 (95:)
6	उन केवी की संख्या जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है	1137 (96:)
7	उन केवी की संख्या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है	1114 (94:)
8	उन केवी की संख्या जिनके पास स्वयं की वेबसाइट है	1157 (98.76:)

कम्प्यूटर और आईसीटी संबंधित पहलें

केंद्रीय विद्यालयों में ई–शिक्षण कक्षों की स्थापना:

- आरंभ में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 50 केंद्रीय विद्यालयों में ई–शिक्षण कक्ष योजना कार्यान्वित की थी/ प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयों में 10–ई–शिक्षण कक्ष अर्थात् 500 ई–शिक्षण कक्ष।
- इसके अतिरिक्त इसका 75 और अधिक केंद्रीय विद्यालयों/10 ई–शिक्षणकक्ष प्रत्येक विद्यालय अर्थात् 750 ई–शिक्षण कक्षों में विस्तार किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 3000 से अधिक ई–शिक्षण कक्षों की सथापना की गई थी। प्रत्येक ई–शिक्षण कक्ष इंटरेक्टिव बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और डेस्कटॉप कम्प्यूटरों से सुसज्जित है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3000 ई–शिक्षण कक्षों की स्थापना की गई और उन्हें एप्पल आई–पैड, स्ट्रीमिंग उपकरणों और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से सुसज्जित किया गया।
- केंद्रीय विद्यालयों/रीजनल कार्यालयों द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर 2461 ई–शिक्षण कक्षों की स्थापना की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2300 ई–शिक्षण कक्षों की योजना है और वित्तीय वर्ष 20167–18 में इनकी स्थापना कर ली जाएगी।
- आज की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में कुल 9711 शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं।
- सभी केंद्रीय विद्यालयों (नए खोले गए स्कूलों को छोड़कर) में ऑडियो–विजुअल उपरकण जैसे कि टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन इत्यादि हैं।

छात्रों के लिए टैबलेट:

25 केंद्रीय विद्यालयों में देशभर में कक्षा VIII (प्रत्येक क्षेत्र में 1) के 5000 छात्रों के लिए ई–घटक के साथ प्री–लोडेड 5000 टच टैबलेट के वितरण की प्रायोगिक परियोजना प्रक्रियाधीन है।

ई–कंटेंट

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों में अपने ई–कंटेट तैयार किए हैं जिनका उपयोग केन्द्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन/ऑफलाइन आधार पर किया जाएगा। सीआईईटी–एससीईआरटी, सीबीएसई एवं एनवीएस के सहयोग से ई–कंटेंट को अद्यतन करने की प्रक्रिया नियमित आधार पर चल रही हैं।

केवीएस द्वारा आईसीटी के क्षेत्र में आरंभ की गई पहल

केवीएस ने माइक्रोसॉफ्ट तथा गूगल के साथ सहयोग करके विभिन्न आईसीटी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं ताकि छात्र एवं शिक्षक सहयोगात्मक तथा स्वतः निदेशित अधिगम के लिए तैयार किए जाएं।

आईसीटी पुरस्कार

केवीएस भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए आईसीटी पुरस्कार में नियमित रूप से भाग ले रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केवीएस को दो पुरस्कार आवंटित किए हैं।

खेल/सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों में उपलब्धियां

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा केवीएस को खेलों के क्षेत्र में ''नवोदित/युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण' की श्रेणी में 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार–2017' प्रदान किया गया है।
- गणतंत्र दिवस परेड–2017 के दौरान राजपथ में केवी पीतमपुरा के छात्रों के प्रदर्शन ने अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं में भाग लेते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने भारतीय खेल एवं क्रीड़ा परिसंघ (एसजीएफआई) के खेलों में भाग लिया और केन्द्रीय विद्यालयों के अनेक छात्रों ने विभिन्न खेलों एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में 81 पदक जीते।
- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते।
- केन्द्रीय विद्यालयों में हर वर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
- केवीएस के 549 छात्र (314 स्काउट्स तथा 235 गाइड्स) राष्ट्रपति स्काउट्स गाइड पुरस्कार 2016 के लिए चुने गए।

- आयुक्त केवीएस, संतोष कुमार माल, आईएएस, राज्य मुख्य आयुक्त, केवीएस राज्य बीएसएंडजी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में बीएसएंडजी इंडिया को सर्वोच्च पुरस्कार अर्थात 'सिलवर एलीफेंट अवार्ड' प्रदान किया गया है।
- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने गणित/भौतिकी/रसायन/जीव–विज्ञान आदि जैसे विभिन्न ओलिम्पियाडों में भाग लिया और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते।
- केन्द्रीय विद्यालयों ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में छात्रों में प्रतिभा पोषण के लिए सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवीएस शिक्षकों के ज्ञान, कार्यप्रणाली और नवाचारी प्रथाओं को अद्यतन करने के लिए सभी वर्गों के अपने शिक्षकों के लिए पुनरूश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करता है। 2016–17 सत्र में आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्याएं इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	वर्ग	पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण	131	4992
2	कार्यशालाओं की संख्या (जैडआईईटी)	128	4193
3	कार्यशालाओं की संख्या (क्षेत्रीय स्तर पर)	237	12410
	कुल	496	21595

दिशा–निर्देशन एवं परामर्श

केन्द्रीय विद्यालय अनुबंध आधार पर काउंसलरों की नियुक्ति करते हैं और अपने शिक्षकों जिन्होंने एनसीईआरटी और आरआईई से दिशानिर्देश और काउंसलिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है, की बच्चों के व्यक्तित्व में समग्र विकास करने और उन्हें समय समय पर उनके सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक मुद्दों का सामना करने में सहायता प्रदान करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ये काउंसलर छात्रों को विवेकपूर्ण शैक्षिक एवं कैरियर विकल्पों में भी दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

छात्रावास सुविधाएं

नवम्बर, 1962 में मंत्रिमंडल द्वारा मूल रूप से अनुमोदित केन्द्रीय विद्यालयों की योजना में परिकल्पना थी कि केन्द्रीय विद्यालय आवासीय होंगे। परंतु इस योजना के कार्यान्वयन के समय यह निर्णय किया गया था कि कुछ छात्रों को, विशेष रूप से जिनके माता–पिता का सत्र के बीच में अथवा ऐसे स्थान पर स्थानातरंण हो गया, जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं था, छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस समय 08 केन्द्रीय विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा है।

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	क्षेत्र	छात्रों की कुल क्षमता	31.10.2017 की स्थिति के अनुसार वर्तमान नामांकन
1.	लैंसडाउन (बालक)	देहरादून	100	38
2.	जवाहर नगर (बालक)	पटना	96	43
3.	झज्जर (बालक)	गुडगाँव	50	शून्य
4.	नं: 1 ग्वालियर (बालक)	भोपाल	150	शून्य
5.	एएससी सेंटर बंगलौर (बालिकाएं)	बैंगलौर	60	19
6.	पचमढ़ी (बालक)	भोपाल	50	41
7.	गाजियाबाद (बालक)	आगरा	80	शून्य
8.	नं: 1 दिल्ली कैंट बालिकाएं)	दिल्ली	72	41

वित्त

केन्द्रीय विद्यालयों का पूरा वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है। पिछले पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान गैर–योजना एवं योजनागत शीर्षों के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा केवीएस के लिए स्वीकृत बजट इस प्रकार है:

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	गैर–योजना	योजनागत
2012–2013	2104.34	350.00
2013–2014	2424.97	350.00
2014–2015	2501.15	742.00
2015–2016	2403.47	875.00
2016–2017	2884.54	1102.71

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम राज्य सहित) में 108 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें 77201 छात्र (41079 बालक एवं 36122 बालिकाएं) नामांकित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 108 के.वी. में से 60 सिविल, 22 रक्षा, 17 परियोजना क्षेत्र तथा 09 उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं।

2016–17 के दौरान इस क्षेत्र में Xवीं और XIIवीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत नीचे दी गई है:

राज्य	कक्षा X	कक्षा XII
अरुणाचल प्रदेश	97.71	82.44
असम	99.92	93.71
मणिपुर	100	93.64
मेघालय	100	95.59
मिजोरम	97.48	91.67
नागालैंड	100	92.27
सिक्किम	100	94.32
त्रिपुरा	99.12	99.26

केवीएस द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जारी निधियों की स्थिति इस प्रकार है:–

वर्ष	योजनागत	गैर–योजना
2012–2013	3500 लाख रूपए	11323.57 लाख रूपए
2013–2014	3500 लाख रूपए	12017.78 लाख रूपए
2014–2015	4703 लाख रूपए	12659 लाख रूपए
2015–2016	8750 लाख रूपए	5783 लाख रूपए
2016–2017	**11020 लाख रूपए**	**11962.63 लाख रूपए**

चित्र 1: दिल्ली में केवीएस शाहदरा की आधारशिला रखते हुए

चित्र 2: आयुक्त केवीएस श्री संतोष कुमार माल भारत के राष्ट्रपति श्रीराम नाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में 'राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2017' प्राप्त करते हुए

चित्र 3: केवी के छात्रों का गणतंत्र दिवस परेड–2017 के दौरान राजपथ पर विजयी प्रदर्शन

******

10

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस): स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता:

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस): स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता:

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में गति निर्धारक आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी जिसका उद्देश्य समता एवं सामाजिक न्याय के साथ–साथ उत्कृष्टता प्रदान करना था। इसके परिणामस्वरूप, 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में नवोदय विद्यालय समिति पंजीकृत की गई थी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर अच्छे स्तर की अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था जिसमें मूल्यों का समावेशन, पर्यावरण की जागरूकता, एडवेंचर गतिविधियां तथा शारीरिक शिक्षा का प्रबल घटक शामिल है।

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रक्रिया/मानदंड

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गयी है। एक जेएनवी खोलने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के लिए विद्यालय भवन के निर्माण के लिए निःशुल्क और सब प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त 30 एकड़ भूमि प्रदान करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/जिला प्रशासन को तीन से चार वर्षों के लिए अथवा उस समय जब तक कि समिति स्थायी स्थल पर अपने स्वयं के भवनों का निमार्ण न कर ले तब तक 240 छात्रों और कर्मचारियों को ठहराने के लिए निःशुल्क उपयुक्त अस्थायी भवन और अन्य अवसंरचना प्रदान करना अपेक्षित होता है।

स्वीकृत और कार्यरत जेएनवी की स्थिति

वर्ष 1985–86 के दौरान झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे। नवंबर, 2017 के दौरान 62 नए जेएनवी के अनुमोदन के साथ आज की तारीख तक तमिलनाडु राज्य को छोड़कर 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समिति ने 660 जिलों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। कुल स्वीकृत 660 जेएनवी में से 629 जेएनवी कार्यशील हैं।

जेएनवी में छात्रों का दाखिला

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाई गई और आयोजित की गई चयन परीक्षा के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिला होता है। चयन परीक्षा नॉन–वर्बल और कक्षा निरपेक्ष होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी भेदभाव के प्रतियोगिता में भाग ले सकें। जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है केवल वहीं के अभ्यर्थी दाखिले के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, जिस जिले में जेएनवी खोला गया है वह जिला बाद में दो भागों में बंट जाता है तो नए बने जिले में, जब तक नया जेएनवी नहीं खुल जाता तब तक जेएनवीएसटी में दाखिले के लिए पात्रता के उद्देश्य से जिले की पुरानी सीमाएं मानी जाएंगी। कक्षा VI और IX में प्रवेश जेएनवीएसटी के माध्यम से किया जाता है। हाल के वर्षों में और वर्ष 2016–17 में जेएनवीएसटी में भाग लेने वाले और चुने गए छात्रों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

कक्षा–VI के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की स्थिति	*वर्ष*	*पंजीकृत*	उपस्थित	चयनित
	2014–15	1880225	1709144	41804
	2015–16	2086927	1891092	41663
	2016–17	2163039	1908627	42196
कक्षा–IX के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की स्थिति	*वर्ष*	*पंजीकृत*	उपस्थित	चयनित
	2014–15	81770	73786	4236
	2015–16	86193	75768	4649
	2016–17	171749	113204	4564

जेएनवी में छात्रों के दाखिले हेतु आरक्षण नीति

(क) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा और शेष सीटें उस जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाती हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम हो (अ.जा. के लिए 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 7.5 प्रतिशत) परंतु दोनों वर्गों (अ.जा. और अ.ज.जा.) के लिए एक साथ 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह आरक्षण अंतर–परिवर्तनीय है और ओपन मेरिट के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त है।

(ग) कुल सीटों का एक–तिहाई बालिकाओं के लिए हैं।

(घ) निःशक्त बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है (अर्थात. अस्थि विकलांग, श्रव्य और दृश्य विकलांग)।

दिनांक 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार छात्रों के नामांकन संबंधी आंकड़े

छात्रों की कुल संख्या	संख्या	लड़के	लड़कियां	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
	259646	156827	102819	203211	56435	142758	65646	51242
	प्रतिशत	60.4	39.6	78.26	21.74	54.9	25.28	19.74

जेएनवी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण छात्रों एवं बालिकाओं की स्थिति

नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार जेएनवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण छात्रों एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व सांविधिक आवश्यकता से अधिक हैं जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

वर्ष	अ.जा. :	अ.ज.जा. :	बालिका :	ग्रामीण :
2007–08	24.19	16.19	35.70	77.18
2008–09	24.19	17.18	36.15	77.93
2009–10	24.23	17.53	36.68	77.85
2010–11	24.48	17.74	37.08	77.96
2011–12	24.79	18.17	37.37	78.08

2012–13	24.97	18.14	37.84	78.05
2013–14	25.04	18.41	38.35	78.12
2014–15	25.11	18.73	38.59	78.21
2015–16	25.17	19.04	38.88	78.33

सीबीएसई परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण:

वर्ष 2016–17 में सीबीएसई परीक्ष– 2017 (कक्षा–XII और X) के परिणाम इस प्रकार हैं:

कक्षा XII	
जेएनवी की संख्या	528
उपसथित छात्रों की संख्या	28086
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	26887
प्रथम डिवीजन वाले छात्रों की संख्या	24004
उत्तीर्ण प्रतिशत	95.87%
प्रथम डिवीजन	85.47%
सेन्टम (100 अंक) पाने वाले छात्रों की संख्या	110
100: उत्तीर्ण परिणाम वाले जेएनवी की संख्या	223

कक्षा X	
जेएनवी की संख्या	580
उपस्थित छात्रों की संख्या	38557
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	38473
सीजीपीए > 6 वाले छात्रों की संख्या	37837
उत्तीर्ण प्रतिशत	99.78%
6 और इससे अधिक सीजीपीए	98.13%
10/10 पूर्ण स्कोर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	3928
100% उत्तीर्ण परिणाम वाले जेएनवी की संख्या	540

उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	कक्षा	विद्यालयों की संख्या	उपस्थित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
2012	X	551	34,684	34,537	99.58
	XII	458	22,968	22,040	95.96
2013	X	557	35,310	35,214	99.73
	XII	490	25,807	24,812	96.14
2014	X	567	35879	35808	99.80
	XII	502	26516	25897	97.67
2015	X	575	36885	36783	99.72
	XII	511	26981	26147	96.91
2016	X	580	37915	37470	98.83
	XII	520	27481	26573	96.70
2017	X	580	38557	38473	99.78
	XII	528	28086	26927	95.87

आईआईटी जेईई परीक्षा (2016–17) में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या:

जेईई मुख्य में उपस्थित बच्चों की संख्या	9757
जेईई मुख्य में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या	3563
जेईई एडवांस्ड में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या	1176

एनईईटी परीक्षा (2016–17) में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या:

एनईईटी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या	14183
एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या	11875

जेएनवी छात्रों के लिए समिति द्वारा अपनाई गई स्थानांतरण नीतिः नवोदय विद्यालय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसी एक विशिष्ट भाषाई क्षेत्र के नवोदय विद्यालय से किसी अलग भाषाई क्षेत्र के दूसरे विद्यालय में छात्रों की स्थानांतरण योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच भारत की संस्कृति और लोगों की विविधता और विभिन्नता को समझना और प्रोत्साहित करना है। योजना के अनुसार, एक जेएनवी से 30% बच्चे कक्षा IX स्तर पर दूसरे जेएनवी में अंतरित होते हैं। यह स्थानांतरण सामान्यतः किसी हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी भाषी जिलों के बीच होता है।

शैक्षिक उत्कृष्टता

1. जवाहर नवोदय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा को अत्यधिक महत्व देती है। सभी छात्रों को कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा सूचना प्रसंस्करण से परिचित कराने और शिक्षकों को प्रौद्योगिकी सृजनात्मक तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कम्प्यूटर कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1991 से जेएनवी में चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था।

- कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम कक्षा–VI से कक्षा–XII तक 594 जेएनवी में शुरू किया गया है।
- एनवीएस में कम्प्यूटर–छात्र अनुपात 1:12 है।
- कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जेएनवी आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कलर टीवी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, स्कैनर, फोटोकॉपियर आदि से सुसज्जित हैं।

स्टाफ प्रशिक्षण और पाठ्यपुस्तकें

- ✓ सामान्य रूप से स्टाफ के सभी सदस्यों को तथा विशेष रूप से शिक्षण संकाय को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- ✓ क्लासरूम ट्रांजेक्शन को और अधिक प्रभावी तथा व्यवहारिक रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जेएनवी को आगे हस्तांरण हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सीडी के रूप में एनवीएस द्वारा ऑफलाइन ई–कन्टेन्ट तैयार किए गए हैं।
- ✓ शिक्षक और छात्र उत्साहपूर्ण तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफी हद तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।
- ✓ कम्प्यूटर शिक्षा के शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।
- ✓ समिति द्वारा प्रत्येक जेएनवी के लिए अनुबंध आधार पर संकाय–सह–प्रणाली प्रशासक (एफसीएसए) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- ✓ वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर इलेक्टिव/वैकलपिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान

के साथ 197 जेएनवी में नियमित पीजीटी (आईटी) नियुक्त किए गए हैं।

- ✓ सभी जेएनवी में आईटी समर्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए 475 प्रधानाचार्यों और 950 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- ✓ शिक्षकों के क्षमता निर्माण, डिजीटल अधिगम आदि के लिए इन्टेल ऑरेकल तथा अन्य कॉरपोरेट क्षेत्रों के जरिए समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- ✓ इंडस्ट्रीज इन्टरफेस वाले छात्रों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर (क) डिजिटल डिजाईनिंग में ऑटोडेक्स प्रशिक्षण, (ख) रोबोटिक्स प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गई है।
- ✓ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु एनआरओईआर (नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन रिसोर्सिज) और अन्य वेबसाइट के लिए ओपन सोर्स सामग्री का उपयोग किया जाता है।
- ✓ स्कूलों को क्राउड सोर्स्ड एजुकेशनल कन्टेन्ट तथा ओपन सोर्स कन्टेन्ट के संबंध में मार्ग–दर्शन हेतु सामूहिक कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है।

जेएनवी में इंटरनेट कनेक्टीविटी

- ◆ 35 जेएनवी अर्थात् 33 जेएनवी शिलांग क्षेत्र तथा 2 जेएनवी हैदराबाद क्षेत्र में वीएसएटी के जरिए इंटरनेट कनेक्टीविटी संचालनरत है।
- ◆ इसके अतिरिक्त, पूरे देश में इंटरनेट/वेब ब्राउजिंग को एक्सेस करने के लिए अन्य सभी जेएनवी में डॉयल–अप/ब्रॉडबैंड/लीज्ड लाइन/वाइमैक्स/डाटा कार्ड आदि हैं।
- ◆ विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि करने तथा शिक्षण–कक्ष अधिगम को जोड़ने हेतु इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं।
- ◆ इसके अतिरिक्त, अध्यापक और छात्र गुणवत्तापूर्ण ई–कन्टेन्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे अन्य जेएनवी में साझा किया जा रहा है।

जेएनवी में आईसीटी कार्यक्रमों पर एक नजर

- 594 जेएनवी में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा है।
- 554 जेएनवी में लैपटॉप प्रदान किए गए हैं।
- 516 जेएनवी में कम्प्यूटर से कनेक्टिड 29'' रंगीन टेलीविजन वाले स्मार्ट क्लासरूम हैं तथा अधिकांश जेएनवी में स्मार्ट बोर्ड, प्रिंटर, पर्याप्त लैपटॉप तथा पॉवर बैकअप इन्वर्टर्स, वाई–फाई राउटर्स आदि जैसे अन्य यंत्र/उपकरण हैं।
- 554 जेएनवी में से प्रत्येक में 2 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं।
- 80% से अधिक अध्यापकों ने बेसिक ऑपरेशन्स तथा कम्प्यूटर–समर्थित–शिक्षा में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- लगभग 50% गैर–शिक्षण स्टाफ ने भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- छात्र और शिक्षक उपलब्ध नेटवर्क सुविधाओं के लाभ का प्रयोग करते हुए सहयोगात्मक परियोजनाओं का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं।
- अब तक 475 जेएनवी वेब आधारित शिक्षण अधिगम हेतु स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, टैबलेट्स, प्रिंटर, वाई–फाई राउटर आदि वाले सैमसंग स्मार्ट लैब्स की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और इंटरएक्टिव वर्चुअल लर्निंग एन्वायरन्मेंट का सृजन करने के लिए शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बना रहे हैं।
- स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) ओर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के कार्यान्वयन हेतु शाला दर्पण परियोजना के अंतर्गत 591 जेएनवी को शामिल किया जा रहा है।

2. जेएनवी में व्यावसायिक शिक्षा

बच्चों की रूचि और योग्यता के आधार पर और कोर्स से संबंधित रोजगार अवसरों/वर्टीकल मोबिलिटी के आधार पर एनवीएस, अधिक से अधिक जेएनवी में +1 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में, निम्नलिखित 20 जेएनवी में उनके सामने उल्लिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं:

क्र. सं.	क्षेत्र	जेएनवी/राज्य का नाम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम	अध्ययनरत छात्रों की संख्या	
				XI	XII
1.	भोपाल	टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	32	31
2.	भोपाल	ढेंकनाल (ओडिशा)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	16	30
3	चंडीगढ़	लुधियाना (पंजाब)	आतिथ्य एवं पर्यटन	18	20
4	चंडीगढ़	सोलन (हिमाचल प्रदेश)	आतिथ्य एवं पर्यटन	12	11
5	चंडीगढ़	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	आतिथ्य एवं पर्यटन	14	18
6	चंडीगढ़	सांबा (जम्मू और कश्मीर)	आतिथ्य एवं पर्यटन	21	14
7	चंडीगढ़	रोपड़ (पंजाब)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	15	16
8	चंडीगढ़	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	08	08
9	हैदराबाद	कोडगु (कर्नाटक)	कार्यालय सेक्रेटरीशिप (आशुलिपि– अंग्रेजी)	21	14
10	हैदराबाद	मेडक (तेलंगाना)	आतिथ्य एवं पर्यटन	37	14
11	जयपुर	दौसा (राजस्थान)	आतिथ्य एवं पर्यटन	05	02
12	लखनऊ	आगरा (यूपी)	आतिथ्य एवं पर्यटन	28	21
13	लखनऊ	वाराणसी (यूपी)	आतिथ्य एवं पर्यटन	16	14
14	पटना	सहरसा (बिहार)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	25	11
15	पटना	लोहरदगा (झारखंड)	वित्तीय एवं मार्केट प्रबंधन	22	––
	पटना	लोहरदगा (झारखंड)	कार्यालय सेक्रेटरीशिप	––	15
16	पटना	मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	आतिथ्य एवं पर्यटन	12	09
17	पटना	पटना (बिहार)	आतिथ्य एवं पर्यटन	23	––
18	पटना	नालंदा (बिहार)	आतिथ्य एवं पर्यटन	**जेएनवी, पटना में स्थानांतरित**	**10**
19	पटना	कटिहार (बिहार)	आईटी एप्लीकेशन	**09**	**09**
20	पटना	बोकारो (झारखंड)	आईटी एप्लीकेशन	**15**	**13**
		छात्रों की कुल संख्या		**349**	**280**
सकल योग= 629 विद्यार्थी					

नई पहल

(क) प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने में संस्थागत पहल

01. प्रणाली को सुचारू रूप से तथा समयबद्ध कार्यकरण हेतु नवोदय विद्यालय समिति में ई–ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है।

02. वित्तीय औचित्य हेतु भारत सरकार की पहल पीएफएमएस को एनवीएस में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

03. पारदर्शी और सुचारू तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवोदय स्टाफ का स्थानांतरण किया जा रहा है।

04. पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भर्ती कार्यकलापों के लिए परीक्षा के आयोजन हेतु फॉर्म भरने से लेकर संपूर्ण कार्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा रहा है।

05. दाखिला परीक्षा (जेएनवीएसटी) हेतु आवेदन प्रक्रिया को एक पेज के आवेदन के साथ सरलीकृत किया गया है और इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्र की सहायता से ऑनलाइन बनाया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान रजिस्ट्रेशन में, दाखिला परीक्षा हेतु पंजीकृत 27.55 लाख अभ्यर्थियों के साथ 24% की वृद्धि हुई है।

(ख) शैक्षणिक पहल

जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की सहायता हेतु निम्नलिखित नवाचारी कदम उठाए गए हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1) अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एवं परामर्श:

एनवीएस ने, क्लस्टर नवाचार केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। निम्नलिखित कार्य पूर्ण हो चुके हैं:

1) विद्यालय की पहचानः चार क्षेत्रों (हैदराबाद, पटना, चंडीगढ़ और पुणे) में 29 जेएनवी की पहचान की गई है।

2) सुग्राहीकरण कार्यक्रम के रूप में तथा प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हेतु प्रशिक्षण के रूप में दिनांक 21 अगस्त, 2017 से 26 अगस्त, 2017 तक क्लस्टर नवाचार केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों और एक शिक्षक का एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

3) सभी 29 संस्थाओं (जेएनवी अमरावती, महाराष्ट्र के अतिरिक्त) को प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हेतु सामग्री प्रदान की गई है।

4) 29 जेएनवी में बच्चों को ब्रीफिंग के साथ पहचान प्रक्रिया शुरू की गई।

2) अपने स्वयं के सोलर लैम्प जोड़ने में जेएनवी के बच्चों की भागीदारी

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में भागीदारी हेतु कार्यनीतियां बनाने में युवा पीढ़ी की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रों द्वारा सोलर लैम्प तैयार करने के लिए एनवीएस ने प्रो. चेतन सोलंकी, आईआईटी मुम्बई के साथ सहयोग किया है। तद्नुसार, 2 जवाहर नवोदय विद्यालयों को नमूने के तौर पर लिया गया और इनमें कार्यशाला चलाई गई। प्रो. चेतन सोलंकी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में जेएनवी, खरगोन (मध्य प्रदेश) जेएनवी, रायगढ़ (महाराष्ट्र) के 875 बच्चों ने कार्यशाला में स्वयं के लैम्प तैयार किए।

3) परामर्श (काउंसलिंग) में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

सेंट जॉन शोध संस्थान, बंगलौर के सहयोग से तथा एनसीईआरटी (किशोर शिक्षा कार्यक्रम डिवीजन) की सहायता से

मार्केट में उपलब्ध व्यावसायिक सलाहकारों की कमी को देखते हुए मार्गदर्शन एवं परामर्श (काउंसलिंग) में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में 37 अध्यापकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम को सभी मास्टर प्रशिक्षकों तथा उनके बाद के प्रशिक्षकों की सहायता से आगे बढ़ाया जाएगा। सेंट जॉन शोध संस्थान द्वारा कार्यान्वयन संबंधी मैन्युअल भी तैयार किया जा रहा है।

4) **सीएसआईआर संस्थान– जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान के साथ सहयोग**

जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान के सहयोग से डॉ. अनुराग अग्रवाल, निदेशक, आईजीआईबी के नेतृत्व में वेलकम ट्रस्ट डीबीटी नामक परियोजना के अंतर्गत फेफड़ों के कार्य करने के विशेष संदर्भ के साथ स्वास्थ्य प्रणाली के अध्ययन हेतु 4 जेएनवी (भरतपुर, झज्जर, जैसलमेर और चंडीगढ़) के लिए संस्थान से वैज्ञानिकों के दौरे की व्यवस्था की गई है। वैज्ञानिकों ने 4 जेएनवी का दौरा किया और प्रणाली के गहन अध्ययन का आयोजन किया तथा बच्चों और स्टाफ के साथ विस्तार से बातचीत की।

5) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों का दौरा**

शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जेएनवी के चयनित छात्रों का आईआईटी में दौरा तथा वैज्ञानिकों के साथ बातचीत शुरू की गई। छात्र आईआईटी के कैम्पस में रहेंगे। आशा है कि यह कार्यक्रम छात्रों की करियर आकांक्षा को विकसित करने में उनके प्रोत्साहन में वृद्धि करेगा और आशा है कि इसका अन्य छात्रों पर विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के बारे में स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा।

6) **सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के साथ छात्रों की बातचीत**

वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति बच्चों के लिए क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में चयनित 100 छात्र (वार्षिक तौर पर 800 छात्र) 4–5 दिनों तक नजदीकी वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा करते हैं और इन संस्थानों में वैज्ञानिक वातावरण को समझने तथा विज्ञान में करियर की आकांक्षा विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हैं। इसकी निरतंरता में एनवीएस ने देश के अलग–अलग स्थानों पर अवस्थित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जेएनवी छात्रों के दौरों के माध्यम से नवोदय छात्रों के साथ वैज्ञानिकों की सीधी बातचीत के लिए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु महानिदेशक, सीएसआईआर के साथ बातचीत शुरू की है।

7) **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में जेएनवी छात्रों का दाखिला**

क) जेएनवी में कक्षा–XII के पश्चात् अवर स्नातक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित छात्रों ने दाखिला प्राप्त किया:–

विद्यार्थी का नाम	जेएनवी	जिस विश्वविद्यालय के लिए चुने गए	कार्यक्रम
दिप्ती आर राप्टे	पालघर	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय	बीएससी जैविक विज्ञान
शिवम ए दुबे	पालघर	इम्पीरियल कॉलेज	एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग
सदानंद एच उगाले	औरंगाबाद	यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन	एमएससी गणित
आदेश डी वैद्य	औरंगाबाद	ब्रिस्टल विश्वविद्यालय	बीएससी चिकित्सा जैव रसायन

इस पहल को टाटा ट्रस्ट और कर्ता इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन द्वारा सहायता प्रदान की गई है। आवश्यक संस्थागत सहायता एनवीएस द्वारा प्रदान की गई है।

ख) जेएनवी वेस्ट मेदिनापुर के मास्टर आशीष दास ने यूके ससेक्स में गणित और अंग्रेजी में ए लेवल प्रोग्राम में दाखिला प्राप्त किया। अभी तक 33 छात्रों ने पेस्टलोज्जी छात्रवृत्ति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में दाखिला प्राप्त किया।

8) बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र

एनजीओ की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत संबंधित एनजीओ द्वारा ऑनलाइन सहायता सहित संकाय सहायता और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। इस पहल के तहत शामिल छात्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

सहायक एजेंसी	जेएनवी की संख्या	शामिल किए गए छात्रों की संख्या
दक्षणा फाउंडेशन	7	874
पूर्व नवोदयन फाउंडेशन	1	131
अवंती फैलो	14	801
सूपर 30	2	100

इसके तहत आईआईटी में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की सफलता दर विगत में 90% से अधिक है।

9) पर्यावरणीय सहायता में बच्चों की भागीदारी

क. जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने पर्यावरणीय सहायता को अपने स्वयं के कार्यकलाप के रूप में लिया है और वर्ष में 3.41 लाख पेड़ लगाए हैं। कैंपस में रहने के दौरान बच्चों द्वारा इनकी देखभाल की जाती है।

ख. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के सहयोग से 100 विद्यालयों को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। कार्यशाला के पूरा होने पर सभी 180 जेएनवी में पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करने के लिए ऑडिट किया गया है।

ग. सभी जेएनवी स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। एनवीएस ने स्वच्छता कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी के लिए पुरस्कार डिजाइन किए हैं। चार जेएनवी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित क्लियर एयर के लिए भाग लिया है।

घ. पेयजल मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में एनवीएस के छह क्षेत्रों के 469 छात्रों ने स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ में भाग लिया।

ङ. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आपदा मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर दो जेएनवी के 16 छात्रों ने राष्ट्रीय मंच पर आपदा जोखिम में कमी और स्कूल सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

10) मूल्य अभिविन्यास कार्यक्रम

– राम कृष्ण मिशन नई दिल्ली के सहयोग से 475 स्कूलों में मूल्यों और नागरिकता को आत्मसात करने से संबंधित गहन कार्यक्रम को अपनाया गया है।

– यूएनएफपीए किशोर शिक्षा कार्यक्रम की सहायता से और एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में 595 विद्यालयों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

11) खेलों में उपलब्धि:

बीकानेर में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में हैंडबाल में यू–14 (अंडर 14) इवेंट में लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों के अंतर्गत जेएनवी के छात्रों ने गोल्ड मैडल जीता है और बॉक्सिंग (अंडर 14) में 27 राज्यों में से एनवीएस के लड़कों ने गोल्ड मैडल जीता। जेएनवी, करनाल (हरियाणा) के छात्र को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया।

12) निर्माण कार्य संबंधी पहल

- 252 जेएनवी में ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट हार्वेसटिंग के लिए नई पहल के रूप में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर पीवी पैनल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है।
- ऊर्जा के बिलों में कमी के लिए एनवीएस–एचक्यू का एनर्जी ऑडिट किया गया।
- स्वीकृत और कार्यान्वयन के तहत स्टार रेटेड ऊर्जा–कुशल उपकरणों के प्रावधान के साथ एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए मानदंडों में संशोधन।
- तेजी से निर्माण और अर्थव्यवस्था, बेहतर प्रबंधन, जेएनवी के कुशल कार्यकरण के लिए शुरू की गई साइट चयन प्रक्रिया में सुधार।
- बेहतर दक्षता और आराम के लिए जेएनवी परिसर के सभी भवनों के लेआउट डिजाइन की अवधारणा में संशोधन को नए जेएनवी में अपनाया गया है।
- 4 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, छात्रावासों (डॉर्मिटरी) के बेहतर डिजाइन और नए जीपीआरए मानदंडों के अनुसार स्टाफ क्वार्टरों के लिए वर्धित नए मानदंडों के साथ बेहतर कार्यक्षमता और लंबे जीवन के लिए जेएनवी भवनों के मानदंडों और विशिष्टताओं का उन्नयन किया गया है।
- सभी कर्मचारियों को उचित आवास के लिए जेएनवी में स्टाफ क्वार्टरों को 42 से बढ़ाकर 46 कर दिया गया है।
- सभी नए आने वाले जेएनवी में वर्षा जल संचयन को लागू करना।
- नए जेएनवी में पर्यावरण के अनुकूल जैव–उपचारात्मक अपशिष्ट जल प्रणाली प्रदान करना।
- डिजिटल इंडिया पहल के तहत, समिति के पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से निर्माण कार्यों की रिपोर्टिंग और निगरानी की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जियो–इनफार्मेटिक्स केंद्र के वेब पोर्टल पर सभी जेएनवी की जियो–मैपिंग/जियो–टैगिंग पूरी हो गई है।
- क्षेत्र–वार सेवा शुल्क के लिए खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यों का आबंटन किया गया है।
- उपयोग करने से पहले सभी भवनों के तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण की पारदर्शी प्रणाली शुरू की गई है।

जेएनवी में छात्रों के लिए सुविधाएंः जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा, बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ–साथ यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी, स्कूल से लेकर घरों तक रेल/बस का किराया आदि का खर्च सभी छात्रों के लिए मुफ्त है। तथापि, कक्षा IX से XII के छात्रों से विद्यालय विकास निधि के रूप में प्रति माह मात्र 600/– रुपए का शुल्क लिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों, लड़कियों, विकलांग छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों (बीपीएल) को इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ और 02 अक्टूबर, 2017 को विज्ञान भवन में स्वच्छता ही सेवा का समापन। उक्त कार्यक्रम में विज्ञान भवन में जवाहर नवोदय विद्यालय के लगभग 469 छात्रों ने भाग लिया।

जेएनवी थियोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश के छात्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्राणायाम करते हुए

राष्ट्रपति भवन में एनवीएस के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक

5 सितम्बर, 2017 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के महामहिम उप–राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, प्रिंसिपल श्रीमती नीलम पाणि, जेएनवी रायपुर (सीजी), श्री बेनी वर्गीज, पीजीटी (गणित), जेएनवी पथनामथिट्टा (ए.पी.) और श्री आर.जी. देशपांडे, टीजीटी (एस.एसटी.), जेएनवी हावेरी कर्नाटक को राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

एनवीएस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान

******

11

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी

NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(एनसीईआरटी)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्कूली शिक्षा के संपूर्ण विस्तार पर काम करती है अर्थात् स्कूली शिक्षा में शोध, अभिनव सेवा–पूर्व तथा सेवा–कालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों, शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए शिक्षण सामग्री का विकास और राज्य स्तर के शिक्षा संगठनों जैसे कि एससीईआरटी, डीआईईटी आदि के शैक्षिक प्रयासों को मुख्यधारा में लाने के लिए इनके सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तार संबंधी कार्यकलाप।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

प्रारंभिक बचपन में बच्चों की देखभाल और शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक बचपन में बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के क्षेत्र में, परिषद् क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर के डिमॉन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स (डीएमएस) में प्रीस्कूल मॉडल विकसित कर रही है, जहाँ छोटे बच्चे ठोस सामग्री के उपयोग से खेल आधारित विकास संबंधी उपयुक्त कार्यकलापों में भाग लेते हैं। इन मॉडल स्कूलों में कार्यरत स्कूल–पूर्व सभी शिक्षकों को पांच दिनों का सेवा–कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। जागरूकता जेनरेशन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सहायक सामग्री के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रारंभिक बालपन में देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में जागरूकता हेतु संसाधन पैकेज, कक्षा– I और II के लिए शिक्षक संसाधन पुस्तक, शिक्षण–अधिगम के उद्देश्यों तथा शिक्षा–शास्त्र को समझने में प्राथमिक शिक्षकों की सहायता हेतु उनके लिए पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) में ऑनलाइन सर्टीफिकेट कोर्स, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) के शिक्षण–अधिगम में 200 स्टोरी– बोर्ड, प्राथमिक स्तर पर स्वच्छता एवं आरोग्यता संबंधी अनुपूरक संसाधन सामग्री, 14 व्यावसायिक क्षेत्रों में कक्षा–VII और VIII के छात्रों के हितों का पता लगाने के लिए हितों की सूची, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के संबंध में हिन्दी में अनुकरणीय पैकेज भी तैयार किया गया है। साथ ही, 1–2 अगस्त, 2017 को एससीईआरटी, गुरुग्राम में प्रारंभिक गणित के संबंध में शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और 21–22 नवम्बर, 2017 को एनआईई, नई दिल्ली में प्रारंभिक बालपन शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय स्थिरता परामर्श बैठक का आयोजन किया गया था।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में, एनसीईआरटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अकादमिक सहायता प्रदान कर रही है।

अधिगम परिणाम

राज्य और जिला स्तरों पर हितधारकों से इनपुट लेने के बाद एनसीईआरटी द्वारा 'प्रारम्भिक स्तर पर अधिगम परिणाम' दस्तावेज तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य शिक्षकों को अधिक सटीकता से अधिगम कौशलों का पता लगाने और विलंब किए बिना सुधारात्मक कदम

उठाने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी छात्रों को प्रभावी रूप से सीखने के अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाते हुए स्कूलों में अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह दस्तावेज दो सैट में तैयार किया जाता है अर्थात् पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में कक्षा–I से VIII के लिए पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं, शिक्षा–शास्त्र संबंधी प्रक्रियाओं और अधिगम परिणामों सहित संपूर्ण दस्तावेज और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के लिए केवल अधिगम परिणामों सहित कॉम्पेक्ट संस्करण। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से दस्तावेज का अंग्रेजी और हिन्दी सहित अब तक 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसे देश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए प्रसारित किया गया है।

एनसीईआरटी ने भोपाल, अजमेर, दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, पुणे और भुवनेश्वर, जम्मू और कश्मीर में अधिगम परिणामों के क्षेत्र में मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए 10 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों में अधिगम परिणामों के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने तथा उनके बारे में समझ विकसित करने के लिए क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर अधिगम परिणामों के संबंध में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

शैक्षणिक सत्र 2017–2018 से, कक्षा I–VIII के छात्रों के अधिगम स्तरों से संबंधित विशिष्ट बेंचमार्क को राज्य के नियमों में शामिल किया गया है और उनका कार्यान्वयन अनिवार्य है। अधिगम परिणामों के आधार पर, 13 नवंबर 2017 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) आयोजित किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

वर्ष 2001 में सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा के लिए एमएचआरडी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शुरु किया गया था, जिसे एनसीईआरटी द्वारा सर्वसुलभ पहुंच और रिटेंशन, शिक्षा में जेंडर तथा सामाजिक अंतरालों को पाटने और सभी बच्चों के शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) फ्रेमवर्क (एमएचआरडी, 2009) ने आरएमएसए के गुणवत्ता संबंधी मामलों को लागू करने के लिए एनसीईआरटी को एक नोडल एजेंसी के रूप में परिकल्पित किया है। आरएमएसए प्रोजेक्ट सेल के तहत, परिषद ने शोध अध्ययन किए हैं अर्थात् आरएमएसए के तहत राज्य द्वारा किए गए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम अध्ययन, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में आरएमएसए गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरण (क्यूएटी) का उपयोग, हरियाणा में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन, हरियाणा में शिक्षक विकास कार्यक्रमों का स्थिति अध्ययन और सिक्किम राज्य में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के अधिगम विज्ञान में प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थिति और उनका उपयोग। माध्यमिक स्तर के लिए विज्ञान में प्रौद्योगिकीय शैक्षणिक सामग्री ज्ञान (टीपीसीके) के संबंध में सेवा–कालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेवा–कालीन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पैकेज के आयोजन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता संबंधी विश्लेषण के लिए एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है।

शोध अध्ययन

एनसीईआरटी ने स्कूल और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में शोध अध्ययन किए हैं अर्थात् समावेशी शिक्षा, शिक्षा में जेन्डर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा शिक्षा, स्कूलों में शैक्षिक नेतृत्व, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में नेटवर्किंग, अध्यापक प्रोत्साहन, किशोर छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और चिंताएं, सेवा–कालीन संगीत शिक्षकों का योग्यता स्तर, प्रारंभिक शिक्षा में नवाचारी प्रथाएं, रचनान्तमकतावाद, आईसीटी, अनुत्तीर्ण न करने की नीति आदि। एनसीईआरटी अपनी शैक्षिक शोध एवं नवाचार समिति (ईआरआईसी) के माध्यम से डॉक्टोरल फैलोशिप तथा शोध अनुदानों के

रूप में देश भर के अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षिक शोध को बढ़ावा देती है। स्कूल शिक्षा पर काम करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कार्यरत अध्येता अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें ईआरआईसी द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित किया जाता है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)

एनसीईआरटी ने 13 नवंम्बर, 2017 को गणित, ईवीएस/विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में अधिगम परिणामों के आधार पर क्षमता की प्राप्ति को आंकने हेतु अलग–अलग विषयों में कक्षा III, V और VIII के लिए प्रारंभिक स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) –2017 आयोजित किया। देश में सभी जिलों को कवर करते हुए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 2.5 मिलियन छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग लिया।

देश के सभी जिलों में 5 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा (एनएएस) X – साइकिल 2 आयोजित किया जाएगा। राज्य शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद् में अध्ययनरत कक्षा – X के छात्रों का पांच विषयों अर्थात् अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और एक आधुनिक भारतीय भाषा के संबंध में मूल्यांकन किया जाएगा। प्रति जिला 80 स्कूलों का सैम्पल और प्रत्येक सैंपल स्कूल से अधिकतम 45 छात्रों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में लगभग 54400 स्कूल, 272000 शिक्षक और 2448000 छात्रों के उपस्थित होने की संभावना है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में शिक्षण प्रक्रियाओं और छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार लाने के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, बहुभाषी शिक्षा, कला एकीकृत शिक्षण (एआईएल), स्कूल प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा में जेंडर संबंधी मामलों, शांति के लिए शिक्षा, पेपर सेटिंग और मूल्यांकन की तकनीक, अनुसंधान पद्धति, शिक्षा में आईसीटी, कार्रवाई अनुसंधान, रचनात्मक शिक्षाशास्त्र आदि के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम शिक्षार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए शिक्षण–अधिगम की नई शिक्षाओं में हितधारकों, राज्य संसाधन व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के निर्माण की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

विकास संबंधी कार्यकलाप

एनसीईआरटी शैक्षिक ऑडियो–वीडियो सीडी, प्रशिक्षण पैकेज, हैंडबुक, संसाधन सामग्री, विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम सामग्री, छात्रों की कार्यपुस्तिका, मॉड्यूल, शब्दकोश, मल्टीमीडिया पैकेज, आदि का विकास करती है। एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए दृश्य और प्रदर्शन कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, मनोविज्ञान आदि में ई–सामग्री तैयार की। स्कूली बच्चों के लिए इतिहास के शब्दकोश का विकास, भारत की स्वतंत्रता और उसके पश्चात् पुस्तक और शिक्षण तथा अधिगम में सकारात्मक पहलुओं पर पठन सामग्री आदि तैयार की जा रही है।

मार्गदर्शन और परामर्श

मार्गदर्शन और परामर्श (ब्लेंडेड मोड में) डिप्लोमा कोर्स का नौवां बैच जनवरी 2017 में शुरू हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और समूह मार्गदर्शन कार्यकलापों के माध्यम से व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी के लिए शिक्षकों को ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डीआईईटी, रांची में सितंबर 2017 में और डीआईईटी, बेंगलुरु में नवंबर 2017 में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नवंबर 2017 में नई दिल्ली में जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक परामर्शदाताओं के लिए मार्गदर्शन और परामर्श के संबंध में एक समृद्ध कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

विज्ञान शिक्षा

नवंबर 2017 में भोपाल में 44वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (जेएनएनएसएमईई) 2017 का आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (एसएलएसएमईई) के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एनआईई कैंपस, नई दिल्ली और सभी आरआईई में तीन केंद्र अर्थात्, 'साइंस पार्क', 'हर्बल पार्क', और 'एक्टिविटी रूम' विकसित किए गए हैं।

शैक्षिक किट

राज्यों और स्कूलों को लगभग 12 शैक्षिक किट अर्थात् उच्च प्राथमिक विज्ञान किट, माध्यमिक विज्ञान किट, वरिष्ठ माध्यमिक सूक्ष्म रसायन विज्ञान प्रयोगशाला किट, सॉलिड स्टेट मॉडल किट, आणविक मॉडल किट, उच्च प्राथमिक गणित किट, माध्यमिक गणित लैब किट, माध्यमिक विज्ञान लैब किट (जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान) उपलब्ध कराई गई है। उच्च माध्यमिक गणित किट और उच्च माध्यमिक जीव विज्ञान किट, जॉयफुल लर्निंग साइंस किट, ज्योग्राफी किट के मैनुअल के हिन्दी संस्करण भी तैयार किए गए हैं। जुलाई 2017 और अक्टूबर 2017 में एनआईई, नई दिल्ली में माध्यमिक विज्ञान किट के उपयोग के लिए दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एनसीईआरटी राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर या तो सीधे एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी के पैनल में शामिल फर्मों से किट उपलब्ध करा रही है।

डिजिटाइजिंग एजुकेशन

शिक्षण–अधिगम में प्रौद्योगिकी की संभावना को पहचानते हुए, परिषद शिक्षण तथा अधिगम में सहायता हेतु विभिन्न ऑडियो–वीडियो कार्यक्रमों और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का विकास कर रही है। परिषद का प्रयास है कि राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन कोष (एनआरओईआर) के माध्यम से सभी विषयों और सभी भाषाओं में छात्रों के लिए सभी डिजिटल और डिजिटाइजेबल संसाधनों को एक साथ लाया जाए। स्कूल और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में 246 संग्रह, 503 दस्तावेज, 92 इंटरैक्टिव, 1501 ऑडियो, 2582 चित्र और 5995 वीडियो सहित कुल 10876 फाइलें अपलोड की गई हैं। ई–पाठशालाः एक वेब पोर्टल (http://epathshala.nic.in/, http://epathshala.gov.in/) और मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज) डिजाइन और अभिनियोजित किए गए हैं। परिषद ने ई–पाठशाला और पाठ्य पुस्तकों के डिजिटलीकरण पर शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए 12 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ई–सामग्री विकास पहल के भाग के रूप में, सभी विषय क्षेत्रों (ईवीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा) में 4000 से अधिक डिजिटल संसाधन विकसित किए गए हैं। इन संसाधनों को नियमित अंतराल पर मान्य किया जा रहा है और एनआरओईआर तथा ई–पाठशाला पर अपलोड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा हेतु इन संसाधनों का डीडी–1, स्वयम प्रभा डीटीएच टीवी चैनल और स्वयम एमओओसी के माध्यम से प्रसार भी किया जा रहा है।

एमएचआरडी, भारत सरकार ने जुलाई 2017 में लोकप्रिय रूप से स्वयम (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) के नाम से मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म शुरु किया है। यह पोर्टल स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। एनसीईआरटी ने कक्षा IX–XII के लिए 12 विषय क्षेत्रों (अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र) में पाठ्यक्रम मॉड्यूल विकसित किए हैं। ये पाठ्यक्रम स्वयम मंच (https://swayam.gov.in/) पर अपलोड किए गए हैं। स्कूल शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन और नेतृत्व जैसे पाठ्यक्रम स्वयम पर अपलोड किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमओओडीएलई प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए नियमित रूप से और अंतराल पर कार्रवाई अनुसंधान के संबंध में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए स्वयम पर लगभग 14000 शिक्षार्थी पंजीकृत हैं।

एमएचआरडी, भारत सरकार ने 32 राष्ट्रीय चैनलों अर्थात् स्वयम प्रभा डीटीएच– टीवी के माध्यम से शैक्षिक ई–सामग्री के प्रसारण हेतु उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अधिगम योजना विकसित की है। सीआईईटी–एनसीईआरटी एक डीटीएच टीवी चैनल यानी किशोर मंच (# 32) के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है और इसने जुलाई 2017 से 24x7 शैक्षिक टीवी चौनल शुरु किया है। हितधारकों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए हर दिन चार घंटे का नया स्लॉट प्रसारित किया जाता है और 24 घंटों में छह बार दोहराया जाता है। ये चैनल बीआईएसएजी, गांधी नगर, गुजरात से चलाए जाते हैं। हितधारकों से नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए sciet.kishoremanch@gmail.com] swayamprabha@ciet.nic.in और kishoremanch@ciet.nic.in ई–मेल आईडी बनाए गए हैं। परिषद ने अप्रैल 2017 में एनआईई, नई दिल्ली में ऑल इंडिया चिल्ड्रन एजुकेशनल ऑडियो–वीडियो फेस्टिवल और आईसीटी मेला –2017 का आयोजन किया।

अगस्त से नवंबर 2017 के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर राज्यों के लिए आईसीटी पाठ्यक्रम के शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कर्नाटक राज्य के लगभग 8000 शिक्षक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आईसीटी पाठ्यचर्या कोर्स प्राप्त कर रहे हैं। पाठ्यक्रम पोर्टल पर निम्न लिंक से पहुँचा जा सकता हैः ictcurriculum.gov.in

अगस्त से अक्टूबर 2017 के दौरान मिजोरम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए पाठ्य पुस्तकों और ई–सामग्री विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण आयोजित किया गया था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने अपनी पाठ्यपुस्तकों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। इसके अलावा, itpd.ncert.gov.in और pindics.ncert.gov.in को सेवा–कालीन अध्यापक व्यावसायिक विकास (आईटीपीडी) मॉड्यूल और विशेष रूप से आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के आलोक में शिक्षकों के प्रदर्शन के लिए एक स्व मूल्यांकन उपकरण, प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रदर्शन संकेतक (पिंडिक्स) के संबंध में सेवा–कालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रौद्योगिकी सक्षमता के भाग के रूप में विकसित किया गया है।

शिक्षा में जेन्डर संबंधी मामले

परिषद शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित कर रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसएस) में लड़कियों की भागीदारी और प्रदर्शन पर शोध अध्ययनः जेंडर अंतर विश्लेषण की दृष्टि से एक स्थानिक–अल्पकालिक अध्ययन प्रगति पर है। जेंडर की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर छत्तीसगढ़ के आश्रम विद्यालयों का शोध अध्ययन भी पूरा हो गया था।

व्यावसायिक शिक्षा

एनसीईआरटी की एक घटक इकाई, पीएसएससीआईवीई भोपाल, व्यावसायिक कार्यक्रमों को शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करके एमएचआरडी की सहायता करती है और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाती है।

पीएसएससीआईवीई, भोपाल, ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सीएसएस के तहत कक्षा IX से XII तक प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक विषयों के लिए अधिगम परिणाम आधारित मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की पाठ्यपुस्तकें और शिक्षकों की हैंडबुक तैयार की हैं। हितधारकों द्वारा पहचानी गई और परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), आरएमएसए, एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित 100 जॉब रोल्स के लिए पाठ्यक्रम और छात्रों की कार्यपुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं। जिन क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम और छात्र कार्यपुस्तिकाएँ तैयार की जा रही हैं, उनमें शामिल हैंः कृषि, पर्यटन और आतिथ्य, परिधान, मेडअप और फर्निशिंग, सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, लाजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हेल्थकेयर, खुदरा,

आईटी–आईटी समर्थित सेवाएं, मोटर वाहन, नलसाजी, निर्माण, मीडिया और मनोरंजन, बैंकिंग, वित्त और बीमा, दूरसंचार, बिजली और रत्न तथा आभूषण। इन क्षेत्रों में विभिन्न जॉब रोल्स के लिए पाठ्यक्रम और कोर्सवेयर विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गई थीं।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत, कक्षा IX से XII के लिए एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम हेतु छात्रों की कार्यपुस्तिका और शिक्षकों की हैंडबुक के विकास के लिए कार्य समूह की 40 बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इस वर्ष के दौरान, संस्थान ने सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें ऑटोमोबाइल, उद्यमिता विकास, आईटी एवं आईटीईएस, बीएफएसआई सेक्टर, फूलों की खेती, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिणी राज्यों के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा–शास्त्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा, संस्थान ने एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के संबंध में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्यों के लिए तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए नेतृत्व और टीम निर्माण हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना और अन्य महत्वपूर्ण तौर–तरीकों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए नवंबर 2017 में पीएसएससीआईवीई, भोपाल में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण डिप्लोमा (एनडीवीईटी) पर एक विशेषज्ञ परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी।

अध्यापक शिक्षा

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा एनईआरआईई, उमियम में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में नियमित सेवा–कालीन पाठ्यक्रमचलाए जा रहे हैं। केंद्रों पर चार–वर्षीय एकीकृत बी.एस.सी.बी.एड., दो वर्षीय एम.एससी.(लाइफ साइंस) एड, चार वर्षीय एकीकृत बीए. बीएड., दो वर्षीय एम.एड., शिक्षा में एक–वर्षीय एम.फिल, शिक्षा में प्री–पीएच.डी पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन और काउंसिलिंग में एक–वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे। सेवा–पूर्व पाठ्यक्रम के घटकों के रूप में छात्रों के लिए बहु–सांस्कृतिक प्लेसमेंट, शिक्षण में इंटर्न–शिप,समुदाय के साथ मिलकर काम करना और फील्ड वर्क जैसे कायर्कलाप आयोजित किए गए थे। आरआईई में पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए भी सुविधाएं हैं और आरआईई, भुवनेश्वर को शिक्षा के क्षेत्र में शोध हेतु तथा शिक्षा में पीएच.डी.–पूर्व पाठ्यक्रम हेतु नोडल केंद्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध अध्ययन अर्थात स्कूलों में शैक्षणिक नेतृत्वः गुणवत्ता अध्ययन, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अन्वेषण, कार्यकरण के रूप में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/केंद्रों में नेटवर्किंग अध्ययन, बिहार और मध्यप्रदेश का शैक्षिक कार्यक्रम और प्रशासनिक गठन, अध्यापकों के प्रोत्साहन एवं उनके कार्य–निष्पादन को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन, अंग्रेजी भाषा शिक्षण–कक्ष में छात्र–अध्यापक शिक्षण–कक्ष बातचीत का अध्ययन प्रक्रियाधीन है। एनसीईआरटी स्कूलों और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं हेतु शिक्षा में नवाचारी कार्यों और प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित शोध परियोजनाएं प्रगति पर हैं: 'दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों में दृष्टिहीन छात्रों की भाषा की समझ के संबंध में श्रवण संबंधी पठन (आईसीटी आधारित) के प्रभाव का अध्ययन', 'महाराष्ट्र राज्य में माध्यमिक स्कूल स्तर पर समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण का प्रभाव', 'विज्ञानप्रयोगशाला कार्यकलापों में दृष्टिहीन बच्चों (VI) के समावेशन हेतु दिशा–निर्देशों का विकास', और समावेशी शिक्षा स्कूल प्रबंधन समिति हेतु मैनुअल का मुद्रण।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकलाप

एनसीईआरटी ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा – नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं – अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में एक पुस्तिका

तैयार की है। यह पुस्तिका अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों/व्यक्तियों के लिए स्कूल तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध भारत सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं और छात्रवृत्तियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ''अल्पसंख्यक शिक्षा – भारत सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं'' शीर्षक पर बनी जागरूकता सामग्री को अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किया गया है।

कला उत्सव

कला उत्सव देश में शिक्षा के माध्यमिक स्तर (कक्षा IX–XII) पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को परिपोषित करके तथा शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल है। यह संगीत, नृत्य, नाटकशाला तथा दृश्य कला में कला रूपों (लोक, क्षेत्रीय एवं जनजातीय) की समकालीन परंपराओं का उत्सव मनाने का कार्यक्रम है। इस वर्ष यह कार्यक्रम जनवरी, 2018 में आरआईई, भोपाल में आयोजित किया जाएगा। माध्यमिक कक्षाओं के लगभग 1500 छात्रों और शिक्षकों की 38 टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

योग ओलिंपियाड

एनसीईआरटी द्वारा जून, 2017 में सभी सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए 'राष्ट्रीय योग ओलिंपियाड' आयोजित किया गया था। ब्लॉक, जिला, राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक के प्रतिभागियों ने पांच योग क्रियाओंः आसन, प्रणायाम, क्रिया, ध्यान तथा बंध और मुद्रा के संबंध में प्रतिस्पर्धा थी। ओलिंपियाड का शीर्षक था 'स्वास्थ्य एवं सामंजस्य हेतु योग' जिसमें 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 383 छात्रों ने अपने 88 शिक्षकों के साथ भाग लिया।

राष्ट्रीय भूमिका और लोकनृत्य प्रतियोगिता

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के सरकारी स्कूलों के कक्षा – IX के छात्रों के लिए एनपीईपी के अन्तर्गत राष्ट्रीय भूमिका प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में चार विषयों पर फोकस किया गया था – किशोरों के बीच अच्छे संबंध, किशोरावस्था के आकर्षण और चुनौतियां, एचआईवी/एड्स, ड्रग्स लेने के गतिरोध एवं कारण और परिणाम। राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता दिसम्बर, 2017 में एनआईई, नई दिल्ली में होने वाली है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना एनसीईआरटी द्वारा 1963 से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दो–टियर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए छात्रों की पहचान करना और उन्हें परिपोषित करना है। एनटीएसएस प्रतिभावान छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करती है और साथ ही उनके लिए पोषण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। वर्ष 2017 के दौरान मई 2017 में राष्ट्र स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 922 छात्रों को राष्ट्रीय खोज छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिनमें 777 बच्चे सामान्य, 114 अनुसूचित जाति और 44 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे।

प्रकाशन और प्रसार

प्रत्येक वर्ष एनसीईआरटी के विभिन्न प्रकाशनों की अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू की 4.63 करोड़ से अधिक प्रतियां प्रकाशित की जाती है, जिनमें शामिल हैंः पाठ्यपुस्तकें, अनुपूरक पठन सामग्री, शिक्षक हैंडबुक, स्रोत पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और छः शैक्षिक पत्रिकाएं प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती हैं। पाठ्येतर सामग्री के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष I से XII तक की अलग–अलग कक्षाओं के लिए 330 से अधिक पाठ्यपुस्तकें मुद्रित की जाती है। परिषद् ने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के वितरण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल www.ncertbooks.ncert.gov.in तैयार किया है, जिसमें स्कूल, छात्र, अभिभावक और कोई भी स्टेकहोल्डर पाठ्यपुस्तकों की अपनी आवश्यकता के संबंध में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एनसीईआरटी महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों जैसे कि विश्व पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला, राजधानी पुस्तक मेला आदि में भी भाग लेती है। एनसीईआरटी ने 'प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणाम' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया हैं।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित दो त्रैमासिक पत्रिकाएं – 'प्राथमिक शिक्षक' (हिन्दी में) और 'द प्राइमरी टीचर' (अंग्रेजी में) पूरे देश के स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर उनके अनुभव और नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करती हैं। एनसीईआरटी शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षुओं, शोधकर्ताओं तथा शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रसार हेतु 'भारतीय शिक्षा पत्रिका' तथा 'भारतीय आधुनिक शिक्षा', 'भारतीय शैक्षिक समीक्षा' और 'द स्कूल साइंस' भी प्रकाशित करती है। परिषद् द्वारा शुरूआती कक्षाओं अर्थात कक्षा I और II के बच्चों के लिए 'फिरकी बच्चों की' (अर्ध–वार्षिक पत्रिका) भी प्रकाशित की जाती है। परिषद् द्वारा दृष्टिहीन छात्रों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर हेतु स्पर्शक मानचित्र पुस्तक तैयार की गई है। एनसीईआरटी द्वारा स्पर्शक मानचित्र पुस्तक का हिन्दी और अंग्रेजी में डेजी फॉर्मेट में ऑडियो (श्रव्य) रूपांतर भी तैयार किया गया है। परिषद् ने अनुपूरक पुस्तक और श्रव्य–दृश्य सामग्री अर्थात् वेदपरीजात (वैदिक सहित्य की परिचयात्मक पुस्तक), वातायानम (संस्कृत कहानियों की ऑडियो), वातायानम (संस्कृत कहानियों की वीडियों) और छंदोविलास (संस्कृत छंदों की वीडियो) भी जारी किए।

एनसीईआरटी ने 8वीं अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, 'स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा' में कक्षा–IX (अंग्रेजी) और कक्षा–VI (अंग्रेजी और हिन्दी) की पाठ्यपुस्तकें और उच्च प्राथमिक (VI से VIII) और माध्यमिक स्तरों (IX एवं X) के लिए कक्षा VI सामग्री अर्थात् 'योगः जीने का स्वस्थ तरीका' (उच्च प्राथमिक स्तर) तथा 'योगः जीने का स्वस्थ तरीका' (माध्यमिक स्तर) प्रकाशित की।

******

12

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई)

1. राष्ट्रीय अध्यापक पोर्टल (दीक्षा)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोडल एजेन्सी के रूप में एनसीटीई के साथ राष्ट्रीय अध्यापक प्लेटफॉर्म (एनटीपी) के संबंध में दीक्षा नामक परियोजना शुरू की, जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समाधानों को समर्थ बनाएगी, गति प्रदान करेगी और उनमें बढ़ोत्तरी करेगी। यह प्लेटफॉर्म देश भर के शिक्षकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्री और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करेगा। यह एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा जिसमें शिक्षक उनके शैक्षिक जीवन चक्र के सभी स्तरों से विभिन्न प्रकार की सामग्री तक पहुंच पायेंगे जिससे उन्हें उनकी दैनिक कक्षाओं की तैयारी से मदद मिलेगी और साथ ही उनके सतत व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। एनटीपी का सभी राज्यों द्वारा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के आधार पर प्लेटफॉर्म के कुछ भागों को अनुकूलित करने का सामर्थ्य होगा जैसे कि यूजर इंटफेस, व्यवसाय नियम आदि।

2. अध्यापक शिक्षा में सुधार करने की प्रक्रिया

क. एनसीटीई की प्रशासनिक और वित्तीय पुनः संरचना

i. टीईआई की मान्यता प्रक्रिया को आईटी के उपयोग द्वारा तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक सहायता को एनसीटीई के द्वारका, नई दिल्ली में स्थित नये उद्देश्य से बनाये गये, अति आधुनिक मुख्यालय में शिफ्ट करने के माध्यम से विकेन्द्रीकृत किया जा रहा है।

ii. एनसीटीई की सभी प्रक्रियाऐं अन्त में प्रत्येक कार्य को ऑनलाइन, पारदर्शी और फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) बनाकर पक्षपात और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगें। एक अप्रैल 2017 से एनसीटीई के मुख्यालय के सभी कार्यकलापों को ई–ऑफिस पर शिफ्ट कर दिया गया है। 4 मई 2017 से सभी क्षेत्रीय कार्यालय भी ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

ख. टीईआई में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अध्यापक प्रशिक्षुओं और एनसीटीई के स्टाफ के क्षमता निर्माण हेतु अभिचिह्नित निधि सृजित की जा रही है।

ii. 20 सप्ताह अनिवार्य इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु पाठ्यचर्या के साथ–साथ 15 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या तैयार की जा रही है।

iii. विशेषज्ञता के साथ (4 वर्षीय) एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम तैयार करना – शिक्षा का फोकस अध्यापक शिक्षा के प्राथमिक–पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अंतर्निहित विशेषज्ञता सहित केवल एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम वाले वातावरण की परिकल्पना की ओर शिफ्ट किया जा रहा है।

ग. जिन टीईआई में मूलभूत भौतिक और शैक्षिक अवसंरचना नहीं है, उनकी छटाई करना

सभी टीईआई को व्यापक डाटाबेस के आकार में ऑन बोर्ड लाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। सभी टीईआई के लिए एक अनिवार्य शपथ–पत्र निर्धारित किया गया है। बड़ी संख्या में टीईआई ने अनिवार्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किए हैं और चूक करने वालों पर अब गौर किया जा रहा है। अंततः इस अद्यतन डाटाबेस का अंकित मानदण्डों से कम टीईआई की छटाई करने में प्रयोग किया जाएगा।

घ. भूमि क्षेत्र की आवश्यकता में संशोधन

एनसीटीई के साथ व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए भूमि क्षेत्र की आवश्यकता और भूमि स्वामित्व मानदंडों को, गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का विस्तार करने और नई संस्थाओं को दुर्लभ भूमि वाले क्षेत्रों में उभर कर आने हेतु समर्थ बनाने के लिए सरल बनाया गया है।

******

13

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन

वर्ष 1956 में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है। एनबीबी से संबद्ध 134 बाल भवनों और बाल केंद्रों सहित एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के मांडी गांव में 48 बाल भवन केंद्र एवं एक ग्रामीण जवाहर बाल भवन है। राष्ट्रीय बाल भवन का लक्ष्य बच्चों को उनकी आयु, कौशल और योग्यता के अनुसार बातचीत, प्रयोग, सृजन तथा प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप, अवसर आदि समान मंच उपलब्ध कराके उनकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करना है।

प्रत्येक वर्ष, बच्चे एन.बी.बी., जवाहर बाल भवन (जे.बी.बी.), मांडी और दिल्ली के 50 बाल भवन केंद्रों की वार्षिक सदस्यता लेते हैं। इस वर्ष विभिन्न कार्यकलापों के लिए 4749 बच्चे नामांकित हुए। इनमें 2870 लड़के, 1879 लड़कियां, 930 अनुसूचित जाति के बच्चे, 8 अनुसूचित जनजाति के बच्चे, 439 अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे और 6 अन्यथा सशक्त बच्चे शामिल हैं। वर्ष 2017–18 के लिए 14 स्कूलों ने वार्षिक सदस्यता ली।

कार्यकलापः राष्ट्रीय बाल भवन और इससे संबद्ध सभी संस्थानों ने स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में हजारों बच्चों ने भाग लिया। कैलेंडर वर्ष के दौरान विशेष रूप से डिजाइन की गई अनेक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया।

प्रमुख कार्यक्रमः

- **ग्रीष्मोत्सवः** राष्ट्रीय बाल भवन ने 23 मई से 22 जून तक ग्रीष्मोत्सव – 2017 का आयोजन किया। विभिन्न कार्यकलापों की सदस्यता के लिए 5958 बच्चे एन.जी.ओ. नामांकित हुए। प्रत्येक शनिवार ओपन एयर हॉल में विशेष सभा आयोजित की गई। विभिन्न कार्य कलापों में 2500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छोटे बच्चों के लिए विशेषीकृत कार्यकलापों का आयोजन ग्रीष्मोत्सव–2017 की अन्य प्रमुख विशेषता थी। ग्रीष्मोत्सव के दौरान 2000 से अधिक बच्चों को प्रतिदिन रिफ्रेशमेंट पैकेट दिए गए, सेंट जॉन एंबुलेन्स ब्रिगेड की सहायता से फर्स्ट ऐड पोस्ट स्थापित की गई थी।

- **बाल श्री** – बाल श्री योजना कला, प्रदर्शन, लेखन और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में देश के असाधारण रूप से रचनात्मक और नवाचारी बच्चों की पहचान करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2016 में 29 और 30 जुलाई, 2017 को बाल श्री भागीदारों के

लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय कैम्प का आयोजन किया गया था, जिसमें 88 निःशक्त बच्चों सहित सामान्य श्रेणी के 1936 बच्चों ने भाग लिया।

- **राष्ट्रीय बाल सभा** – 14, 15 और 16 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रीय बाल सभा तथा एकीकरण कैम्प, 2017 आयोजित किए गए थे। कैम्प का विषय था 'भारत के स्वदेशी कला रूप'। इस तीन दिवसीय उत्सव के लिए विषय के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए गए थे। इस 3 दिवसीय कैम्प में विभिन्न राज्यों के 70 बाल भवनों से लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न नवाचारी कार्यशालाओं और कार्यकलापों का आयोजन किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिए गए थे। दिल्ली के अलग–अलग बाल केंद्रों से 1200 बच्चों ने तथा जेबीबी मांडी (दिल्ली) से 200 बच्चों ने भी 14 नवम्बर, 2017 को भाग लिया। खेल–कूद, कहानी सुनाने, निबंध लेखन, क्ले, पॉटरी, एकीकृत कला, मधुबनी, सांझी कला, सुलेख, बांस कला, खादी–चरखा, प्रकाशन, टाई एवं डाई, पेपर मैशी, जादू के खेल और कठपुतली के खेल का आयोजन किया गया था। एनबीटी के सहयोग से एक बुक स्टॉल भी लगाया गया। देश भर के बच्चों के कार्यों की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई।

31 मई, 2017 को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सहायता से **वर्ल्ड नो टोबैको डे** मनाया गया, जिसमें 300 बच्चों ने भाग लिया।

लर्निंग लिंक फाउंडेशन के साथ 3 जून और साथ ही 20 जून को **साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम तथा साइबर सिक्योरिटी कार्निवल** आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 700 बच्चों ने भाग लिया।

"व्यक्तियों को प्रकृति से जोड़ना" विषय पर 6 जून, 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2200 बच्चों ने भाग लिया। 9 जून, 2017 को माई न्यूजपेपर विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी।

दिनांक 9 जून से 16 जून, 2017 तक **पेंटिंग प्रतियोगिता** आयोजित की गई थी, जिसमें 30 बच्चों ने भाग लिया। उनके डिजाईन को कप और टी–शर्ट पर प्रिंटिंग के लिए चुना जाता है। पोस्टल विभाग के सहयोग से 13 जून से 17 जून, 2017 तक 'अपनी स्वयं की स्टैम्प बनाओ' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें 60 बच्चों ने भाग लिया था।

दिनांक 28 जुलाई, 2017 को **अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का दौरा** आयोजित किया गया, जिसमें 17 बच्चों ने भाग लिया।

दिनांक 10 अगस्त, 2017 को **इंटरस्कूल बैंड प्रतियोगिता** आयोजित की गई जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र के 29 स्कूलों के बैंड शामिल हुए। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशानुसार आयोजित किया गया था और 14 जनवरी, 2017 को राष्ट्र स्तरीय बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 7 जोन से 368 बच्चों ने भाग लिया।

दिनांक 12 अगस्त, 2017 को **लाइब्रेरियन दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती** का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 सदस्य बच्चों और एनबीबी के कर्मचारियों ने भाग लिया था।

दिनांक 2 जनवरी 2018 को **नवीनीकृत संस्कृति शिल्प ग्राम** का उद्घाटन किया गया, जिसमें 300 बच्चों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

जवाहर बाल भवन, मांडी

साठ के दशक के मध्य में जवाहर बाल भवन की स्थापना हेतु योजना शुरू की गई थी। जवाहर बाल भवन, मांडी इस योजना का एक्सटेंशन था। जवाहर बाल भवन में शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, टेलरिंग, वुड क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, नृत्य और संगीत शामिल है। जनवरी, 2017 तक जेबीबी, मांडी में सदस्यता संख्या 877 है।

21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 22 जून, 2017 को जवाहर बाल भवन मंडी में ग्रीष्मकालीन वेधशाला समारोह का अयोजन किया गया था। जवाहर बाल भवन मांडी के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन था, क्योंकि इस दिन निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन की उपस्थिति में राष्ट्रीय बाल भवन के ग्रीष्मकालीन वेधशाला समारोह में सचिव, शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों का समाचार–पत्र "गुप चुप मांडी टाईम्स" प्रकाशित किया गया था।

21 और 22 जुलाई, 2017 को जवाहर बाल भवन मांडी में पहली बार लेखन कार्यशाला आयोजित की गई थी।

3 अगस्त, 2017 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया के सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शेन्टन कॉलेज के बच्चों ने जवाहर बाल भवन मांडी का दौरा किया। उनके स्वागत के रूप में बच्चों द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में दोनों देशों का झंडा फहराया गया। इस प्रकार बच्चों ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य किया। कला और शिल्प अनुभाग के बच्चों ने अपनी स्वयं की राखी बनाई और अन्य सदस्य बच्चों की कलाई पर भाईचारे और मित्रता का धागा बांधा।

जवाहर बाल भवन मांडी के बच्चों और स्टाफ द्वारा ध्वजारोहण, नए भारत के निर्माण हेतु संकल्प लेने, वृक्षारोपण, "मेरा भारतीय नायक" विषय पर भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल–कूद के साथ भारतीय स्वतंत्रता का 70वां वर्ष मनाया।

14 सितंबर 2017 को हिन्दी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया था। प्रकाशन विभाग के सहयोग से बाल भारती पत्रिका में 25 बच्चों के लेख छापे गए थे। 27 सितंबर को बाल श्री पुरस्कार विजेता, श्री सुमित पाटिल ने दिव्यांगजनों सहित मांडी के बच्चों के साथ कला और शिल्प कार्यशाला का आयोजन किया।

सभी उत्सव और दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 शिक्षकों के साथ 10 सदस्य बच्चों ने नवंबर, 2017 के महीने में एक सप्ताह के लिए गोवा में अंतरराज्यीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में गोवा का दौरा किया। एनसीए–2017 के दौरान, जेबीबी मांडी ने बच्चों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों तथा कला और शिल्प सामग्री का विशेष स्टॉल लगाया।

5 दिसंबर 2017 को लायंस इंटरनेशनल क्लब के साथ एक दृष्टि जांच शिविर का आयोजन किया गया था। 1 से 9 दिसंबर 2017 तक ऐतिहासिक कालों पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर को बाल रचनात्मकता मेले का आयोजन किया गया जिसमें 200 बच्चों ने भाग लिया।

दिल्ली एनसीआर में बाल भवन केंद्र (बीबीके)

उन बच्चों की बढ़ती जरूरतों और मांगों के कारण, जिन्हें किसी कारणवश बाल भवन तक पहुंचना मुश्किल लगता है, बाल भवन केंद्रों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करना अनिवार्य बना दिया गया था। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के साथ–साथ उन स्कूली बच्चों की मदद करना है जो किसी कारणवश बाल भवन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। बाल केंद्र दिल्ली के दूर–दराज के क्षेत्रों में बच्चों को उनके आस–पास ही रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। बीबीके में आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टिचरी और म्यूजिक जैसे कार्यकलाप हैं। बीबीके में नवंबर, 2017 तक सदस्यता 8063 है। बीबीके के 1200 से अधिक बच्चों ने एनसीए 2017 में भाग लिया। 48 केंद्रों पर पूरे वर्ष नियमित कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है।

******

14

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

क. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

सीटीएसए की योजना को 1961 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था और बाद में इसका कार्यान्वयन 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सीटीएसए को स्वायत्त निकाय के रूप में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और जुलाई, 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) के तहत निम्न अधिदेश के साथ सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था:–

I. भारत में तिब्बती स्कूलों या संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन तथा प्रबंधन को जारी रखना, इसके पश्चात् इन्हें तिब्बती शरणार्थी बच्चों और/अथवा वयस्कों के शिक्षण और/अथवा प्रशिक्षण के लिए अन्य संगठनों द्वारा स्थापित स्कूल अथवा संस्थान कहा जाता है;

II. देश के दूरदराज तथा अविकसित स्थानों पर रहने वाले बच्चों सहित तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों हेतु बाद में "केंद्रीय तिब्बती स्कूल" कहे जाने वाले स्कूल उपलब्ध कराना, स्थापित करना, प्रदान करना, उनका रख–रखाव करना, नियंत्रित तथा प्रबंधित करना और ऐसे स्कूलों के उन्नयन हेतु आवश्यक तथा इनके अनुकूल सभी कृत्य और कार्य करना;

III. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाना और गति निर्धारित करना;

IV. सीटीएसए स्कूलों में शिक्षा अनुशासन, बोर्डिंग और लॉजिंग, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा छात्रों और कर्मचारियों की सामान्य प्रगति को नियंत्रित तथा संचालित करना और छात्रों को ऐसी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने वाले किसी भी संघ, समाज या निकाय से स्कूलों की संबद्धता प्राप्त करना;

V. केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित फॉर्म में तुलन पत्र सहित समुचित लेखाओं तथा अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करना;

VI. केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित सोसायटी के लेखाओं के साथ उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित करना;

VII. उपरोक्त लक्ष्यों में से किसी को भी प्राप्त करने के लिए इस तरह के यथा आवश्यक, आकस्मिक या अनुकूल सभी वैध कार्य, कृत्य या कार्यकलाप करना।

ख. सीटीएसए का बुनियादी ढांचा

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन एक छोटा संगठन है और इसकी स्कूल इकाइयाँ पूरे देश में फैली हुई हैं। वर्तमान में देशभर में स्थित 14 केंद्रीय तिब्बती स्कूलों में 4304 छात्र कक्षा I से XII तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन का टियर II स्तरीय प्रबंधन है अर्थात् इसका मुख्यालय और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय। सीटीएसए में शिक्षण श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 265 और शिक्षेतर श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 159 है।

ग. वित्तीय प्रबंधन

सीटीएसए के वित्तीय कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और निगरानी निम्न वित्तीय मानकों को ध्यान में रखकर की जाती है: –

I. भारत सरकार ने सीटीएसए की लेखा परीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है, जिसकी ओर से लेखा परीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) के कार्यालय द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। सीटीएसए के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के साथ वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जाती है।

II. सीटीएसए स्कूल यूनिटों के वित्तीय कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और निगरानी सीटीएसए मुख्यालय द्वारा की जाती है और वार्षिक रूप से उनके लेखाओं का ऑडिट किया जाता है। आंतरिक और साथ ही सीएंडएजी द्वारा ऑडिट के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सीएसटी स्कूलों की जिम्मेदारी है।

III. सीटीएसए और इसकी सभी 14 स्कूल इकाइयां समय–समय पर यथा संशोधित वित्तीय नियमों के प्रावधानों, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अन्य वित्तीय निर्देशों का पालन करती हैं ताकि वित्तीय औचित्य को बनाए रखा जा सके तथा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। अन्य शब्दों में, सीटीएसए द्वारा, स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान सहायता के संबंध में जीएफआर में यथा निर्धारित पैरामीटरों तथा संपरीक्षित लेखाओं/कार्य–निष्पादन रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने संबंधी मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

IV. सीटीएसए और उसकी 14 स्कूल इकाइयाँ धन के प्रेषण का एक समान तरीका अपनाती हैं। वर्तमान में, अधिकांश प्रेषण ई–स्थानांतरण अर्थात् एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के माध्यम से किए जा रहे हैं, ताकि पारगमन का समय कम हो सके और धन की पार्किंग से बचा जा सके। सीटीएसए मुख्यालय पहले से ही पीएफएमएस में पंजीकृत है और इसकी 14 स्कूल इकाइयों के मानचित्रण/पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के निर्देश अनुसार 'फंड आधारित लेखांकन' पर जाने के लिए सीटीएसए ने वर्ष 2013–14 से अपने वार्षिक नए प्रारूप में खाते रखना तैयार करना शुरू कर दिया। इसका वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार और साथ ही, लेखांकन के लागू मानकों के प्रावधानों के अनुपालन में 'लेखांकन के प्राप्ति आधार' पर तैयार किए जाते हैं।

घ. पिछले 02 वर्षों में प्रमुख परिणाम

(i) सीटीएसए ने देशभर के 4304 तिब्बती/भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है।

(ii) छात्रों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क करने के लिए मूल्यपरक शिक्षा प्रदान की जाती है, योग और एरोबिक्स नियमित कार्यकलाप हैं।

(iii) एनसीईआरटी और अन्य संगठनों में शिक्षकों के लिए मूल्य आधारित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(iv) अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूलों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की परीक्षा में सीटीएसए स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। पिछले 02 वर्षों के दौरान सीटीएसए स्कूल यूनिट के परिणाम निम्नानुसार हैं:

वर्ष	X		XII	
	उपस्थित छात्र	उत्तीर्ण%	उपस्थित छात्र	उत्तीर्ण%
2016	541	99.45	521	80.04
2017	495	99.60	481	80.67

ङ. सीटीएसए के वर्तमान फोकस क्षेत्र, विकास और उद्देश्य

(i) स्कूलों की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना।

(ii) सीएसटी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे को नवीनीकृत करना और उपलब्ध करना।

(iii) अकादमिक उत्कृष्टता और पाठयक्रम से हटकर कराए जाने वाले कार्यकलापों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जारी रखना।

(iv) संस्कृति के मजबूत घटक, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के मूल्यों का विकास, साहसिक कार्यकलापों और शारीरिक शिक्षा सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना ।

(v) आवासीय विद्यालयों में सीएसटी के छात्रों के निवास के लिए छात्रावासों की स्थापना, विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना।

(vi) ऐसे सभी कार्य करना जिन्हें समाज के सभी या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, संबद्ध या अनुकूल माना जा सकता है।

******

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

सीबीएसई स्कूल शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड है, जो देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे सुलभ और कम खर्चीली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीबीएसई स्कूलों को देश में शिक्षा की गुणवत्ता, संकाय के शैक्षणिक सशक्तिकरण और सीबीएसई को सौंपी गई सभी परीक्षाओं का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध करता है। चूंकि संबद्धता का जनता के साथ सीधा संबंध है, इसलिए प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड को उत्तरदायी और कुशल होना चाहिए। बोर्ड ने समय अंतराल को कम करने और संबद्धता मामलों को तेजी से तय करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाया है। हर साल लगभग 2500 आवेदन प्राप्त होते हैं और औसतन 1000 स्कूलों को संबद्धता दी जाती है।

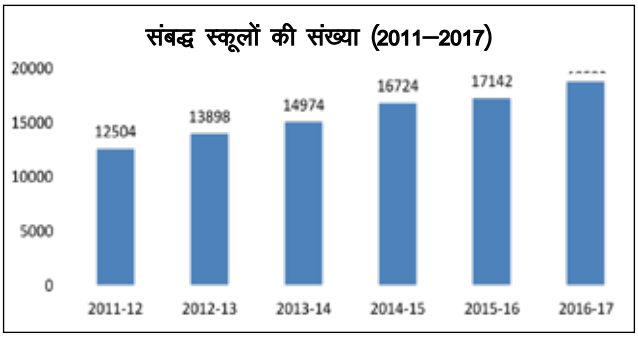

दुनिया भर में 31 अक्टूबर 2017 तक बोर्ड से संबद्ध 19,592 स्कूल हैं, इनमें से 1119 केंद्रीय विद्यालय, 2756 सरकारी स्कूल, 15,113 स्वतंत्र विद्यालय, 590 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केंद्रीय तिब्बती स्कूल हैं।

सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षाएं

- सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (बारहवीं कक्षा) और कम्पार्टमेंट
- सेकंड्री स्कूल परीक्षा (दसवीं कक्षा) और प्रदर्शन में सुधार (आईओपी)
- भारत में अनुमोदित मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)
- जेईई (एडवांस्ड) के लिए अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमें और गेटवे के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन)
- सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट)
- केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)
- कक्षा VI और IX के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी)
- प्रधानाध्यापक, सहायक आयुक्त, पीजीटी और टीजीटी के लिए नवोदय विद्यालय समिति भर्ती परीक्षा
- प्रधानाध्यापक, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा

वर्ष 2018 के लिए वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी

बोर्ड अपने संबद्ध स्कूलों के लिए दसवीं और बारहवीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान लगभग 26 लाख छात्र उपस्थित होते हैं। बोर्ड जुलाई–अगस्त के महीनों के दौरान कम्पार्टमेंट परीक्षा भी आयोजित करता है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सीबीएसई में सभी प्री और पोस्ट परीक्षा प्रक्रियाएं ऑनलाइन कराई जाती हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)

एनआईटी, आईआईआईटी, केंद्र द्वारा वित्तपोषित अन्य संस्थाओं, भाग लेने वाले राज्य सरकार के संस्थानों में अवर–स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई एपेक्स बोर्ड (जेएबी) द्वारा जेईई परीक्षा आयोजित की जाती है और साथ ही आईआईटीआईएसएम धनबाद द्वारा प्रदान किए जा रहे अवर–स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई (एड्वांस्ड) परीक्षा आयोजित की जाती है।

जेईई (मुख्य) – 2017

जेएबी द्वारा 08 दिसंबर, 2016 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा–सत्र 2017–18 में इंजीनियरिंग में अवर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए जेईई (मुख्य) परीक्षा आयोजित की है।

प्रवेश परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से जेएबी द्वारा निर्धारित एक सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित थी। परीक्षा तीन माध्यम अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती में आयोजित की गई थी।

ऑफलाइन परीक्षा भारत और विदेश के 113 शहरों में 02 अप्रैल 2017 को (पेन–पेपर आधारित मोड में) आयोजित की गई थी और ऑनलाइन परीक्षा 08 और 09 अप्रैल 2017 को (कंप्यूटर आधारित मोड में) आयोजित की गई थी।

जेईई (मुख्य) 2017 परीक्षा के आंकड़े

पेपर– I				
विवरण	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	ट्रांसजेंडर	कुल
पेपर – 1 के लिए पंजीकृत कुल अभ्यर्थी	856897	329554	3	1186454
ऑफलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी	719799	282980	2	1002781
ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी	137098	46574	1	183673
ऑफलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थी	692559	264156	1	956716
ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थी	125249	40385	1	165635
जेईई (एडवांस) में उपस्थित होने के लिए योग्य अभ्यर्थी	175267	46160	–	221427
जेईई (मुख्य) –2017 के जेईई पेपर I (जेईई एडवांस्ड) के रैंक/परिणाम की घोषणा की तारीख			27 अप्रैल, 2017	

पेपर – II				
विवरण	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	ट्रांसजेंडर	कुल
पेपर–2 के लिए पंजीकृत कुल अभ्यर्थी	82060	62025	1	144086
ऑफलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थी	69344	51230	0	120574
जेईई (मुख्य)–2017 के पेपर II के रैंक / परिणाम की घोषणा की तिथि			26 मई, 2017	

जेईई (मुख्य) 2018 की ऑफलाइन परीक्षा 08 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली है और ऑनलाइन परीक्षा 15 और 16 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाएगी।

यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) नवंबर – 2017

क्र. सं.	यूजीसी नेट का विवरण	
1.	**परीक्षा की तिथि**	**05 नवम्बर 2017**
2.	पंजीकृत अभ्यर्थी (लगभग)	9.29 लाख
3.	पुरुष अभ्यर्थी	4,09,439
4.	महिला अभ्यर्थी	5,19,557
5.	ट्रांसजेंडर	3
6.	परीक्षा केंद्र	1700
7.	शहरों की संख्या	91
8.	विषयों की संख्या	84

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) (यूजी) –2017

वर्ष 2016 में यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 तथा दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अनुसार देश के 103 शहरों में सीबीएसई द्वारा दिनांक 07 मई, 2017 (रविवार) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी), 2017 {एनईईटी (यूजी)– 2017} आयोजित की गई थी। यह परीक्षा संसद के अधिनियम के जरिए स्थापित एम्स तथा जेआईपीएमईआर (पुद्दुचेरी) जैसी संस्थाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के अनुमोदन से चलाए जा रहे भारत के चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

एमबीबीएस/बीडीएस की 100% सीटों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी), 2017 के माध्यम से निम्नलिखित में प्रवेश दिया गया: –

(i) अखिल भारतीय कोटा सीटें

(ii) राज्य सरकार कोटा सीटें

(iii) सभी निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों या किसी भी निजी/सम विश्वविद्यालय में राज्य/प्रबंधन/एनआरआई कोटा सीटें

(iv) केंद्रीय पूल कोटा सीटें

पहली बार, ओसीआई, पीआईओ और विदेशियों को एनईईटी (यूजी) में बैठने की अनुमति दी गई।

अभ्यर्थी	संख्या
पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	11,38,890
भारतीय नागरिक	11,36,205
एनआरआई	1522
ओसीआई	480
पीआईओ	69
विदेशी	613
पुरुष	4,97,042
महिला	6,41,833
ट्रांसजेंडर	8
सामान्य	4,35,802
अनुसूचित जाति	1,51,374
अनुसूचित जनजाति	67,264
अन्य पिछड़ा वर्ग	4,84,443

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी)–2017 देश की एकमात्र प्रवेश परीक्षा है जो हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 08 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाती है।

हिन्दी	अंग्रेजी	गुजराती	मराठी	उड़िया
बंगाली	असमिया	तेलुगू	तमिल	कन्नड़

एनईईटी (यूजी) – 2017 का परिणाम विवरण (23 जून, 2017 को घोषित परिणाम)

वर्ग	पंजीकृत अभ्यर्थी	उपस्थित	अनुपस्थित	योग्य
पुरुष	497043	473305	23738	266221
महिला	641839	616772	25067	345313
ट्रांसजेंडर	8	8	–	5
कुल	1138890	1090085	48805	611539

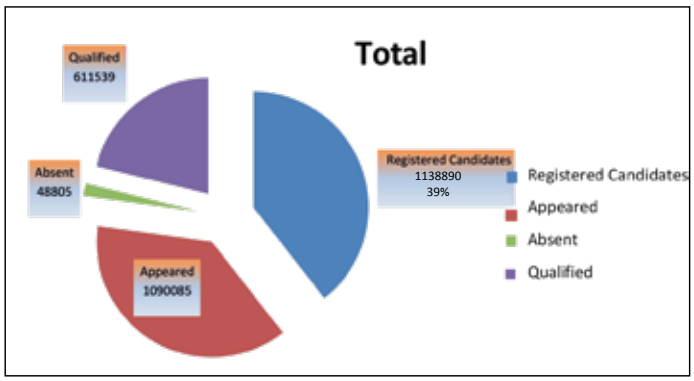

अभ्यर्थियों का राष्ट्रीयता–वार विवरण:

राष्ट्रीयता	पंजीकृत अभ्यर्थी	उपस्थित	अनुपस्थित	योग्य
भारतीय	1136206	1087840	48366	609820
विदेशी	613	391	222	245
एनआरआई	1522	1370	152	1106
ओसीआई	480	426	54	321
पीआईओ	69	58	11	47

एनईईटी–यूजी, 2017 के न्यूनतम योग्यता मानदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों का विवरण:

वर्ग	योग्यता मानदंड	अंकों की श्रेणी	अभ्यर्थियों की संख्या
अन्य	50वाँ प्रतिशतक	697–131	543473
ओबीसी	40वाँ प्रतिशतक	130–107	47382
एससी	40वाँ प्रतिशतक	130–107	14599
एसटी	40वाँ प्रतिशतक	130–107	6018
यूआर एवं पीएच	45वाँ प्रतिशतक	130–118	67
ओबीसी एवं पीएच	40वाँ प्रतिशतक	130–107	152
एससी एवं पीएच	40वाँ प्रतिशतक	130–107	38
एसटी एवं पीएच	40वाँ प्रतिशतक	130–107	10
		कुल	**611739**

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)

भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड 2011 से सीटीईटी परीक्षा का आयोजन कर रहा है।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कक्षा I–VIII के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है और लगभग 15 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराते हैं।

अन्य परीक्षाएं

जेएनवीएसटी (जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा)

वर्तमान में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 590 जेएनवी फैले हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में एक वर्ष में 3 चरणों में कक्षा VI में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) के माध्यम से जेएनवी में प्रवेश किए जाते हैंरू जनवरी के दौरान ग्रीष्मकालीन सत्र, अप्रैल के दौरान शीतकालीन सत्र और जून के दौरान चरम शीतकालीन सत्र।

अकादमिक

वर्ष 2017–18 से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की बहाली

सितंबर 2009 में CBSE द्वारा शुरू की गई CCE स्कीम में समेटिव असेसमेंट टर्म एंड लेवल पर विकल्प का दोहराव था। दसवीं कक्षा के छात्रों के पास स्कीम 1 (एसए–II स्कूल आधारित परीक्षा) या स्कीम 2 (एसए–II बोर्ड आधारित परीक्षा) का विकल्प था।

हितधारकों (प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों) की प्रतिक्रिया के आधार पर दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को बहाल कर दिया गया है और शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से दसवीं कक्षा के लिए मूल्यांकन संरचना को

फिर से तैयार किया गया है। स्कूलों को जनवरी 2017 में विधिवत सूचित किया गया है ।

शिक्षकों का क्षमता निर्माण –उत्कृष्टता केंद्र

अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों को विभिन्न क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर गुणवत्ता वाले व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने गुरुग्राम, काकीनाडा, कोच्चि, कोलकाता, पंचकुला, पुणे और राय बरेली में सात उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं।

वर्ष 2017–18 में सीओई द्वारा पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में 641 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 32834 शिक्षकों ने भाग लिया है।

छात्र की संवेदनशीलता और प्रतिभा संवर्धन

विज्ञान प्रदर्शनी

विज्ञान प्रदर्शनी नवाचार की भावना उत्पन्न करने और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष 2017 – 18 के लिए सीबीएसई विज्ञान प्रदर्शनी 'सतत विकास के लिए नवाचार' विषय पर आयोजित की जानी है।

सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जागरूकता का उत्पन्न करने के लिए, सीबीएसई प्रतिवर्ष हेरिटेज इंडिया क्विज का आयोजन करता है। यह एक अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता है जो शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों में आयोजित की जाती है। वर्तमान वर्ष में 1551 स्कूलों (5853 छात्रों) ने क्विज के लिए दाखिला लिया है। क्विज के सेमीफाइनल और फाइनल इवेंट को राष्ट्रीय कवरेज वाले टीवी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।

समावेशी शिक्षा

स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करने और विशेष शिक्षकों को नियुक्त करने के उद्देश्य से बोर्ड में एक समावेशी सेल स्थापित किया गया है।

बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए बोर्ड की नीति तैयार करने हेतु एक समिति का भी गठन किया है और स्कूलों को भी उनके सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। समिति निम्नलिखित के संबंध में नीति बनाएगी :–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशन (समावेशन बनाम एकीकरण) का स्तर
- सीडब्ल्यूएसएन की परीक्षा
- 'धीमी गति से सीखने वालों' के लिए दिशानिर्देश

शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को सत्र 2017–18 के लिए संशोधित किया गया था

- पूरे भारत के 230 स्थानों पर योग सहित 24 विषयों में देश भर में शारीरिक शिक्षा और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्वतंत्र श्रेणी के स्कूलों के लगभग 3,10,000 छात्रों ने भाग लिया। पहली बार प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ग में भी आयोजित की गई थी।

स्कूलों में कौशल विकास

बोर्ड ने अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा के उभरते क्षेत्रों पर शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न व्यावसायिक विषयों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की थीं।

ये कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर वित्तीय बाजार प्रबंधन, यात्रा और पर्यटन और विपणन बिक्री कौशल में आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 245 शिक्षकों ने भाग लिया।

कक्षा XI और XII के लिए आशुलिपि और कंप्यूटर अनुप्रयोग में पाठ्यक्रम और कक्षा XI और XII के लिए कार्यालय सेक्रेटरी–शिप को संशोधित किया गया था। विभिन्न पाठ्यक्रमों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की गईं। शैक्षणिक सत्र 2017–18 में लगभग 600 नए स्कूलों को माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

आईटी पहल

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

सीबीएसई, प्रधानमंत्री के अग्रणी कार्यक्रम 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 'में शामिल हो गया है, और नोडल एजेंसियों के साथ आवश्यक स्वरूपों में डेटा साझा किया है और डिजिटल लॉकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और डीजीईटी पोर्टल की शुरूआत की है। आईसीटी में बोर्ड द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :–

(क) **उमंग** – सीबीएसई ने भारत सरकार के नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन शुरू की है। इस ऐप में चार राज्यों में 33 राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से 162 सेवाएं हैं, उसका उपयोग सीबीएसई परीक्षा केंद्रों, स्कूलों और परिणाम देखने के लिए भी किया जा सकता है।

(ख) **ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रबंधन प्रणाली (ओईसीएमएस)** – यह ऑनलाइन प्रणाली आंतरिक रूप से तैयार की गई है और परीक्षा केंद्रों (4000 से अधिक) से अनुपस्थित, अनुचित व्यवहार, मधुमेह और प्रश्न पत्र के बारे में प्रतिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लागू की गई है।

(ग) **परीक्षा केंद्र लोकेटर (ईसीएल): स्कूलों की जियो–टैगिंग**– सभी संबद्ध स्कूलों को स्कूलों की जियो टैग की गई तस्वीरों से प्राप्त अक्षांश और देशांतर जानकारी का उपयोग करके मैप किया गया था।

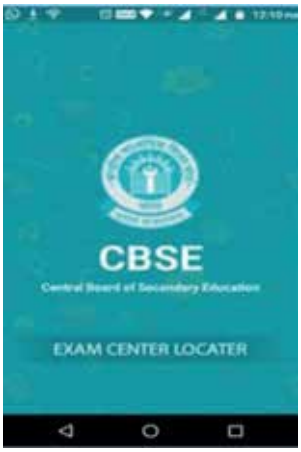

परीक्षार्थी स्कूल कोड, केंद्र कोड या रोल नंबर का उपयोग करके परीक्षा केंद्र का पता लगाने में सक्षम थे। राज्य, शहर, नाम और स्कूल कोड या संबद्धता संख्या जैसे विभिन्न फिल्टर विकल्पों का उपयोग करके भी स्कूल का पता लगाया जा सकता है।

(घ) **ऑनलाइन परीक्षा के बाद डाटा संग्रहण प्रणाली–** समय पर और सटीक परिणाम प्रसंस्करण में प्राप्त करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षा और सैद्धांतिक अंक डाटा ऑनलाइन एकत्र करने के लिए आंतरिक रूप से तीन प्रणालियां तैयार की गई है।

(ड.) **परिणाम मंजुषा –** सीबीएसई डिजिटल अकादमिक रिपोजिटरी छात्रों के भंडारण, उपयोग और अद्यतन अकादमिक रिकॉर्ड में मदद करती है। नियोक्ता और शैक्षणिक संस्थान छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। सीबीएसई नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के साथ भी डाटा साझा कर रहा है।

इस रिपॉजिटरी से डिजिटल शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी डिजी लॉकर के माध्यम से छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

(च) **डिजिटल लॉकर –** छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्क शीट, उत्तीर्ण प्रमाणपत्र और माइग्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र 2014 से 2017 के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं जबकि लीगेसी डाटा का निर्माण किया जा रहा है।

(छ) **ई–सनद–** सीबीएसई देश का पहला शिक्षा बोर्ड बन गया है, जो आज विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ई–पहल करेगा, जो उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए इच्छुक भारतीय छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।

गुण गौरव सम्मान समारोह 2017

गुण गौरव सम्मान समारोह का दूसरा संस्करण 13 जून 2017 को राजधानी में आयोजित किया गया था जहां मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के बारहवीं कक्षा के छात्रों को सम्मानित किया था।

सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय (ग्रामीण आवासीय विद्यालय) से जुड़े सरकारी स्कूलों के विविध, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपवंचित 86 मेधावी छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कठिनाइयों और सफलता की अपनी विशिष्ट कहानियों को साझा किया।

शिक्षकों को सीबीएसई पुरस्कार

वर्ष 2016 के लिए, देश और विदेश के तैंतीस (33) शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में उनके नवाचारों के लिए सीबीएसई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मेरिट छात्रवृत्ति योजनाएं

सीबीएसई ने मेधावी एकल बालिका और अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति छात्रों को एमएचआरडी और अन्य छात्रवृत्ति द्वारा प्रायोजित केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस) के तहत 6854 छात्रवृत्तियां भी प्रदान की।

सीबीएसई काउंसलिंग

सीबीएसई ने पहली बार, 20 साल पहले, 1998 में टेली–काउंसलिंग के साथ अग्रणी सामुदायिक कार्य की शुरुआत की। सीबीएसई देश का एकमात्र बोर्ड है जो दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थियों को कई मोड के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करता है। दुनिया भर में स्थित सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के भीतर प्रशिक्षित काउंसलर और प्रधानाचार्यों द्वारा टैली–काउंसलिंग की प्रस्तुती की जाती है। यह एक स्वैच्छिक सेवा है, जो प्रतिभागियों द्वारा दो चरणों (पूर्व परीक्षा (फरवरी से अप्रैल) और परिणाम के बाद (मई – जून) में निःशुल्क प्रदान की जाती है।

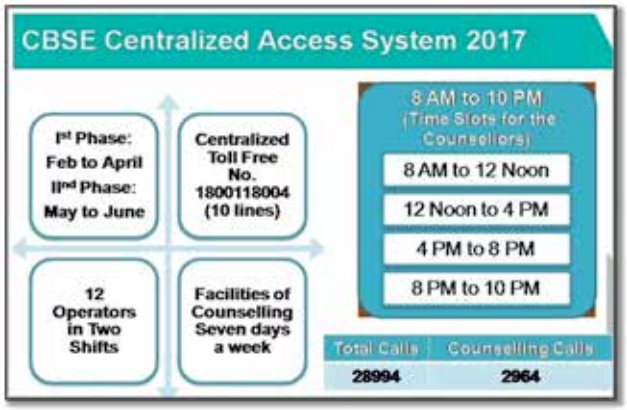

रिपोर्ट अवधि (2017) के दौरान भारत में केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की गई थी, जहां देश में 115 स्वयंसेवी प्राचार्यों, परामर्शदाताओं, विशेष शिक्षकों और अन्य 40 देशों में छात्रों और अभिभावकों को निःशुल्क सेवा प्रदान की गई थी।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में सहायता सामग्री, छात्रों, माता–पिता, शिक्षकों और व्यापक संख्या में लोगों के लिए सीबीएसई वेबसाइट में परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने के लिए सुझाव अपलोड किए गए थे।

काउंसलिंग कॉल का ब्यौरा चरण–I और चरण–II 2017

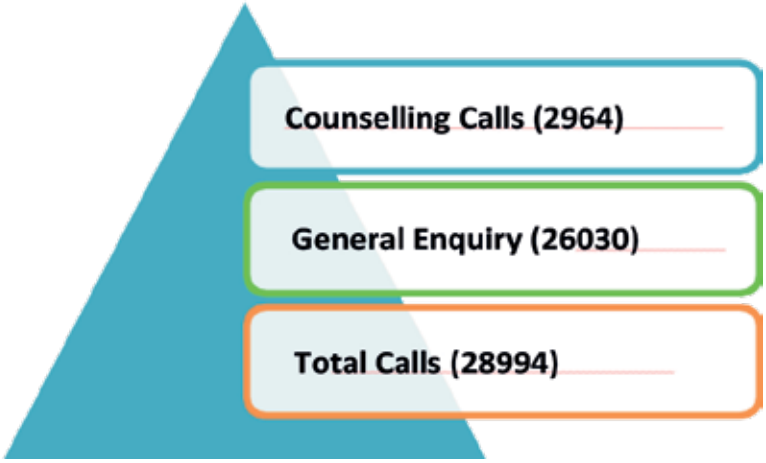

सार्वजनिक जवाबदेही और व्यवस्थित सुधार में वृद्धि

बोर्ड, जनता की शिकायतों के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाता है। एक सेवा उन्मुख संगठन होने के नाते, सीबीएसई ने अपने अभियान में, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र और सूचना वितरण प्रक्रिया को बोर्ड की पारदर्शी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के साथ जोड़ दिया है। बोर्ड ने ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल भी सक्रिय किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

******

16

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

कवरेजः नामांकन की तुलना में बच्चे – 2016–17 139

अनुलग्नक–II

कवरेज : संस्थान : 2016–17 141

अनुलग्नक–III

रसोई – सहस्टोर्स (प्राथमिक + उच्च प्राथमिक) के निर्माण से संबंधित वास्तविक प्रगति 143

अनुलग्नक – I

कवरेजः नामांकन की तुलना में बच्चे – 2016–17

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उ. प्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	1953667	1158123	3111790	1708605	996946	2705551	87%	86%	87%
2	अरुणाचल प्रदेश	132702	67586	200288	102045	67047	169092	77%	99%	84%
3	असम	3109093	1458177	4567270	2915918	1353104	4269022	94%	93%	93%
4	बिहार	14074077	6678964	20753041	8902071	3781988	12684059	63%	57%	61%
5	छत्तीसगढ़	1958549	1282289	3240838	1623023	1031611	2654634	83%	80%	82%
6	गोवा	95170	66047	161217	87534	56234	143768	92%	85%	89%
7	गुजरात	3736247	2270324	6006571	2783128	1657943	4441071	74%	73%	74%
8	हरियाणा	953138	649639	1602777	880365	582472	1462837	92%	90%	91%
9	हिमाचल प्रदेश	318148	238800	556948	301100	225077	526177	95%	94%	94%
10	जम्मू और कश्मीर	687386	331316	1018702	263267	145922	409189	38%	44%	40%
11	झारखंड	3299381	1516750	4816131	2004021	858696	2862717	61%	57%	59%
12	कर्नाटक	3094871	1844616	4939487	2864812	1718363	4583175	93%	93%	93%
13	केरल	1603756	1112776	2716532	1584234	1070573	2654807	99%	96%	98%
14	मध्य प्रदेश	5113249	3178388	8291637	3713140	2318261	6031401	73%	73%	73%
15	महाराष्ट्र	7145070	4630249	11775319	5751369	3658842	9410211	80%	79%	80%
16	मणिपुर	166810	44376	211186	141826	37755	179581	85%	85%	85%
17	मेघालय	425472	179987	605459	381848	140678	522526	90%	78%	86%
18	मिजोरम	105299	45580	150879	96875	41933	138808	92%	92%	92%
19	नागालैंड	121364	37815	159179	120065	37767	157832	99%	100%	99%
20	ओडिशा	3406068	1928266	5334334	2869484	1657912	4527396	84%	86%	85%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उ. प्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	पंजाब	1034221	761893	1796114	904959	639504	1544463	88%	84%	86%
22	राजस्थान	4157384	2126495	6283879	2901291	1522250	4423541	70%	72%	70%
23	सिक्किम	38772	33203	71975	34397	29075	63472	89%	88%	88%
24	तमिलनाडु	3018654	2363259	5381913	2618063	2071378	4689441	87%	88%	87%
25	तेलंगाना	1305056	772542	2077598	1150000	725755	1875755	88%	94%	90%
26	त्रिपुरा	304407	183331	487738	237613	132483	370096	78%	72%	76%
27	उत्तर प्रदेश	12351835	5499249	17851084	7215553	3105425	10320978	58%	56%	58%
28	उत्तराखंड	459650	324167	783817	387654	269669	657323	84%	83%	84%
29	पश्चिम बंगाल	7438389	4979361	12417750	6958258	5079680	12037938	94%	102%	97%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19756	13654	33410	15576	10735	26311	79%	79%	79%
31	चंडीगढ़	55745	43351	99096	28585	17520	46105	51%	40%	47%
32	दादर और नगर हवेली	24330	17775	42105	19424	13878	33302	80%	78%	79%
33	दमण और दीव	10778	7237	18015	8746	5958	14704	81%	82%	82%
34	दिल्ली	1007956	693401	1701357	672509	413452	1085961	67%	60%	64%
35	लक्षद्वीप	4002	2941	6943	3755	2697	6452	94%	92%	93%
36	पुद्दुचेरी	32068	25440	57508	23093	18064	41157	72%	71%	72%
	कुल	**82762520**	**46567367**	**129329887**	**62274206**	**35496647**	**97770853**	**75%**	**76%**	**76%**

कवरेज : संस्थान : 2016–17

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएबी अनुमोदन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उ. प्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	34718	10876	45594	34499	10957	45456	99%	101%	100%
2	अरुणाचल प्रदेश	2330	1098	3428	2130	1201	3331	91%	109%	97%
3	असम	44386	13558	57944	44029	13749	57778	99%	101%	100%
4	बिहार	41226	30730	71956	39221	30307	69528	95%	99%	97%
5	छत्तीसगढ़	31383	13591	44974	31389	13587	44976	100%	100%	100%
6	गोवा	1071	431	1502	1068	433	1501	100%	100%	100%
7	गुजरात	11381	24909	36290	11383	24290	35673	100%	98%	98%
8	हरियाणा	9049	5735	14784	8749	6329	15078	97%	110%	102%
9	हिमाचल प्रदेश	10772	4628	15400	10758	4681	15439	100%	101%	100%
10	जम्मू और कश्मीर	13452	9714	23166	10344	7539	17883	77%	78%	77%
11	झारखंड	26749	14375	41124	25605	14402	40007	96%	100%	97%
12	कर्नाटक	21999	33465	55464	21787	33497	55284	99%	100%	100%
13	केरल	6843	5515	12358	6804	5527	12331	99%	100%	100%
14	मध्य प्रदेश	85028	30964	115992	83786	30935	114721	99%	100%	99%
15	महाराष्ट्र	47701	39166	86867	47339	39105	86444	99%	100%	100%
16	मणिपुर	2853	969	3822	2524	906	3430	88%	93%	90%
17	मेघालय	8438	3412	11850	8309	3380	11689	98%	99%	99%
18	मिजोरम	1485	1096	2581	1463	1093	2556	99%	100%	99%
19	नागालैंड	1163	914	2077	1146	931	2077	99%	102%	100%
20	ओडिशा	35286	27498	62784	34231	28477	62708	97%	104%	100%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएबी अनुमोदन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उ. प्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	पंजाब	13523	6753	20276	13487	6759	20246	100%	100%	100%
22	राजस्थान	36128	35216	71344	34035	34650	68685	94%	98%	96%
23	सिक्किम	492	371	863	492	372	864	100%	100%	100%
24	तमिलनाडु	27056	15991	43047	27079	16064	43143	100%	100%	100%
25	तेलंगाना	20538	8594	29132	19488	8235	27723	95%	96%	95%
26	त्रिपुरा	4478	2084	6562	4471	2097	6568	100%	101%	100%
27	उत्तर प्रदेश	114220	54166	168386	115142	53554	168696	101%	99%	100%
28	उत्तराखंड	12793	5406	18199	12440	5299	17739	97%	98%	97%
29	पश्चिम बंगाल	68007	15666	83673	67846	16385	84231	100%	105%	101%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	187	151	338	188	150	338	101%	99%	100%
31	चंडीगढ़	8	111	119	9	111	120	113%	100%	101%
32	दादर और नगर हवेली	165	118	283	162	119	281	98%	101%	99%
33	दमण और दीव	56	43	99	56	43	99	100%	100%	100%
34	दिल्ली	1800	1260	3060	1755	1237	2992	98%	98%	98%
35	लक्षद्वीप	17	22	39	17	22	39	100%	100%	100%
36	पुद्दुचेरी	246	201	447	237	195	432	96%	97%	97%
	कुल	737027	418797	1155824	723468	416618	1140086	98%	99%	99%

अनुलग्नक – III

रसोई – सहस्टोर्स (प्राथमिक + उच्च प्राथमिक) के निर्माण से संबंधित वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 से 2016–17 के दौरान स्वीकृत रसोई–सह–स्टोर की संख्या	31–03–2017 की स्थिति के अनुसार रसोई–सह–स्टोर की वास्तविक प्रगति					
			निर्माण किए गए		चालू निर्माण कार्य		अभी शुरू नहीं हुए	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	44875	16272	36%	1462	3%	27141	60%
2	अरुणाचल प्रदेश	4131	4084	99%	1	0%	46	1%
3	असम	56795	50063	88%	1611	3%	5121	9%
4	बिहार	66550	53722	81%	5125	8%	7703	12%
5	छत्तीसगढ़	47266	42730	90%	4536	10%	0	0%
6	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	गुजरात	25077	24303	87%	7	9%	767	3%
8	हरियाणा	11483	9078	79%	659	6%	1746	15%
9	हिमाचल प्रदेश	14959	14500	97%	218	1%	241	2%
10	जम्मू और कश्मीर	11815	7138	60%	0	0%	4677	40%
11	झारखंड	39001	28043	72%	4925	13%	6033	15%
12	कर्नाटक	40477	38339	91%	845	4%	1293	5%
13	केरल	2450	2450	99%	0	1%	0	0%
14	मध्य प्रदेश	100751	93657	93%	4981	5%	2113	2%
15	महाराष्ट्र	71783	57831	80%	2890	2%	11062	18%
16	मणिपुर	3053	1083	35%	1883	62%	87	3%
17	मेघालय	9491	9244	97%	0	0%	247	3%
18	मिजोरम	2506	2506	100%	0	0%	0	0%
19	नागालैंड	2223	2223	100%	0	0%	0	0%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 से 2016–17 के दौरान स्वीकृत रसोई–सह–स्टोर की संख्या	31–03–2017 की स्थिति के अनुसार रसोई–सह–स्टोर की वास्तविक प्रगति					
			निर्माण किए गए		चालू निर्माण कार्य		अभी शुरू नहीं हुए	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ओडिशा	69152	37544	54%	31608	46%	0	0%
21	पंजाब	18969	18969	100%	0	0%	0	0%
22	राजस्थान	77298	61751	80%	908	1%	14639	19%
23	सिक्किम	936	936	100%	0	0%	0	0%
24	तमिलनाडु	28470	20496	72%	7974	39%	0	0%
25	तेलंगाना	30408	10077	33%	4983	16%	15348	50%
26	त्रिपुरा*	5304	5565	105%	0	0%	0	0%
27	उत्तर प्रदेश	122572	112766	92%	5	0%	9801	8%
28	उत्तराखंड	15933	15505	97%	183	3%	245	2%
29	पश्चिम बंगाल	81314	76248	94%	5066	6%	0	0%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	251	96	38%	45	18%	110	44%
31	चंडीगढ़	10	7	70%	0	0%	3	30%
32	दादर और नगर हवेली	50	50	100%	0	0%	0	0%
33	दमण और दीव	32	32	100%	0	0%	0	0%
34	दिल्ली	0	0	0%		0%	0	0%
35	लक्षद्वीप	0	0	0%		0%	0	0%
36	पुद्दुचेरी	92	92	100%		0%	0	0%
	कुल	**1005477**	**817400**	**81%**	**79915**	**8%**	**108423**	**11%**

* त्रिपुरा ने स्वीकृत से 261 अधिक रसोई–सह–स्टोर का निर्माण किया है।

भाग – II

उच्चतर शिक्षा विभाग

विषय वस्तु

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/अधीनस्थ संस्थाएं	पृष्ठ
1.	नई पहलें	149-157
2.	उच्चतर शिक्षा	159-172
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	173-177
4.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	179-182
5.	उत्कृष्ट संस्थाएं, समवत और निजी विश्वविद्यालय	183-210
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान	211-217
7.	दूरस्थ शिक्षा	219-223
8.	छात्रवृत्ति	225-231
9.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	233-235
10.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	237-241
11.	भाषा संस्थान	243-266
12.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	267-279
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान	281-288
14.	भारतीय तकनीकी सूचना संस्थान	289-291
15.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	293-305
16.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर	307-310
17.	आईसीसी एंड यूनेस्को	311-332

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/अधीनस्थ संस्थाएं	पृष्ठ
18.	अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं	333-345
19.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	347-350
20.	उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी	351-353
21.	अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय	355-368
22.	प्रौद्योगिकी समर्थित अध्ययन	369-378
23	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	379-387
24.	पुस्तक संवर्धन	389-397
25.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा	399-417
26.	अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा	419-425
27.	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य	427-432
28.	महिलाओं का शैक्षिक विकास	433-440
29.	निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास	441-451
30.	प्रशासन	453-462
31.	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	463-470
32.	राजभाषा	471-473
33.	वित्त प्रभाग	475-480

अध्याय 01

नई पहलें

अध्याय 01

नई पहलें

नई शिक्षा नीति

भारत में कवरेज, विषयवस्तु और डिलीवरी प्रणाली के संदर्भ में शिक्षा के अत्यंत बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 30 वर्षों के पश्चात् नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभूतपूर्व सहयोगात्मक, बहु–हितधारक और बहु–आयामी प्रक्रिया की शुरूआत की है। इस परामर्श प्रक्रिया में देश भर में 2.75 लाख प्रत्यक्ष परामर्श दिए गए हैं और ऑनलाइन इनपुट भी लिए गए हैं। ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक www.mygov.in पोर्टल पर शुरू की गई थी और इसमें 33 चिन्हित विषयों पर लगभग 29000 सुझाव प्राप्त हुए थे। यूनेस्को महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान द्वारा शांति, सतत् विकास के लिए युवा सर्वेक्षण के साथ 200 से अधिक थिमेटिक राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। स्कूल शिक्षा के संबंध में 19 राज्यों के 340 जिलों से 1,10,623 गांवों, 3250 ब्लॉकों, 725 शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी शुरूआती परामर्श रिपोर्ट www.mygov.in पोर्टल पर अपलोड की है। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा के संबंध में, 20 राज्यों में 406 जिलों के 2741 ब्लॉकों, 962 शहरी स्थानीय निकायों ने भी अपनी परामर्श रिपोर्टें अपलोड की है। प्रारंभ में, नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके पश्चात मंत्रालय ने 'मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए। इन दोनों दस्तावेजों को नीति तैयार करने के लिए इनपुट के रूप में लिया गया है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न हितधारकों जैसे व्यक्ति, संगठन, स्वायत्त निकाय, माननीय सांसद, भारत सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकारों से सुझाव और इनपुट प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक समिति गठित की गई है जो सभी इनपुट और सुझाव पर विचार करेगी और उनकी जांच करेगी।

उच्चतर शिक्षा वित्त एजेंसी (हेफा)

मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में हेफा की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया। मजबूत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) 1000 करोड़ रुपए की सरकारी इक्विटी के साथ, हेफा के सृजन को अनुमोदित किया है। हेफा का सृजन प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बड़े निवेश को समर्थित करेगा। हेफा पीएसयू बैंक/सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी (प्रमोटर) के अन्दर एसपीवी के रूप में गठित किया जाएगा। इससे आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी और कुछ अन्य अवसंरचना में और विश्व स्तर की लैब्स की अवसंरचना और विकास के लिए निधियन परियोजनाओं को 20,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हेफा 10 वर्ष की अवधि के ऋण के माध्यम से अकादमिक और अनुसंधान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। ऋण के मुख्य भाग को संस्थाओं के 'आंतरिक संचय' के माध्यम से चुकाया जाएगा। सरकार नियमित अनुदान सहायता के माध्यम से ब्याज का हिस्सा देगी।

सभी केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं हेफा के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगी। सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए, संस्था को 10

वर्षों की अवधि के लिए आंतरिक संसाधनों से लेकर हेफा तक एक विशेष राशि निलम्ब लेख करने के लिए सहमत होना चाहिए। इस सुरक्षित भविष्य राशि के प्रवाह की बाजार से धन जुटाए जाने के लिए हेफा द्वारा सुरक्षा की जायेगी। प्रत्येक सदस्य संस्था आंतरिक संचयों से निलम्ब होने के लिए सहमत राशि पर आधारित, हेफा द्वारा निर्धारित क्रेडिट सीमा के लिए पात्र होगी।

हेफा को संयुक्त रूप से चिन्हित संयुक्त प्रमोटर कैनरा बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 2,000 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की इक्विटी 1,000 करोड़ रुपये होगी।

हेफा पीएसयू/कॉरपोरेट्स से भी सीएसआर फंड जुटाएगा, जो इन संस्थाओं में अनुदान के आधार पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जारी किये जायेंगे।

कैनरा बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित वित्त एजेंसी के प्रबंधन और एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत करने के लिए उच्चतर शिक्षा वित्त एजेंसी (हेफा) की स्थापना हेतु संयुक्त साझेदारी भागीदार के रूप में चिह्नित और नियुक्त किया गया। इस उद्देश्य हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 9 फरवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और कैनरा बैंक के बीच संयुक्त साझेदारी अनुबंध (जेवीए) पर भी दिनांक 16 मार्च, 2017 को हस्ताक्षर किए गए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और कैनरा बैंक द्वारा संयुक्त साझेदारी कंपनी का इक्विटी निवेश निम्न अनुपात में होगाः

क्र. सं.	पक्ष	अंशदान (रू.)	शेयरधारण प्रतिशत
1.	भारत सरकार	1000,00,00,000/–	90.91
2.	कैनरा बैंक	100,00,00,000/–	9.09

हेफा को अब 31.5.2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कैनरा बैंक द्वारा हेफा को अब तक इक्विटी का निम्नलिखित अंशदान किया गया हैः–

अंशदाता का नाम	राशि (रू. करोड़ में)
भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग	1000
कैनरा बैंक	50
कुल	1050

- **केनरा बैंक का 100 करोड़ रु. का हिस्सा जारी किया जा रहा है।**

हेफा के निदेशक बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः दिनांक 12.6.2017 और 11.8.2017 को आयोजित की गई थी। हेफा अब कार्यात्मक है और संस्थानों को दिनांक 16.8.2017 को हेफा के लाभ लेने के लिए आवेदन प्रारूप के साथ सूचित कर दिया गया है।

हेफा के निदेशक बोर्ड की तीसरी बैठक दिनांक 29.11.2017 को और चौथी बैठक 17.01.2018 को आयोजित की गई थी जिसमें हेफा हेतु निम्नलिखित ऋण आवेदनों पर विचार किया गया थाः

क्र. सं.	संस्था का नाम	प्रस्तावित ऋण राशि (रू. करोड़ में)
1	एनआईटी–सूरतकल	72.00
2	आईआईटी–दिल्ली	183.00
3	आईआईटी–कानपुर	351.90
4	आईआईटी–मद्रास	266.00
5	आईआईटी–खड़गपुर	500.00
6	आईआईटी–गुवाहाटी	142.00
7	आईआईटी–बम्बई	500.00
	कुल	**2015.90**

लोकसभा द्वारा आईआईएम विधेयक, 2017 पारित करना: भारतीय प्रबंध संस्थान देश के शीर्ष संस्थान है जो प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण के वैश्विक बैंचमार्क प्रक्रियाओं पर प्रबंधन में सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आईआईएम विश्व स्तरीय प्रबंध संस्था और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और देश के लिए ख्याति अर्जित करते हैं। सभी आईआईएम सोसायटी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त अलग स्वायत्त निकाय है।

सोसायटी होने के नाते, आईआईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इसलिए, ये प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और फैलो कार्यक्रम प्रदान करते हैं। जबकि ये अवार्ड क्रमशः एमबीए और पीएच.डी के समतुल्य माने जाते हैं, ये समतुल्य, विशेषकर फैलो कार्यक्रम के लिए विश्वभर में स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद आईआईएम विधेयक, 2017 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिनके तहत आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाएगा और जो उन्हें अपने छात्रों को डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाएगी। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है।

आईआईएम विधेयक की मुख्य विशेषताएं

आईआईएम विधेयक, 2017 संसद में पारित करना और उसकी अधिसूचना

आईआईएम विश्व स्तरीय प्रबंध संस्था और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और देश के लिए ख्याति अर्जित करते हैं। सभी आईआईएम सोसायटी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त अलग स्वायत्त निकाय है। आईआईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इसलिए, ये प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और फैलो कार्यक्रम प्रदान करते हैं। जबकि ये अवार्ड क्रमशः एमबीए और पीएच.डी के समतुल्य माने जाते हैं, ये समतुल्य, विशेषकर फैलो कार्यक्रम के लिए विश्वभर में स्वीकार्य नहीं है। संसद के अनुमोदन और माननीय राष्ट्रपति की सहमति के बाद, आईआईएम को डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए, आईआईएम अधिनियम, 2017 दिनांक 31.12.2017 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के तहत, सभी मौजूदा आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है और एतदद्वारा डिग्री प्रदान करने हेतु समर्थ बनाया गया है। इस अधिनियम में आईआईएम को अन्य मौजूदा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की तुलना में अधिक स्वायत्तता भी प्रदान की गई है।

आईआईएम अधिनियम, 2017 की मुख्य विशेषताएं

इस अधिनियम में संस्थाओं को डिग्री प्रदान करने के अधिकार के अलावा पर्याप्त जिम्मेदारियों के साथ पूर्ण स्वायत्तता की व्यवस्था है। इन संस्थाओं का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष और निदेशक का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों की अधिक भागीदारी है। बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से सदस्यों की उपस्थिति हेतु भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा संस्था के कार्य निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा और उसके परिणाम को सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने की भी व्यवस्था है। संस्था की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। इस अधिनियम में आईआईएम के प्रख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में समन्वय फोरम की भी व्यवस्था है जो एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करेगा।

स्वयम (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स):

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस' (स्वयम) नामक एक प्रमुख और नई पहल शुरू की है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग करते हुए और सभी उच्च शिक्षा विषयों एवं कौशल क्षेत्र पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म और पोर्टल प्रदान करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में प्रत्येक बच्चे को किफायती लागत पर उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुंच प्राप्त हो। स्वयम आईटी प्लेटफार्म को देश में ही विकसित किया गया है जोकि कक्षा 9वीं से स्नातकोत्तर तक कक्षाकक्ष में पढ़ाए जाने वाले कई विषयों में पाठ्यक्रमों को पोर्टल पर उपलब्ध कराने

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावेडकर 03 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में "भारत रैंकिंग 2017" को संबोधित करते हुए।

की सुविधा देता है, जिन्हें किसी भी समय, किसी के भी द्वारा और कहीं भी देखा जा सकेगा। शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों नामतः पहुंच, समता और गुणवत्ता को स्वयम के माध्यम से देश में सभी प्रशिक्षुओं को उच्च गुणवत्तायुक्त ई–कंटेंट द्वारा प्रदान कर हासिल किया जाएगा। स्वयम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं को निःशुल्क उपलब्ध हैं और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षण समुदाय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई, 2017 को स्वयम को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। वर्तमान में स्वयम पर लगभग 750 एमओओसी (व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम सूचीबद्ध हैं और लगभग 330 एमओओसी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जबकि इन पाठ्यक्रमों में लगभग 6 लाख (5,92,178) छात्र पंजीकृत हैं।

स्वयम प्रभा

यह देशभर में 24x7 आधार पर डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यह अधिकांशतः कम लागत से ई–शिक्षा प्रदान करने में समर्थ बनाएगा। अंतरिक्ष विभाग को इसके लिए जीसैट–15 (जीएसएटी) के दो ट्रांसपोंडर्स आवंटित किए गए हैं। दूरदर्शन (मुफ्त डिश) की मुफ्त डीटीएच का उपयोग करते हुए इन शैक्षिक चैनलों को देख सकते हैं। इनके लिए किसी अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डीटीएच चैनलों पर पाठ्यचर्या आधारित विषय वस्तु होगी और इन कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि शैक्षिक विषयवस्तु को टीवी सेट पर बिना किसी आवर्ती लागत के देखा जा सकता है। डीटीएच पर उपलब्ध किए जा रहे इन शैक्षिक कार्यक्रमों को अभिलेखागार डेटा के रूप में यू–ट्यूब पर भी उपलब्ध करवाया गया है। चैनल विवरण, विषय, अभिलेखागार लिंक आदि से संबंधित सूचना स्वयम प्रभा पोर्टल (https://swayamprabha.gov.in) जोकि आईएनएफएलआईबीएनईटी, गांधी नगर द्वारा तैयार किया गया है, पर उपलब्ध है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वयम प्रभा को आधिकारिक रूप से 9 जुलाई, 2017 को शुरू किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी)

भारत सरकार सभी हितधारकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक उपाय राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी) के रूप में प्रख्यात शैक्षिक पुरस्कारों हेतु डिजिटल डिपोजिटरी की पहल है। भारत के माननीय

राष्ट्रपति द्वारा एनएडी की शुरूआत 9 जुलाई, 2017 को की गई है। एनएडी शैक्षिक संस्थाओं/स्कूल बोर्डों/पात्र मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल रूप से अपलोड किए गए शैक्षिक अवार्ड (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका आदि) का एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी शैक्षिक अवार्ड उपलब्ध कराने और उनकी प्रमाणिकता वैधीकरण में सहायता करने, उनके सुरक्षित संग्रहण और आसान पुनःप्राप्ति के लिए एक 24x7 ऑनलाइन पद्धति है। दिनांक 24 नवंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, एनएडी पोर्टल पर 74.81 लाख रिकार्ड अपलोड किए गए हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) स्थापित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा ई–कंटेंट और एमएमईआईईसीटी के तहत विकसित ई–कंटेंट के राष्ट्रीय निक्षेपागार की मेजबानी करना है। आईआईटी, खड़गपुर को राष्ट्रीय धरोहर निर्माण हेतु भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) की मेजबानी, समन्वय और स्थापना का काम सौंपा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को एकल खिडकी पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं/निकायों में सभी मौजूदा डिजीटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है। एनडीएल पोर्टल (http://ndl.iitkgp.ac.in) चयनित सीएफटीआई (केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान) से उपयोगकर्ताओं के साथ फरवरी, 2016 को शुरू हुआ था और 30 हजार दैनिक वेबसाइट हिट्स के साथ सभी के लिए फरवरी 2017 (मोबाइल एप जारी होने के साथ) में शुरू किया गया था। यूजर बेस–रजिस्टर्ड: 17 लाख से ज्यादा, एक्टिवः कंटेंट 7 लाख से ज्यादा आइट्मसः72 लाख, सोर्सः 142 और आईडीआर सोर्सः 85. मोबाइल एप्प (एंरोइड): जनवरी, 2017 में प्रारंभ, 3.5 लाख डाउनलोड और डेली एंरोइड हिट्स्: 20 हजार प्रशिक्षण और जागरूकता विकास आईडीआर कार्यशालाः 19 एंड यूजर कार्यशालाएं।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2011 में शुरू किया गया जिसमें वर्ष 2010–11 के आंकड़ों को एकत्र किया गया था। सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उच्च शिक्षा के आंकड़ों के स्रोतों में से कोई भी देश में उच्च शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं देता। इसके अलावा, वहाँ कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिन पर नीति बनाने के लिए डेटा की आवश्यकता थी लेकिन या तो कोई डेटा उपलब्ध नहीं था या अपूर्ण डेटा उपलब्ध था। पहली बार उच्च शिक्षा में सभी प्रमुख हितधारकों, जैसेः भारत की चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने डेटा संग्रह अभ्यास के लिए भाग लिया है। पूरे सर्वेक्षण का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया और इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था, इस प्रकार पूरी तरह से कागज रहित तरीका अपनाया गया। सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा प्रदान करने में लगे देश के सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। शैक्षणिक विकास जैसे इंस्टीट्यूशन घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र–शिक्षक अनुपात, लिंग समता सूचकांक आदि की गणना की जाती है, डेटा, शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे आदि पर कई मानदंड एकत्र किए जा रहे हैं। एआईएसएचई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से ये शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत फैसलों और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2010–11 से 2016–17: एआईएसएचई की शुरूआत से वर्ष 2010–11 के लिए डेटा एकत्र करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रत्युत्तर में काफी सुधार हुआ है। एआईएसएचई 2016–17 के दौरान, 96.6% विश्वविद्यालयों, 92.1% कालेजों और 72.4% स्टैंड अलोन संस्थाओं से पोर्टल पर डेटा अपलोड किया। एआईएसएचई 2010–11 से 2016–17 के लिए अंतिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2016–17 के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2017–18 हेतु सर्वेक्षण 5 जनवरी, 2018 को शुरू किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए स्वच्छता पखवाड़े को और अधिक सार्थक बनाने हेतु एक अभ्यास के रूप में 14 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की "स्वच्छता रैंकिंग" हेतु एक समारोह आयोजित किया गया। 3000 से अधिक संस्थाओं ने कुछ मुख्य पैरामीटरों जैसे पर्याप्त टॉयलेट, जल स्वच्छता एवं आपूर्ति, छात्रावास रसोई सुविधाएं और साफ–सफाई, परिसर हरियाली, अपशिष्ट निपटान विधि, कचरा सफाई प्रणाली आदि पर आधारित अपने परिसर स्वच्छता स्तरों के ऑनलाइन प्रस्तुति में भागीदारी की थी। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के तहत विभाग के स्वच्छता पखवाड़ा के साथ तालमेल के लिए जिला कलेक्टर ने शैक्षिक संस्था से अपने जिले में अपनाए कम से कम एक गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के साथ ओडीएफ पूरा करने को कहा था। अजमेर, वारंगल, तेलंगाना, झबुआ और इंदौर के 5 कलेक्टर शीर्ष पर थे जिन्होंने कार्य समय पर पूरा किया और उन्हें 14 सितंबर, 2017 को आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इस अभियान से गांवों में 1400 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ।

अनुसंधान पार्क

सरकार द्वारा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बेंगलौर में प्रत्येक पार्क हेतु 75.00 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ पांच नए अनुसंधान पार्क अनुमोदित किए गए हैं।

आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में 100 करोड़ रूपये प्रत्येक की लागत से पहले से अनुमोदित दो अनुसंधान पार्कों को जारी रखने का अनुमोदन दिया गया।

आईआईटी गांधीनगर में 90 करोड़ रूपये की कुल लागत वाले अनुसंधान पार्क को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

इम्प्रिंट इंडिया

इम्प्रिंट इंडिया शीर्ष संस्थाओं में सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में अनुसंधान कराने का एक प्रयास है। इसके तहत, 10 डोमेन चिह्नित किए गए हैं जिन्हें यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन मानकों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है जैसे (1) स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, (2) ऊर्जा सुरक्षा, (3) ग्रामीण शहरी आवासीय डिजाइन, (4) नैनो प्रौद्योगिकी, (5) जल/नदी प्रणाली, (6) आधुनिक सामग्री (7) कम्प्यूटर विज्ञान और आईसीटी (8) विनिर्माण प्रौद्योगिकी (9) आधुनिक सुरक्षा और (10) पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन। प्रत्येक डोमेन एक आईआईटी द्वारा समन्वित है। इन डोमेन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा 2600 से अधिक अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों की प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा जांच की गई है और 595.89 करोड़ रूपये के 259 प्रस्ताव कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किए गए हैं। वर्तमान में इम्प्रिंट–। के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित 323.17 करोड़ रूपये की 142 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इम्प्रिंट–II अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

उच्चतर आविष्कार अभियान (यूएए)

यह योजना वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के उद्देश्य से उद्योग–विशेष आवश्यकता आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सभी आईआईटी को उद्योग के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे आवश्यकता वाले उन क्षेत्रों की पहचान करने और समाधान का पता लगाने नवाचारी वाणिज्यिक स्तर तक लाये जा सकें। यूएए के तहत उद्योग द्वारा परियोजना लागत के 25% अंशदान की व्यवस्था के साथ आईआईटी द्वारा प्रस्तावित चयनित परियोजनाओं पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रूपये का निवेश करना प्रस्तावित है। वर्ष 2016–17 के लिए, 285.15 करोड़ रूपये की 92 परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया

है। आईआईटी मद्रास योजना का राष्ट्रीय समन्वयक है। 160 प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनमें से उद्योग ने इसे सबसे विशाल उद्योग–शैक्षिक भागीदारी बनाते हुए 156 करोड़ रूपये का अंशदान देने की सहमति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से पेटेंट पंजीकरण की संभावना है।

वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन)

जीआईएएन कार्यक्रम विदेशी और भारतीय संकाय को शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु करीब लाता है जो विश्वभर की अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं से चयनित प्रतिभागी छात्रों को क्रेडिट प्रदान करता है। योजना के तहत, विदेशी स्कॉलर आते रहे हैं और पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनमें से 802 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 156 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017

भारत में पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 का आयोजन किया जिसमें 30 मंत्रालयों से डिजिटल समाधानों के 600 समस्या विवरण पर 42,000 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने प्रतिभागिता की। दूसरी स्मार्ट इंडिया है। कथन 2018 की घोषणा कर दी गई है और इसमें लगभग एक लाख इंजीनियंरिंग छात्रों के भाग लेने की संभावना है।

कनेक्टिविटी

- एनएमईआईसीटी के तहत विश्वविद्यालयों को 1जीबीपीएस कनेक्टिविटी और कॉलेजों को 512 केबीपीएस की 20 ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थापना करने का प्रावधान है।
- कुल 403 विश्वविद्यालयों को 1जीबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया गया है: अब तक 22026 कॉलेजों को 10 एमबीपीएस बैंडविडथ से कनेक्ट किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र द्वारा पूर्णतया: या आंशिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और एनएएसी प्रत्यायन वाले निजी और सम विश्वविद्यालयों जिन्होंने 25% लागत साझा करने हेतु सहमति प्रदान की है को 1जीबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया में है।
- 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा शुरू की गई है। 8 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही वाई–फाई सुविधा शुरू की जाएगी।

अन्य पहलें:

- आईआईटी में महिला–पुरूष संतुलन में सुधार करना:– आईआईटी में महिला–पुरूष संतुलन में सुधार करने के लिए, आईआईटी परिषद ने जेएबी उप समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 28.04.2017 को अपनी 51वीं बैठक आयोजित की और आईआईटी के बी.टेक कार्यक्रमों में अधिक सीटों का सृजन करके महिला नामांकन में वर्ष 2018–19 में वर्तमान 8% को 14% और 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% करने का निर्णय लिया था।
- अग्रणी परीक्षण एजेंसी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को देश में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं हेतु सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षण संगठन बनाने का अनुमोदन किया।
- अनेक कल्याण उपाय जैसे एंटी रैंगिंग प्रकोष्ठ, पक्षपात रोधी प्रकोष्ठ, जेंडर संवेदीकरण प्रकोष्ठ, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति और दिव्यांग छात्रों हेतु सभी स्थानों में बाधारहित पहुंच की शुरूआत की गई है।
- जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरूपति और पलक्कड़ में 1411 करोड़ रूपये की कुल लागत से छः नए आईआईटी स्थापित और आरम्भ किए गए।
- मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर, 2017 में फेस–ए के लिए 7002.42 करोड़ रूपये की कुल लागत से इन आईआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया।

- 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई–फाई कार्यान्वयनाधीन है।
- मुक्त और दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की मॉनीटरिंग हेतु उचित विनियमों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण) विनियम, 2017 को हाल ही में जून, 2017 में अधिसूचित किया गया है। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षण प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में उभरी है। इन विनियमों में अनुमोदन, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग तंत्र के साथ ओडीएल पद्धति के माध्यम से यूजी और पीजी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं हेतु स्पष्ट निर्देश और निदेश उपलब्ध है।
- यूजीसी (उत्कृष्ट समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 को उत्कृष्ट समविश्वविद्यालय संस्था नामक सम विश्वविद्यालयों की विशिष्ट श्रेणी की स्थापना हेतु अधिसूचित किया गया है, इनको अन्य सम विश्वविद्यालयों से अलग विनियमित किया जाएगा, ताकि ये उचित समयावधि में विश्व स्तरीय संस्था के रूप में स्थापित हो सकें। इसके अतिरिक्त, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को विश्व प्रख्यात रैंकिंग में शीर्ष 100 रैंक में स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से यूजीसी ने उत्कृष्ट संस्था योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं जिसमें 10 सरकारी और 10 निजी क्षेत्र की संस्थाओं का चयन किया जाएगा। सरकारी संस्थाओं को पहले से प्राप्त हो रहे अनुदान के अतिरिक्त पांच वर्षों की अवधि के लिए 1000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र से चयनित संस्थाओं को देश के विकास हेतु सक्षम स्नातक बनाने के लिए संभावित नवाचार और सृजनात्मकता हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।

******

अध्याय 02

उच्चतर शिक्षा

अध्याय 02

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में नामांकन–एक तुलनात्मक अध्ययन

(क) वर्ष 2011–12 और 2016–17 (XIIवीं योजना के 5वें वर्ष के अंत) के बीच संकायवार नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन

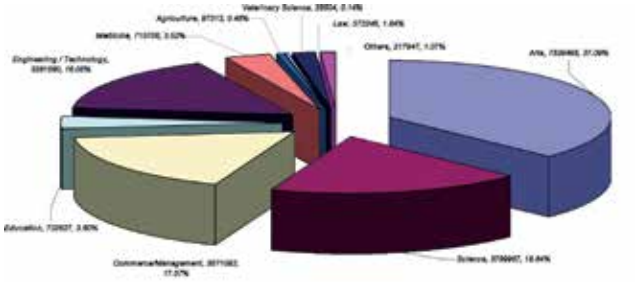

चित्र 1.1: संकायवार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय और कॉलेजः 2011–12

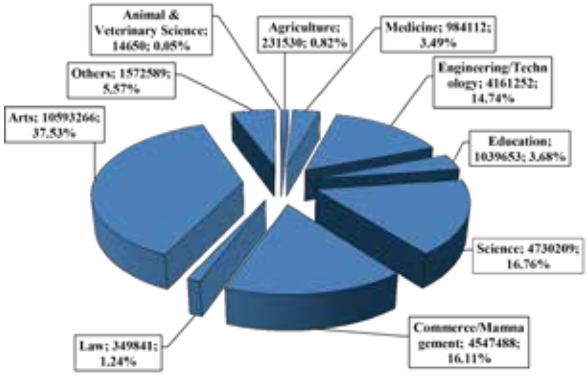

चित्र 1.2: अवर स्नातक में संकायवार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय और कॉलेजः 2016–17

वर्ष 2011–12 और 2016–17 (चित्र 1.1 और 1.2) के लिए उच्चतर शिक्षा में संकायवार नामांकन दर्शाता है कि वर्ष 2016–17 के दौरान सभी संकायों के छात्र नामांकन में संतोषजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 के दौरान कला, विज्ञान, वाणिज्य/प्रबंधन, शिक्षा, इंजीनियरिंग/तकनीकी, औषधि, कृषि, पशुचिकित्सा, विज्ञान, विधि और अन्य संकाय में छात्र नामांकन का हिस्सा क्रमशः 37.53%, 16.76%, 16.11%, 3.68%, 14.74%, 3.49%, 0.82%, 0.05%, 1.24%, 5.57% है।

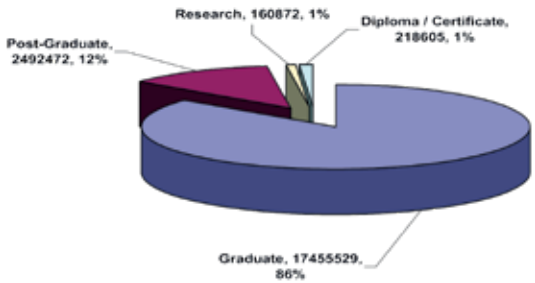

चित्र 2.1: स्तरवार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कॉलेज और संबद्ध कॉलेज : 2011–12

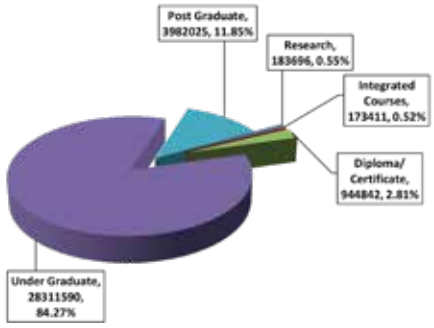

चित्र 2.2: स्तरवार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कॉलेज और संबद्ध कॉलेज : 2016–17

वर्ष 2011–12 और 2016–17 (चित्र 2.1 और 2.2) के लिए उच्चतर शिक्षा के स्तरवार नामांकन के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों के नामांकन में क्रमशः 62.19% और 59.76% की वृद्धि हुई है। इसमें एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल नहीं है

जोकि कुल नामांकन के 0.52% है। इस अवधि के दौरान नामांकन में कुल वृद्धि 65.27% है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2011 में शुरू किया गया जिसमें वर्ष 2010–11 के आंकड़ों को एकत्र किया गया था। सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उच्च शिक्षा के आंकड़ों के स्रोतों में से कोई भी देश में उच्च शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं देता। इसके अलावा, वहाँ कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिन पर नीति बनाने के लिए डेटा की आवश्यकता थी लेकिन या तो कोई डेटा उपलब्ध नहीं था या अपूर्ण डेटा उपलब्ध था। पहली बार उच्च शिक्षा में सभी प्रमुख हितधारकों जैसे भारत की चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने डेटा संग्रह अभ्यास के लिए भाग लिया है। पूरे सर्वेक्षण का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया और इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था, इस प्रकार पूरी तरह से कागज रहित प्रक्रिया अपनाई गई। सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा प्रदान करने में लगे देश के सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। शैक्षणिक विकास जैसे इंस्टीट्यूशन घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र–शिक्षक अनुपात, लिंग समता सूचकांक आदि की गणना की जाती है, जैसे कई मापदंडों जैसे डेटा, शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे आदि पर एकत्र किए जा रहे हैं। एआईएसएचई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से ये शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत फैसलों और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2010–11 से 2016–17: सर्वेक्षण के प्रथम वर्ष में लगभग 90% विश्वविद्यालयों, 50% कॉलेजों और 50% स्टेंड अलोन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया दी थी। इस सर्वेक्षण हेतु प्रतिक्रिया करने वाली संस्थाओं की संख्या में आने वाले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा हेतु डेटा एकत्रण में सबसे अधिक है। 6 वर्षों हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। एआईएसएचई 2010–11 से 2016–17 की सभी रिपोर्टें एमएचआरडी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2016–17 से आगे के सर्वेक्षण में विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्था में तैनात सभी शिक्षकों के ब्यौरे एकत्रित करने के लिए मुख्य डेटा केपचर फार्मेट (डीसीएफ) के भाग के रूप में शिक्षक सूचना फॉर्म (टीआईएफ) का नया प्रारूप तैयार किया गया है। एआईएसएचई 2017–18 को 5 जनवरी, 2018 को शुरू किया गया।

संचालन समिति : 12वीं योजना ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य आधारित नीति बनाने और प्रभावी योजना के लिए मजबूत डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। योजना दस्तावेज ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का भी ध्यान रखा और यह आरोप लगाया कि यह उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है और एक व्यापक उच्च शिक्षा डाटा प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) को मंजूरी दी गई है। इन सभी प्रयासों के लिए समन्वयित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से डेटा संग्रह प्रयासों और इस तरह के प्रयासों में तालमेल से लाभ के विचार के साथ, एचईएसपीआईएस के लिए संचालन समिति का गठन सचिव (उच्च शिक्षा), एमएचआरडी और सदस्यों के रूप में विभिन्न शेयरधारकों की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

एआईएसएचई 2016–17 के मुख्य परिणाम

- यह सर्वेक्षण देश के समस्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कवर करता है। संस्थाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंड अलोन संस्थान।
- एआईएसएचई वेब पोर्टल पर 864 विश्वविद्यालय, 40026 कॉलेज और 11669 स्टैंड अलोन संस्थान सूचीबद्ध हैं जिनमें से सर्वेक्षण के दौरान 795

विश्वविद्यालयों, 34193 कॉलेजों और 7496 स्टैंड अलोन संस्थानों ने प्रतिक्रिया दी है। 278 विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेज हैं।

- 313 विश्वविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित हैं। 338 विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।
- 15 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं जिनमें से 4 राजस्थान और 2 तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक–एक है।
- एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा, 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय है। 117 दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय हैं जोकि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करते हैं और इनमें से 17 तमिलनाडु में स्थित हैं।
- 448 सामान्य, 114 तकनीकी, 67 कृषि और संबद्ध, 52 चिकित्सा, 19 विधि, 13 संस्कृत और 9 भाषा विश्वविद्यालय हैं।
- भारत में कॉलेजों की उच्चतर संख्या वाले शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश शामिल हैं।
- कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाले जिलों में 1025 कॉलेजों के साथ बेंगलौर सबसे ऊपर है जिसके बाद 635 कॉलेजों के साथ जयपुर है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 33.5% कॉलेज हैं।
- कॉलेज घनत्व अर्थात् कॉलेजों की संख्या प्रति लाख पात्र जनसंख्या (आयु समूह 18–23 वर्ष की जनसंख्या) 28 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में 7 से तेलंगाना में 59 तक भिन्न–भिन्न है।
- 59.3% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। 9.3% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।
- केवल 2.6% कालेजों में पीएच.डी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और 36.7% कालेज स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करते हैं।
- 40% कालेज केवल एक कार्यक्रम संचालित करते है जिनमें से 77.6% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित हैं। इनमें से, 35% कॉलेज केवल बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
- 77.8% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित है, 64.2% निजी–गैर–सहायता प्राप्त हैं और 13.6% निजी सहायता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 81% से अधिक निजी–असहायता प्राप्त कालेज हैं और तमिलनाडु में 75.8% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं जबकि बिहार में 13.1% और असम में केवल 10.8% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं।
- 20.1% कालेजों में नामांकन 100 से कम है और केवल 4.1% कालेजों में नामांकन 3000 से अधिक है।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन अनुमानित 35.7 मिलियन है जिसमें 19.0 मिलियन लड़के और 16.7 मिलियन लड़कियां हैं। कुल नामांकन की 46.8% बालिकाएं हैं।
- भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.2% है जोकि 18–23 वर्ष की आयु समूह की गणना के अनुसार है। 25.2% के राष्ट्रीय जीईआर की तुलना में पुरूष जनसंख्या हेतु जीईआर 26.0%, महिलाओं हेतु 24.5%, अनुसूचित जाति हेतु 21.1% और अनुसूचित जनजाति हेतु 15.4% है।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 11.45% दूरस्थ नामांकन है जिसमें से 46.9% महिला छात्र हैं।
- लगभग 79.4% छात्र अवर स्नातक कार्यक्रम में नामांकित हैं। 141037 छात्र पीएच.डी हेतु नामांकित हैं जो कुल छात्र नामांकन का 0.4% से कम है।
- सबसे अधिक छात्र बी.ए. कार्यक्रम हेतु नामांकित हैं उसके बाद बी.एससी और बी.कॉम कार्यक्रमों का नंबर आता है। उच्चतर शिक्षा में लगभग 191 कार्यक्रमों में से केवल 10 कार्यक्रम कुल नामांकित छात्रों के 84% को कवर करते हैं।

- अवर स्नातक पर कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक (38%) छात्र नामांकित हैं उसके बाद विज्ञान (16.7%), इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (14.7%) और वाणिज्य (14.1%) छात्र नामांकित हैं।
- पीएच.डी स्तर पर, सबसे अधिक छात्र विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं उसके बाद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में। दूसरी तरफ स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक छात्र सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं और प्रबंधन नंबर दो पर है।
- सर्वाधिक छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं।
- कुल नामांकन में से अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन 14.2% और अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन 5.1% है। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र के 34.4%, मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र 4.9% और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र 2.2% है।
- उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 47575 है।
- विश्वभर के 162 विभिन्न देशों से विदेशी छात्र आते हैं। शीर्ष 10 देशों के कुल विदेशी छात्रों का नामांकन 62% है।
- विदेशी छात्रों की अधिकतम संख्या पड़ोसी देशों से है जिसमें कुल नामांकन नेपाल से 23.6%, अफगानिस्तान से 9.3%, भूटान से 4.8%, नाइजीरिया और सूडान प्रत्येक से 4.4% हैं।
- प्राइवेट सेक्टर, सहायता प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त कुल 77.8% से अधिक कॉलेज संचालित हैं, परंतु ये कुल नामांकन के केवल 67.3% की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- शिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 13,65,786 है जिसमें से आधे से अधिक लगभग 59.4% पुरूष शिक्षक और 40.6% महिला शिक्षक हैं।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरूष शिक्षकों की तुलना में मात्र 68 महिला शिक्षक है।
- विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यदि नियमित नामांकन को देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 22 है और विश्वविद्यालयों और इसके घटक यूनिटों का नियमित मोड में पीटीआर 19 है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में सर्वाधिक भाग समूह 'ग' पदों का 39% है इसके बाद समूह 'घ' का 29% है। समूह 'क' और समूह 'ख' का भाग क्रमश% 15% और 17% है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में महिलाओं की औसत संख्या प्रति 100 पुरूषों की तुलना में 44 है।
- वर्ष 2016 के दौरान, 28,779 छात्रों को पीएच.डी डिग्री अवार्ड की गई जिसमें 16,274 पुरूष और 12,505 महिलाएं हैं।
- बी.ए डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक (21.70 लाख) है। बीएससी (10.12 लाख) दूसरे और बी.कॉम (9.48 लाख) तीसरे नम्बर पर है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए पास करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है इसके बाद एमएससी और एमबीए है।
- कला पाठ्यक्रमों में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या (21.70 लाख) सर्वाधिक है।
- पीएच.डी स्तर पर, विज्ञान स्ट्रीम से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है जिसके बाद सामाजिक विज्ञान है। दूसरी ओर पीजी स्तर पर सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है उसके बाद प्रबंधन स्ट्रीम दूसरे नंबर पर है।
- राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी छात्रों की संख्या (33.6%) सर्वाधिक है उसके बाद राष्ट्रीय महत्व संस्थान (21%), केंद्रीय विश्वविद्यालय (14.3%) और निजी सम विश्वविद्यालय (13.4%) का नंबर आता है।
- राष्ट्रीय महत्व संस्थान में महिला छात्रों की संख्या बहुत कम है इसके बाद राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय, सरकारी सम विश्वविद्यालयों का नंबर आता है।

केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब)

केब, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार निकाय है। इसका पुनर्गठन दिनांक 11 जून, 2015 के संकल्प सं. 2–8/2011–पीएन–I के जरिए तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। केब की 65वीं बैठक मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में दिनांक 15–16 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

इस बैठक में श्रीमती मेनका गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री थावर चंद गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री महेश शर्मा, माननीय संस्कृति मंत्री और श्री सत्यपाल सिंह, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपस्थित थे।

इस बैठक में 21 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 28 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि, केब के सदस्य स्वायत्त संगठनों के प्रमुख ओर विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ अकादमिक उपस्थित थे। केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री के. के. शर्मा, सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग और श्री अनिल स्वरूप, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) : भारत सरकार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए सभी स्टेकहोल्डरों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करके प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। शिक्षा देश के लगभग प्रत्येक नागरिक से जुड़ी है और सरकार की मंशा बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने की है जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं को उनके मुख्य कार्यकलापों को करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। इस दिशा में शैक्षिक डिजिटल डिपोजिटरी की राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी) नामक एक पहल है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एनएडी की शुरूआत 9 जुलाई, 2017 को की है।

एनएडी शैक्षिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका इत्यादि) का एक ऑनलाइन भंडार गृह है जिन्हें शैक्षिक संस्थाओं/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में अपलोड किया गया है। शैक्षिक अवार्ड को 24x7 ऑन लाइन पद्धति में उपलब्ध कराता है और उनकी प्रमाणिकता की वैधता, सुरक्षित भंडारण और आसानी से पुनःप्राप्ति में भी मददगार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी) का प्राधिकृत कार्यान्वयन निकाय है।

एनएडी में दो अंतर–संचालित डिजिटल डिपोजिटरी नामतः सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) और एनएसडीएल डाटाबेस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) हें। एनएडी के संबंध में ब्यौरा www.nad.gov.in पर उपलब्ध है। **दिनांक 24 नवंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार; एनएडी के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लगभग 74.81546 लाख शैक्षिक अवार्ड अपलोड किए गए हैं।**

एनएडी की मुख्य विशेषताएंः

क. एनएडी का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता नामतः शैक्षिक संस्थाओं/बोर्ड/पात्रता मूल्यांकन निकाय, छात्र और सत्यापन इकाइयों के पंजीकरण करते हैं।

ख. पंजीकरण एवं उपयोग हेतु पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग किया जाता है। आधार की अनुपलब्धता के मामले में विशेष एनएडी आईडी का उपयोग किया जाता है।

ग. संबंधित छात्र विधिवत प्राधिकृत छात्र और/अथवा किसी सत्यापनकर्ता को निर्धारित सुरक्षा विशेषता के साथ शैक्षिक अवार्ड की डिजिटल और सत्यापित प्रति प्रदान की जाती है।

घ. किसी विशेष शैक्षिक अवार्ड की सत्यापित और प्रमाणिक प्रति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निर्धारित उपभोक्ता शुल्कों के भुगतान पर यथावत पंजीकरण के बाद एनएडी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। शैक्षिक अवार्ड के ऑनलाइन सत्यापन अनुरोधों पर उसी दिन और 24 घंटों के भीतर कार्य किया जाता है।

एनएडी के लाभ :

क. एनएडी छात्रों, शैक्षिक संस्थाओं/बोर्ड/पात्र मूल्यांकन निकायों और सत्यापन उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल प्रारूप में अकादमिक अवार्डों की पहुंच, पुनःप्राप्ति, सत्यापन और प्रमाणन के लिए एक 24X7 ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध कराता है।

ख. यह सरकार/विनियामक निकायों/शैक्षिक संस्थाओं के डेटा विश्लेषण हेतु शैक्षिक अवार्ड डेटाबेस भी उपलब्ध कराता है।

ग. शैक्षिक अवार्ड की इलोक्ट्रॉनिक डिपोजिटरी शैक्षिक संस्थाओं/बोर्ड/पात्र मूल्यांकन निकायों, छात्रों और नियोक्ताओं को शैक्षिक अवार्ड की ऑनलाइन पहुंच को समर्थ बनाता है और व्यक्तियों को ऐसे अवार्ड या अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु वास्तविक लिपि प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

घ. यह तुरंत, बाधारहित और ऑनलाइन सत्यापन प्रदान करके प्रमाणपत्रों और अंकतालिकाओं की धोखाधड़ी की फर्जी प्रथाओं को भी समाप्त करता है।

केंद्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षण स्टाफ के वेतनमान का पुनरीक्षण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समीक्षा समिति गठित की थी। मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वेतन समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच की गई और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल को भेजा गया। मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.10.2017 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण स्टाफ के पुनरीक्षित वेतनमानों को अनुमोदित किया। मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनरीक्षण हेतु दिनांक 02.11.2017 और 08.11.2017 के पत्र सं.1–7/2015–यू.

II(1) की मार्फत आवश्यक आदेश जारी किए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और कालेजों में रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के वेतन पुनरीक्षण हेतु भी दिनांक 02.11.2017 और 08.11.2017 को पत्र सं.1–7/2015–यू.II(2) जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजनाः भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना की शुरूआत 1949 में की थी जिसका उद्देश्य प्रख्यात शिक्षाविदों और स्कॉलरों को ज्ञान में उनके योगदान की सराहना करना है।

प्रख्यात व्यक्तियों, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है तथा अभी भी उपयोगी अनुसंधान करने में सक्षम है, की राष्ट्रीय प्रोफेसरों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया गया है। यह नियुक्ति प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे और 5 वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद, एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर जीवनपर्यंत पेंशन का हकदार होगा।

अन्य लाभ और परिलब्धियांः राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर पद का मानदेय 75,000/– रूपये प्रतिमाह है। पहली अवधि अथवा विस्तारित दूसरी अवधि के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर 25,000/– रूपये प्रतिमाह की जीवनपर्यंत पेंशन का हकदार है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर को दिया गया मानदेय और पेंशन को आयकर से छूट है। मानदेय के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर को कार्यालय व्यय, सहायक स्टाफ का वेतन, उपस्कर की खरीद आदि के आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एकमुश्त भुगतान भी दिया जाता है। वर्तमान में, एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर को अधिकतम 1,00,000/–रूपये प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। उचित मामलों में मानव संसाधन विकास मंत्री नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री उसको देखते हैं। मौजूदा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर की अधिकतम संख्या किसी भी समय, जीवनपर्यंत पेंशन पाने वालों को छोड़कर 12 से अधिक नहीं होगी। किसी भी तत्काल आवश्यकता से निपटने के लिए सामान्यतः कम से कम दो सीटें रिक्त रखी जाती है।

एनआरपी अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय या संस्था में अपने क्षेत्रों में अनुसंधान जारी रखने हेतु स्वतंत्र हैं और उनसे उनके द्वारा किए गए अनुसंधान की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजना अपेक्षित है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय योजना (सीएसआईएस)

योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी, महिलाओं और निःशक्तजन सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से कोई भी गरीबी के कारण व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच से वंचित न रहे।

कवरेजः इस योजना में 4.5 लाख रूपये तक की प्रति वर्ष वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस से संबंधित सभी छात्रों को कवर करने का इरादा है। इस योजना में भारतीय बैंक संघ से मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से ईडब्ल्यूएस के सभी छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण पर आस्थगन अवधि (अर्थात मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि के साथ एक और वर्ष) के दौरान पूर्ण ऋण सब्सिडी देने की व्यवस्था है। इस स्कीम के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।

लक्ष्य/उपलब्धिः इस योजना के लिए बजट आकलन 2017–18 में शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) सहित 1950 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। योजना की शुरूआत से अब तक इससे 24,89,718 छात्र लाभांवित हुए हैं।

शैक्षिक ऋण क्रेडिट गारंटी फंड :– शैक्षिक ऋण क्रेडिट गारंटी फंड योजना को 17 सितंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड के लाभ निम्नवत हैंः–

i. यह संस्थाओं के गैर–निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) में कमी करेगा और अधिक मुद्रा को बढ़ाएगा जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी जो उच्चतर शिक्षा में जीईआर में वृद्धि में सहायक होगा।

ii. शैक्षिक उद्देश्य हेतु ऋण देने (आसान और फ्लेक्सी ऋण सहित) के लिए अधिक संस्थाएं आगे आएंगी और इससे सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता आएगी।

iii. शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी केवल भारत में अध्ययन हेतु है लेकिन अनुमोदित क्रेडिट गारंटी विदेश में शैक्षिक ऋण की व्यवस्था करती है। इससे डीआरटी के मामलों में भी कमी आएगी और बैंकों से क्रेडिट गारंटी फंड देने से पहले सभी संभावनाओं को भलीभांति परखने की उम्मीद की जाती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक ऋण क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफईएल) के तहत, केंद्र सरकार कुछ शर्तों के अध्यधीन ऋण लेने वाले छात्रों द्वारा चूक होने पर अनुसूचित बैंकों से गारंटी राशि के 75% तक 7.5 लाख रूपये तक की गारंटी देगी।

फंड हेतु केंद्र सरकार सेटलर फॉर द फंड और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) में ट्रस्टी है।

राष्ट्रीय रैगिंग निवारण कार्यक्रम

लक्ष्यः शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग की बुराई पर नियंत्रण और भारत को एक रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाना।

कवरेजः

1. यह कार्यक्रम पूरे देश को कवर करता है। रोकथाम (i) कॉलेज प्राधिकारियों और माता–पिता एवं छात्रों के बीच बेहतर संचार (ii) कारगर निगरानी तथा कानूनों का पालन और (iii) सार्वजनिक

जागरूकता बढ़ाकर की जाती है। इस कार्यक्रम में छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावकारी कार्यतंत्र का भी प्रावधान है।

2. यूजीसी ने सभी संबंधित द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई करने के अलावा, रैगिंग के पीडितों की सहायता हेतु कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ 12 भाषाओं में एंटी रैगिंग टोल फ्री 'हेल्पलाइन' 1800–180–5522 शुरू की है। रैगिंग की शिकायतें ई–मेल के माध्यम से helpline@antiragging.in पर भी दर्ज करवाई जा सकती है।

3. राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा दिनांक 18.04.2012 से 04.12.2017 के दौरान रैगिंग की 3272 शिकायतें रिकार्ड की गईं जिनमें से 3116 शिकायतों का निपटान किया गया है।

4. यूजीसी ने रैगिंग रोधी वेबसाइट अर्थात www.antiragging.in भी तैयार की है। इस पोर्टल पर प्राप्त दर्ज शिकायतों के और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति का रिकार्ड उपलब्ध है। पीडित www.amanmovement.org. के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा दिनांक 29.05.2017 को रैगिंग की शिकायतें दर्ज करवाने, रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने और टोल फ्री रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करने के लिए एक रैगिंग रोधी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरूआत की गई थी।

5. एंटी रैगिंग रोकथाम हेल्पलाइन और इसके सहयोगी तंत्र के क्षेत्र को विस्तारित करके पूरे देश के विद्यार्थियों के बीच के नस्लीय और जातीय भेदभाव मामलों को शामिल किया गया था। अब यह रैगिंगरोधी और जातीय भेदभाव रोधी हेल्पलाइन है।

6. जन जागरूकता अभियानों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी ने रैगिंग, रैगिंग के विभिन्न प्रक्षेपों पर वीडियो (आरोपी, पीडित और अभिभावक) और रैगिंग रोधी वृत्तचित्र के विरूद्ध अभियान पर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। ये वीडियो यूजीसी वेबपेज http://www.ugc.ac.in/page/Video&Regarding&Ragging-aspx पर उपलब्ध हैं।

7. शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों वाली समिति द्वारा कार्यक्रम की समग्र निगरानी की जाती है।

स्वच्छता रैंकिंग कार्य

स्वच्छता की एक अति महत्वपूर्ण पहलु के रूप में पहचान की गई है जिस पर उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अग्रणी भूमिका अदा करती है। इस कार्य को संस्थाओं के बीच पीयर प्रैशर उत्पन्न कर शुरू करने का निर्णय लिया था ताकि कैम्पस स्वच्छता के संदर्भ में शीघ्र परिणाम प्राप्त हों।

कैम्पस साफ–सफाई रखने में संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा भावना लाने और अपने पास–पड़ोस में स्वच्छता की भावना फैलाने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) के लिए स्वच्छता रैंकिंग कार्य शुरू किया गया था। स्वच्छता रैंकिंग निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर की गई थीः–

(क) संस्थाओं में प्रसाधनों की पर्याप्तता और रख–रखाव।

(ख) ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया।

(ग) कैम्पस में कूड़ा–कचना निपटान सुविधा।

(घ) छात्रावास रसोई सुविधाएं, उनका आधुनिकीकरण और स्वच्छता।

(ड.) कैम्पस में हरियाली और संपूर्ण साफ–सफाई।

(च) जल स्वच्छता, पर्याप्तता और उपलब्धता का प्रसार।

(छ) पास–पड़ोस में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ऑफ–कैम्पस कार्यकलाप।

देश की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से कैम्पस स्वच्छता और ऑफ कैम्पस कार्यकलापों के कुछ मुख्य पैरामीटरों पर ब्यौरे देते हुए, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए

थे, जिसके बाद यूजीसी और एआईसीटीई की टीमों ने 3500 आवेदनकर्ता संस्थाओं में से शीर्ष 174 का निरीक्षण किया। इनमें से, इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति ने संस्थाओं की 5 श्रेणियों में से शीर्ष 25 संस्थाओं की पहचान की और उनको 14 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस रैंकिंग कार्य ने अब स्वच्छता के संवेदनशील क्षेत्र

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छता रैंकिंग, 2017 जारी करते हुए

में भविष्य हेतु शैक्षिक संस्थाओं के बीच पीयर प्रैशर उत्पन्न किया है।

भारत सरकार का उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उन्नत भारत अभियान की परिकल्पना परिवर्तनशील ग्रामीण विकास के दोहरे उद्देश्यों और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अधिक सामाजिक प्रसंग की प्रस्तावना के समाधान हेतु एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में की गई है। इस योजना का उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं जो ग्रामीण सुधार कार्य हेतु स्वप्रेरित करना हैं, ग्रामीण कार्यों में ट्रैक रिकार्ड साबित हो चुका है और क्षेत्र दौरे जैसी प्रारंभिक प्रक्रियाओं के लिए अपने संसाधन सौंपने के इच्छुक हैं, को शामिल करना है। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अंगीकृत गांवों के संबंध में दिए गए सुझावों का संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में संसाधनों से निष्पादन किया जाएगा।

कार्यात्मक उद्देश्य

क) प्रत्येक तकनीकी संस्था लोगों की आवश्यकताओं के लिए समाधान का पता लगाने हेतु नवाचारी पद्धति अपनाएगी।

ख) तकनीकी संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं के छात्र ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को समझेंगे और उनको अनुबंधित करेंगे।

ग) गांव और जिला प्राधिकारियों द्वारा बनाई और लोगों की आवश्यकतानुसार मौजूदा नवाचारी प्रौद्योगिकी की पहचान और चयन, प्रौद्योगिकीयों का समर्थ अनुकूलन, या नवाचारी समाधानों हेतु कार्यान्वयन पद्धति तैयार करना।

घ) गैर–तकनीकी संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज और सम–विश्वविद्यालय, कॉलेज और सम विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप, जहां व्यवहार्य हो, को बढ़ावा देने सहित ग्रामीण आवश्यकताओं हेतु समाधानों का पता लगाने एवं सामाजिक री–इंजीनियरिंग में योगदान देने और उनको समझने के लिए ग्रामीण प्रक्रियाओं में भागीदारी करेंगी।

ड.) सभी समाधान टिकाऊ, कार्यान्वयन योग्य, मापनीय और ग्राह्य होंगे।

च) प्रौद्योगिकीय समाधानों का पूर्णतः अधिरोपण नहीं किया जाएगा और सभी समाधानों को ग्राम आवश्यकता के अध्ययन से पता लगाया जाएगा और पंचायत एवं जिला प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाएगी।

छ) निष्कर्ष पैरामीटरों का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाएगा।

योजना का वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक तीन वर्षों के लिए कुल परिव्यय 83.08 करोड़ रूपये है।

उन्नत भारत अभियान और स्वच्छता

ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी हेतु ज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता करना। तदनुसार उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के तहत 85 से अधिक संस्थाओं ने लगभग 400 गांव गोद लिए हैं।

उन्नत भारत अभियान के तहत स्वच्छता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें जिला कलेक्टर के साथ कार्य करते हुए गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति सुनिश्चित करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को जिला कलेक्टर के साथ कार्य करने को कहा गया था ताकि उनके चयनित गांवों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर ओडीएफ को प्राप्त किया जा सके।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों के सहयोग से अजमेर (राजस्थान), झबुआ (मध्यप्रदेश) मेडक (तेलंगाना), वारांगल (तेलंगाना) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में पांच गांव चिन्हित किए गए थे और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं संस्थापित कर उनको खुले में शौच मुक्त किया गया था। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान लघु अवधि में यह कार्य शुरू किया गया था और 31 अगस्त, 2017 को समाप्त किया गया था। इस प्रयास से लगभग 1200 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए थे। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 14 सितंबर, 2017 को कलेक्टरों और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के नोडल संकाय को पुरस्कृत भी किया गया था।

राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 12वीं योजना में राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल की शुरूआत की है। इस पहल के तहत, 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क को, इन सभी स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रूपये है। इस योजना के तहत संकाय और भूमि सहित वर्तमान संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुगम बनाने के लिए आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को वर्तमान सार्वजनिक निधियन में सह–संबद्ध करके 20 डीआईसी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक डीआईसी को 10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सम्पूर्ण देश को कवर करने के लिए भौगोलिक विस्तार के आधार पर डीआईसी की पहचान की जाएगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर मुक्त कला तक को कवर की जाने की आशा है। ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शैक्षिक संस्थाओं के बृहत स्पैक्ट्रम को जोड़ने) और इंटरनेट के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों का निःशुल्क आदान–प्रदान करके देश में डिजाइन शिक्षा और कार्य की अधिकतम पहुंच बनाने को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन उन डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा जो सभी क्षेत्रों में डिजाइन नवाचार को बढ़ावा देने और संस्थाओं के बीच बृहत रेंज वाली सहयोगी परियोजनाएं विकसित करने के लिए डिजाइन शिक्षा तक पहुंच और एक्सेस और आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और शिक्षाए गैर सरकारी संगठनों और सरकार के अग्रणी संस्थानों के साथ घनिष्ठता से काम करते हैं।

वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने दस संस्थानों अर्थात –आईआईटी, मुम्बई, आईआईटी, दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएस बंगलौर, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी, भुवनेश्वर, आईआईटी, बीएचयू, राजस्थान विश्वविद्यालय, सावित्री फूले पुणे विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परियोजना प्रस्तावों को मंजूदी दी गई थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान, डीआईसी की स्थापना के लिए अभी तक छह संस्थानों–योजना एवं वास्तुकला स्कूल दिल्ली, आईआईटी, कानपुर और पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनटीयू, काकीनाडा, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में, तीन लंबित डिजाइन नवाचार केंद्रों (डीआईसी) को अंतिम रूप देने के लिए कार्य प्रगति पर है। तीन लंबित डीआईसी (जिनके लिए 10 प्रस्तावों की पहले ही जांच की गई है) को अंतिम रूप देने के लिए एनआईडीआई योजना का मार्च, 2020 तक विस्तार करने हेतु अनुमोदन भी ले लिया गया है।

जहां तक निष्कर्ष का संबंध है, लगभग 45 उत्पादों को डीआईसी द्वारा पेंटेंट किया गया है और लगभग 200 उत्पाद प्रक्रियाधीन हैं। इस योजना के तहत शुरू किए गए पाठ्यक्रमों हेतु 9000 छात्रों को नामांकित किया गया है।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी)

देश में स्कूल तथा उच्चतर शिक्षा दोनों स्तर पर शिक्षा के तेजी से होते हुए विस्तार के साथ गुणवत्ता में सुधार शैक्षिक विकास का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता में शिक्षकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अध्यापकों को तैयार करने और कक्षा–कक्ष, स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कार्यकारी परिस्थितियों के साथ–साथ उनके सतत् व्यावसायिक विकास, देश की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा को भावी पीढ़ी तैयार करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः उक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 25 दिसम्बर, 2014 को 900 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।

यह मिशन शिक्षकों से संबंधित सभी मामलों जैसे–शिक्षण, शिक्षक तैयार करना, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन, आकलन और मूल्यांकन पद्धतियों का डिजाइन तथा विकास, शिक्षा शास्त्र में अनुसंधान और प्रभावी शिक्षा–शास्त्र के विकास आदि पर विचार करता है। यह सरकार की कार्रवाई का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह मिशन एक ओर तो मौजूदा तथा तात्कालिक मामलों जैसे कि योग्य शिक्षकों की आपूर्ति, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की और आकर्षित करने और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी मामलों का समाधान करता है। दूसरी ओर यह इस बात पर भी विचार करेगा कि मिशन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और नवाचार शिक्षण के लिए निष्पादन मानकों का निर्धारण और उच्च कोटि की संस्थागत सुविधाओं के सृजन द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक संवर्ग के निर्माण हेतु दीर्घकालिक लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए।

योजना के विभिन्न घटकों के तहत संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के लिए अब तक देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कुल 64 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। मिशन में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क्र. सं.	घटक का नाम	स्थापित किए जाने हेतु कुल संख्या	अब तक स्थापित की संख्या
1.	स्कूल शिक्षा (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में)	30	12
2.	पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र हेतु उत्कृष्टता केंद्र	50	34
2.1	विज्ञान तथा गणित शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र	5	3
2.2	शिक्षण अधिगम केंद्र	25	25
2.3	संकाय विकास केंद्र	20	6
3.	अध्यापक शिक्षा हेतु अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र	2	2
4.	राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र	1	1
5.	शैक्षणिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन केंद्र	5	3
6.	कार्यशाला एवं सेमिनार सहित नवाचार, पुरस्कार, शिक्षण संसाधन अनुदान	कोई निश्चित संख्या नहीं	9
7.	पाठ्यचर्या नवीकरण एवं सुधार हेतु विषय नेटवर्क	कोई निश्चित संख्या नहीं	3
8.	उच्चतर शिक्षा में नए भर्ती संकाय हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–

9.	उच्चतर/माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के वरिष्ठ शिक्षाविदों और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं (वीसी/रजिस्ट्रार/डीन/हैड) हेतु अकादमिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम	–	–
	कुल	64	

योजना के तहत अब तक 10 पीएबी बैठकें आयोजित की गई, 64 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कुल 201.3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना का बजट आकलन (बीई), संशोधित आकलन (आरई) और वास्तविक व्यय निम्नवत है:

वर्ष	2014–15*	2015–16	2016–17	2017–18
बजट अनुमान (बीई)	100	100	120	120
संशोधित अनुमान (आरई)	15	63	110	उपलब्ध नहीं
वास्तविक व्यय	1.25	59.95	70.04	70.66

** यह योजना दिसम्बर, 2014 में शुरू की गई थी।*

 # व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18

******

अध्याय 03

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अध्याय 03

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

यूजीसी 1956 में विश्वविद्यालयय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और विस्तार और मानकों के रखरखाव के निर्धारण के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संगठन है। यह आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देता है। यह नई दिल्ली और हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल और पुणे में स्थित अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

यूजीसी की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का निष्पादनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा में उत्कृष्टता को गति देने के अपने प्रयास में आयोग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान वितरित करता है। सामान्य विकास अनुदान केन्द्रीय, राज्य और समविश्वविद्यालयों को वे अपने समग्र विकास के पहलुओं जैसे पहुंच बढ़ाने, इक्विटी सुनिश्चित करने, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाने और विश्वविद्यालयों की किसी अन्य योजना के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, इमारतों के रखरखाव और अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन और बिजली के बिल, डाक आदि के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय और कुछ सम विश्वविद्यालयों को योजना और गैर–योजना अनुदान दोनों का भुगतान किया जा रहा है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजना अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (30 नवंबर, 2017 तक) के दौरान शैक्षिक सुधार : यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वयन और निर्धारण में अपने अधिदेश के निर्वहन में विशेष विनियामक उपाय किए हैं। ये विनियम हैं:–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताए और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग हेतु मानदंडों का संवर्धन और रखरखाव) विनियम, 2016
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016.
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण) विनियम, 2017
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्कृष्ट समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017

उत्कृष्ट क्षमता विश्वविद्यालय (यूपीई) और उत्कृष्ट क्षमता कॉलेज (सीपीई) : शिक्षण और अनुसंधान में उकृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग 16 अभिज्ञात विश्वविद्यालयों की "उत्कृष्ट क्षमता विश्वविद्यालय (यूपीई) " का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता कर रहा है। यूपीई योजना के तहत विश्वविद्यालयों को वर्ष 2016–17 के दौरान, 70.11 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई और वर्ष 2017–18 (27.11.2017 तक) के दौरान 32.50 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

इसी प्रकार, कॉलेजों में मुख्यतः शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अनुसंधान संस्कृति शुरू करने के लिए, यूजीसी अपनी 'उत्कृष्ट क्षमता कॉलेज' योजना के तहत पात्र कॉलेजों को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, 295 कॉलेज सीपीई दर्जा और 19 कालेजों उत्कृष्ट कालेज (सीई) दर्जा का लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2017–18 (अक्तूबर 2018 तक) के दौरान सीपीई योजना के तहत कॉलेजों को 68 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) : अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की योजना के तहत जैव विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, एसएपी सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 815 थी। वर्ष 2017–18 (नवंबर, 2017 तक) के दौरान, विभिन्न स्तर पर विभागों को 17.51 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता दी गई।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए गए अनुदानों को अंतरित करने की व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास है। डीबीटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह लाभ व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, निधि प्रवाह में शामिल स्तरों को कम करने, जिससे भुगतान में देरी को कम करने, लाभार्थी के सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ और दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। यूजीसी की सभी छात्रवृत्ति अध्येतावृत्ति योजनाओं को डीबीटी मोड में अंतरित किया गया है। दिनांक 01.07.2017 से पूर्व चयन वर्षों से संबंधित विरासत मामलों को भी डीबीटी मोड में अंतरित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी 2.0) पर अपलोड कर दिया गया है।

जन शिकायत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सचिव, यूजीसी की आईडी पर भारत सरकार के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल से ऑनलाइन लोक शिकायत प्राप्त होती है। शिकायतें याचिकाकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत हैं और लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत (डीएआरपीजी) राष्ट्रपति सचिवालय, पेंशन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से यूजीसी को भेजी जाती है। इस पहल का उद्देश्य जनता/छात्र शिकायत के समाधान हेतु तंत्र प्रदान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यूजीसी द्वारा ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों का ऑफलाइन माध्यम से निपटान किया जाता हे ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के समाधान हो सके।

स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति : लड़कियों का शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ने का अनुपात लड़कों की तुलना में काफी अधिक है। महिलाओं पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे हासिल करने के लिए, यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका फैलोशिप की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य विशेषकर उन लड़कियों के लिए उच्चतर शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति करना है जोकि अपने परिवार में एकमात्र बालिका होगीद्य

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी प्रकार के अनुदान के वितरण के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की है। पीएफएमएस सरकारी लेनदेन के भुगतान, लेखाकरण और सुलह के लिए एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है और विभिन्न मौजूदा स्टैंडअलोन सिस्टम को एकीकृत करती है। यह सरकारी योजनाओं को सहायता–अनुदान के लिए लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत

एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफार्म है, और सभी प्राप्तकर्ता एजेंसियों के डाटाबेस, बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकरण, योजनागत निधि से निपटने, राजकीय कोष के साथ एकीकरण और वित्त प्रवाह के कुशल और प्रभावी ट्रैकिंग का कार्य करता है। विभिन्न मॉड्यूल चलाने के लिए पीएफएमएस के उपयोगकर्ताओं को ऑनस्क्रीन जानकारी मिलती है। हालांकि, सभी प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए इस उपयोगकर्ता मैनुअल के माध्यम से एक प्रयास किया गया है

अब यह अनिवार्य किया गया है कि अनुदान प्रदाता संस्थान को पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जाए, उदाहरण के लिए यूजीसी योजनाओं हेतु योजना कोड 0875, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय एजेंसी के रूप में और उसी खाता संख्या के साथ उचित योजना में जोड़ा जाए जो आवेदन/प्रस्ताव के समय अनुदान देने वाले ब्यूरो को प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यूजीसी ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचित किया है कि वे पोर्टल पर यूजीसी के वित्तपोषण के साथ संबंधित योजना को उनको प्रदान की गई लॉग–इन आई.डी. और पासवर्ड के साथ पंजीकृत कर सकें। यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के कॉलेजों के लिए नए संस्थानिक पंजीकरण और योजना पंजीकरण की सुविधा दे रहे हैं और विश्वविद्यालयों को यूजीसी मुख्यालय द्वारा अनुदानों के पीएफएमएस आधारित अनुदान वितरण में सुचारु अंतरण के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। यूजीसी तीन योजनाओं नामतः 0873, 0874 और 0875 में पीएफएमएस के माध्यम से योजना निधि प्राप्त करता है और सीपीएसएमएस के तहत मॉनीटरिंग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ खाका तैयार किया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान केवल पीएफएमएस के माध्यम से वितरित किया जाता है।

अनिवार्य प्रत्यायन : यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, की स्थापना 16 सितंबर, 1994 को उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन के उद्देश्य से की गई थी। एनएएसी तकनीक और कार्य पद्धतियों के आकलन से प्राप्त अनुभवों के आलोक में, जब कभी भी आवश्यक समझे आवधिक समीक्षा, संशोधन और अपडेट करता है और सुधारात्मक, समाधान और आत्म समन्नुति हेतु उचित तौर–तरीके से संबंधित संस्थान की ग्रेडिंग और मूल्यांकन के परिणामों से अवगत कराता है। दिनांक 31.03.2017 तक, एनएएसी ने 10,895 उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्यायित किया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई–फाईः भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुसार, यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए वाई–फाई परियोजना हेतु परियोजना लागत अनुमोदित की है। एमएचआरडी, यूजीसी, एनआईसीएसआई और 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच हॉट–स्पॉट/वाई–फाई कैम्पस हेतु अगस्त, 2016 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूजीसी ने वाई–फाई परियोजना के तहत 27 केंद्रीय विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान के रूप में 175.72 करोड़ रूपये की राशि जारी की है और शेष 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वाई–फाई परियोजना हेतु जीडीए के तहत दी गई अनुदान राशि से व्यय करने को कहा गया है।

यूजीसी योजनाओं के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगः राष्ट्रीय सूचना आयोग (एनआईसी) ने यूजीसी की योजनाओं हेतु वेब आधारित ऑनलाइन अनुप्रयोग तैयार किया है। प्रयोक्ता मैनुअल, जो आवेदन के उपयोग के बारे में चरण–दर–चरण निर्देश देते हैं, योजनाओं के लिए भी विकसित किए गए हैं, अर्थात् (i) केंद्रीय, राज्य और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विकास सहायता योजना, (ii) भारतीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास (iii) कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में समान अवसर सेल (एस) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण (v) महिला छात्रावास का निर्माण (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक छात्र के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग क्लासेस (vii) एससी/एसटीओबीसी (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक के लिए एनईटी/एसईटी कोचिंग (viii) विशेष शिक्षा में शिक्षक की तैयारी (IX) विशेष

आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) (x) कॉलेजों में सम्मेलनों, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन (xi) विभिन्न शैक्षिक अनुसंधान कार्यकलापों के आयोजन हेतु शिक्षक, विषय संघ को प्रोत्साहन (xii) सामाजिक अनन्य और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु केंद्रों की स्थापना (xiii) विश्वविद्यालय और कॉलेजों हेतु सामुदायिक कॉलेज योजना (xvi) उत्कृष्टता क्षमता विश्वविद्यालय (यूपीई) (xv) उत्कृष्टता क्षमता कॉलेज (सीपीई), उत्कृष्ट कॉलेज (सीई) आदि इन आवेदनों को एनआईसी सर्वर पर रखा गया है और इनको यूआरएल: http://eschemesugc-gov-in पर देखा जा सकता है।

यूजीसी की 40 योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। वर्ष 2016–17 के दौरान यूजीसी के ई–योजना पोर्टल (http://www-eschemesugc.gov.in पर आठ योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है।

कौशल विकास पहलें: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष 2013–14 के दौरान पायलट आधार पर सामुदायिक कॉलेजों की योजना शुरू की थी, जो कि स्थानीय स्तर पर कम लागत वाली उच्च गुणवत्ता शिक्षा की पेशकश के मुख्य उद्देश्य से पारंपरिक कौशल विकास के साथ–साथ परंपरागत पाठ्यक्रम के काम भी शामिल करती है, जिससे शिक्षार्थी को सीधे रोजगार के क्षेत्र में जाने या उच्च शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। वर्ष 2017–18 (नवंबर, 2017 तक) योजना के अंतर्गत 199 सामुदायिक कॉलेज अनुमोदित किए गए और 13.69 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

यूजीसी ने कॉलेज/यूनिवर्सिटी शिक्षा के एक भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्च शिक्षा पर एक योजना भी शुरू की है जिसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत कई प्रवेश और निकास विकल्प जैसे डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा के साथ बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वॉक.), 162 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस योजना के तहत अनुमोदित किया गया है और 2017–18 (नवंबर, 2017 तक) के दौरान 10.30 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

कौशल विकास के लिए बी.वोक. और सामुदायिक कॉलेज योजनाओं के अलावा, यूजीसी विभिन्न स्तरों पर उद्योग आवश्यकताओं के लिए कुशल श्रम शक्ति बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान कुशलता और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका केन्द्र (डीडीयू कौशल केंद्र) योजना का उन्नयन कर रहा है। वर्ष 2017–18 (नवंबर, 2017 तक) के दौरान, 8600 छात्र क्षमता वाली 63 संस्थाओं की डीडीयू कौशल केंद्रों हेतु सिफारिश की गई थी और 3.15 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया गया था। विश्वविद्यालयों/कॉलेजों हेतु सहायता की सीमा 05.00 करोड़ रूपये है।

पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए योजनाएं

ईशान उदय – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना: उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में, यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'ईशान उदय' विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की थी। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 5,400 रुपये प्रति माह है और तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 रुपये प्रति माह हैद्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत 10,000 उम्मीदवार चुने जाते हैं। यूजीसी और केनरा बैंक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सीधे केनरा बैंक द्वारा की जाती है। 17901 छात्रवृत्ति धारकों हेतु 31 अगस्त, 2017 तक (2017–18 के दौरान) 8.13 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। पूर्वोत्तर छात्रों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (http://scholarships.gov.in) पर अपलोड किया गया है।

******

अध्याय 04

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अध्याय 04

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिनकी स्थापना शिक्षण अधिगम– प्रक्रिया में नवाचार और अंतर विषयक अध्ययन के माध्यम से अनुसंधान और अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के जरिए ज्ञान के सृजन और प्रसार हेतु की गई है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि ये विश्वविद्यालय स्वयं को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में स्थापित करेंगे और समाज तथा अपने आस–पास की शैक्षणिक संस्थाओं के समग्र विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। केन्द्रीय विश्वविद्यालय उनके संबंधित अधिनियम और उनके तहत बनाए गई सांविधियों और अध्यादेशों के द्वारा अभिशासित होते हैं। वर्तमान में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 40 का वित्तपोषण यूजीसी के माध्यम से किया जाता है, जबकि इग्नू का निधियन सीधे मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वाई–फाई – सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना का उद्देश्य नेशनल नॉलेज नेटवर्क के लिए विद्यार्थियों हेतु पहुंच सुधार करना है। 26 विश्वविद्यालयों में ओपीईएक्स के माध्यम से वाई–फाई सुविधा प्रदान की गई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में वाई–फाई की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार हैं :–

(क) वाई–फाई की सुविधा वाले विश्वविद्यालय – 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(ख) ओपीईएक्स मॉडल के माध्यम से वाई–फाई सुविधा प्राप्त – 26 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(ग) नये परिसरों में आंशिक वाई–फाई सुविधा – 02 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(घ) अस्थायी परिसरों के कारण वाई–फाई सुविधा प्रदान न किया जाना – 02 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

एमएचआरडी के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1	अरूणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पी.ओ. दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश – 791 112
2	असम	असम विश्वविद्यालय, पीओः असम विश्वविद्यालय, सिलचर – 788 011
3.		तेजपुर विश्वविद्यालय, जिलाः सोनितपुर, पी.बी.नं. 72, नापाम, तेजपुर,
4.	तेलंगाना	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश – 500046
5		मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गचीबावली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
6.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद,आंध्र प्रदेश – 500007

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
7.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली – 110025
8.		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007
9.		जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली– 110067
10.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 16, पंचतिला, उमरी गांव, अरवी रोड, वर्धा, मुंबई, महाराष्ट्र – 442001
12.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 910, आइजोल, मिजोरम – 796009
13.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, एनईएचयू कैंपस, शिलांग, मेघालय – 793022
14.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल, मणिपुर – 795003
15.	नगालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमनी, नागालैंड – 797 001
16.	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कलापेट, पुदुचेरी – 605 014
17.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 माइल, समदुर, पी.ओ. तडोंग, गंगटोक, सिक्किम –737 102
18.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा –799 130, अगरतला
19.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुड़ी कैंपस, कांगालन्चेरी (पोस्ट), तिरुवरूर – 610 101
20.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202 002
21.		बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226 025
22.		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221 005
23.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 211 002
24.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल–731 235
25.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल 246174
26.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बांदर सिंदरी, जिला – अजमेर – 305 801, राजस्थान
27.	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, बठिंडा – 151 001
28.	ओडिशा	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लैंडिगुडा, कोरापुट, ओडिशा – 764 020
29.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्व विद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश – 470 003
30.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मकल सदन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
31.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टावर्स, नयनमार मूला विद्यानगर पोस्ट ऑफिस., कासरगोड – 671 123
32.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कडगनची, अलंद रोड, अलंद तालुक, गुलबर्गा (जिला) – 585 311, कर्नाटक
33.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहरदेज रोड, ब्राम्बे, रांची – 835 205, झारखंड
34.	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैंपस, सोनवार, जीबी पंत अस्पताल, श्रीनगर के पास – 190 005 (जम्मू–कश्मीर)
35.		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागला (रह्या–सुहानी), जिला. सांबा, जम्मू –181 143 (जम्मू–कश्मीर)।
36.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. .21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176 215
37.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव जंत–पाली, जिला– महेंद्रगढ़ – 123 029, हरियाणा
38.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्व विद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – 495009
39.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी परिसर, पी.ओ. – बी.वी. कॉलेज, पटना – 140014
40.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार
41.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर –29, गांधीनगर – 382 029, गुजरात.

******

अध्याय 05

उत्कृष्ट संस्थाएं, समवत और निजी विश्वविद्यालय

अध्याय 05

उत्कृष्ट संस्थाएं, समवत और निजी विश्वविद्यालय

उत्कृष्ट संस्थाएं

माननीय वित्त मंत्री ने 2016 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 'उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में सहायता प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता है। विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में स्थापित होने हेतु 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थाओं को समर्थ विनियामक कार्यढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक यह आम भारतीयों की पहुंच को बढ़ाएगा। एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।' बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने 'उत्कृष्ट संस्थाएं' कही जाने वाली विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में 20 संस्थाओं (10 सार्वजनिक क्षेत्र और 10 निजी क्षेत्र की) के उन्नयन/स्थापना हेतु विनियामक कार्यढ़ांचा प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी थी। विनियामक कार्यढ़ांचे को सरकारी संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में घोषित करना) दिशा–निर्देश, 2017 और निजी संस्थाओं के लिए (समवत विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थाएं) विनियम, 2017 के रूप में उपलब्ध कराया है, जिसकी जानकारी यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा चौलेंज पद्धति के माध्यम से चयन किया जाएगा। विश्व स्तरीय संस्था बनने के लिए संस्थाओं को उनके स्वयं के मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी आशा की जाती है कि चुनिंदा संस्थाएं 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 स्थानों में शामिल होंगे और समय के साथ शीर्ष 100 में शामिल होंगे। शीर्ष विश्व रैंकिंग प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं को व्यापक स्वायत्तता अर्थात विद्यार्थी प्रवेश में 30% तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने, संकाय क्षमता के 25% तक विदेशी संकाय की भर्ती करने, अपने कार्यक्रमों में से 20% कार्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने; यूजीसी की अनुमति के बिना विश्व रैंकिंग की शीर्ष 500 संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोग बिना किसी बाधा के विदेशी विद्यार्थियों से फीस प्रभावित करने डिग्री प्राप्त करने के लिए क्रेडिट घंटों और वर्षों की संख्या के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना की स्वतंत्रताय पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में चयनित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक को 1000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस संबंध में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों से उत्कृष्ट संस्था हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

समवत विश्वविद्यालय

समवत विश्वविद्यालय की अवधारणा डॉ एस राधाकृष्ण आयोग रिपोर्ट 1948–49 की सिफारिशों से सामने आई थी। समवत विश्वविद्यालय की अवधारणा के पीछे ऐसी संस्थाओं जिनके साथ विश्वविद्यालय जैसी ऐतिहासिक या अन्य परिस्थितियां नहीं है लेकिन जो कि एक विश्वविद्यालय के समान विशेषीकृत शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उन्हें बढ़ावा देने, सुदृढ़ करने और यूजीसी के अंतर्गत लाने का विचार है।

केंद्र सरकार द्वारा किसी संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के परामर्श से यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से समवत विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है जबकि

अन्य विश्वविद्यालयों को संसद के अधिनियम अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है।

वर्तमान में, 123 समवत विश्वविद्यालय (24.01.2018 तक) हैं। 123 समवत विश्वविद्यालयों में से 35 सरकारी नियंत्रण में जबकि 88 संस्थाएं निजी नियंत्रण में है। निजी नियंत्रण वाली 88 संस्थाओं में से 13 संस्थाएं यूजीसी से पूर्णतः/आंशिक अनुदान प्राप्त कर रही है और 2 संस्थाएं पीपीपी मोड के अंतर्गत स्थापित की गई है।

24/1/2018 की स्थिति के अनुसार समवत विश्वविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
आंध्र प्रदेश			
1.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), गांधी नगर कैंपस, रुशिकोंडा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश – 530045	13.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
2.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीनफील्ड्स, कुंचनपल्ली पोस्ट, वडेसवरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश – 5220202	20.02.2009	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति – 517507, आंध्र प्रदेश	16.11.1987	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4.	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम, अनंतपुर – आंध्र प्रदेश	10.11.1981	निजी तौर पर नियंत्रित (आंशिक रूप से यूजीसी द्वारा वित्तपोषित)
5.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विग्नन फाउंडेशन फॉर साइंस, वडलामुडी, गुंटूर जिला – 522213, आंध्र प्रदेश	19.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
अरूणाचल प्रदेश			
6	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर –791109, अरुणाचल प्रदेश।	31.05.2005	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
बिहार			
7.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा – 803 111, बिहार।	13.11.2006	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
चंडीगढ़			
8.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर – 12, चंडीगढ़ – 160 012	16.10.2003	केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन, भारत सरकार
दिल्ली			
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा संस्थान, पूसा, नई दिल्ली –110 012	22.08.1958	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
10	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी –21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली –110 016	20.05.2002	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,।
11	भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली –110 001	29.10.2004	विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,
12	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070	10.07.2009	एन.सी.टी.,दिल्ली सरकार
13	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली –110 062	10.05.1989	निजी तौर पर नियंत्रित (आंशिक रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
14	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली –110 011	28.04.1989	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।
15	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 17 – बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016	11.08.2006	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
16	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56, 57, इंस्टीट्युशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली –110 058	07.05.2002	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
17	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्युशनल एरिया, नई दिल्ली –110 016	16.11.1987	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
18	टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबिटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003	05.10.1999	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
गुजरात			
19	गुजरात विद्यापीठ, पीओ नवजीवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद –380 014, गुजरात।	16.07.1963	निजी तौर पर नियंत्रित (आंशिक रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
20	सुमनदीप विद्यापीठ, गाँव – पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला – वडोदरा, गुजरात।	17.01.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
हरियाणा			
21	लिंगया विद्यापीठ, नचौली, ओल्ड फरीदाबाद – जसाना रोड, फरीदाबाद – 121 002 हरियाणा। (पूर्व में लिंगया विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	05.01.2009	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
22	महर्षि मार्कंडेश्वर, मुलाना, अंबाला, हरियाणा। (पूर्व में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	12.06.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
23	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद, हरियाणा (पूर्व में मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध)	21.10.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
24	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, एससीओ, 5, 6, 7, सेक्टर 15 (2), एनएच 8, गुड़गांव, हरियाणा –122 050	20.05.2002	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।
25	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल–132 001, हरियाणा।	28.03.1989	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
26	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम), प्लॉट नंबर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा।	08.05.2012	खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
जम्मू और कश्मीर			
27	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
झारखंड			
28	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची –835 215, झारखंड।	28.08.1986	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
कर्नाटक			
29	बीएलडीई, बीजापुर, कर्नाटक (पूर्व में बीएलडीई विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	29.02.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
30	क्राइस्ट, होसुर रोड, बैंगलोर – 560 029, कर्नाटक। (पूर्व में बीएलडीई विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	22.07.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
31	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर–560 012, कर्नाटक।	12.05.1958	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
32	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 26/सी, इन्फोसिस (गेट – 1), इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सामने, होसुर रोड, बैंगलोर – 560100, कर्नाटक।	28.02.2005	पीपीपी मॉडल
33	जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जगद्गुरु डॉ. श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर – 570 004, कर्नाटक। (पूर्व में जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था)	28.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
34	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बैंगलोर –560064, कर्नाटक।	17.08.2002	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।
35	जैन, 91/2, डॉ. एएन कृष्णा राव रोड, वीवी पुरम, बैंगलोर, कर्नाटक। (पूर्व में जैन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था)	19.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
36	केएलई उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जेएनमेडिकल कॉलेज परिसर, बेलगाम (कर्नाटक)	13.04.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
37	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, उडुपी, मणिपाल –576 104, कर्नाटक	01.06.1993	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
38	एनआईटीटीई, मंगलौर 575 003, कर्नाटक (पूर्व में एनआईटीटीई विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	04.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
39	श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बीएच रोड, तमका, कोलार – 563 101, कर्नाटक।	25.05.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
40	श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षा अकादमी, तुमकुर जिला – 572102, कर्नाटक	30.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
41	स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान, नं.1, अप्पजप्पा अग्रहारा, चामराजपेट, बैंगलोर–560 018, कर्नाटक	08.05.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
42	येनेपोया, मैंगलोर, कर्नाटक (पूर्व में येनेपोया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था)	27.02.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
केरल			
43	केरल कलामंडलम, वल्लथोल नगर, चेरुतुरुति – 679 531, त्रिशूर, केरल के माध्यम से	14.03.2006	केरल राज्य सरकार
44	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल।	03.07.2008	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार,
45	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, एर्णाकुलम, केरल	16.01.2017	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
मध्य प्रदेश			
46	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर –474 002, म.प्र	21.09.1995	युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार,
महाराष्ट्र			
47	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे –411 030, महाराष्ट्र।	26.04.1996	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
48	केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मत्स्य विश्वविद्यालय रोड, 7 बेंगलो, अंधेरी पश्चिम, मुंबई –400 061, महाराष्ट्र।	27.03.1989	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
49	डीवाई पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लाइन बाजार, कस्बा, बावड़ा, कोल्हापुर – 416 006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
50	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एट्रे लेआउट, प्रताप नगर, नागपुर–440 022 (महाराष्ट्र)।	24.05.2005	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
51	डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे –411 006, महाराष्ट्र।	05.03.1990	महाराष्ट्र राज्य सरकार
52	डॉ. डी वाई पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे –411 018, महाराष्ट्र।	11.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
53	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान,बीएमसी कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे –411 004, महाराष्ट्र।	07.05.1993	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
54	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजी. कार्यालयः ज्ञान प्रबंधन समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय परिसर, मुंबई –400 085 महाराष्ट्र।	03.06.2005	भारत सरकार, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग।
55	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व, मुंबई –400 065, महाराष्ट्र।	05.12.1995	भारतीय रिजर्व बैंक
56	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी (डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी), गिरिनगर, पुणे –411 025, महाराष्ट्र।	10.09.1999	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
57	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई –400 088, महाराष्ट्र।	31.07.1985	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
58	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, नथमल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र – 400 019	12.09.2008	महाराष्ट्र राज्य सरकार
59	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला– सतारा – 415 (महाराष्ट्र)।	24.05.2005	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
60	एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज,एमजीएम कैम्पस, सेक्टर – 18, कमोठे, नवी मुंबई– 410 209 (महाराष्ट्र)	30.08.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
61	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई –400 056, महाराष्ट्र	13.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
62	पद्मश्री डॉ. डी वाई पाटिल विद्यापीठ, विद्या नगर, सेक्टर 7, नेरुल, नवी मुंबई – 400 706, महाराष्ट्र।	20.06.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
63	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीओ–लोनी बी के –413 736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।	29.09.2003	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
64	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, सेनापति बापट रोड, पुणे –411 004, महाराष्ट्र। (पूर्व में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था)	06.05.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
65	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई – 400 005, महाराष्ट्र।	07.05.2002	परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार
66	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई –400 088, महाराष्ट्र।	29.04.1964	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
67	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकेडी, पुणे –411 037, महाराष्ट्र।	28.04.1987	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
ओडिशा			
68	कलिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी / पीओ केआईआईटी पाटिया, खुर्द, भुवनेश्वर –751 024, ओडिशा।	26.06.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
69	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, जे – 15, खंडगिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा – 751 0030	17.07.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
70	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
पंजाब			
71	संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एलएलआईईटी), लोंगोवाल, जिला संगरूर 148 106, पंजाब	10.04.2007	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
72	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैंपस, भादसों रोड, पटियाला –144 004, पंजाब।	30.12.1985	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
पांडिचेरी			
73	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पिल्ल्यारकुप्पम, पांडिचेरी – 607 402	04.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
राजस्थान			
74	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली–304 022, राजस्थान।	25.10.1983	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
75	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी –333 031, राजस्थान।	27.06.1964	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
76	शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर –331 401, जिला– चूरू, राजस्थान।	25.06.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
77	आईआईएस, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। (पूर्व में आईआईएस विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था)	02.02.2009	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
78	जैन विश्व भारती संस्थान, बॉक्स नंबर 6, लाडनूं, नागौर –341 306, राजस्थान।	20.03.1991	निजी तौर पर नियंत्रित (आंशिक रूप से यूजीसी द्वारा वित्तपोषित)
79	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर – 331 401, राजस्थान।	12.01.1987	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
80	एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम – रूपाकी नागल, पोस्ट – सुमेल, वाया कानोता, जिला– जयपुर, 303 012, राजस्थान।	03.02.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
तमिलनाडु			
81	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, 5107, एच2, 2 एवेन्यू, 1 तल, अन्ना नगर, चेन्नई – 600 0 40।	21.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
82	अमृता विश्व विद्यापीठम, एत्मादद्दाई पोस्ट, कोयंबटूर –641 105, तमिलनाडु।	13.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
83	अविनाशीलिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, भारती पार्क रोड, कोयंबटूर –641 043, तमिलनाडु।	08.06.1988	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
84	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, 173, अग्रम रोड, सेलैयूर, चेन्नई –600 073, तमिलनाडु।	04.07.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
85	बीएस अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैंडलूर, चेन्नई, तमिलनाडु।	16.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
86	चेन्नई मैथमैटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच 1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरुसेरी– 603 103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी से आंशिक अनुदान)
87	चेट्टिनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर), पाडुर, केलांबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु।	04.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
88	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल –624 302, तमिलनाडु।	03.08.1976	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
89	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एचआईटीएस), पाडुर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलांबलम, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु)।	05.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
90	कलालिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, आनंद नगर, कृष्णकोइल, विरुधुनगर – 626 190, मार्फत श्रीविल्लीपुथुर, तमिलनाडु।	20.10.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
91	करुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, करुणा नगर, कोयम्बटूर –641 114 (तमिलनाडु)।	23.06.2004	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
92	कर्पगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोलाची मेन रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु।	25.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
93	एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 हाईवे), मदुरावोयल, चेन्नई –600 095, तमिलनाडु।	21.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
94	मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, नंबर 12, वेम्बुली अम्मन कोइल स्ट्रीट, वेस्ट केके नगर, चेन्नई –600 078, तमिलनाडु।	31.03.2004	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
95	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, कुमारकोइल, थुकले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु – 629 175	08.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
96	पेरियार मणियामई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वल्लम, तंजावुर –613 403, तमिलनाडु	17.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
97	पोन्नैय्या रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावड़ी, तंजावुर – 614 904, तमिलनाडु	04.01.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
98	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2, वीरासामी स्ट्रीट, वेस्ट मंबालम, चेन्नई –600 033, तमिलनाडु।	02.08.2002	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
99	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जपियार नगर, ओल्ड मल्लपुरम रोड, चेन्नई – 600119 (तमिलनाडु)।	16.07.2001	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
100	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नंबर 162, पूनमल्ले हाई रोड, वेलप्पनचवाड़ी, चेन्नई –600 077 (तमिलनाडु)।	18.03.2005	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
101	शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (सस्त्र), तिरुमलाई समुद्रम, तंजावुर–613402, तमिलनाडु।	26.04.2001	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
102	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेंद्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम –631 561, तमिलनाडु।	26.05.1993	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
103	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचंद्र नगर, चेन्नई –600116।	29.09.1994	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
104	सेंट पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, अवाड़ी, चेन्नई – 600054, तमिलनाडु।	26.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
105	वेल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस), पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	04.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
106	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर – 632 014 तमिलनाडु।	19.06.2001	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
107	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सांकरी मणि रोड, एनएच 47, अरनूर, सलेम –636 308, तमिलनाडु।	01.03.2001	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
108	वेल टेक रंगराजन डॉ. सगुनथला आरएंडडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु।	15.10.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
तेलंगाना			
109	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सर्वेक्षण संख्या 25, गचीबावली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद –500 032, आंध्र प्रदेश	21.08.2001	सरकारी निजी भागीदारी
110	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, प्लॉट नंबर 52, दूसरी मंजिल, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद –500 982, आंध्र प्रदेश	16.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
उत्तर प्रदेश			
111	सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पीओ कृषि संस्थान, इलाहाबाद –211 007, उत्तर प्रदेश।	15.03.2000	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
112	भातखंडे संगीत संस्थान, 1 कैसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	24.10.2000	उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	समवत विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख	उस संगठन का नाम जिसके पास प्रबंधन नियंत्रण है।
113	केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी –221 007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय।
114	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगरा 282 005 –उत्तर प्रदेश।	16.05.1981	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
115	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर –243 122, उत्तर प्रदेश।	16.11.1983	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
116	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए –10, सेक्टर –62, नोएडा– 201 307 (यूपी)।	01.11.2004	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
117	नेहरू ग्राम भारती विश्व विद्यालय, कोटवा–जमुनीपुर, डबवाली जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
118	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दुल्हेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ – 250 010 (यूपी)	08.11.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
119	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201 009	13.06.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
उत्तराखंड			
120	वन अनुसंधान संस्थान, पीओ नया वन, देहरादून –248 006, उत्तराखंड।	28.11.1991	पर्यावरण और वन मंत्रालय (भारत सरकार)
121	गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय, हरिद्वार –249 404, उत्तराखंड।	19.06.1962	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
122	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, 566/6 बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड।	14.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषण)
पश्चिम बंगाल			
123	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा – 711 202, पश्चिम बंगाल	05.01.2005	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)

वर्तमान में, इन समवत विश्वविद्यालयों को समय–समय पर संशोधित यूजीसी (समवत विश्व विद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में, देश में 290 राज्य निजी विश्वविद्यालय (24.01.2018 को) कार्य कर रहे हैं।

यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को समय–समय पर यथासंशोधित यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

24.01.2018 को निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
अरुणाचल प्रदेश		
1.	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश – 791102	10.05.2013
2.	अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय, एनएच –52, नामसाई, जिला – नामसाई – 792103, अरुणाचल प्रदेश।	26.05.2012
3.	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई–सेक्टर, निर्जुली, ईटानगर, जिला – पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश –791109	21.10.2014
4.	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नाहरलागुन, ईटानगर, जिला – पापम्परे – 791110, अरुणाचल प्रदेश।	03.05.2013
5.	नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिबू–पुई, ऐलो (पीओ), वेस्ट सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश –791001	03.09.2014
6.	ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	18.09.2017
7.	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जीरो, अरुणाचल प्रदेश।	26.05.2012
8.	वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	20.06.2012
असम		
9.	असम डॉन बोस्को विश्वविद्यालय, अजारा, गुवाहाटी	12.02.2009
10.	असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय, शंकर माधब पथ, गांधी नगर, पनिखैती, गुवाहाटी – 781 036।	29.04.2010
11.	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्व विद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ परिसर, हलधर भुयान पाथ, कलौंगपार, नागांव–7812001, असम।	14.08.2013
12.	असम काजीरंगा विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम।	11.04.2012
13.	असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, एनएच – 37, गुवाहाटी – 781035, असम।	23.08.2013
बिहार		
14.	संदीप विश्वविद्यालय, गांव – सिजौल, जिला – मधुबनी – 847235 बिहार	08.06.2017
15.	के. के. विश्वविद्यालय, बेरौटी, नेपुरा, बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार – 803115	08.06.2017

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
छत्तीसगढ		
16.	एमिटी यूनिवर्सिटी, गाँव–मंथ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।	21.08.2014
17.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कार्गी रोड, कोटा, बिलासपुर।	03.11.2006
18.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, एनएच –6, रायपुर–भिलाई रोड, ग्राम–चोरहा, आरआई सर्कल, अहिवारा, धामधा, जिला – दुर्ग, छत्तीसगढ़।	24.03.2011
19.	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गाँव – नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील – चूड़ा, जिला – गरियाबंद – 493996, छत्तीसगढ़।	09.09.2016
20.	आईटीएम यूनिवर्सिटी, पीएच नं 137, उपरवारा, नया रायपुर, जिला रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़।	03.02.2012
21.	कलिंग विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।	24.03.2011
22.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, पोस्टः मंगला, बिलासपुर – 495 001	18.04.2002
23.	एमएटीएस यूनिवर्सिटी, आरंग खारोरा हाईवे, ग्राम पंचायतः गुल्लू, गाँव– गुल्लू, तहसील–आरंग, जिला– रायपुर।	03.11.2006
24.	ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, घरघोड़ा रोड, पुंजिपथरा, रायगढ़ –496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014
गुजरात		
25.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएस बंगला # 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380 009	07–07–2009
26.	अनंत प्राकृतिक विश्वविद्यालय, संस्कारधाम परिसर, भोपाल–घूमा–सानंद रोड, अहमदाबाद, गुजरात – 382115 (निजी विश्वविद्यालय)	09.05.2016
27.	औरो आतिथ्य और प्रबंधन विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।	12.10.2011
28.	कैलोरेक्स शिक्षक विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।	07.07.2009
29.	पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केंद्र, यूनिवर्सिटी रोड, नरवरंगपुरा अहमदाबाद –380 009 (गुजरात)	12.04.2005
30.	चारोटार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंगा – 388 421, जिला – आनंद।	04.11.2009
31.	सी.यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेंद्रनगर–अहमदाबाद स्टेट हाईवे, कोठारिया गांव के पास, वाधवान सिटी – 363030, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात।	22.04.2013
32.	धीरूभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नंबर 4, गांधीनगर –382 007	06.03.2003
33.	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजरिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा – 382 711	23.03.2005
34.	जीएलएस यूनिवर्सिटी, गुजरात लॉ सोसाइटी कैंपस, लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद –380006, गुजरात।	15.04.2015

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
35.	जीएसएफसी विश्वविद्यालय, विज्ञान भवन, पीओ फर्टिलाइजर नगर – 391750, जिला–वडोदरा, गुजरात।	19.12.2014
36.	इंद्रशिल विश्वविद्यालय, रतनपुर, धंधुका, अहमदाबाद – 382465, गुजरात।	31.03.2017
37.	इंडस विश्वविद्यालय, इंडस कैंपस, रांचड़ा, वाया–थलतेज, अहमदाबाद – 382115, गुजरात।	02.05.2012
38.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ–गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च कैंपस, ड्राइव–इन–रोड, थलतेज, अहमदाबाद – 380054, गुजरात।	02.05.2015
39.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर – 382007, गुजरात।	12.10.2011
40.	आईटीएम–वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेटा रोड, रावल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात।	08.05.2014
41.	कादी सर्व विश्व विद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सेक्टर 15/23, गांधीनगर।	16.05.2007
42.	कर्णावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवरसाद – 382422, जिला गांधीनगर, गुजरात।	31.03.2017
43.	लकुलीश योग विश्वविद्यालय, 'लोटस व्यू' निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एसजी राजमार्ग, छारोड़ी, अहमदाबाद –382481, गुजरात।	16.04.2013
44.	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, राजकोट – 360003, गुजरात।	09.05.2016
45.	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भायली रोड, वडोदरा – 391410, गुजरात	07.07.2009
46.	निरमा विश्वविद्यालय, सरखेज, गांधीनगर राजमार्ग, गाँव–छारोड़ी, अहमदाबाद।	12.3.2003
47.	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, एटी राईसन, जिला–गांधीनगर – 382 009	04.04.2007
48.	पारुल विश्वविद्यालय, पीओ लिमडा, ताल – वाघोडिया, जिला–वडोदरा – 391760, गुजरात।	21.04.2015
49.	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डूंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला– वलसाड – 396195, गुजरात।	09.05.2016
50.	पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, एनएच–8, जीईटीसीओ, बिल्टेक के पास, गाँव – धामदोद, कोसम्बा, तह. – मांगरोल, जिला – सूरत – 394125, गुजरात।	31.03.2017
51.	आरके यूनिवर्सिटी, राजकोट–भावनगर राजमार्ग, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात।	14.10.2011
52.	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात।	10.04.2012
53.	संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, संकालचंद पटेल विद्याधाम, विसानगर –384315, गुजरात।	09.05.2016
54.	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड नवाचार विश्वविद्यालय, भोयन राठौड़, इफको के सामने, अदलज–सरथा रोड, गांधीनगर – 382420, गुजरात।	31.03.2017
55.	टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी, तारसली–वडोदरा रोड, तारसली बाईपास, वडोदरा – 390009, गुजरात।	22.04.2013

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
56.	यूकेए तरसादिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैंपस, गोपाल विद्यानगर, बरोली–महुवा रोड, जिला– सूरत, गुजरात	14.10.2011
हरियाणा		
57.	अल–फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा।	02.05.2014
58.	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला – गुड़गांव –122 413, हरियाणा।	26.04.2010
59.	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा।	10.02.2012
60.	एपीजे सत्या विश्वविद्यालय, पलवल रोड, सोहना, गुड़गांव – 122103, हरियाणा।	02.11.2010
61.	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	02.05.2014
62.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा।	10.02.2012
63.	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, 67 किलोमीटर स्टोन, एनएच –8, सिधरावली, जिला–गुड़गांव – 123 413, हरियाणा।	02.05.2014
64.	जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, जीडी गोयनका एजुकेशन सिटी, गुड़गांव, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	03.05.2013
65.	जगन नाथ विश्वविद्यालय, स्टेट हाईवे 22, बहादुरगढ़–झज्जर रोड, झज्जर – 124 507, हरियाणा।	03.05.2013
66.	केआर मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	06.08.2014
67.	मानव रचना विश्वविद्यालय, सेक्टर – 43, दिल्ली–सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा।	10.04.2012
68.	एमवीएन विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा।	10.02.2012
69.	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, सदोपुर, जिला अंबाला, हरियाणा	29.10.2010
70.	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 किलोमीटर माइलस्टोन, एनएच –65, कैथल – 136 027, हरियाणा।	27.09.2011
71.	ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत।	10.11.2006
72.	पीडीएम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 15, सेक्टर – 3 ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़–124507, हरियाणा।	14.01.2016
73.	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेनेटरी विश्वविद्यालय, फारुख नगर रोड, बुधेरा, जिला–गुड़गांव, हरियाणा।	03.05.2013
74.	एसआरएम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन कॉम्प्लेक्स, हरियाणा – 131 029।	03.05.2013
75.	स्टारेक्स विश्वविद्यालय, एनएच –8, गाँव – बिनोला, पीओ – भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा।	25.08.2016
76.	द नॉर्थपैक यूनिवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23 ए, गुड़गांव –122107, हरियाणा।	21.10.2009

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
हिमाचल प्रदेश		
77.	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचिओट), जिला– मंडी, हिमाचल प्रदेश।	23.01.2015
78.	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश।	07.06.2012
79.	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदौरा, जिला– कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	03.11.2009
80.	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बीएडीडीआई, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009
81.	बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ – वाकनाघाट, तहसील – कंडाघाट, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश	21.01.2011
82.	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।	03.05.2012
83.	चितकारा यूनिवर्सिटी, हिमुदा एजुकेशन हब, कल्लूजंधा (बरोटीवाला), जिला–सोलन – 174 103।	21.01.2009
84.	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब हिमाचल।	22.10.2009
85.	आईईसी (भारत शिक्षा केंद्र) विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश।	11.05.2012
86.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, हिमुदा एजुकेशन हब, कालुजिन्धा, पीओ मंडला, वाया बरोटीवाला, बद्दी, सोलन जिला। हिमाचल प्रदेश – 174103।	20.10.2011
87.	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वीपीओ बाथू, तहसील हरोली, जिला – ऊना, हिमाचल प्रदेश – 174 301।	01.02.2010
88.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला – सोलन– 173 215।	22.05.2002
89.	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी, सुल्तानपुर रोड, सोलन – 173 103, हिमाचल प्रदेश।	19.09.2010
90.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला – सोलन – 174 103, हिमाचल प्रदेश।	15.01.2013
91.	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	22.09.2009
92.	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009
93.	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश।	27.01.2011
झारखंड		
94.	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची सिटी कैंपस, निवारनपुर, मेन रोड, रांची, झारखंड।	13.05.2016
95.	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारीबाग, झारखंड।	13.05.2016
96.	एआरकेए जैन विश्वविद्यालय, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गम्हरिया, जिला – सिराइकेला खरसावां – 832108, झारखंड।	04.07.2017
97.	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची– 835222, झारखंड।	02.02.2012

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
98.	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरियातू रोड, बूटी मोर, पीओ – आरएमसीएच, रांची – 834009, झारखंड।	16.05.2016
99.	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड।	27.04.2012
100.	सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, बिड़ला परिसर, गाँव – आरा, पीओ – महिलौंग, रांची–पुरुलिया राजमार्ग, रांची – 835103, झारखंड।	20.07.2017
101.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रैंड एमराल्ड बिल्डिंग, रोड नंबर 1 और 2 के बीच, अशोक नगर, रांची – 834 202, झारखंड।	17.06.2008
102.	उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, 12 मील, रांची खुंटी रोड, एनएच –75, रांची – 835221, झारखंड।	20.01.2014
103.	वाईबीएन विश्वविद्यालय, पंचवटी दक्षिण रेलवे कॉलोनी, रांची – 834001, झारखंड।	04.07.2017
कर्नाटक		
104.	एलायंस यूनिवर्सिटी, बैंगलोर (कर्नाटक)	16.09.2010
105.	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 134, डोड्डाकनेली, विप्रो कॉर्पोरेट कार्यालय के समीप, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक।	13.10.2010
106.	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, 3, 'सी', 6 जी मेन रोड, 2 ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर – 560 043, कर्नाटक।	16.05.2013
107.	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, शविगे मल्लेश्वर हिल्स, कुमारस्वामी लेआउट, बैंगलोर –560078, कर्नाटक।	16.05.2014
108.	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, 5 वीं मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, 1 स्टेज, इंदिरानगर, बैंगलोर – 560038, कर्नाटक।	24.06.2013
109.	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस–डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, 74/2, जाराकाबांडे कवल, येलहंका, वाया अट्टूर पोस्ट, बैंगलोर –560064, कर्नाटक।	26.06.2013
110.	जेएसएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसएस तकनीकी संस्थान परिसर, मैसूरु – 570006. कर्नाटक।	16.01.2016
111.	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बीवी भूमराडी कॉलेज परिसर, विद्यानगर, हुबली – 580031, कर्नाटक।	04.04.2015
112.	एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, प्रशासनिक ब्लॉक, नया बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बैंगलोर – 560 054, कर्नाटक।	09.07.2013
113.	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके III स्टेज, बैंगलोर – 560 085 (कर्नाटक)	16.05.2013
114.	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी (कर्नाटक), दिब्बुर और इगलपुर विलेज, हेसरघट्टा होबली, बैंगलोर (कर्नाटक)।	16.05.2013
115.	रेवा विश्वविद्यालय, कट्टिगहल्ली, येलहंका, बैंगलोर – 560 064।	16.05.2013

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
116.	राय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डोड्डाबल्लपुर नेलमंगला रोड, एसएच –74, ऑफ हाईवे 207, डोड्डाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर –561204 (कर्नाटक)	17.09.2014
117.	श्रीनिवास विश्वविद्यालय, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैंपस, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सूरतकल, मंगलौर –574146।	20.02.2015
मेघालय		
118.	सीएमजे विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009
119.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पीओ अरिमिले, माचकोलग्रे, तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय।	04.01.2011
120.	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, डोंगकटिह, नोंग्राह, ब्लॉक –1, शिलांग – 793006, मेघालय।	13.07.2005
121.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलिटेक्निक कैंपस, मवलाई, शिलांग – 793 022।	02.12.2008
122.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथी मंजिल, नियर सुंदरी होटल, सर्कुलर रोड, तुरा बाजार, तुरा – 794 001।	04.11.2009
123.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , हैंडर्स बिल्डिंग, रामकृष्ण मिशन औषधालय के निकट, लीतुमखरह मेन रोड, लुमावरी, शिलांग, मेघालय–793,003	02.12.2008
124.	प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय	27.05.2011
125.	विलियम कैरी विश्वविद्यालय, जोरम विला, बोमफिल्ड रोड, शिलांग – 793 001, मेघालय।	13.07.2005
मिजोरम		
126.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सलेम वेंग, चलतांग, आइजोल – 798 012, मिजोरम।	21.03.2006
मध्य प्रदेश		
127.	ऐकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश।	31.12.2011
128.	रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, गाँव – मेंडुआ, भोपाल–चिकलोद रोड, तहसील – गोहरगंज, जिला – रायसेन, मध्य प्रदेश। (निजी विश्वविद्यालय)	30.12.2010
129.	एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।	30.12.2010
130.	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, लेकोडा गांव, उज्जई – 456 006, मध्य प्रदेश।	12.01.2017
131.	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर–देवास बायपास रोड, गाँव – अरंडिया, पोस्ट – झालरिया, मध्य प्रदेश – 452016	04.01.2016
132.	जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, गाँव – साईखेड़ा, ढोडा बोरगाँव, तह – सौंसर, जिला – छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।	27.08.2016
133.	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, सिथौली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच – 75, झांसी रोड, ग्वालियर –474 001, मध्य प्रदेश।	04.05.2011

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
134.	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत मुगलिया छप, तहसील हुजूर, भोपाल – 462 044, मध्य प्रदेश।	24.04.2013
135.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबी रोड, राघोगढ़, जिला– गुना – 473 226 (म.प्र.)	13.08.2010
136.	एलएनसीटी विश्वविद्यालय, जेके टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल – 462042, मध्य प्रदेश।	08.01.2015
137.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय, जबलपुर –482 001	29.11.1995
138.	मालवांचल विश्वविद्यालय, इंडेक्स सिटी, एनएव – 59 ए, नेमावर रोड, खुडेल के पास, जिला – इंदौर –452016, मध्य प्रदेश।	04.01.2016
139.	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवासा देवड़ा रोड, एसएच–31, मंदसौर – 458001, मध्य प्रदेश।	19.08.2015
140.	मेडी–कैप्स विश्वविद्यालय, एबी रोड, पिगदम्बर, राऊ, इंदौर –453331, मध्य प्रदेश।	22.07.2015
141.	ओरिएंटल विश्वविद्यालय, रेवती रेंज गेट नंबर 1के सामने, सांवेर रोड, पीओ बॉक्स नंबर 311, विजय नगर पोस्ट ऑफिस, इंदौर – 452 010, मध्य प्रदेश।	04.05.2011
142.	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल – 462037	04.05.2011
143.	पीके विश्वविद्यालय, गांव – थानारा, तहसील – करेरा, एनएच – 27, शिवपुरी, मध्य प्रदेश –473551।	19.08.2015
144.	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय–पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश।	19.07.2011
145.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एनएच–12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश।	08.01.2015
146.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्व विद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर –453111, मध्य प्रदेश।	08.01.2015
147.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट, पचामा, सीहोर – 466001, मध्य प्रदेश।	12.02.2014
148.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश।	31.12.2011
149.	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बडा बंगड्डा, सुपर कॉरिडोर, इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश।	27.08.2016
150.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लतेरी रोड, सिरोंज (गोशाला के पास), जिला – विदिशा, मध्य प्रदेश – 464 228।	09.01.2013
151.	वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरीकलां, सीहोर –466114, मध्य प्रदेश।	24.08.2017
महाराष्ट्र		
152.	अंज्जिक्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारोली बदरुक, वाया लोहागाँव, पुणे –412105, महाराष्ट्र।	25.02.2015

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
153.	एमिटी यूनिवर्सिटी, मुंबई – पुणे एक्सप्रेसवे, भटान, पोस्ट – सोमनाथ, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र – 410206।	25.07.2014
154.	डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी विश्व शांति विश्वविद्यालय, एस.नं. 124, पौड रोड, कोटहर्ड, पुणे – 411038, महाराष्ट्र।	05.06.2017
155.	फ्लेम यूनिवर्सिटी, जीएटी नंबर 1270, गांव लावले, तालुका मुलशी, पुणे –411042, महाराष्ट्र।	13.02.2015
156.	एमआईटी कला डिजाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजबाग, हडपसर के समीप, लोनी कलभोर, पुणे – 412201, महाराष्ट्र।	13.10.2015
157.	संदीप विश्वविद्यालय, त्र्यंबक रोड, माहिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र।	09.10.2015
158.	संजय घोडावत विश्वविद्यालय, ए /पी – एटिग्रे – 416118, हाटकांगले, डी.यू. कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	13.07.2017
159.	स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंडखिंड पोस्ट, पुणे –411004, महाराष्ट्र।	25.07.2014
160.	सिम्बायोसिस कौशल और मुक्त विश्वविद्यालय, गाँव – किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, ताल – हैवली, पुणे – 412101, महाराष्ट्र।	05.05.2017
161.	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण संख्या 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंढवा बुद्रुक, पुणे – 411048, महाराष्ट्र।	05.05.2017
मणिपुर		
162.	संगई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चूडाचांदपुर, मणिपुर।	05.05.2015
नागालैंड		
163.	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो–झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल विलेज, पीएस–दिफ्युपर, दीमापुर – 797115, नागालैंड।	16.12.2016
164.	ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा – 797 111, नागालैंड।	18.09.2006
165.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स के पास, सीजीएम के पास, बीएसएनएल – कार्यालय, दीमापुर – 797 112, नागालैंड।	04.11.2009
ओडिशा		
166.	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज – गोठपटना, पीएस – चंदका, भुवनेश्वर – 751029,	17.02.2016
167.	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, ग्राम अल्लूरी नगर, वाया–उप्पलाडा, पैरालखेमंडी – 761 211, गजपति, ओडिशा	27.08.2010
168.	श्री श्री विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा।	26.12.2009
169.	जेवियर यूनिवर्सिटी, जेवियर स्क्वायर, भुवनेश्वर, ओडिशा।	13.05.2013

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
पंजाब		
170.	अदेश यूनिवर्सिटी, एनएच–7, बरनाला रोड, बठिंडा, पंजाब।	10.07.2012
171.	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो – 151302, जिला बठिंडा, पंजाब।	04.06.2015
172.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घरुआन, मोहाली – 140413, पंजाब।	10.07.2012
173.	चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़–पटियाला नेशनल हाईवे (एनएच–64), ग्राम झांसला, तहसील राजपुरा, जिला – पटियाला, पंजाब – 140 401।	07.12.2010
174.	सीटी यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना – 142024, पंजाब।	23.12.2016
175.	डीएवी विश्वविद्यालय, जालंधर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग –44, गाँव–सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब।	18.02.2013
176.	देश भगत यूनिवर्सिटी, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब।	18.02.2013
177.	जीएनए विश्वविद्यालय, गाँव–श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला –144401, पंजाब।	21.08.2014
178.	गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, डी ए भटिंडा, पंजाब।	26.12.2011
179.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर – लुधियाना, जीटी रोड, नर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144 002	26.12.2005
180.	रैयत बहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ – सहुरन, तहसील – खरार, जिला। – मोहाली, पंजाब – 140105	13.08.2014
181.	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, सरहिन्द साइड, मंडी गोबिंदगढ़ –147301, पंजाब।	08.12.2015
182.	संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय, गांव–खियाला, पीओ–पडिया, जिला–जालंधर –144030, पंजाब।	12.02.2015
183.	श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय, श्री लालजीधर निवास, फतेहगढ़ साहिब – 140 406 , पंजाब।	15.05.2008
184.	श्री गुरु रामदास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेहता रोड, वल्लाह, श्री अमृतसर – 143001, पंजाब।	17.11.2016
राजस्थान		
185.	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान एनएच–11सी, कांत कलवार, जयपुर– 303 002।	29.03.2008
186.	भगवंत विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 87, सीकर रोड, अजमेर–305 001।	16.04.2008
187.	भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर एसआई / आईएनएसटी / 001, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर जोन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर – 302037, राजस्थान।	30.03.2017
188.	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर – 313001, राजस्थान।	05.10.2015

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
189.	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान।	02.05.2012
190.	डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट –1, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र फेज– II, नयाई, जिला– टोंक, राजस्थान – 304 021।	22.04.2010
191.	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।	25.01.2011
192.	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर – 302 029, राजस्थान।	03.04.2010
193.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, खसरा नंबर 505/1, ग्राम–जामडोली, आगरा रोड, जयपुर – 302 031, राजस्थान।	23.08.2011
194.	आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर हवाई अड्डे के पास, जयपुर –302 029, राजस्थान।	26.02.2014
195.	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।	02.05.2012
196.	जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, ललिया का वास, पीओ महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर – 302 026, राजस्थान।	15.09.2011
197.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, गांव रामपुरा, तहसील – चाकसू, जयपुर।	16.04.2008
198.	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	21.10..2007
199.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान घाटी गाँव, झरना महल, जबनेर, लिंक रोड एनएच –8, जयपुर।	21.04.2008
200.	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनडी झंवर रोड, जोधपुर –342 001	11.08.2008
201.	माधव विश्वविद्यालय, 'माधव हिल्स', बनास पुल टोल के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग –14, गांव–वाडा भुजेला, पंचायत समिति दृभाजरा, पिंडवारा, अबु रोड, जिला–सिरोही, राजस्थान – 307,026।	04.03.2014
202.	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।	21.03.2012
203.	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंडियारसार, बिंदायक औद्योगिक क्षेत्र के पास, जयपुर –302012, राजस्थान।	05.10.2015
204.	महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर – 302 022।	15.09.2011
205.	महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, एसपी –2 और 3, कांत कलवार, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, ताला मोड़, एनएच– I, अचरोल, जयपुर	03.02.2009
206.	मणिपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इन्फोटेक सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के पास, जयपुर अजमेर एक्सप्रेस–वे, पोस्ट – ठिकारिया, जयपुर – 302 026, राजस्थान।	15.09.2011
207.	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, गाँव–बुजावद, तहसील – लूनी, जोधपुर – 342802, राजस्थान।	16.09.2013
208.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	22.09.2008
209.	मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राजस्थान।	16.09.2013

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
210.	एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराणा, राजस्थान।	03.04.2010
211.	एनआईएमएस विश्वविद्यालय, शोभा नगर, जयपुर – 303 001।	29.03.2008
212.	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजिला, तहसील–राजगढ़, जिला – चूरू, राजस्थान।	16.09.2013
213.	पेसिफिक एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, (पीएएचईआर) पैसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर एक्सटेंशन, उदयपुर – 313 003।	29.04.2010
214.	पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, भीलो का बेदला, बाय पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान।	04.03.2014
215.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचंद्रपुरा, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान।	16.05.2012
216.	प्रताप विश्वविद्यालय, सुंदरपुरा (चंदवाजी), आमेर, दिल्ली–मुंबई राजमार्ग, जयपुर, राजस्थान।	15.09.2011
217.	रैफल्स विश्वविद्यालय, जापानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, नीमराणा –2018 705, राजस्थान।	27.03.2011
218.	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर –334601, राजस्थान।	27.04.2015
219.	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव – उमर्दा, गिरवा, उदयपुर – 313015, राजस्थान।	21.04.2016
220.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान।	02.05.2012
221.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला, जिला – झुंझुनू।	03.02.2009
222.	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी चिरवा रोड, पिलानी राजस्थान – 333 031	03.04.2010
223.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान।	29.03.2008
224.	सर पदमापत सिंघानिया विश्वविद्यालय, भटेवार, उदयपुर – 313 601।	29.03.2008
225.	सनराइज यूनिवर्सिटी, बगड़ राजपूत, तहसील रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011
226.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान।	21.04.2008
227.	टांटिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ आरडी, श्री गंगानगर 335 002, राजस्थान।	16.09.2013
228.	इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।	21.03.2012
229.	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाटिका, तहसील – सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।	18.05.2017
230.	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर –36, एनआरआई रोड, सिसयावास, जगतपुरा, जयपुर – 303012, राजस्थान।	02.05.2012
सिक्किम		
231.	ईस्टर्न इंस्टिट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, जोरेथांग, सिक्किम।	24.03.2006
232.	श्री रामासामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी, 5 माइल, तडोंग, रानीपुल पीओ, गंगटोक, सिक्किम – 1937 102।	16.01.2014
233.	सिक्किम– मणिपाल विश्वविद्यालय, गंगटोक –737 101	11.10.1995

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
234.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, (आईसीएफएआई) रांका रोड, लोअर सोची, गंगटोक, सिक्किम – 737101।	04.10.2004
235.	विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 438, एन –312 सांग फाटक रोड, मध्य तडोंग, पीओ दरगाँव, तडोंग, पूर्वी सिक्किम – 237 102।	30.07.2008
त्रिपुरा		
236.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया अगरतला, त्रिपुरा – 799 001।	31.03.2004
उत्तर प्रदेश		
237.	एमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर –125, नोएडा – 201303 (यूपी)	24.03.2005
238.	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55, बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	12.10.2010
239.	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली – 243006, उत्तर प्रदेश।	16.09.2016
240.	बेनेट विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 8–11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश।	16.09.2016
241.	एरा विश्वविद्यालय, सरफराज गंज, हरदोई रोड, लखनऊ –226003, उत्तर प्रदेश।	16.09.2016
242.	जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010
243.	गलगोटिया विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज पार्क, चरण– II ग्रेटर नोएडा – 201 306, उत्तर प्रदेश।	07.04.2011
244.	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ – 250001, उत्तर प्रदेश।	16.09.2016
245.	आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद – 244 102, उत्तर प्रदेश।	12.10.2010
246.	इंटेग्रल यूनिवर्सिटी, कुर्सी रोड, लखनऊ –226 026 (यूपी)	26.02.2004
247.	इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, इन्वर्टिस विलेज, बरेली–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग –24, बरेली –243 123 (यूपी)	01.09.2010
248.	जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम –210 204।	06.10.2001
249.	जेपी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूपशहर, जिला– बुलंदशहर – 203 390, उत्तर प्रदेश।	04.03.2014
250.	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।	24.06.2015
251.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यूपी।	30.10.2006
252.	महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महर्षि बाल विद्या मंदिर और विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट–डिबुरिया, लखनऊ – 226 020, उत्तर प्रदेश।	24.09.2013
253.	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, यूपी।	19.06.2006
254.	मोनाड विश्वविद्यालय, कस्मादाबाद, पीओ–पिलखुआ, डी.वी. हापुड़, उत्तर प्रदेश।	12.10.2010
255.	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्लॉट नंबर 1, सेक्टर –17 ए, यमुना एक्सप्रेस–वे, गौतमबुद्धनगर, (यूपी)	12.10.2010
256.	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जीटी रोड, मंधना, कानपुर – 209217, उत्तर प्रदेश।	10.01.2014

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
257.	संस्कृत विश्वविद्यालय, 28 किलोमीटर स्टोन, मथुरा–दिल्ली राजमार्ग, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश।	16.09.2016
258.	शारदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2009
259.	शिव नादर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011
260.	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श संस्थान क्षेत्र, बाबू विजेंद्र मार्ग, गंगोह, जिला – सहारनपुर – 2434341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012
261.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हडौरी, देवा–लखनऊ रोड, जिला – बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।	04.07.2012
262.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, एनएच–24, राजाबपुर, गजरौला, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश।	12.10.2010
263.	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उ.प्र	05.09.2008
264.	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।	05.09.2008
265.	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील – बेहट, सहारनपुर – 247001, उत्तर प्रदेश।	05.07.2012
उत्तराखंड		
266.	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट – उत्तरी झंडी छोर, तहसील कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड – 246149।	19.12.2016
267.	देव संस्कृत विश्व विद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार –249 411।	22.01.2002
268.	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून – 248 009, उत्तराखंड।	15.02.2013
269.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्व विद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून – 248 002, उत्तराखंड।	28.04.2011
270.	हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, धैद गाँव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।	07.12.2016
271.	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ–शेरपुर, वाया–सहसपुर, देहरादून –248197, उत्तराखंड	11.07.2003
272.	आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय, मक्कावाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – – 248 009, उत्तराखंड।	15.02.2013
273.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान (आईसीएफएआई), सी–1/103, इंदिरा नगर, देहरादून –248 006 (उत्तराखंड)।	10.07.2003
274.	मदरहुड विश्वविद्यालय, गाँव – करौंदी, पोस्ट – भगवानपुर, रुड़की, जिला– हरिद्वार, उत्तराखंड।	19.01.2015
275.	क्वांटम विश्वविद्यालय, मंडावर (22 किमी माइलस्टोन), रुड़की–देहरादून राजमार्ग (एनएच–73), रुड़की – 247167, उत्तराखंड।	07.04.2017
276.	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम कोटड़ा संतौर, आंवला रोड, पीओ – चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून –248007, उत्तराखंड।	08.12.2016
277.	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड।	

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
278.	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पीओ – डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड।	12.03.2013
279.	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार।	05.04.2006
280.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, बिल्डिंग नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 1, वसंत विहार एन्क्लेव, देहरादून –284 006 (उत्तराखंड)	10.07.2003
281.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अर्काडिया ग्रांट, पीओ चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून – 248 007, उत्तराखंड	15.02.2013
पश्चिम बंगाल		
282.	एडम्स विश्वविद्यालय, बारासात, बैरकपुर रोड, बरबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, पीएस बारासात, कोलकाता – 700126, पश्चिम बंगाल।	11.04.2014
283.	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजारहाट, न्यू टाउन, जिला – 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल।	21.01.2015
284.	ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, 398, रामकृष्णपुर रोड, बारासात, कोलकाता – 700 124, 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल।	24.02.2016
285.	जेआईएस विश्वविद्यालय, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल।	03.02.2015
286.	सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, विलेज – केंद्रडांगा, पीओ – सत्तोर, पीएस – पानुरी, जिला – बीरभूम –731236, पश्चिम बंगाल।	11.04.2014
287.	सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, परिसर नंबर आईआईआईबी –1, प्लॉट नंबर आईआईआईबी / 1, एक्शन एरिया आईआईआईबी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता – 700156।	16.01.2017
288.	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम – 4, सेक्टर–V, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 091, पश्चिम बंगाल।	16.08.2012
289.	द नियोतिया यूनिवर्सिटी, झिंगा, सरिसा, डीएच रोड, 24 परगना (एस), पश्चिम बंगाल –743368।	03.02.2015
290.	इंजीनियरिंग और प्रबंधन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय क्षेत्र, प्लॉट नंबर आईआईआई–बी / 5, मुख्य धमनी रोड (ईस्ट–वेस्ट), न्यू टाउन, एक्शन एरिया– III, कोलकाता –700156, पश्चिम बंगाल।	03.02.2015

******

अध्याय 06

भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान

अध्याय 06

भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पूर्णतः वित्त पोषित हैं। वर्तमान में 20 आईआईएम है। इन आईआईएम को तीन श्रेणियों अर्थात प्रथम पीढ़ी के आईआईएम, द्वितीय पीढ़ी के आईआईएम और तीसरी पीढ़ी के आईआईएम में विभाजित किया गया है।

प्रथम पीढ़ी के आईआईएमः यह आईआईएम अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में स्थित है पर अपने स्थाई परिसर से पूर्णतः कार्यात्मक हैं

दूसरी पीढ़ी के आईआईएम : उच्च गुणवत्ता वाले प्रबंधन संस्थानों के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 7 आईआईएम स्थापित किए गए जिनमें से एक आईआईएम अर्थात राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया गया और 2008 2009 से उसका शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ आईआईएम रोहतक (हरियाणा), रायपुर, रांची और तिरुचिरापल्ली के आईआईएम 2010–2011 से कार्यात्मक हैं और काशीपुर और उदयपुर के आईआईएम ने 2011–2012 शैक्षणिक वर्ष से अपने स्थाई परिसरों से कार्य करना प्रारंभ किया।

तीसरी पीढ़ी के आईआईएम : वर्ष 2015–16 के दौरान, 6 और आईआईएम अजमेर, बोधगया, नागपुर, संबलपुर सिरमौर और विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए हैं। इन आईआईएम ने अपने अस्थाई परिसरों से वर्ष

आईआईएम लखनऊ

आईआईएम रांची

2015–16 से अपने स्टेशन क्षेत्र को प्रारंभ किया एक अन्य आईआईएम जम्मू में स्थापित किया गया जिसने शैक्षिक वर्ष 2016–17 से कार्य करना प्रारंभ किया।

आईआईएम के कार्यकलाप : इन सभी शीर्ष संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए पीजीपी, ईपीजीपी, एमडीपी, एफपीएम इत्यादि जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान तिथि तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों, संकाय की स्थिति और प्रत्येक आई एम को वर्ष 2017 –18 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आईआईएम के स्थापना, अस्थाई तौर पर इसरो की स्थापना और थाई परिसरों के निर्माण के लिए निधिया उपलब्ध करा रहा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान आईआईएम में प्रवेश लेने विद्यार्थी और जारी की गई निधियां

क्र. सं.	आईआईएम का नाम	छात्रों की संख्या		संकाय स्थिति	जारी की गई निधियां (31.12.2017 की तिथि के अनुसार) (रू.करोड़ में)
		पीजीएम	एफपीएम		
1	अहमदाबाद	441	27	95	–
2	बैंगलोर	400	26	101	–
3	कलकत्ता	450	18	80	0.7450
4	लखनऊ	461	25	77	0.98
5	इंदौर	624	19	100	–
6	कोझिकोड	374	7	66	1.8448
7	शिलांग	177	4	22	50.00
8	रोहतक	262	0	26	102.00
9	रायपुर	209	5	26	135.00
10	रांची	258	4	10	65.00
11	तिरुचिरापल्ली	180	4	33	67.75
12	काशीपुर	213	17	33	85.75
13	उदयपुर	245	3	31	92.10
14	अमृतसर	96	कोई एफपीएम नहीं	5	13.20
15	बोध गया	38		0	9.00
16	नागपुर	58		0	22.51
17	संबलपुर	53		0	16.20
18	सिरमौर	68		0	11.59
19	विशाखापट्टनम	61		4	19.00
20	जम्मू	67		0	13.50
	कुल	4735	159	709	706.1698

** मेंटर संस्थान के संकाय जब तक नये संस्थानों को स्थायी संकाय की आवश्यकता होती है संकाय/शैक्षणिक सहयोग प्रदान करते हैं।*

आईआईएम उदयपुर

संसद में आईआईएम विधेयक, 2017 को पारित किया जाना और उसकी अधिसूचना

आईआईएम को विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थानों और उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में जाना जाता है। तथापि, क्योंकि सभी आईआईएम सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक पृथक स्वायत्त निकाय हैं, यह संस्थान डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और इसलिए यह संस्थान प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अध्येता कार्यक्रम प्रदान करते हैं। हालांकि इन डिग्रियों को एमबीए और पीएचडी के समकक्ष माना जाता है लेकिन इस सामान दर्जे विशेषकर अध्येता कार्यक्रम को वैश्विक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है आईआईएम को डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए संसद के अनुमोदन के पश्चात् तथा माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात आईआईएम अधिनियम 2017 को 31–12–2017 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत सभी मौजूदा आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है और इस प्रकार उन्हें डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाया गया है साथ ही, यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को दी गई वर्तमान स्वच्छता की तुलना में आईआईएम को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।

आईआईएम अधिनियम 2017 की विशेषताएं

डिग्री प्रदान करने के प्राधिकार के अलावा यह अधिनियम संस्थानों को पर्याप्त जवाबदेही के साथ पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है इन संस्थाओं का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक का चुनाव बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड में विशेषज्ञों और एलुमनी की व्यापक सहभागिता इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। बोर्ड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं की उपस्थिति के लिए भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संस्थाओं के प्रदर्शन की समय–समय पर समीक्षा और उनके परिणाम को सार्वजनिक किए जाने की भी व्यवस्था करता है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा और सीएजी द्वारा उनके खातों की जांच की जाएगी। यह अधिनियम एक परामर्शी निकाय के रूप में आईआईएम समन्वय फोरम के स्थापना की भी व्यवस्था करता है जिसकी अध्यक्षता एक प्रख्यात व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

शैक्षणिक नेटवर्क वैश्विक पहल (ज्ञान) योजना

उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक नेटवर्क वैश्विक पहल (ज्ञान) कार्यक्रम की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को की गई। इसकी स्थापना हमारी शिक्षा पद्धति में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को संचित करना, दुनिया भर के सर्वोत्तम शैक्षणिक और उद्योग विशेषज्ञों के साथ विद्यार्थियों और संकाय के साथ परस्पर विचार–विमर्श करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय संकाय भारतीय संस्थानों में एक सप्ताह अथवा 2 सप्ताह के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा। ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रमों के लिए समग्र की सीमा 12 से 14 घंटे के पाठ्यक्रमों के लिए 8000 डॉलर और 20 से 28 घंटे के पाठ्यक्रमों के लिए 12000 डॉलर रखी गई है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने और साथ ही बजट आवंटन का निर्णय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में ज्ञान कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। जनवरी 2018 तक देश में 138 संस्थाओं मैं 1417 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है जिनमें से 921 पाठ्यक्रम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इस वर्ष 156 पाठ्यक्रम शुरू किए जाने हैं ऐसे सभी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन और वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अन्य लोग राष्ट्रीय ज्ञान पोर्टल और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उन्हें देख सकें।

आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईएसईआरएस

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरुः भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर, की स्थापना उच्चतर अधिगम और अनुसंधान के एक शीर्ष संस्थान के रूप में चौरिटेबल एंडोमेंट अधिनियम 1890 के अंतर्गत 1909 में की गई थी यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आईआईएससी शासी परिषद द्वारा अभिशासित यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग की मूलभूत शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक और औद्योगिक लाभ के लिए अपने अनुसंधान निष्कर्षों के अमल पर भी संतुलित जोर देता है।

संस्थान के कक्षों में देश की अन्य शैक्षिक संस्थानों की तुलना में व्यापक कम्पयूटर की सुविधा है और विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुस्तकालय में सर्वोत्तम

संकलन है। संस्थान ने अपने संकाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है और साथ ही कैंपस कम्युनिटी के पास ई–जनरल और ई–रिर्सोस का एक व्यापक संकलन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार, यह संस्थान भारत में विश्वविद्यालय की रैंकिंग में न. 1 पर है। साथ ही टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) रैंक ने संस्थान को विश्व में शीर्ष भारतीय शैक्षिक संस्थान की रैंक प्रदान की है और ब्रिक्स और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 200 विश्वविद्यालयों में 14वां रैंक प्रदान किया है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी–पीएम) की सिफारिश के आधार पर पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे (2006), मोहाली (2007), भोपाल (2008), और पुणे (2008) स्थापित किए हैं। आईआईएसईआर अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्ता युक्त विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए विज्ञान शिक्षा के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान की परिकल्पना करता है और संस्थान को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, (एनआईटीएसईआर) अधिनियम 2007, समय–समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और उनके संबंधित शासी बोर्ड द्वारा अभिशासित किया जाता है।

आईआईएसईआर अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्ता युक्त विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए विज्ञान शिक्षा के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान की परिकल्पना करता है और संस्थान को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, (एनआईटीएसईआर) अधिनियम 2007, समय–समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और उनके संबंधित शासी बोर्ड द्वारा अभिशासित किया जाता है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुक्रम तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना में विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति में एक नये आईआईएसईआर की स्थापना की गई है। तदनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट अभिभाषण (2015) में की गई घोषणा के परिणामस्वरुप बरहमपुर, उड़ीसा में एक अन्य आईआईएसईआरकी स्थापना की गई हैं। आईआईएसईआर तिरुपति और आईआईएसईआर बरहमपुर क्रमशः 10.08.2015 और 01. 08.2016 से कार्यात्मक है और संस्थानों को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2001 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 22.02.2016 और 18.10. 2016 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। दोनों ही संस्थानों को एनआईटीएसईआर अधिनियम 2007 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में शामिल किया गया है। दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, संकाय संख्या और 31–12–2017 तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

2017–18 के दौरान आईआईएसईआर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और जारी की गई निधियां (31.12. 2017 तक)

क्रं.सं.	संस्थान का नाम	विद्यार्थियों की संख्या (प्रवेश)			संकाय स्थिति	जारी की गई निधियां (31.12.2017 तक) (रू. करोड़ में)
		बीएस–एमएस	प्रवेश. पीएचडी	पीएचडी		
1	आईआईएसईआर पुणे	200	50	150	131	73.00
2	आईआईएसईआर कोलकाता	224 + 3 (अंतरिक्ष विज्ञान में एमएस)	31	76	101	79.00
3	आईआईएसईआर मोहाली	209	15	83	90	48.50

क्र.सं.	संस्थान का नाम	विद्यार्थियों की संख्या (प्रवेश)			संकाय स्थिति	जारी की गई निधियां (31.12.2017 तक) (रू. करोड़ में)
		बीएस–एमएस	प्रवेश. पीएचडी	पीएचडी		
4	आईआईएसईआर भोपाल	296	9	104	110	72.00
5	आईआईएसईआर टीवीएम	222	29	23	65	176.50
6	आईआईएसईआर तिरुपति	125	0	30	30	25.30
7	आईआईएसईआर बरहामपुर	88	0	10	11	20.00

क्र.सं	संस्थान का नाम	छात्रों की संख्या					संकाय स्थिति
		विज्ञान में स्नातक (अनुसंधान)	पाठ्यक्रम कार्यक्रम (एमई/एम टेक/एम डेस/एम एमजीटी)	एमटेक (अनुसंधान)	प्रवेश. पीएचडी	पीएचडी	
1	आईआईएसईआर, बैंगलोर	120	441	58	79	388	430

******

अध्याय 07

दूरस्थ अधिगम

अध्याय 07

दूरस्थ अधिगम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) मोड के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1985 में की गई थी। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय शिक्षा को समावेशी बनाते हुए इसे लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है और देश के सभी भागों में समाज के पिछड़े और लाभवंचित समूहों को किफायती लागत पर इसे उपलब्ध कराता है।

विश्वविद्यालय में 518 शिक्षक अकादमिक और 1383 तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी हैं। इग्नू विद्यार्थियों को त्रिस्तरीय विद्यार्थी सहयोग नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। त्रि–स्तरीय नेटवर्क में नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय, 67 क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) (उत्तर पूर्वी राज्यों में 9 क्षेत्रीय केंद्र और भारत के अन्य भागों में 47 क्षेत्रीय केंद्र), भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और असम राइफल के सहयोग से स्थापित 11 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र और देश भर में फैले 2957 अधिगम सहयोग केंद्र शामिल है, जिनमें से 13 अध्ययन केंद्रों की स्थापना, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान की गई। इग्नू ने समाज के लाभ वंचित समूह और हाशिए पर आए समूह के लिए उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में जेल कैदियों के लिए 8 विशेष अध्ययन केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 विशेष केंद्रों की स्थापना की है। देशभर में कुल मिलाकर लगभग 470 विशेष अध्ययन केंद्र काम कर रहें हैं इन अध्ययन केंद्रों में काम कर रहे लगभग 62000 अंशकालिक परामर्शदाताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को काउंसलिंग और शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 80 से ज्यादा उन्मुखी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य रूप से अधिगम सहायता नेटवर्क की प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य पद्धति में सुधार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय निदेशक की जोनवार बैठकों का आयोजन किया जाता है। क्षेत्रीय निदेशकों की बैठकें 5 जोन लखनऊ, शिलांग, मदुरई भुवनेश्वर और पणजी में आयोजित की गई। बैठकों में हुए विचार विमर्श और सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय केंद्र और उनके एल एस सी की कार्य पद्धति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

इग्नू 21 अध्ययन स्कूलों के माध्यम से डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर, स्नातक,, डिप्लोमा, और सर्टिफिकेट स्तर पर 237 शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है जिनमें से, 15 शैक्षणिक कार्यक्रमों को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पुनः प्रारंभ/संशोधित किया गया। विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दो वार्षिक शैक्षणिक चक्रों, जनवरी से दिसंबर और जुलाई से जून का अनुपालन करता है। प्रवेश हेतु क्षेत्रीय केंद्र नोडल बिंदु हैं। जुलाई 2017 प्रवेश चक्र में नामांकन क्षमता 3,81,636 थी जिनमें 47.7% छात्राएं, 11.6% अनुसूचित जाति के विद्यार्थी और 8.4% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी थे। नामांकन प्रवाह यह दर्शाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि में जुलाई और जनवरी प्रवेश चक्रो में नामांकन लगभग 8.2 लाख रहेगा। विश्वविद्यालय में उसके विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगभग 28.2 लाख विद्यार्थी ऑन–रोल हैं। विश्वविद्यालय जुलाई 2017 चक्र के 237 शैक्षणिक कार्यक्रमों के 6.6 लाख विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अध्ययन सामग्रियों के 66 लाख खंडों को प्रकाशित किया है और 23.0 लाख (लगभग) को प्रेषित किया है।

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संकलन में मुख्यालय में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में 1.49 लाख मुद्रित पुस्तकें हैं और क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में स्थित पुस्तकालयों में 2.51 लाख मुद्रित पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के 1826 उपयोगकर्ताओं ने लगभग 75,000 जर्नल्स और 40 लाख से अधिक ई बुक्स तक पहुंच प्राप्त की है। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं में मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के शोधकर्ता, कर्मचारी और संकाय शामिल हैं। विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह 13 अप्रैल 2017 को आयोजित किया गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय ने 30वें दीक्षांत समारोह में रिपोर्टाधीन अवधि में सफल विद्यार्थियों को 2,10,811 उपाधियां प्रदान की इनमें 120 पीएचडी, 10 एमफिल, 63,065 स्नातकोत्तर, 85,979 स्नातक, 46,064 डिप्लोमा और 15,573 प्रमाण पत्र स्तर की उपाधियां शामिल हैं। 66 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।

मल्टीमीडिया, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन

विद्यार्थियों को ऑडियो वीडियो शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से मल्टीमीडिया सहयोग प्रदान किया जाता है विश्वविद्यालय ने रिपोर्टाधीन अवधि में 103 नए ऑडियो कार्यक्रम तैयार किए हैं। ऑडियो कार्यक्रमों की संख्या 2673 है और 4721 वीडियो कार्यक्रम हैं, जिनमें 56 नए वीडियो कार्यक्रम हैं इसके अतिरिक्त आईआरसी (इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग) के माध्यम से 550 लाइव सेशन हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर (ईएमपीसी) ने एमओओसी के 19 कार्यक्रम रिकॉर्ड किए और 21 कार्यक्रमों को एडिट किया। ईएमपीसी ने पाठ्यचर्या आधारित ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया।

ज्ञान दर्शन (जीडी) का प्रसारण 4 जून 2014 से बंद कर दिया गया। ज्ञान दर्शन चैनल (एक शैक्षिक टीवी चौन) को पुनः चालू करने के लिए इग्नू और दूरदर्शन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीडी चैनल का प्रसारण सी बैंड जीसैट–10 सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध है। डीडी चैनल का परीक्षण ट्रांसमिशन किया जा रहा है ज्ञानदर्शन वेबकास्ट को 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। उपयोगकर्ता ज्ञान दर्शन को इग्नू www-ignouonline.ac.in/gyandarshan की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन, जिसे एक अक्टूबर 2014 को बंद कर दिया गया था विश्वविद्यालय ने 37 शहरों से 10 किलोवाट एफ एम रेडियो स्टेशन एफएम से ज्ञानवाणी के परिचालन हेतु ऑल इंडिया रेडियो (ए आई आर) के साथ 9 दिसंबर 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात 37 ज्ञानवाणी स्टेशनों के लिए वॉयरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओ एल) के नवीकरण हेतु संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ 18 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए। ज्ञानवाणी दिल्ली के परीक्षण ट्रांसमिशन को 10 जनवरी 2017 को शुरू किया गया। दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, लखनऊ के ज्ञान वाणी स्टेशनों ने ट्रांसमिशन दोबारा शुरू कर दिया है और अन्य स्टेशनों के भी जल्द ही शुरू हो जाने की उम्मीद है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शैक्षणिक विकास

भारत सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के शैक्षणिक विकास हेतु योजना अनुदान का 10% आवंटित किया है। इग्नू पूर्वोत्तर क्षेत्र शैक्षणिक विकास यूनिट (ईडीएनईआरयू) के माध्यम से उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहलों के अवसर उपलब्ध कराकर एनईआर में शैक्षणिक विकास के विस्तार को सुगम बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय अभियान और सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (ओएससी) के रूप में विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराई है। अब तक विश्वविद्यालय के 12 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र हैं जिनमें कुल 68,442 नामांकित छात्र हैं। संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों और सहयोग और संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नामीबिया, मलावी,

और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष में विदेशी विद्यार्थी केंद्र के को–ऑर्डिनेटरों की एक बैठक का आयोजन किया। विश्वविद्यालय पैन अफ्रीका नेटवर्क परियोजना के माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप (31 देशों में 32 संस्थाओं) में प्रबंधन, शिशु देखभाल, एचआईवी और परिवार शिक्षा विषयों पर शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है।

नवाचारों के लिए प्रयास

इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली (ओडीएल) से जुडे नवाचारों का संकलन करके 'नवधारणा' नामक डाटाबेस विकसित किया। इसमें स्टेकहोल्डरों (हितार्थियों) के इस्तेमाल के लिए एक सौ से अधिक नवाचार और धारणाएं सन्निहित हैं। इस डाटाबेस को सामाजिक दृष्टि से इंटर–एक्टिव बनाया गया और इसे http://navdharana.ac.in/navdharana/ पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। विश्वविद्यालय नवाचारों के बारे में 'नवोन्मेश' नामक ब्लॉग का भी संचालन संभालता है जिसका उद्देश्य नवाचार से जुड़े विचारों, धारणाओं और रीतियों का समूचे विश्व में प्रसार करना है।

कैम्पस प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों को जीवनभर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और इसीलिए विश्वविद्यालय के बहुसंख्य छात्र पहले से ही कार्यरत (नौकरी पर) हैं और उन्होंने बस अपना ज्ञान और कुशलता बढ़ाने के लिए इग्नू में प्रवेश लिया है। विश्वविद्यालय अपने उत्तीर्ण विधार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट की अवधि में विश्वविद्यालय ने चार प्लेसमेंट अभियान चलाए जिनमें 1324 छात्र शामिल हुए और 218 छात्रों को चुन लिया गया था शॉर्टलिस्ट कर लिया गया।

उन्नत भारत अभियान को आगे बढाना

विश्वविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपने मुख्यालय में सामुदायिक विकास कक्ष स्थापित किया है। विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रो के अंतर्गत 100 से ज्यादा गांवों को गोद लिया है ताकि वहां शैक्षिक विकास किया जा सके। स्थानीय प्रशासन और स्वःसहायता समूहों के सहयोग से विश्वविद्यालय ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दाखिल होने को तैयार करने; अध्ययन केंद्र स्थापित करने और स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में लगा है।

इग्नू में निशक्तजनों की शिक्षा

इग्नू समग्र शिक्षा के माध्यम से शिक्षित समाज के निर्माण के लिए निरन्तर कार्यरत है। थोड़े ही समय में इग्नू ने ओडीएल शिक्षण प्रणाली के जरिए उच्च शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और सतत् व्यावसायिक प्रगति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। इन वर्षों में इग्नू समाज के लाभवंचित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के अवसर पहुंचाने की देश की आशापर खरा उतरा है। इनमें निशक्तजन विशेष उल्लेखनीय हैं। वर्तमान के लगभग 6,700 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं और विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंन (सीओएल)

1. कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल) राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों द्वारा गठित अन्तर–सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य ओपन लर्निंग/दूरस्थ शिक्षा जानकारी, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के विकास और आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है। सीओएल विकासशील देशों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच बनाने में मदद करता है।
2. सीओएल सहयोगी संगठनों के अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिये शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रहा है। यह अपने 53 सदस्य देशों को क्वालिटी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद दे रहा है।
3. राष्ट्रमंडल देशों की सरकारें सीओएल के लिए वित्त जुटाती हैं। भारत इसमें प्रमुख सहायता देने वाले देशों में है। 2017–18 में एमएचआरडी ने

सीओएल के लिए 8.00 करोड़ रुपये जारी किए।

4. सीओएल के शासी मंडल और कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव करते हैं।

5. सीओएल ने अपना एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) अर्थात् एशिया के लिए शैक्षिक मीडिया केंद्र भारत में बनाया है जो नई दिल्ली में स्थित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दूरस्थ अधिगम विभाग के संयुक्त सचिव इस मीडिया केंद्र के सदस्य हैं।

सीओएल द्वारा स्थापित राष्ट्रमंडल शिक्षण मीडिया केंद्र (सीईएमसीए) एशिया क्षेत्र में परामर्श क्षमता निर्माण और जानकारी स्रोत तथा आदान–प्रदान तंत्र उपलब्ध कराता है। सीईएमसीए रेडियो और टेलिविजन से 10,000 से अधिक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन संभालता है जो समूचे एशिया क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध है।

******

अध्याय 08

छात्रवृत्ति

अध्याय 08

छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के तहत, उन योग्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो कक्षा XII में किसी विशेष परीक्षा बोर्ड से उचित श्रेणी में सफल उम्मीदवारों के 80 प्रतिशत से ऊपर हैं और जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये से कम है। उच्च शिक्षा के दौरान, उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष 82,000 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) और राज्य की आबादी के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों में 18–25 वर्ष के आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। छात्रवृत्ति की दर प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये है और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 20,000 रुपये है।

वितरण विधिः

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना कॉलेज और विश्वविद्यालय में दिनांक 1.1.2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत शामिल किया गया है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में वितरित की जाती है। 1.4.2017 से 31.3.2018 तक छात्रवृत्ति दर्शाते हुए एक विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण(नए/नवीकरण) वित्तीय वर्ष 2017–18

क्र. सं.	राज्य	छात्रवृत्ति की संख्या				राशि			
		सामान्य	एससी	एसटी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	8412	1744	492	10648	100590000	20290000	5700000	126580000
2	असम	488	67	36	591	4880000	670000	360000	5910000
3	बिहार	116	17	0	133	1160000	170000	0	1330000
4	सीबीएसई	12035	639	224	12898	136040000	6990000	2540000	145570000
5	छत्तीसगढ़	1735	309	144	2188	17680000	3090000	1440000	22210000

6	गोवा	212	1	11	224	2790000	10000	120000	2920000
7	गुजरात	4812	315	46	5173	54640000	3210000	460000	58310000
8	हरियाणा	4099	542	1	4642	44970000	5860000	10000	50840000
9	हिमाचल प्रदेश	316	44	21	381	4050000	580000	260000	4890000
10	सीआईएससीई	102	4	2	108	1040000	40000	20000	1100000
11	जम्मू और कश्मीर	1292	84	14	1390	13490000	840000	140000	14470000
12	झारखंड	1	0	0	1	10000	0	0	10000
13	कर्नाटक	9498	1546	1016	12060	100500000	16180000	10410000	127090000
14	केरल	4424	469	34	4927	46710000	4690000	340000	51740000
15	मध्य प्रदेश	12769	1359	315	14443	150230000	14590000	3360000	168180000
16	महाराष्ट्र	11579	564	144	12287	121280000	5680000	1460000	128420000
17	मणिपुर	215	36	18	269	2150000	360000	180000	2690000
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	2848	432	46	3326	29820000	4370000	470000	34660000
22	पुद्दुचेरी	250	13	0	263	2910000	160000	0	3070000
23	पंजाब	2943	222	0	3165	36460000	2930000	0	39390000
24	राजस्थान	6937	763	672	8372	81260000	8710000	7550000	97520000
25	तमिलनाडु	5197	354	8	5559	53070000	3610000	80000	56760000
26	तेलंगाना	8527	1495	1063	11085	111600000	18800000	13470000	143870000
27	त्रिपुरा	260	71	15	346	2780000	710000	150000	3640000
28	उत्तर प्रदेश	8205	1039	46	9290	82060000	10400000	460000	92920000
29	उत्तराखंड	271	45	4	320	2710000	450000	40000	3200000
30	पश्चिम बंगाल	3732	645	61	4438	38810000	6620000	610000	46040000
	कुलः	**111275**	**12819**	**4433**	**128527**	**1243690000**	**140010000**	**49630000**	**1433330000**

छात्रवृत्ति की प्रोसेसिंग और जारी किये जाने के लिए आधार को पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आधार संख्या की अनुपस्थिति में, अस्थायी नामांकन पहचान (ईआईडी) या फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि के लिए किए गए अनुरोध की प्रति पहचानकर्ता के रूप में उपयोग की जा रही है। छात्रों को आधार प्राप्ति में सहायता देने के लिए सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को जागरूक किया गया है।

'कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर दिनांक 01.08.2015 से देखा जा सकता है। 2015, 2016 और 2017 के सभी पात्र छात्रों को इस पोर्टल के माध्यम से नयी और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित था। स्थायी वित्त समिति द्वारा इस योजना को 2019–20 तक जारी रखने हेतु अनुमोदन दिया गया है।

जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य युवाओं को जम्मू–कश्मीर से राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्ष के साथ वाद–संवाद करने का अवसर प्रदान करेगा

आधार और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपाजिटरी (एनएडी) शुरू करने पर राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ दिनांक 31.5.2017 को हुई बैठक

जिससे वह मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें। इसमें 2070 सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, 2830 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, 100 चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष 5000 नयी छात्रवृत्ति प्रदान करने की परिकल्पना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बीच स्थान की अंतर–परिवर्तनशीलता का प्रावधान है, जो सामान्य डिग्री अर्थात यदि सामान्य स्ट्रीम इन्टेक में कमी है, तो कमी की संख्या इंजीनियरिंग/मेडिकल के समकक्ष सीटों में परिवर्तित हो जाता है। (सामान्य स्ट्रीम = 0.58 इंजीनियरिंग स्ट्रीम= 0.325 मेडिकल स्ट्रीम)।

छात्रवृत्ति ट्यूशन शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस की छात्रवृत्ति की दर 30,000 रूपये प्रतिवर्ष है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रूपये और मेडिकल स्टडीज के लिए 3.0 लाख रूपये प्रतिवर्ष है। योजना के तहत सभी छात्रों को प्रतिवर्ष 1.0 लाख रूपये का रखरखाव भत्ता दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए अंतर मंत्रालयी समिति गठित की जाती है।

पात्रता मापदंडः जम्मू–कश्मीर के वे छात्र, जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 8.0 लाख रुपये से कम है और जिसने राज्य से कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, योजना के तहत आवेदन के पात्र हैं। वे छात्र जिन्होंने उन संस्थानों में राज्य के बाहर या केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से सीटों के बंटवारे में प्रवेश सुरक्षित किया है साथ–ही साथ जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों अथवा सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पर आधारित मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है वे छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं। छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल – http://aicte-jk-scholarship.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित है।

प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष अर्थात योजना के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक

डिप्लोमा के छात्रों के समावेशन के तहत कुछ विशिष्ट पहल की गई थी, दो अधिसंख्य सीटें बी.फार्मेसी और बी.आर्किटेक्चर के लिए सृजित की गयी थीं। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे छात्रों की सुविधा के साथ–साथ फेसबुक और व्हाट्सएप्प आदि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए लेह में काउंसेलिंग आयोजित की गयी। रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के जरिये छात्रों को सीधे ही उपलब्ध कराई जा रही हैद्य इसके अतिरिक्त, योजना की जानकारी देने के लिए राज्य के 11 जिलों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन प्रयासों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत कोई योग्य छात्र लाभ से वंचित न रहे।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को पात्र लाभार्थियों के लिए नए और नवीनीकरण छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए 132.96 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, 8673 छात्रवृत्ति वितरित की गई थी।

योजना को व्यय वित्त समिति की सिफारिश और वित्त मंत्री के अनुमोदन से 14वें वित्त आयोग के समानुरूप वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक जारी रखा गया है।

गैर–हिन्दी बोलने वाले राज्यों के छात्रों को हिन्दी में पोस्ट–मैट्रिक स्टडीज के लिए छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य गैर–हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और राज्य सरकारों को मानव शिक्षण और उन अन्य पदों के लिए उपयुक्त कर्मी उपलब्ध कराना जिनमें हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है।

इस योजना के तहत, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी स्वैच्छिक हिन्दी संगठन द्वारा संचालित "तत्काल पहले स्तर की परीक्षाएं" के परिणामों के आधार पर विषयों में से एक में हिन्दी के अध्ययन के लिए शिक्षा के मान्यताप्राप्त पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए पोस्ट–मैट्रिक से पीएचडी स्तर तक अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों को 2500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्ययन के पाठ्यक्रम/चरण पर आधारित छात्रवृत्ति की दर प्रतिमाह 300/– रूपये से 1000/– रूपये है। इस योजना को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है एवं यह एक गैर–योजना स्कीम है। चूँकि योंजना अभी समीक्षाधीन है, अतः 1.4.2017 से 31.3.2018 के दौरान छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी है।

बाह्य छात्रवृत्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न देशों द्वारा सांस्कृतिक/ शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम के तहत स्नातकोत्तर अनुसंधान/पीएचडी के लिए प्रदान की गई छात्रवृत्ति पुरस्कार हेतु उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को प्रसारित करने और व्यापक बनाने के लिए यह जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है और इसे यूजीसी, इग्नू, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को भी भेज दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल http://proposal.sakshat.ac.in/scholarships पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मंत्रालय 'मिस अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप' का संचालन और निधियन करता है जो इतिहास अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक अनुसंधान–सह–शिक्षण फेलोशिप है। चयनित अध्येताओं को सेंट एंटनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में, बाह्य छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। बजट का इस्तेमाल चयन समिति की बैठकों, स्टिपेंड का भुगतान और उम्मीदवारों के यात्रा भत्ता में आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

(31.03.2018 तक की स्थिति)

क्रमांक	देश का नाम	नामित उम्मीदवारों की संख्या	प्रदाता देश द्वारा स्वीकृत	उपयोग किया
1	दक्षिण कोरिया	15	प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप दिए जाना है	––
2	चीन	80	प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है	––
3	इटली	10	10	10
4	इजराइल	14	प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है	––
5	ब्रिटेन (सीएसएफपी)–	65	प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है	––
6	न्यूजीलैण्ड (सीएसएमटी)	2	2	2

मंत्रालय ने उपरोक्त छात्रवृत्ति हेतु नामांकन के अतिरिक्त अपने पोर्टल पर निम्नलिखित छात्रवृत्तियों की सूचना और संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में इसके व्यापक प्रचार और प्रतिभागिता हेतु प्रसारित की थी।

क्रम सं.	छात्रवृत्ति/फैलोशिप का नाम	के लिए उपलब्ध
1	हेलसिंकी– अल्टो सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (एचएआईसी), फिनलैंड	सूचना सुरक्षा पर स्नातक कार्यक्रम
2	एडवांस स्टडीज के लिए कोरिया फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित इंटरनेशनल स्कॉलर एक्सचेंज फैलोशिप	विश्वविद्यालय के संकाय और संस्थान के शोधकर्ता जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है
3	स्लोवेनिया गणराज्य के दूतावास द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति	विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों या स्नातकों और पीएच.डी.
4	रूसी गणराज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय एसपीबीयू में डिग्री अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम	डिग्री कोर्स
5	कोलम्बिया सरकार का छात्रवृत्ति कार्यक्रम	स्पेनिश कार्यक्रम
6	साइप्रस स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन स्कॉलरशिप	एमएससी
7	जापान सरकार की छात्रवृत्ति एमईएक्सटी कार्यक्रम	स्नातक, मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम
8	ग्रीस अध्येतावृत्ति के राज्य छात्रवृत्ति फाउंडेशन	आधुनिक यूनानी भाषा और संस्कृति में पाठ्यक्रम और सेमिनार
9	कोरियाई सरकार का छात्रवृत्ति कार्यक्रम	स्नातक डिग्री

10	चुलभोर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, बैंकॉक द्वारा दी जा रही चुलभोर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट–ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम	स्नातकोत्तर उपाधि
11	ताइवान सरकार का छात्रवृत्ति कार्यक्रम	स्नातक या पीएचडी डिग्री

भारत वापसी का कोई दायित्व नहीं (एनओआरआई):

भारत वापसी का कोई दायित्व नहीं (एनओआरआई) प्रमाण पत्र एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जे–1 वीजा पर गया हो। जे–1 वीजाधारकों का अपने एक्सचेंज विजिटर कार्यक्रम के अंत में कम से कम दो वर्षों तक अपने घर लौटने की आवश्यकता है। यदि कोई द्विवर्षीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने देश लौटने में सक्षम नहीं है,, तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के दूतावास/वाणिज्य दूतावास से छूट प्राप्त करनी होगी। आप्रवासन के प्रयोजन हेतु दूतावास से 'छूट प्रमाण पत्र' जारी कराने के लिए, आवेदक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एनओआरआई प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

दिनांक 27.02.2016 से आवेदकों को पोर्टल nori.ac.in पर एनओआरआई के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन से सेवा में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और यथासमय वितरण बढ़ा है। भारत वापसी कोई दायित्व नहीं के 705 पत्र (एनओआरआई) 1.4.2017 से 31.3.2018 तक जारी किए गए।

******

अध्याय 09

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान 'नीपा'

अध्याय 09

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान 'नीपा'

पृष्ठभूमिः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), 'नीपा' सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है। वर्ष 1961–62 में शैक्षिक योजना, प्रशासक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में शुरू और अपनी क्षमता और कार्य के क्षेत्र में आगामी बदलाव के माध्यम से बढ़ते हुए, यह वर्ष 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के रूप में परिवर्तित हुआ। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए गए उत्तम कार्यों को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने इसे अगस्त, 2006 में समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देकर अपनी डिग्रियों को प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह, एनआईईपीए समवत विश्वविद्यालय के रूप में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।

अधिदेशः एनआईईपीए शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। संस्थान के मुख्य क्रियाकलापों में शैक्षिक नीति और योजना में केंद्र और राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करना, शैक्षिक नीति और प्रशासन में देश के शैक्षिक व्यावसायिकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना, एम्फिल और पीएच.डी कार्यक्रमों के माध्यम से युवा अध्येताओं में विशेषज्ञता विकसित करना, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी पहलुओं में अनुसंधान संचालित करना; ज्ञान और सूचनाओं के प्रसार हेतु क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना और नीति निर्माता, योजनाकारों, प्रशासकों और अकादमिकों के मध्य विचारों और अनुभवों के विनिमय हेतु एक फोरम प्रदान करना शामिल है।

उद्देश्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमः एनआईईपीए ने वर्ष 2007 से व्यापक अंतर–विषयात्मक सामाजिक विज्ञान परिदृश्य के साथ शैक्षिक योजना और प्रशासन में एमफिल और पीएचडी की शुरुआत की है। तब से, एनआईईपीए में एमफिल के लिए 151, पीएचडी कार्यक्रम के लिए 60 अनुसंधान अध्येताओं का पंजीकरण किया गया है। अब तक अधिकतम 99 एमफिल और 17 पीएचडी डिग्रियां मार्च, 2018 तक प्रदान की गई हैं। 2017–18 में एमफिल के लिए 18 और पीएचडी कार्यक्रम के लिए 9 छात्रों सहित कुल 27 छात्रों को एनआईईपी में नामांकन प्रदान किया गया है। संस्थान एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश और विभिन्न पदों के लिए भर्ती में भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है। यह सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों जैसे एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों की शिक्षा सहित भारत सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित मुद्दों, अनुसंधान संचालन, संगोष्ठी आयोजन आदि के लिए अनुदान प्रदान करता है। एनआईईपीए शैक्षिक उपलब्धियों में असमानता को कम करने और निर्धनता को दूर करने एवं उनकी

आर्थिक और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए कई सर्वेक्षणों, अनुसंधान अध्ययनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा किया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, एक सौ उनचास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी, सम्मेलन और वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं की बैठकें, योजना निर्माता और प्रशासक शामिल हैं। एनआईईपीए ने ऐसी 141 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मार्च–2018 तक आयोजित करवाए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एनआईईपीए प्रतिवर्ष तीन डिप्लोमा कार्यक्रम भी संचालित करता है: (i) शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडीईपीए) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ii) शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडीईपीए) में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (iii) स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसएलएम)। इसके अलावा, एनआईईपीए ने 2016–17 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में 13 अनुसंधान अध्ययनों को पूरे किए और 2017–18 के दौरान 48 अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर हैं।

मार्च, 2018 तक, एनआईईपीए ने 32 सरकारी और गैर–सरकारी सगठनों को शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में संगोष्ठी/सम्मेलनों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए सहायता–अनुदान प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख नीति/सुधारः राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन के मुख्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक शैक्षिक उपलब्धियों के निम्नतम स्तर के साथ समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी उन्नति के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एनआईईपीए अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों पर सर्वेक्षण और अनुसंधान करता है एवं उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए कई कार्यक्रमों को शामिल किया है। यह जनजातीय क्षेत्रों में संगोष्ठी और क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण भी करता है।

******

अध्याय 10

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

अध्याय 10

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एमएचआरडी द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह उच्च शिक्षा में समता, पहुँच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निधि प्रदान करने हेतु मिशन मोड में संचालित एक व्यापक योजना है। केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से मंत्रालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है। राज्यों को अनुदान राज्य उच्च शिक्षा योजना (एसएचईपी) के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर पूरा किया जाता है। इन योजनाओं में उच्चतर शिक्षा में समता, पहुँच और उत्कृष्टता के मुद्दों के समाधान करने के लिए राज्य की कार्यनीति का वर्णन है। योजना का पूर्ण विवरण www.rusa.nic.in पर उपलब्ध है।

3.3.1 निधियन अनुपातः केंद्र और राज्य के मध्य सामान्य वर्ग हेतु निधियन अनुपात 60:40 है। विशेष राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए निधियन अनुपात 90:10 है और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय अनुदान 100% है।

उपलब्धिः योजना के तहत घटकवार अनुमोदन और जारी निम्नलिखित हैः

घटक	वास्तविक यूनिट अनुमोदित	कुल राशि अनुमोदित (रूपये करोड़ में)	केंद्रीय भाग अनुमोदित (रूपये करोड़ में)	जारी किया गया केंद्रीय भाग (रूपये करोड़) (20 नवंबर, 2017 के अनुसार)
मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का सृजन	8	440	286	94.21
क्लस्टर में कॉलेजों के रूपांतरण द्वारा विश्वविद्यालयों का सृजन	8	440	330	131.23
विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	117	2319.53	1449.02	816.582
नए मॉडल कॉलेज (सामान्य) (रूसा के तहत)	72	859.69	548.12	310.76
मौजूदा कॉलेजों को मॉडल कॉलेज में उन्नयन	54	212.36	149.52	79.3331
नए कॉलेज (व्यावसायिक और तकनीकी)	29	754	556.4	182.25
कॉलेजों के अवसरंचना अनुदान	1249	2498.79	1686.45	1026.801
अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार (राज्य को यूनिट मानकर)	3	37.27	23.05	12.03

समता पहल (राज्य एक यूनिट के रूप में)	18	77.45	59.05	28.178
संकाय भर्ती सहयोग (पद)	253	26.2	22.27	0.6525
संकाय सुधार (राज्य को यूनिट मानकर)	8	41.49	28.04	8.002
उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण (राज्य को यूनिट मानकर)	7	93.43	62.259	34.069

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (एचआरएम) ने रूसा के तहत दिनांक 17 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परियोजनाएं डिजिटल रूप में शुरु की हैं:

i. अरुणाचल प्रदेशः मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयनः शैक्षणिक (वाणिज्य) ब्लाक, डेरा नातुंग राजकीय कॉलेज, ईटानगर

ii. हरियाणाः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः कंप्यूटर प्रयोगशाला, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय

iii. हिमाचल प्रदेशः नए कॉलेज (व्यावसायिक): राजीव गाँधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, काँगड़ा

iv. जम्मू और कश्मीर (जेएंडके): जम्मू और श्रीनगर (जिलों) में क्लस्टर विश्वविद्यालय का सृजन, जम्मू और कश्मीर

v. झारखंडः समता पहलः घाटशिला कॉलेज, घाटशिला, कोल्हन विश्वविद्यालय में डिजिटल भाषा प्रयोगशाला

vi. केरलः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सोलर पैनल सिस्टम, कालडी, एर्नाकुलम (केरल)

vii. मध्य प्रदेशः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः शैक्षणिक ब्लाक, राजकीय रानी दुर्गावती कॉलेज, मांडला

viii. महाराष्ट्रः शिवाजी विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार, कोल्हापुर और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

ix. मणिपुरः कॉलेजों को अवसंरचना अनुदानः एस.कुला महिला कॉलेज, कोंघमपट, नाम्बोल में सूचना प्रौद्योगिकी/बायोइन्फार्मेटिक्स केंद्र, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, फूड प्रौद्योगिकी, रसायनशास्त्र, जैवविज्ञान, गृह विज्ञान और भूविज्ञान का नवीनीकरण।

x. मिजोरमः कॉलेजों को अवसंरचना अनुदानः एम. एड. कक्षाओं हेतु नए भवन, उन्नत शिक्षा अध्ययन केंद्र, रिपब्लिक वेंग, आईजोल

xi. राजस्थानः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः स्मार्ट क्लासरूम, और मूट कोर्ट रूम, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

xii. सिक्किमः बुनियादी अनुदानः प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

xiii. तमिलनाडुः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः भरथियार विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास, कोयम्बटूर

xiv. तेलंगानाः नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एमडीसी) कलवाकुर्थी, नागरकुरनूल (जिला), तेलंगाना

xv. उत्तराखंडः विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदानः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में योग विज्ञान प्रयोगशाला

रूसा–जिओ–टैगिंग के अंतर्गत प्रक्रिया नवाचारः जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के

सहयोग से सेवाओं और भू निरीक्षण आंकड़ों पर निगाह रखने के लिए इसरो के जिओ पोर्टल, भुवन का उपयोग कर रहा है। यह वास्तविक समय निर्धारण, निगरानी और सभी लाभार्थी संस्थाओं के प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।

भुवन रूसा ऐप नाम से एक एंड्राइड आधारित ऐप भी है। यह एक यूजर–फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है, जो सभी रूसा लाभार्थी संस्थाओं में विभिन्न वास्तविक पैरामीटरों जैसे नए निर्माण, उन्नयन कार्य और उपकरणों की खरीद और फर्नीचर और सहायक उपकरणों पर जिओ–टैग्ड सूचनाएं इकठ्ठा करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। यह मोबाइल ऐप नियंत्रित जनसमूह माध्यमों को भुवन जिओ–प्लेटफार्म पर स्थानीय डेटाबेस तैयार करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

सर्वोत्तम विधियां – आदान–प्रदान और रिकॉर्ड व्यवस्था: लाभार्थी संस्थाओं और राज्यों से सर्वोत्तम विधियों के रिकॉर्ड तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया चल रही है। ये दस्तावेज लिखित होने के साथ–साथ ऑडियो–विडियो दोंनो में है। सर्वोत्तम कार्यव्यवहार दस्तावेजी राज्यों को प्रमुख बिंदु के सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हैं जोकि रूसा के कार्यावयन से संबंधित राज्यों में प्रक्रियाधीन है। सर्वोत्तम विधियां राज्यों के लिए अनुभव साझा करने के माध्यम से एक–दुसरे से सीखने का एक श्रेष्ठ उदाहरण भी है। सर्वोत्तम विधियों के लिए राज्यों के चयन/शार्टलिस्ट होने से उनमें एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता भी विकसित होती है, जोकि 'आउट ऑफ बॉक्स' अथवा 'नवाचार' नए विचार और समाधान में

बेहतर वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी हेतु पीएफएमएस: केंद्र सरकार से राज्यों द्वारा लाभार्थी संस्थाओं को मिलने वाले वित्त की बेहतर वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी के लिए पीएफएमएस (लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली) को रूसा के साथ संबद्ध कर दिया गया है। इससे निधि संवितरण में व्यापक पारदर्शिता और जवाबदेही तय

करने में घटकवार व्यय की वास्तविक प्राप्ति में सहायता मिलती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जब एक बार में ही निधियों को अनुमोदित और संवितरित कर दिया जाता है तो यह राज्य सरकार अथवा संस्थाओं के स्तर पर, यदि कोई है तो, संग्रहित धनराशि का पता लगाने में भी सक्षम बनाता है। सभी रूसा लाभार्थियों ने पीएफएमएस से जुड़ी बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार पीएफएमएस की ईएटी मोड्यूल का उपयोग करके सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा।

निधि और सुधार अन्वेषक (ट्रैकर) निधि और सुधार ट्रैकर द्वारा रूसा परियोजनाओं, जब से उन्हें संस्वीकृत किया गया है और उनके पूर्ण होने तक, की ब्यौरेवार निगरानी की जानी है। इसके माध्यम से, केंद्र सरकार, राज्य उच्च शिक्षा स्टेकहोल्डरों और सांस्थानिक नेतृत्वकर्ताओं के लिए संपूर्ण भारत से हजारों विक्रेताओं के अलावा, एक इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप द्वारा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को जारी की गई किश्तवार निधि और इसके अलावा, राज्य/संस्थाओं द्वारा बिक्रेताओं को उपलब्ध कराए गए भुगतान के अनुसार निधि आवंटन को संग्रहित करना है। यह ऐप उपयोग में लाइ गई निधियों की वास्तविक समय सूचना और सृजित की गई/क्रय की गई भौतिक संपत्तियों को मुहैय्या कराती है।

डैशबोर्ड इस स्कीम के अंतर्गत राज्य और संस्थावार प्रगति सहित स्कीम का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है।

यह सुधार ट्रैकर राज्य मानचित्रण का विभिन्न संकेतकों के साथ–साथ उनके निष्पादन का रिपोर्ट कार्ड है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनके द्वारा दी गई प्रतिबद्धता पर स्कीम में शामिल होते समय राज्यों द्वारा तैयार की गई प्रगति के आधार पर सूचना भी प्रदान करता है।

सारांश रूप में, सुधार के निम्नलिखित बिंदु हैं जिन्हें अब तक शुरू किया गया है:

- 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का सृजन।
- 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य परियोजना का सृजन।
- सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संबंध में प्रत्यायन के दर्जे में सुधार। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यायन की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों का गठन किया है।
- कई राज्यों में रिक्त पदों को पर्याप्त रूप में भरा जाना।
- शैक्षणिक सुधारों जैसे विकल्प अधिरत क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस), सेमेस्टर प्रणाली, परीक्षा सुधार शुरू किए गए हैं।

******

अध्याय 11

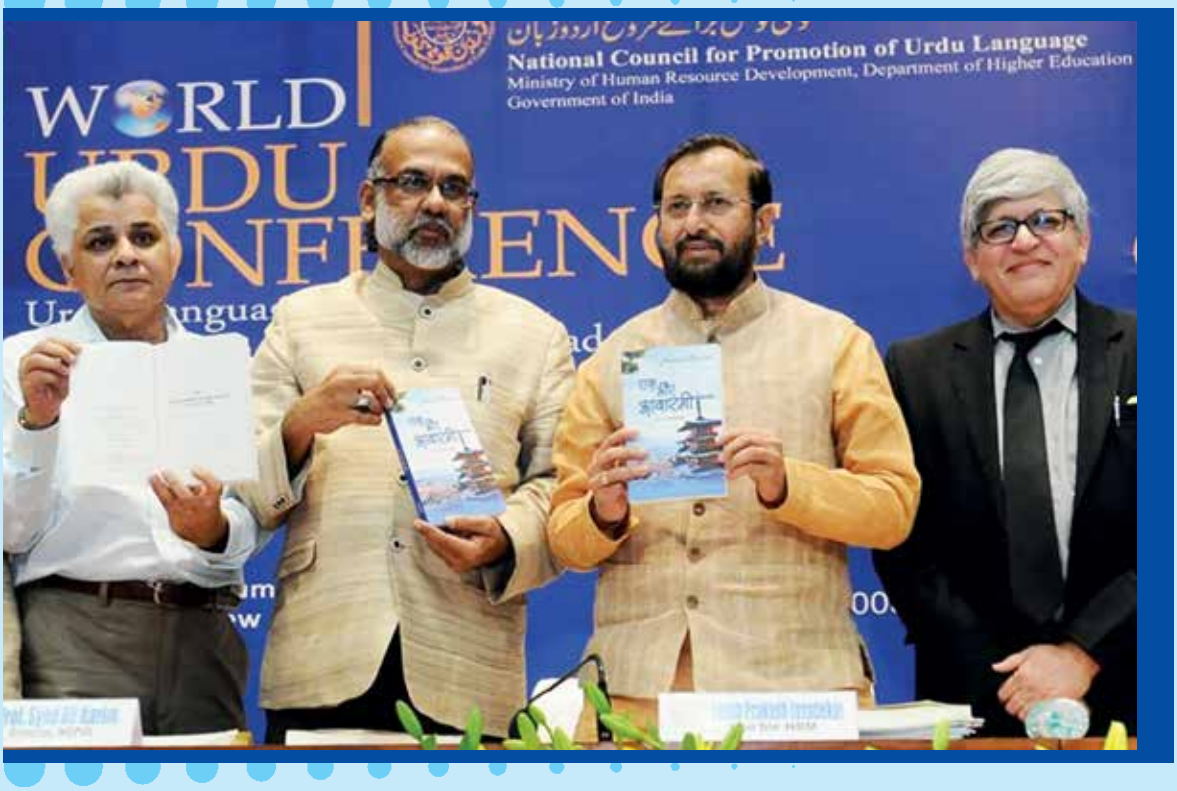

भाषा संस्थाएं

अध्याय 11

भाषा संस्थाएं

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

हिन्दी भाषा के विकास के लिए भारत के सविंधान के अनुच्छेद 351 के तहत दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैः

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और भावों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"

उपर्युक्त संवैधानिक आदेश को देखते हुए, दिनांक 01 मार्च, 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जिसका अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं। केन्द्र सरकार का यह शीर्ष निकाय अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक हिन्दी को अखिल भारतीयता के लक्षण प्रदान करने, इस भाषा के माध्यम से विभिन्न लोगों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को बहु–आयामी रूप से कार्यान्वित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है और हिन्दी को वैश्विक स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

यह निदेशालय हिन्दी के विकास, संवर्धन और समृद्धि के लिए बहुत–सी महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जो निम्नलिखित हैंः

1. पत्राचार पाठ्यक्रम
2. अनुपूरक शैक्षणिक सामग्री
3. विस्तार कार्यक्रम– गैर–हिन्दी भाषी नव–हिन्दी लेखक शिविर, छात्र अध्ययन यात्रा, शोध छात्र यात्रा अनुदान, प्राध्यापक व्याख्यानमाला, राष्ट्रीय संगोष्ठी और गैर–हिन्दी भाषी हिन्दी लेखकों को पुरस्कार और शिक्षा पुरस्कार।
4. हिन्दी के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना और हिन्दी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
5. प्रकाशन – डिक्शनरी, जर्नल जैसे भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला को तैयार करना और उनका प्रकाशन।
6. हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
7. पुस्तक प्रदर्शनियां और बिक्री।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा एक स्वायत्त निकाय है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है। मंडल अपने तत्वाधान में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान चलाता है। संस्थान अध्यापन, प्रायोगिक हिन्दी, भाषा विज्ञान एवं कार्यात्मक हिन्दी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के उन्नत केन्द्र के रूप में मान्यताप्राप्त

है। इसके मुख्यालय में 8 शैक्षणिक विभाग हैं और दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में 08 क्षेत्रीय केन्द्र स्थित हैं। ये केन्द्र अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तुलनात्मक और विषम भाषा विज्ञान में अनुसंधान और शोध क्षेत्र के हिन्दी शिक्षुओं की आवश्यकतानुसार भाग लेते हैं। इसके अलावा संस्थान के पास नागालैंड, मिजोरम और असम सरकार के स्वामित्व और अधिदेश में 03 सम्बद्ध कालेज हैं।

संस्थान हिन्दी अध्यापन और प्रशिक्षण के 17 से ज्यादा पाठ्यक्रम चलाता है। वर्ष 2016–17 तक संस्थान द्वारा 83173 भारतीय और विदेशी छात्र अध्यापक/शिक्षक/छात्र–सह–अध्यापक/सेवाकालीन अध्यापक और अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं। मुख्यालय, दिल्ली केंद्र में 6602 विदेशी छात्रों और विभिन्न देशों से आईसीसीआर ने केएचएससे 'विदेश में हिन्दी प्रचार योजना' के तहत हिन्दी सीखी है।

(ख) शिक्षण कार्यक्रम

1. **व्यावसायिक कार्यक्रम (सायंकालीन कार्यक्रम)**– इन कार्यक्रमों को मुख्यालय और दिल्ली केंद्र पर संचालित किया जाता है
   - (i) अनुप्रयुक्त हिन्दी विज्ञान में पोस्ट एम.ए.
   - (ii) अनुवाद में डिप्लोमाः सिद्धांत और व्यवहार कुल 61 छात्र
   - (iii) जन संचार और पत्रकारिता में डिप्लोमा
2. **विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम** – यह कार्यकम "विदेशी में हिन्दी का प्रचार" के तहत प्रदान किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, कुल 164 विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया गया है जिसमें से 85 आगरा मुख्यालय में हैं और 79 दिल्ली केंद्र में हैं।
3. **अल्पकालिक पाठ्यक्रम** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अल्पकालिक कार्यक्रम– उन्मुखता, संवर्धन रिफ्रेशर और भाषा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से अक्टूबर 2017 तक 36 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 1560 शिक्षकों को अब तक प्रशिक्षित किया गया है।

(क) संगोष्ठीः (विवरण संलग्न)

- (i) 12 राष्ट्रीय संगोष्ठियां आगरा मुख्यालय, भुवनेश्वर, मैसूर, हैदराबाद और दिल्ली केंद्र पर आयोजित की गई हैं।
- (ii) 15 संगोष्ठियां इस सत्र में आयोजित की जानी हैं।

(ख) ऑडियो विजुअल अनुदेशात्मक सामग्री – सूचित सत्र के दौरान उपचारात्मक हिन्दी उच्चारण के आधार पर 04 वीडियो पाठ तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला हेतु 06 वार्तालाप संबंधी मल्टीमीडिया पाठ तैयार किए गए।

(ग) शब्दकोश संसाधनों का विकास

(1) हिन्दी लोक शब्दकोश परियोजना

- (i) राजस्थानी – हिन्दी अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– 4000 प्रविष्टियों का अंग्रेजी अनुवाद
- (ii) हरियाणवी– हिन्दी अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– 3234 प्रविष्टियों का टंकण कार्य
- (iii) गढ़वाली– हिन्दी–अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– 1711 प्रविष्टियों का टंकण कार्य
- (iv) छतीसगढ़ी– हिन्दी–अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– 1165 प्रविष्टियों का टंकण कार्य
- (v) अवधी– हिन्दी–अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– कंप्यूटर पर 5110 प्रविष्टियों का शब्दकोश कार्य, हिन्दी अर्थ हेतु कार्य और रोमनीकरण

(vi) बुंदेली– हिन्दी–अंग्रेजी–लोक शब्दकोश– कंप्यूटर पर 4200 प्रविष्टियों का शब्दकोश कार्य, हिन्दी अर्थ हेतु कार्य और रोमनीकरण।

(2) **हिन्दी कॉर्पोरा परियोजना** – हिन्दी कॉर्पोरा परियोजना कार्पस (कोश) की मदद से एक हिन्दी वर्तनी जांचकर्ता विकसित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न शब्दकोशों से शब्द एकत्र किए गए हैं।

(3) **लघु हिन्दी विश्वकोश परियोजना**– अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि में कार्य का विवरण यहाँ निम्नानुसार प्रस्तुत किया है–

1. **गणित**– प्रविष्टियों की कुल संख्या 1030 है। इन प्रविष्टियों का टाइपिंग और ड्राइंग का काम पूरा हो गया है।
2. **विज्ञान**– प्रविष्टियों की कुल संख्या 1275 है। इन प्रविष्टियों का टाइपिंग और ड्राइंग का काम पूरा हो गया है।
3. **साहित्य**– 60 नई प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, अन्य प्रविष्टियां नए लेखकों को भेज दी गईं हैं।
4. **जनसंचार**– 56 नई प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, अन्य प्रविष्टियां लेखन की प्रक्रिया में हैं।
5. **समाज और जीवन**– 272 नई प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, टंकण कार्य पूरा हो गया है।
6. **इतिहास**– 205 नई प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, टंकण कार्य पूरा हो चुका है और शुद्धि हेतु भेज दिया गया।

इस परियोजना में मनोविज्ञान, भारतीय उपचार विधि और योग, लोक प्रशासन और प्रबंधन जैसे नए विषय शामिल किए गए हैं।

(4) **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सामग्री निर्माण के विभाग के क्रियाकलाप** – हिन्दी–नोक्टे, हिन्दी–कोंकणी, हिन्दी–डोगरी, हिन्दी–भीली, हिन्दी–असमी, हिन्दी–भूटिया, हिन्दी–सौराष्ट्री, हिन्दी–सुरती, हिन्दी–पट्टनी, हिन्दी–चरोत्तरी, हिन्दी–मोनपा, हिन्दी–बालती, हिन्दी–नेपाली, हिन्दी–लेपचा, हिन्दी–राई, हिन्दी–लिम्बू प्रशिक्षु शब्दकोष और सिक्किम राज्य के कक्षा 6,7,8 के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका पुस्तक की तैयारी हेतु रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान कुल 33 कार्यशालाएं आयोजित की गयी थीं।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 1961 को की गई थी। सरकार का संकल्प संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधानों के तहत गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार था। 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के प्रमुख कार्य हैं:–

1960 के राष्ट्रपति आदेशों के पैरा 3 में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आलोक में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य की समीक्षा।

क) हिन्दी और अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों के विकास और समन्वयन से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण।

ख) राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के आग्रहों अथवा सहमति और संबंधित एजेंसियों द्वारा इसे यथाप्रस्तुत किए जाने हेतु हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग के लिए शब्दावलियों के अनुमोदन से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली

के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का समन्वयन।

ग) आयोग स्वयं के द्वारा अनुमोदित या विकसित की गयी नई शब्दावलियों का उपयोग करते हुए मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, विदेशी भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों और अनुवाद की सामग्री तैयार करना शुरू कर सकता है।

यथा उपरोक्त के अनुसार आयोग की सिफारिशों और तत्पश्चात जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का अनुसरण करते हुए, वर्तमान में सीएसटीटी के कार्यों और उत्तरदायित्वों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है।

आयोग के कार्य और उत्तरदायित्वः

(क) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों को विकसित और परिभाषित करना एवं शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दावलियां, विश्वकोश प्रकाशित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि विकसित की गयी शब्दावलियाँ और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, अध्येताओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँच रही हों।

(ग) उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके किए गए कार्यो पर समुचित उपयोग अनिवार्य अद्यतनीकरण/शुद्धि करण/संशोधन को सुनिश्चित करना।

(घ) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/सिम्पोजियम आयोजित करके तकनीकी लेखनों को बढ़ावा देना।

(ङ) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावलियों की समनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ समन्वय करना। (राज्य सरकारों/ग्रन्थ अकादमियों/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों/शब्दावली क्लब या अन्य एजेंसियों)।

(च) लोकप्रियता और मानक शब्दावलियों के उपयोग हेतु हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को प्रकाशित/प्रोत्साहित करना।

आयोग निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में काम कर रहा हैः

अंग्रेजी–हिन्दी तकनीकी शब्दावलियों/शब्दकोशों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

अंग्रेजी–क्षेत्रीय भाषा तकनीकी शब्दावलियों/शब्दकोशों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

त्रिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण और उनका प्रकाशन

पारिभाषिक शब्दकोशों का निर्माण और उनका प्रकाशन

प्रशिक्षु शब्दावलियों का निर्माण और उनका प्रकाशन

विभागीय शब्दकोशों का निर्माण, अनुमोदन/प्रकाशन

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का गढ़े गए और परिभाषित प्रकाशनों का प्रचार, प्रसार और आलोचनात्मक समीक्षा

मोनोग्राफ का प्रकाशन

पत्रपत्रिकाओं का प्रकाशन

प्रकाशनों का निःशुल्क वितरण

प्रदर्शनी का आयोजन

प्रकाशन

i) वाणिज्य विभाग शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी)

ii) आयुर्वेद मौलिक शब्दावली (संस्कृत–हिन्दी अंग्रेजी)

iii) गणित मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–गुजराती)

iv) अंतरिक्ष विज्ञान मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

v) अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

vi) भाषाशास्त्र शब्दावली (हिन्दी–अंग्रेजी)

vii) प्रशासनिक शब्दावली (हिन्दी–अंग्रेजी)

viii) गणित प्रशिक्षु शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

ix) विज्ञान गरिमा सिंधु (गणित विशेषांक)

x) विज्ञान गरिमा सिंधु – खंड 93, खंड 94, खंड 95 और खंड 96

xi) ज्ञान गरिमा सिंधु–खंड 50, 51, 52, और 53

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

वर्ष 1969 में स्थापित, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (तत्पश्चात सीआईआईएल) भारत की सभी भाषाओँ के उन्नयन और इसके माध्यम से देश में भाषिक वैविध्यता की धारणा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, संस्थान ने शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए, भारतीय भाषाओँ पर शिक्षा संबंधी और अनुसंधान सामग्री विकसित किए, भारतीय भाषाओँ से जुड़े क्रियाकलापों को पूरा करने में अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग किया, परामर्शी सेवाओं का विस्तार किया एवं जब जैसी आवश्यकता हुई भाषा संबंधी मुद्दों पर सरकार को परामर्श प्रदान किया। संस्थान ने संगोष्ठी, सम्मेलनों, सिम्पोजियम एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 20 संस्थाओं को अपने मैसूर मुख्यालय पर उन्हें आयोजित करने के अलावा सहयोग और वित्तीय सहायता भी प्रदान की। संस्थान भारत की भाषाओँ पर विभिन्न भाषिक अनुसंधान पहलुओं पर फोकस करते हुए सभी प्रमुख आयोजनों की कार्यवाहियों में उपस्थित था। नए अधिकारियों की नियुक्ति से संस्थान के वर्तमान कार्यबल में संवर्धन हुआ। इस वर्ष, प्रोफेसर डी.जी. राव, निदेशक और डॉ. एल.रामामूर्ति, रीडर सह आरआरओ ने इस संस्थान में दिनांक 11 से 14 अप्रैल 2017 तक महात्मा गाँधी संस्थान, मॉरिशस का भ्रमण किया और भारतीय भाषाओँ में कार्यक्रमों का मूल्यांकन संचालित किया। उन्होंने एलआरसी के सुगम संचालन हेतु प्रस्ताव और सुझाव भी दिए। सीआईआईएल, अनुसंधान और विकास यूनिट, क्षेत्रीय भाषा केंद्र और अन्य क्रियाकलाप के तत्वाधान में मुख्य परियोजनाओं और योजना संचालनों के तहत संस्थान का वार्षिक रिपोर्ट का सारांश दिया गया है। इन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है:

क. परियोजनाएं और योजनाएं

1. जांच और मूल्यांकन केंद्र नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज (एनटीएस)

एनटीएस–I ने 19 कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1 राष्ट्रीय सम्मलेनय 4 सामग्री उत्पादन कार्यशाला और 1 संपर्क कार्यशाला संचालित किए। कुल 14579 प्रश्न तैयार किए गए थे और 1000 प्रश्न मदों को पांच भाषाओँ हिन्दी, तमिल, उर्दू, कन्नड़ और तेलगू में अद्यतन करवाया। 6 पुस्तकें प्रकाशित की गईं थी और पांच पांडुलिपियां प्रकाशन हेतु तैयार की गई हैं। हिन्दी, तमिल और उर्दू भाषाओँ हेतु ऑनलाइन परिक्षण की तैयारी के लिए कई इन हाउस (आतंरिक) विचार विमर्श भी किए गए थे, जो वर्ष 2018–19 से प्रभावी हो सकता है।

2. कार्पस भाषाविज्ञान केंद्र

भारतीय भाषाओँ हेतु भाषाई डेटा कंसोर्टियम (एलडीसी–आईएल)

एलडीसी–आईएल ने 12 भारतीय भाषाओँ के लिए 30–45 दिनवाली अल्पकालिक लक्ष्योन्मुख परियोजनाएं और इन–हाउस स्टाफ के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किए, एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम, 2 सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन, 2 सहयोगी राष्ट्रीय संगोष्ठियां, दो सहयोगी राष्ट्रीय स्तर कार्यशालाएं आयोजित किए। एलडीसी–आईएल की परामर्शी समिति बैठक मौजूदा वर्ष 2018 में हुई थी।

3. अनुवाद अध्ययन केंद्र

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

एनटीएम ने तकनीकी शब्दावलियों के संकलन, 7 चयनित पाठ्यपुस्तकों से पाठवार शब्दावलियों के सार पर दो कार्यशालाएं संचालित कीं। 'अनुवाद का परिचय' विषय पर 3–सप्ताह वाले सात पाठ्यक्रम, अल्पकालिक प्रमाणपत्रों पर बैठक और अनुवाद में डिप्लोमा–1 एवं विषयगत वॉल्यूम और पत्रपत्रिकाओं के प्रकाशन भी आयोजित किए। एनटीएम् ने अपने न्यूजलैटर को दुबारा शुरू किया। एनटीएम् ने अपने प्रकाशन और क्रियालापों को बढ़ावा देने हेतु हैदराबाद साहित्य महोत्सव की शुरुआत की। एनटीएम ने अनुवाद और

ज्ञान के पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रिंट संस्करण अधिकार के साथ–साथ ई–बुक अधिकारों की खरीद शुरू की। एनटीएम मौजूदा वर्ष में 7 पुस्तकें अनुवाद हेतु लाइसेंस खरीदे। कुल 34 पुस्तकें आंतरिक रूप से अनूदित की गईं और 13 प्रकाशित हो गई हैं और 21 पुस्तकें प्रकाशित होनी अपेक्षित हैं। एनटीएम ने 22 पुस्तकों की सम्पूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त कीं जोकि प्रकाशन के विभिन्न स्तर पर हैं। एनटीएम ने विभिन्न भाषा क्षेत्रों से प्रकाशकों और अनुवादकों से 7 पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एनटीएम उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुवाद उपकरणों जैसे शब्दकोश, थेसारस, शब्द–अन्वेषक, ऑनलाइन लुक अप, और अनुवाद के लिए स्रोत सॉफ्टवेर, मेमोरी, वर्ड नेट आदि सृजित कर रहा है। एनटीएम ने सरकार और अन्य एजेंसियों के लिए अनुवाद कार्य शुरू किया है। एनटीएम द्वारा देशभर में कुल 25 आयोजन (कार्यशाला, उपसमिति बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि) संचालित किए गए हैं। एनटीएम ने कॉपीराइट और कानूनी मामलों के लिए उपसमिति की तीसरी बैठक करवाई।

4. शास्त्रीय कन्नड़ में उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र (सीईएससीके)

सीईएससीके ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, दो कार्यशालाएं और छह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। सीईएससीके ने मैसूर में आयोजित 83वें कन्नड़ साहित्य सम्मलेन में एक शास्त्रीय कन्नड़ प्रदर्शनी भी लगाई। केंद्र ने रेवरेंड एफ.किट्टेल और बेलगावी में नरसिम्हाचार और एफ.जी. हालाकट्टी और डॉ.एल.बसावाराजू, हुन्गुद, बागलकोट को सम्मानित भी किया। तीन विशेषज्ञ समिति की बैठकें भी सीईएससीके की सुगम कार्यसंचालन के संबंध में आयोजित की गई थीं।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर, ने सीआईआईएल, मैसूर विश्वविद्यालय (यूओएम), मैसूर में शास्त्रीय कन्नड़ (सीईएससीके) में उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र के लिए आवंटित नए परिसर की शुरुआत की।

5. कन्नड़ में साझा पत्राचार पाठ्यक्रम (सीसीसीके)

सीसीसीके यूनिट ने व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम संचालित किए। वर्ष 2017 में कन्नड़ में पत्राचार पाठयक्रम में 6 पंजीकृत प्रत्याशी सफल हुए। नवंबर माह में 97 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया।

6. सहायता अनुदान (जीआईए)

वर्ष 2017–18 के दौरान, जीआईए की चार योजनाओं के तहत प्राप्त सभी 522 संस्तुत प्रस्ताव 31वीं जीआईए बैठक द्वारा अनुदान को जारी किये जाने हेतु विधिवत रूप से प्रक्रियाबद्ध कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने पहली किश्त में 52,00,000/ –रूपये जारी किए। थोक खरीद और एनईआर प्रस्तावों से संबंधित 160 प्रस्ताव अनुदान प्राप्तकर्ता को अनुदान के भुगतान हेतु पारित कर दिया गया है। यूनिट ने 32वीं जीआईए समिति की बैठक सफलतापूर्वक संचालित की। प्राप्त किए गए 522 प्रस्तावों में से 418 प्रस्ताव 32वें जीआईएसी ने स्वीकृत का लिए हैं।

7. भाषा दस्तावेज केंद्र

लुप्त भाषाओँ का संरक्षण और परिरक्षण योजना (एसपीपीईएल)

एसपीपीएल ने 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन, 3 कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए और वर्तमान में 26 लुप्तप्राय भाषाओँ पर काम कर रहा है। इसने सहयोगात्मक कार्यशाला और एसपीपीईएल द्वारा तैयार किए गए चित्रमय शब्दकोष की वेब–लांच आयोजित की। एसपीपीईएल की छठी मुख्य समिति की बैठक नवंबर 2017 में आयोजित की गई थी।

8. डिजिटल सूचना प्रसार केंद्र भारतवाणी परियोजना (बीवीपी)

भारतवाणी पोर्टल लगभग 157 संगठनों के योगदान से 106 भारतीय भाषाओं में डिजिटलीकृत पाठ समाविष्ट करता है। इसके 83 उप–क्षेत्र हैं। भारतवाणी ऐप विविध भारतीय भाषाओँ में 94 डिजिटलीकृत और खोज सक्षम

शब्दकोशों को समाविष्ट करता है। 121 भाषाओं में चिन्हित किए गए पाठ का डिजिटलीकरण प्रक्रिया में है और भारतवाणी पोर्टल पर दैनिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है। राष्ट्रीय परामर्शी समिति (सामग्री) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को सीआईआईएल, मैसूर से मिली।

9. लोक–साहित्य, सृजनात्मक लेखन और कोशविज्ञान केंद्र

केंद्र ने अंग्रेजी में विभिन्न भाषाओं में 55 हिन्दी कहानियाँ अनूदित की है और पुस्तक विमोचन भी आयोजित किए। इसने 22 भारतीय भाषाओं में बाल रामायण अनुदित करने की पहल शुरू की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 19 फरवरी, 2018 को एमेस्को, प्रकाशन, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से 17 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित बाल रामायण का विमोचन किया था। केंद्र ने 12 त्रिभाषायी शब्दकोशों और कहावतों और मुहावरों पर 2 पुस्तकें तैयार की हैं जो प्रकाशन के विभिन्न स्तर पर हैं। इसने 2 राष्ट्रीय संगोष्ठी और 1 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की।

ख. अनुसंधान और विकास यूनिट

10. पुस्तकालय

मैसूर, पुणे, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटियाला, लखनऊ और सोलन में स्थित पुस्तकालय अपने विशिष्ट संग्रहों के साथ अपने सभी सात क्षेत्रीय भाषा केंद्र पुस्तकालयों से संलग्न है। वर्तमान में, 2 लाख से अधिक पुस्तकें सीआईआईएल और क्षेत्रीय केंद्र पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 148 पुस्तकें खरीदी गईं थीं और 225 पूरक किताबें दान के रूप में प्राप्त हुई थीं।

11. प्रकाशन यूनिट

यूनिट ने वर्तमान वर्ष में 14 पुस्तकें/पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित की हैं जिनमें स्रोत पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएँ, शब्दावलियाँ और पाठ्यपुस्तकें शामिल है।

ग. क्षेत्रीय भाषा केंद्र यूनिट

क्षेत्रीय भाषा केंद्र ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित सात केंद्रों के माध्यम से 20 भारतीय भाषाओं में 10–माह वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास और कुछ विदेशी भाषाओं एवं विशेष रूप से भारत और सामान्य रूप से विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में व्यापक भूमिका निभाई है। संस्कृत से उद्भूत लगभग सभी भारतीय भाषाएँ और कोई भी अन्य भाषा संस्कृत के भाषाई सहयोग सहयोग के बिना समृद्ध नहीं हो सकती। सभी भारतीय भारतीय भाषाएँ संस्कृत की समृद्धता से विकसित और पल्लवित होती हैं। तथापि, भारत में चहुंमुखी विकास के लिए संस्कृत को संरक्षित करना और प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार ने इस उत्तरदायित्व से पूर्णतः जागरूक होकर, संस्कृत भाषा, साहित्य और परंपरागत शास्त्रों के संरक्षण और प्रचार एवं पूरे देश और विदेश में संस्कृत के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत अक्टूबर, 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है और संस्कृत भाषा और संस्कृति से जुड़े सभी नीति मामलों में केंद्रीय सरकार की एक व्यापक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मुख्य लक्ष्य संस्कृत अधिगम और अनुसंधान का प्रचार, विकास और प्रोत्साहित करना है। चूँकि संस्कृत अनिवार्य रूप से ही पालि और प्राकृत भाषाओं के साथ 2009–10 से संबद्ध है, इसलिए संस्थान ने पालि और प्राकृत दोनों भाषाओं और उनके साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया है। संस्थान अपने सभी परिसरों के लिए केंद्रीय, प्रशासकीय और सहयोगी मशीनरी के रूप में भी सेवा प्रदान करता है। भारत

सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का गठन किया है और इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है तथा संस्थान शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य से जुड़े सभी प्रयासों को सहयोग देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसके पदों, बहु–परिसर इकाई कार्यों के आधार पर कार्यरत है। तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और यूजीसी द्वारा दिनांक 7 मई, 2002 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली (मुख्यालय), इलाहाबाद (यू.पी.), पुरी (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू और कश्मीर), त्रिसूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (यू.पी.), श्रृंगेरी (कर्नाटक), बलाहर (गरली) (हिमाचल प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र), अगरतला (त्रिपुरा) और देवप्रयाग (उत्तराखंड) में स्थित अपने 13 परिसरों का प्रबंधन कर रहा है। परिसर विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है और आचार्य एवं शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों में शिक्षा भी प्रदान करते हैं। दस परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) भी उपलब्ध हैं और जयपुर, जम्मू, भोपाल और पुरी में स्थित 4 कैम्पसों में शिक्षा आचार्य (एम.एड.) भी उपलब्ध है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न विषयों जैसे न्याय व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, सर्व दर्शन, वेद, न्याय (नव्य), मीमांसा, अद्वैत वेदांत, धर्मशास्त्र, वेदांत, सांख्य योग, पौरोहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अंग्रेजी, हिन्दी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के साथ–साथ पारंपरिक विषयों के रूप में पुराणइतिहास में शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम.ए.) स्तर पर शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, एक आधुनिक विषय जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के लिए स्नातक स्तर के तहत ट्युटोरियल सुविधा भी प्रदान की जाती है। परिसर में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) और शिक्षा आचार्य (एम.एड) के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। परिसर विद्यावारिधि (पीएच.डी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्यक्रम भी प्रदान करता है। संस्थान की अंतिम परीक्षा के लिए लगभग 19,200 छात्र नामांकित किए गए थे।

प्रमुख क्रियाकलाप

i. **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने दिनांक 21 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संस्थान के अधिकारियों और

कार्मिकों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया।

ii. **संस्कृत सप्ताहोत्सव** – संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ, नई दिल्ली, संस्कृत भारती विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जे.एन.यू. और अन्य संगठनों के सहयोग से दिनांक 4 से 10

अगस्त, 2017 को मावलंकर हाल, नई दिल्ली में संस्कृत सप्ताहोत्सव मनाया। इस अवधि के दौरान, प्रतिष्ठित संस्कृत अध्येताओं और छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम श्रृंखलाएं आयोजित की गई थीं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महेंद्रनाथ पांडेय, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2017 को किया गया था। समापन समारोह 11 अगस्त 2017 को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली में किया गया था जब प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण प्रदान किया जा रहा था।

iii. **स्वच्छता ही सेवा** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली और देशभर में स्थित इसके अन्य कैम्पसों ने 15 सितंबर से 02 अक्टूबर, 2017 तक स्वच्छ भारत पखवाड़े आयोजित किए। इस अवसर पर कार्यस्थल पर स्वच्छता के अलावा, निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईः

(क) स्वच्छ भारत अभियान का सामूहिक संकल्प लेना (ख) अधिकारियों द्वारा अनिवार्य योगदान करवाना (ग) छात्रों को उनके आवास, पड़ोस और सामाजिक नेटवर्क परिसरों को उचित तरीके से स्वच्छता रखना

हिन्दी पखवाड़ा – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 14.09.2017 से 29.09.2017 तक हिन्दी पखवाड़ा

मनाया। इस अवसर पर, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संस्थान के अधिकारी और कार्मिकों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया था।

iv. **स्थापना दिवस** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना दिनांक 15.10.1970 को हुई थी। इसका स्थापना दिवस दिनांक 15.10.2017 को मुख्यालय, नई दिल्ली में मनाया गया था। प्रतिष्ठित अध्येताओं जैसे प्रोफेसर राम करण शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) के पूर्व निदेशक, और अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रोफेसर एस. सुब्रह्मन्य सरमा, रजिस्ट्रार आई/सी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2017 तक सतर्कता

जागरूकता सप्ताह और 31 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और संस्थान के अधिकारियों, कार्मिकों और छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।

vi. **15वां अंतर–परिसर संस्कृत नाट्यमहोत्सव** – 15वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत नाट्यमहोत्सव दिनांक 22.11.2017 से 24.11.2017 तक राष्ट्रीय संस्कृत

संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), एकलव्य कैंपस, अगरतला (त्रिपुरा पश्चिम) में आयोजित किया गया। विभिन्न कैंपस के छात्रों ने विभिन्न नाटकों में हिस्सा लिया।राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) के सभी संस्थानों से लगभग 500 छात्रों ने इस नाट्यमहोत्सव में भाग लिया।

विभिन्न स्कीमों के तहत वितीय सहायता

(i) संस्थान निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) संस्कृत के प्रचार–प्रसार, विकास और उन्नयन में शामिल पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/स्कूलों/कॉलेजों आदि में संस्कृत शिक्षण के लिए प्रतिमाह 8000/ – रूपये की दर से भुगतान।

(ख) संस्कृत छात्रों को 300/– प्रतिमाह की दर से अध्येतावृत्ति

(ग) भवनों के निर्माण और मरम्मत हेतु

(घ) फर्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकों आदि के बिक्री हेतु

इस वर्ष के दौरान, 406 संस्कृत संस्थाओं/संगठनों को संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के तहत 721.31 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 22 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और 4 शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिसके तहत 95% आवर्ती और 75% गैर आवर्ती व्यय प्रदान किए जाते हैं। ये संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान एएसएम/एएसएस के लिए 3700.00 लाख रु. की राशि आवंटित की गयी और इन 25 संस्थानों के लगभग 4887 छात्र लाभान्वित हुए थे। संस्थान शास्त्र चूड़ामणि स्कीम के तहत 54 अवकाशप्राप्त प्रतिष्ठित संस्कृत अध्येताओं को कैम्पसों, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और अन्य राज्य संस्कृत कॉलेजों में शिक्षण हेतु प्रतिमाह 10,000 रूपये की दर से मानदेय का भुगतान भी करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के आयोजनः दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों और पांडुलिपियों के विक्रय और प्रकाशन एवं

अखिल भारतीय पात्रता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ii) **संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पुणे को वित्तीय सहयोग** – डेक्कन कॉलेज, स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों पर विश्वकोश संबंधी संस्कृत शब्दकोश के निर्माण हेतु परियोजना शुरू की। इस परियोजना के व्यय का मुख्य स्रोत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 50 लाख रूपये की राशि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित की गई है।

(iii) **गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा** – गैर–औपचारिक शिक्षा (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 22 केंद्रों सहित) के लिए कुल 106 केंद्र विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। प्रत्येक केंद्र दो स्तर पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में लगभग 10,502 छात्र इस वर्ष के दौरान संस्कृत शिक्षण से लाभान्वित हुए हैं।

(iv) **आधुनिक विषयों के शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता** – संस्थान पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषय के शिक्षकों और राज्य सरकार से संबंधित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के संस्कृत शिक्षकों के मानदेय हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जहाँ राज्य सरकार ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। इस वर्ष के दौरान, संस्थान ने आधुनिक विषयों के लिए 120 संस्थाओं को और विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूलों के 26 संस्कृत शिक्षकों को संस्कृत पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। संस्थान ने संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अंतर्गत कक्षा IX से पीएच.डी तक पारंपरिक और आधुनिक विषय के छात्रों को 390 लाख से 11665 लाख रूपये तक अध्येतावृत्ति प्रदान की है।

(v) **कमजोर परिस्थितियों में संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि** – संस्थान 65 वर्ष से अधिक आयु के उन प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों जो कमजोर परिस्थितियों में हैं, को 36,000/– रूपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत 211 पंडित सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) **राष्ट्रपति पुरस्कार योजना** – प्रवासी भारतीय निवासी अथवा विदेशी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अरबी और फारसी के लिए 60 साल से अधिक उम्र के पालि और प्राकृत विद्वानों के लिए एक–एक और संस्कृत में महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान के 5 पुरस्कार और 30–45 वर्षो के आयु समूह वाले युवा विद्वानों के लिए पालि, प्राकृत, अरबी और फारसी के 5 पुरस्कार सहित 16 विद्वानों को संस्कृत सम्मान के प्रमाणपत्र के पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रतिष्ठापन समारोह में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2016–17 में, एक विदेशी विद्वान को संस्कृत के क्षेत्र में लाइफटाइम उपलब्धि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फारसी में 3, अरबी में 3, पालि और प्राकृत में एक–एक सहित संस्कृत में 16 पुरस्कार घोषित किए गए थे। इसके अलावा, महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान की घोषणा भी की गई थी। इनमें संस्कृत के लिए 5, फारसी के लिए 1, अरबी के लिए 1, पालि के लिए 1 और प्राकृत के लिये 1 हैं। इन पुरस्कारों में विद्वानों के लिए 5 लाख रूपये की एकमुश्त राशि शामिल है और महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान में 1 लाख रूपये की एकमुश्त राशि शामिल है।

(vii) **अष्टादशी (18 परियोजनाएं)** – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दस–वर्षीय संस्कृत परिप्रेक्ष्य योजना के विकास हेतु एक

दीर्घ–कालिक विजन और रोडमैप का सुझाव देने के लिए श्री एन. गोपालास्वामी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की अध्यक्षता में तेरह (13) सदस्यीय समिति गठित की है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने समिति की प्रमुख सिफारिशों के अंतर्गत संस्कृत के विकास इंजन के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन हेतु अष्टादशी स्कीम शुरू की है। तदनुसार, 1,84,44,000/– रूपये की कुल लागत राशि पर 42 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(viii) **विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता** – वर्ष के दौरान एनजीओ और समवत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को संस्कृत के उन्नयन और विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के लिए 25.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है।

(ix) **राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य ई–डेटा बैंक** – सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते दौर में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने संस्कृत के विकास हेतु ई–बुक्स और पत्र–पत्रिकाएँ विकसित की हैं। ई–बुक्स का विकास इसलिए किया गया है ताकि छात्रअध्येता अपने गृहस्थल से सुगम ढंग से उपयोग कर सकें। इन पुस्तकों से छात्रों अध्येताओं की जरूरतों के अनुसार संस्कृत सीखने में सुगमता होती है। कुल 551 संस्कृत पुस्तकें हैं जिनमें दुर्लभ पुस्तकों को स्कैन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुल 117 ई–बुक्स और एक ई–जर्नल है जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को यूआरएल www.sanskrit.nic.in पर देखा जा सकता है। संस्थान से संस्कृत वार्ता तिमाही समाचार बुलेटिन और संस्कृत विमर्श (अर्धवार्षिक अनुसंधान पत्रिका) प्रकाशित किये जा रहे हैं और उन्हें डिजिटल सामग्री के रूप में अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, वित्तीय सहायता परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत किये गए हैं (क) राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य ई–डेटा बैंक (ख) विभिन्न विषयों पर प्रमुख और गौण परियोजनाएं जैसे पुस्तक अनुवाद, संस्कृत मोबाइल ऐप, मशीन अनुवाद और संस्कृत आदि पर बृहद पुस्तक परियोजना।

(x) **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान (एनईआर)** – संस्थान पूर्वोत्तर में ऐच्छिक संगठनों के शिक्षकों को वेतन, छात्रों को अध्येतावृत्ति, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और विभिन्न संगोष्ठित्यों, राष्ट्रीय संस्कृत ड्रामा/उत्सवों को आयोजित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में 22 गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर राज्य के 719 छात्रों को 24.85 लाख रूपये की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान संवितरित की गयी है। संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु योजना के अंतर्गत 13 संस्कृत और 07 आधुनिक विषयों को भुगतान हेतु 18.00 लाख रूपये की राशि जारी की गयी है। इन क्रियाकलापों के अतिरिक्त, संस्थान ने त्रिपुरा राज्य में 12 कैंपस स्थापित किए हैं और इसे एकलव्य कैंपस के रूप में नामित किया है। इस कैंपस ने अकादमिक वर्ष 2013–14 से कार्य करना प्रारंभ किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने संस्थान के पक्ष में परिसर हेतु सदर उप मंडल के तहत डी.सी. नगर में 3.25 एकड़ भूमि आवंटित की है।

(xi) **मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान)** – यूजीसी द्वारा प्रमाणित मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान), दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंतर्गत एक संस्थान है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के परिसर में अध्ययन केंद्रों को स्वाध्याय केंद्र कहा जाता है। यह प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर तक के पारंपरिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इस वर्ष कुल 1876 छात्रों का नामांकन किया गया था। शिक्षण को बैठकों, कार्यशालाओं और उन्मुखी कार्यक्रमों द्वारा समर्थन दिया जाता है।

संलग्नक–क

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

विद्यापीठ का मिशन : विद्यापीठ का मिशन वाक्य "विद्या विन्दे अमृतुम" है जिसका अर्थ है "ज्ञान हेतु शिक्षा"।

विद्यापीठ के उद्देश्य :

(क) शास्त्रीय परमपराओं को संरक्षित करना

(ख) शास्त्रों की व्याख्या शुरू करना

(ग) आधुनिक पाठ्यपुस्तकों में शास्त्रों की प्रासंगिकता को समस्याओं से जोड़ना

(घ) शिक्षकों के लिए आधुनिक के साथ–साथ शास्त्रीय विद्या में प्रशिक्षण हेतु साधन प्रदान करना

(ङ) स्वयं के विशिष्ट चरित्र को प्राप्त करने हेतु अपने अनुशासन में उत्कृष्टता को प्राप्त करना

क्रियालापों की भावी योजना और कार्यनीति :

1. वर्चुअल कक्षाओं हेतु ऑडियो–विडियो रिकॉर्डिंग के लिए पाठ्यक्रम विषय सामग्री का विकास
2. आगामी 5 वर्षो के लिए संभावी योजना की तैयारी
3. राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना
4. महिला छात्रावास
5. सोलर पॉवर सिस्टम लगाना
6. योग में यू.जी./पी.जी. कार्यक्रमों के लिए योग विभाग की स्थापना
7. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करना

वर्ष 2016 के दौरान विद्यापीठ में शैक्षणिक क्रियाकलाप – विद्यापीठ में कुल 5 संकाय और 10 विभाग हैं जहाँ विभिन्न सम्मलेन और व्याख्यान समय–समय पर आयोजित किये जाते हैं। विभाग ने मेधावी छात्रों वार्तालाप में हिस्सा लेने और अपने विचार भी प्रस्तुत करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठी और कक्षा प्रस्तुति भी आयोजित किए। छात्रों को असाइनमेंट, सामूहिक क्रियाकलाप और आपसी परस्पर संवाद भी प्रदान किया गया। छात्र अधिष्ठाता कलयाण ने एमएचआरडी और यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के लिए कई सासंकृतिक कार्यकम भी आयोजित किये।

पाठ्यक्रम–वार छात्रों का विवरण – विद्यापीठ एम.फिल और पीएच.डी डिग्री के अलावा विभिन्न विशिष्ट विषयों में छात्रों स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। विद्यापीठ शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विशिष्टचार्य और विद्यावारिधि हेतु पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, छात्रों में व्यावसायिक कौशल सुनिश्चित करने हेतु ज्योतिष, वास्तु–शास्त्र, चिकित्सा ज्योतिषशास्त्र, योग और पुरोहित में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा भी शामिल किये गए हैं।

महत्त्वपूर्ण बोर्ड/परिषदें/समितियां – विद्यापीठ का प्रमुख कार्यकारी निकाय प्रबन्धन बोर्ड है जो मार्गनिर्देश, दिशानिर्देश और विद्यापीठ के मामलों के लिए उत्तरदायी है। शैक्षणिक परिषद् विद्यापीठ की मुख्य शैक्षणिक निकाय है। यह रखरखाव और निर्देशों के मानकों के समन्वयन, विद्यापीठ के अनुसंधान और परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त निकायों के अतिरिक्त, वित्त समिति, योजना और निगरानी बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, विभागीय अनुसंधान समीक्षा समिति, संकायों और विभाग अध्ययन बोर्ड, नीति और योजना समिति आदि भी हैं।

लाभार्थियों सहित लक्ष्य समूह का कवरेज (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों महिलाओं, एससी/एसटी, आदि)

- यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यापीठ में एससी/एसटीओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह विद्यापीठ प्रवेश और नियुक्ति में एससी/एसटीओबीसी और पीडब्ल्यूडी को आरक्षण प्रदान कर रहा है। संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
- विभिन्न विषयों के एससी/एसटीओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) और अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान, कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार करने एवं उनके समझ के स्तर को ऊपर उठाने और आगामी शैक्षणिक कार्य के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करने के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यापीठ द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रकाशन

विद्यापीठ वार्षिक विद्यापीठ पंचांग के अलावा शास्त्रीय परंपराओं जैसे शोध प्रभा, वास्तु विमर्श, भैषज्य ज्योतिष और सुमंगली आदि संदर्भित और प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं को नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है। एक प्रकाशन यूनिट भी है जिसे संस्कृत साहित्य और वैदिक ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अध्येताओं की पुस्तकें प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है।

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1987 में वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा के संरक्षण और विकास के उद्देश्यों के साथ की गई थी। प्रतिष्ठान इन उद्देश्यों पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जैसे पारंपरिक वैदिक संस्थाओं और अध्येताओं को सहयोग देने, फेलोशिप अध्येतावृत्ति, ऑडियो/वीडियो टेप आदि का आयोजन करता है।

प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाएं और क्रियाकलाप

(1) वैदिक प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाएं और क्रियाकलाप – (1) यह प्रतिष्ठान वैदिक वाचन की मौखिक परंपरा की संरक्षण योजना के तहत, वेद भूषण प्रमाणपत्र (अध्ययन के पांच वर्षो के पश्चात्) और वेद विभूषण प्रमाणपत्र (अध्ययन के 7 वर्षों बाद) के अवार्ड में वैदिक शिक्षा समापन के उन्नयन हेतु देशभर में पारंपरिक वैदिक पाठशाला और गुरु शिष्य परंपरा यूनिट को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(2) वैदिक कांफ्रेंस (सम्मलेन) – देश में वैदिक अध्ययनों और ज्ञान को व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए, प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में वैदिक सम्मेलनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

(3) संगोष्ठियाँ – प्रतिष्ठान द्वारा मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। यह पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित हैं।

(4) प्रकाशन – अनुसंधान पत्र–पत्रिकाओं और मासिक समाचार पत्रों का प्रकाशन दृ प्रकाशन, प्रतिष्ठान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। वैदिक साहित्य से जुड़ी अप्राप्य और दुर्लभ पुस्तकों को इस योजना के अंतर्गत पुनःमुद्रित और प्रकशित किया गया है। प्रतिष्ठान के अध्येताओं द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट और महत्त्वपूर्ण विषयों पर मूल पाठों की मोनोग्राफी की विभिन्न भाषाओँ में हुए अनुवाद और महत्त्वपूर्ण संस्करणों का मुद्रण भी शुरू किया गया है।

केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को तमिल को शास्त्रीय भाषा की घोषणा के फलस्वरूप 19 मई, 2008 को चेन्नई में **केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान** (सीआईसीटी) की स्थापना की गई थी जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। सीआईसीटी तमिलनाडु सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

शास्त्रीय तमिल के सरोकार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित यह संस्थान तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण अर्थात प्रारंभिक युग से 600 ई. तक इससे संबंधित अनुसंधान पर अनन्य रूप से फोकस कर रहा है। संस्थान की भूमिका बहुत ही व्यापक और महत्त्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन तमिल सोसाइटी पर अनुसंधार करता है और तमिल भाषा की पुरातनता संबंधी या उससे दर्शाने वाली वस्तुओं को संरक्षित करता है। प्राचीन तमिलों और उसकी सभ्यता की पुरातनता और अनूठेपन का अध्ययन करने के उद्देश्य से 600 ई. तक की अवधि से जुड़े इकतालीस प्राचीन तमिल कार्यों को चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह (प्रतिष्ठापन समारोह) दिनांक 9.5.2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिए 18 अध्येताओं को शास्त्रीय तमिल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

श्री एदाप्पद्दी के. पलानिस्वामी, माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु की अध्यक्षता में संस्थान क्रियाकलापों की समीक्षा करने हेतु शासी निकाय की बैठक दिनांक 26.7.2017 को हुई थी। अल्पकालिक परियोजनाएं, संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीआईसीटी द्वारा शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहयोग दिया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, सीआईसीटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 519.28 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त किया था। इस अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान, जूनियर रिसोर्स फेलोशिप, पोस्ट डाक्टरल फेलोशिप, विभिन्न व्यय आदि को शामिल करके किया जाता है। भवन निर्माण के लिए पूरक के माध्यम से 540.00 लाख रूपये के अतिरिक्त अनुदान जारी किए गए थे।

राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद्

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (धारा 21) के तहत दिनांक 26.05.1994 को पंजीकरण सं. 1085 के माध्यम से वड़ोदरा, गुजरात में राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद् (एनसीपीएसएल) की स्थापना की गई थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत स्वायत्त संगठन है। परिषद् का मुख्यालय 2006 से दिल्ली में है। परिषद् का लक्ष्य सिन्धी भाषा का उन्नयन, विकास और प्रचार–प्रसार करना एवं आधुनिक पाठ्यपुस्तकों में विकसित विचारों के ज्ञान के साथ–साथ सिन्धी भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के ज्ञान को उपलब्ध कराने हेतु समुचित अभियान चलाना और सिन्धी भाषा से जुड़े विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना है।

परिषद् के उद्देश्य

- सिन्धी भाषा का उन्नयन, विकास और प्रचार करना।
- आधुनिक पाठ्यपुस्तकों में विकसित विचारों के ज्ञान के साथ–साथ सिन्धी भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के ज्ञान को उपलब्ध कराने हेतु समुचित अभियान चलाना।
- भारत सरकार को सिन्धी भाषा से जुड़े विषयों पर सलाह देना और शिक्षा पर छाप छोड़ना है जिसका उल्लेख किया जा सके।
- सिन्धी भाषा के उन्नयन के लिए अन्य गतिविधियों को शुरू करना, जैसा परिषद् द्वारा उपयुक्त पाए जाए।

सिन्धी भाषा के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं :–

- सिन्धी भाषा से जुड़ी चयनित प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता
- सिंधी से जुड़ी सिंधी पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं ऑडियो–विडियो साम्रगी की थोक खरीद, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं/स्कूलों/कॉलेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि को निःशुल्क वितरण
- सिन्धी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता
- सिन्धी भाषा में अधिगम कक्षाओं का संचालित करना; और
- सिन्धी लेखकों को साहित्यिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान करना

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता – एनसीपीएसएल सिन्धी भाषा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण प्रचारात्मक क्रियाकलापों के संबंध में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संगठनों/सोसाइटी/धर्मार्थ निधि ट्रस्ट जोकि समय विशेष लिए प्रचलित संबंधित केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसा पंजीकरण इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम तीन सम्पूर्ण कैलेंडर वर्ष से पूर्व किये गए हों और बशर्ते कि आवेदक संगठन उस तरह का न हो जो पंजीकृत है अथवा शामिल किया गया हो या इस प्रकार संचालित हो कि इसके कार्यकलापों से होने वाले लाभ बोनस या लाभांश के रूप में इसके सदस्यों अथवा शेयरधारकों में वितरित किया जाए।

थोक क्रय योजना थोक क्रय योजना भारत में सिंधी भाषी लोगों के लिए उपयुक्त साहित्य और अन्य पठन सामग्री के साथ–साथ संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से मानक साहित्य के प्रकाशन के लिए बनाई गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य, उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जहां सिंधी पढ़ाई के माध्यम के रूप में या वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, के स्कूल/कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क भेंट के रूप में विवेकपूर्ण तरीके से चयनित पुस्तकों और आवधिकों की आपूर्ति के माध्यम से सिंधी भाषा के अध्ययन में अभिरूचि पैदा करना है।

सिंधी भाषा के संवर्धन और लेखकों को मूल्यवान पुस्तकों और पत्रिकाओं के लेखन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु और ऑडियो/वीडियो कैसेट/सीडी/वीसीडी/डीवीडी आदि तैयार करने के लिए और कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन के बाद थोक क्रय समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, देशभर में 150 स्कूलों/कॉलेजों/पुस्तकालयों/शैक्षणिक संस्थाओं में वितरण के लिए योजना के तहत चयनित पुस्तकों/पत्रिकाओं ऑडियो/वीडियो कैसेट/सीडी/वीसीडी/डीवीडी की प्रतियां खरीदी जाती हैं।

पुस्तकों/पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता – योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रकाशन विचारार्थ हैं:

1. विश्वकोश, ज्ञान की पुस्तकें, संकलन और संग्रह, ग्रंथसूची और शब्छकोश जैसी संदर्भ पुस्तकें,
2. दुर्लभ पांडुलिपियों की विवेचनात्मक पुस्तक सूची
3. अन्य भाषा में लिखी गई सिंधी भाषा के लिए स्वअनुदेशी पुस्तकें,
4. भाषाशास्त्र से संबंधित मूल लेखन, कहानी साहित्य, नाटक, कविता, विचारधारा, सामाजिक, न्रशास्त्रीय और सांस्कृतिक विषयवस्तु,
5. पुरानी पांडुलिपियों का अनुवाद सहित या बिना अनुवाद के विवेचानात्मक सम्पादन और/या प्रकाशन (अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में),
6. पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन,

स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/धर्मार्थ संस्थाएं/न्यास, जो अभी प्रचलित संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, और साथ ही व्यक्ति जो लेखक, संपादक, अनुवादक हैं या जो विचाराधीन पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं, और उसका कॉपीराईट रखते हैं, (वाणिज्यिक प्रकाशकों को छोड़कर) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

योजना के तहत वित्तीय सहायता विचाराधीन प्रकाशन के लिए कुल अनुमोदित व्यय के 80% और दुर्लभ पांडुलिपियों की विवेचनात्मक सूची हेतु 100% तक होगी। इस प्रयोजन के लिए, मुद्रण आदेश विवेचनात्मक पुस्तक सूची और अन्य प्रकाशनों के लिए 500 प्रतियों तक सीमित होगा।

सिंधी भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के बीच सिंधी भाषा को लोकप्रिय बनाना और उसका विस्तार करना है जिन्होंने स्कूल स्तर पर सिंधी भाषा का अध्ययन नहीं किया है। इस योजना का कार्यान्वयन इस प्रयोजनार्थ एनसीपीएसएल द्वारा मान्यता शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक सेवा संगठनों/सिंधी पंचायतों, राज्य सिंधी अकादमियों और अन्य उपयुक्त संगठनों के माध्यम से किया जाता है। योजना में तीन प्रकार के एसएलसीसी प्रमाणपत्र होंगे, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और एडवान्स्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 घंटे की अवधि का होगा जो 12 माह की अधिकतम अवधि में होगा। एसएलसीसी परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं।

पुरस्कार योजना

- **दो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार नामतः साहित्यकार सम्मान और साहित्य रचना सम्मान – प्रत्येक 5,00,000/–रूपये** : साहित्यकार सम्मान पुरस्कार, लेखकों को सिंधी साहित्य में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य रचना सम्मान लेखकों कला/संस्कृति/शिक्षा और सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में सिंधी भाषा में किए गए साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है।
- **दस मेरिट/साहित्यिक पुरस्कार – प्रत्येक 1,00,000 रूपए:** ये पुरस्कार सिंधी साहित्य के क्षेत्र में लेखकों के योगदान की सराहना में पात्र लेखकों को दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् की योजनाएं सिन्धी समुदाय में विकलांगजनों के लिए भी लाभदायक हैं एवं वे संगोष्ठियों, सम्मेलनों/कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के संवर्धन पर ध्यान देता है और यह भारत सरकार को शिक्षा को उर्दू भाषा से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है और जैसा संदर्भित किया जाए यह शिक्षा पर उल्लेखनीय छाप छोड़ता है।

कंप्यूटर एप्लीकेशनों और बहुभाषिक डीटीपी केन्द्रों की स्थापनाः वर्ष 2017–18 (21.11.2017 तक) के दौरान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद्, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रलाय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) में एकवर्षीय डिप्लोमा के लिए 452 केन्द्र पंजीकृत एनजीओ के साथ चलाए जा रहे हैं जिनमें 11906 छात्राओं सहित कुल 30514 छात्रों को प्रवेश मिला था ताकि उर्दूभाषी छात्रों और छात्राओं को तकनीकी शिक्षा मिले जिससे वे नियोजनीय प्रौद्योगिकीय कार्यबल बन सकें।

कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाईन केंद्र : सुलेख और ग्राफिक डिजाइन केंद्र स्थापित करना ताकि पारंपरिक सुलेख को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए, इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 1900 छात्राओं सहित 3350 छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के लिए 71 सुलेख और ग्राफिक डिजाइन केंद्रों का संचालन जारी रहे।

सहायता अनुदान (उर्दू): चयनित उर्दू संवर्धन गतिविधियों में सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता जिसमें संगोष्ठी आयोजित करने, 52 भाषण श्रृंखला, 143 पाण्डुलिपियां और लेखकों की 52 परियोजनाएं और बोनाफाईड लेखकों की 401 उर्दू पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं के लिए 137 एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों का अनुमोदन शामिल है।

उर्दू प्रेस संवर्धन : राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् यूनाइटेड ने न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 337 लघु और औसत उर्दू अखबारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। लगभग 1335 अखबार डीएवीपी दर से विज्ञापन भी देते हैं।

प्रकाशन क्रियाकलाप – राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् भारत सरकार के तहत प्रधान उर्दू प्रकाशन घर है। इस वर्ष 24 नए शीर्षकों, 02 पुनःमुद्रणों, 31 पाठ्यक्रम पुस्तकों, 07 मासिक पत्रिका उर्दू दुनिया अंक, 07 मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया, 03 तिमाही पत्रिका फिक्र–ओ–तहकीक के अंक, 04 ख्वातीन दुनिया को शामिल करके प्रकाशन हो चुके हैं।

पुस्तक संवर्धन – विक्रय और प्रदर्शन के माध्यम से उर्दू पुस्तकों का संवर्धन वार्षिक उर्दू पुस्तक मेले आयोजित करके किया जाता है। वर्ष 2017 के लिए पुस्तक मेले का आयोजन सोलापुर में 23–31 दिसंबर, 2017 तक आयोजित किया जाना है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् ने अन्य एजेंसियों के द्वारा आयोजित 02 पुस्तक मेले और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र को शामिल करते हुए वाहन प्रदर्शनी के 04 ट्रिप में हिस्सा लिया था।

शैक्षणिक परियोजनाएं/समन्वयन – राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् ने विभिन्न शैक्षणिक निर्माण परियोजनाओं को जारी रखा जिसमें 01 शब्दावली और 06 प्रक्रियाधीन, 03 शब्दकोश प्रक्रियाधीन, इनसाइक्लोपिडिया के 02 वॉल्यूम प्रक्रियाधीन, 20 परियोजनाएं/पांडुलिपियाँ प्रकाशित और 91 प्रक्रियाधीन, 07 मोनोग्राफ प्रकाशित 12 प्रक्रियाधीन, शामिल हैं। 16 बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गई और साहित्य के अंतर्गत परियोजनाएं, भाषाशास्त्र और

सामाजिक भाषाशास्त्र, उर्दू साहित्य का इतिहास और इनसाइक्लोपिडिया यूनानी चिकित्सा, विधि अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जैवविज्ञान, फारसी, अरबी, इस्लामी अध्ययन और सृजनात्मक लेखन पैनल अभी प्रक्रियाधीन हैं।

राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/सांस्कृतिक आयोजन – भारत में उर्दू की संवैधानिक और कानूनी स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 29.04.2017 से 30.04.2017 तक तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था।

टीवी पर उर्दू दुनिया का प्रोडक्शन और टेलीकास्ट – राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू आबादी में उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति संवर्धन के लिए शुरू की गई गतिविधियों के बारे में उर्दू भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन और विकास परिषद् ने साप्ताहिक स्तर पर आधे घंटे के एपिसोड की प्रस्तुति और प्रसारण के लिए ईटीवी (उर्दू) की शुरुआत की गई। ईटीवी द्वारा 31 एपिसोड की प्रस्तुति और प्रसारण किया जा चुका है।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)– राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् प्रत्यायित केंद्रों और प्रत्यक्ष अधिगम के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। कुल 1263 केंद्र (811 उर्दू डिप्लोमा और 452 सीएबीए–एमडीटीपी) बनाने के लिए 811 मौजूदा केंद्रों जिसमें कंप्यूटर पाठ्यक्रम कर रहे प्रशिक्षुओं जिनके लिए उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है, कंप्यूटर केंद्र शामिल है। लगभग 1414 अल्पकालिक उर्दू शिक्षकों को रोजगार मिला और 37300 (25394 उर्दू डिप्लोमा 11906 सीएबीए–एमडीटीपी) सहित 86946 (56432 उर्दू डिप्लोमा 30514 सीएबीए–एमडीटीपी) छात्रों को प्रवेश मिला। उर्दू अधिगम पाठ्यक्रम शुरू जिसमें 23263 भारतीय और 2452 विदेशियों सहित कुल 25715 प्रशिक्षुओं ने स्वयं ही ऑनलाइन पंजीकरण किया।

अरबी और फारसी का संवर्धन – उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी का प्रोन्नयन करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी सुपुर्द की गई है। कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे आने वाले अध्येताओं के लिए संचालित है। 44415 शिक्षुओं को अरबी शिक्षण के लिए 695 अरबी केंद्र हैं जिनमें दोनों पाठ्यक्रमों में 20523 लड़कियां दाखिल की गईं। पारसी भाषा में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र हेतु 24 केंद्र चल रहे हैं जिसमें 1143 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है।

अनुदान सहायता (अरबी/फारसी) : चयनित अरबी और फारसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु 21 पांडुलिपियों, 10 संगोष्ठियाँ, 14 लेखकों के प्रोजेक्ट्स को मुद्रण सहायता प्रदान करने हेतु एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई तथा बोनाफाईड लेखकों की 12 अरबी/फारसी पुस्तकों को अनुमोदित किया गया।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम – जम्मू और कश्मीर राज्य के 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केन्द्रों में पेपर मेश में छह माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में तिरुपति में की गई थी और इसे वर्ष 1987 में समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था। विद्यापीठ पिछले पांच दशकों से संस्कृत भाषा, साहित्य और प्राचीन भारतीय बौद्धिकता के उन्नयन और प्रचार के उद्देश्यों के लिए उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

विद्यापीठ को मार्च 2018 में श्रेणीबद्ध स्वायत्तता हेतु श्रेणी–I उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में चिन्हित किया गया है, विद्यापीठ को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के आधार पर यूजीसी विनियमों के अनुसार एमएचआरडी/यूजीसी द्वारा श्रेणी–I

संस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ए (3.71/4.00) की एनएएसी ग्रेड के साथ केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं और समवत विश्वविद्यालय दोनों में तीसरी श्रेणी प्रदान की गई है। विद्यापीठ एकमात्र संस्कृत संस्था है जिसे 60 उच्च शिक्षा संस्थाओं में से एक होने का दर्जा प्राप्त है।

भारतीय ज्ञान का समावेश

इसके अलावा, आधुनिक विषयों जैसे गणित, भौतिकशास्त्र आदि से जुड़ी संस्कृत में निहित क्रियाकलापों की खोज करने और ज्ञान को साझा करने हेतु विद्यापीठ नए प्रबंधकों को प्राचीन भारतीय प्रविधियों और कार्यव्यवहारों से प्राचीन भारतीय प्रबंधन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए स्नातकोत्तर नामक एक नवाचार पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। अन्य पाठ्यक्रमों जैसे वास्तु और ज्योतिष में डिप्लोमा, मंदिर संस्कृति और मंदिर प्रशासन में ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम का लक्ष्य भारतीय ज्ञान के प्रसार पर है।

सरल मानक संस्कृत में शास्त्र

विद्यापीठ ने तीन पुस्तकें तैयार की हैं जिनका लक्ष्य प्राक–शास्त्री छात्रों के लिए व्याकरण, साहित्य और मीमांसा का परिचय देना है। इन पुस्तकों को परिचयात्मक पाठ्यक्रम हेतु मॉडल पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।

आधुनिक विषयों में पाठ्यक्रम

पारंपरिक संस्कृत और शास्त्र पाठ्यक्रमों के अलावा, विद्यापीठ आधुनिक विषयों में एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान और संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी) डिप्लोमा, वेब प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, भारतीय भाषाओँ में डीटीपीपाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

ब्रिज पाठ्यक्रम

भाषा का चुनाव करने में सक्षम बनाने और उनके प्रारम्भिक शैक्षणिक जगत में शुरुआत करने हेतु नवोदय छात्रों के लिए प्राक–शास्त्री, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री आदि में छात्रों को प्रवेश देकर स्पोकन संस्कृत कैंप आयोजित किये जाते हैं।

आउटरीच कार्यक्रम परियोजना

विद्यापीठ ने अगस्त, 2017 के दौरान, संस्कृत में संचार कौशल का संवर्धन करने और नवागंतुकों एवं आम जनता को विशेष कक्षाओं द्वारा शास्त्रों के सभी बुनियादी बिंदु पढ़ाने के उद्देश्य से संस्कृत विकास केंद्र की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त, विद्यापीठ ने दिनांक 08.08.2017 (रविवार) से विद्यापीठ द्वारा हाल ही शुरू किये गए में संस्कृत विकास केंद्र के अनिवार्य अंग एक बालकेंद्र की शुरुआत की थी। इस बालकेंद्र का का लक्ष्य स्कूली बच्चों के मध्य एक अनोखे सुविकसित पाठ्यक्रम के माध्यम से मूल्यों और भारतीय संस्कृति का संवर्धन करते हुए संस्कृत भाषा पढ़ाना है। एलकेजी से कक्षा VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई है और यह निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। तिरुपति में अब तक ऐसे 17 बालकेंद्र 541 बच्चों को निर्देश प्रदान कर रहे हैं।

मूक

विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार **मूक** (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज) मनोविज्ञान, अंग्रेजी, ज्योतिष, प्राचीन भारतीय लिपि और पांडुलिपि, संस्कृत शिक्षा, स्पोकन संस्कृत, मीमांसा, साहित्य जगन्नाथ संस्कृति, प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसी 17 विषयों को शामिल करके शुरू किया गया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

विद्यापीठ अपने शिक्षण, अधिगम, प्रशासन और अन्य कार्यक्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाने में हमेशा से ही अग्रिम रहा है। स्टाफ के लिए मोबाइल आधारित उपस्थिति प्रणाली और बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन हेतु तैयार है। विद्यापीठ राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपाजिटरी में भी भाग ले रहा है। कार्यात्मक प्रशासन क्षेत्र कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। वाई–फाई सुविधा भी जिओ के सहयोग से सक्रीय प्रावधानों के तहत है। पिछले कुछ वर्षो से प्रवेश प्रक्रिया भी स्वायत्त रूप में चालू है। फोर्ड फाउंडेशन के शास्त्रीय विमर्शों की ऑडियो सीडी को सुधार करने के कार्य सक्रिय रूप में प्रगति पर है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने 20–21 सितंबर, 2017 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली और संस्कृत भारती बंगलौर के सहयोग से डिजिटल संस्कृत कार्पस पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है।

विद्यापीठ (पुस्तकों के लगभग 8 लाख पृष्ठों, लगभग 800 डिजिटलीकृत पुस्तकें और ऑडियो विषय सामग्री) द्वारा निर्मित ई–विषय–सामग्री के विनिमय हेतु संस्कृत के उन्नयन के प्रयास के लिए 31 जुलाई 2017 को बंगलौर में स्थित एक एनजीओ संस्कृत भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बरक्स समीक्षा भारती के साथ संस्कृत और भारतीय विद्या के विभिन्न स्कूलों से जुड़े अपने विषय–सामग्री को साझा करेंगे।

पांडुलिपियाँ

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा विद्यापीठ को पांडुलिपि संरक्षण केंद्र (एमआरसी) के रूप में चिन्हित किया गया है और यह स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। कैंपस में गुरुकुल प्रणाली को वित्तीय सहयोग देनें के लिए एनएमएम को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। पांडुलिपि में उपलब्ध दुर्लभ वैज्ञानिक लोकगीत लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एनएमएम के सहयोग से एक अद्वितीय तत्त्वबोध कार्यक्रम शुरू किया गया है। एसवीबीसी पर स्पोकन संस्कृत कक्षाओं का प्रसारण किया गया है।

विद्यापीठ ने दुनियाभर में तिरुमाला–तिरुपति देवस्थानम के सहयोग से संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार के कार्य में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पाने में सफलता प्राप्त की है और वह यह कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल शीघ्र ही उनके चैनल पर स्पोकन संस्कृत कक्षाओं के प्रसारण के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रचारात्मक वीडियो को एसवीबीसी चैनल पर प्रसारित किया गया है। विद्यापीठ ने अब तक 28 एपिसोड बनाए हैं जिसे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा वर्ष 2018 से ग्रीष्म की छुट्टियों के दौरान प्रसारित किया जाएगा। यह किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए अनूठी उपलब्धि है।

सभी के लिए योग

श्री पी.एस.प्रद्युमन, आईएएस, कलेक्टर, जिला चित्तूर ने दिनांक 05.05.2017 को योग थेरेपी की शुरुआत की थी जिसे विद्यापीठ की संख्या विभाग द्वारा डायबिटीज, रक्तचाप, लो बेक पैन और मासिक धर्म विकारों के लिए औषधिरहित आम जनता के लाभार्थ आयोजित किया गया था। इससे आश्चर्यजनक परिणाम सामने आये। कैंप में अब तक कुल 102 मरीजों ने प्रवेश लिया है और अन्य बीमारियों के संबंध में ऐसे कैंपों को आयोजित करने की मांग में वृद्धि हुई है।

संस्कृत सप्ताह समारोह

विद्यापीठ ने अगस्त 2017 माह में संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया है और प्रथम वर्षीय छात्रों और आम जनता के लिए शास्त्र को शुरू करने हेतु 50 स्पोकन संस्कृत कैंप भी संचालित किये थे। पूरे तिरुपति से लगभग 723 छात्रों ने अब तक स्पोकन संस्कृत सीखी हैं। एक अनूठा कार्यकम 'वैज्ञानिक संस्कृत विरासत' भी अगस्त 2017 के माह में आयोजित किया गया है। विद्यापीठ के संकायों ने आईआईटी–तिरुपति, आयुर्वेदिक कॉलेज और एसवी ओरिएण्टल कॉलेज में इस विषय पर व्याख्यान भी दिए।

पर्यावरणीय सचेतता

विद्यापीठ ने एनएसएस योजना के तहत रविवार दिनांक 16–07–2017 को पादप पर्व (वृक्षारोपण) कार्यक्रम आयोजित किया और कलेक्टर, चित्तूर जिला ने लगभग 500 पौधे भी लगाए।

अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियाँ

विद्यापीठ 31–05–2017 से 15–06–2017 तक पांच शास्त्रों अर्थात व्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदांता और द्वैत वेदांत में अखिल भारतीय शास्त्रार्थ प्रशिक्षण कैंप आयोजित कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से कई प्रतिष्ठित विद्वान पारंपरिक वाक्यार्थ पद्धति के माध्यम से चुने गए विषय पर प्रतिभागियों को पढ़ा रहे हैं।

******

अध्याय 12

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अध्याय 12

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सरकार की नीति के अनुरूप एक ऐसी विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शक तकनीकी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की है जो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापरक शिक्षा और जीवनपर्यंत अधिगम अवसरों को सुनिश्चित करने और ज्ञान कौशल अभिवृत्ति और मूल्यों से युक्त स्नातक देने में सक्षम हो जो एक सृजनात्मक जीवनयापन करने, देश की विकास प्रक्रिया में भागीदारी करने, तेजी से परिवर्तनशील, वैश्विककृत, ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज की अपेक्षाओं के लिए आवश्यक हैं।

एआईसीटीई ने देश में तकनीकी शिक्षा का समन्वित एवं एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 के दौरान, नियोजन, नियमों और मानकों के निर्माण और अनुरक्षण, वरीयता प्राप्त क्षेत्रों के निधियन, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की निगरानी एवं उनके मूल्यांकन के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है।

यह परिषद अनुमोदन प्रक्रिया में ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन कर रही है और स्व–घोषणा आधार पर तकनीकी संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करती है और इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराती है। इस परिपाटी से विश्वसनीयता, जवाबदेही और पारदर्शिता आई है। वर्तमान में एआईसीटीआई द्वारा विधिवत अनुमोदित 10398 संस्थान है जो डिप्लोमा, अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता 3551273 है। इन संस्थानों को उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का प्रत्यापन प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे तकनीकी संस्थानों को, जिनके पास कम से कम 50% पाठ्यक्रम एनबीए द्वारा प्रत्यायित हैं और यदि अध्ययन की अवधि 10 अप्रैल 2019 से आगे तक है, ऐसे संस्थानों के लिए अनुमोदन की अवधि मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उच्च शैक्षणिक वर्ष तक, जब तक यह प्रत्यायन मान्य है, जो भी अधिक हो, तक प्रदान किया जाता है। तकनीकी संस्थानों द्वारा दी गई सूचना की सत्यता का सत्यापन करने और नियमों एवं मानकों को पूरा न करने की शिकायतों का सत्यापन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जाते हैं। निष्कर्षों के आधार पर, चूककर्ता तकनीकी संस्थानों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। एआईसीटीई ने 311 संस्थानों में औचक निरीक्षण किया है और औचक निरीक्षणों के परिणाम के आधार पर स्थाई सुनवाई समिति/स्थाई अपीलीय समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिश की गई हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:

औचक निरीक्षण की स्थिति	
की गई कार्रवाई	**संख्या**
आकलन वर्ष 2017–18 के लिए ईओए	168
प्रवेश क्षमता में कमी	83
मूल्यांकन वर्ष 2017–18 के लिए शून्य प्रवेश	49
अनुमोदन वापस लेना	1
कुछ पाठ्यक्रमों में ईओए और अन्य पाठ्यक्रमों में कमी/शून्य प्रवेश/बंद	9
बंद करने के लिए आवेदन	1
समग्र जोड़	**311**

ईओए: अनुमोदन बढ़ाना।

विगत 3 वर्षों में दाखिले में कमी वाले संस्थानों/ कार्यक्रमों को बंद करने की प्रवृत्ति शुरू हुई है। एआईसीटीई ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि उन पाठ्यक्रमों में जहां प्रवेश लगातार 5 वर्षों के लिए "अनुमोदित प्रवेश क्षमता"

के 30% से कम है और यह प्रवृति वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में भी जारी है, इन संस्थानों/कार्यक्रमों को अगले वर्ष बंद कर दिया जाएगा।

2017 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

- **प्रबंधन और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा**

  सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीएमएटी– 2017)

  सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीएमएटी) और स्नातक फार्मेसी अभिवृत्ति परीक्षा (जीपीएटी), एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों में प्रबंधन और फार्मेसी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए संस्थानों की सुविधा के लिए एआईसीटीई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कंप्यूटर आधारित परीक्षाए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2017–18 के लिए, एआईसीटीई ने देश भर में 343 केंद्रों पर 62 और 66 शहरों में ऑनलाइन सीएमएटी और जीपीएटी–2017 परीक्षा क्रमशः 28 और 29 जनवरी 2017 को आयोजित की थी और इनके परिणाम 15 फरवरी 2017 को घोषित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक वर्ष 2017–18 के लिए स्नातकोत्तर प्रबंधन और फार्मेसी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए सीएमएटी–2017 और जीपीएटी–2017 की अखिल भारतीय मेरिट सूची को विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य प्रवेश प्राधिकरणों के साथ साझा किया गया था।

  सीएमएटी–2017 ऑनलाईन परीक्षा में 69330 पात्र भुगतान प्राप्त पंजीकृत छात्र और जीपीएटी–2017 ऑनलाईन परीक्षा में 32301 पात्र छात्र थे। ऑनलाइन परीक्षा, जिसमें सीएमएटी परीक्षा में से 6 पंजीकृत किन्नर छात्रों के अतिरिक्त सभी श्रेणियों में 27623 महिला पंजीकृत छात्र और जीपीएटी परीक्षा के लिए दो पंजीकृत किन्नर छात्रों के अलावा सभी श्रेणियों में 17217 पंजीकृत महिला छात्र हैं।

- **स्वयम परियोजना**

  योजना का मुख्य उद्देश्य मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच, दुनिया भर का एक सबसे बड़ा मुख्य मंच प्रदान करके छात्रों और अन्य शिक्षुओं के बीच डिजिटल भिन्नता को पाटना है। यह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से मानव संसाधन विकास मंत्रालय एआईसीटीई द्वारा स्वदेश में विकसित किया गया है और इससे अंततः 2000 पाठ्यक्रम और अधिगम के 80000 घंटों का आयोजन किया जा सकेगा जिसमें स्कूल स्तर से पीएचडी स्तर की शिक्षा शामिल होगी। स्वयम परियोजना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर एआईसीटीई को अपेक्षित संसाधनों की खरीद करने, पोर्टल विकसित करने और स्वयम मंच का अनुरक्षण और इसके प्रचालन को जारी रखने का दायित्व सौंपा गया है। इस परियोजना का दूसरा चरण 7 जून 2017 को पूरा हो गया था और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को शुरू किए गए स्वयम मंच के "गो लाईव" की घोषणा भी की गई थी और एआईसीटीई के निदेशक (स्वयं) डॉक्टर एम. एस. मन्ना को 8– 10 जुलाई 2017 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहलों के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा "प्रशंसा पुरस्कार" प्रदान किया गया था। www.swayam.gov.in पर कुल 985 पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं और स्वयम मंच के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अभी तक 1752934 छात्र पंजीकृत किए गए हैं।

- **स्मार्ट हैकाथन**

  स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 i4c, MyGov, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एन ए एस एस सी ओ एम और रामभाऊ महाल्गी पबोधिनी के सहयोग में एआईसीटीई द्वारा शुरू किया गया था। यह हमारे देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए और परिवर्तनकारी डिजिटल

समाधानों की पहचान करने की विशेष पहल थी और इससे इस पूरी कवायद में तकनीकी संस्थानों में युवाओं को सक्रियता साझेदार बनने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम 1–2 अप्रैल 2017 के दौरान अर्थात 36 घंटे की नॉनस्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता के दौरान आयोजित किया गया था जिसके दौरान प्रौद्योगिकी के छात्रों के 9544 दलों ने 29 विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाई गई 598 समस्या विवरणों के लिए नवीन डिजिटल समाधान बनाए और 26 विभिन्न नोट केंद्रों पर साथ काम पूरा किया और लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। अब यह प्रस्ताव है कि इसे हर वर्ष आयोजित किया जाए और 2017–18 के बाद से इस कार्यक्रम में हार्डवेयर घटक/प्रोटोटाइप विकास एक अन्य विशेषता होगी।

➢ **स्टार्ट अप पहलें**

एआईसीटीई स्टार्ट–अप कार्यक्रम का उद्देश्य, आदर्श उद्यम पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करके और तकनीकी संस्थानों के बीच प्रबल अंतर–संस्थागत साझेदारियों को बढ़ावा देकर लगभग 10 वर्षों तक 1,00,000 प्रौद्योगिकी–आधारित छात्र स्वामित्व वाले स्टार्ट–अपों और रोजगार के एक लाख अवसरों का सृजन करना है।

एआईसीटीई ने अपने स्टार्टअप कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के जरिए एकाधिक स्तरों पर अग्रणी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिक प्रणाली एनेबलर्स के सहयोग से नीति और कार्यक्रम अभिसरण और पारिस्थितिक प्रणाली के सरलीकरण की दिशा में कई ठोस प्रयास किए हैं। इसने नेटवर्किंग आदि के लिए नीति आयोग और एमएमएसएमई आदि के साथ समझौता ज्ञापन किया है। एआईसीटीई, 14–15 अक्टूबर, 2017 के दौरान चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल एसएंडटी फेस्टिवल के तत्वावधान में स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन के आयोजन में साझेदार था और स्टार्ट अप प्रतियोगिता 2017 छात्रों, संकाय एवं संस्थानों के लिए भी आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के लिए 1177 स्टार्ट अप प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 12 स्टार्ट अप दलों को पुरस्कार प्राप्त हुए। एआईसीटीई के तत्वावधान में पांच भारतीय स्टार्ट अप ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ग्लोबल इनोवेटर फेस्टा (जीआईएफ) 2017, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। एआईसीटीई ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर राष्ट्रीय स्टार्ट अप और नवाचार इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने और इसमें सहायता देने के लिए डायगु सेंटर फोर क्रिएटिव इकोनामी एंड इनोवेशन (सीसीईआई) के साथ 3 नवंबर 2017 को समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे।

➢ **पूर्वोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (एनईक्यूआईपी)**

एआईसीटीई–एनईक्यूआईपी योजना में पूर्वोत्तर प्रदेश अवसंरचना, संकाय क्षमता, शिक्षण की गुणवत्ता, अनुसंधान और परामर्श की गुणवत्ता, छात्रों के अधिगम परिणामों और नियोजनीयता में सुधार के संदर्भ में इस क्षेत्र में संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है। एनईक्यूआईपी परियोजना को केंद्रीय वित्तपोषित परियोजना (सीएफपी) के तौर पर कार्यान्वित किया जा रहा है और एआईसीटीई ने पूर्वोत्तर प्रदेशों (एनईआर) के सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पोलिटेक्निक्स/डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं/एआईसीटीई अनुमोदित विश्वविद्यालय विभागों को 180 करोड़ रूपये के बजट परिव्यय से 3 वर्ष की अवधि के लिए डिग्री के लिए 7.00 करोड़ रूपये और पोलिटेक्निक संस्थाओं के लिए 5.00 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 2013–2016 के दौरान पूर्वोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (एनईक्यूआईपी) शुरू किया है। इस योजना को 2018 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

आज की स्थिति के अनुसार, 25 संस्थानों को वित्तीय सहायता अनुदान मंजूर की गई है जिनमें

19 पॉलीटेक्निक और 6 डिग्री इंजीनियरिंग संस्थान हैं और इन एनईक्यूआईपी लाभार्थी संस्थानों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के लिए कुल रु. 85.35 करोड़ संवितरित किए गए हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश में एक डिग्री इंजीनियरिंग संस्थान, एन ई आर आई एस टी द्वारा 1.07 करोड़ रूपये का रिफंड शामिल नहीं है जो टीईक्यूआईपी अनुदान प्राप्त कर रहा था और एआईसीटीई–एनएनक्यूआईपी योजना के तहत अनुदान के लिए अयोग्य हो गया था।

- **अनुसंधान और संस्थागत विकास**

  यह परिषद, एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (ग) और 10 (घ) के जरिये देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया के समग्र विकास के लिए नवाचार और स्थापित एवं नई तकनीकों में अनुसंधान और विकास, सृजन, अपनाने और अनुकूलन को बढ़ावा देती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परिषद तीन योजनाओं अर्थात् आधुनिकीकरण और पुराने को हटाना (एमओडीआरओबीएस), अनुसंधान संवर्धन योजना (आरपीएस) और राष्ट्रीय समन्वित परियोजनाओं (एनसीपी) का संचालन करती है।

  एमओडीआरओबी के तहत 182 संस्थानों को 15.65 करोड़ रुपये और आरपीएस के तहत 85 संस्थानों को 11.66 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई थी।

- **सहायक संकाय:** यह योजना 2015–16 के दौरान शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को व्यापक एक्सपोजर प्रदान करने और उनके नियमित शिक्षण का बाह्य परिदृश्य शामिल करने एवं इसे उद्योग आदि की जरूरतों के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए उद्योग, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों से अनुभवी पेशेवर को शामिल करना है। इस योजना के तहत 28 लाभार्थी संस्थानों को 1.68 करोड़ रूपए रिलीज किए गए थे।

- **गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:** एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरल कार्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देकर उन्हें अपनी विशेषज्ञता और योग्यता का उन्नयन करने का अवसर दिया जाता है।

  75 क्यूआईपी केंद्रों को 1706 लाख रु. की अनुदान राशि जारी की गई है।

- **संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी):** संकाय विकास कार्यक्रम के तहत, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर नियोजन और प्रायोगिक कला एवं शिल्प के शिक्षकों को ज्ञान, कौशल और प्रवेश प्रशिक्षण के अवसरों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

  पात्रता मानदंड के अनुसार 158 संस्थान अर्हक हैं और 5.00 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

- **अनु. जाति अनु. जनजाति छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केंद्र (एसपीडीपी):** इस योजना के तहत, केंद्र संस्थान में इंजीनियरिंग स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अनु. जाति/अनु. जनजाति छात्रों को स्वयं को उभरते रोजगार के अवसरों के मद्देनजर पुनः उन्मुख करने का अवसर प्रदान करता है। 31 लाभार्थी संस्थानों को 3.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

- **तकनीकी शिक्षा के लिए परियोजना केंद्र (पीसीटीई):** परियोजना केंद्र का उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालय विभाग के भीतर एक कॉमन स्थल पर सुविधाएं प्रदान करना होगा जहां छात्रों को उनके अधिगम के विभिन्न पहलुओं में वास्तविक अनुभव मिल सके। 2017 के दौरान 5–लाभार्थी संस्थानों को 75.00 लाख रूपये जारी किए गए।

  अनुमोदन प्रदान करने के लिए नए तकनीकी संस्थान और आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं।

- **गुणवत्तायुक्त शिक्षा की नई पहल:** देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में निरंतर वृद्धि का

पैटर्न है जिसमें नए संस्थानों की स्थापना हुई है और विनियमन एवं मान्यता एजेंसियों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता आश्वासन नियमों के अनुसार मौजूदा संस्थानों में सुधार हुआ है। परिषद सक्षम इंजीनियर, वास्तुकार, भेषज, प्रबंधक और वैज्ञानिक तैयार करने के लिए उपयुक्त गति प्रदान करने में विश्वास करती है और ज्ञान की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते समय उन्हें पाठ्यक्रम से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। एआईसीटीई ने अवर स्नातक स्तर में दाखिले, तकनीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीति, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक कौशल में सुधार के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा में मॉड्यूलर पाठ्यक्रम की शुरूआत करने की परिकल्पना की है। प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **तकनीकी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण नीतिः** 14 मार्च, 2017 को परिषद की बैठक में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण नीति संबंधी एक मसौदा नोट विचार के लिए रखा गया था और प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, प्रवेश और उसके बाद पर व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

   प्रशिक्षण नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

   - अनिवार्य प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सामान्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से संकाय और कर्मचारी विकास कार्यनीति डिजाइन एवं तैयार करना।
   - व्यक्तियों एवं संगठनों के बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक व्यावसायिक ज्ञान व कौशल को अद्यतन रखना और संवर्धन करना।
   - व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ प्रदान करना और व्यावसायिक, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक वातावरण, जिसमें काम किया जाता है, के प्रति संवेदनशील बनाना।
   - सही अभिवृत्तिगत परिवर्तन लाना।
   - संकाय को नवीनतम आईटी उपकरण और प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में अद्यतन करना।
   - विभागीय और एकल विकास जरूरतों और लक्ष्यों को एकीकृत करना।

   तकनीकी शिक्षा के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाः परिषद ने 14 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में, भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया, ताकि, तकनीकी शिक्षा में सामने आ रही गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को केंद्रित और नियोजित तरीके से दूर किया जा सके और तदनुसार, राज्य स्तर की योजना बनाई जा सके। प्रोफेसर एच. पी. खिन्चा, पूर्व कुलपति, वीटीयू, बेंगलुरु की अध्यक्षता में एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाने के लिए एक समिति गठित की गई है। व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए तृतीय पार्टी एजेंसी को यह कार्य सौंपने के लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. **इंजीनियरिंग छात्रों के लिए प्रवेश कार्यक्रमः** एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए, उन्हें संस्थानों की संस्कृति से भलीभांति अवगत करने, उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यक शर्तों से भलीभांति परिचित करने के लिए, प्रवेश कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि प्रवेश कार्यक्रम के अंत में, छात्र व्यावसायिकता के महत्व को सीख सीखने और समझने के लिए प्रतिबद्ध व उत्साहित

हैं ताकि वे साथी छात्रों और संकाय के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर सकें।

एआईसीटीई, तकनीकी संस्थानों के प्रधानाचार्यों/निदेशकों, प्रबंधन और संकाय के बीच प्रवेश कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाओं आयोजित कर रहा है और सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद यह छात्रों के लिए अनिवार्य प्रवेश कार्यक्रम शुरू करेगा।

इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिए मॉडल पाठ्यक्रमः एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और एमबीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर और अवरस्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों की मदद से परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया है जो अपनाए जाने के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए उपलब्ध होगा। इसे अपनाना छात्रों के लिए अपने कौशल और नियोजनीयता बढ़ाने के लिए फायदेमंद होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को एआईसीटीई मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित कुलपति सम्मेलन के दौरान मॉडल पाठ्यक्रम पर एक दस्तावेज जारी किया गया था। इस मॉडल पाठ्यक्रम से अकादमिक कैलेंडर 2018–19 में तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अपनाये जाने की आशा है।

➢ अनुसंधान संस्थान और संकाय विकास कार्यक्रम

उन्नत भारत अभियानः उन्नत भारत अभियान, एक समावेशी भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन के दर्शन से प्रेरित है। उनके मिशन को एक आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है ताकि ऐसी प्रक्रियाएं सक्षम हों। विकास में तेजी लाने के लिए भागीदारी प्रक्रियाओं और उपयुक्त तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय समुदायों वाले उच्च शिक्षा के संस्थानों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य उभरते व्यवसायों के लिए ज्ञान एवं व्यवहार प्रदान करके और सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं का उन्नयन कर समाज और एक समावेशी विश्वविद्यालय प्रणाली के बीच लाभकारी चक्र बनाना है।

यह योजना वर्ष 2016–17 में शुरू की गई है और 2017 के दौरान, 3 लाभार्थी संस्थानों को रु 14.00 लाख की राशि जारी की गई है।

➢ मार्गदर्शन

मार्गदर्शन योजना के तहत, एक प्रतिष्ठित संस्थान से परामर्श साझा करने की मौजूदा सुविधा की भूमिका अदा करने और मार्गदर्शन करने एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग दस तकनीकी संस्थानों को एवं उनके बीच मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। माध्यमिक शाखाएं, भाषाएं, संकाय को आत्म–सुधार के लिए प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं हैं। आखिरकार, हब एन स्पोक प्रणाली से इंटर–हैमलेट सूचना जैसे कि तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान साझा कर पाएंगे और पूरी प्रणाली में संसाधन साझा कर सकेंगे। संरक्षक संस्थान को वितरित की जाने वाली प्रति परियोजना के लिए अधिकतम निधि सीमा 50 लाख रुपये है, जो प्रथम वर्ष में 100 प्रतिश्त अनावर्ती और तीन किस्तों में आवर्ती है।

एनईआर संस्थानों को अवसंरचनागत सहायताः अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार करते हुए, एआईसीटीई, वैकल्पिक बिजली सहायता और इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और परिसरों आदि में वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके तकनीकी संस्थानों को संभार सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू कर रहा है। इन परियोजनाओं से उत्तर–पूर्व भारत के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित तकनीकी संस्थानों की कार्यात्मक दक्षता बढ जाएगी।

यह योजना सीएसआईआर–एनआईएसटीएडीएस के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और कार्यशालाओं और अन्य कार्य प्रारंभिक करने के लिए पहली किस्त

के लिए एनआईटीएडीएस को 50.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

एआईसीटीई–ईसीआई छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2017

भारतीय इंजीनियरिंग परिषद (ईसीआई) के सहयोग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विभिन्न व्यावसायिक विषयों में असाधारण कौशल प्रदर्शित करने वाले छात्र और संस्थान/संगठन के नवाचारी कार्य को स्वीकृति देने और सम्मानित करने के लिए 19 सितंबर 2017, को एआईसीटीई मुख्यालय, नई दिल्ली में, ''प्रथम छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2017'' आयोजित किया गया।

प्राप्त आवेदन – 965
उनके प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए चयनित आवेदन – 55
विजेता – 16 टीमें और 03 संस्थान।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई – टीआई)

एआईसीटीई, बेरोजगार युवाओं को इंजीनियरिंग कौशल प्रदान करने और इसकी अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के जरिये प्लेसमेंट तलाशने में मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू कर रहा है।

आकलन वर्ष 2017–18 में, 1749 संस्थानों ने लगभग तीन लाख छात्र दाखिलों के लिए आवेदन किया। पीएमकेवीवाई–टीआई की राष्ट्रीय संचालन समिति ने अपने संस्थानों में पीएमकेवीवाई–टीआई योजना चलाने के लिए लगभग 1.70 लाख प्रवेश क्षमता से 1509 संस्थानों को मंजूरी दी है।

परिषद ने संस्थानों और छात्रों को पीएमकेवीवाई–टीआई योजना के बारे में देश भर में जागरूकता के लिए 17 कार्यशालाएं आयोजित कीं।

एआईसीटीई – सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

एआईसीटीई ने इंडो–यूरोपियन चौंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (आईईसीएसएमई) के सहयोग से माननीय सांसदों द्वारा सांसद आदर्श योजना (एसएजीवाई) के तहत गोद लिए गए गांवों में पंचायती राज के 29 विषयों में उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा करने की पहल करने का फैसला किया है। परिषद ने देश के प्रत्येक जिले में संस्थानों की पहचान करने के लिए और माननीय सांसद द्वारा इसके सतत विकास के लिए गोद लिए गए गांवों के साथ एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों को जोड़ने के लिए एक समिति बनाई है।

इस पहल के तहत, परिषद ने कई कार्यशालाएं, राष्ट्रीय सम्मेलन, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों का दौरा किया है।

परिषद ने एआईसीटीई मुख्यालय दिल्ली में 29 और 30 अक्टूबर, 2017 को "विकसित गांव – विकसित राष्ट्र'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 8000 संस्थानों की मैपिंग माननीय संसद सदस्य के गोद लिए हुए गांवों के साथ की गई है।

एआईसीटीई स्वच्छ परिसर पुरस्कार, 2017

स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के योगदान को मान्यता देने के लिए, एआईसीटीई ने महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर, 2017 को "एआईसीटीई स्वच्छ परिसर पुरस्कार, 2017'' देने का निर्णय लिया है।

पुरस्कारों का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यः

- देश के सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों को अपने परिसर को स्वच्छ और हरित परिसर में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ऐसे संस्थानों को पुरस्कृत करना जो अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को उन कार्यों में शामिल करना जिनसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
- नियोजन की संस्कृति का निर्माण करना और नेतृत्व, संकाय और छात्रों के बीच कुशल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहार प्राप्त करना।

- अधिकतम एआईसीटीई संबद्ध संस्थानों को मॉडल शून्य अपशिष्ट संस्थाओं में बनाने के लिए गति देना।
- भारत को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में अपने आसपास के समुदाय तक पहुँचने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

"एआईसीटीई स्वच्छ परिसर पुरस्कार 2017" के लिए आवेदन करने वाले कुल 172 संस्थानों और 11 संस्थानों (8 क्षेत्रीय और 3 राष्ट्रीय) को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सम्मानित किया गया।

कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु को "एआईसीटीई स्वच्छ परिसर पुरस्कार 2017" का राष्ट्रीय स्तर का विजेता चुना गया।

यूकेआईईआरआई फेज–III के तहत एआईसीटीई – यूकेआईईआरआई कार्यशाला: एआईसीटीई ने यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईआरआईआई) फेज– III के तहत गतिविधियों के संयुक्त संचालन पर व्यवसाय विभाग, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी (डीबीईआईएस), यूके के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस पहल के तहत, **"नेतृत्व और संकाय विकास कार्यक्रम"** में प्रशिक्षण के लिए 24 राज्यों के एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों के 100 संकायों को चुना गया।

निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तीन कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं: दिल्ली और एनआईटीटीटीआर चेन्नईय 28 जून – 30 जून, 2017, सी.वी. रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भुवनेश्वर, 31 जुलाई– 2 अगस्त, 2017, स्वामी केशवानंद प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन और ग्रामोथान, जयपुर (राजस्थान) 4 अक्टूबर, 2017 से 07 अक्टूबर 2017

एआईसीटीई–सीआईआई उद्योग–संबंद्ध तकनीकी संस्थानों का सर्वेक्षण 2017: इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव (प3), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और एआईसीटीई की भागीदारी में सीआईआई द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संचार और भारत जनता के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना और संभावित नवाचारों का व्यवसायीकरण करना है।

इस पहल का उद्देश्य उन नागरिकों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देकर देश के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना है, जिनमें परंपरागत सोच से परे जाकर सोचने की क्षमता और समकालीन उद्योग और सामाजिक चुनौतियों को हल करने का साहस और जुनून है।

इस वर्ष पांच संस्थानों को i3 पुरस्कार, 2017 प्रदान किया गया था।

व्हीबॉक्स नियोजनीयता कौशल परीक्षा 2017: परिषद ने व्हीलबॉक्स, एक वैश्विक प्रतिभा मूल्यांकन कंपनी और इसके कंसोर्टियम साझेदारों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय विश्वविद्यालय संगठन (एआईयू), 'भारत कौशल रिपोर्ट 2017' बनाने और प्रकाशित करने के लिए पीपुल स्ट्रॉन्ग और लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है।

व्हीबॉक्स, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के सभी अंतिम वर्ष से पूर्व वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नियोजनीयता कौशल परीक्षा (डब्ल्यूईएसटी) आयोजित करता है। परीक्षा के परिणाम से संस्थान को ट्रांसस्क्रिप्ट और प्रमाणन (सीआईआई और एआईयू द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित) के रूप में अपने छात्रों की आधारभूत मजबूती और सुधार क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

नियोजनीयता कौशल परीक्षा– 2017 पूरे भारत में सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 3,000 शैक्षणिक परिसरों में पहुंचा।

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा 9 नवंबर 2017 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), लिंक्डिन, पीपल स्ट्रांग

एण्ड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के सहयोग से हैदराबाद में भारत कौशल रिपोर्ट 2017 जारी की गई थी।

कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन

एआईसीटीई आईसीटी अकादमी– एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थानों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के एआईसीटीआई अनुमोदित कॉलेजों के एआईसीटीई के छात्रों को अत्याधुनिक आईटी/आईटीईएस और टेलीकॉम कौशल प्रदान करने की आवश्यकता पूरी करने की सुविधा के लिए 22 फरवरी, 2017 को आईसीटी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परिषद ने आईसीटी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एआईसीटीई–मोन्स्टर डॉट कॉमः एआईसीटीई ने 22 मार्च, 2017 को मोन्स्टर डॉट कॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मंच से बहुत–से नियोक्ताओं के बीच अपने छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए एआईसीटीई पहल करने के कई उपकरण मिलेंगे। इससे एनएसडीसी कार्यक्रम, एमएसएमई–राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान आदि से प्रमाणित अपने बड़े नियोक्ता पूल के बीच क्षेत्रों में कुशल उम्मीदवारों को भी बढ़ावा देगा।

एआईसीटीई– आईआईडब्ल्यूएमः एआईसीटीई ने एआईसीटीई के दायरे के तहत सभी संस्थाओं में स्थापित पर्यावरण अनुपालन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए 13 अक्टूबर, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (आईआईडब्ल्यूएम) के साथ "हरित परिसर" प्रमाणित संस्थाओं के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एआईसीटीई– भारतीय विद्या भवनः एआईसीटीई ने एनएसक्यूएफ स्कीम के तहत एसकेपी के रूप में क्षेत्र "संस्कृति" के तहत "संस्कृत में समग्र विज्ञान" पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 24 नवंबर, 2017 को भारतीय विद्या भवन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

परिषद 74 अनुमोदित पॉलिटेक्निक में सामुदायिक कॉलेज योजना चला रहा है, जिसके तहत तीन किस्तों में सहायता अनुदान जारी की जा रही है।

इसके अलावा, एआईसीटीई के पास महिलाओं, विकलांगों, आर्थिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षा और सुविधाओं के स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं/छात्रवृत्तियां हैं। योजनाओं का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों में दिया गया है: –

(i) **प्रेरणा (एआईसीटीई की नई योजना):** इस योजना का उद्देश्य उन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जीएटीई/जीपीएटी/कैट/सीमैट और जीआरई के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के इच्छुक हैं। योजना का मौटे तौर पर उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मदद करना है।

एआईसीटीई, आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत संस्थान को 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो आमंत्रित प्रख्यात संकाय सदस्यों को न्यूनतम 2 घंटे प्रति कक्षा 2000/– रूपये प्रति सत्र की दर से आयोजित करने के लिए मानदेय का खर्च पूरा करने के लिए अपेक्षित है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ii) **समृद्धि (एआईसीटीई की नई योजना):** इस योजना का व्यापक उद्देश्य एआईसीटीई की स्टार्ट अप नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद/उनकी शिक्षा के दौरान उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्यवसाय/स्टार्टअप को डिजाइन करने, शुरू करने और संचालित करने में मददगार है।

एआईसीटीई 20 लाख रूपये की एक सीमित एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। संस्थान

के स्तर पर एक समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 9 स्टार्टअप का चयन करेगी, जो पहले से पंजीकृत हैं। प्रति स्टार्टअप 2 लाख रूपये प्रारंभिक राशि के रूप में दिया जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। संस्थानों को उद्यमिता पर सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित प्रख्यात संकाय सदस्यों/उद्यमियों को मानदेय पर व्यय पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।

(iii) **एससी/एसटी योजना के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए एआईसीटीई योजनाः** अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने वाले एससी/एसटी छात्रों के सामने आने वाली आवास की समस्या पर विचार करते हुए, एआईसीटीई ने संस्था की आवश्यकता पर लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी श्रेणी के छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने के लिए बालिका/बालक छात्रावास निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों को सहायता प्रदान करना है।

जो सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग पिछले पांच वर्षों से विद्यमान हैं और पिछले तीन वर्षों से जिन्होंने 150 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन किया है, अनुदान के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित/अनुमोदित छात्रावास को 03 किस्तों में अधिकतम 2.00 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में, कुल 69 छात्रावास हैं, जिनमें से 12 छात्रावास का काम पूरा हो चुका है, 44 का काम पूरा होने वाला है, 07 छात्रावास 2017–18 में स्वीकृत किए गए हैं, शेष 06 में निर्माण प्रक्रिया देर से शुरू हुई/ईवीसी प्रक्रिया के तहत है। अब तक, वित्तीय वर्ष 2012–13 से मौजूदा 69 छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल 100.84 करोड़ रूपये का कुल अनुदान जारी किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान छात्रावासों की संख्या बढ़ाना प्रस्तावित है जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

(iv) **अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केंद्रः** केंद्र का व्यापक उद्देश्य, संस्थाओं में अनु. जाति/अनु. जनजाति छात्रों को अवसर प्रदान करना है ताकि वे सभी स्तरों पर इंजीनियरिंग स्नातक/डिप्लोमा छात्रों के लिए उभरते रोजगार के अवसरों के मद्देनजर स्वयं को पुनः उन्मुख कर सकें। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संचार, व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता पर मॉड्यूल की मदद से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का कौशल बढ़ाने के लिए नियमित अध्ययन के अलावा विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें कैरियर के बेहतर अवसर मिलेंगे करेगा ताकि उद्योग में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। अधिकतम निधियन 25 लाख रूपये तक सीमित है और परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। यह योजना वर्ष 2014–15 के दौरान शुरू की गई थी जिसके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान धनराशि जारी की गई थी। इस योजना के तहत 35 संस्थानों को कुल 6,86,83,249/– रूपये की राशि जारी की गई है।

(v) **गेट क्वालिफाईड एमई/एम. टेक छात्रों के लिए एआईसीटीई स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** गेट क्वालिफाईड एमई/एम. टेक छात्रों और जीपीएटी क्वालिफाईड एमफार्मा के लिए, चाहे छात्र किसी भी लिंग के हों, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 18 छात्रों के एक बैच के लिए, 02 छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के लिए और 01 छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए

आरक्षित है और लड़कियों के लिए 12400/– रुपये प्रति माह तक की छात्रवृत्ति आरक्षित है।

एआईसीटीई की निम्नलिखित योजनाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को तकनीकी शिक्षा लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है: –

(i) तकनीकी शिक्षा में बालिका उन्नति प्रगति छात्रवृत्ति

प्रगति, एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं को उनकी उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। शिक्षा, महिलाओं को विकास प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त बनाने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। यह "युवा महिलाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने और ''तकनीकी शिक्षा से महिला सशक्तिकरण" द्वारा सफल भविष्य बनाने की तैयारी करने का अवसर प्रदान करना है।

- छात्रवृत्ति की कुल संख्या – 4000 प्रति वर्ष (डिग्री के लिए 2000 और डिप्लोमा के लिए 2000)

एआईसीटीई ने 2014–15 में इस योजना की शुरुआत के बाद से 5574 छात्रों को 1656.02 लाख रूपये की राशि जारी की है।

(ii) विकलांग छात्रों के लिए एआईसीटीई की सक्षम छात्रवृत्ति

सक्षम, विकलांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है जिसे एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह हर उस युवा छात्र को जो अन्यथा विकलांग है, आगे अध्ययन करने और एक सफल भविष्य की तैयारी का अवसर प्रदान करने का प्रयास है।

- छात्रवृत्ति की कुल संख्या– 1000 प्रति वर्ष (डिग्री के लिए 500 और डिप्लोमा के लिए 500)

एआईसीटीई ने 2014–15 में इस योजना के शुरू होने के बाद से 69 छात्रों को 21.15 लाख रूपये की राशि जारी की है। 2015–16 (द्वितीय वर्ष) और 2016–17 (प्रथम वर्ष) के लिए आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

(iii) प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस)

प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) में जम्मू– कश्मीर के युवाओं की क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है ताकि वे सामान्य स्थितियों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। पात्र छात्रों को, जो मेरिट सूची में हैं, ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों की लागत और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए व्यय को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पीएमएसएसएस के तहत हर साल कुल 5000 छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं जिनमें से सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 4500, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 250 और मैडिकल/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए 250 हैं। पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति विशुद्ध रूप से मेरिट आधार पर और विषय–वार कोटे के अनुसार अर्थात सामान्य डिग्री के लिए 4500 सीटों, इंजीनियरिंग के लिए 250 सीटों और मेडिकल/बीडीएस के लिए 250 सीटों के अनुसार दी जाती है। इस योजना के तहत छात्रों पर विचार करने के लिए 12वीं के अंकों की परस्पर मेरिट बनाई जाएगी। सामान्य डिग्री विषयों की संख्या में कमी से होने वाली बचत के अधीन मेडिकल और इंजीनियरिंग विषयों के बीच स्लॉट की इंटर–चेंजबिलिटी का प्रावधान है।

जम्मू–कश्मीर सरकार के सहयोग से एआईसीटीई द्वारा पात्र छात्रों को सीटों के आवंटन के लिए हर साल जुलाई/अगस्त माह के दौरान श्रीनगर और जम्मू में आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जो भारत सरकार/धारा 12 (ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित संस्थानों में योग्यता के अंतर्गत होता है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)

एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (यू) के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, भेषज और वास्तुकला आदि में डिप्लोमा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक तकनीकी संस्थान के गुणात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए वर्ष 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की स्थापना की गई थी। एनबीए कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है न कि संस्थानों को।

वर्ष 2010 में, एनबीए कार्यक्रमों के प्रत्यायन के जरिये तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के आश्वासन के उद्देश्य से स्वायत्त बन गया। वर्ष 2013 में, संगम ज्ञापन (एमओए) और एनबीए नियमावली में संशोधन किया गया था।

प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन और सुधार की प्रक्रिया है, जिसके तहत यह सत्यापित करने के लिए एक कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि यह कार्यक्रम नियामक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करता है और/या उससे अधिक है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, संस्थानों का प्रत्यायन नहीं करता। यह उन कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है जिनसे कम से कम दो बैचों में स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा हो।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2017 तक 701 कार्यक्रमों पर विचार किया, जिनमें से 537 कार्यक्रमों का प्रत्यायन किया गया था।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2015 को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) शुरू किया है। इस ढांचें में देश भर के संस्थानों का रैंक निर्धारित करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है। इस रूपरेखा में 5 मापदंड हैं जो (i) शिक्षण अधिगम और संसाधन (ii) अनुसंधान पेशेवर व्यवहार और सहयोगी कार्य– निष्पादन (iii) स्नातक परिणाम (iv) आउटरीच एवं समावेशिता, और (v) अनुभूति हैं। विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और भेषज विषयों के लिए 4 अप्रैल, 2016 को भारत रैंकिंग 2016 के पहले संस्करण की घोषणा की गई थी। 3 अप्रैल, 2017 को भारत रैंकिंग के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 10 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शीर्ष संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किए।

भारत रैंकिंग 2018 के लिए, ढांचे पर आधारित प्रक्रिया पहले से ही शुरू है जिसमें ये 5 मापदंड हैं: (i) शिक्षण अधिगम और संसाधन (ii) अनुसंधान पेशेवर व्यवहार और सहयोगात्मक कार्यनिष्पादन (iii) स्नातक परिणाम (iv) आउटरीच और समावेशिता तथा (v) अनुभूति।

******

अध्याय 13

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

अध्याय 13

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

1. **विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षाः** अत्यधिक कुशल तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देश में आज तक 23 आईआईटी कार्यात्मक हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। ये आईआईटी, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है, सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है और इन्हें 'आईआईटी सहायता स्कीम' के तहत आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। आज इन 23 आईआईटी में कुल मिलाकर छात्रों की संख्या 85387 है और संकाय की संख्या 5394 है।

2. **गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का विस्तारः** देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, सरकार द्वारा छह नए आईआईटी की स्थापना की गई, जिनमें से जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ में से प्रत्येक में एक आईआईटी स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन आईआईटी के अस्थायी परिसरों से संचालन के लिए 2015 में 1411.80 करोड़ रुपये मंजूर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चरण–क (2017–18 से 2019–20) के लिए रु 7002.42 करोड़ की कुल लागत से इन आईआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण का प्रस्ताव नवंबर, 2017 में अनुमोदित किया गया था। इस चरण के तहत, 1200 छात्रों के लिए आवश्यक अवसंरचना बनाई जाएगी, जबकि चरण– II में, जिसे चरण– I की समीक्षा के बाद अलग से शुरू किया जाएगा, 2500 छात्रों के लिए सुविधा का निर्माण किया जाएगा।

3. **अनुसंधान पर फोकसः** सरकार के अनुसंधान एवं विकास की क्षमताएं विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्ट–अप संस्कृति का सृजन करने के नए फोकस में सहायता के लिए कई उपाय किये गए हैं, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया हैः

   (i) **अनुसंधान उद्यानः** सरकार के अनुसंधान एवं विकास की क्षमताएं विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्ट–अप संस्कृति का सृजन करने के नए फोकस में सहायता करते हुए, सरकार ने 75.00 करोड़ रु. की कुल लागत से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बंगलौर में पांच नए अनुसंधान उद्यान अनुमोदित किए हैं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी, खड़गपुर में 100 करोड रूपये प्रत्येक की लागत पर पहले से ही स्वीकृत दो अनुसंधान उद्यानों को जारी रखने का अनुमोदन भी दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईआईटी, गांधीनगर में अनुसंधान उद्यान का 90 करोड़ रुपये की कुल लागत से वित्त पोषण किया जा रहा है।

   (ii) **इम्प्रिन्टः** इम्प्रिन्ट, सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है, जिसे 5 नवंबर, 2015

को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग की सबसे प्रासंगिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और 10 चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन यथा स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, स्थायी निवास, नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, जल संसाधन और नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सुरक्षा और रक्षा, और पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन में ज्ञान का व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में अंतरण करना है। यह सभी आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य अनुसंधान की रूपरेखा विकसित करना है। इम्प्रिन्ट–I और इम्प्रिन्ट–II के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त निधियन से कुल 323.16 करोड़ रु. की कुल लागत पर 142 अनुसंधान परियोजनाएं वर्तमान में अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत निष्पादन में हैं।

(iii) **उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई):** ऐसे उच्च नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर, 2015 को आईआईटी परिषद की बैठक में उच्चतर अविष्कार योजना की घोषणा की गई थी, जिसका उद्योग की जरूरतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जिलसे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। इस परियोजना में भारत के भीतर या बाहर – शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। चयनित परियोजनाओं का वित्त पोषण पैटर्न उद्योग द्वारा 25%; प्रतिभागी विभाग/मंत्रालय द्वारा 25%; और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 50% होगा। वर्तमान में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रतिभागी मंत्रालयों और उद्योग द्वारा संयुक्त निधियन से रू. 265.59 करोड़ की कुल लागत पर 87 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रस्तावों की दूसरी मांग में, उच्चतर अविष्कार योजना की शीर्ष समिति ने 21.11.2017 को हुई बैठक में 3 वर्ष की अवधि के लिए रु. 139.48 करोड़ की लागत से 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

4. **नई पहलः**

(i) **महिला–पुरूष संतुलन में सुधारः** आईआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार के लिए, उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक, आईआईटी–मंडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आईआईटी परिषद ने 28.04.2017 को आयोजित अपनी 51 वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निर्धारित संख्या से अधिक सीटों का सृजन कर महिला नामांकन को मौजूदा 8% से 2018–19 में बढ़ाकर 14%, 2019–20 में 17% और 2020 –21 में 20% करने का निर्णय लिया।

(ii) **प्रमुख परीक्षा सुविधाः** बजट घोषणा 2017–18 के अनुसरण में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का अनुमोदन किया। एनटीए शुरू में उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जो वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही हैं। एनटीए के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद क्रमशः अन्य परीक्षाएं ली जाएंगी। यह उम्मीदवारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर देने के लिए, और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के

लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करेगा। ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह उप–जिला/जिला स्तर पर केंद्र अवस्थित करेगा और जहां तक संभव हो छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

(iii) **परियोजना निगरानी एकक (पीएमयू):** एमएचआरडी के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों के निर्माण की प्रभावी निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी एकक स्थापित किया गया है जिसमें निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। यह एक ओर निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में अतिरिक्त समय और लागत न लगे।

(iv) **प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं, अधिमानतः राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए आईआईटी/आईआईएससी में डॉक्टरेट कार्यक्रम में नामांकन के लिए आईआईटी/आईआईआईटी/आईआईएसईआर से अधिकतम 3,000 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 70,000/– प्रति माह, तृतीय वर्ष रु. 75,000/– प्रति माह और चतुर्थ वर्ष और पांचवें वर्ष रु. 80,000/– प्रतिमाह अध्येता की आकर्षक दर प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में शोधपत्र प्रस्तुत करने की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक अध्येता को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष रु. 2 लाख का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(v) **एमटेक शिक्षण सहायक (एमटीटीए):** एमटीटीए का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छे शिक्षण कौशल, गहन समझ और अनुसंधान अभिविन्यास से करके उनका विकास करना है। इससे एक ओर देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित संकाय की कमी दूर होगी और दूसरी ओर इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एमटीटीए में उन छात्रों को दो साल की अवधि के लिए रु. 25,000 प्रति माह की बढ़ी हुई सहायता प्रदान की जाती है जिनका चयन जीएटीई में रैंक के आधार पर किया गया है और जिन्होंनें आईआईटी/आईआईएससी में एम्टेक कार्यक्रम में दाखिला लिया है। चार वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक बैच में 2000 छात्रों के तीन बैचों को यह सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार चयन मानदंड और सहायता की अन्य शर्तें होंगी। इस योजना का ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

आईआईटी की सूची:

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (http://www.iitkgp.ac.in/)
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (http://www.iitb.ac.in/)
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (http://www.iitm.ac.in/)
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (http://www.iitk.ac.in/)
5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (http://www.iitd.ac.in/)
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (http://www.iitg.ac.in/)
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (http://www.iitr.ernet.in/)

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (http://www.iith.ac.in/)
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर (http://www.iitj.ac.in/)
10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (http://www.iitrpr.ac.in/)
11. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी (http://www.iitmandi.ac.in/)
12. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (http://www.iiti.ac.in/)
13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (http://www.iitp.ac.in/)
14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (http://www.iitgn.ac.in/)
15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर (http://www.iitbbs.ac.in/)
16. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी (http://www.iitbhu.ac.in/)
17. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति (http://iittp.ac.in/)
18. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़ (http://iitpkd.ac.in)
19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
20. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
21. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू http://iitjammu-ac-in
22. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
23. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स), धनबाद (http://www.ismdhanbad.ac.in)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी शिबपुर

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज), जिसका नियंत्रण 14.05.2003 से केंद्र सरकार ने ले लिया है, केंद्र द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 (जून, 2012 में यथा संशोधित) के तहत इन्हें 15.08.2007 से 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।
2. शैक्षणिक सत्र 2009–2010 तक बीस एनआईटी थेः अगरतला (त्रिपुरा), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), सिलचर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरतकल (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश)। वर्ष 2009 में, अधिनियम के तहत इन संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एनआईटी की पहली संविधि बनाई गई थी।
3. XI योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, और उत्तराखंड में 10 नए एनआईटी स्थापित किए गए हैं। इन 10 नए एनआईटी ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010 – 2011 से शुरू किया है। एनआईटी आंध्र प्रदेश नव स्थापित एनआईटी है और इसका पहला शैक्षणिक सत्र 2015–16 से शुरू किया गया है। इस प्रकार, एनआईटी की कुल संख्या क्रमशः 31 यानी कि सभी राज्यों और प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी में एक–एक हो गई है।
4. 10 नए एनआईटी और पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के दायरे

में शामिल करने के लिए संशोधन को 07.06.2012 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। सभी नए एनआईटीएस अब एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 में दायरे में हैं। बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी (बीईएसयू), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) को एनआईटीएसईआर (संशोधन) अधिनियम, 2014 के जरिये 04.03. 2014 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) में राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

एनआईटी और आईआईईएसटी में दाखिला

5. वर्तमान नीति के अनुसार, एनआईटी और आईआईईएसटी में 50% सीटें राज्य के छात्रों के लिए चिह्नित हैं, जहां एनआईटी स्थित है। शेष 50% सीटों पर प्रवेश अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के अखिल भारतीय रैंक के आधार पर दिया जाता है।

6. इस प्रणाली से देश में प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा मिल पाई है। देश के दूरस्थ स्थानों में इंजीनियरिंग शिक्षा के समान अवसर का प्रसार करते हुए, एनआईटी गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण वाली तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में दस नए एनआईटी की स्थापना के बाद, देश भर के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है।

हाल में हुए घटनाक्रम

i) अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 के बीच 18 एनआईटी में निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

ii) 26 मई, 2017 को आयोजित अपनी 10 वीं बैठक में एनआईटीएसईआर परिषद के अनुमोदन के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकाय के लिए भर्ती नियम जारी किए गए हैं। उपरोक्त कदम के परिणामस्वरूप, एनआईटी ने रिक्त संकाय पदों को भरने के उपाय किए हैं। यह आशा है कि काफी अधिक पदों को भरा जाएगा।

एनआईटी के सांख्यिकीय विवरण

एनआईटी

(राशि करोड रू. में)

शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
योजना	1353	1474	1503	1627	2282.32*
गैर–योजना	778	835	935	1117	
कुल	2131	2309	2438	2744	2282.32

आईआईईएसटी शिबपुर

(राशि करोड रू. में)

शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
योजना	5	57	65	99	90′

एनआईटी आन्ध्र प्रदेश

(राशि करोड रू. में)

शीर्ष	2016–17	2017–18
योजना	10	50′

**31.12.2017 की स्थिति के अनुसार*

31 एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में छात्र

कुल छात्र (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

अवर स्नातक	:	69988	
स्नातकोत्तर	:	19376	(छात्रों की वास्तविक संख्या)
पीएचडी.	:	10385	
कुल	:	**99749**	

31 एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में संकाय

स्वीकृत	:	7436
भरे हुए	:	5660 (अनुबंधात्मक संकाय सहित)

2017–2018 के लिए बजट अनुमान

(i)	**30 एनआईटी**	:	3280.00 करोड़ [राजस्व]
(ii)	**आईआईईएसटी– शिबपुर**	:	110.00 करोड़
(iii)	**एनआईटी–आन्ध्र प्रदेश**	:	50.00 करोड़

एनआईटी और आईआईईएसटी की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
1.	एनआईटी–अगरतला	त्रिपुरा
2.	एनआईटी–इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
3.	एनआईटी–भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	एनआईटी–कालीकट	केरल
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
6.	एनआईटी–हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
7.	एनआईटी–जयपुर	राजस्थान
8.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी–जालंधर	पंजाब
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	झारखंड
10.	एनआईटी–कुरुक्षेत्र	हरियाणा

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
11.	वीएनआईटी–नागपुर	महाराष्ट्र
12.	एनआईटी–पटना	बिहार
13.	एनआईटी–रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	एनआईटी–राउरकेला	ओडिशा
15.	एनआईटी–सिलचर	असम
16.	एनआईटी–श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
17.	एसवीएनआईटी–सूरत	गुजरात
18.	एनआईटीके–सूरतकल	कर्नाटक
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
20.	एनआईटी–वारंगल	तेलंगाना
21.	एनआईटी–अरूणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
22.	एनआईटी–दिल्ली	दिल्ली
23.	एनआईटी–गोवा	गोवा
24.	एनआईटी–मणिपुर	मणिपुर
25.	एनआईटी–मेघालय	मेघालय
26.	एनआईटी–मिजोरम	मिजोरम
27.	एनआईटी–नागालैंड	नगालैंड
28.	एनआईटी–पुडुचेरी	पुडुचेरी
29.	एनआईटी–सिक्किम	सिक्किम
30.	एनआईटी–उत्तराखंड	उत्तराखंड
31.	एनआईटी–आन्ध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
32.	आईआईटी–शिबपुर	पश्चिम बंगाल

7. भारत के माननीय राष्ट्रपति एनआईटी और आईआईईएसटी–शिबपुर के विजिटर हैं और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री इन संस्थानों की शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय, परिषद के अध्यक्ष हैं। एनआईटी के मामलों का प्रबंधन उनके संबंधित शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

******

अध्याय 14

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

अध्याय 14

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

आईटी क्षेत्र में उच्च कुशल पेशेवर की मांग को पूरा करने के लिए, आईटी क्षेत्र में केंद्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए, ग्वालियर (1998), इलाहाबाद (1999) जबलपुर (2005), कांचीपुरम (2007) में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना की गई है। इन संस्थानों को आईआईआईटी अधिनियम, 2014 के अधिनियमन से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक केंद्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किया गया है। आईआईआईटी आंध्र प्रदेश ने 2015–16 में अपने शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की।

भारतीय आईटी उद्योग और घरेलू आईटी बाजार के विकास के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एमएचआरडी अलाभकारी सरकारी निजी भागीदारी मोड (एन–पीपीपी) आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित करना चाहता है जैसा 7.12.2010 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, एमएचआरडी ने सभी राज्य सरकारों से 20 आईआईआईटी की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। राज्य सरकार से पीपीपी में आईआईआईटी स्थापित करने के लिए प्राप्त 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। ये हैं आईआईआईटी श्रीसिटी चितूर (आन्ध्र प्रदेश), आईआईआईटी काकीनाडा (एपी), आईआईआईटी गुवाहाटी (असम), आईआईआईटी धारवाड़ (कर्नाटक), आईआईआईटी कोट्टायम (केरल), आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईआईटी वडोदरा (गुजरात), आईआईआईटी पुणे (महाराष्ट्र), आईआईआईटी, सेनापति (मणिपुर), आईआईआईटी बोधजंगनगर (त्रिपुरा), आईआईआईटी भोपाल (मध्य प्रदेश), आईआईआईटी सोनीपत (हरियाणा), आईआईआईटी लखनऊ (यूपी), आईआईआईटी ऊना (एचपी), आईआईआईटी कल्याणी (पश्चिम बंगाल), आईआईआईटी कोटा (राजस्थान), आईआईआईटी सूरत (गुजरात), आईआईआईटी नागपुर (महाराष्ट्र), आईआईआईटी रांची (झारखंड) और आईआईआईटी भागलपुर (बिहार)। 2016–17 में 3 आईआईआईटी ने अपने शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की। 15 नए आईआईआईटी–पीपीपी मोड में अकादमिक सत्र शुरू हो गया है।

आईआईआईटी और उनके वेबसाइट के पते की सूची

आईआईआईटी	1.	एबीवी–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, (एबीवीआईआईटीएन), ग्वालियर	www.iiitm.ac.in
	2.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद	www.iiita.ac.in
	3.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर	www.iiitdm.in

आईआईआईटी	4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिमार्ण संस्थान, कांचीपुरम	www.iiitdm.ac.in
	5.	आईआईआईटीडी एंड एम कुरनूल, आंध प्रदेश	www.iiitdmkl.ac.in
पीपीपी मोड के तहत आईआईआईटी	6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चितूर	https://www.iits.ac.in
	7.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	www.iiitg.ac.in
	8.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा	www.iiitvadodara.ac.in
	9.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत	
	10.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	www.iiitu.ac.in
	11.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़	www.iiitdwd.ac.in
	12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टयम	www.iiitkottayam.ac.in
	13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर	www.iiitmanipur.ac.in
	14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा	www.iiitkota.ac.in
	15.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली	http://www.iiitt.ac.in/
	16.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ	https://iiitl.iiita.ac.in
	17.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,कल्याणी	www.iiitkalyani.edu.in
	18.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	www.iiitp.ac.in
	19.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	www.iiitranchi.ac.in
	20.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	www.iiitn.ac.in

******

अध्याय 15

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

अध्याय 15

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्तशासी सोसायटियों के रूप में देश में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) की स्थापना की गई थी। इन संस्थानों के लिए तकनीकी शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम और संस्थागत संसाधनों को विकसित करना, प्रक्रियाओं और उत्पाद से संबधित सुधारों के लिए राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और तकनीकी संस्थानों की सहायता करना आदि अनिवार्य हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल

i. **संस्थान की पृष्ठभूमिः** – राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल राज्य निदेशालयों और बोर्डों, पॉलिटेक्निकों और इंजीनियरिंग कॉलेज, उद्योग, फील्ड एजेंसियां और सामुदायिक पॉलिटेक्निक अपने अल्पकालिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं, पाठ्यक्रम विकास सहित परीक्षण और परीक्षाओं, शिक्षा प्रबंधन, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षण संसाधन विकास, मल्टीमीडिया विकास, कार्यक्रमों में संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों में विस्तार, सेवाओं, परामर्श और दीर्घकालिक कार्यक्रम को भारत के पश्चिमी क्षेत्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा केन्द्र शासित प्रदेश) में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

ii. **01/04/2017 से 31/10/2017 के दौरान आयोजित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या						
			राज्य		जाति		संस्था का प्रकार		लिंग पु./म.
कैलेंडर	114	3429	महाराष्ट्र	1193	सामा.	1741	पोलिटेक्निक	2356	पुरूष
गैर– कैलेंडर	10	328	गुजरात	1262	अ. पि. वर्ग	1212	इंजीनियरिंग	951	2647
कार्यशाला	01	13	गोवा	162	अनु. जनजाति	432	अन्य	463	महिला
सम्मेलन	–	–	छत्तीसगढ़	208	अनु. जाति	362			1123
			मध्य प्रदेश	875	अन्य	23			
			अन्य	70					
कुल	**125**	**3770**		**3770**		**3770**		**3770**	**3770**

iii. **2017–18 के दौरान छात्र और संकाय की स्थिति**

छात्रों का दाखिला 2017–18			
क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता**	**दाखिला**
1.	सीटीएम में एम. टेक	36	15
2.	एसई में एम. ई.	18	शून्य वर्ष घोषित
3.	एपीएस में एम. ई.	24	
4.	डीसी में एम. टेक	24	
5.	सीटीए में एम. टेक	36	
6.	एमबीए	60	
	कुल	**198**	**15**

31–10–2017 की स्थिति के अनुसार 2017–18 की संकाय स्थिति												
संकाय की कुल स्वीकृत संख्या (श्रेणी–वार)							कार्यरत संकाय (श्रेणी–वार)					
पद/श्रेणी	**सामा.**	**अनु. जाति**	**अनु. जनजाति**	**अ. पि. वर्ग**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**	**सामा.**	**अनु. जाति**	**अनु. जनजाति**	**अ. पि. वर्ग**	**पीडब्ल्यूडी**	**कुल**
प्रोफेसर	29	–	–	–	–	29	21 (03डब्ल्यू)	01	–	03′	–	25
एसोसिएट प्रोफेसर	25	–	–	–	–	25	14 (04 डब्ल्यू**)	01 (डब्ल्यू)	01	02	–	18
असिस्टेंट प्रोफेसर	06	–	–	–	–	06	05(03 डब्ल्यू)	–	–	–	01	06
समग्र जोड़	60	–	–	–	–	60	40 (10 डब्ल्यू)	02	01	05	01	49

टिप्पणीः महिला और शारीरिक विकलांगों को क्रमशः डब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी दर्शाया गया है।

** एक प्रोफेसर (अ. पि. वर्ग) पीएसएससीआईवीई में प्रतिनियुक्ति पर है।*

*** एक एसोसिएट प्रोफेसर (डब्ल्यू) एनआईटी रायपुर से प्रतिनियुक्ति पर है।*

iv. **एनआईटीटीटीआर, भोपाल में अप्रैल– अक्तूबर, 2017 के दौरान शैक्षणिक सुधार और आयोजित गतिविधियां।**

एनआईटीटीटीआर, भोपाल ने क्षमता विकास के अधिमानता वाले क्षेत्रों में सुधार करके, कार्यक्रम के प्रस्ताव के सुदृढ़ीकरण, संसाधन विकास और प्रसार, और इन–हाउस सुधार के द्वारा अपनी आंतरिक क्षमता को व्यवस्थित करने की चुनौती ली है। भावी उम्मीदों और आशाओं के मद्देनजर, एनआईटीटीटीआर, भोपाल स्वयं को देश में नेक्स्ट जनरेशन टीचर्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के केन्द्र के तौर पर पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है।

- **तकनीकी शिक्षा प्रणाली में नई अनुसंधान पहलें:** भारत में तकनीकी शिक्षा के 10 व्यापक क्षेत्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा क्षेत्र में साक्ष्य–आधारित नीति निर्धारण के

लिए 34 अनुसंधान प्रस्तावों वाली एक राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना बनाई गई थी।

- छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू), भिलाई के तहत डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम को पुनः डिजाइन/संशोधन परियोजना (सीआरपी) का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सीआरपी, सीएसवीटीयू, भिलाई की मूल टीमों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के साथ–साथ 15 डिप्लोमा के पाठ्यक्रम पुनः डिजाइन/संशोधन के लिए एसडब्ल्यूओटी और आवश्यकता विश्लेषण आयोजित किया गया है।
- महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एमएसबीटीई) के लिए, जिसके साथ लगभग 558 पॉलिटेक्निक का संबंधन है और जिसमें लगभग 1,60,734 छात्रों की कुल स्वीकृत दाखिला क्षमता है, एनआईटीटीटीआर, भोपाल, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कार्यक्रम की 18 शाखाओं के लिए एमएसबीटीई के लिए एक शोध आधारित पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है।
- पश्चिमी क्षेत्र के टीवीईटी संस्थानों को एक साथ लाने और टीवीईटी एवं कौशल विकास पहलों पर चर्चा करने के लिए, 22 जुलाई 2017 को पश्चिमी क्षेत्र के सभी टीवीसेट और संबंधित संस्थानों के अध्यक्षों की पश्चिमी क्षेत्र परामर्श बैठक (डब्ल्यूआरसीएम) का आयोजन किया गया था। बैठक के अंत में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल विकास संस्थानों के नेटवर्क (एनटीवीएसडीआई) का गठन किया गया।
- आईएसओ 9001: 2008 मानकों से आईएसओ 9001: 2015 ढांचे में अंतरण करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, 28 सितंबर 2017 को 'गुणवत्ता नीति, उद्देश्य और जोखिम मूल्यांकन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- नियोजन के लिए, वर्ष 2018–19 के नए प्रशिक्षण कैलेंडर कार्यक्रम के लिए 5 अगस्त 2017 को एक हितधारक सहभागिता बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में, ऑनलाइन पंजीकरण की नई प्रक्रिया और संबंधित नीति पर चर्चा की गई, और, राज्यों और संस्थानों से वर्तमान और पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सुझाव लिए गए।
- कैलेंडर 2018–19 की तैयारी के लिए एक्सटेंशन सेंटर अहमदाबाद (15 सितंबर 2017 को) और पुणे (12 अक्टूबर 2017 को) में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) बैठकें आयोजित की गईं।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून 2017 के अवसर पर स्वस्थ जीवन के प्रचार–प्रसार के लिए और योगाभ्यास को व्यवहार में लाने के लिए, आमंत्रित पेशेवर योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अनुभवात्मक अधिगम गतिविधि के साथ–साथ "अभ्यास किए जाने वाले योग आसनों के सामान्य प्रोटोकॉल" वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की गई।
- 21 अप्रैल 2017 को आयोजित सफल पुनः प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा के बाद वर्ष 2017–18 के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन का विस्तार किया गया।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने संस्थान के भीतर तीन राजभाषा गतिविधियों का संचालन किया और अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों में आयोजित राजभाषा कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इस अवधि के दौरान इन

चित्र 1: 22 जुलाई, 2017 को आयोजित टीवीईटी और संबंधित संस्थाओं के अध्यक्षों की पश्चिम प्रदेश परामर्श बैठक

चित्र 2: 5 अगस्त, 2017 को आयोजित हितधारक विचार–विमर्श बैठक

चित्र 3: 70वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाने हुए: 15 अगस्त, 2017 को ध्वज फहराते हुए।

चित्र 4: 15 सितंबर, 2017 को एनआईटीटीटीआर एक्सटेंशन सेंटर द्वारा पुणे में आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) बैठक

गतिविधियों में भाग लेने के लिए 30 से अधिक स्टाफ सदस्यों को नामित किया गया था।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर, 2017 के दौरान संस्थान की उपलब्धियों का सारांश

1. शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान, शिक्षाशास्त्र में संकाय के विकास के साथ–साथ विषय–वस्तु उन्नयन और योग्यता में सुधार के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अप्रैल– अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है

क. दीर्घकालिक कार्यक्रम (मास्टर डिग्री और पीएचडी कार्यक्रम)

- 183 शिक्षक, उद्योगों से कार्यरत पेशेवर और नए स्नातक मॉड्यूलर और नियमित मोड के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री में भाग ले रहे हैं।
- 75 शिक्षक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पीएच.डी. में अध्ययनरत हैं।

ख. अल्पकालिक कार्यक्रमः

	आयोजित प्रशिक्षणों की सं.	प्रशिक्षित शिक्षकों की सं.
• पोलि. और इंजी. कॉलेज	100	1418
• आईसीटी से प्रशि् कार्यक्रम	24	4088
2. कार्यशालाएंः	04	710
3. राष्ट्रीय संगोष्ठियां/सम्मेलनः	03	880
4. छात्र प्रशिक्षण (संपर्क मोड के जरिये – 35 केन्द्र):	03	1364

5. पाठ्यक्रम विकास

महाराजा रणजीत सिंह पीटीयू, भटिंडा, पीएससीएएस, पटियाला और एसबीटीई, हरियाणा के लिए पाठ्यक्रम विकसित एवं संशोधित करने के लिए 21 पाठ्यक्रम कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं।

6. "भारत में स्थायी ग्रामीण विकास के लिए कौशलों व प्रौद्योगिकियों का प्रोन्नयन" पर स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय संगोष्ठी।

एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ में 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2017 तक 'भारत में सतत ग्रामीण विकास के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी संवर्धन' पर स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य भारत में सतत ग्रामीण विकास के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मुद्दों पर प्रकाश डालना था। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञ और अनुसंधान विद्वान पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रणाली, विश्वविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों और आईआईटी से संबंधित होते हैं। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉ. एचएस धालीवाल, कुलपति, इटरनल यूनिवर्सिटी, बारू साहिब, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) थे। संगोष्ठी के अतिथि श्री ह्रदय नाथ सिंह, मुख्य संरक्षक, उन्नत भारत अभियान, भारत सरकार थे।

7. 6–7 सितंबर, 2017 से 'तकनीकी शिक्षा में उभरते रुझान' पर शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8. निर्देशात्मक संसाधन विकासः

1. शैक्षिक वीडियो फिल्में – 11 बनाई गई
2. एमओओसी – 10 बनाई जा रही है (100 वीडियो रिकॉर्ड किए गए)

9. हिन्दी माह का आयोजन

संस्थान में 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2017 तक सितम्बर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया गया। संस्थान के निदेशक डा0 एस एस पट्टनायक की अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2017 को वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन तथा संस्थान के कुल गीत के साथ किया गया। इस अवसर पर डा0 श्रीमती संतोष शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पत्राचार विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को विशिष्ट अतिथि तथा श्री एम एल शर्मा, सेवानिवृत्त, अध्यक्ष नवोदय

विद्यालय को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस माह के दौरान हिन्दी सुलेख, हिन्दी शब्द–ज्ञान, हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी नोटिंग, हिन्दी उच्चारण एवं हिन्दी कविता पाठ नामक 07 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फैकल्टी प्रभारी, इंजी0 पी के सिंगला ने संस्थान में वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समारोह के दौरान प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इसके पश्चात, प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात, निदेशक महोदय ने हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु सभी को प्रोत्साहित करते हुए सभी के साथ अपने विचारों को सांझा किया। डा. विनोद वसिष्ठ, वरिष्ठ अनुवादक ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा राष्ट्रीय गान के साथ समारोह का समापन हुआ।

10. पायथन के उपयोग से मशीन अधिगम पर इंटेल प्रायोजित संकाय विकास कार्यक्रम।

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 24.07.2017 से 28.07.2017 तक पायथन का उपयोग करते हुए मशीन अधिगम एल्गोरिदम पर इंटेल प्रायोजित संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और एफडीपी में पूरे भारत में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों के 39 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तंत्रिका नेटवर्क अवधारणा और पायथन प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके कार्यान्वयन से संबंधित थे। इस कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. सी. राम कृष्ण, डॉ. मैत्रेयी दत्ता और ईआर. शानो सोलंकी ने किया था।

11. टेकफेस्ट – 2017

एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ ने स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में, 20–21 अप्रैल, 2017 को टेकफेस्ट– 2017 का आयोजन किया। डॉ. मनोज अरोड़ा, निदेशक, पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्नातकोत्तर/डिग्री/डिप्लोमा स्तर के छात्रों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तकनीकी कार्यक्रमों में लैन गेमिंग, कोड मेनिया, बैटल ऑफ ब्रेड बोर्ड, सर्किट मेकिंग, पोस्टर प्रतियोगिता और तकनीकी प्रश्नोत्तरी शामिल थे। प्रत्येक कार्यक्रम के प्रतिभागियों का निर्णय बाहरी विशेषज्ञों ने किया। रोबो युद्ध और लाइन फॉलोअर विशेष आकर्षण थे। इस टेकफेस्ट में विभिन्न डिप्लोमा/डिग्री कॉलेजों के लगभग 250 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ के शासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. के. के.

तलवार समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के समन्वयकर्ता प्रो. एस.पी. बेदी और प्रो. एस.के. धामेजा द्वारा किया गया।

12. योग दिवस समारोह

संस्थान ने 21 जून, 2017 को संस्थान में योग दिवस मनाया, जिसमें लगभग 100 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें संस्थान के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, और कर्मचारियों के परिवार के सदस्य शामिल थे। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार योग प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। 22–25 मई, 2017 और 18–21 जून, 2017 तक दो योग शिविर आयोजित किए गए थे। 20 जून, 2017 को एक योग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, सरकारी पॉलिटेक्निक, चित्तौड़गढ़ में 24 से 28 अक्टूबर, 2017 तक 'योग और ध्यान' पर एक अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

13 राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ में 31 अक्टूबर 2017 को **राष्ट्रीय एकता दिवस ("नेशनल यूनिटी डे")** जिसमें निम्न कार्यक्रम आयोजित किए गए (i) शपथ समारोह (ii) रन फॉर यूनिटी और (iii) भाषण, गायन, कविता और निबंध लेखन प्रतियोगिता।

14. एनएसटीईडीबी, डीएसटी, भारत सरकार प्रायोजित ईएसी

28–30 अगस्त, 2017 और 13–15 सितंबर, 2017 को क्रमशः सरकारी पॉलिटेक्निक, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गारमेंट टेक्नोलॉजी, अमृतसर (पंजाब) में दो 3–दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 10 संकाय सदस्यों के साथ–साथ 200 से अधिक छात्रों (दोनों कार्यक्रमों में) ने भाग लिया।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

I संस्थान की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में और विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1964 में राष्ट्रीय तकनीकी तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) चेन्नई स्थापित किया गया था। इस अधिदेश के भीतर, संस्थान उपयुक्त मोड के माध्यम से मानव आधारित विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने और पाठ्यक्रम एवं अनुदेशात्मक संसाधनों को विकसित करने के लिए पहल करता है। यह इंजीनियरिंग के मूल क्षेत्रों में और इंजीनियरिंग शिक्षा के अंतर–विषयात्मक क्षेत्र में भी शोध को बढ़ावा देता है और इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, व्यावसायिक संस्थानों, उद्योग, सेवा

क्षेत्र और बड़े पैमाने पर समुदाय के समग्र विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

II 2017–18 के दौरान गतिविधियों का सारांश

इस अवधि (अप्रैल से अक्टूबर, 2017) के दौरान, एनआईटीटीटीआर, चेन्नई ने निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यक्रम, परियोजनाएँ और गतिविधियाँ संचालित कीं: (i) संकाय विकास (ii) पाठ्यक्रम विकास (iii) अनुदेशात्मक संसाधन विकास (iv) अनुसंधान परियोजना और (v) परामर्श परियोजना। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्षेत्र का नाम		विवरण	
1. संकाय विकास		**पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
क. अल्पकालिक पाठ्यक्रम	पॉलिटेक्निक कॉलेज	120	1676
	इंजीनियरिंग कॉलेज	16	794
	सरकारी संगठन	1	72
ख. सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला/विशेष प्रायोजित कार्यक्रम	8 और 9 जून, 2017 को एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में स्वयम पर मूक के विकास और वितरण पर दो दिवसीय कार्यशाला।		25
	28 से 30 जून, 2017 को एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में "आगे शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम" पर यूकेआईईआरआई– एआईसीटीई कार्यशाला आयोजित की गई थी।		48
	10–22 जुलाई, 2017 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी), डीएसटी, उद्यमिता में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दो साप्ताहिक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।		22
	केओएचए पर राष्ट्रीय कार्यशाला: एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में 14 से 18 अगस्त, 2017 को ''केओएचए: एन ओपर सोर्स इंटिग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर'' आयोजित किया गया।		14
	28 अगस्त 2017 श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई में "मूक शिक्षाशास्त्र और ई–शिक्षा के लिए मीडिया दक्षताओं" पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय' संगोष्ठी आयोजित की गई।		240
	5 से 9 सितंबर, 2017 को एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में डीएसटी (भारत) और जेएसपीएस (जापान) द्वारा "एडॉप्टिंग वाटर–एनर्जी–फुड नेक्सस एप्रोच इन इंडिया'' पर पांच दिवसीय ज्ञान साझा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।		27
	मनोनमनियम सुंदरनर विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली में 6 नवंबर, 2017 को "ई–सोसायटी फोर नेशन बिल्डिंग एण्ड एंपावरमेंट'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी।		186
	5 से 7 अक्तूबर, 2017 को एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में ''आर्म कॉर्टेक्स एम4 प्रोग्रामिंग'' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।		12

क्षेत्र का नाम		ब्यौरा
ग. दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रवासी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 03.05.2017 से 24.06.2017 तक "आईटी, वेब डिजाइनिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पेडागोजी" पर बांग्लादेश के लिए एक विशेष तौर पर निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		2 22.05.2017 से 02.06.2017 तक "टीवीईटी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट फॉर भूटान" पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		3 22.05.2017 से 02.06.2017 तक "इकनॉमिक वर्कफोर्स प्लानिंग फॉर भूटान''पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		4 26.07.2017 से 19.09.2017 तक "वीमेन एंपावरमेंट थ्रू टेक्नीकल एण्ड वोकेशनल एजुकेशन'' पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
		5 26.07.2016 से 19.09.2017 तक "एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन फॉर ई–लर्निंग'' पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
		6 26.07.2016 से 19.09.2017 तक "ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी का उपयोग" पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
		7 27.09.2017 से 21.11.2017 तक "यूज ऑफ आईसीटी फोर रूरल डवलपमेंट'' पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
		8 27.09.2017 से 21.11.2017 तक "डिजाइन ऑफ एजुकेशनल एप्लीकेशन्स यूजिंग वेब टेक्नालॉजिस'' पर उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
		9 27.09.2017 से 21.11.2017 तक "स्पेटियल इनफोर्मेशन टेक्नालॉजी फॉर अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट'' पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।
		10 27.09.2017 से 21.11.2017 तक "सस्टेनेबल डवलपमेंट एण्ड एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट'' पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।
		32 देशों के कुल 181 विदेशी प्रतिभागियों ने उपरोक्त नौ कार्यक्रमों में भाग लिया है।
घ. डॉक्टरल अनुसंधान	पीएच.डी. इंजीनियरिंग शिक्षाः इस अवधि के दौरान, एक उम्मीदवार ने पीएच.डी. कार्यक्रम में भाग लिया। मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रम में पीएच.डी के लिए कुल 20 विद्वान नामावली पर हैं। एक अनुसंधान विद्वान को पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई।	
2. पाठ्यक्रम विकास	तेलंगाना राज्य के पॉलिटेक्निक के लिए कुल 21 कार्यक्रमों को संशोधित किया गया था। प्रत्येक कार्यक्रम में 40 पाठ्यक्रम होते हैं।	
3. निर्देशात्मक संसाधन विकास	संस्थान विभिन्न मूल इंजीनियरिंग विषयों, शिक्षाशास्त्र और प्रबंधन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री को निरंतर अद्यतन कर रहा है। सर्वेक्षण पर 16 शीर्षक वाली एक वीडियो श्रृंखला प्रकाशित की गई थी।	

4. अनुसंधान परियोजनाएं

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	राशि (रु.)	परियोजना समन्वयक और सदस्य	निधियन एजेंसी
1	शिक्षक शिक्षा स्वयम के तहत	अक्टूबर 2016 से	495 लाख	डॉ. सुधींद्र नाथ पांडा डॉ. पी. मल्लिगा डॉ. जी जनार्दन डॉ. वी. शनमुगनीति	एमएचआरडी, नई दिल्ली
2	नियंत्रित भूमिभराव एमएसडब्ल्यू और संक्रमण के खुली डंपसाईटों के लिए पर्यावरणीय तौर पर स्वस्थ प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन	2013 से आज तक	7,16,950	डॉ. जी जनार्दनन डॉ. केएसए. दिनेश कुमार	टीएनपीसीबी, चेन्नई

5. परामर्श परियोजनाएं

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	राशि (रु.)	परियोजना समन्वयक और सदस्य	निधियन एजेंसी
1	भूमि भराव के चरण II और चरण III के डिजाइन और निगरानी की जाँच करना	19.03.2012 से आज तक	9,50,000	डॉ. जी जनार्दनन	तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, चेन्नई
2	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.03.2012 सेवा आज तक	23,72,000	डॉ. एस. मोहन डॉ. जी जनार्दनन डॉ. केएसए दिनेश कुमार	टीएनआरएसपी राजमार्ग, चेन्नई
3	मनाली साइट के लिए मिट्टी भरने की मात्रा की गणना	16.06.2017 से 16.12.2017	1,64,450	डॉ. जी जनार्दनन डॉ. केएसए. दिनेश कुमार	टीएनएससीबी, चेन्नई

6. राष्ट्रीय दिवस का उत्सव

1	संस्थान ने 19.06.2017 से 21.06.2017 तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
2	22.06.2017 और 01.09.2017 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
3	09.08.2017 से 15.08.2017 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
4	01.09.2017 से 15.09.2017 तक स्वच्छ्ता पखवाड़ा मनाया गया, और 08.09.2017 को स्वच्छता दिवस मनाया गया।
5	संस्थान सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3.30 से 5.30 बजे तक सफाई गतिविधियों को अंजाम देकर स्वच्छ भारत मिशन को लागू कर रहा है।
6	01.09.2017 से 06.09.2017 तक हिन्दी पखवाड़ा और 12.09.2017 को हिन्दी दिवस मनाया गया।
7	15.09.2017 से 02.10.2017 स्वछता ही सेवा तक मनाया गया
8	27.10.2017 से 31.10.2017 तक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।
9	30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

आर्म कोर्टेक्स एम4 प्रोग्रामिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय दिवस समारोह

संस्थान सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3.30 से 5.30 बजे तक सफाई गतिविधियों का निष्पादन कर स्वच्छ भारत मिशन को लागू कर रहा है।

01/09/2017 से 06/09/2017 तक हिन्दी पखवाड़ा और 12/09/2017 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 (31 अक्टूबर 2017 तक)

संस्थान में निष्पादित की गईं विभिन्न गतिविधियों पर रिपोर्ट

I. **अकादमिक उपलब्धि रिपोर्टः**

क) प्रशिक्षणः

संस्थान ने 2179 कर्मियों, जिनमें विभिन्न पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के संकाय सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, को 110 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अल्पकालिक और इन–हाउस) प्रदान किए।

विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	स्थल	एसटीटीपी की सं.	प्रतिभागियों की सं.
1	एनआईटीटीटीआर, कोलकाता	87	1185
2	भुवनेश्वर एक्सटेंशन सेंटर	5	66
3	गुवाहाटी एक्सटेंशन सेंटर	5	64
4	इन–हाउस कार्यक्रम	13	864
कुल		**110**	**2179**

ख) कार्यशालाएं और संगोष्ठियांः

i. 20 और 21 अप्रैल, 2017 को दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली पर 3 क्षेत्रीय कार्यशाला।

ii. एनआईटीटीटीआर, कोलकाता ने 27–30 जून, 2017 के दौरान एडवांस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, सिक्किम के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पशु चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन किया।

iii. एनआईटीटीटीआर, कोलकाता ने टीवीईटी के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को साझा करने के लिए 24– 28 अक्टूबर, 2017 के दौरान कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी) के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीपीएससी के विभिन्न सदस्य देशों ने भाग लिया था।

iv. 26 अक्टूबर 2017 को एनआईटीटीटीआर, कोलकाता में दिरांग, अरुणाचल प्रदेश ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट (टीएनए) की 1–दिवसीय परिचर्चा बनाम तृतीय क्षेत्रीय कार्यशाला की उपलब्धि और सिफारिशों पर चर्चा।

ग) **इनक्यूबेशन केंद्रः** संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2017 को एक इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। पॉलिटेक्निक (एनआईटीसीपी) के लिए प्रथम राष्ट्रीय नवाचार प्रतिभा प्रतियोगिता में विभिन्न पॉलिटेक्निक द्वारा विभिन्न मॉडल बनाए और विकसित किए गए, जो 21 और 22 फरवरी 2017 को एनआईटीटीटीआर, कोलकाता में आयोजित समारोह में प्रदर्शित किए गए थे।

III. इस अवधि के दौरान निष्पादित की गई विभिन्न गतिविधियों की सूचीः

- 5 जून, 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन।
- 17 जून, 2017 को शासी बोर्ड की बैठक।
- 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन।
- 30 जून, 2017 को जीएसटी पर वार्ता का आयोजन।
- 15 अगस्त, 2017 को 71 वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह।
- 30 अगस्त, 2017 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एमएकेएयूटी), पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों का दौरा।
- 05 सितंबर, 2017 को शिक्षक दिवस का अवलोकन।
- 11 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री के व्याख्यान की वेब कास्ट।
- 14 और 15 सितंबर, 2017 को स्वच्छ भारत पखवाड़े का आयोजन।
- सितंबर, 2017 माह में राजभाषा दिवस का आयोजन।
- 24 – 28 अक्टूबर, 2017 के दौरान सीपीएससी, मनीला के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन।
- 26 अक्टूबर, 2017 को संयुक्त सचिव, भारत सरकार का दौरा।
- सरदार वल्लभाई पटेल की वर्षगांठ का आयोजनः 31 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय एकता शपथ।
- 30 अक्टूबर– 4 नवंबर, 2017 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन।

******

अध्याय 16

School of Planning and Architecture

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

अध्याय 16

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

आर्किटेक्चर (वास्तुकला) परिषद (सीओएल)

1. आर्किटेक्चर परिषद (सीओएल) की स्थापना भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित वास्तुकला अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की थी और यह परिषद् 1 सितम्बर, 1972 को अस्तित्व में आई थी। इस अधिनियम में वास्तुकारों (आर्किटेक्चरों) के पंजीकरण और उनसे संबद्ध अन्य मामलों की व्यवस्था की गई है। सीओए में पंजीकृत वास्तुकारों (आर्किटेक्टों) की कुल संख्या लगभग 87,000 है।

2. सीओए आर्किटेक्टों का रजिस्टर बनाने के साथ विशेषज्ञ समितियों से जांच कराके यह भी देखती है कि मानकों का पालन होता रहे और अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यताओं का पालन भी किया जाए। इन निरीक्षणों के आधार पर सीओए संस्थानों द्वारा मानकों का पूरी तरह अनुपालन न होने या उनमें ढील बरते जाने की शिकायत संबद्ध सरकारों को कर सकता है। केंद्र सरकार आगे समुचित जांच कराके और उपयुक्त सरकारों की राय को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्ट की योग्यता को अमान्य घोषित करने का फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार किसी आर्किटेक्टचरल योग्यता को अधिनियम के तहत मान्य अधिसूचित करने से पहले सीओए की सिफारिशों पर विचार करेगी। सीओए में पंजीकृत आर्किटेक्टों की कुल संख्या लगभग 87,309 है।

3. अधिनियम और उसके तहत बने विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से परिषद् ने नीचे बताई विधायी समितियां गठित की हैं:

(i) कार्यकारी समिति अधिनियम के अनुच्छेद 10 के तहत गठित की जाती है जो परिषद् की कार्यकारिणी समिति का दायित्व संभालती है।

(ii) अनुशासन समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा बनाए आर्किटेक्चर परिषद् के नियमों के अंतर्गत किया जाता है। यह समिति आर्किटेक्ट्स के व्यावसायिक कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच करती है और दोषी आर्किटेक्टस पर कार्रवाई करने के लिए परिषद् को सुझाव देती है ताकि परिषद् फैसला कर सके।

(iii) परामर्श सीमिति (अपील) उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण संबंधी आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।

(iv) विदेशी योग्यता संबंधी उपसमिति विदेशी योग्यताओं को केंद्र सरकार की मान्यता हेतु दिए संदर्भों की जांच पुष्टि करती है।

(v) संवीक्षा समिति बीआर्क पाठ्यक्रम शुरू करने वाले नए संस्थानों से प्राप्त नए दाखिलों की सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा/जांच करती है।

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली

दिल्ली का स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का संस्थान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था

के विकास के लिए प्लानिंग (नियोजन), आर्किटेक्चर (वास्तुकला) और डिजाइन से जुडे आधुनिकतम समाधान उपलब्ध कराता है। सरकार ने एसपीए के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मान्यता देते हुए संसद द्वारा पारित एसपीए अधिनियम, 2014 के अंतर्गत इसे "राष्ट्रीय महत्व संस्थान" का दर्जा प्रदान किया। इसका मुख्य उद्देश्य इस स्कूल को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने और आर्किटेक्चर, प्लानिंग एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े शोध और नवाचार कार्य संपन्न करे।

स्कूल दो अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाता है, ये हैं : बैचेलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचेलर ऑफ प्लानिंग। साथ ही, सकूल में प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन के दस पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ये पीजी कार्यक्रम हैं – आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, हाउसिंग, अर्बन डिजाइन, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर और बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। 1985 के बाद ये स्कूल के सभी अध्ययन विभाग डॉक्टरल कार्यक्रम भी ऑफर कर रहे हैं। शिक्षा सत्र 2017–18 के लिए स्कूल ने 109 छात्र बैचेलर ऑफ आर्किटेक्चर, 28 छात्र बैचेलर ऑफ प्लानिंग और 223 छात्र विभिन्न पीजी कार्यक्रमों में भर्ती किए। विविध विषयों के अध्ययन के लिए कुल 60 डॉक्टरल स्कॉलर कार्यरत हैं।

स्कूल में अध्ययन के अतिरिक्त एप्लाइड रिसर्च दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। बीते वर्षों की भांति ही 2017–18 में भी नॉर्वे रिसर्च कौंसिल द्वारा प्रायोजित डिजाइन नवाचार केंद्र–क्लाइमैटरन्स और ब्रिटेन की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी द्वारा प्रायोजित रिसर्च ट्रस्ट प्रोजेक्ट (आरआईसीएस) जैसी जानी–मानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रायोजित किए। स्कूल का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है व्यावसायिक परामर्श (प्रोफेशनल कंसलटेंसी)। स्कूल केन्द्र और राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर आधुनिकतम परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है और दो सेवाएं निजी क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2017–18 में एसपीए को रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, हैरिटेज इंपेक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन ऑफ हर्बल गार्डन्स जैसे राष्ट्रीय निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े अनेक कंसलटेंसी प्रोजेक्ट प्राप्त हुए। वर्ष 2017–18 में स्कूल को परामर्श शुल्क के रूप में कुल 33,035,502.00 रुपये प्राप्त हुए।

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा (एसपीएवी) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियोजन और वास्तुशास्त्र के क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 जुलाई, 2008 को स्वायत्त संस्थान के रूप में गठित किया गया था। इस स्कूल को एसपीए अधिनियम, 2014 के अंतर्गत "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया है।

एसपीए, विजयवाड़ा का अकादमिक फोकस और अप्रोच है विशेष उद्देश्य हेतु डिजाइन, सृजनशीलता और उद्देश्यपरकता का अनूठा समावेश उपलब्ध कराना। छात्र आवश्यक कुशलता तो प्राप्त करते ही हैं, उन्हें स्टुडियोज, फील्ड ट्रिप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विचारोत्तेजक और बौद्धिक प्रेरणा देने वाले सत्रों से भी लाभान्वित होते हैं जिससे उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होता है।

यह संस्थान ज्ञान–निकाय की प्रगति के लिए स्वतंत्र और वैज्ञानिक योगदान के दृष्टिकोण से शोधकार्य को बढ़ावा देता है। एसपीए विजयवाड़ा नियोजन और वास्तुशास्त्र के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल पाठ्यक्रम चलाता है। इस समय यह स्कूल दो विभाग चला रहा है – वास्तुशास्त्र विभाग और नियोजन विभाग। इस स्कूल में दो यूजी कार्यक्रम, तीन पीजी कार्यक्रम और डॉक्टरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शिक्षण वर्ष 2008–09 में इन दोनों विभागों में एक–एक यूजी कार्यक्रम शुरू किया गया था।

शिक्षण सत्र 2013–14 और 2014–15 में स्कूल ने नीचे लिखे तीन पीजी पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

(i) मास्टर ऑफ प्लानिंग (एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट)

(ii) मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एंड प्लानिंग) और

(iii) मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (सस्टेनेबल आर्किटेक्चर)

एसपीए, विजयवाड़ा का संकाय अपने सतत् प्रयासों से शैक्षिक कार्यक्रमों को और सशक्त (प्रभावी) बनाने में योगदान करता है। स्कूल के संकाय में प्लानिंग, आर्किटेक्चर और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के जाने माने और उत्साही शिक्षकगण शामिल हैं। संकाय के सदस्य शिक्षण, शोध विकास गतिविधियों में लगातार सहयोग कर रहे हैं। शिक्षण सत्र 2017–18 के दौरान स्कूल में 99 छात्र विभिन्न बैचेलर पाठ्यक्रमों में और 54 छात्र विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया।

एसपीए, विजयवाड़ा ने अध्यापन और शिक्षण की प्रगति में सहयोग के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोगशालाएं और सहायक सुविधांए स्थापित की हैं। साथ ही, ऑटो–कैड लैब, मैटिरियल म्यूजियम, ए–व्यू रूम, कंस्ट्रक्शन यार्ड और आर्ट लैब जैसी मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ कंप्यूटर सेंटर, मैटिरियल टैस्टिंग लैब, क्लाइमेटोलॉजी–कम–एनवायरनमेंट लैब, सैंट्रल लैब, जीआईएस लैब जैसी सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं।

एसपीए, विजयवाड़ा इस समय एमएचआरडी के फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत चिन्हित 05 गांवों के समूह के विकास पर काम कर रहा है।

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल

एसपीए, भोपाल की स्थापना भारत सरकार ने 2008 में की थी। एसपीए अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित इस स्कूल को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया है। और इसने भौरी, भोपाल में स्थित अपने नए स्थायी परिसर में शिक्षण गतिविधियां शुरू कर दी हैं। स्कूल भौतिक और सामाजिक आर्थिक विकास के वैश्विक मानक प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ वास्तुकार और योजनाकार तैयार करने की चुनौती का सामना करने की ठान चुका है। एसपीए भोपाल 2008–09 के बाद से आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के क्षेत्र में यूजीस्तर के बैचेलर पाठ्यक्रम और 2010–11 से अर्बन डिजाइन में एमआर्क और अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में एमप्लान तथा आर्किटेक्चर और प्लानिंग में डॉक्टरल (पीएचडी) कार्यक्रम चला रहा है। 2013–14 से एसपीए भागपाल तीन और मास्टर्स पाठ्यक्रम–मास्टर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (कंजरवेशन) और मास्टर ऑफ प्लानिंग (एनवायरनमेंटल प्लानिंग) भी चला रहा है। 2017–18 के शिक्षा सत्र में स्कूल ने 94 छात्र विभिन्न बैचेलर कार्यक्रमों में और 90 छात्र विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में भर्ती किए हैं।

एसपीए भोपाल पिछले पांच वर्ष से रिसर्च और कंसल्टेंसी सेवाओं का शिक्षण उपलब्ध करा रहा है। सस्टेनेबल प्लानिंग, ट्रैडिशनल नॉलेज ऑफ सिस्टम्स और यूनीवर्सल डिजाइन इस संस्थान के प्रमुख शोध पहलों में शामिल हैं। 18 से 25 मई, 2017 की अवधि में रैम्ड अर्थवॉल, जैक आर्क एंड टैरेकोटा ट्यूब वॉल्ट (गुना टाइल्स) पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। 30–31 अक्टूबर, 2017 के दौरान "रेजिलिएंट सिटीज–ए लैंडस्केप अप्रोच" पर कार्यशाला भी आयोजित हुई। स्कूल ने अपनी स्थापना के बाद से 2017–18 तक 767 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की हैं।

******

अध्याय 17

आईसीसी और यूनेस्को

अध्याय 17

आईसीसी और यूनेस्को

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग (आईएनसीसीयू) शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में पांच उप–आयोग से मिलकर बना है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके पदेन महासचिव हैं।

यूनेस्को/यूनेस्को में स्थायी भारतीय प्रतिनिधि मंडल संबंधी मुख्य गतिविधियां

1. **कार्यकारी बोर्ड – 201वां सत्र**

   यूनेस्को ईएक्सबी का 201वां सत्र 19 अप्रैल – 05 मई, 2017 तक मुख्यालय में हुआ। निम्नलिखित पैरा में सत्र के मुख्य अंश दिए गए है:

   1. **प्लेनरी में भारत की उद्घोषणा:**

      राष्ट्रीय उद्घोषणा यूनेस्को में भारत के पीआर द्वारा की गई थी चूंकि डॉ. करण सिंह, भारतीय प्रतिनिधि इस सत्र में उपस्थित नहीं हो सके थे।

   2. **शिक्षा: ओईआर पर संकल्प**

      भारत ने मुक्त शिक्षा संसाधन संकल्प को स्लोवेनिया सहित 19 अन्य देशों साथ सह–प्रायोजित किया। हमने यह दोहराते हुए मंच को संभाला कि हम सभी को समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में मुक्त शिक्षा संसाधनों की शक्ति से भलीभांति परिचित रहे हैं। हमने मुख्य रूप से इस बात को उजागर किया कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 1 से 12 कक्षा तक सभी पाठ्यपुस्तकों को डिजिटलीकृत कर दिया है और ये निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी की संघटक इकाई – केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने भी एक हजार से अधिक ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों को डिजिलीकृत किया है। सीआईईटी द्वारा तैयार किए गए सभी शैक्षिक एवी सामग्री मानव संसाधन विकास संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल – साक्षात पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक संसाधन रिपोजटरी (एनआरओईआर) में बहुत प्रकार के कंटेंट्स उपलब्ध है। भारत ने यह भी कहा कि यह पहल एक बहु–आयामी पहल के रूप में कार्य करेगी क्योंकि सभी राष्ट्र सभी को समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में किए जा रहे प्रयासों में राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव और उनकी डिलिवरी को बढ़ाने की सामूहिक इच्छा रखते है और सभी राष्ट्र इसमें विश्वास रखते हैं कि लोगो के जीवन में सुधार लाने और सुस्थिर विकास के लिए गुण्वत्तायुक्त शिक्षा उसकी नींव है। ओईआर को सहायता देने के साथ–साथ ऐसे परिवेश के निर्माण, जो मुक्त शिक्षा संसाधनों की भागीदारी को पोषित कर सके, का सभी ने समर्थन किया।

3. **संस्कृति**

(क) यूनेस्को की एक्शन फार द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एण्ड द प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्लूरलिजम इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट को लागू करने के लिए कार्यनीति। यूनेस्को की 38वीं महासभा ने एक्शन फार द प्रोटेकशन ऑफ कल्चर एण्ड द प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्लूरलिजम इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट कार्यनीति को अपनाया था, जिसने दो मुख्य उद्देश्यों के साथ संगठन के कार्य का पथ प्रदर्शित किया: एक तरफ झगड़ों के कारण सांस्कृतिक धरोहर और विभिन्नता के संरक्षण, उसको सुलझाने और उसको नुकसान से बचाने के लिए देशों के सदस्यों के सामर्थ्य को मजबूत किया और दूसरी तरफ सांस्कृतिक संरक्षण को मानवीय कार्य, सुरक्षा, कार्यनीति और शांति निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2347 (2017) का हाल ही में अपनाया जाना, इस दिशा में एक शुरूआत को दर्शाता है। असंभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनेस्को ने नया और अधिक प्रभावशाली दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को पहचाना, जिसका मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों – विशेषकर 1954 कंनवेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रोपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट और 1970 कंनवेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रीवेंटिंग द इलीसिट इम्पोर्ट, एक्पोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चरल प्रोपर्टी – के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा और उनके अनुप्रयोग क्षेत्र को बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में संगठन की महासभा द्वारा अपनाई गई कार्यनीति ने कार्यक्षेत्रों की प्रमुखता को परिभाषित किया गया है और उनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधनों की पहचान की गई है। कार्यनीतिक योजना में यह परिभाषित किया गया है कि संगठन कार्यनीतिक के समग्र कार्यढाचों में कौन सी विशेष गतिविधियों को अगले छः सालों के भीतर अपनाएगा और साथ ही लघु, मध्य और लंबी अवधि की प्रमुखताओं की पहचान करेगा।

(ख) मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम – सदस्य देश इस बात से सहमत थे कि ईएक्सबी में इस विषय पर चर्चा किया जाना एक जल्दबाजी थी चूंकि विशेषज्ञ परामर्श समिति ने न तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और न ही कोई सिफारिश की थी। इस बात पर सहमति बनी कि मामले को परामर्श समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उठाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया का कम्फर्ट विमेन नोमिनेशन एक विवाद का विषय रहा था और जापान द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया।

4. **वित्तीय: 2018–21 के लिए बजट और कार्यक्रम**

2018–21 की अवधि के लिए कार्यक्रम और बजट पर गहन चर्चा की गई। सदस्य देशों ने इस बात की प्रशंसा की कि नया बजट अफ्रीका संघ के एजेंडा 2030, एजेंडा 2063 के अनुसार था, जिसमें छोटे राज्यों, दक्षिण–दक्षिण सहयोग और उत्तर–दक्षिण–दक्षिण सहयोग के बेहतरीन परिणामों को प्राथमिकता दी गई थी और यूनेस्को के क्षमता क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाए जाने पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया था।

ईएक्सबी पर हुई गहन चर्चा के दौरान किए गए मुख्य अंतक्षेपों का सारांश नीचे दिया गया है:

(क) पहली बार, यूनेस्को में सी/5 की उपस्थिति थी जो अतिरिक्त – बजटीय और नियमित कार्यक्रमों को कवर करता है। एकीकृत बजट, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और संसाधनों का पता लगाने के लिए स्वामित्व और उत्तरदायित्व को मजबूत करने का एक रास्ता है।

(ख) कुछ सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि संगठन के सामने सचिवालय को सदैव बढ़ती मांगों के आलोक में नियमित बजट के तहत पर्याप्त और सुस्थिर स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है।

(ग) इस परियोजना के लिए नवंबर, 2017 में यूनेस्को महासभा को विभिन्न संसाधनों द्वारा नियमित बजट को अनुमति प्रदान करने के लिए वित्तीय विनियम के अनुच्छेद 5.1 के निलंबन को अनुमोदित करना होगा।

(घ) बाह्य लेखापरीक्षक द्वारा चार लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो यूनेस्को के अम्मान, बैंकॉक, इराक स्थित कार्यालयों और बजट कमी के कारण सुधार कार्यान्वयन पर आधारित थी।

(ड.) सदस्यों ने पिछले दो वर्षों की तुलना में अतिरिक्त समायोजन (4 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी पर संतोष व्यक्त किया और उन सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने स्वैच्छिक अंशदान से सहायता को जारी रखा है।

(च) सदस्य देशों ने सभी बकाया अंशदान इकठ्ठा करने के लिए सचिवालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मूल्यांकित अंशदान का भुगतान न किया जाना वित्तीय विनियमन (अनुच्छेद 5.5) और यूनेस्को संविधान का गंभीर उल्लंघन है तथा उन्होंने अपील की कि सभी सदस्य देशों से बकाया इकठ्ठा किए जाने पर जोर दिया जाए।

(छ) आकस्मिकता योजना को लागू करने की संभावना के कारण प्राथमिकता पर गहन विचार–विमर्श किया गया। संघटक के स्थायी कार्यों के प्रभाव और पोस्ट 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की गई।

II. 12–15 जून, 2017 को कंवेंक्शन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डायवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन पर पक्षकारों का छठा सम्मेलन

कंवेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एं प्रमोशन ऑफ द डायवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन पर पक्षकारों का छठा सम्मेलन पर 12–15 जून, 2017 को हुई। बैठक के ओपनिंग प्लेनरी सत्र में सुश्री सोनल मानसिंह द्वारा भारत की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई।

III. योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस

यूनेस्को में 19 जून से 25 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2017 मनाया गया। पीडीआई ने द्विआयामी कार्यनीति अपनाई। पहली, यूनेस्को के सहयोग से सामाजिक मीडिया अभियान, योग पर ट्विट्स, जिन्हें यूनेस्को द्वारा ट्विटर हैंडल@ unesco पर तीन यूएन भाषाओं में मुख्य रूप से दर्शाया गया। मिशन ने तीसरे योग दिवस को मनाने के लिए योग का तीन पीढियों से अभ्यास कर रहे फ्रांस परिवार के वीडियो बनाए और उन्हें साझा किए। इसने अयंगर योग स्कूल के योगाचार्य श्री फैक बीरिया के संदेश को रिकॉर्ड किया और साझा किया। पीटीआई के ट्विटर हैंडल @indiaatunesco ने इस अभियान में और योगदान दिया। 25 जून को पीडीआई, यूनेस्को ने रामकृष्ण मिशन, ग्रेट्स के साथ मिलकर योगः विज्ञान, दर्शन या कला पर परिचर्चा, परिसंवाद का आयोजन किया। इसमें ग्रेट्ज के मेयर सहित काफी लोग उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि दर्शकों ने पुरातन भारतीय धरोहर की प्रशंसा की जिसे आमतौर पर पश्चिमी दृष्टिकोण से एक शारीरिक व्यायाम या विशुद्ध ध्यान और प्रायः धर्म माना जाता था। इस अवसर पर यूनेस्को में भारत के पीआर द्वारा एक सम्भाषण दिया गया।

IV. पीडीआई पैरिस द्वारा 22 जून, 2017 को पुस्तक विमोचन

यूनेस्को में भारतीय स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने वसुंधरा कवाली–फिलियोजेट द्वारा लिखित

"स्पलेंडर ऑफ इंडियन आइकॉनोग्राफी" नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक कर्नाटक के भव्य पट्टाडाकल मंदिरों, जिन्हें 1987 में विश्व धरोहर सूची में प्रदर्शित किया गया था, की आइकॉनोग्राफी को समझने में पथ–प्रदर्शिका का काम करती है। लेखिका एक कला इतिहासकार और पुरालेखवेता हैं। वे अपने में देश का पुरातत्व और साहित्यिक विरासत का विस्तार करने और फ्रांस में सामान्य तौर पर भारतीय संस्कृति और विशेषरूप से कर्नाटक संस्कृति की प्रसंशा करने के लिए इन देशों में बारी–बारी से कार्य करती हैं। श्रीमती फिलोजेट को उनके प्रयासों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनको 26 पुस्तकों और कन्नड, अंग्रेजी तथा फ्रैंच भाषा में बहुत से लेख लिखने का श्रेय प्राप्त है।

V. जलवायु परिवर्तन के नैतिक सिद्धांतों की तैयारी 26–30 जून, 2017

यूनेस्को की आम सभा के 38वें सत्र (नवंबर, 2015) जलवायु परिवर्तन से संबंधित नैतिक सिद्धांतों की अबाध्यकारी घोषणा के प्रारंभिक पाठ तैयार करने के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक (38सी/संकल्प 42) बुलाई गई। कार्यक्रम में पीडीआई ने भागीदारी की।

इस नई यूनेस्को की घोषणा को तैयार किए जाने का प्रयोजन मानव और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट की चेतावनी से निपटने के लिए मनोबल को बढ़ाने का था। यह अन्य कार्यों के पूरक का भी काम कर सकता था विशेषकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता कार्यढ़ाचा (यूएनएफसीसीसी) के तहत पेरिस समझौता (2015) का अनुसरण करते हुए। इसके आलोक में, एक नई उद्घोषणा बनाने का कार्य शुरू किया गया और इस पर मार्केश मोरोक्को में नवंबर, 2016 को हुए यूएनएफसीसीसी पक्षकारों के 22वां सम्मेलन की तर्ज पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों की अंतर सरकारी बैठक में जलवायु परिवर्तन के नैतिक सिद्धांतो की मसौदा उद्घोषणा को अंतिम रूप दिया गया ताकि यूनेस्को की 39वीं आम सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

VI. कराकोव पौलेंड डब्ल्यूएचसी 5–9 जुलाई, 2017 के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज के तहत अहमदाबाद का नामांकन

कराकोव, पोलैंड में वर्ल्ड हेरीटेज कमेटी की बैठक के 41वें सत्र के दौरान ऐतिहासिक प्राचीन शहर अहमदाबाद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज साइट की सूची में अंकित किया गया। अहमदाबाद शहर 15वीं शताब्दी में सुलतान अहमदशाह द्वारा साबरमती के पूर्वी तट पर बसाया गया। प्राचीन शहर अहमदाबाद, सलतनत काल की समृद्ध पुरालेखीय धरोहर को प्रस्तुत करता है, जिसमें विशेषकर भादरा किला, किलों के शहर की प्राचीर और दरवाजे तथा बहुत से मस्जिद तथा गुम्बज के साथ–साथ उत्तरकालीन हिन्दू तथा जैन मंदिर शामिल हैं। शहरी संरचना, दरवाजों वाली पारम्परिक गलियों (पुराज) में गहन पारम्परिक घरों (पोल्स) से तैयार की गई है जिनमें पक्षियों का दाना डालने के चबूतरे, सार्वजनिक कुंए और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। यह शहर 6 सदियों से अब तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में फलता–फूलता रहा है।

VII. डीजी, यूनेस्को सुश्री आईरिना बोकोवा का 30–31 अगस्त और 01 सितंबर, 2017 का दौरा

डीजी, यूनेस्को सुश्री आईरिना बोकोवा ने 30 अगस्त से 02 सितंबर, 2017 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री सहित बहुत से उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। वे यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि डॉ. करण सिंह से भी मिलीं। यूनेस्को में भारत की भागीदारी और उसको सुदृढ़ करने का विषय चर्चा का केंद्र बना रहा। उन्होंने एमजीआईईपी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। सुश्री बोकोवा ने गुजरात की यात्रा की और वैश्विक धरोहर स्थल रानी की वाव का दौरा किया।

VIII. **25–26 सितंबर, 2017 में हुई खेलकूद प्रतियोगिता में डोपिंग के मामलों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार समझौता सम्मेलन**

खेलकूद में डोपिंग पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में 25–26 सितंबर, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। श्री नवीन अग्रवाल, महानिदेशक, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने कार्यक्रम में भागीदारी की। जिस मुख्य मुद्दे पर चर्चा हुई उनमें अन्यों के साथ–साथ खेलकूद में एकता और खेलकूद के माध्यम से शिक्षा मूल्यों, प्रत्येक दो वर्षों में राज्य पार्टियों द्वारा उठाए गए कदमों संबंधी रिपोर्ट, एंटी डोपिंग प्रणाली से छेड़छाड़ न किए जाने और यूनेस्को सम्मेलन प्रबंधन और उसके उपयोग में सुधार पर चर्चा की गई।

IX. **नोबेल पुरस्कार विजेता सुश्री तवाकुल करमान द्वारा अहिंसा पर व्याख्यान**

नई दिल्ली, भारत में स्थित महात्मा गांधी शांति शिक्षा और सुस्थिर विकास संस्थान (एमजीआईईपी) यूनेस्को का श्रेणी 1 का अनुसंधान संस्थान है और भारत सरकार की सहायता से स्थापित यह एशिया पैसिफिक में एकमात्र अनुसंधान संस्थान है।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की याद में यूनेस्को एमजीआईईपी विशेष व्याख्यान में से एक अहिंसा व्याख्यान श्रृंखला, नोबेल पुरस्कार विजेता सुश्री तवाकुल करमान द्वारा अहिंसा पर व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्छी में अहिंसा अर्थात अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर बल देना है। पहला अहिंसा व्याख्यान 2016 में यूनेस्को एमजीआईईपी और यूनेस्को में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इस वर्ष दूसरा अहिंसा व्याख्यान "वर्किंग टूवाड्स बिल्डिंग पीस" विषय पर यमन की सुश्री तवाकुल करमान (2011 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया। पीडीआई, पेरिस ने 2 अक्टूबर, 2017 को एमजीईआईपी के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम में भारी उपस्थिति थी और प्रतिभागियों ने सभापति से प्रश्न पूछे जिनका बड़े ही अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया गया।

X. **राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा ने 09 अक्टूबर, 2017 को डीजी यूनेस्को को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया**

श्री विनय मोहन क्वात्रा, राजदूत/यूनेस्को के भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूनेस्को की महानिदेशक मदाम आईरिना बोकोवा को 09 अक्टूबर, 2017 को सांय 4:45 को महानिदेशक के कार्यालय में एक समारोह के दौरान अपना जीवनवृत्त प्रस्तुत किया।

XI. **कार्यकारी बोर्ड का 202वां सत्र**

यूनेस्को मुख्यालय में 4–18 अक्टूबर, 2017 को कार्यकारी बोर्ड का 202वां सत्र आयोजित किया गया। भारत के परिपेक्ष्य में सत्र की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

i) यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि डॉ. करण सिंह कार्यकारी बोर्ड के प्लेनरी सत्र में उपस्थित रहे। उन्होंने सत्र में अपना संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत किया।

ii) आम सभा के 39वें सत्र के लिए 01 उम्मीदवार को नामांकित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड में डीजी यूनेस्को का चुनाव आयोजित किया गया। शुरू में 7 प्रतिनिधि थे जो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रक्रिया में 05 स्तर होते हैं जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को कार्यकारी बोर्ड के 58 सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। पूर्ण बहुमत, जो सभी चरणों में 30 वोट प्राप्त करने पर प्राप्त होता है, न मिलने पर केवल शीर्ष के 02 उम्मीदवार अंतिम चरण में पहुंचते हैं। चुनाव के दौरान दूसरे स्थान के लिए उम्मीदवार बराबरी पर थे। अतः एक और चरण का आयोजन किया गया जोकि निष्कासन चरण था।

मिस्र और फ्रांस के उम्मीदवार निष्कासन चरण में रहे और कतर के उम्मीदवार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ परंतु उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। निष्कासन चरण में फ्रांस के उम्मीदवार को जीत प्राप्त हुई और वह कतर के उम्मीदवार के साथ अंतिम चरण में पहुंचा। अंत में सुश्री ऑडरे अजौले, फ्रांस उम्मीदवार को कतर के विरूद्ध अंतिम चरण में जीत प्राप्त हुई और उन्हें महानिदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में आम सभा को अनुसंशित किया गया।

iii) भारतीय दृष्टिकोण से उसके हित वाले मुद्दों पर की गई चर्चा निम्नानुसार है:

क) आटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रेमिया की स्थिति पर अनुवर्ती कार्रवाई का पैरा 5(i) एल

यूक्रेन ने यूनेस्को के सभी उत्तरदायी क्षेत्रों में मानवीय अधिकारों को बहुत हद तक कम किए जाने संबंधी मुद्दों को उठाया जिसमें अभिव्यक्ति, विचार और धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ का अधिकार, मीडिया और सूचनाओं तक पहुंच तथा एक मूल भाषा में शिक्षा का अधिकार शामिल है। यूक्रेन आशा करता है कि दस्तावेजों में बताई गई समस्याओं का सचिवालय की निगरानी गतिविधियों द्वारा विधिवत समाधान किया गया है। यूक्रेन इस मामले पर कोई विस्तृत मसौदा तैयार नहीं करना चाहता क्योंकि उसे उम्मीद है कि सभी देशों से और रचनात्मक कार्य प्राप्त होंगे। भारत में पूर्व चार अवसरों पर ''अगेंस्ट'' मत किया है। हालांकि इस सत्र में मामले को किसी मतदान के लिए नहीं रखा गया।

ख. अधिकृत फिलिस्तीन और जीसी 38 के संकल्प 72 का कार्यान्वयन तथा अधिकृत अरब सीमा में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं संबंधी सत्र 201 का कार्यकारी निर्णय 31 – पैरा 38 और 39.

यूनेस्को ने गाजा में उच्चतर शिक्षा में अपने प्रयासों की सहायता, गाजा में सांस्कृतिक धरोहर को अद्यतन करने के लिए निधि जुटाने के प्रयास किए हैं और महानिदेशक को कार्यकारी बोर्ड के 204वें सत्र में स्थिति पर अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। भारत ने 2015 तक फिलिस्तीन को वोट किया था परंतु कार्यकारी बोर्ड के गत 02 सत्रों (200वां और 201वां) के दौरान भारत ने अपने को अलग रखा। फिलिस्तीन द्वारा मसौदा संकल्प तैयार नहीं किया गया है।

ग. मद 15: मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (एमओडब्ल्यू) कार्यक्रम की समीक्षा प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी समिति (आईएसी) द्वारा अंतिम रिपोर्ट

मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम पिछले 25 वर्ष से बिना किसी बाधा के चल रहा है। हाल ही में यह हुआ कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कुछ राजनीतिक विवाद दस्तावेजों अभिलेखों को लाने के कारण जापान, कोरिया और रूस जैसे देश को यह कार्यक्रम चलाने में समस्या आई। अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी समिति द्वारा संविधियों, नियमों और दिशा–निर्देशों के नए सेट्स तैयार किए गए जिनमें मौजूदा विकास

की दृष्टि से कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने की परिकल्पना की गई है। आईएसी की अंतिम रिपोर्ट को कार्यकारी बोर्ड द्वारा अपनाया जाना प्रस्तावित है।

घ. पैरा 10 जलवायु परिवर्तन के नैतिक सिद्धांतों की मसौदा उद्घोषणा को अंतिम रूप देने पर महानिदेशक की रिपोर्ट

ब्राजील प्रतिनिधिमंडल ने मसौदा पैरा प्रस्तुत किया जिसमें सीबीडीआर (कॉमन बट डिफ्रेनसिएटिड रिसपांसिबिलिटिज) को शामिल किया है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य की देखभाल करते है।

ड. पैरा 21 यूनेस्को के अभिशासन निकायों के अभिशासन, प्रक्रियाएं और कार्यक्रम प्रणालियां

कार्य समूह ने इस मामले पर 134 सिफारिशें कीं जिनमें से 04 को कोष्ठकों में रखा गया है जिन पर मतैक्य नहीं बन सका। मद संख्या 20 और 21 महानिदेशक के चुनाव की परिसीमा से तथा संख्या 52 और 53 महानिदेशक के चुनाव से संबंध रखती हैं। परिसीमा मद भारत को प्रभावित करती है जो 1946 से बोर्ड में रहा है परंतु तर्क यह है कि बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पैरा 52 और 53 आज के दिन सीधे भारतीय हितों को प्रभावित नहीं करता।

च. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफार्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओएस) की यूनेस्को की श्रेणी–2 संस्था के रूप में स्थापना

यूनेस्को की श्रेणी–2 संस्था के रूप में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफार्मेशन सर्विसेज की स्थापना का प्रस्ताव 21–29 जून, 2017 को पेरिस में यूनेस्को के इंटरगवर्नमेंटल ओसियनोग्राफिक कमीशन (आईओसी) सभा के 29वें सत्र में पारित किया गया। इसे आईओसी की 20 जून को हुई कार्यकारी परिषद के 50वें सत्र में आगे बढ़ाया गया।

केंद्र क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और सूचना आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा और यूनेस्को कार्यों की प्रभावशीलता तथा दूरदर्शिता को बढ़ाते हुए यूनेस्को और इसके इंटरगवर्नमेंटल ओसियनोग्राफी कमीशन (आईओसी) के लिए एक मूल्यवान संसाधन तैयार कर सकता है।

यूनेस्को श्रेणी–2 केंद्र की स्थापना से भारत को भारतीय महासागर में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने का अवसर प्राप्त होगा। इससे भारतीय सागर के तटीय दक्षिणी एशिया एवं देशों सहित भारतीय सागर के देशों के बीच सहयोग और संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केंद्र की स्थापना से तटीय धारीणता और समुद्री मुद्दों के समाधान करने और समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीकी और प्रबंधन क्षमता के निर्माण की बढ़ती विश्वव्यापी जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगा। केंद्र के उत्तरदायित्व वाले भौगोलिक क्षेत्रों में समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता निर्माण संबंधी धारणीय विकास लक्ष्य–14 (एसडीजी 14) को प्राप्त

करने में केंद्र योगदान देगा जिससे लघु द्वीप विकासशील देशों, कम विकासशील देशों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता भी पूरी होगी।

XII. **यूनेस्को की 39वीं आम सभा पर रिपोर्ट**

यूनेस्को की 39वीं आम सभा 30 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2017 तक हुई। सभा के मुख्य अंशों में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रकाश जावेड़कर का दौरा, यूनेस्को के नए डीजी सुश्री ओडरे ओजाले का चयन और शपथ ग्रहण समारोह और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का पुनःचयन शामिल है।

XIII. **एचआरएम का दौरा**

श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव (उच्चतर शिक्षा), श्री अनिल स्वरूप सचिव (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा), श्री सरवणा कुमार, संयुक्त सचिव (एचआरडी) और श्री विनय श्रीवास्तव, एचआरएम के निजी सचिव वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर, 2017 को पहुंचा और एचआरएम ने 2 नवंबर, 2017 को प्रस्थान किया।

एचआरएम ने लीडर फोरम में भाग लिया और जनरल पॉलिसी डिबेट में प्रतिभागिता की जहां उन्होंने यूनेस्को के साथ भारत के सहयोग और उसकी प्राथमिकताओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। सम्मेलन से अलग, एचआरएम ने जिम्बाव्वे, ट्यूनीशिया और नार्वे के शिक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन पाने हेतु सोलोमन द्वीप, मोरक्को, तजिकिस्तान के शिक्षा मंत्रियों के साथ संक्षिप्त बैठक की।

वे कार्यकारी बोर्ड के मौजूद महानिदेशक और नई चयनित महानिदेशक सुश्री ओडरे ओजले से भी मिले। उन्होंने गत दो वर्षों में भारत द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथान, ओपन इनोवेशन मेजर, उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर बल देने और अन्य पहलों पर की गई कार्रवाई और भविष्य में भारत कैसे यूनेस्को की सहायता कर सकता है, की रूपरेखा प्रस्तुत की।

एचआरएम ने पेरिस के अग्रणी समाचार पत्रों के साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित किया। उन्होंने इंटरनेशनल इकोनोमी के मुख्य सम्पादक श्री फैबरीस नोडीलैंगलोईस ऑफ ली फिगारो, श्री क्लेड लैबलेंस, लॉ ओपीनियन के वरिष्ठ जर्नलिस्ट और लिबरेशन की सुश्री लॉरेंस डीफरनोक्स से बातचीत की। एचआरएम ने शिक्षा क्षेत्र में भारत की नई पहलों और शिक्षा पर सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बात की।

एचआरएम ने इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग, जो यूनेस्को का श्रेणी एक संस्थान है, का दौरा किया। वे आईआईईपी की फेकल्टी और प्रशासनिक स्टाफ से मिले और उन्होंने अध्यापक प्रेरणा, जवाबदेही और पाठ्यचर्या विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने संस्थान के कार्यों और शिक्षा क्षेत्र में समकालीक मुद्दों का समाधान करने के लिए अनुसंधान नीति निर्णय तैयार करने में संस्थान की भूमिका में गहरी रूचि ली।

उनके सम्मान में एम्बेस्डर ने 01 नवंबर, 2017 को उनके निवास पर एक रिसेप्शन का आयोजन किया जिसमें 11 देशों जैसे चाड, चीन, बुरकीना फासो, इस्टोनिया, बुलगारिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इथोपिया, कुवैत, अर्जेन्टीना, हैती, लाव, म्यांमार और बरूंडी के शिष्टमंडल प्रमुखों ने भाग लिया।

महानिदेशक, यूनेस्को का चयन

यूनेस्को के 202वें कार्यकारी बोर्ड को यूनेस्को की 39वीं आम सभा में डीजी यूनेस्को पद के लिए एक उम्मीदवार को नामांकित किए जाने का कार्य सौंपा गया। चुनाव 06 निजी सत्र में 09–13 अक्टूबर, 2017 के बीच सपन्न हुए। बोर्ड ने सीक्रेट बैलेट से महासभा के अपने 39वें सत्र के माध्यम से यूनेस्को के महानिदेशक पद के लिए

सुश्री आडरे ओजोले को नामित किया। महासभा ने कार्यकारी बोर्ड के प्रस्ताव की निजी सत्र में पहले जांच की और उसके बाद सीक्रेट बैलेट की वोटिंग की गई।

बैलेट का परिणामः

- इस सत्र में वोट डालने के हकदार सदस्य देशों की संख्या – 184
- अनुपस्थित : 10
- अमान्य बुलेटिन : 24
- डाले गए वोटों की संख्या : 150
- चुनाव के लिए बहुमत हेतु वोटों की संख्या : 76
- कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा दिए गए वोटो की संख्या : 131
- इसके विरूद्ध पड़े वोट : 19

सुश्री ओजोले को अपेक्षित वोट प्राप्त हुए और यूनेस्को के डीजी के रूप में उनकी पुष्टि की गई और उन्होंने 15 नवंबर, 2017 से अपना कार्यभार संभाल लिया।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का पुनः चयन

भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में अपनी सदस्यता के लिए पुनः चयन बिड की। 08 नवंबर, 2017 को चुनाव हुए। भारत स्थित विदेश मिशन और विदेश स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल, यूनेस्को के 195 सदस्य देशों से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत के पुनः चयन बिड के लिए समर्थन जुटाने हेतु भरसक प्रयास किए गए। जिनमें से अंत में 184 देशों ने वोट डाले। जापान द्वारा प्राप्त 165 वोटों के बाद भारत 162 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। एएसपीएसी समूह जिससे भारत संबंध रखता है से चुने गए अन्य 04 देश बंगलादेश (144), चीन (155), इंडोनेशिया (104) और फिलिपिंस (157) थे।

शिक्षा आयोग

अरब अधिकृत क्षेत्र में शिक्षा और सांस्कृतिक मद एक विवादास्पद मामला बना रहा और इस पर रोलकॉल वोटिंग के बहुत से राउंड हुए तथा प्रस्तावित संकल्प को बिना किसी डिबेट के स्वीकार कर लिया गया। बहुत से सदस्यों ने प्रस्ताव किया कि भावी बैठकों में इसी प्रकार के विलंब से बचने के लिए सदस्य देशों को आम सभा के कार्यात्मक नियमों की पुनः जांच करनी चाहिए। बहुत से सदस्य देशों ने शिक्षा आयोग का राजनीतिकरण करने पर अपनी निराशा जाहिर की।

''अरब अधिकृत क्षेत्र में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित कार्यसूची मद पर वोटिंग के तीन राउंड हुए। भारत ने तीनों मुद्दों में मदतान नहीं किया। यहां यह भी नोट किया जाए कि इस मुद्दे पर पहली बार वोटिंग की गई और यूनेस्को की आम सभा में यह एक बहस का मुद्दा बना। पिछले अवसरों पर जब इस मद को इस पटल पर रखा गया इसे पूर्ण बहुमत से साथ पारित किया गया।

2019 की महासभा के 40वें सत्र के इस कार्यसूची मद को "स्थगित" करने के लिए इजराइल द्वारा वोट किए जाने का प्रस्ताव किया जिसे अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया। स्थगित करने का प्रस्ताव असफल हुआ। डाले गए वोट इस प्रकार थेः हां – 6, नहीं – 57, जिन्होंने मतदान नहीं किया – 58, अनुपस्थित – 62.

इजराइल द्वारा 'चर्चा के समापन' पर एक वोट प्रस्तावित किया गया जिसका समर्थन अमेरिका ने किया। उनका प्रस्ताव वास्तव में उलटा था – वे कार्यसूची मद पर चर्चा दोबारा शुरू करना चाहते थे। अधिकांश सदस्य देश दोबारा चर्चा शुरू नहीं करना चाहते थे। अतः प्रस्ताव असफल हुआ। डाले गए वोट थे – हां – 66, नहीं – 63, जिन्होंने मतदान नहीं किया – 49, अनुस्थित – 65।

इसके बाद इजराइल ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 91वें के तहत ''पैरा बाई पैरा'' वोट करने के लिए मसौदा निर्णय तैयार करने की मांग की। होंडुरास ने इसका समर्थन किया। अन्य सदस्य देशों के बहुत से प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव के विरोध में बयान दिया। इस अनुउपयोगी गतिविधि से सदस्य देशों को अलग रखने और शिक्षा आयोग के पूरे समय को एक मुद्दे

के लिए हाइजैक करने के समर्थन में यमन ने नियम 114, जिसमें किसी भी नियम को उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत और वोटिंग के द्वारा किसी नियम को निरस्त करने का प्रावधान है, के अनुसार प्रत्येक पैराग्राफ पर वोट करने के लिए नियम 91 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया। दक्षिण अफ्रीका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वोटो की गिनती निम्नानुसार थीः हां – 75, नहीं – 01, जिन्होंने वोट नहीं किया – 54, अनुपस्थित – 53, दो–तिहाई बहुमत के लिए 51 वोट जरूरी थे इसलिए नियम 91 को निरस्त कर दिया गया।

नियम 91 के निरस्त किए जाने के पश्चात, इजराइल ने अनुरोध किया कि नियम 74 के अनुसार अपराह्न सत्र तक इस मद को स्थगित कर दिया जाए। यदि जरूरी हो तो इसके लिए वोटिंग की जा सकती है क्योंकि उसे अपने नए विकास के बारे में रिपोर्ट करनी है और अपनी राजधानी से कुछ अनुदेश प्राप्त करने है। इस अनुरोध का बड़ा विरोध किया गया और आयोग के अध्यक्ष ने दस मिनट के लिए बैठक को स्थगित कर दिया ताकि सदस्य देश आगे कोई रास्ता निकाल सकें।

चर्चा के बाद अध्यक्ष ने घोषणा की कि संबंधित पक्षों के बीच निम्नलिखित को अपनाने के लिए सहमति बनी थीः

i. आम सहमति के साथ इस निर्णय को अपनाना
ii. सीएलटी आयोग से इस मद को वापस लेना
iii. सहमति के साथ जेरूसेलम संबंधित मद 4.2 और सीएलटी में 38/सी संकल्प 52 के कार्यान्वयन को अपनाना

यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा उपयुक्त 03 प्रस्ताव पर की गई वोटिंग की स्थिति का विस्तृत विवरण तालिका में सूचनार्थ दिया गया है।

संस्कृति आयोग

इच्छुक सदस्य देशों के बीच किए गए करार के अनुसार 'शैक्षिक एवं संस्कृति संस्थाए' से संबंधित कार्यसूची मद।

संचार एवं सूचना आयोग

पत्रकारों की सुरक्षा तथा दंडमुक्ति मामलों पर यूएन कार्य योजना के कार्यान्वयन में यूनेस्को नेतृत्व के सुदृढ़ीकरण से संबंधित मद 4.20 पर इस आयोग में सबसे गहन चर्चा हुई। एडीजी/सीआई ने इस मद की प्रस्तावना में पत्रकारों की सुरक्षा पर बहु–हितधार परामर्श के बारे में कहा जिसमें ऑनलाइन परामर्श और जून, 2017 में जेनेवा में आमने–सामने की बैठक शामिल थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किए गए परामर्श के निष्कर्ष दस्तावेज ने कार्य के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है। एडीजी/सीआई ने 'थ्री पी' दृष्टिकोण अर्थात पत्रकारों पर हमलों को रोकना, उनकी सुरक्षा और हमने के विरूद्ध कार्यवाही पर यूनेस्को के दृष्टिकोण को उजागर किया।

'पत्रकार' की परिभाषा पर क्यूबा, ईरान इस्लाम गणराज्य, रूस संघ और जिम्बाव्वे ने प्रश्न उठाया। तथापि, अधिकांश ने मसौदा संकल्प में प्रयुक्त भाषा को पूर्व यूनेस्को निर्णय के अनुरूप रखे जाने पर बहस की। सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार महानिदेशक के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि निष्कर्ष दस्तावेज कोई नई कार्य योजना नहीं है बल्कि उन कार्यकर्ताओं, जो यूएन योजनाओं को लागू करने के इच्छुक है, के लिए विकल्पों के सुझाव तैयार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा – पत्रकारों, चाहे वो 'अच्छे' या 'बुरे' पत्रकार है पर ध्यान दिए बिना, सभी पत्रकारों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और यह भी कि पत्रकारों के विरूद्ध अपराध जांच को बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरा किया जाना चाहिए। एडीजी/सीआई ने सूचित किया कि मसौदा संकल्प में प्रयुक्त की गई परिभाषा बसंत ऋतु के सत्र 2017 में अपनाए गए निर्णय 5.1.1 सहित कार्यकारी बोर्ड के विगत निर्णय के अनुरूप है। जैसा कि आयोग द्वारा शाम 6.00 बजे तक के निर्धारित समय के मसौदा संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी, सत्र को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच रूस संघ और स्वीडन का एक अनौपचारिक समूह भाषा पर सहमति बनाने के लिए इकठ्ठा हुआ।

''पत्रकार'' की परिभाषा के संबंध में रूस संघ और ईरान इस्लामिक गणराज्य ने निम्नलिखित टिप्पणी की: रूस संघ ''पत्रकार'' के संदर्भ में की गई विस्तृत व्याख्या, जो पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति मामलों को सुनिश्चित करने के लिए यूएन कार्य योजना के कार्यान्वयन में यूनेस्को की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए कार्यसूची मद के तहत आम सभा के 39वें सत्र में लिए गए निर्णय में प्रयुक्त की गई है, को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा की तथाकथित 'सोशल मीडिया प्रोड्यूसर' असली पत्रकारों के दर्जे के बराबर नहीं हो सकते। जब पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति मामले को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेते समय और उसे कार्यान्वित करते समय, यूनेस्को को "जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर एंड एसोसिएडिड पर्सन" शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि आम सभा आयोग द्वारा यथासंशोधित संकल्प को अंगीकृत करती है।

सामाजिक एवं मानव विज्ञान आयोग

भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने "कॉरपोरेशन ऑफ यूनेस्को विद द इंटरनेशनल टाउनशिप ऑफ ओरोविल, इंडिया" नामक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ओरोविल स्थापना के लघु इतिहास और जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी उसके सिद्धांतों की महता को बताने के लिए मंच पर आया। इसने ओरोविल स्थापना की फरवरी, 2018 में 50वीं वर्षगाठ मनाने के लिए की जा रही यादगार गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। महानिदेशक के प्रतिनिधि मंच पर आए और उन्होंने यूनेस्को और ओरोविल के बीच सहयोग के एक लंबे इतिहास को याद किया। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों के लिए यूनेस्को द्वारा अपेक्षित अलग बजटीय सहयोग के बारे में बताया। इस मत को बिना किसी संशोधन के पूर्ण सहमति के साथ मान लिया गया।

विज्ञान आयोग

विज्ञान आयोग की मद 4.4 यूनेस्को के तहत श्रेणी–2 के संस्थान और केंद्रों की स्थापना के संबंध में था। इसमें भारत में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफोरमेंशन सर्विस (आईएनसीओआईएस) में इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन ओपरेशन ओसिनोग्राफी की स्थापना के लिए प्रस्ताव निहित था जिसे आयोग द्वारा बिना किसी विवाद के पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया था। श्रेणी–2 के केंद्र के रूप में इसकी शुरूआत करने के लिए यूनेस्को और आईएनसीओआईएस के बीच औपचारिक हस्ताक्षर आयोजन किया जाएगा।

एपीएक्स आयोग

क. यूनेस्को में ईएक्सबी की सदस्यता के लिए कार्यकाल सीमा

2015 की 38वीं यूनेस्को आमसभा में यूनेस्को की कार्यप्रणाली और अभिशासन के लिए तदर्थ कार्य समूह का गठन किया गया था जिसका अधिदेश दो वर्ष अर्थात 2015–17 के लिए था। कार्य समूह की रिपोर्ट को यूनेस्को की 39वीं आम सभा में प्रस्तुत किया जाना था। इस कार्य समूह की स्थापना का प्रयोजन यूनेस्को के शासी निकास की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया पर चर्चा करना और उन चीजों को बदलने का प्रस्ताव है जिन्हें आवश्यक समझा जाए। अधिदेश के अंत में कार्य समूह कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता के कार्यकाल की सीमा पर कोई राय नहीं बना पाया।

कार्यकारी बोर्ड में सदस्यता की कार्यकाल सीमा के प्रतिबंधन संबंधी मुद्दा एक विभाजनकारी मुद्दा है जिसके कारण ईपीएक्स कार्य में एक लंबी बहस हुई। सदस्य देश द्वारा बयान के अनुसार ऐसे 18 सदस्य देश है जिन्होंने कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता नहीं छोड़ी, हालांकि, इनकी संख्या 13 के आसपास हो सकती है। भारत, चीन, रूस और फ्रांस के साथ–साथ एक ऐसा देश है जो हमेशा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बना रहा है। जो देश कार्यकाल सीमा के प्रतिबंधन के प्रस्ताव को समर्थन दे रहे है उन्हें इस व्यवस्था को छोटे देशों के लिए समान अवसर प्रदान करने की एक आवश्यक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए।

सहमति न बनने पर, कार्यकाल सीमा संबंधी सिफारिश को अपनाने के लिए मतदान किया गया जिसे छोटे देशों का अच्छा–खासा बहुमत प्राप्त हुआ। मतदान गिनती:

पक्ष में 103, विपक्ष में 12, जिन्होंने मतदान नहीं किया 11।

सदस्यता अवधि को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने और दो पुनः चुनाव के बीच की अवधि जैसे तकनीकी मामलों पर कार्यान्वयन और अनुमोदन के लिए गठित किए गए कार्य समूह द्वारा विचार विमर्श किया गया और 39वीं आम सभा के दौरान इसे अपना लिया गया। इसे 2017–19 अवधि के लिए सुनिश्चित किया गया है और यह यूनेस्को की आम सभा के 40वें सत्र में 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह नया कार्य समूह आम सभा में डीजी पद के लिए केवल एक नामांकन किए जाने की परिपाटी की जगह ईएक्सबी द्वारा 2–3 उम्मीदवारों के नामांकन के संबंध में प्रस्ताव पर विस्तार से विचार भी करेगा। इस प्रस्ताव को छोटे देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है जो यह विश्वास रखते है कि चूंकि डीजी का चुनाव ईएक्सबी सदस्यों द्वारा किया जाता है, अतः डीजी यूनेस्को की सम्पूर्ण सदस्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

ख. यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड से अमेरिका के हटने के प्रभाव

अक्टूबर 12, 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को सदस्य के रूप में अपनी औपचारिक त्याग–पत्र योजना प्रस्तुत की। लागू प्रक्रिया नियमावली के अनुसार त्याग–पत्र आने वाले वर्ष के 31 दिसंबर को प्रभावी होगा, इस मामले में 31 दिसंबर, 2018 को होगा। अमेरिका के त्याग–पत्र से सदस्य देशों के सहयोग में परिवर्तन और कार्यकारी बोर्ड में ग्रुप–1 (नार्थ अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप) के घटक सदस्यों में परिवर्तन संभावना पर कतिपय मामलों पर प्रभाव पड़ेगा।

बजट पहलू के संबंध में, सदस्य देशों का कुल समेकित योगदान का बजट 2018–19 दोनों वर्षों के लिए 581.2 मिलियन अमेरिकी डालर हैं, वर्ष 2018–19 में अंशदान के निर्धारण में अंतर है। सदस्य देशों से कुल अपेक्षित अंशदान वर्ष 2018 के लिए 326.5 मिलियन अमेरिकी डालर और वर्ष 2019 के लिए 254.7 मिलियन अमेरिकी डालर हैं। इस कुल अंशदान अंतर की संयुक्त राज्य के त्याग–पत्र, जो दिसंबर 31, 2018 से प्रभावी होगा, को ध्यान में रखते हुए पहले ही गणना की गई है।

कार्यकारी बोर्ड में ग्रुप–1 सदस्यों के घटक की दृष्टि से, पुर्तगाल ने ग्रुप–1 सदस्यों के बहुमत के सह–प्रायोजकों के साथ नामांकन आयोग को एक मसौदा संकल्प प्रस्तुत किया है जिसमें सदस्यता संघटन को संशोधित करने के लिए कहा गया है। तकनीकी रूप से ग्रुप–1 देश यह प्रस्ताव करते रहे है कि जो ग्रुप–1 देश कार्यकारी बोर्ड चयन अवधि 2017–21 में चौथे स्थान पर कम से कम वोट प्राप्त करते है वे दिसंबर 31, 2018 के बाद संयुक्त राज्य द्वारा खाली की गई सीट को स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। नामंकन आयोग में एक बहस के बाद, मसौदा संकल्प को प्लेनरी सत्र में प्रस्तुत किया गया और अंततः इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि अमेरिका के पास अपने त्याग–पत्र निर्णय को बदलने के लिए अभी भी समय है। कार्यकारी बोर्ड में ग्रुप–1 सदस्यों के संघटक में परिवर्तन पर चर्चा संयुक्त राज्य अमेरिका के 31 दिसंबर, 2018 के बाद उनके त्यागपत्र के प्रभावी होने पर की जाए और इस पर गहन चर्चा की जाए क्योंकि राज्य सदस्यों के पास इस गंभीर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।

ग. द्विवार्षिक बजट 2018–19

एपीएक्स ने द्विवार्षिक 2018–19 के लिए यूनेस्को बजट को 518 मिलियन यूएसडी व्यय योजना के साथ 595.2 मिलियन यूएसडी अनुमोदित किया है। सदस्य देशों का मूल्यांकन 581.2 मिलियन यूएसडी बनता है और शेष 11 मिलियन यूएसडी को प्रबंधन लागत के विशेष खाते से लिया जाएगा।

अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर–सरकारी समिति का 12वां सत्र, 4–9 दिसंबर, 2017, जेजु, दक्षिण कोरिया

यूनेस्को के तहत अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर–सरकारी समिति का 12वां सत्र

4 से 9 दिसंबर, 2017 को जेजू दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। इस सत्र के मुख्य अंश में 'कुंभ मेला' अभिलेख को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) प्रस्तुति सूची में शामिल किया गया।

'कुंभ मेला' अभिलेख को सम्मेलन मूल्यांकन निकाय द्वारा अभिलेख के लिए सिफारिश की गई थी जो सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की विस्तृत जांच करती है। समिति ने पाया कि कुंभ मेला इस धरती पर तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मेला है। यह मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है जो भारत में पूजा संबंधित समधर्मी अनुष्ठानों को दर्शाता है। सामाजिक अनुष्ठान और मेले समुदाय के ऐतिहासिक और यादगार परिप्रेक्ष्यों को बहुत करीबी से जोड़ते हैं। यह अनुष्ठान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों के साधनों की प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक समान भाव के साथ इसमें भागीदारी करते हैं। एक धार्मिक त्यौहार के रूप में कुंभ मेला जो सहिष्णुता और समावेशिता को दर्शाता है वह इस समकालिक दुनिया के लिए एक मूल्यवान धरोहर है।

ऑरोविले प्रतिष्ठान

ऑरोविले श्री अरविंदो की धार्मिक सहयोजक 'मदर' द्वारा 28 फरवरी, 1968 को तमिलनाडु के विल्लिपुरम जिले के बाहरी स्थल में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में स्थापित किया गया था जहां भारत सहित 46 राष्ट्रों के 2166 लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं और वे सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और मानव एकता पर केंद्रित अन्य कार्यों में भाग लेते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में अपने 4 संकल्पों के माध्यम से ऑरोविले परियोजना का समर्थन किया है। यह टाउनशिप 1980 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका प्रचालन भारतीय संसद द्वारा पारित ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार स्थापना रखरखाव और विकास पर इसके व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान को अनुदान के रूप में आंशिक निधियन उपलब्ध कराता है जिसके लिए वर्ष 2017–18 के दौरान 18.00 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया गया था।

इसके अलावा, ऑरोविले प्रतिष्ठान की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15.00 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया था। ऑरोविले प्रतिष्ठान का गोल्डन जुबली समारोह 21–28 फरवरी, 2018 को मनाया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस आयोजन में भाग लिया।

डॉ. करण सिंह, माननीय राज्य सभा सांसद को 23 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के तहत औरोविले प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

मोहन वर्गीज चुनकट, आईएएस (सेवानिवृत्त) को 10 जून, 2016 को औरोविले प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टिट्यूट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टिट्यूट (सिक्की) में संघ मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात समझौता ज्ञापन (29 नवंबर, 1968 को मूल रूप से हस्ताक्षरित) के परिशिष्ट–X पर 15 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए है। इस परिशिष्ट पर हस्ताक्षर के पश्चात भारतीय परामर्शी परिषद और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था। Xवें परिशिष्ट पर भारतीय प्रशासनिक समिति की पहली बैठक 3 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई थी और भारतीय परामर्शी परिषद की 48वीं बैठक 6 दिसंबर, 2016 को आयोजित की गई थी।

भारत सरकार गैर योजना शीर्ष के तहत अनुदान उपलब्ध करवाती है। वर्ष 2017–18 के लिए 594.00 लाख रूपए दिए गए हैं।

डब्ल्यूटीओ

1 जनवरी, 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) की शुरूआत के साथ ही बातचीत के बहुत से दौर शुरू हुए जिससे सेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक करारों की शुरूआत हुई जिनका उद्देश्य सेवाओं में व्यापार को प्रगतिशील बनाना है। शुरूआत में उन्होंने जीएटीएस के दौरान प्रचालन शुरू किया और अच्छे व्यापार पर बल दिया। 1995 में डब्ल्यूटीओ की शुरूआत के साथ इस क्षेत्र में विस्तार हुआ जिसमें सेवा और बौद्धिक संपत्ति को शामिल किया गया। 12 सेवाओं में शिक्षा को भी चिन्हित किया गया।

जीएटीएस का बुनियादी ढांचा

- मुख्य पाठ (एमएफएन) में निहित सामान्य बाध्यताएं और अनुशासन
- विशेष सेक्टर के लिए नियम संबंधी पूरक अंश
- बाजार के प्रति पहुंच प्रदान करने के लिए प्रत्येक सदस्य की प्रतिबद्धता, कोई लागू आवेदन (उदाहरणतः बाजार पहुंच, राष्ट्रीय बर्ताव और संदर्भ पेपरों का अनुपालन)

जीएटीएस ''सर्विस सप्लाईड इन द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल आथोरिटी'' के अलावा सभी सेवा क्षेत्रों पर सैद्धांतिक रूप से लागू है। ये वे सेवाएं है जो न तो वाणिज्यक आधार पर पूरी की जाती है और न ही अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ प्रतिप्रस्पर्धा आधार पर पूरी की जाती है। प्रस्ताव और अनुरोध आधार पर बातचीत की जाती है। देश अपने आंतरिक बाजार में व्यापार पहुंच पाने के लिए विदेश सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकते है। इसी तरह देश अपने भागीदारों से उनके बाजार में पहुंच प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते है। जीएटीएस आपूर्ति के चार मोड के माध्यम से होने वाले सेवा व्यापार को परिभाषित करता है जो सभी शिक्षा से संबंध रखते है।

जीएटीएस/डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित शिक्षा सेवाओं सहित सेवाओं में व्यापार के चार मोड निम्नलिखित है:

- **क्रॉस बार्डर सप्लाई:** इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा की सुपुर्दगी (दूरस्थ शिक्षा, टेलीएजुकेशन, शिक्षा परीक्षा सेवाएं)
- **कंजप्शन अब्रॉड:** उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही
- **कमर्शियल प्रेजेंस:** विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य देशों में स्थानीय ब्रांच कैम्पस और उसकी शाखाओं की स्थापना, घरेलू निजी कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम प्रदान करना जिनसे विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त हो सके, आपसी संपर्क व्यवस्थाएं, फ्रैंचाइंजिज.
- **मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन:** विदेशों में शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए अध्यापकों, लेक्चरर और शिक्षा व्यक्तियों की अस्थाई आवाजाही।

इन प्रत्येक मोड में बाजार एक्सेस और राष्ट्रीय बर्ताव की शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है। ''शिक्षा सेवा के तहत'' उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई फीस को चार्ज करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते यह फीस कैपिटशन फीस वसूलने या लाभ कमाना न हो, की शर्त के साथ उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में संशोधित भारतीय प्रस्ताव दिया गया था। उच्चतर शिक्षा सेवाओं के प्रावधान भी पहले से लागू विनियमन या समुचित विनियामक प्राधिकरण द्व ारा निर्धारित किए जाने वाले विनियमों के तहत होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में जीएटीएस के तहत मुख्य उप–क्षेत्र हैं:

i. प्राथमिक शिक्षा (सीपीसी 921)
ii. माध्यमिक शिक्षा (सीपीसी 922)
iii. उच्चतर शिक्षा (सीपीसी 923)
iv. उत्तर माध्यमिक तकनीकी और व्यावसायिक, विश्वविद्यालय डिग्री या समकक्ष
v. प्रौढ़ शिक्षा और (सीपीसी 924)
vi. अन्य शिक्षा (सीपीसी 929)

सभी अनुसूचियों के दो खंड होते हैं: (i) क्षैतिज प्रतिबद्धता खंड, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों पर लागू होती हैं, और (ii) किसी विशेष क्षेत्र या उप–क्षेत्र पर लागू होने वाली सेवा प्रतिबद्धताओं में विशेष व्यापार। किसी देश की क्षेत्र–विशिष्ट प्रतिबद्धता का निर्धारण करने के लिए, समग्र क्षैतिज प्रतिबद्धताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेवा अनुसूची में दी गई 'विशिष्ट प्रतिबद्धता का अर्थ अनुसूची में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसरण में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार के लिए देश की प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और एक बार विशिष्ट प्रतिबद्धता करने के बाद, सरकार बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार के विशिष्ट स्तर के लिए बाध्य है और बाद में, वह ऐसे उपाय लागू नहीं कर सकती जो ऐसे बाजार में प्रवेश को रोकते हों। यह अन्य देशों में सेवा प्रदाताओं को यह गारंटी देती है कि बाजार में प्रवेश की शर्तें कम प्रतिबंधात्मक नहीं होगी, क्योंकि वे केवल सुधार कर सकती है।

बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार के लिए प्रतिबद्धताएं और सीमाएं आपूर्ति की प्रत्येक प्रणाली के संबंध में सेवा अनुसूची में दी गई हैं। इसलिए, उच्चतर शिक्षा सेवाओं (जो शिक्षा सेवा उप–सेक्टर में शिक्षा सेवाओं के वृहत सेक्टर वर्गीकरण में होगा) के उप–सेक्टर पर प्रतिबद्धता में 8 अंकों की प्रविष्टियां होगी: बाजार पहुंच के कॉलम के तहत 4 (आपूर्ति की 4 विभिन्न प्रणालियों में प्रत्येक के लिए) और राष्ट्रीय उपचार पर सीमाओं के कॉलम के तहत 4।

शिक्षा सेवाएं		
	बाजार पहुंच	**राष्ट्रीय उपचार**
प्राथमिक शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 921) असीमित	असीमित	असीमित
माध्यमिक शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 922)	असीमित	असीमित
उच्चतर शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 923)	1) किसी भी विषय में यह शर्त नहीं होगी कि सेवा प्रदाता विनियमों के अध्यधीन होगा, यह मूल देश में घरेलू उच्चतर शिक्षा प्रदाताओं के लिए लागू है और यह भारत में घरेलू प्रदाताओं के लिए भी लागू है। 2) कोई नहीं 3) किसी भी विषय में यह शर्त नहीं होगी कि लिया जाने वाला शुल्क उचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सके और ऐसे शुल्क में कैपिटेशन फीस या लाभ कमाने संबंधी फीस नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह पहले से लागू या उचित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसे विनियमों की शर्त के अध्यधीन होगा। 4) असीमित क्षैतिज खंड के अतिरिक्त।	1) कोई नहीं 1) कोई नहीं 3) इसमें यूजीसी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की सहायता लेने का अधिकार नहीं होगा या घरेलू सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराई गई किसी भी सब्सिडी को लेने का हकदार नहीं होगा। 4) असीमित क्षैतिज खंड के अतिरिक्त।
प्रौढ़ शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 924)	असीमित	असीमित
अन्य शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 929)	असीमित	असीमित

कोई नहीं वाली प्रविष्टियों का अर्थ है कि शैक्षिक सेवाओं के राष्ट्रीय उपचार की कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह सीमा पार आपूर्ति से संबंधित है (1) विदेश में खपत (2) और वाणिज्यिक उपस्थिति (3) शैक्षिक सेवाओं की आपूर्ति की विदेश में 'खपत' प्रणाली पर कोई बाजार पहुंच संबंधी सीमाएं भी नहीं हैं।

हालाँकि, जहाँ भी अनुसूची में 'असीमित' दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि यह चिह्नित आपूर्ति की प्रणाली के संबंध में और इसमें निर्दिष्ट शर्तों (जैसे एकाधिकार या क्षैतिज प्रतिबद्धताओं की समाप्ति) के अध्यधीन बाजार में पहुँच या राष्ट्रीय उपचार की सीमाओं को लागू कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ

ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया

- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री दिनांक 9–12 अप्रैल, 2017 तक भारत की यात्रा पर थे। सचिव (उच्चतर शिक्षा) ने 10 अप्रैल, 2017 को हैदराबाद हाउस में भारत और ऑस्ट्रेलिया के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री भारत की यात्रा पर 9–11 अप्रैल, 2017 के दौरान आये। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सचिव (उच्चतर शिक्षा) ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को होटल ताज पैलेस में आयोजित ऑस्ट्रेलिया इंडिया नालेज पार्टनरशिप डिनर में भागीदारी की।
- पहले माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के माननीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री के बीच 10 अप्रैल, 2017 को एक द्विपक्षीय बैठक की भी योजना थी। तथापि, संसद सत्र में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की व्यस्तता के कारण यह बैठक नहीं हो सकी।

ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी

- ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी (एनयू) के राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक 27 जून, 2017 को शास्त्री भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव (उच्चतर शिक्षा) द्वारा की गई। यह बैठक चीन में 1–3 जुलाई, 2017 को निर्धारित ब्रिक्स एनयू वार्षिक सममेलन की प्रारंभिक बैठक थी। ब्रिक्स एनयू के छः विषयगत क्षेत्रों के तहत किये जाने वाले विभिन्न गतिविधियों/सहयोगों की प्रगति पर चर्चा हुई।
- ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी (एनयू) का वार्षिक सम्मेलन 1–3 जुलाई, 2017 को झेगझाऊ, चीन में आयोजित किया गया। एनयू ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय विषयगत समूह (आईटीजीएस) और अंतर्राष्ट्रीय शासी बोर्ड की बैठक वार्षिक सम्मेलन में आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व आईजीबी बैठक में संयुक्त सचिव (आईसीसी) और यूजीसी के सचिव द्वारा किया गया। बैठक के दौरान आईजीबी विनियम और आईटीजी संविधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बैठक के बाद, एक झेंगझोऊ आम सहमति पर भी हस्ताक्षर हुए थे।

ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक

- 5वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम) 5 जुलाई, 2017 को बीजिंग, चीन में की गई। बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। इससे पूर्व में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 4 जुलाई, 2017 को बीजिंग, चीन में शिक्षा बैठक की गई जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सचिव (उच्चतर शिक्षा) द्वारा की गई। शिक्षा मंत्रियों की बैठक के पश्चात शिक्षा के बीजिंग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और चीन पीपुल्स रिपब्लिक के शिक्षा मंत्री श्री चेन बाओसेंग के बीच 5वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ दोनों देशों के मध्य शिक्षा से संबंधित मामलों पर वार्तालाप हेतु दोनों देशों के मध्य एक दिविपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर (जुलाई, 2017) को बीजिंग, चीन में आयोजित ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक में

इंडिया–बेलारूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग (आईबी–आईजीसी)

- भारत बेला–रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन (आईबी–आईजीसी) की 8वीं बैठक 4 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की अध्यक्षता डीआईपीपी के अपर सचिव द्वारा की गई थी। इससे पहले 3 जुलाई, 2017 को तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व डीएस(आईसीसी) द्वारा किया गया था। 4 जुलाई, 2017 को 8वीं आईबी–आईजीसी के बाद एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) और मलेशिया क्वालिफिकेशन एजेन्सी

- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) और मलेशिया क्वालिफिकेशन एजेन्सी के मध्य शैक्षिक अर्हता के आपसी मान्यता के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 01.04.2017 को नई दिल्ली में मलेशियाई प्रधानमंत्री के यात्रा के दौरान किए गए।

भारत संयुक्त अरब अमीरात शैक्षिक संबंध

- 6–9 मई, 2017 तक भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय साथ रहे जिससे भारत संयुक्त अरब अमीरात शैक्षिक कार्य और शिक्षा के उभरते मुद्दों पर वार्तालाप हो सके।

भारत और कनाडा के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

- भारत सरकार और कनाडा सरकार के मध्य उच्चतर शिक्षा में सहयोग के लिए 27 जून, 2010 को 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करके 22.02.2018 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 23.02.2018 को आदान–प्रदान किया गया।

भारत में ओसीआई बच्चों के संबंध में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश

- भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के दाखिले के दौरान भारत में अध्ययनरत ओसीआई बच्चों के संबंध में डॉलर में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस के प्रेषण के बारे में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश निम्नानुसार जारी किए हैं:

  क) सभी शैक्षिक संस्थाओं को, इस मामले में, आईएनआर में, फीस स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

  ख) विनिमय दर का निर्धारण उस दर के अनुसार होगा जो फीस के भुगतान पर लगेगी।

कॉमनवेल्थ शिक्षा मंत्रियों का 20वां सम्मेलन

- माननीय राज्य मंत्री, डॉ. सत्य पाल सिंह ने 19 फरवरी से 23 फरवरी, 2018 तक नादी, फिजी में आयोजित कॉमनवेल्थ शिक्षा मंत्रियों के 20वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिजी जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अध्यक्ष, यूजीसी अन्य प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य हैं जो सम्मेलन के लिए माननीय राज्य मंत्री के साथ थे। सम्मेलन में 'नादी घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर हुए।

भारत की शिक्षा पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समझौते के लिए सहमति

- भारत ने जून, 2006 में शिक्षा में सहयोग पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समझौते पर सहमति व्यक्त की है जबकि यह जून, 2017 में संगठन का सदस्य बना। एससीओ शिक्षा मंत्रियों की बैठक पूर्ववर्ती दो एससीओ स्थायी कार्यकारी

समूह (पीडब्ल्यूडी) बैठकों द्वारा अक्टूबर, 2018 में आयोजित होने के लिए प्रस्तावित है।

इंडिया–फ्रांस बोनजोर इंडिया फेस्टिवल 2017–18 और इसके शैक्षिक घटक/ज्ञान शिखर सम्मेलन का संगठन

- बोनजोर इंडिया 2017–18, 18 नवम्बर, 2017 से 25 फरवरी, 2018 तक आयोजित हुआ था। बोनजोर इंडिया की कल्पना नवाचार और सृजनात्मकता के लिए इंडो–फ्रैंच मंच के रूप में की गई थी, जो अनुमानतः उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर 90 से अधिक सहयोगी परियोजनाएं और प्रथम उच्च–स्तर इंडो–फ्रैंच शिख सम्मेलन प्रस्तुत करने के लिए 33 भारतीय नगरों को पार कर गए।
- बोनजोर इंडिया फेस्टिवल 18 नवम्बर, 2017 को आमेर का किला, जयपुर में औपचारिक रूप से आयोजित हुआ। फ्रांस–यूरोप के और विदेशी मामलों के मंत्री, एच. ईमिस्टर जीन–यूवीस ली ड्रियान ने इस आयोजन की मेजबानी की। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बोन्जोर इंडिया फेस्टिवल के औपचारिक उद्घाटन के लिए भारतीय दल का नेतृत्व किया।
- एक द्विपक्षीय बैठक फेस्टिवल से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए बोनजोर इंडिया फेस्टिवल के शुरू करने को कुछ समय पहले दो मंत्रियों के बीच आयोजित हुई थी।

10–11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम उच्च–स्तर इंडिया–फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन

प्रथम उच्च–स्तर इंडिया–फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन, 2018 भारत में फ्रांस के राजदूतावास द्वारा आयोजित किया गया और नई दिल्ली में 10–11 मार्च, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सह–मेजवानी की गई। एच.ई. श्रीमती फ्रेडरिक विडाल, उच्चतर शिक्षा अनुसंधान और नवाचार मंत्री, फ्रांस की गणतंत्र सरकार और श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपनी उपस्थिति द्वारा इस अवसर की शोभा बढ़ाई। ज्ञान शिखर सम्मेलन विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए प्रथम फ्रैंको–इंडियन सहयोग का रोडमैप डिजाइन करना है।

दो दिन के इस आयोजन में नियोजनियता पर फोकस करते हुए समान उद्देश्य के लिए छात्र गतिशीलता में वृद्धि, अनुसंधान और विकास सहयोग का विस्तार किया और परिसरों का कम्पनियों से संपर्क बनाया।

एक लम्बे समय से प्रतीक्षित और प्रमुख सहित कई समझौतों के अनावरण को दो देशों के बीच साझेदारी को नई गतिशीलता प्रदान की।

इस आयोजन के दौरान, दोनों देशों के आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग के अनेक विषयों पर विभिन्न सत्रों और राउंड टेबल का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों में इन कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए इसे सफल बनाया।

माननीय मंत्री जी ने समारोह का शुभारंभ करते हुए दोनों देशों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे संबंध को याद किया तथा शिक्षा सहित आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

अकादमिक अर्हताओं की आपसी मान्यता पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता

आपसी मान्यता पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर और फ्रांस की उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार मंत्री एच.ई. श्रीमती फ्रेडरिक विडाल, द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करेगा और दोनों देशों के छात्रों को अन्य देशों में उनके उच्चतर अध्ययन को जारी रखने में उन्हें सुविधा प्रदान करके छात्रों के आवागमन को प्रोत्साहित करेगा साथ ही समन्वय, वैश्विकता और अनुसंधान विनिमय के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा भी देगा।

उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में समन्वय हेतु फ्रांस द्वारा आयोजित बोंजोर इंडिया कार्यक्रमों की परिणिति के रूप में सम्मेलन में भारत और फ्रांस दोनों देशों के कई संस्थाओं और कंपनियों की प्रख्यात हस्तियों ने शिरकत की।

यह सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाएगा और आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाएं तलाशने हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री/राज्य मंत्री की विदेशी प्रतिनिधि मंडलो के साथ विभिन्न बैठकें

- माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने 29 अगस्त 2017 (4–5 सायं) को ऑस्ट्रेलिया के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल सहायक मंत्री केरेन एन्ड्रूज के साथ 10 द सेलोन वेस्ट, होटल हयात में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत के लिए शिक्षा प्राथमिकताओं की समझ प्राप्त करने और भारत के समक्ष संस्थागत चुनौतियों और मुद्दों को हल करने हेतु नीति समन्वय की संभावनाओं का पता लगाने साथ ही साथ मौजूदा उच्चतर शिक्षा अनुसंधान और समन्वय संपर्क को मजबूत करने के तौर–तरीकों पर चर्चा की जो उच्चतर शिक्षा शिक्षण और अधिगम संसाधन जो कि 2015 से ऑस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा परिषद के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) की बैठक पर चर्चा करने का संयुक्त प्रयास था।
- माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह ने विक्टोरिया की गवर्नर सुश्री लिंडा देसाउ ए सी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ 5 अक्टूबर 2017 को शास्त्री भवन में एक बैठक की जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भारत और विक्टोरिया की भागीदारी, अनुसंधान सहयोग सहित विक्टोरिया के शैक्षिक संस्थाओं के साथ समन्वय आगे बढ़ाने के अवसरों और विद्यार्थियों के आवागमन पर चर्चा की गई।
- भारत की दूरस्थ शिक्षा पद्धति की तर्ज पर मलावी में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और ई–लर्निंग के क्षेत्र में मलावी को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली तकनीकी सहायता के बारे में चर्चा करने के लिए मलावी के शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में मलावी के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से 20 अप्रैल 2017 को मुलाकात की।
- अमेरिकी सांसद श्री राजा कृष्णमूर्ति ने अगस्त 2017 में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ बैठक की और भारत और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी विकसित करने के बारे में चर्चा की। श्री राजा कृष्णमूर्ति इलिनोएस से डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए हैं।
- आईसीसीआर के डिस्टिंग्विश्ड विजिट प्रोग्राम (डीवीपी) के अंतर्गत ट्यूनीशिया उद्योग, व्यापार और हस्तशिल्प परिसंघ (यूटीआईसीए) की अध्यक्ष, ट्यूनीशिया नेशनल डायलॉग क्वार्टर की प्रमुख और सह संस्थापक तथा 2015 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सुश्री क्यीडेड बाउचमोउई ने अगस्त 2017 में भारत का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की और शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की।
- माननीय एचआरएम ने विक्टोरिया न्यू इंडिया स्ट्रैटेजी पर विचार करने के लिए माननीय डैनियल एंड्रयूज एमपी, प्रीमियर ऑफ, विक्टोरिया की अध्यक्षता में विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ 17 जनवरी, 2018 को एक बैठक की जिसका उद्देश्य भारत के साथ विक्टोरिया के संबंधों को सुदृढ़ करना स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में परस्पर हितकर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार के साथ सहयोग

में विक्टोरिया के हित और विक्टोरिया इंडिया स्ट्रेटेजी को मजबूत करना है।

- सीरिया के उच्चतर शिक्षा मंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारत में सीरिया के राजदूत डॉ रियाद अब्बास के साथ 6 मार्च 2018 को बैठक की।
- भारत और हंगरी के बीच शैक्षणिक सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने हंगरी के व्यापार और निवेश मंत्री के साथ 6 मार्च 2018 को एक बैठक की।

******

अध्याय 18

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं

अध्याय 18

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई स्थित 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षु/व्यवहारिक बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों (तकनीशियनों) तथा 10़2 पास व्यावसायिक छात्रों को केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद (सीएसी), जो प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत गठित शीर्ष सांविधिक निकाय है, द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर उपलब्ध कराती है। 4 क्षेत्रीय बीओएटी/बीओपीटी को, जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, अपने क्षेत्रों में समय–समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

योजना का मूल उद्देश्य नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा और 10+2 पास व्यावसायिक छात्रों को व्यावहारिक अनुभवी बनाने में किसी अंतर को पाटना/पूरा करना है और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार में स्थापित होने में उनकी उपयुक्तता बनाने हेतु उनके तकनीकी कौशलों को भी बढ़ाना है।

अधिनियम के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा दिया जाता है जिसे केन्द्र सरकार और नियोक्ता के मध्य 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले वजीफे की दरें इस प्रकार है:

प्रशिक्षुओं की श्रेणी	19 दिसम्बर, 2014 से दर में बढ़ोत्तरी (40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ)
स्नातक प्रशिक्षु	4984
स्नातक प्रशिक्षु (सैंडविच)	3542
तकनीशियन प्रशिक्षु	3542
तकनीशियन प्रशिक्षु (सैंडविच)	2890
तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु	2758

पहले, चार (बीओएटी/बीओपीटी के चार विभिन्न पोर्टल थे और उस विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को योजना के तहत अपने को प्रशिक्षुता के लिए पंजीकृत रहने हेतु उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले विशिष्ट बोर्ड के माध्यम से आवेदन करना होता था। इन पोर्टलों को एकीकृत किया जा चुका है और एकल राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया गया है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का राष्ट्रीय वेब पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पारदर्शी प्रशासन हेतु पूरे देश के विद्यार्थियों, प्रतिष्ठानों और तकनीकी संस्थानों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ निर्बाध कनेक्टिवटी सुनिश्चित करता है। पोर्टल एक बहुभाषी प्लेटफार्म भी बनेगा जो इस समय अंग्रेजी, मराठी, बंगाली और हिन्दी के प्रयोग में संलग्न है।

राष्ट्रीय वेब पोर्टल ज्यादा विशेषताओं के साथ सुधारा जाएगा जो निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ होगा:

- बीओएटी/बीओपीटी के चार क्षेत्रीय पोर्टलों का एकीकरण अब विद्यार्थियों, प्रतिष्ठानों और इनके

कर्मचारियों को एक सिंगल यूनीफाइड इंटरफेस प्रदान करता है;

- ❖ पेपरलैस ऑनलाइन व्यापार संव्यवहार;
- ❖ ऑनलाइन डाटा शेयरिंग के माध्यम से उन्नत एवं प्रभावी रिपोर्टिंग योग्यता;
- ❖ पूरे देश में प्रक्रियाओं का मानकीकरण और कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करना;
- ❖ उचित निर्णय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग;
- ❖ प्रशिक्षुओं की मांग अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन पूर्वानुमान, प्लेसमेंट और बजट आवश्यकता को सुगम बनाना।

वर्ष 2017–18 (30 नवंबर, 2017 तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और जारी राशि की स्थिति

(रूपए लाख में)

शीर्ष	बजट अनुमान	जारी राशि (30 नवंबर तक)
स्थापना मद	1900.00	1169.65
वजीफा मद	11000.00	6228.43

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), भारत की प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंधन शिक्षा में संलग्न है। संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से सन 1963 में की गई थी। एनआईटीआईई ने अब तक पांच दशकों से उद्योग की सेवा की है और आज इसके स्नातक पाठ्यचर्या और प्रबंधन विकास कार्यक्रम इस सहजीवी संबंध को गर्व से प्रदर्शित करते हैं।

एनआईटीआईई परिसर मुम्बई के अति सुरम्य वातावरण से घिरे स्थान पर जिसके बगल में पवई और विहार लेक हैं, एक पहाड़ी पर 63 एकड़ भूमि पर स्थित है।

एनआईटीआईई शासी बोर्ड के माध्यम से जिसमें उद्योग, सरकारी श्रम और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि होते हैं, प्रशासित होता है और इसके अध्यक्ष प्रो. संजय जी. धांडे और निदेशक प्रो. (सुश्री) करूणा जैन हैं।

उत्पादकता सुधार, प्रचालनों और विनिर्माण प्रबंधन में अग्रणी एनआईटीआईई आज देश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ऊपर है जिसने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सफलतापूर्वक सम्मिश्रण किया है। संस्थान तटस्थ/स्थायी गुणवत्ता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, लोजिस्टिक्स, बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग (बीपीआर), एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), आपूर्ति चेन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी), व्यावसायिक औद्यौगिक परामर्श और औद्योगिक इंजीनियरिंग और संबद्ध क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुसंधान में लगे एनआईटीआईई को ख्याति प्राप्त भारतीय संस्थान के रूप में भी मान्यताप्राप्त है।

एनआईटीआईई संकायः एनआईटीआईई के संकाय सदस्यों मानविकी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विविध बुनियादी विषयों से संबंधित हैं। अधिकांश लोगों के पास व्यापार, उद्योग या सरकार में भी अनुभव है। प्रबंधन में पेशेवरों, प्रशिक्षकों और प्रमुख लेखकों में से कई प्रतिष्ठित हैं। प्रशिक्षकों के रूप में वे नियमित रूप से छात्रों, व्यवसायरत, प्रबंधकों और प्रशासकों को नियुक्त करते हैं ताकि ये बेहतर क्वालिटी निर्णय और जिम्मेदारियों के बेहतर निष्पादन में प्रोत्साहित हो सके।

शैक्षणिक कार्यकलापः एनआईटीआईई निम्नलिखित दो वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता हैः

1. औद्योगिक इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई)
2. औद्योगिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)
3. औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम)
4. विनिर्माण प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम)

5. परियोजना प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम)
6. आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से विनिर्माताओं के लिए विजनरी लीडरशीप के लिए कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीईएक्स–वीएलएफएम)

अध्येता कार्यक्रम

प्रवेश मापदंडः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान, सीएआईसीडल्ल्यूए और एसीएस से 60 प्रतिशत अंकों सहित (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी निःशक्त व्यक्ति के मामले में 5 प्रतिशत तक की छूट) सहित मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य–शास्त्र, समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान में समकक्ष। वे छात्र, जो संबंधित विषयों में अंतिम परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते है।

गेट आधारित प्रवेश मापदंडः उद्योग इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई) भारत सरकार, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त उद्योग इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के समकक्ष है। इस समय एनआईटीआईई द्वारा पीजीडीआईई का 46वें बैच चलाया जा रहा है।

विर्निर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम) और परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम) इस समय एनआईटीआईई द्वारा पीजीडीएमएम और पीजीडीपीएम के तीसरे बैच का संचालन किया जा रहा है। उन छात्रों को प्रवेश के लिए पंजीकृत किया जाता है जिन्होंने इंजीनियिरिंग में स्नातक अभिरूचि परीक्षा (गेट) के माध्यम से अर्हता प्राप्त की है। पंजीकरण के बाद समूह चर्चा और साक्षात्कार लिया जाता है। पात्रता मापदंड पूरा करने वाले उद्योग प्रायोजित उम्मीदवारों पर भी प्रवेश के लिए विचार किया जाता है।

कैट आधारित प्रवेश मापदंडः उद्योग प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) और उद्योग सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन (पीजीडीआईएसईएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। इस समय, एनआईटीआईई द्वारा पीजीडीआईएम का 23वां और पीजीडीआईएसईएम का 16वां बैच चलाया जा रहा है।

पीजीडीआईएम और पीजीडीआईएसएम में प्रवेश उन छात्रों को दिया जाता है जो आईआईएम द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) के माध्यम से अर्हता प्राप्त करते है। इसके बाद समूह चर्चा और साक्षात्कार किया जाता है।

पीजी दाखिला विवरण 2016

कार्यक्रम	दाखिला क्षमता	अनारक्षित	आईएसपी	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल
पीजीडीआईई	126	56	6	18	5	31	116
पीजीडीआईएम	274	131	0	36	1	54	226
पीजीडीआईएसईएम	39	10	1	5	0	2	18
पीजीडीएमएम	40	8	1	6	0	9	24
पीजीडीपीएम	40	15	0	8	0	10	33

विनिर्माण के लिए विजनरी लीडरशिप में एक्जीक्यूटिव के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीईएक्स–वीएलएफएम) को आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। यह कार्यक्रम विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में 5–12 वर्ष का अनुभव रखने वाले इंजीनियरों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए दाखिला क्षमता 30 छात्र है और पहले बैच में 17 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है।

XXIII दीक्षांत समारोह

23 सितम्बर 2017 को XXIII दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा) डॉ. सत्य पाल सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर 401 स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्रों और 22 अध्येता को डिग्रियां प्रदान की गई।

1. **ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिपः** पीजीडीआईई, पीजीडीआईएम, पीजीडीआईएसईएम, पीजीडीएमएम और पीजीडीपीएम के पहले बैच के कुल 406 छात्रों में से सभी 406 छात्रों को देश के 118 विभिन्न संगठनों में 08 सप्ताह की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रदान की गई।
2. **अंतिम प्लेसमेंटः** पीजीडीआईई, पीजीडीआईएम, पीजीडीआईएसईएम, पीजीडीएमएम और पीजीडीपीएम के दूसरे वर्ष के छात्रों में से अंतिम प्लेसमेंट के लिए उपलब्ध 384 छात्रों को मई, 2017 तक देश के 115 संगठनों में नियोजित किया गया।

एनआईटीआईई पुरस्कार और रैंकिंग 2017

एनआईआरएफ रैकिंग 2016

1. देश के सभी प्रबंध स्थानों में 12वें स्थान पर और देश की सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में 36वें स्थान पर
2. महाराष्ट्र राज्य में एनआईटीआईई को इंजीनियरिंग शिक्षा में चौथा और प्रबंधन शिक्षा में पहला स्थान
3. कैरियर 360–बी स्कूल रैकिंग 2016 में 12वां रैंक
4. भारत श्रेणी के शीर्ष सरकारी बी–स्कूलों के तहत सीएसआर–जीएचआरडीसी बी–स्कूल सर्वेक्षण 2016 में एनआईटीआईई को तीसरा रैंक मिला है।

एनआईटीआईई द्वारा आयोजित लघु अवधि/दीर्घ अवधि कार्यक्रम

इसके अलावा, एनआईटीआईई औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह की अवधि के 100 प्रबंधन विकास कार्यक्रम एमडीपी आयोजित करता है। यह यूनिट आधारित कार्यक्रम (यूबीपी) भी प्रदान करता है जो ग्राहक/संगठनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। एनआईटीआईटी प्रशिक्षण लोगों के प्रयोजन और सरोकारों के साथ शिक्षण पर बल देता है। प्रशिक्षण के अलावा, एनआईटीआईई प्रबंधन में अनुप्रयोग अनुसंधान संचालित करता है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की विशेष परियोजनाओं पर कार्य करता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, एनआईटीआईई ने औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में 17 एमडीपी आयोजित किए है और विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संगठनों से 138 कार्यकारियों को प्रशिक्षित किया है तथा विभिन्न संगठनों के 37 यूबीपी और 876 कार्यकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

एनआईटीआईई द्वारा संचालित परामर्शी सेवाएं

एनआईटीआईई उद्योग इंजीनियरिंग, प्रचालन प्रबंधन, बिजनेस मॉडलिंग, सूचना प्रणाली और आईटी, कॉरपोरेट प्रवेश प्रबंधन, विपणन, और अन्य संबंधित उत्पादकता और प्रबंधन क्षेत्रों के विभिन्न पहलूओं पर पेशेवर परामर्श प्रदान करता है।

यह कार्यकलाप न केवल संसाधनों के सृजन में सहायता करते है अपितु ज्ञान को भी बढ़ाते है। एनआईटीआईई ने वर्ष 2016–17 के दौरान, उद्योग इंजीनियरिंग से संबंधित सभी क्षेत्रों से 02 परामर्शी कार्य पूरे कर लिए है और 05 परामर्शी कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय फांउडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी (एनआईएफएफटी), रांची

राष्ट्रीय फांउडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी (एनआईएफएफटी), रांची एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी–यूनेस्कों के सहयोग से 1966 में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है। संस्थान का प्रबंधन शीर्ष पद पर अध्यक्ष और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, निजी और सार्वजनिक उपक्रम, तकनीकी और आरएंडडी सस्थाओं से लिए गए सदस्यों वाले शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

प्रारंभ से ही एनआईएफएफटी पर सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग फाउंड्री प्रौद्योगिकी, फोर्ज प्रौद्योगिकी और अन्य संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त इंजीनियर और प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए निर्भर रहे हैं। संस्थान ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और इन इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण चलाने के लिए एक अग्रणी संस्थान की जाति प्राप्त की है। यह संस्थान संबद्ध क्षेत्रों में दृढ़ता और सावधानी से औद्योगिक शोध, डिजाइन व विकास का संचालन और उद्योगों को परामर्श एवं दस्तावेजी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

❖ शैक्षिक कार्यक्रम

निफ्ट के पांच अध्ययन विभाग हैं:

- फाउंडरी प्रौद्योगिकी
- फोर्ज प्रौद्योगिकी
- विनिर्माण इंजीनियरी
- मैटीरियल और धातुकर्मी इंजीनियरी
- प्रायोगिक विज्ञान और मानविकी।

संस्थान निम्नलिखित नियमित कार्यक्रम प्रदान करता है:

➢ शोध स्तर

1. पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम

➢ स्नातकोत्तर स्तर (मास्टर ऑफ टेक्नालॉजी (एम.टेक)

I. फाउंड्री–फोर्ज टेक्नोलॉजी में एम.टेक

II. विनिर्माण इंजीनियरिंग में एम.टेक

III. पर्यावरण इंजीनियरिंग में एम.टेक

IV. सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम

➢ अवर स्नातक स्तर (बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक)

I. विनिर्माण इंजीनियरिंग में बी.टेक.

II. धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स

➢ एडवांस्ड डिप्लोमा लेवल (एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स (एडीसी)

I. फाउंड्री टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स

II. फोर्ज टेक्नोलॉजी में उन्नत डिप्लोमा कोर्स

2018 शैक्षणिक सत्र से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक. कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बोर्ड (एनबीए), एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित प्राप्त किया गया है। बी.टेक के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (पूरे भारत में सीबीएसई द्वारा आयोजित)। पाठ्यक्रम, एमटेक के लिए गेट स्कोर और साक्षात्कार के माध्यम से पाठ्यक्रमः उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एनआईएफएफटी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से और डॉक्टोरल कार्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से।

शोध स्तर, स्नातकोत्तर और अवर स्नातक स्तर पर डिग्री रांची विश्वविद्यालय प्रदान करता है। एडवांस्ड डिग्री स्वयं संस्थान द्वारा दी जाती है।

❖ सतत शिक्षा

सभी स्तरों पर सतत शिक्षा जैसे उद्योग कार्मिकों के लिए स्थापित और उभरती प्रक्रियाओं में अंशकालिक

अनुसंधान कार्यक्रम, रिफ्रेशर और विशेष पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो समाज के विकास की दिशा में संस्थान का योगदान है।

कार्यक्रम आमतौर पर एक या दो सप्ताह की अवधि के लिए होते है जिसमें बहुत सारे विषय जैसे फाउंडरी और फोर्ज टेक्नोलोजी, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन, उत्पादन प्रक्रियाएं, धातु गुण और उद्योग महत्व के अन्य क्षेत्र शामिल है।

इन गतिविधियों में उद्योग या संगठन के अनुरोध पर उनकी आवश्यतानुसार अल्प अवधि के यूनिट आधारित कार्यक्रम शामिल है जिन्हें उद्योग परिसर या संस्थान में आयोजित किया जाता है।

संस्थान के पास दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों को प्रशिक्षण देने का विशेष अधिकार है। बर्मा, श्रीलंका और नाइजीरिया जैसे देशों से छात्रों ने संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संस्थान ने नेपाली और श्रीलंका के इंजीनियरों के लिए फाउंडरी टेक्नोलोजी में यूनिट आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

❖ अनुसंधान गतिविधियां

संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य फाउंडरी फोर्ज और वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंद्ध क्षेत्रों में उद्योग अनुसंधान और विकास कार्य करना है। इन अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए संस्थान में अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद है। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में पैटर्न डिजाइन एंड मेनुफेक्चर, सेंड सिस्टम डिजाइन, मेंल्टिंग, मैथड ऑफ कास्टिंग, फोर्जिंग प्रोसेस सिमुलेशन, डाई लाईफ एस्टिमेशन, एविलुयूशन ऑफ ल्यूबिरीकेंट, सीएडीएंडसीएएम ऑफ कॉस्टिंग एंड फोर्जिंग, फेल्योर अनेलिसिस, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण, मेटल मैट्रिक्स, कम्पोजिट एंड पाउडर मेटरलर्जी फोर्जिंग शामिल हैं। अधिकांश संकाय सदस्य पीएचडी धारक है। संकाय सदस्य अपने शोध कार्य की प्रस्तुति के लिए विभिन्न सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन में लगातार भाग लेते है। बहुत से शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल में प्रकाशित हुए है।

❖ परामर्शी सेवाएं

संस्थान फाउंडरी, फोर्ज और संबद्ध क्षेत्रों में उद्योग को परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। परामर्श सेवाएं व्यवहारिक रिपोर्ट को तैयार करने, तकनीकी परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने, उपकरणों और उनके चयन तथा उनके मूल्यांकन, कच्चे माल के प्रशिक्षण और उत्पाद के गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में प्रदान की जाती है।

❖ नियोजन

संस्थान ने बी.टेक और एडीसी स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में लगभग 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हासिल की है।

❖ स्वर्ण जयंती

वर्ष 2016 में संस्थान ने राष्ट्र की सेवा के 50 वर्ष पूरे कर लिए है। इस समृति में निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन आयोजित किए गए थेः

- इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन एडवांस इन मैटेरियल एंड मैनुफेक्चरिंग (आईसीएएमएम)
- सेमिनार ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर मेटल कोम्पोनेंट मेनुफेक्चरिंग (एचआरएमसीएम)
- नेशनल कांफ्रेंस ऑन एमर्जिंग टेक्नोलोजी इन फाउंडरी एंड फोर्ज (ईटीएफएफ)
- नेशनल काफ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इशू, चैलेंजिज एंड सॉल्यूशन (ईआईसीएस)

❖ शिक्षा – उद्योग इंटरफेस

लौह एंव इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) रांची के साथ समझौता ज्ञापन

मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची के साथ समझौता ज्ञापन

मैसर्स रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड, जमशेदपुर के साथ समझौता ज्ञापन

कॉमन इंजीनियरिंग फैसेलिटी सेंटर

एनआईएफएफटी मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के सहयोग से स्थापित कॉमन इंजीनियरिंग फैसेलिटी सेंटर के साथ नोलेज पार्टनर है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर

'उगते सूरज की भूमि' के अनुपम सौंदर्य में स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। शुरू में मंत्रालय के तहत उत्तर–पूर्वी परिषद, शिलांग के पायलट परियोजना के रूप में गृह मंत्रालय, सरकार भारत में तकनीकी जनशक्ति का आधार बनाने के लिए, इस क्षेत्र में विकास के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना है। संस्थान का परिसर निर्गुली, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर में स्थित है और सड़क, रेल और हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा गुवाहाटी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

संस्थान 1 अप्रैल, 1994 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन आया। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 31 मई, 2005 को इसे 'समवत–विश्वविद्यालय' दर्जा दिया गया है, जिसे एमएचआरडी, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनईआरआईएसटी) ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थिति के तहत संस्थान के विकास के लिए 2017–18 के दौरान कई विकास गतिविधियों को अपनाया है। उत्तर–पूर्व में तकनीकी जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से यह संस्थान सभी पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है। 2017–18 के दौरान की गई गतिविधियां नीचे दी गई है:

I) **शैक्षणिक गतिविधियां**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईआईएसटी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी धाराओं में यूजी (मॉड्यूलर पैटर्न), पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। संस्थान कृषि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में यूजी कार्यक्रम चलाती है और वानिकी धारा में चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (सीएमएस), एमएससी इन कैमिस्ट्री, भौतिकी, गणित और वानिकी और इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में एम.टेक और पीएचडी के तहत 2 साल का एमबीए चलाती है। प्रत्येक विभाग में छात्रों के लिए प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन हेतु सुसज्जित प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं है।

यह सूचित किया जाता है कि एनईआरआईएसटी का छठा दीक्षांत समारोह 10.11.2017 को संपन्न हुआ था। माननीय बिग्रेडियर डॉ. बी.डी.मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल तथा अध्यक्ष एनईआरआईएसटी सोसायटी मुख्य अतिथि थे। कुल मिलाकर 1086 छात्रों ने प्रमाणपत्र और डिग्रियां प्राप्त कीं जिनमें 50 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए तथा 37 स्कॉलर को पीएच.डी उपाधि प्रदान की गई।

संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून), स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के साथ मनाया।

एनईआरआईएसटी ने अनुसंधान और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग के लिए 10 अक्तूबर, 2017 को आरजीयू, दोमुख के साथ समझौता ज्ञापन किया।

माननीय राज्यमंत्री (गृह), भारत सरकार, श्री किरेन रीजीजू ने नई केंद्रीय लाइब्रेरी का 30 अक्तूबर, 2017 को उद्घाटन किया।

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, (एसएलआईईटी), लोंगोवाल (पंजाब)

भारत सरकार द्वारा 1989 में स्थापित, संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान ने खुद के लिए देश के पेशेवर संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच जगह बना ली है। विभिन्न विषयों में प्रमाण पत्र से डॉक्टरेट

के कार्यक्रमों के साथ, संस्थान इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में एक ठोस आधार के साथ सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले लचीले इंजीनियरिंग कौशल का उत्पादन करता है, जबकि एक इंजीनियरिंग पद्धति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो स्नातकों को दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। सृजनात्मक से अभी तक व्यावहारिक परिणाम के साथ काम और 'वास्तविक दुनिया' समस्याओं से निपटने के कौशल के साथ छात्रों को लोड करने में, वैज्ञानिक और तकनीकी समझ के बीच सही संतुलन और समस्या हल करने के लिए उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बनाए रखा जाता है। संचार और बातचीत के विशेष कौशल, एक साथ काम और अंतर–अनुशासनात्मक कार्य, योजना–लागत और उद्यमी विचार सैद्धांतिक समझ, रचनात्मकता और नवीनता, तकनीकी विस्तार और व्यावसायिक कौशल के साथ संश्लेषित होते हैं।

चार सौ एकड़ से अधिक में फैला हुआ संस्थान, इस संस्थान को प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हैं। यह ताजा रंगों के माध्यम से व्यक्त करता है जो पर्यावरण और परिस्थितियों को प्रकट करता है जो वास्तव में मानव भावना को सत्य संतृप्ति और आराम देने के लिए डिजाइन किया गया है । संस्थान में बड़े वृक्षारोपण संस्थान को सजीव और सुंदर बनाते हैं– अंतहीन और अचेतन खूबियों का प्रतीक। लाइव परिवेश कार्य वातावरण को बढ़ाता है, परिवेश मानवीय और नरम स्पर्श लाता है। संस्थान कई प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है जो दुनिया में पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की झलक देता है। प्राकृतिक पर्यावरण और पक्षियों की सुंदरता का प्रख्यात आध्यात्मिक और शैक्षिक कलाप्रेमी के लिए सही सेटिंग हैं। संस्थान एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जो खुद को चिंताओं से दूर कर देता है, इच्छाओं को एकजुट करता है और सोच और विश्लेषण के मूल्यों को बढ़ावा देता है। संस्थान में एक छात्र के पास शहरी आवासों में प्रचलित सामान्य प्रथा नहीं है, जिससे उसे शारीरिक, नैतिक और अकादमिक रूप से मजबूत बना दिया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार द्वारा संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (डीम्ड–यूनिवर्सिटी), लोंगोवाल (एसएलआईईटी) की स्थापना की गई थी। राजीव– लोंगोवाल शांति समझौते के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का यह उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ शिक्षा के मॉड्यूलर प्रणाली की एक नई अवधारणा को अपनाने के द्वारा विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रम व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर जोर देने के साथ उभरते क्षेत्रों में गैर–पारंपरिक, अभिनव और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार, असम

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) कोकराझार एक स्वायत्त संस्थान है जिसका वित्तपोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह असम की बोडोलैंड क्षेत्र परिसर के कोकराझार जिले के मुख्यालय के समीप बहुत सुंदर स्थल पर स्थित है। संस्थान की स्थापना 6 दिसंबर, 2006 को की गई। इसकी स्थापना बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद पर समझौता ज्ञापन का परिणाम है जो असम सरकार संघ सरकार और बोडो लिब्रेशन टाइगर के बीच 10 फरवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन का परिणाम है। संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और अधिशासी बोर्ड (बीओजी) के अंतर्गत कार्य करता है।

भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के स्थानीय लोगों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए ठोस प्रयासों के एक भाग के रूप में सीआईटी को सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन, आदि जैसे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

गत वर्ष (अप्रैल 2016–मार्च, 2017) में की गई मुख्य प्रगति

1. बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम की शुरूआत

सीआईटी ने बैचुलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम 2016 में शुरू किया है। यह एक 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर का कार्यक्रम है जो मल्टीमिडिया कम्युनिकेशन एंड डिजाइन में स्नातक डिग्री प्रदान करता है। यह अपनी तरह का एक कार्यक्रम है जो सृजनात्मकता और प्रौद्योगिकी के समिश्रण द्वारा ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां को प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन और डिजाइन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसका पहला बैच जुलाई, 2016 में शुरू हुआ था। सीआईटी ने आईआईटी, बोम्बे द्वारा आयोजित यूसीईईडी परीक्षा के माध्यम से बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु आईआईटी, बम्बई से भी सहभागिता की है।

2. अनुसंधान और विकास में की गई प्रगति

इस समय निम्नलिखित तीन परियोजनाएं चल रही हैं:

क) परियोजना–1

अवार्ड का नाम – अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड

निधियन एजेंसीः डीएसटी–एसईआरबी इंडिया

परियोजना संदर्भ संख्याः ईसीआर/2016/000713

परियोजना का नामः स्टडी ऑफ सी/एनआई मल्टीलेयर एंड को–टीबी अलाय्स बेस्ड बीट पैटर्नड मीडिया ऑन ऑटो–एसेम्बल्ड एनोडिक एलुमिना हेक्सागोनल नैनोबंप अरेज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव एप्लीकेशन।

बजट : 37,63,530 रू.

परियोजना अवधिः 2017–20

प्रधान पर्यवेक्षक का नामः डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, मूलभूत विज्ञान विभाग (भौतिकी), सीआईटी कोकराझार

ख) परियोजना–2

अवार्ड का नाम : अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड

निधियन एजेंसीः डीएसटी–एसईआरबी इंडिया

परियोजना संदर्भ संख्याः ईसीआर/2015/000334

परियोजना का नामः थ्योरीटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ द फिजियोकैमिकल प्रोपर्टीज ऑफ स्मॉल अमीनो एसिड सीक्वैंसिज, देयर वॉटर–क्लसटर, बाइनरी मैटेलिक एंड टरनेरी मेटल–पैपटाइड–न्यूक्लियोबेस कैम्पैलिक्सज।

बजट : 36,00,000 रू.

परियोजना अवधिः 2016–19

प्रधान पर्यवेक्षक का नामः डॉ. गुणज्योति दास, सहायक प्रोफेसर, मूलभूत विज्ञान विभाग (रसायन विज्ञान), सीआईटी कोकराझार।

ग) परियोजना–3

नाम : बैंक फिल्टरेशन एज ए सस्टीनेबल सोल्युशन फॉर ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई एट कोकराझार

निधियन एजेंसीः असम विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (एएसटीईसी)

बजट : 2,60,000 रू.

परियोजना शुरूआत की तिथिः मार्च, 2016

सह–पर्यवेक्षक का नामः श्री प्रांजल बर्मन, सहायक प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, सीआईटी कोकराझार

3. नए पुस्तकालय का शुभारंभ

सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक पुस्तकालय की 12 अगस्त, 2016 से शुरूआत की गई। सीआईईटी, कोकराझार का केंद्रीय पुस्तकालय 2200 वर्ग फीट के भवन में स्वतंत्र रूप से स्थापित है जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं के लिए 92000 से अधिक पुस्तकें, 150356 ई–संसाधन (ई–जर्नल), ई–पुस्तकें, सम्मेलन कार्यवाईयां और स्टेंडर्ड सहित), 5000 सीडी, समाचार–पत्र और 1621 लोकप्रिय पत्रिकाएं उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को अध्यतन सूचनाओं से अपडेट रखने के लिए स्थानीय

समाचार–पत्रों की सदस्यता दी गई है। पुस्तकालय में एल्सेवियर, साइंस डॉयरेक्ट, एएसएमई, एएससीई, सप्रीजंर, टेलर एंड फ्रांसिस और आईईईई एक्सपलोर और अन्य के माध्यम से ई–बुक्स और ई–जर्नस दोनों ई–संसाधनों की अच्छी संख्या में सदस्यता है। केंद्रीय पुस्तकालय में इंस्टाल्ड साफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (एसओयूएल) 2.0 लगा हुआ है जो लाइब्रेरी गुणवत्ता प्रबंधन और उसकी सेवाओं के लिए अत्याधुनिक एकीकृत लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर और आरएफआईडी तकनीक से युक्त है।

गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल

गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। शिक्षाविदों में तकनीकी क्षमता के विकास और हस्तांतरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करने के लिए बहु–स्तरीय अंतर अनुशासनिक और अंतर–क्षेत्रीय कुशल पेशेवर तकनीकी जनशक्ति बनाने के उद्देश्य से संस्थान स्थापित किया गया था। यह समाज की आर्थिक दशा को ऊपर उठाने तथा समावेशी विकास के लिए बहुत से अल्प अवधि/दीर्घ अवधि कौशल अभिमुखी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, स्कूल ड्रापआउट और अन्य लाभवंचित वर्ग की आवश्यताओं की पूर्ति करने के लिए जमीनी स्तर पर अच्छे से अच्छी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका गठन इस प्रकार से किया गया है कि संस्थान औपचारिक शिक्षा की पूर्ति करने के अलावा स्व–रोजगार के लिए कुशल और गुणवत्तायुक्त मानव शक्ति पर तैयार करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, संस्थान उद्यमिता के साथ कार्यनीति का अनुसंधान और विकास गतिविधियों को भी करेगा जो संस्थान के गैर–रोजगार और कार्य कर रहे लोगों को उनके तकनीकी कौशल को अद्यतन और उसका उन्नयन करते हुए शिक्षा प्रदान करेग। जीकेसीआईईटी नेतृत्व संगठनात्मक विशेषज्ञ, तकनीकी सहायता और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो उत्तरी बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है।

विजन

जीकेसीईईटी ने राष्ट्र की कुशल श्रमिक आवश्यकता को कम करने के औपचारिक और अनौपचारिक रूप से तकनीकी जनशक्ति के समावेशी विकास और विकास के लिए एक तकनीकी–व्यावसायिक विश्वविद्यालय बनने की और अग्रसर है।

मिशन

- औपचारिक और गैर–औपचारिक क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण।
- सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या विकास।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम और आईसीटी आधारित कोर्सवेयर का विकास।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास।
- स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से व्यवसाय मानक तैयार करना।
- संस्थान सहयोग भागीदारी।
- उत्कृष्टता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों के साथ सहयोग।

शैक्षिक

संस्थान अनुदेशीय कार्यक्रम

संस्थान एसएलआईईटी लोंगोवाल पैटर्न का अनुसरण करते हुए प्रत्येक स्तर पर 50 प्रतिशत समानांतर और ऊर्ध्व गतिशीलता के साथ अनौपचारिक, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम सहित तकनीकी शिक्षा के विशेष माड्यूलर पैटर्न को अपनाता है। इसके अनौपचारिक कार्यक्रमों का उद्देश्य स्कूल ड्रापआउट और अन्य लाभवंचित वर्ग का कौशल विकास करना है, ये कार्यक्रम कालियाचक में किराए से लिए गए परिसर में आयोजित किए जाते है जिनका लक्ष्य

अच्छी नियोजनीयता और उद्यमिता विकास तथा स्वरोजगार है।

शिक्षा जीकेसीआईईटी मालदा पर रिपोर्ट

संस्थान के शिक्षाविद समाज की परिवर्तनशील वैश्विक आवश्यताओं को पूरा करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान करते है। संस्थान लचीला माड्यूलर और बहुप्रवेश और बहुनिर्गम कार्यक्रम जैसे 10वीं बोर्ड या मैट्रिक के पश्चात दो वर्षीय पाठ्यक्रम, 12वीं बोर्ड के पश्चात दो वर्षीय डिप्लोमा या जीकेसीआईईटी के दो वर्षीय प्रमाणपत्र या (i) सिविल इंजीनियरिंग (सीई), (ii) कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई), (iii) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (ईई), (iv) खाद्य प्रौद्योगिकी (एफटी), (v) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एई), (vi) कैमिकल इंजीनियरिंग (सीएसटी) और (vii) सेरीकल्चर एंड टेक्टाइल टेक्नालोजी (एसटीटी) विभाग से दो वर्षीय समकक्ष कार्यक्रम। प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम दोनों पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास परिषद (डब्ल्यूबीएससीसीटीएंडवीईएंडएसडी), कोलकाता से संबद्ध हैं। हालांकि, कैमिकल टेक्नोलोजी (एसएचडी) और सेरीकल्चर एंड टेक्टाइल टेक्नालोजी (एसटीटी) को कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग (सीएसई) में उच्च डिप्लोमा माड्यूल के लिए प्रोन्नत किया गया है। इस संस्था का अंतिम लक्ष्य अपने आपको डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने वाले तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित करते हुए एक अग्रणी संस्था बनने का है।

अनौपचारिक शिक्षा

गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल की प्रमुख सेवाओं में कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को पूरा करना है। अनौपचारिक शिक्षा को इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था कि अंतरविषयक और अंतरक्षेत्रीय प्रभावी पेशेवर तकनीकी मानव शक्ति के विभिन्न आयामों का सृजन किया जा सके जो शिक्षा में तकनीकी प्रतिस्पर्धा के विकास और उसके रूपांतर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का काम कर सके। यह जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह समाज की आर्थिक दशा को ऊपर उठाने तथा समावेशी विकास के लिए बहुत से अल्पावधि/दीर्घावधि कौशल अभिमुखी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, स्कूल ड्रॉपआउट और अन्य लाभवंचित वर्ग की आवश्यताओं की पूर्ति करने के लिए जमीनी स्तर पर अच्छे से अच्छी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए कुशल मानव शक्ति को तैयार करना और एनवीईक्यूएफ के माध्यम से मुख्यधारा में लौटने के अवसर प्रदान करना है।

शैक्षिक वर्ष 2016–17 के लिए जीकेसीआईईटी, मालदा के अनौपचारिक सेक्शन ने एआईईसीटी और एनवीक्यूएफ द्वारा संचालित तकनीकी संस्थाओं हेतु प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन किया है और निम्नलिखित सेक्टरों में संबद्धता प्राप्त की है तथा शैक्षिक वर्ष 2017–18 के लिए उसने अपनी तैयारियां सुनिश्चित की है।

उद्योग प्रशिक्षण

संस्थान कार्यक्रमों में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगों जैसे रेल, पीजीसीआई, फरका बैरेज, डब्ल्यूबीएसबीसीएल और अन्य निजी क्षेत्र उद्योगों जैसे टाटा मोटर्स और अन्य समीपवर्ती उद्योगों में प्रत्येक माड्यूल का अध्ययन कर रहे छात्रों के आद्योगिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए है।

अवसंरचना

जीकेसीआईईटी ने लगभग 100 एकड़ भूमि, जो स्वर्गीय गनी खान चौधरी के परिवार के सदस्यों द्वारा दान में दी गई है, पर नारायणपुर, मालदा में अपने स्थायी भवन का निर्माण शुरू कर दिया है। लगभग 78.48 एकड़ जमीन को गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल के पक्ष में म्यूटेट/विलेख कर लिया गया है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक की स्थापना 1959 में एसईएटीओ सदस्य राज्यों की उच्च तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एसईएटीओ स्नातक इंजीनियरिंग विद्यालय के रूप में की गई थी। सन् 1967 में एसईएटीओ ने अपना नियंत्रण त्याग दिया और संस्थान का नाम एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान रख दिया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपे जा रहे है, प्रबंधन के साथ एक स्वायत्त संस्थान हो गया। इस समय बैंकाक में भारत के राजदूत एआईटी बैंकाक न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं। भारत सरकार विशिष्ट चुनिंदा क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति द्वारा एआईटी को सहायता प्रदान करती है और प्रति वर्ष संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के लिए 33.00 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति करती है। मंत्रालय ने अगस्त, 2017 सत्र के लिए 8 और फरवरी, 2018 सत्र के लिए 5 उम्मीदवार नियुक्त किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार एआईटी को प्रत्येक वर्ष भारतीय उपकरण, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने के लिए 3 लाख रूपए सहित 50 लाख रूपए भी प्रदान करती है।

कोलंबो तकनीकी शिक्षा प्लान स्टॉफ कॉलेज (सीपीएससी) मनीला को सहायता

टेक्नीशियनों के लिए कोलबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी), मनीला कोलंबो योजना की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। इसकी स्थापना कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता करने के लिए वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की परामर्शदात्री समिति की 23वीं बैठक में 5 दिसंबर, 1973 को की गई थी। बारह वर्षों के लिए प्रथम मेजबान सरकार के रूप में कार्य कर रहे सिंगापुर गणराज्य के साथ यह 1974 में प्रचालनशील हुआ। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस चला गया। कोलंबो योजना स्टाफ कॉलेज एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों का अनूठा संगठन है जो टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मामलों का समाधान करने वाला एशियन पेसिफिक क्षेत्र में अकेला क्षेत्रीय संस्थान है। स्टॉफ कॉलेज का उद्देश्य है कि टेक्नीशियन शिक्षक, शिक्षाविद और प्रशिक्षकों और टेक्नीशियन शिक्षा में वरिष्ठ स्टाफ की जरूरत पूरी करके सेवाकालीन प्रशिक्षण और स्टाफ विकास कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भाग लेने द्वारा कोलंबो योजना क्षेत्र में टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकें।

******

अध्याय 19

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

अध्याय 19

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(i) सारांशः

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी गुणवत्ता शिक्षा सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) को वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक दीर्घावधि कार्यक्रम के रूप में 2003 में शुरू किया गया था जिसको तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। तकनीकी गुणवत्ता शिक्षा सुधार कार्यक्रम टीईक्यूआईपी) के पहले चरण को 2003 में शुरू किया गया और 2009 को समाप्त हुआ। इसमें 18 केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानएं सहित 13 राज्यों की 127 संस्थाओं को कवर किया गया। टीईक्यूआईपी–।। अगस्त, 2010 में शुरू हुआ जिसमें 191 संस्थाएं (26 सीएफटीआई सहित) और 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया गया। टीईक्यूआईपी–।। मार्च, 2017 में समाप्त हुआ। दोनों प्रयोजनों को जहां भी कार्यान्वित किया गया उनका तकनीकी शिक्षा में अवसंरचना में शिक्षा मानकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पर्वतीय राज्यों में स्थित संस्थाओं को इसी तरह के तथा विशिष्ट अंतक्षेपों की जरूरत है। परियोजना टीईक्यूआईपी–।।। को इन आवश्यताओं की पूर्ति तथा अंतराल को पाटने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत, 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 100 संस्थाओं/संबंधन तकनीकी विश्वविद्यालयों एटीयू को कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्पर्क परियोजन के लिए 100 अन्य संस्थाएं/एटीयू होंगी।

टीईक्यूआईपी–।।। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाए जा रहे भारत सरकार की परियोजना का तीसरा चरण है जिसे भारत में इंजीनियरिंग गुणवत्ता प्रणाली में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। ईएफसी ने 2660 करोड़ रूपए की लागत के साथ 19 अप्रैल, 2016 को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में टीईक्यूआईपी–।।। को अनुमोदित किया और आर्थिक मामले संबंधी संसदीय समिति (सीसीए) ने 12 सितंबर, 2016 को इसे अनुमोदित किया। परियोजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 है जो 14वीं वित्त समिति की अवधि के साथ–साथ समाप्त होने वाली है। टीईक्यूआईपी–।।। 01 अप्रैल, 2017 से अधिकारिक रूप से शुरू की गई है।

- **उद्देश्यः**

  परियोजना का उद्देश्य चयनित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्ता और समानता को बढ़ावा देना है तथा फोकस राज्यों, जैसे (07 कम आय राज्यों, 3 पर्वतीय राज्यों, 08 पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र), में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार करना है। परियोजना में निम्नलिखित घटक और उप–घटक शामिल हैः

(ii) कवरेज

- फोकस राज्यों में स्थित सभी एआईसीटीई अनुमोदित राज्य सरकार वित्तपोषित/सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थाओं/तकनीकी विश्वविद्यालय ओर पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

- फोकस राज्यों के संबंधन तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू)
- टीईक्यूआईपी–। टीईक्यूआईपी–।। का उच्च कार्य प्रदर्शन करने वाली राज्य सरकार वित्त पोषित/सहायता प्राप्त संस्थाओं/गैर–संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय/केंद्रीय वित्तपोषित संस्थाओं और सम्पर्क व्यवस्था के लिए देशभर के एटीयू

(iii) मुख्य विशेषताएं

1. फोकस राज्यों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
2. एटीयू से संबद्ध गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं की शिक्षा गुणवता में सुधार के लिए संबंधन तकनीकी विश्वविद्यालयों (एटीयू) की भागीदारी
3. ट्वाइनिंग व्यवस्था के माध्यम से फोकस राज्यों में संस्थानों की निगरानी
   - मेंटर के रूप में चयनित अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीईक्यूआईपी–। और टीईक्यूआईपी–।। संस्थाएं
   - चुनौती पद्धति के माध्यम से
   - फोकस राज्यों की मार्गदर्शित प्रत्येक संस्था के एक मेंटर
   - मार्गदर्शन क्षेत्र के निर्धारण के लिए ट्वाइनिंग करार
4. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा छात्र अधिगम मूल्यांकन (एसएलए)
5. पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल आधारित सीधी निधि अंतरण प्रणाली (डीटीईएफ)
   - सभी भागीदारी संस्थाओं द्वारा निधि उपयोग के लिए एक बैंक खाता (जिसे केंद्रीय पूल खाता कहा गया है)
   - सभी संस्थाओं को वर्चुअल बजट (आवंटन)
   - घटक–वार आवंटन और व्यय की बुकिंग
   - सभी संस्थाओं द्वारा केंद्रीय पूल खाते से सीधे ई–भुगतान की शुरूआत
   - डिजिटल हस्ताक्षर प्रणामपत्र (डीएससी) का प्रयोग करते हुए भुगतानों का अनुमोदन
   - वेंडर/लाभार्थी संस्थाओं को सीधा भुगतान/क्रेडिट
   - भुगतान का समय पर क्रेडिट
   - शीघ्र और पारदर्शी प्रणाली
   - भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप
6. परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति के लिए यथानिर्धारित संवितरण से जुड़े सूचकांक (डीएलआई)। वर्ल्ड बैंक भागीदारी संस्थाओं द्वारा डीएलआई की उपलब्धि के आधार पर निधियों की पूर्ति करेगा। टीईक्यूआईपी–।।। के लिए डीएलआई निम्नानुसार है:
   - एनबीए प्रत्यायन
   - यूजीसी स्वायत्तता
   - गेट में अर्हता अंकों की प्राप्ति
   - गेट का एक अनिवार्य अंतिम परीक्षा के रूप में

(iv) वर्तमान स्थिति

- 13 एटीयू सहित 173 संस्थाओं का पहले ही चयन कर लिया गया है और परियोजना गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए अभिमुखी कार्यशालाओं को आयोजन किया गया है।
- सभी संस्थाओं/एटीयू को बेहतर निदेशन के लिए एक मेंटर संस्थान/एटीयू से जोड़ा गया है।

- मेंटर संस्थाओं को मार्गदर्शित संस्थान में शिक्षा गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, जिसके आधार पर परियोजना में मेंटर संस्थान का जारी रहना निर्भर करेगा।
- सभी फोकस राज्यों में राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एपीआईयू) स्थापित की गई है।
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत निधियों की सीधी प्राप्ति के लिए सभी एजेंसियों को पंजीकृत/मैपिंग की गई है।
- डीएफटीएस को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है सभी भागीदारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्विंत किया गया है।
- 53 प्रतिभागी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1225 अनुबंधित संकाय (03 वर्ष के अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर) भर्ती किए गए हैं और इन संकायों के लिए योजना के तहत विभिन्न आईआईटी में समावेशन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
    - कुल आयोजित कार्यशालाएः 26
    - कुल कवर की गई संस्थाएंः 53
    - कुल प्रशिक्षित संकायः 1200
- टीईक्यूआईपी–।।। की परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में एआईसीटीई अधिदेश के 10 बिंदुओं को शामिल किया गया है और इन्ही बिंदुओं को संस्थाओं/एटीयू द्वारा अपने संस्थानिक विकास योजना (आईडीपी) में शामिल किया गया है तथा अपनी कार्य योजना का भाग बनाया गया है।
- संस्थाओं के प्रमुखों और टीईक्यूआईपी समन्वयकों के लिए नए छात्रों के समावेशी कार्यक्रम पर संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित की गई।
- स्टार्ट–अप गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई और प्रत्येक संस्था/एटीयू में सवन्वयक नियुक्त किए गए।
    - कुल आयोजित कार्यशालाएंः 06
    - लाभार्थियों की कुल संख्या (स्टार्ट–अप समन्वयक):160
- सभी फोकस राज्यों में परिणाम आधारित शिक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित की गई।
- बीओजी अध्यक्ष और निदेशकों/प्रधानाचार्यों के लिए बेहतर अभिशासन सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- परिणाम आधारित शिक्षा (ओबीई) कार्यशालाएं – प्रत्यायन के लिए एबीईटी मापदंड
    - आयोजित कुल कार्यशालाएंः 66 और 24 आयोजित की जा रही हैं।
    - कवर की गई कुल संस्थाएंः 66 संस्थाएं
    - लाभार्थी संकाय की कुल संख्याः 5000 संकाय
- आईआईएमआईआईटी प्रयासः केआईटी दिशा–निर्देश तैयार किए गए, आईआईएम के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया। अब तक आईआईएम द्वारा 10 पीडीटी आयोजित किए गए हैं।

******

अध्याय 20

हेफ़ा HEFA

ENABLING EXCELLENCE

उत्कृष्टता को सक्षम कराना

उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी

अध्याय 20

उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी

1. वित्त मंत्री के बजट भाषण 2016–17 के पैरा 62 में की गई घोषणा के अनुसार उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) एक नॉट–फॉर–प्रोफिट संगठन की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ बाजार से निधि का लाभ प्राप्त करने और दान अनुपूरक करने और आंतरिक प्राप्ति और सीएसआर निधि के माध्यम से शीर्ष संस्थानों में अवसंरचना में वित्तीय सुधार हेतु की जानी है

2. तदनुसार, उपर्युक्त बजट घोषणा की कार्यान्वयन प्रक्रिया में ईएफसी ने अपनी 04.07.2016 को आयोजित बैठक में और मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर, 2016 को अपनी बैठक में एचईएफए की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित वित्तपोषण एजेंसी की देखरेख के लिए उच्चतर शैक्षिक वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना हेतु 29.12.2016 को केनरा बैंक की पहचान की गई और संयुक्त वेंचर पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया। 9 फरवरी, 2017 को इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में 16 मार्च, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच संयुक्त उपक्रम समझौता (जेवीए) पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केनरा बैंक द्वारा संयुक्त साझेदारी कंपनी का इक्विटी में निवेश निम्न अनुपात में होगाः

क्र. सं.	पार्टी	हिस्सेदारी (रूपये में)	हिस्सेदारी का प्रतिशत
3	भारत सरकार	रूपये 1000,00,00,000/–	90.91
4	केनरा बैंक	रूपये 100,00,00,000/–	9.09

5. हेफा को अब 31.05.2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक द्वारा हेफा को अब तक इक्विटी का निम्नलिखित अंशदान किया गया हैः

ग्राहक का नाम	राशि (रूपये करोड़ में)
भारत सरकार, एमएचआरडी, उच्चतर शिक्षा विभाग	250
केनरा बैंक	50
कुल	300

6. हेफा के निदेशक बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः दिनांक 12.06.2017 और 11.08.2017 को आयोजित की गई थी। हेफा अब कार्यात्मक है और संस्थानों को दिनांक 16.08.2017 को हेफा के लाभ लेने के लिए आवेदन प्रारूप के साथ सूचित कर दिया गया है। हेफा के निदेशक बोर्ड की तीसरी बैठक दिनांक 29.11.2017 को आयोजित की गई थी जिसमें हेफा हेतु निम्नलिखित ऋण आवेदनों पर विचार किया गया था:

क्र. सं.	संस्था का नाम	प्रस्तावित ऋण राशि (रू. करोड़ में)
1	आईआईटी–कानपुर	391
2	आईआईटी–दिल्ली	200
3	आईआईटी–खड़गपुर	500
4	आईआईटी–मद्रास	300
5	आईआईटी–बम्बई	521
6	एनआईटी–सूरतकल	80
	कुल	**1992**

******

अध्याय 21

Indian Council of
Social Science Research

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

अध्याय 21

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली 24 शोध संस्थानों, छह क्षेत्रीय केंद्रों और 5 मान्यता प्राप्त संस्थानों का जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं सहित एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठन है। इसे भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 1968 को शासकीय अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था और इसने अपना कार्य 12 मई 1969 को शुरू कर दिया था ताकि देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का विकास हो सके और उसका वित्तपोषण हो सके। यह एक स्वायत्त संगठन है जिसका पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत कार्य करता है।

अपनी स्थापना के पिछले 49 वर्षों के दौरान, आईसीएसएसआर देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के विकास और वित्त पोषण में कार्यशील है।

- यह अपने सभी अनुसंधान संस्थानों को बहु–विषयी पहलुओं से स्थानीय मुद्दों के अध्ययन के लिए रखरखाव और विकास अनुदान प्रदान करता है।
- परिषद ने विद्यार्थियों के आदान–प्रदान और सहयोग और संयुक्त शोध परियोजना/सम्मेलनों/सेमिनारों/प्रशासन के रूप में 11 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय करार किया है।
- आईसीएसएसआर ने उनके महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संगठन जैसे सामाजिक विज्ञान संगठनों का अंतरराष्ट्रीय संघ क्यूटोन सिटी, फिलिपिंस), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद (पैरिस,फ्रांस) एशिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया) एशिया विज्ञान परिषद (टोक्यो, जापान) आदि की गतिविधियों में भी भाग लिया।
- इसके प्रारंभ से आईसीएसएसआर ने हजारों डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल, वरिष्ठ और राष्ट्रीय फैलोशिप प्रदान की तथा कई हजार बड़े–छोटे और सहायक शोध परियोजना को स्वीकृति दी है, विदेश के सेमिनार में शोधपत्रों का प्रस्तुतीकरण और डाटा एकत्रीकरण के लिए अनेकों शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। युवा संकायों और शोधार्थियों के लिए अनेक प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वित्तपोषण दिया, छात्रों और व्यवसायिक संगठनों को उनकी शोध रिपोर्ट/जर्नल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शोध की वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण का 6 राउंड आयोजित किए और अनेकों सामाजिक वैज्ञानिकों को शोध सेवाएं जैसे पुस्तकालय, दस्तावेजी ई–करण डाटा और संसाधन प्रदान किए हैं।
- आईसीएसएसआर भारत सरकार को शोध आधारित परामर्श का प्रस्ताव करता है और यूके सहित न्यूटन–विवेकानंद कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर योगदान दिया है, मऊ, मध्यप्रदेश में सामाजिक विज्ञान अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसने विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आदि के लिए समय समय पर अध्यन भी कराया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने वर्ष 2017–18 के लिए आईसीएसएसआर को 17,813.03 लाख रुपए जारी किए थे।

आईसीएसएसआर ने 2017–18 में निम्नलिखित गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

i) परिषद ने 425 प्रमुख, लघु और सहयोगात्मक शोध परियोजना और महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान मुद्दों पर शोध करने के लिए युवा और स्थापित शोधार्थियों और संकायों को वरिष्ठ, पोस्ट डॉक्टोरल और डॉक्टोरल फैलोशिप सहित 764 फैलोशिप स्वीकृत की हैं।

ii) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद में शोध पद्धति और कंप्यूटर एप्लीकेशन, शोध में सांख्यिकी का उपयोग, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक शोध, सामाजिक विज्ञान, भूगोल आदि पर युवा संघ और पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों हेतु 51 प्रशिक्षण और क्षमता विकास पाठ्यक्रमों के आयोजन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संगठनों को अनुदान प्रदान करती है।

iii) 363 अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलनों के आयोजन हेतु विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, सामाजिक वैज्ञानिकों के शोध संस्थानों और व्यवसायिक एसोसिएशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

iv) फ्रांस, जापान, थाईलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका आदि से "सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम" को मजबूत किया गया था। परिषद का अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद (आईएसएससी), एशिया सामाजिक परिषद संघ (एएएसएसआरईसी) एशिया विज्ञान परिषद (एससीए) और यूनेस्को आदि के साथ सहयोग जारी है। 214 छात्रों को उनके अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने और विदेश से डाटा एकत्रीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

v) परिषद ने रखरखाव और विकास अनुदान प्रदान कर 24 शोध संस्थानों और छः क्षेत्रीय केन्द्रों की सहायता जारी रखी।

vi) आईसीएसएसआर ने प्रकाशन अनुदान योजना के तहत 22 डॉक्टोरल शोध पत्र और शोध रिपोर्ट प्रकाशित की और सामाजिक वैज्ञानिक के पाठ्यव्यावसायिक संगठनों/संघों को उनके शोधजर्नलों के प्रकाशन के लिए और 3 संगठनों को उनके व्यवसायिक विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vii) आईसीएसएसआर ने डिजिटल रूप में सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के विषय में "आईसीएसएसआर जर्नल सार और समीक्षा" प्रकाशित की है। आगे शोध करने और नीति बनाने के लिए शोध निष्कर्षों के विकास और प्रसार में "शोध सर्वेक्षण" महत्वपूर्ण कार्य करता है। परिषद ने पांच विषयों अर्थात अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और सामाजिक वैज्ञानिक में शोध सर्वेक्षण के छः चक्र आयोजित किए। मनोविज्ञआन की अंतिम रिपोर्ट प्रेस में है और अप्रैल, 2018 तक प्रकाशित होने की संभावना है। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र और सामाजिक नृ विज्ञान की अंतिम रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित कर दी है।

viii) परिषद का डॉक्यूमेन्टेशन केन्द्र (एनएएसएसडीओसी) सामाजिक विज्ञान समुदाय की सूचना उपलब्ध कराता है। इसका संदर्भ स्रोत का बडा भण्डार (39,000) है जैसे विबलोग्राफिक्स, इन्साइक्लोपीडिया, डायरेक्ट्री जर्नल, डाक्टोरल शोधपत्र, शोध परियोजनाएं अध्येतावृत्ति रिपोर्ट आदि। केन्द्र डिजिटल संसाधन से सूचना खोज जैसे इंटरनेट, सीडी–रोम आदि के लिए सुविधा

प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एनएएसएसडीओसी सतत–शिक्षा कार्यक्रम के तहत सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।

ix) वित्तीय वर्ष में आईसीएसएसआर की मुख्य गतिविधियों में कुछ में विशेष क्षेत्रों में जटिल मुद्दों पर शोध अध्ययन (भारत सरकार द्वारा समर्थित), आईसीएसएसआर की फ्लैगशिप भारत सामाजिक विज्ञान जर्नल की समीक्षा, सामाजिक विज्ञान और मानविकी हेतु ईयू– इंडिया प्लेटफार्म बनाना (ईक्यूयूआईपी) "सुस्तरीकरण, समानता, बेहतर और सांस्कृति संपर्क" पर संयुक्त पायलेट कॉल आदि शामिल हैं।

भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली

भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार द्वारा मार्च 1977 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत गठित की गई थी। तथापि, इसने वास्तव में जुलाई, 1981 में कार्य करना प्रारंभ किया।

भारत सरकार द्वारा परिषद को निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ गठित किया गया था जैसे कि (1) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करना, (2) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रायोजित अथवा सहायता देना, (3) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, (4) व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा दर्शनशास्त्र में शोध परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना और/या अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए सांस्थानिक या अन्य प्रबंधनों का आयोजन और सहायता करना और, (5) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के क्षेत्रों और विषयों जिनमें दर्शनशास्त्र में अनुसंधान प्रोत्साहित करना चाहिए, का आवधिक संकेत देना और दर्शनशास्त्र में नजरअंदाज या विकसित होने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिकास के लिए विशेष उपाय अपनाना, (6) मनोविज्ञान में शोध गतिविधियों की देखरेख करना और अंतरविषयी शोध के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, (7) मनोविज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, विशेष पाठ्यक्रमों, अध्ययन सर्कल, कार्य समूह/पक्षों और सम्मेलनों को आयोजित करना, प्रायोजित करना और सहायता करना और संस्थान को इस उद्देश्य से स्थापित करना, (7) डाइजेस्ट, जर्नलों, आवधिक और शिक्षा कार्य जो मनोविज्ञान में शोध से संबंधित है के प्रकाशन हेतु अनुदान देना और उसका प्रकाशन करना, (8) फैलोशिप, छात्रवृत्ति और छात्र, शिक्षक और अन्यों द्वारा मनोविज्ञान में शोध हेतु पुरस्कार स्थापित करना और देखरेख करना, (9) डाटा की देखरेख और तैयार करना, मनोविज्ञान में वर्तमान शोध की सूची तैयार करना और (10) मनोवैज्ञानिकों का एक राष्ट्रीय रिज्सटर का संकलन करने सहित दस्तावेजीकरण सेवाओं का विकास और सहायता करना।

वर्ष 2017–18 के दौरान परिषद को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1960 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

वर्ष 2017–18 के दौरान उसके फैलोशिप कार्यक्रम के तहत परिषद ने 16 सामान्य फैलोशिप, 39 कनिष्ठ शोध फैलोशिप, 2 राष्ट्रीय फैलोशिप, 2 वरिष्ठ फैलोशिप प्रदान की हैं। 2016–17 के 14 सामान्य फैलो और 63 कनिष्ठ शोध फैलो थे जिन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा। परिषद ने एक फैलोशिप संपर्क कार्यक्रम और शिक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया।

परिषद ने 35 सेमिनार/सम्मेलन/संगोष्ठियों, 7 मनोविज्ञान संघों, 3 कार्यशालाओं का आयोजन/वित्तीय सहायता का विस्तार, 3 प्लेनरी सत्रों का समर्थन और 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/समर स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

परिषद ने शोध परियोजनाओं के लिए 11 छात्रों के लिए अनुदान जारी किया, अन्य 4 परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जिसमें पूर्व के वर्ष में 20 शोध

परियोजनाएं स्वीकृत कीं जो इस वर्ष के दौरान भी जारी रहीं।

लैक्चर कार्यक्रम के तहत परिषद ने राष्ट्रीय विजिटिंग प्रोफेसर (विदेशी) आईसीपीआर के 6 लैक्चर और विजिटिंग प्रोफेसर (भारत) के 13 लैक्चर और विदेशी छात्रों के 2 स्थानीय लैक्चर आयोजित किए। परिषद ने 63 कॉलेजों को उनके स्थानीय स्तर पर मनौविज्ञान को प्रोन्नति के रूप में आवधिक लैक्चरों को आयोजित करने के लिए अनुदान स्वीकृत किया। इसी प्रकार विश्व मनोविज्ञान दिवस उत्सव के तहत परिषद ने संपूर्ण देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 30 विभागों को अनुदान स्वीकृत किया। शैक्षिक केन्द्र लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवल कार्यक्रम का आयोजन किया।

परिषद अमेरिका, चीन और ईरान देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग हेतु प्रक्रिया में रहती है। परिषद दीर्घ अवधि विजन और रोड मैप विकास संस्कृत से संबंधित समिति की मा.सं.वि. मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत सेल स्थापित करने की भी प्रक्रिया में है। परिषद दो विभिन्न स्थल नामतः जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया में भी है।

परिषद का अपना शैक्षिक केन्द्र लखनऊ में है जो कार्यशील है। समृद्ध पुस्तकालय जिसमें मनोविज्ञान पर 32,000 पुस्तकों से अधिक हैं और 6 अलग शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। वर्ष के दौरान परिषद ने अपने पुस्तकालय में मनोविज्ञान और अन्तरविषयी क्षेत्र की 4500 पुस्तकें प्राप्त की।

परिषद ने हिन्दी पखवाडा और हिन्दी त्रैमासिक निबंध प्रतियोगिता और सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया। प्रकाशन के तहत परिषद ने भारतीय मनोविज्ञान शोध परिषद के उसके जर्नल के 3 अंक जारी किए।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सन 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत की गई थी। परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं ऐतिहासिक अनुसंधान को उचित निर्देश देना और इतिहास के यथार्थ लक्ष्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। परिषद के मुख्य लक्ष्य हैं इतिहासकारों को एकत्र करना, उनके बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए मंच प्रदान करना, इतिहास की यथार्थ और युक्तियुक्त प्रस्तुतीकरण व्याख्या के लिए राष्ट्रीय निदेश देना, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को स्पांसर करना तथा ऐतिहासिक अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों की सहायता करना है। इसको इतिहास की व्यापक समझ होती है ताकि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य, दर्शनशास्त्र, पुरालेखशास्त्र मुद्राशास्त्रीय, पुरातत्व विज्ञान, सामाजिक–आर्थिक रचना प्रक्रियाएं और संबद्ध विषय जिनकी सशक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति और विषयवस्तु होती है।

वर्ष 2017–18 (26 मार्च, 2018 तक) के लिए कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे दर्शाने वाला सारः

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1	शोध परियोजनाएं	उपलब्ध नहीं	31
2	वरिष्ठ अकादमिक अध्येतावृत्ति	10	07
3	विदेशी यात्रा अनुदान	उपलब्ध नहीं	19
4	प्रकाशन सब्सिडी	उपलब्ध नहीं	54
5	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	80	80
6	पोस्ट–डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	10	10
7	अध्ययन–सह–यात्रा अनुदान	उपलब्ध नहीं	70

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
8	इतिहासकारों के व्यवसायिक संगठन द्वारा सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन इत्यादि	उपलब्ध नहीं	170
9	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	03	01

परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी कर रही है (i) भारतीय अभिलेखों में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दावली (ii) विज्ञान का इतिहास और भारत में प्रौद्योगिकी (iii) भारत में कस्बों और गांवों का ऐतिहासिक इनसाइक्लोपीडिया (iv) भारत पर विदेशी स्रोत का अनुवाद (v) आधुनिक भारत प्रिंस स्टेट (vi) आधुनिक भारत राजनीति और लोकतांत्रिक (vii) भारत का पर्यावरण में इतिहास (viii) भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक इतिहास पर दस्तावेज देव 19वीं सदी में उत्तर और पश्चिम भारत जीवन की गुणवत्ता (ix) पूर्वोत्तर भारत का अभी लेकर स्रोत का सर्वेक्षण, एकीकरण, दस्तावेज ई–करण और डिजिटाइजेशन (x) भारतीय शिक्षा पर एपिग्राफिकल रिकॉर्ड।

कुल स्वीकृत 24 करोड़ रुपए के अनुदान में से 23 मार्च 2018 तक 19.51 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद एन सी आर आई मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चाडी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर कार्रवाई कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1995 भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1350एफ (1350 एफ का अधिनियम सं.1) के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद उच्चतर शिक्षा प्रयासों के माध्यम से जागरूक ग्रामीण भारत को प्रोन्नत करती है। एनसीआरआई भारत में विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा प्रस्तावित उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम विषयवस्तु का डिजाइन, विकास और प्रोन्नयन करता है और निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों सहित उत्प्रेरक संगठन के रूप में परिवर्तन की शुरूआत और समेकित विकास करता है:

(i) ग्रामीण मुद्दों सहित उच्चतर शिक्षा का विकास करना

(ii) भारत में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करना।

(iii) उभरते ग्रामीण वातावरण के आसपास त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम विकसित करना।

(iv) विश्वविद्यालयों के फील्ड आधारित पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और

(v) सामाजिक और ग्रामीण पुनर्निमाण हेतु उपकरण के रूप में कार्रवाई शोध प्रोन्नत करना और समय–समय पर संदर्भित ग्रामीण पहलुओं पर उच्चतर शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर सरकार को परामर्श देना।

शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और मूल पहलों सहित आजीविका पर जोर देते हुए फ्लैगशिप सामाजिक और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मजबूत करते हुए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता और उनके प्रतिनिधि उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनसीआरआई ग्रामीण उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम को मजबूत करना और संबंधित संकाय सदस्यों को मजबूत करता है। एनसीआरआई हेतु उच्चतर शिक्षा शाखा में शामिल है: ग्रामीण अध्ययन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, सामाजिक कार्य और शिक्षा। क्षमता विकास और ग्रामीण संस्थानों का व्यतिकरण, कौशल विकास, उद्यमशीलता, आजीविका, सामुदायिक पहल, स्थानीय समूह का सृजन और एनसीआरआर शोध और हस्तक्षेपों के मुख्य विषय सृजित प्रोएक्टिव विकास कार्रवाई।

वर्ष 2017–18 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 270.00 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त, बजट आवंटन के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित 102.00 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट के 377.00 लाख रूपए है। वर्ष 2017–18 के दौरान परिषद ने ग्रामीण शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास के प्रोन्नयन हेतु विभिन्न केंद्र/राज्य विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। एनसीआरआई विभिन्न केंद्र/राज्य विश्वविद्यालय को 3 वर्ष की अवधि के लिए पीएचडी फैलोशिप प्रायोजित की है।

वर्ष के दौरान परिषद ने "ग्रामीण सहयोग पाठ्यक्रम विकास" और ग्रामीण मुद्दे जैसे क्षमता विकास, ग्रामीण शिक्षा, पाठयक्रम विकास, ग्रामीण संचार के विकास पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों, तेलंगाना राज्य के राज्य विश्वविद्यालयों, एनआईटी, एनएसएस के सहयोग से कार्यशाला/सेमिनार/परिचय/राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किए।

यूनीसेफ परियोजना

तेलंगाना राज्य में विश्वविद्यालयों में ग्रामीण जागरूकता विकास हेतु आपदा संकट में राहत पर सन्दई कार्य ढांचे को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से यूनिसेफ ने दो चरणों में एक परियोजना का प्रायोजन किया। तेलंगाना राज्य में दस विश्वविद्यालय राउंडटेबल, पाठ्यक्रम विकास कार्यशाला और संकाय विकास कार्यक्रम सहित इस परियोजनाओं में शामिल है जिसके लिए कुल परियोजना लागत 38.58 लाख रूपये है। इसमें से 20.48 लाख रूपये प्रथम चरण में जारी किए गए थे और 18.10 लाख रूपये द्वितीय चरण में जारी किए गए।

"तेलंगाना राज्य के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में एसएफडीआरआर और ग्रामीण जागरूकता, क्षमता विकास पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का मुख्य धारा में लाना" पर एनसीआरआई, हैदराबाद में 30–31. 10.17 को दो दिवसीय कार्यशाला।

इस परियोजना के तहत दस विश्वविद्यालयों और तेलंगाना राज्य में 10 पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

शोध सर्वेक्षण:

- 13–15.07.17 में मध्य प्रदेश में खुतिया और पलदेव गांव का शोध अध्ययन।
- कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय और आंध्रा विश्वविद्यालय के माध्यम से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसान जागरूकता अध्ययन शुरू किया गया था।

ग्रामीण तन्मयता कैम्प:

- 1–3.09.17 से तेलंगाना राज्य के 10 गांव में हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से तीन दिवसीय ग्रामीण तन्यमता कैम्प।
- 8–9.11.17 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में एनएसएस अधिकारियों हेतु दो दिवसीय ग्रामीण तन्मयता ओरिएंटेशन कार्यक्रम।
- 11–12.11.17 को जेएनटीयू, हैदराबाद में दो दिवसीय एनएसएस ग्रामीण तन्मयता कैम्प।

विभिन्न राज्यों में 9 विश्वविद्यालयों में सात दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त परिषद ने निम्नलिखित गतिविधियां की:–

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम: परिषद ने मई 2017 से सितंबर 2017 माह के दौरान संपूर्ण देश के विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 43 छात्रों के साथ द्विमासिक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रकाशन: अर्धवार्षिक जर्नल शीर्षक भारतीय ग्रामीण शिक्षा और कार्य जर्नल (आईजेआरईई) और मासिक न्यूजलेटर शीर्षक कनेक्ट का प्रकाशन किया।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जीवन और विचार के मूलभूत उद्देश्य और समस्याओं की मुक्त और सृजन

जांच के लिए उच्च रिहायशी केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI अंतर्गत हुई थी तथा ये राष्ट्रपति निवास, शिमला में अवस्थित है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य, उन क्षेत्रों, जिनका मानव के लिए महत्व हो, में सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करना तथा इसके अतिरिक्त मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान शुरू करना, आयोजित करना, मार्गदर्शन करना तथा प्रोत्साहित करना है।

अध्येता आईआईएएस का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समुदाय है। वर्ष 2017–18 के दौरान 03 राष्ट्रीय अध्येता, 02 टैगोर अध्येता, 21 अध्येता और 2 अतिथि अध्येता संस्थान में थे। इसके अलावा, संस्थान प्रसिद्ध विद्वानों को संस्थान में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। इस संबंध में 2 विजिटिंग प्रोफेसरों और 6 विजिटिंग विद्वानों ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा किया। संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बड़ी संख्या में सेमिनार, सम्मेलन, अध्ययन सप्ताह, स्कूल, संगोष्ठी और राउंड टेबल आयोजित करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 11 सेमिनार, सम्मेलन, अध्ययन सप्ताह, स्कूल, संगोष्ठी तथा राउन्ड टेबल सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कुछ विषय थेः आईआईएएस में "भारतीय साहित्य और सामाजिक विकासः सिद्धांत, व्यवहार और सामुदायिक प्रभाव" पर राष्ट्रीय सेमिनार (05–07 अप्रैल, 2017) आईआईएएस में "क्षेत्रीय संस्कृति और नई मीडिया प्रौद्योगिकी" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार (26–28 अप्रैल, 2017), "जनजातियों की बोलियो का शुद्धिकरणः कॉलोनियल और कॉलोनियल भारत उपरांत अंतर संस्कृतिक मुद्दे" पर आईआईएएस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (17–19 मई, 2017), चम्पारन सदी पर राष्ट्रीय सेमिनार "गांधी और चम्पारन सत्याग्रहः एक प्रयत्न, एक परम्परा और समकालीन भारत" आईआईएएस में (29–31 मई, 2017) आईआईएएस में "भारतीय मीडिया अध्ययनः समकालीन संदर्भ" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (25–26 जुलाई, 2017), बनारस में "रिट्रीविंग द वॉयसेज फ्रॉम द मार्जिन्सः "थिंकर्स ऑफ मार्डन इंडिया" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (11–13 अगस्त, 2017), समेकित सुधार की आवश्यकताः विभिन्न पहलु पर आईआईएएस में राष्ट्रीय सेमिनार (21–23 अगस्त, 2017) आईआईएएस में "भारतीय संगीत और नृत्यः आलोचनात्मक अवधान और विषलेषण की कमी" पर राष्ट्रीय सेमिनार (04–06 सितम्बर, 2017), आईआईएएस में "लैंड क्वेश्चन इन नियो लिब्रल इंडिया" पर राष्ट्रीय सेमिनार (9–11 अक्टूबर, 2017), आईआईएएस में "भारतीय भाषा में पैराडाइम शिफ्ट और संबंद्ध विषय में उसका प्रभाव" पर अंतर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय सेमिनार (30 अक्टूबर–01 नवम्बर, 2017), आईआईएएस में "सिर पर मैला ढोने की कुप्रथाः स्वच्छता/साफ–सफाई/स्क्रेवेंजरों के प्रश्न पर पुनर्विचार" पर राष्ट्रीय सेमिनार (08–10 नवम्बर, 2017) संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन हेतु टैगोर केन्द्रः उपर्युक्त के अतिरिक्त, संस्कृति और सभ्यता हेतु टैगोर केंद्र (टीसीएससीसी) की स्थापना संस्थान में की गई थी। अब तक आईआईएएस में 4 टैगोर स्मृति लेक्चर का आयोजन किया गया है।

आईआईएस में मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रः आईआईएएस में सामाजिक विज्ञान और मानविकी विज्ञान हेतु अनुदान आयोग का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र भी है जिसमें कॉलेज/विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपनी स्वयं की रुचि पर कार्य करने के लिए वर्ष में एक महीना व्यतीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अप्रैल से नवंबर 2017 तक वर्तमान वर्ष के दौरान 73 छात्रों ने आईयूसी एसोसिएट के रूप में आईआईएएस का दौरा किया था।

प्रकाशनः संस्थान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र को देखते हुए अनुसंधान का प्रसार करने के लिए यह इसके रेजीडेंट अध्येताओं, दौरा करने वाले विद्वानों के शोध कार्यों और पुस्तकों और मानोग्राफों के रूप में संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाहियां को प्रकाशित करता है। ये आईआईएएस प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किए गए हैं और कभी शीर्ष वाणिज्यिक प्रकाशक जैसे ऑरिएंट

बलैक्स्वान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, परमानेंट बल्क, रूटलेज सेज, स्प्रिंगर आदि के सहयोग से। संस्थान के अपने 460 से अधिक ऐसे प्रकाशन हैं। यह आईआईएएस बुकशॉप पर उपलब्ध है जो फायर स्टेशन कैफे में स्थित है। इन्हें संस्थान की वेबसाइट http://books.iias.org से भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। आईआईएएस ने नवम्बर, 2017 तक 16 पुस्तकें, 2 जर्नल और 1 हिमांजली 14वां खण्ड प्रकाशित किया और 8 पुस्तकें और 1 जर्नल और 1 हिमांजली 15वां खण्ड।

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने अपना स्वयं का पिचर रिव्यू जर्नल, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन जो द्विवासिक डबल बलाइंड पिचररिव्यू इंटरडिसिप्लेनरी जर्नल है जिसका पहला अंक 1994 में प्रकाशित किया गया। यह जर्नल, हमारी मानवीय समझ, सभ्यता, संस्कृति और समाज से संबंधित मुद्दों की अवधारणा से संबंधित है। एसएचएसएस को मुक्त पहुंच घोषित किया गया है और सरलता से ऑनलाइन पहुंच बनाई जा सकती है। संस्थान अपने द्विवार्षिक रिव्यू जर्नल समरहिल का प्रकाशन भी करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केन्द्र की स्थापना की गई है।

संस्थान के इन जर्नलों और अन्य प्रकाशनों से संबंधित ब्यौरों को संस्थान की वेबसाइट iias.ac.in पर देखा जा सकता है।

पुस्तकालयः संस्थान का पुस्तकालय मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देश में एक उत्तम पुस्तकालय है जिसकी पचास से अधिक उपभोक्ताओं की रीडिंग रूप क्षमता है। मानव विज्ञान क्षेत्र, इतिहास, भाषा, साहित्य, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित इसका कलेक्शन विशेष रूप से अच्छा है और इसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। पुस्तकालय का प्रारंभ विद्वानों जैसे आर.सी. मजूमदार, अब्दूल मजिद खान, एच.सी. राय चौधरी, अजीत घोष और सर तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने पुस्तकालय को अपना निजी संग्रह प्रदान किया, की सहायता से किया गया था।

2017–18 के दौरान, पुस्तकालय को दिसंबर तक 1500 पुस्तकें प्राप्त हुई और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 800 से अधिक पुस्तकें प्राप्त होने की संभावना है। पुस्तकालय ने 200 प्रिंट जर्नल और ई–जर्नल फॉर्म सेज प्रकाशन, ड्यूक विश्वविद्यालय प्रेस और एसीएलएस मानवीकी ई–पुस्तकें भी सब्सक्राइब की हैं।

यह पुस्तकालय ई–शोध सिंधु का सदस्य हैं और मानवीकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसकी सहायता संघ के तहत सभी मुख्य संसाधनों की पहुंच है। पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और सूची–पत्र (कैटलॉग) ऑनलाइन है। इंटरनेट का उपयोग कर यूजर किसी भी समय कहीं से भी 24x7 घंटे पुस्तकालय पुस्तक सूची देख सकता है। पुस्तकालय ने 13 बाह्य सदस्य, 16 लघु अवधि सदस्य सदस्यता शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत किये हैं और जनवरी से दिसंबर 2017 तक 1583 वॉकइन यूजर्स ने अवलोकन किया।

पुस्तकालय ने क्रमशः एनडीएल परियोजनाओं के लिए पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सोल 2.0 और भारतीय डिजिटल रिपॉजिटरी (आईडीआर) पर इनपलिबेट केंद्र, गांधीनगर और आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से दो कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

आईटी अवसंरचनाः संस्थान में अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना है और वह सौ से अधिक इंटर कनेक्टिड वर्क स्टेशन और लॉन से जुड़े नेटवर्क प्रिंटर से सुसज्जित है। यह वर्क स्टेशन राष्ट्रीय नालेज नेटवर्क (एनकेएन) द्वारा प्रदत्त हाई ब्राडविड्थ इंटरनेट एक्सेस से युक्त हैं। हाई बैंडविडथ इंटरनेट एक्सेस जिसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) द्वारा प्रदान किया जाता है।

लेखाः वर्ष के दौरान 3915 लाख रूपये के स्वीकृत बजट में से 31.03.2018 तक 904.50 लाख रूपये की राशि प्राप्त की गई और 1394.30 रूपये के अव्यचित शेष को समायोजित कर कुल 2298.80 लाख रूपये उपयोग हेतु उपलब्ध थे और 31.03.2018 तक संस्थान ने केवल 1,701.07 लाख की राशि उपयोग की है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू नई दिल्ली

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) की स्थापना अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड यूपी के रूप में 1925 में की गई थी तथा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत 29 सितंबर 1967 को इसे सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसने अपना नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) 1973 में प्राप्त किया। एआईयू के मुख्य उद्देश्य हैं (क) अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना; (ख) सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना और विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय और आपसी परामर्श प्रदान करना है; (ग) विश्वविद्यालय और सरकार (केंद्रीय और राज्य सरकार) के बीच स्थापना का कार्य करना और समाज हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों और निकायों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) से सहयोग करना; (घ) भारत के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना; (ड.) ऐसे कार्यक्रम का विकास करना जिसमें अनुदेश का स्तर, परीक्षा, शोध, पाठ्यपुस्तकें, छात्र प्रकाशन, पुस्तकालय संगठन और ऐसे अन्य कार्यक्रम जिससे ज्ञान का विकास और प्रसार हो; (च) विश्वविद्यालयों को स्वायत्त स्वरूप बनाए रखने में मदद करना; (छ) शिक्षण और शोध स्टाफ के सदस्यों के आदान–प्रदान की सुविधा करना; (ज) जहां आवश्यक हो उच्च शिक्षा पर किसी सम्मेलन राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संघ के कॉमन प्रतिनिधि की नियुक्ति या सिफारिश करना; (झ) विश्वविद्यालयों को अन्य विश्वविद्यालयों, भारतीय और विदेशी, से उनकी डिग्री डिप्लोमा और परीक्षा हेतु मान्यता प्राप्त करने में सहायता करना; (ञ) उच्चतर शिक्षा में सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, लेक्चर और शोध आयोजित करना, व्यवस्था करना; (ट) सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेल के विकास के लिए खेल संगठन की स्थापना और रखरखाव करना; (ठ) युवा कल्याण, छात्र सेवाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा और ऐसी अन्य गतिविधियों हेतु विश्वविद्यालय के छात्रों शिक्षकों के कल्याण और विश्वविद्यालयों से जुडे अन्य मामलों के लिए संगठन की स्थापना और रखरखाव करना; (ड) विश्वविद्यालयों के लिए सेवा एजेंसी के रूप में ऐसी नीति में कार्य करना जो किसी भी प्रकार से आवश्यक या निर्धारित हो; और (ढ़) समाचार पत्रों, शोध पेपर, पुस्तकों और जर्नल के प्रकाशन के लिए सुविधा देना। अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए एआईओ अपने विभिन्न प्रकाशन विभागों अर्थात शोध डिवीजन, मूल्यांकन डिवीजन, अंतर्राष्ट्रीय डिवीजन, छात्र सूचना सेवा, प्रकाशन और बिक्री, खेल, युवा मामले, पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण, बैठकें, वित्त, प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है।

वित्तपोषणः इसका वित्तपोषण सदस्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त वार्षिक अंशदान, इसके प्रकाशन की बिक्री से प्राप्त राजस्व और अर्हता समानता से होता है। एआईयू को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2017–18 के दौरान 250 लाख रूपए की स्वीकृत राशि में से एआईयू को 10 मार्च 2018 को 208.04 लाख रुपए प्राप्त हुए।

सदस्यताः आज की तारीख में 705 विश्वविद्यालय एआईयू के सदस्य हैं। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय (43), राज्य विश्वविद्यालय (313), निजी विश्वविद्यालय (183), समवत–विश्वविद्यालय संस्थान (100) और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (49) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 15 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी एसोसिएट सदस्य हैं।

कुलपति/निदेशकों की वार्षिक और जोनल बैठकें: विश्वविद्यालयों में बातचीत, समन्वय और आपसी परामर्श की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ एआईयू ने 5 क्षेत्रीय बैठकें और कुलपति/निदेशकों की एक वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया। वर्ष के दौरान, केंद्रीय तिब्बत अध्ययन संस्थान, सारनाथ में 19–21 मार्च 2018 के दौरान कुलपतियों की वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था। जहां तक जोनल बैठकों का संबंध है, इसका आयोजन 12–13 दिसंबर, 2017 के दौरान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में, 17–18 नवंबर 2017 (ईस्ट जोन) के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर में, 4–5 दिसंबर 2017 को (उत्तरी जोन) के ऐमिटी विश्वविद्यालय, हरियाणा,

माणेसर में, 18–19 दिसंबर, 2017 (दक्षिण जॉन) के दौरान किया गया था कालीकट विश्वविद्यालय में और 27–28 नवम्बर, 2017 (पश्चिमी जोन) के दौरान भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई), गांधीनगर में किया गया था।

कुलपति/निदेशकों की राउंड टेबलः विशिष्ट प्रकार के विश्वविद्यालयों द्वारा सामना किए जा रहे विशिष्ट मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने की दृष्टि से एआईयू ने कुलपति/निवेशकों की राउंड टेबल का आयोजन किया। वर्ष के दौरान, एआईयू ने (क) 10–11 अक्टूबर 2017 के दौरान श्री वेंकटेश्वरा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थान, तिरुपति में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राउंड टेबल (ख) उस्मानिया विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर 27–28 अप्रैल, 2017 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राउंड टेबल।

राष्ट्रीय सेमिनारः वर्ष के दौरान एआईयू ने (क) श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय तिरुपति में कुलपति की वार्षिक सामान्य बैठक 5 फरवरी 2017 को "भारत में उच्च शिक्षा की सफलता के आयोजन" पर राष्ट्रीय सेमिनार" (ख) केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ में कुलपति की वार्षिक सामान्य बैठक 20 मार्च, 2018 को आयोजित की गई जिसके साथ–साथ "हायर एजुकेशन इन द एरा ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रोनोराशिप एंड डिस्रेप्टिव टेक्नॉलोजी विद फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूस इन द एज ऑफ डिस्रप्शन" पर राष्ट्रीय सेमिनार (ग) होटल इंपीरियल, नई दिल्ली में एसोचैम के सहयोग से 23 फरवरी 2017 को एंटरप्रेन्योर शिक्षा इकोसिस्टम विकास सम्मेलनः विश्वविद्यालयों का कार्य और योगदान पर सम्मेलन और (घ) अप्रैल 8–10 2017 के दौरान सिंबोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बदलते परिदृश्य" पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

क्षमता विकास सेमिनार/कार्यशाला/ सम्मेलनः एआईयू उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता विकास के लिए क्षमता विकास सेमिनार/सम्मेलन/ कार्यशाला का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान एआईयू ने (क) 21–23 मार्च, 2017 के दौरान एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ख) शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में 28–30 अगस्त, 2017 के दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ग) मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में 24 से 30 अक्टूबर, 2017 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति पर राष्ट्रीय कार्यशाला (घ) डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और शोध समवत–विश्वविद्यालय संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र में 14 से 16 नवंबर 2017 के दौरान उच्च शिक्षा में परीक्षा सुधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ड.) गोवा विश्वविद्यालय गोवा में 5 से 11 दिसम्बर 2017 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति पर राष्ट्रीय कार्यशाला (च) केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर में 19–21 दिसम्बर 2017 के दौरान विश्व–विद्यालय प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर राष्ट्रीय कार्यशाला (छ) कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर, केरला में 3 से 5 जनवरी 2018 के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ज) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश में 15 से 17 जनवरी 2018 के दौरान उच्चतर शिक्षा में परीक्षा सुधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया (झ) श्री कृष्ण देवराय विश्वविद्यालय अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में 5 से 11 फरवरी 2018 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ञ) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, खानाफरा, मेघालय में 5 से 7 मार्च 2018 के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया (ट) द नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा में 8 से 9 मार्च 2018 के दौरान जेंडर अध्ययन और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

शोध परियोजनाएंः वर्ष के दौरान एआईयू ने भारत और विदेश में उत्तर शिक्षा का विनियम चयनित देशों के अध्ययन पर परियोजना शुरू की और उनकी इसके

अतिरिक्त चल रही परियोजनाओं में (क) उच्च शिक्षा में सामाजिक अलगाव और समावेशन नीति नीतिगत प्रभाव का अध्यन (ख) केरल वेटरनरी और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, वायनाड, केरल के सहयोग से भारत में गैर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शासकीय ढांचे में श्रेष्ठ पद्धतियों का मूल्यांकन (ग) उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टताः एक अनुभव आधारित महाराजा अग्रसेन विद्यालय बद्दी सोलन के सहयोग से उत्तरी भारत के चयनित विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुस्थिरता पर इंपीरियल अध्ययन का आयोजन किया गया।

प्रकाशनः वर्ष के दौरान एआईयू ने (क) गवर्नेंस इन एक्शनः मेमोरिज ऑफ वाइस चांसलर; (ख) भारतीय उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर परामर्शी बैठक की रिपोर्ट; (ग) अन्वेषणः शोध परियोजना का संकलन (2016–17); (घ) वर्ष 2015 और 2016 के लिए सामाजिक विज्ञान, मानविकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए 6 खंडों में बिब्लोग्रॉफ्रिक्स ऑफ डॉक्टोरल डिसर्टेशन वर्ष 2017 हेतु डॉक्टर डिसर्टेशन के अन्य तीन खंड प्रगति में है; (ड.) उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरणः भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीयकरण छात्रों का वार्षिक सर्वेक्षण (2014–15) (च) सात विशेष अंक सहित सभी 52 अंकों में विश्वविद्यालय समाचार का प्रकाशन किया। वर्ष के दौरान निम्नलिखित यदा–कदा शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया गया थाः क) प्रोफेसर फुरकन कमर द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी दूर करना (ख) प्रोफेसर फुक्लिंग क्वामर और डॉक्टर आर के चौहान द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और शैक्षिक स्टाफ के वेतनमान के संशोधन पर एआईयू के विचार (ग) प्रोफेसर फुरकान कमर और प्रोफेसर पी बी शर्मा द्वारा नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति पर एआईयू के विचार (घ) उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता विकसित करने के लिए नियामक कार्य ढांचे का सुधार, भी प्रकाशित किया गया था।

विश्वविद्यालय हैंडबुकः एआईयू प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार देश में विश्वविद्यालयों के व्यापक ब्यौरे प्रकाशित करता है। यह ब्यौरे 3000 पृष्ठ से अधिक में दो खंडों में होते हैं और भारत में उच्च शिक्षा का एकमात्र व्यापक संकलन है। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों की हैंड बुक के 34वें संस्करण के प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।

अन्वेषणः द स्टूडेंट रिसर्च कनर्वेशनः उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और शोधार्थियों को संपूर्ण देश में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, एआईयू ने छात्र शोध कनवेंशन के आयोजन करने के लिए प्रमुख पहल की है। यह प्रयास वैज्ञानिक सूझबूझ को बढ़ाने और युवा शोधार्थियों के नए दृष्टिकोण को विकसित करना है ताकि निचले स्तर तक समाज का कल्याण और विकास हो। इस प्रमुख पहल का छात्रों को नया मंच प्रदान करने के लिए और युवाओं में नई सोच के लिए संस्कृति विकसित करने के लिए संपूर्ण देश में स्वागत किया गया। निम्नलिखित पांच क्षेत्रों (क) कृषि; (ख) आधारभूत विज्ञान; (ग) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी; (घ) स्वास्थ्य विज्ञान और संबंधी विषय; और (ड.) सामाजिक विज्ञान मानवीकी वाणिज्य और विधि में भारतीय विश्विद्यालयों/विश्विद्यालय स्तरीय संस्थानों के पूर्णकालिक यूजी, पीजी और शोध छात्रों से परियोजनाएं आमंत्रित की जाती हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान, एआईयू ने अन्वेषण का आयोजन किया: (क) नार्थ जोन अन्वेषण 20 से 21 जनवरी 2017 के दौरान चितकारा विश्वविद्यालय, पंजाब में छात्र शोध कनवेंशन (ख) साउथ जोन अन्वेषण 14 से 15 फरवरी 2017 के दौरान तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर, कर्नाटक में छात्र शोध कन्वेंशन (ग) ईस्ट जोन अन्वेषण 20 से 21 फरवरी 2017 के दौरान वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में छात्र शोध स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन (घ) सेंट्रल जोन अन्वेषणः छात्र शोध कन्वेंशन (ड.) वेस्ट जोन अन्वेषणः 7 से 8 मार्च 2017 के दौरान एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान में छात्र शोध कन्वेंशन और (च) राष्ट्रीय अन्वेषणः 27 से 29 मार्च के दौरान अन्नामलाई विश्विद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु में छात्र शोध कन्वेंशन।

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रस्तावित और प्रगति में शोध कन्वेंशन हैंः (क) रावेनशॉ विश्वविद्यालय कटक, ओडीसा

में 22 से 23 नवम्बर 2017 के दौरान सेंट्रल जोन अन्वेषणः स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन (ख) गणपत विश्वविद्यालय मेहसाणा, गुजरात में 14 से 15 फरवरी 2018 के दौरान वेस्ट जोन अन्वेषणः छात्र शोध कन्वेंशन (ग) भरतयार विश्वविद्यालय कोयमबटूर में 21 से 22 फरवरी 2018 के दौरान साउथ जोन अन्वेषणःस्टूडेंट सिचर्च कन्वेंशन (घ) डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में 24 से 25 फरवरी 2018 के दौरान ईस्ट जोन अन्वेषणः स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन (ड.) मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा में 26 से 28 फरवरी के दौरान नॉर्थ जोन अन्वेषणः स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन और (च) चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब में 14 से 16 मार्च 2018 के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषणः स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन।

अर्हता की समानता और पहचानः एआईयू उच्चतर शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश और रोजगार के उद्देश्य से प्रत्यायिक विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों, द्वारा प्रदत डिग्री के समान डिग्री प्रदान करने के लिए मॉडल ऐजेंसी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एआईयू ने 2,900 समकक्ष प्रमाण पत्र जारी किये। वर्ष 2017–18 (अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017) के दौरान छात्रों को 2,125 समकक्ष प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। एआईयू द्वारा समकक्ष प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए एक ब्रोशर जारी किया है। इसके अतिरिक्त एआईयू ने अब तक 69 स्वायत प्रबंधन संस्थानों के दो वार्षिक पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम को समकक्षता भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्ष में मूल्यांकन डिविजन से विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के मंत्रालयों, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के नामांकन/चयन से संबंधी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों को विदेशी अर्हता की हैसियत पर व्यवसायिक सहायता प्रदान की है।

अंतराष्ट्रीय सहयोगः एआईयू उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय सहयोग के प्रोन्नयन में सक्रिय कार्य कर रहा है। एआईयू द्वारा द्विपक्षीय और बहुस्तरीय स्तर पर अन्य देशों के साथ एमओयू और शैक्षिक आदान–प्रदान और विकास कार्यक्रमों पर इनपुट और टिप्पणी प्रदान कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता करता है। एआईयू ने (क) अर्हता की सुविधा और मान्यता के लिए मलेसियन अर्हता प्राधिकरण, (ख) कॉमनवैल्थ विश्वविद्यालय संघ (एसीयू), लंदन के साथ समझौता (एमओयू) किया है।

छात्र सूचना सेवा: एआईयू भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, व्यवसायिक निकायों की स्थिति और सांविधिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर सूचना प्रदान कर छात्रों, शिक्षकों अभिभावकों और अन्य हित धारकों की सहायता करता है।

खेल गतिविधियांः एआईयू अपनी परमपरा को जारी रखते हुए 5.25 लाख विश्वविद्यालय/कॉलेज छात्रों हेतु जोन और अंतर जोन (राष्ट्रीय) स्तर पर 206 खेल प्रतियोगिताओं के अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विश्वविद्यालय टीम ने वर्ल्ड विश्वविद्यालय खेल/चौम्पियनशिप, एशियन विश्वविद्यालय खेल/ चौम्पियनशिप में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, एआईयू स्पोर्ट स्टॉफ के व्यवसायिक ज्ञान और तकनीकी कौशल को अद्यतन करने के लिए विश्वविद्यालय खेलों पर राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित करता है।

युवा मामले–युवा उत्सवः पूर्व वर्षों के अनुसार एआईयू ने पांच अंतर–विश्वविद्यालय जोन युवा नवम्बर, 2–6, 2017 (केन्द्रीय जोन) के दौरान एआईएससीटीई, भोपाल में 15–19 दिसम्बर, 2017 के दौरान मोहन लाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 18–22 दिसम्बर, 2017 के दौरान हिन्दुस्तान (सम–विश्वविद्यालय) (दक्षिण जोन), 5–9 जनवरी, 2018 के दौरान गुवाहटी विश्वविद्यालय, असम (ईस्ट जोन) और 12–16 जनवरी, 2018 के दौरान महर्षि

मारकंडेश्वर (सम–विश्वविद्यालय) मुलाणा में आयोजित किए। राष्ट्रीय युवा उत्सव (यूएनआईएफईएसटी) का आयोजन 16–20 फरवरी के दौरान रांची विश्वविद्यालय, झारखंड में किया गया। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय युवा उत्सव (एसएयूएफईएसटी) का आयोजन 2–6 मार्च, 2016 के दौरान गणपत विश्वविद्यालय, महसाणा में किया गया।

पुस्तकालयः एआईयू उच्चतर शिक्षा पर 20,700 खण्ड और 150 जर्नल दोनों अंशदान और आदान–प्रदानअनुदान आधार पर प्राप्ति युक्त विशिष्ट पुस्तकालय की देखरेख करता है। पुस्तकालय में शैक्षिक आयोग और समिति रिपोर्टें; विश्वविद्यालयों के अधिनियम और संविधियां और शिक्षा पर अद्यतन न्यायालय के निर्णयों के संकलन का विशेष संग्रह है।

******

अध्याय 22

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

अध्याय 22

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) का संचालन कर रहा है ताकि किसी भी समय कहीं भी पद्धति से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट/इंटरानेट पर उच्च गुणवत्तायुक्त व्यक्तिपरक और पारस्परिक ज्ञान माड्यूल्स उपलब्ध करवाने में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों यथा सर्वसुलभता, समानता और गुणवत्ता को सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान कर, छात्रों व शिक्षकों को कम लागत और वहनीय एक्सेस–कम–कम्प्यूटिंग डिवाइस उपलब्ध कराके और देश में सभी शिक्षुओं को उच्च गुणवत्तापरक निःशुल्क ई–विषय–वस्तु प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। एनएमईआईसीटी में सभी तीन घटक शामिल हैं।

मिशन के प्रमुख दो घटक हैं: अर्थात् (क) ऑनलाइन शिक्षा और (ख) संस्थाओं और शिक्षुओं को कनेक्टिविटी प्रदान करना सहित प्रसार। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटिल डिवाइड अर्थात उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/विद्यार्थियों के बीच शिक्षण और सीखने के प्रयोजनार्थ कम्प्यूटिंग यंत्र का प्रयोग करने की दक्षता के अंतर को पाटना है और उन्हें सशक्त बनाना है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अनछुए रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ नहीं सके हैं। इसमें ई–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय ओपन सोर्स साफ्टवेयर विकास रोबोटिक्स, समुचित अध्यापन कला, वर्चुअल प्रयोगशालाओं के जरिए प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना, ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन, प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, लगभग सभी पाठ्यक्रमों की डिलिवरी के लिए 24x7 घंटों के आधार पर 32 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) शैक्षिक चैनलों को शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है।

एनएमईआईसीटी योजना के अंतर्गत संस्वीकृत कुछ परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

कैम्पस कनेक्टिविटी: एनएमईआईसीटी के अधीन देश में विश्वविद्यालयों को 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी तथा प्रत्येक कॉलेज में 10 एनबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान किया गया है। कुल 438 विश्वविद्यालयों को 1 जीबीपीएस ऑप्टीकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा गया है। 22026 कॉलेजों को अब तक 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ द्वारा कनेक्ट किया गया है। कैम्पस कनेक्टिविटी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय को 90 प्रतिशत केन्द्र अंश दिया जा रहा है और अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह 75 प्रतिशत है। शेष राशि का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा किया जाता है। 69 विश्वविद्यालयों में एलएएन कार्य पूरा हो गया है और बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया है।

अब एमएचआरडी ने निर्णय लिया है कि एनएएसी द्वारा प्रत्यायित सभी शेष केन्द्रीय या राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और प्राइवेट और सम–विश्विद्यालयों को जीबीपीएस एनकेएन क्नैक्टिविटी बढ़ाई जाए। 36 विश्वविद्यालयों ने अपना शेयर देने की इच्छा की पुष्टि की है, उनके लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की डिजिटल ''इंडिया पहल'' की तर्ज पर, एमएचआरडी ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों जिनकी एनकेन क्नैक्टिविटी है, के परिसरों को चरणबद्ध तरीके से "वाई–फाई युक्त" परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 34 विश्वविद्यालय अब वाई–फाई युक्त हैं। शेष विश्वविद्यालयों को शीघ्र ही वाई–फाई युक्त बना दिया जाएगा।

इंटीग्रेटिड ई–कंटेंट पोर्टलः इनफ्लिबनेट केन्द्र ने "ई–आचार्य नामक एक वेब आधारित पोर्टल तैयार किया है"। यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत विकसित और वित्तपोषित सभी ई–कंटेंट परियोजनाओं के लिए एकीकृत ई–कंटेंट पोर्टल है (http://eacharya.inflibnet.ac.in)। एनएमईआईसीटी के तहत ई–कंटेंट पर 50 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें विभिन्न भारतीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा विभिन्न विषयों की विषय–वस्तु (विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान आदि) में तैयार किया गया/तैयार किया जा रहा है। अब तक इस प्लेटफार्म पर लगभग 19,656 ई–टेक्स्ट, 29,824 ई–ट्यूटोरियल, 5449 स्वयं मूल्यांकन, 9217 वेब रिसोर्स अपलोड किए गए जिसमें अवर स्नातक हेतु 36,432 पाठ्यक्रम और स्नात्कोत्तर वीडियों हेतु 12,813 पाठ्यक्रम शामिल हैं, इस प्लेफार्म पर 5862 ई–टेक्स्ट, 2,225 क्विज और 20 परियोजना के 4509 लर्न मोर घटक अपलोड़ किए गए और अन्य परियोजनाओं से और विषयवस्तु अपलोड की जा रही है। पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रत्येक माड्यूल की खोज और डिस्कवरी सुविधा प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हैडिंग का प्रयोग करते हुए प्रत्येक माड्यूल को विस्तृत मेटाडेटा निर्धारित किया गया है।

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम): 'डिजिटल इंडिया' पहल और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के अनुसार, एमएचआरडी को सौंपे गए महत्व वाले क्षेत्रों में देश में प्रशिक्षुओं के लिए 'व्यापक ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम (मूक)' विकसित करना है और उन्हें उपलब्ध कराना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तदनुसार 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस' (स्वयम) नामक एक प्रमुख और नई पहल शुरू की है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग करते हुए और सभी उच्च शिक्षा विषयों एवं कौशल क्षेत्र पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म और पोर्टल प्रदान करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में प्रत्येक बच्चे को किफायती लागत पर उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुंच प्राप्त हो।

स्वयम को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है जिससे अत्यंत लाभवंचित सहित सभी को उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संसाधन प्राप्त हों।

स्वयम आईटी प्लेटफार्म को देश में ही विकसित किया गया है जोकि कक्षा नौवीं से स्नातकोत्तर तक कक्षा–कक्ष में पढ़ाए जाने वाले कई विषयों में पाठ्यक्रमों को पोर्टल पर उपलब्ध कराने की सुविधा देता है, जिन्हें किसी भी समय, किसी के भी द्वारा और कहीं भी देखा जा सकेगा।

शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों नामतः पहुंच, समता और गुणवत्ता को स्वयम के माध्यम से देश में सभी प्रशिक्षुओं को उच्च गुणवत्तायुक्त ई–कंटेंट द्वारा प्रदान कर हासिल किया जाएगा। स्वयम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं को निःशुल्क उपलब्ध हैं और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षण समुदाय द्वारा प्रदान किया जाता है।

एमएचआरडी ने 9 राष्ट्रीय मूक समन्वयक (एनएमसी) गठित किए हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न विषयों में मूक तैयार और प्रदान किए जाएं। गैर–इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर विषयों के लिए मूक तैयार करने हेतु एनएमसी के 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' को सौंपा गया है, 'आईआईटी मद्रास और एनपीटीईएल' के अन्य समूहों को इंजीनियरिंग विषयों पर मूक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, शिक्षा संचार परिसंघ (सीईसी), यूजीसी और उसके मीडिया केन्द्र का एक अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र, गैर–इंजीनियरिंग अवर–स्नातक विषयों के लिए मूक तैयार कर रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

(इग्नू) को डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठयक्रम पर मूक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों पर मूक बना रहा है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए सभी विषयों में मुक्त विद्यालयों के लिए मूक तैयार कर रहा है, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर और अन्य आईआईएम प्रबंधन विषयों पर मूक तैयार कर रहे हैं और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) चेन्नई और अन्य एनआईटीटीटीआर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मूक तैयार कर रहे हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को अन्य 8 और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा न देखे जा रहे विषयों में एमओओसी की देखरेख का कार्य किया गया है।

इस प्रक्रिया में, देश में सैंकडों संस्थाओं से शिक्षाविद स्वयम के माध्यम से लगभग सभी विषयों में वरिष्ठ विद्यालय से स्नातकोत्तर तक मूक तैयार करने और प्रदान करने में शामिल है जिसमें इनका उद्देश्य यह है कि विश्व स्तरीय सामग्री तैयार की जाए। एमएचआरडी से संस्थाओं के माध्यम से मूक तैयार करने और सुपुर्दगी के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

स्वयम पर होस्ट किए जाने वाले पाठ्यक्रम चार चरणों में तैयार किए जाते हैं– (i) वीडियो लेक्चर (श्रृव्य–दृश्य, मल्टीमीडिया, एनिमेशन और अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र/प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए), (ii) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है, (iii) वेब रिसोर्स, (iv) परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण।

यूजीसी और एआईसीटीई ने 'स्वयम के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट फ्रेमवर्क, विनियम 2016' जारी किए हैं जिसमें स्वयम के माध्यम से क्रेडिट के लिए गिने जाने वाले 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक अनुमति है। पारंपरिक संस्थानों में पढ़ने वाले सफल छात्रों द्वारा प्राप्त ग्रेड को ऐसे छात्रों के शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित किया जाएगा।

इसका उद्देश्य यह है कि स्वयम पर स्कूल, अवर–स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए दो वर्ष के अंदर लगभग 2000 पाठ्यक्रम और 80000 घंटों की अधिगम सामग्री होस्ट की जाए। कुछ वर्षों में 10 लाख कॉनकरेंट क्नेकशन सहित 3 करोड़ यूजर्स की सहायता की जाने की संभावना है।

भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वयम को आधिकारिक रूप से 9 जुलाई, 2017 को शुरू किया। वर्तमान में स्वयम पर लगभग 1000 एमओओसी पाठ्यक्रम सूचीबद्ध है और लगभग 828 एमओओसी चल रहे हैं जिनमें इन पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 20 लाख (5,92,178) छात्र पंजीकृत हैं।

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को इस ढंग से तैयार किया जाता है कि प्रत्येक सप्ताह छात्र कुछ घंटे इससे जुड सकें, इसके बाद पंजीकृत छात्रों को विशेषज्ञों द्वारा कार्य आबंटन या मामला अध्ययन दिया जाता है। शिक्षण सहायक (टीए) मूक विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यों की जांच करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं तथा इस संबंध में छात्रों को नियमित आधार पर फीडबैक दी जाती है। क्रेडिट अर्जन के लिए पंजीकृत छात्रों से अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाता है, जो निरीक्षक की देखरेख में होती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के बाद पाठ्यक्रम प्रदाता संस्था प्रमाण–पत्र जारी करती है और छात्रों की मूल संस्था द्वारा जारी की गई अंक–तालिका में क्रेडिट अंतरित किए जाते हैं।

पीयर ग्रुप और मेंटर के साथ वार्ता और परिचर्चा का आयोजना स्वयम पर परिचर्चा संघ के माध्यम से किया जाता है। परिचर्चा संघ अंत्यंत सक्रिय होता है और छात्रों को विशेषज्ञों से भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने और स्वयं प्लेटफार्म पर दैनिक आधार पर पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एसएमई के गत अनुभवों के आधार पर) को उनके साथ पोस्ट किया जाता है।

कई विश्वविद्यालयों और आईआईटी ने अपने 'शिक्षा परिषद' के माध्यम से क्रेडिट गणना के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए विनियमों के अनुसार स्वयम पर पहले ही कई पाठ्यक्रम अनुमोदित किए हैं और यह सूची बढ़ रही है।

स्वयम पाठ्यक्रम अब विदेशी छात्रों के लिए भी खुले हैं, हालांकि ऐसे छात्रों को क्रेडिट अंतरण, यदि कोई हो, केवल स्थानीय सहभागी के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में विदेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी विदेशी अकादमिक सहयोग विनियमन और वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन) का अनुसरण करते हुए विदेशी विद्यालयों को चयनित आधार पर स्वयम पर ऑनलाइन पाठयक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है। इस संबंध में, ब्रिटिश काउंसिल और एआईसीटीई के बीच 8 नवम्बर, 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी भी स्वयन के लिए मूक तैयार कर सकती है। इसके अतिरिक्त, एशिया के लिए राष्ट्रमंडल शिक्षा मीडिया केन्द्र (सीईएमसीए) ने स्वयम प्लेटफार्म के लिए कई राष्ट्रमंडल देशों द्वाया तैयार किए गए मूक में योगदान करने के लिए एमएचआरडी को संपर्क किया है।

स्वयम के द्वितीय चरण के तहत वीडियो के लिप्यंतरण सहित कुछ मूक सामग्री को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय भाषाओं में पाठानुवाद किया जाएगा जिससे कि प्रशिक्षु अपनी पसंद की भाषा चुन सकें और अपनी स्थानीय भाषा में बेहतर तरीके से पाठ्यक्रम सीख सकें।

स्वयम पर मूक निश्चित रूप से डिजिटल अंतर को कम कर सकेंगे और आगामी दिनों में शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

टाक–टू–टीचरः आईआईटी मुम्बई द्वारा तैयार किया गया टाक–टू–टीचर कार्यक्रम आईआईटी–बॉम्बे में प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ाए जाने वाले चयनित कुछ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रति निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए एमएचआरडी द्वारा वित्तपोषित, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की एक पहल है। यह देशभर के संकायों को एक वर्चुअल शिक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाने के लिए अमृता विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए ए–न्यू सहयोगी साधन का प्रयोग करता है।

यह पाठ्यक्रम हैडफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी पर्सनल कम्प्यूटर/लैपटॉप पर कम बैडविड्थ पर बिल्कुल निःशुल्क देखा जा सकता है। इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है चूंकि इसमें कोई मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया शामिल नहीं है। ये पाठ्यक्रम आईआईटी बॉम्बे के शिक्षण–कक्ष से सीधे रिकार्ड किए जाते हैं और हो सकता है इनमें पाठ्यक्रम के पूरे कंटेंट प्रदर्शित न हों। इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साइंस विषयों के मूल पाठ्यक्रमों के अलावा कार्यक्रम में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों को भी कवर

किया जाता है।

इस परियोजना के तहत आईआईटी, मुम्बई और आईआईटी, खड़गपुर से पाठ्यक्रमों की समकालिक डिलिवरी को शामिल करते हुए अब तक 1,50,000 से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

आस्क ए क्वेस्चनः आस्क ए क्वेस्चन एक अद्वितीय प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से पूरे भारत के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं और आईआईटी, बॉम्बे के संकाय उसका उत्तर देते हैं। छात्र या तो ऑनलाइन फोरम के माध्यम से या आपसी बातचीत के सीधे सत्र के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हर शुक्रवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे भौतिकी विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल): मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) स्थापित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा ई–कंटेंट और एमएमईआईईसीटी के तहत विकसित ई–कंटेंट के राष्ट्रीय निक्षेपागार को होस्ट करना है।

आईआईटी, खड़गपुर को राष्ट्रीय धरोहर निर्माण हेतु भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) की मेजबानी, समन्वय और स्थापना का काम सौंपा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को एकल खिडकी पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं/निकायों में सभी मौजूदा डिजीटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है। एनडीएल, विषयसामग्री का मेटाडाटा लेगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय सर्वर में इन मेडाडेटा को संरक्षित और इंडेक्स करेगा ताकि सभी विषयसामग्री को एकल खिडकी के जरिए उपयोगकर्ता द्वारा अपने सर्वर में वास्तविक (पूर्ण–पाठ) की विषयवस्तु को संरक्षित नहीं करता। बल्कि यह उपयोगकर्ता को परिणाम तलाशने के भाग के रूप में संबंधित विषय सामग्री होस्टिंग साइटों का उपयोगकता लिंक प्रदान करता है। संबंधित विषय सामग्री होस्टिंग साइटों पर क्लिक करके उपयोगकर्ता विषयसामग्री प्राप्त करता है।

एनडीएल पोर्टल (https://ndl.iitkgp.ac.in) को चयनित सीएफटीआई के यूजर सहित फरवरी, 2016 में शुरू किया गया तथा फरवरी 2017 में सभी के लिए खोला गया (मोबाइल ऐप जारी करने के साथ), दैनिक वेबसाइट हिटः50के के साथ यूजर बेस–पंजीकृतः26लाख, कार्यशीलः 11लाख मद सामग्रीः 140 लाखः स्रोतः 185 और आईडीआर स्रोतः90 मोबाइल ऐप (एन्डरोयड) जनवरी, 2017 में शुरू 8.5 लाख डाउनलोड और दैनिक एंडरोयड हिटः 50के। प्रशिक्षण और जागरूकता विकास आईडीआर कार्यशालाः 24 और यूजर कार्यशालाः 12

वर्चुअल प्रयोगशालाएंः भौतिकी दूरियां और संस्थानों की कमी हमें प्रयोग करने से रोकती हैं विशेषकर जब इसके लिए आधुनिक उपकरण अपेक्षित है। अच्छे अध्यापक भी दुर्लभ संसाधन बने हुए हैं। वेब और वीडियो आधारित पाठ्यक्रम कुछ हद तक शिक्षण के मुद्दे को हल करते हैं। दो भागीदारी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग करना और कीमती संसाधनों को शेयर करना हमेशा एक चुनौती रहा है। आज की इंटरनेट और कम्प्यूटर तकनीक की सहायता से उपर्युक्त कमियां छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने से रोक नहीं सकतीं। वेब आधारित प्रयोगों के रिमोट प्रचालन और उन्हें देखने की दृष्टि से इस प्रकार बनाया जा सकता है जो छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को प्रेरित कर सकें। यह, रिमोट प्रयोग के माध्यम से आधारभूत और उन्नत परिकल्पना सीखने में मदद करेगा। आजकल अधिकतर उपकरणों में अनेक नियंत्रण और डाटा इक्ट्ठा करने के लिए कम्प्यूटर इंटरनेट है। कुछ उपकरणों के उपयोग द्वारा अच्छे प्रयोगों को डिजाइन करना संभव है जो छात्रों के शिक्षण में वृद्धि करेगा। इसके अलावा इंटरनेट आधारित प्रयोग उन अलग–अलग स्थानों (संभवत अलग–अलग समय) पर एक साथ कार्यान्वित किया जाता है, जहां बढ़ावा देने के अतिरिक्त ज्ञान, साफ्टवेयर और वेब पर उपलब्ध आकड़ों जैसे संसाधनों के प्रयोग की अनुमति देता है।

इन आभासी प्रयोगशालाओं को उपभोक्ता परिसर पर प्रयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त ढांचे की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। दूर से प्रयोग करने के लिए बस जो जरूरी है वह है एक ब्राड–बैंड क्नेक्टिविटी के साथ एक कम्प्यूटर।

09 इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों, जिसमें लगभग 2200 प्रयोग शामिल हैं, में 100 से अधिक वर्चुअल प्रयोगशालाओं को 15 लाख से अधिक छात्रों द्वारा इस समय एक्सेस किया जा रहा है।

ई–यंत्रः एमएचआरडी की एनएमईआईसीटी कार्यक्रम के तहत एक पहल 'ई–यन्त्र' प्रोजेक्ट का उद्देश्य गणित,

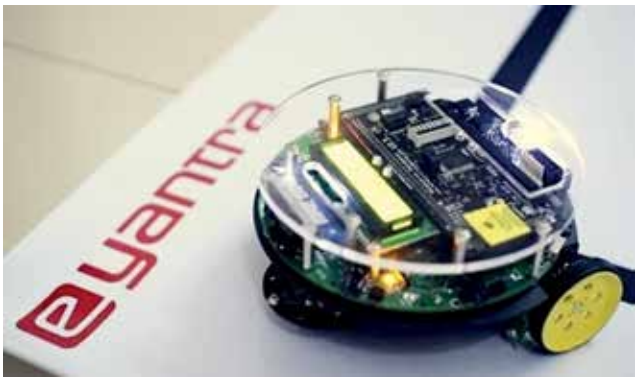

कम्प्यूटर साइंस और इंजीनिरिंग सिद्धान्तों को रोमांचक व्यावहारिक शिक्षा में अनुप्रयोग के माध्यम से छात्रों को जोड़ने के साथ इंजीनिरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स को शामिल करना है। ई–यंत्र की वेवसाइट www.e-yantra.org पर खुले स्रोत कंटेंट के रूप में सभी परियोजनएं और कोड उपलब्ध हैं।

इसमें निम्न पहलें शामिल हैं– ई–यंत्र रोबोटिक्स प्रतियोगिता (ईवायआरसी), ई–यंत्र ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता कार्यक्रम (ईएसवायआईपी), ई–यंत्र प्रयोगशाला सेट–अप पहल (ईएलएसआई), ई–यंत्र (संगोष्ठी (ईवायएस) और ई–यंत्र संसाधन विकास केन्द्र (ईवायआरडीसी)।

इस वर्ष रोबोटिक्स प्रतियोगिता में 550 कॉलेजों में 6000 टीमों से 28000 पंजीकरण किए गए थे। भारत में 260 कॉलेजों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। कार्य आधारित प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। 45 छात्रों ने आईआईटी बॉम्बे में प्रशिक्षुता कार्यक्रम पूरा किया है। परिसंवाद एक वार्षिक आयोजन है जोकि नेटवर्किंग और ईएलएसआई के तहत प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कॉलेजों से छात्रों की उपलब्धियां प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करता है और साथ ही शिक्षकों तथा छात्रों को ज्ञान उन्नयन करने का अवसर देता है।

ई–कल्प/डीसोर्सः एमएचआरडी/एनएमईआईसीटी की अन्य पहल 'ई–कल्प':भारत में डिजाइन हेतु डिजिटल शिक्षण वातावरण का सृजन ने परियोजना को सफलता पूर्वक प्रदर्शित किया गया है, इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

1. डिजाइन पर ई–लर्निंग कार्यक्रमों के साथ डिजाइन शिक्षण के लिए डिजिटल ऑन–लाइन कंटेंट
2. क्राफ्ट सेक्टर सहित डिजिटल डिजाइन संसाधन डाटाबेस
3. डिजाइन के सहयोगात्मक शिक्षण विस्तार के साथ उच्च्तर शिक्षण के लिए सामाजिक नेटवर्किंग
4. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के परिणामों पर डिजाइन इनपुट्स

ई–कल्प एक डिजाइन–अध्ययन वातावरण है, यूआरएल लिंक www.dsource.in जोकि डाउनलोड की जा सकने वाली मोबाइल एप के रूप में भी उपलब्ध है।

पाठ को कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। ई–कंटेट छः खंडों में प्रदान किया जाता है जिसमें 120 पाठ्यक्रम, 465 संसाधन, 220 मामला अध्ययन, 35 प्रदर्शन मंजूषा, 18 कार्यशालाएं, 7 क्विज, 3 प्रतियोगिता, 14 प्रदर्शनी, 455 गैलरी और 298 वीडियो शामिल हैं। जहां, एक पाठ्यक्रम में 3–5 विषय शामिल होते हैं, जोकि प्रतिकृति के साथ पढ़े जाने वाले अर्ध–पृष्ठ पाठ के रूप में उपलब्ध है, पाठ्यक्रम में भी कुछ वेब लिंक और संबंधित संदर्भ संसाधन शामिल हैं, टिप्पणियां भी की जाती है, वृत्त अध्ययन में स्लाइड के रूप में लघु कथा शामिल है। यह कहानी समझाने के लिए डिजाइन इमेज और उदाहरण का संयोजन दर्शाता है, यह विषयवस्तु तैयार करने के लिए कवच और वेशभूषा

डिजाइन को समझाने की भी कोशिश करता है, प्रदर्शन मंजूषा में तैयार की गई परियोजना विषय–वस्तु के पाठ और इमेज शामिल हैं, गैलरी में संकल्पना समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर इमेज का संयोजन शामिल है, वीडियो खंड में डिजाइन पद्धतियां समझाने के लिए प्रतिलिपि का उपयोग कर स्पीकर डिलीवरी शामिल है।

शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएसईई): आईआईटी–बॉम्बे को संस्वीकृत एफओएसएसईई परियोजना शैक्षिक संस्थाओं में सॉफ्टवेयर के मुक्त स्रोत के प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। इसकी वेबसाइट http://fossee.in है। यह कार्य स्पोकन ट्यूटोरियल जैसी अनुदेशात्मक सामग्री, पाठ्यपुस्तक साथी जैसे दस्तावेजीकरण और सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं जैसे जागरूकता कार्यक्रमों और इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।

पाठ्यपुस्तक साथी कम्पेनियन (टीबीसी) मानक पाठ्यपुस्तकों के हल किए गए उदाहरणों के कोड का संग्रहण है। लगभग 2500 कॉलेज छात्रों एवं अध्यापकों ने इस कार्यकलाप में भाग लिया और 1000 के करीब टीबीसी को अकेले स्किलैब और पायथन में तैयार किया गया है। एफओएसएसईई ने टीबीसी को एक मुक्त स्रोत बना दिया है और उन्हें निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाया है। स्किलैप और पायथन टीबीसी दोनों क्लाउड पर उपलब्ध हैं और उपभोक्ता को टीबीसी कोड को डाउनलोड करने के लिए केवल एक ब्राउजर की जरूरत होती है।

एफओएसएसईई एक सुस्थापित मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित कर रहा हैः ओपन फोम, एक स्वामित्व प्राप्त फ्लूएंट सॉफ्टवेयर का विकल्प है जो कम्प्यूटेशनल फल्यूड डाइनेमिक्स के लिए है; डीडब्ल्यूएसआईएम – कैमिकल प्रोसेस सिमुलेशन के लिए स्वामित्व प्राप्त ऐस्पेन सॉफ्टवेयर का विकल्प है। एफओएसएसईई ने भी कतिपय नई मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर गतिविधियां भी शुरू की हैंः स्किलैब टूलबॉक्सेज को मैटलैब तक ले जाना, ई–सिम एक इलेक्ट्रानिक डिजाइन आटोमेशन सॉफ्टवेयर को तैयार करना, जो ऑरकाड का विकल्प हैय संधि को तैयार करना, जो डाटा प्राप्ति और नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर है और लैबव्यू का विकल्प। एफओएसएसईई टीम ओपन पीएलसी और आरड्यूनो जैसे मुक्त स्रोत हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर कार्य करता है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बड़ी संख्या में देशभर के छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

विद्वानः विद्वान के उद्देश्य हैं i) भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और आरएंडी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल इकट्ठा करना; ii) देश में शिष्टजनों, भावी सहयोगकर्ताओं, निधियन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को विशेषज्ञों के बारे में शोध और सुविधाजनकरूप से सूचना उपलब्ध कराना; iii) अनुसंधान विद्वानों द्वारा जरूरी विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के साथ सीधे बातचीत स्थापित करना; iv) लेख और अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा के लिए शिष्टजन समीक्षकों की पहचान करना और v) वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान–प्रदान और नेटवर्किंग सुविधाओं का सृजन करने के लिए शुरू किया गया है।

यह डाटाबेस मंत्रालयों/सरकार द्वारा निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों, कार्यबलों के लिए विशेषज्ञ पैनल के चयन में मददगार होगा। इसके अलावा एक ही जगह पर विशेषज्ञ डाटाबेस की उपलब्धता नीति निर्धारकों और निधियन एजेंसियों की निर्णय लेने और नीति हस्तक्षेपों में मदद करेगी। दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के अनुसार, डेटाबेस में निम्नलिखित विषयों पर विशेषज्ञ शामिल हैं नामतः कृषि विज्ञान (2544); कला और मानविकी (1289); जीव विज्ञान (1125); रसायन विज्ञान (1762); इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (5819); चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान (3087); शारीरिक विज्ञान (2780); सामाजिक विज्ञान (3522); केन्द्रीय विश्वविद्यालय (3664); समवत विश्वविद्यालय (2188); राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (5747); अन्य संस्थान (1939); अनुसंधान और विकास संगठन (1289); राज्य विश्वविद्यालय (6249); अनुसंधान और तकनीकी संस्थान (893)।

इनफ्लिबनेट केन्द्र का ई–शोध सिंधूः एमएचआरडी ने अपने 1 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना के तहत

निम्नलिखित 03 कन्सार्टिया का ई–शोध सिंधू में विलय किया है:

1. यूजीसी–इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम
2. इनडेस्ट–एआईसीटीई कंसोर्टियम
3. एनएलआईएसटी कार्यक्रम

ई–शोध सिंधू के मुख्य उद्देश्य: उच्च शिक्षा ई–संसाधन परिसंघ का उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं को सदस्यता की कम दरों पर पूर्ण–पाठ, ग्रंथ सूची संबंधी और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणात्मक इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराना है। ई–शोध सिंधु के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार है:

- तीन एमएचआरडी वित्तपोषित परिसंघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यकलापों और सेवाओं के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण द्वारा ई–शोध सिंधु उच्च शिक्षा ई–संसाधन परिसंघ की स्थापना करना;
- सतत पहुंच आधार पर ई–पत्रिकाओं, ई–पत्रिका अभिलेख और ई–पुस्तकों का ठोस संग्रह तैयार करना;
- भारत में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में ई–संसाधनों की निगरानी और प्रयोग प्रोत्साहित करना;
- सभी शैक्षिक संस्थाओं को सदस्यता आधारित वैज्ञानिक जानकारी (ई–पुस्तकों और ई–पत्रिकाओं) तक पहुंच उपलब्ध करना;
- विषय पोर्टल और विषय गेटवे के माध्यम से मुक्त पहुंच में उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच उपलब्ध करना;
- डिजिटल अंतर कम करना और ज्ञान संपन्न समाज की ओर बढ़ना;
- मुक्त विश्वविद्यालयों और एमएचआरडी–वित्तपोषित संस्थाओं सहित अतिरिक्त संस्थाओं, जिन्हें मौजूदा परिसंघ में कवर नहीं किया गया है, को चुनींदा ई–संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराना;
- अतिरिक्त कार्यकलाप और सेवाएं शुरू करना जिनमें सहयोगी मंच की अपेक्षा होती है तथा जिन्हें मौजूदा परिसंघ द्वारा निष्पादित नहीं किया जा रहा; और
- एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय तैयार करने की दिशा में बढ़ना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें मुख्य रूप से मूलभूत हिस्सा होंगे।

इनफ्लिबनेट केन्द्र को ई–शोध सिंधू के कार्यान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ई–शोध सिंधू, एक विलय किया गया कंसोर्टियम, यूजीसी की धारा 12(ख) और 2(च) के तहत कवर किए गए 220 विश्वविद्यालय और 4400 कॉलेजों और आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी आदि सहित 75 केन्द्रीय–वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं को अपनी सेवा देता रहेगा। ई–शोध सिंधु ने 31 दिसम्बर, 2016 तक 31,35,000 ई–पुस्तकों, 15000 ई–पत्रिकाओं, 40 संसाधनों, 16 डेटाबेसों से अधिक की सदस्यता की है। ई–शोध सिंधु के अंदर प्रकाशनों (ई–पाठ्यक्रमों) की संख्या 11,254 के पार पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त ई–शोध सिंधु 4000 कॉलेजों, 230 विश्वविद्यालयों, 87 केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं और 72 तकनीकी संस्थाओं से अधिक को सहायता प्रदान करता है।

ई–शोध सिंधू (ईएसएस) में ई–संसाधन को कठिनाई रहित पहुंच के लिए अतिरिक्त फीचर को अधिक स्वीकृत किया जैसे क) द इनफ्लिबनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (आईएनएफईडी) यूजर का शिबेलेथ प्रमाणीकरण और प्रमाणन ख) इनफिस्टेट–काउंटर और सुशी–डाटा सर्विस यूजर अनुपालन। ग) दस्तावेज डिविवरी सेवा (डीडीएस) मेटा हारवेस्टिंग एण्ड डिस्कवरी सेवाएं (डीएस) हेतु जेगेट प्लस।

शैक्षिक डीटीएच चैनलों (स्वयम प्रभा): की शुरूआत: स्वयम प्रभा 24x7 आधार पर संपूर्ण देश में डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से 32 गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यह अत्यधिक

लागत प्रभावी ढंग से ई–शिक्षा प्रदान करने में समर्थन करेगा। अंतरिक्ष विभाग ने इस प्रयोजनार्थ जीसेट–15 के दो ट्रांसपोंडर आबंटित किए हैं।

दूरदर्शन के निःशुल्क डीटीएच सेवा के अभिदाता वही सेट टॉप बॉक्स और टीवी का प्रयोग करके इन शैक्षिक चैनलों को देख सकेंगे। अतिरिक्त निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

एमएचआरडी का डीटीएच चैनल में पाठ्यक्रम आधारित विषयवस्तु होती है और कार्यक्रम का इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि शैक्षिक विषयवस्तु के बिना किसी अतिरिक्त लागत के टीवी सेट पर देखा जा सकता है। डीटीएच पर किए गए इन शैक्षिक कार्यक्रमों को अभिलेखीय चैनल के रूप में यू–ट्यूब पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। चैनल रूपरेखा, विषय, अभिलेखीय लिंक आदि से संबंधित सूचना स्वयम प्रभा पोर्टल (https://swayamprabha.gov.in/) पर उपलब्ध है जिसे इनफ्लिबनेट गांधीनगर द्वारा तैयार किया गया है।

एमएचआरडी डीटीएच जब शुरू किया जाएगा तब यह (क) संस्थाओं को कंटेंट प्राप्ति के अलावा छात्रों तक ई–एज्यूकेशन के पहुंचाने, (ख) डीटीएच चैनल उच्चतर शिक्षा में पढ़ाए जा रहे लगभग सभी विषय/पाठों के संरचित लेक्चर की डिलिवरी को सुनिश्चित करेगा।

इन चैनलों में चार भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और जीव–विज्ञान पर चार आईआईटी–पीएएल चैनल हैं जिन्हें आईआईटी जैसी संस्थाओं से जुडने के इच्छुक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को जेईई एडवांस जैसी परीक्षा के जटिल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोच और अवधाराणात्मक समझ प्रोत्साहित करते हुए सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रत्येक चैनल प्रतिदिन 4 घंटे का नया कंटेंट प्रदान करेगा जिसे दिन में 6 बार दोहराया जाएगा, जिससे कि लोग अपनी सुविधानुसार चैनल देख सकेंगे। स्वयम प्रभा की मॉनिटरिंग हेतु एक कार्यशाला हाल ही में गांधीनगर में गठित की गई थी।

अपलिंकिंग सुविधा को बीआईएसएजी, गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। इनफ्लिबनेट गांधीनगर ने विभिन्न एमएचआरडी एजेंसियों नामतः सीईसी, इग्नू, आईआईटी, एनआईओएस और एनसीईआरटी से बीआईएसएजी को प्रसारण के लिए सामग्री प्रेषित करने हेतु एक व्यवस्था की गई है।

******

अध्याय 23

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

अध्याय 23

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के तहत, आईएसओ 9001–2008 और 14001:2004 प्रमाणित भारत सरकार का एक उपक्रम है।

एडसिल, शिक्षा सेक्टर में एकमात्र परामर्शीय संगठन है जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा में नए मानकों को स्थापित करने के लिए मुख्य समर्थक के रूप में टर्न–की आधार पर तथा मॉड्यूलर आधार पर शिक्षा और मानव संसाधन विकास कार्यकलापों की वृहत पहुंच को कवर करता है। एडसिल, भारतीय शिक्षा को विदेशों में प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है और भारत में संस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु एकल विंडो एजेंसी के रूप में समन्वय कर रहा है। मानव संसाधनों के विकास सहित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों का समाधान प्रस्तुत करते हुए सेवाओं के विभिन्न लक्ष्यों के माध्यम से व्यापक समाधान प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

शैक्षिक और मानव संसाधन परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शी संगठन।

तकनीकी सहायता सेवाएं

एडसिल ने, विविध आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों वाले देशों में परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। एडसिल के तकनीकी सहायता प्रभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है:

- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन
- शैक्षिक संस्थानों के लिए व्यवहार्य रिपोर्ट
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- आईसीटी सहित शिक्षण संसाधनों और कम्प्यूटर अवसंरचना का विकास
- मानव संसाधन आयोजना/जनशक्ति पूर्वानुमान/संस्थागत आयोजना
- पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक विकास तथा प्रशिक्षण आवश्यकताएं आकलन
- सरकारी योजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन।

एडसिल के बारे में:

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एडसिल इंडिया लिमिटेड–सरकार के 100% स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी एक "मिनीरत्न सीपीएसई" और आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन है। सतत वित्तीय विकास के आधार पर, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को "श्रेणी–।" मिनीरत्न कंपनी में उन्नत किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एमओयू रेटिंग के आधार पर कंपनी की रेटिंग "उत्कृष्ट" आंकी गई है। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत और विदेश में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में कंपनी परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है।

कार्य क्षेत्र

- ऑनलाइन परीक्षण एवं मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)

पिछले दो दशकों में ऑफ लाइन भर्ती परीक्षण संचालन में विशेषज्ञता के आधार पर प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया अपनायी है।

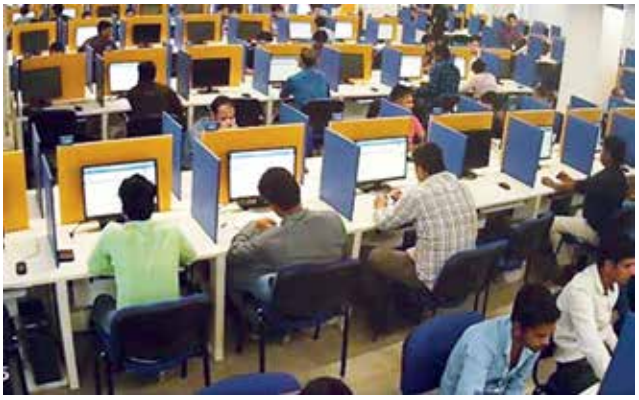

वर्तमान में, यह एडसिल का सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र है, जिसे पूरे वर्ष के दौरान बाजार का भारी समर्थन मिला है। इसके ग्राहकों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां एवं स्वायत्त निकाय आदि हैं। इसके कार्यक्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों को कवर करते हुए सभी विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजन करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का लक्ष्य शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशिष्ट सेवा के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए कंपनी का फोकस ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर रहता है। कंपनी ने संगठनों के विभिन्न सेक्टरों जैसे शिक्षा, कोयला, परिवहन, श्रम एवं नागरिक उड्डयन को कवर करते हुए महत्वपूर्ण ऑनलाइन भर्ती सेवाएं प्रदान की है।

- **परामर्शी सेवाएं (एएस):**

शिक्षा (स्कूल श्रृंखला एवं उच्चतर शिक्षा) और एचआर परामर्शी स्थल में परामर्शी कार्यक्षेत्र द्वारा निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान की जा रही है:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) (ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड) की तैयारी
- संगठन को पुनर्गठित करना (सेक्टॉरल/संस्थानात्मक)
- संचालन दक्षता में सुधार करना
- डिजिटलीकरण की योजना
- प्रशिक्षण डिजाइनिंग
- प्रभाव आकलन (आईसीटीअन्य स्कीम)
- नयी शिक्षा योजना तैयार करना
- शिक्षा सामग्री का डिजाइन

कंपनी, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजना दोनों के लिए शिक्षा परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है।

- **डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस)**

कंपनी का पूरा विश्वास है कि डिजिटलीकरण स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षा दोनों में गुणवत्ता, मात्रा और शासन ठीक करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। कंपनी तदनुसार, क्षेत्र में आईटीआईसीटी अनुप्रयोगों के सभी उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

डिजिटल शिक्षा प्रणाली के भाग के रूप में निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

- वाई–फाई एवं नेटवर्क समाधान
- ईआरपी कार्यान्वयन
- रिकार्डों का डिजिटलीकरण
- ई–सामग्री तैयारी
- वर्चुअल क्लासरूम
- स्मार्ट परिसर
- ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली
- कंम्प्यूटर प्रयोगशाला
- **शिक्षा अवसंरचना सेवाएं (ईआईएस)**

  शिक्षा अवसंरचना प्रबंधन (टर्न–की निष्पादन एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी) सेवाओं को कवर करते हुए निम्नलिखित मुख्य सेवाएं वर्टिकल द्वारा प्रदान की जा रही है:

- कान्सेप्ट डिजाइन

- विस्तृत ड्राइंग्स
- सामग्रियों के बिल सहित विस्तृत परियोजना अनुमान
- निर्माण कार्यक्रम/वसूली योजना
- आरएफपी दस्तावेज
- आरएफपी कार्यविधि प्रबंधन
- परियोजना निर्माण की निगरानी
- घटना मॉनीटरिंग
- कार्यक्रम में संशोधन

- गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण
- बिल और भुगतान
- कानूनी प्राधिकारियों से पूर्णता/कब्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करना
- व्यय विश्लेषण के साथ अंतिम परियोजना पूर्णता रिपोर्ट
- **शिक्षा प्राप्ति सेवाएं (ईपीएस)**

कंपनी शैक्षिक सहायता हेतु आईटी सामग्री से हाईटेक प्रयोगशाला सामग्रियों के माध्यम से भारत में और विदेश में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता निर्माण में सहायता कर रही है। हम ग्राहकों के संसाधनों के अधिकतम उपयोग को आसान करते हुए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टर्न–की आधार पर प्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

देश एवं विदेश में तीन दशकों के अनुभव को प्राप्त करते हुए कंपनी द्वारा प्राप्ति सेवाओं के भाग के रूप में शैक्षिक और मानव संसाधन विकास के अधिकतम टीसीओ पर फोकस करते हुए निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान की जा रही है:

- शैक्षिक उत्पाद अनुसंधान
- विक्रेता समूहीकरण
- मांग एकत्रीकरण
- सोर्सिंग रणनीति का विकास
- ई–टेंडरिंग
- नीलामी विश्लेषण
- अनुबंध को अंतिम रूप देना
- ऑर्डर देना
- क्लाइंट साइट पर गुणवत्ता की जांच सहित शिपमेंट की निगरानी रसीद
- वार्षिक रखरखाव रिपोर्ट

मॉरीशस में एडसिल

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, मॉरीशस में किसी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना। कंपनी ने इस द्वीप में कक्षा शिक्षण प्रारूप में पूरी तरह बदलाव करते हुए ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 विद्यार्थियों के लिए 24,000 टेबलेट का सफलतापूर्वक निर्यात किया है।

शिक्षा और मानव संसाधन, त्रिस्तरीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, मंत्रालय, मॉरीशस सरकार ने इसके अलावा कक्षा 3 हेतु, ईडीएलपी के विस्तार के लिए 36 करोड़ रुपये

FEATURE

Year 2018 will mark a new era in the education system of Mauritius with the launch of smart classes for Grade 1 and Grade 2 in government primary schools. The project is cosponsored by the Indian government and will distribute 36,800 tablets to the students. These smart classes might inspire kids to go school regularly along with 'gamification' and simplification of studies. This step will lay the foundation of the Government's Vision 2030 in the Education sector, where schools will not only create users but will also create a nation of innovators and other technology creators.

TABLETS FOR GRADE 1 & 2

The Era of Smart Classes in Mauritius

REACTION OF STUDENTS

REACTION OF PARENTS

MINISTRY OF EDUCATION

BENEFITS FOR THE VERY YOUNG LEARNERS

CHALLENGES

BIO

की परियोजना और मॉरीशस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 42 करोड़ रू. की परिसर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की दो और परियोजनाएं कंपनी को प्रदान करने का निर्णय किया है।

- **तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभिन्न मेगा पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स को लागू करने में एडसिल के परियोजना प्रबंधन एवं सैन्य सहायता वर्टिकल (इसे तकनीकी सहायता समूह–टीएसजी के रूप में जाना जाता है) संचालन में सहायता करती है। कंपनी भारत सरकार के प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु एवं अंतर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों को संचालन सहायता प्रदान करती है। इन सेवाओं में निम्नलिखित है:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभिन्न बड़ी योजनाओं (जैसे एसएसए, एमडीएम, रूसा एवं आरएमएसए) के संचालन में सहायता
- परामर्शदाताओं की आउटसोर्सिंग आदि
- कार्यक्रम प्रबंधन सहायता
- प्राप्ति सेवाएं
- परिवहन सहायता

ट. विदेश व्यापार

- **विदेश शिक्षा सेवाएं (ओईएस)**

विद्यार्थियों का नियोजन कंपनी का मुख्य व्यवसाय है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय/एनआरआई/पीआईओ विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थाओं में नियोजित कराना है। कंपनी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पात्र विदेशी राष्ट्रों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/गैर–निवासी भारतीय (एनआरआई) को अवर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश देने के लिए विशेष रूप से समन्वयक एजेंसी और सिंगल विंडो सुविधा हेतु नामित किया है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय/पीआईओ/एनआरआई) विद्यार्थियों का नियोजन 150 से ज्यादा संबद्ध/एमओयू संस्थाओं में करती है जिन्हें यूजीसी, एनएएसी, एनबीए, एमसीआई आदि विनियामक निकायों द्वारा मान्यता दी गई है।

भारत में विदेश मंत्रालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मजबूत समर्थन, ग्राहकों के विश्वास और तीन दशकों से ज्यादा के वैश्विक संबंधों के आधार पर कंपनी भारत में अध्ययन हेतु आने वाले अभी विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश एवं संकाय भर्ती और भारत में अध्ययन की इच्छा रखने वाले विदेशी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी प्रभावी तरीके से पूरा करना प्रायोजित करती है।

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

साक्षर भारत

कंपनी ने वर्तमान में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के लगभग 3000 विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया है। अधिकांश सार्क, मध्य पूर्व, और अफ्रीकी राष्ट्रों को कवर करते हुए कंपनी अपना फोकस उच्च संभावित लक्ष्य बाजार पर करती है।

निम्नलिखित सेवाएं विशेष रूप से प्रदान की जाती हैं:

- विदेशी विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान (प्रायोजित योजनाएं और एसएफएस खंड) में नियोजन
- भारतीय संकाय का विदेशी संस्थाओं में नियोजन
- विद्यार्थी/संकाय आदान–प्रदान
- घरेलू क्षेत्र में विस्तारित की गई अन्य सभी परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी सेवाएं
- **भारत अभियान में अध्ययन**

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारत की प्रस्तावित **नई शिक्षा नीति** (एनईपी) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह निकट भविष्य में भारत की एक रणनीतिक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित होने की भारत की आकांक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भारत एक एशियाई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के एशियाई एवं वैश्विक स्तर को बढ़ाने का सही समय है जिससे दुनिया के शीर्ष शिक्षा गंतव्य के रूप में जाना जाए।

तथापि, भारत को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने व्यापक शिक्षा नेटवर्क की पूरी क्षमता का उपयोग करना बाकी है। भारत प्रतिवर्ष 45000 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षिक करता है और वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गतिशीलता हेतु शीर्ष गंतव्य में 26वें रैंक पर है। भारत का लक्ष्य 2022 तक सिंगापुर और बेल्जियम जैसे लोकप्रिय शिक्षा गंतव्यों का पीछे करके 1.5 से 2.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष आकर्षित करके 3.5 से 5.5 गुना बढ़ाना है। इससे अगले 5 वर्षों में वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी जो अभी 1 प्रतिशत से कम है, बढ़कर 2 प्रतिशत दोगुनी हो जाएगी।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को **"स्टडी इन इंडिया"** एक व्यापक कार्यक्रम की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों में करनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अभी शीर्ष गंतव्य है।

इन बैचमार्क देशों और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि में सरकारी हस्तक्षेप के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, **"स्टडी इन इंडिया"** कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित 3 मुख्य आधार का सुझाव दिया गया है जिसका कार्यान्वयन/नेतृत्व एक नोडल एजेंसी द्वारा किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

1. **क. स्रोत देशों की मांग का पता लगाना**–इसके निम्नलिखित मुख्य घटक हैं–

   क. लक्षित देशों पर विशेष फोकस करने के साथ बाजार रणनीति की एक व्यापक सोशल मीडिया अभियान का विकास करना

   ख. भारत में अध्ययन की इच्छा रखने वाले विदेशी विद्यार्थियों, एनआरआई और पीआईओ के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय

और एकल स्टॉप सूचना और लेन–देन प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु "स्टडी इन इंडिया" वेब प्लेटफॉर्म की स्थापना करना।

2. **ख. आपूर्ति को मजबूत करना:** भारतीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए लोकप्रिय विषयों की सीटों को वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए 3 मुख्य पहलें शामिल हैं–

   क. भारत में प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों हेतु खानपान की गुणवत्ता और संस्थाओं की तत्परता में सुधार।

   ख. मान्यता ढांचे के हिस्से के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल संस्थानों की रैंकिंग और मान्यता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली बनाएं।

   ग. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए वैल्यू फॉर मनी सीट सृजित करना।

3. **ग. एक सक्षम प्रशासनिक वातावरण बनाना : इसमें शामिल हैं**

क. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश और ठहरने को आसान बनाने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा नीतियों में परिवर्तन (जैसे वीजा, इंटर्नशिप, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों आदि के लिए रोजगार संबंधी नीतियों) की अनुशंसा करना।

ख. विभिन्न सरकारी संस्थाओं (जैसे विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि) के साथ नोडल एजेंसी को जोड़ा और एक अंतरविभागीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है जो प्रशासनिक समस्याओं, भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की समस्याओं का व्यापक तरीके से अवलोकन करेगा।

वित्तीय अवलोकन

वित्तीय वर्ष 17 के 158 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 18 के प्रचालन से होने वाली आय लगभग दोगुनी होकर 280 करोड़ रू. हो गई है। यह पिछले पांच वर्षों में ऐसा दूसरा उदाहरण होगा जब कंपनी का राजस्व में वार्षिक वृद्धि 75% से ज्यादा हासिल हुई है।

वित्तीय वर्ष 17 में कंपनी के परिचालन लाभ पिछले सभी रिकार्डों को पार करते हुए 47.28 करोड़ रू. तक पहुंच गया है और वित्तीय वर्ष 18 में इसके कुल 50 करोड़ रू. पार हो जाने की आशा है। परियोजना प्रबंधन और परामर्श प्रदान करने की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी की प्रमुख परिसंपत्ति "मैनपावर" ने ओवर टाइम में वृद्धि के योगदान के साथ वित्तीय वर्ष 17 में 163.75 लाख रू. का राजस्व प्रति मैनपावर है जो वित्तीय वर्ष 18 में और बढ़ने की आशा है।

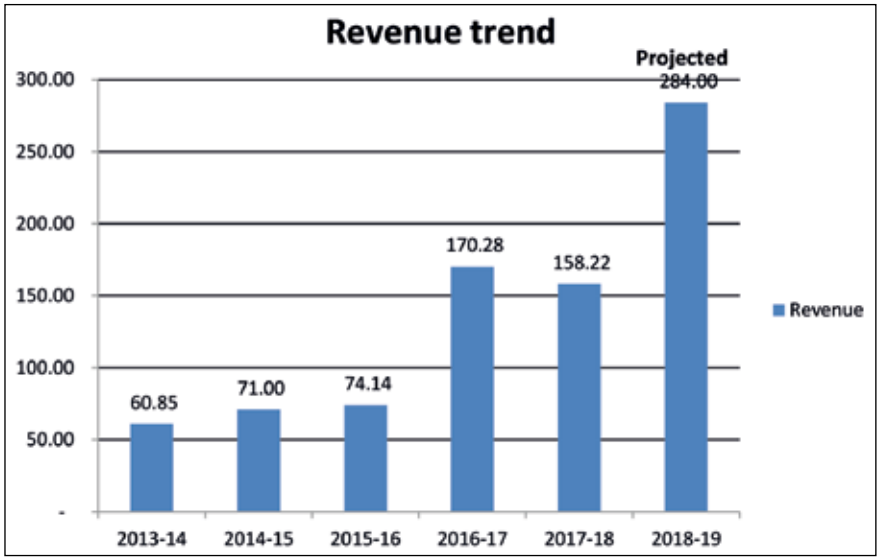

कंपनी की आय (करोड़ रूपये में)

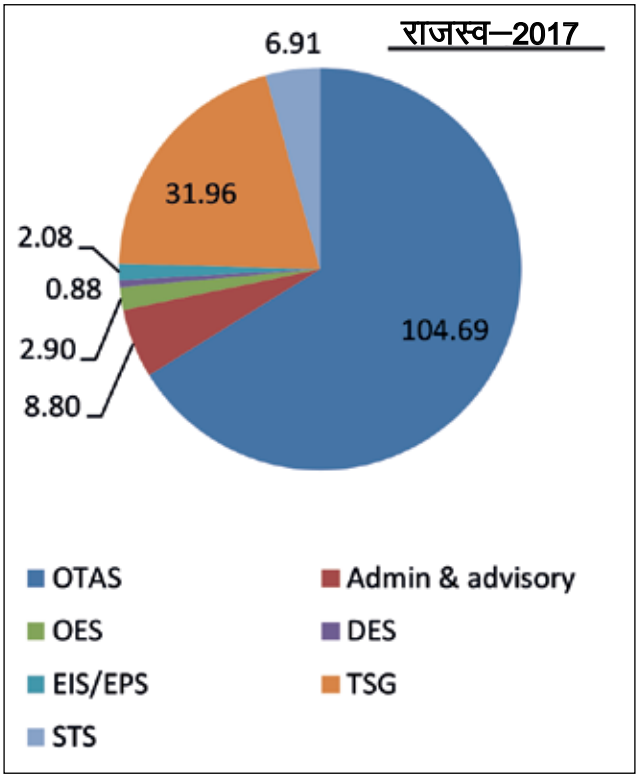

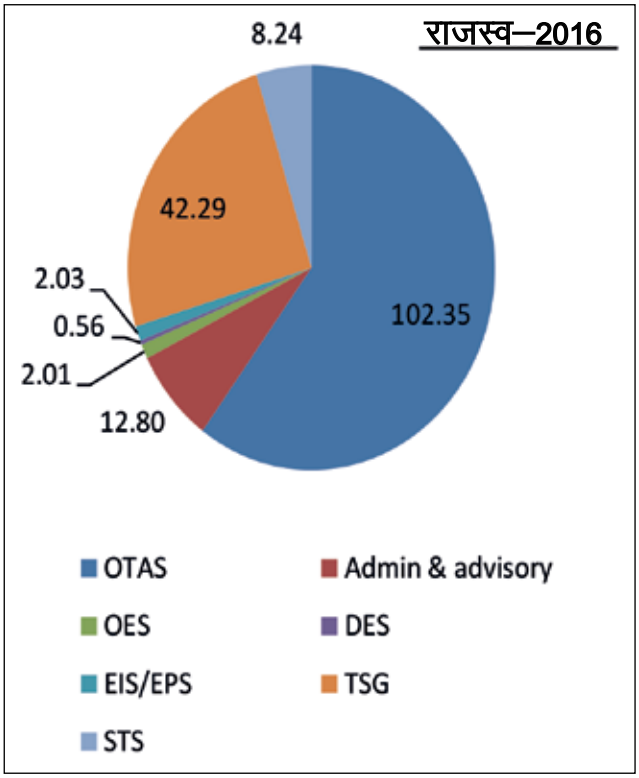

प्रमुख आयोजनों की विशेषताएं :

1) 36वां वार्षिक दिवस

गौरव का 36वां वर्ष मनाते हुए कंपनी ने 22 जून, 2017 को सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में अपना वार्षिकोत्सव मनाया। एडसिल के इतिहास में अपनी तरह का एक अलग आयोजन माननीय राज्यमंत्री (उच्चतर शिक्षा) श्री सत्यपाल सिंह, श्री के.के.शर्मा, सचिव (उच्चतर शिक्षा एवं श्री आर सुब्रमण्यम, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) की उपस्थिति में किया गया।

2) इंडिया मीट में अध्ययन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एडसिल ने 30 जनवरी 2018 को इंडिया हैबीटेट सेंटर में पहला "स्टडी इन इंडिया" ब्रेन स्टार्मिंग सत्र आयोजित किया। विविध नैक प्रत्यायित और

एनआईआरआई के शीर्ष 100 कॉलेजों/विश्वविद्यालयों सरकारी एवं निजी दोनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और परिकल्पित योजना पर उनके विचार और सुझाव तथा रणनीति को रिकार्ड किया गया। मीटिंग में जेएस–आईसीसी, डॉ. सरवना कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए परिचर्चा को पूरा किया।

3) निगरानी सप्ताह

4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लाभांश

पिछले वर्षों के आंकड़ों का अनुसरण करते हुए और लाभांश के डीआईपीएएम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कंपनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 10 करोड़ रू. के लाभांश का भुगतान किया। श्री प्रकाश जावडेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री को एडसिल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री दीप्तिमान दास ने लाभांश का चेक, श्री सत्यपाल सिंह, राज्यमंत्री (उच्चतर शिक्षा), श्री के.के. शर्मा, सचिव (उच्चतर शिक्षा) और श्री आर. सुब्रमण्यम, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) और एडसिल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया।

******

अध्याय 24

पुस्तक संवर्धन

अध्याय 24

पुस्तक संवर्धन

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना और उन्हें जनसाधारण को कम दाम पर उपलब्ध कराना अधिदेशित है। ट्रस्ट के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने और देश में लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना अधिदेशित है।

ट्रस्ट के कार्यकलाप

(क) प्रकाशन

यह ट्रस्ट सामान्य पठन सामग्री का प्रकाशन करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी आयु के लिए काल्पनिक कथाएं, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाशन शामिल होते हैं। यह ट्रस्ट नवसाक्षरों, बालकों के लिए पुस्तकें तथा साक्षरता पश्चात उपयोग हेतु एक विस्तृत विविधतायुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन भी करता है। एनबीटी प्रकाशन अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मामूली दाम पर उपलब्ध होते हैं। एनबीटी द्वारा 21 श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जैसे कि (क) भारत–देश और इसके लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (ग) लोकगीत (घ) उन भारतीयों की राष्ट्रीय जीवनी और आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया है (ड.) नेहरू बाल पुस्तकालय (च) सृजनात्मक अध्ययन (छ) नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें (ज) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य के आदान–प्रदान (झ) भारतीय साहित्य (ण) प्रवासी भारतीय अध्ययन (ट) विविध पुस्तकें (ठ) ब्रेल पुस्तकें (ड) वीरगाथा श्रृंखला (ढ) महिला अग्रदूत (ण) नवलेखन माला।

भारत के प्रकाशन क्षेत्र में वर्तमान में तकनीकी विकास और विशेष रूप से युवाओं में पढ़ने के पैटर्न में बदलाव के कारण तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह ट्रस्ट अपने प्रकाशन और पुस्तकों से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों में अभिनव परिवर्तन लाते हुए इसे बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट सभी विषयों पर सभी आयु समूहों के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें प्रदान करने में सक्षम हो गया है। अपनी वर्तमान गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्ट ने विभिन्न गौण भाषाओं, जैसे कि धुरबी, दोरली, गोंडी आदि में पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। ट्रस्ट प्रकाशन की उन शैलियों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है जिन्हें महत्व के बावजूद भारत के अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ, राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत, ट्रस्ट द्वारा पंजाबी भाषा, इसके साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में चुनिंदा पुस्तकें प्रकाशित करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 1168 शीर्षकों का प्रकाशन अग्रानुसार किया गया है :

वर्ष 2016–17 में एनबीटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	मूल	अनूदित	पुनर्मुद्रित	संशोधित	कुल
1	असमिया	0	0	64	0	64
2	बंगला	1	0	117	0	118
3	बोड़ो	0	25	6	0	31
4	अंग्रेजी	12	0	272	3	288
5	गढ़वाली	0	3	0	0	3
6	हिन्दी	47	9	469	2	527
7	कन्नड़	1	5	19	0	25
8	कुमाऊंनी	0	3	0	0	3
9	मलयालम	0	0	74	0	74
10	मराठी	0	3	0	0	3
11	उड़िया	2	15	0	0	17
12	पंजाबी	0	1	0	0	1
13	संस्कृत	2	0	1	0	3
14	सिंधी	1	0	0	0	1
15	तेलुगु	0	1	7	0	7
16	उर्दू	2	0	2	0	4
	कुल	**68**	**65**	**1030**	**5**	**1168**

एनबीटी प्रकाशनों की बिक्री और वितरण

एनबीटी प्रकाशनों को वर्तमान में प्रत्यक्ष बिक्री, एजेंटों, वितरकों और राज्य सरकारों को थोक आपूर्ति के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। प्रकाशनों का विक्रय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगलौर में स्थित एनबीटी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनबीटी पुस्तकें अब कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एनबीटी की पुस्तकें चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, पटना, गुवाहाटी और कटक के पुस्तक संवर्धन केन्द्रों पर भी बेची जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने 17,91,21,991 रुपये के प्रकाशन की कुल बिक्री दर्ज की है।

देश में पुस्तक मेलों का आयोजन

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि में ट्रस्ट ने देशभर में दस पुस्तक मेलों का आयोजन किया जिनमें अमृतसर पुस्तक मेला (22–30 अप्रैल, 2017), शिमला पुस्तक मेला (13–21 मई, 2017), तिरुवनमल्लाई पुस्तक मेला (18–27 अगस्त, 2017), देहरादून पुस्तक मेला (28 अगस्त से 5 सितम्बर, 2017), वाराणसी पुस्तक

मेला (9–17 सितम्बर, 2017), तिरुनेलवेल्ली पुस्तक मेला (3–11 फरवरी, 2018), ब्रह्मपुत्र साहित्य समारोह (9–11 फरवरी, 2018), गया पुस्तक मेला (10–18 फरवरी, 2018), राष्ट्रीय पंचायत पुस्तक मेला, श्रीनगर, उत्तराखंड (24–28 फरवरी, 2018) और आगरा पुस्तक मेला (10–18 मार्च, 2018) शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

ट्रस्ट ने अनेक पुस्तक मेलों, साहित्यिक आयोजनों और विशेष बिक्री अभियानों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुस्तक संवर्धन गतिविधियां तेज कर दी हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने ब्रह्मपुत्र साहित्य समारोह (9–11 फरवरी, 2018), राष्ट्रीय जनजातीय पुस्तक समारोह (17–20 मार्च, 2018) और बोड़ो भाषा अनुवाद कार्यशाला (24 मार्च, 2018) का आयोजन किया।

जम्मू कश्मीर में विशेष पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

इन वर्षों में ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में लोगों को पुस्तकों के प्रति रुचि जगाने और ट्रस्ट की पुस्तकों को घाटी में उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखे हुए है। समीक्ष्य वर्ष में ट्रस्ट ने "कश्मीरी भाषा में बाल–साहित्य की स्थिति" विषय पर सेमीनार आयोजित किया और अन्य गतिविधियों के साथ कहानी सुनाने का सत्र आयोजित किया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2018 का आयोजन

ट्रस्ट ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 6 से 14 जनवरी, 2018 के बीच वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया। इस मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से किया गया था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय प्रकाश जावडेकर ने वीडियो संबोधन से मेले का उद्घाटन किया। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम तोमास्ज कोजलोस्की इस आयोजन में सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर जानी–मानी पर्यावरणविद् सुश्री सुनीता नारायण तथा ग्रीस की प्रतिष्ठित लेखिका और साहित्य के लिए यूरोपीय संघ के 2017 की पुरस्कार विजेता सुश्री कल्लिया पापादाकी विशेष अतिथि थीं।

नई दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला 2018 को "पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन" पर फोकस किया गया था। थीम पैविलियन में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण जैसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विशेष बल दिया गया था। इस क्रम में परिचर्चाएं, विचार–विमर्श और वैचारिक आदान–प्रदान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए। इस मंडप में पर्यावरण के बारे में अंग्रेजी, हिन्दी, भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की 300 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं। इनमें थीम पर आत्मकथाएं, संस्मरण, यात्रा–कथाएं, सृजनात्मक साहित्य, बाल साहित्य की पुस्तकें शामिल थीं। इस मेले में लगभग 800 प्रकाशकों ने भाग लिया जिनमें बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ईरान, इटली, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन आदि करीब 20 देशों के प्रकाशक शामिल थे। यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मेले में शामिल हुए।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की अन्य मुख्य विशेषताओं में लेखकों का स्थान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चेयरमैन के नाश्ते पर संबोधन, नई दिल्ली आधार तालिका और बच्चों का मंडप आदि थीं।

विदेशों में भारतीय पुस्तकों का संवर्धन

विदेशों में भारतीय पुस्तकों के संवर्धन हेतु ट्रस्ट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में हिस्सा लेता है और विभिन्न भारतीय प्रकाशकों के प्रतिनिधि प्रकाशनों को दर्शाता है। ट्रस्ट ने 1970 से अभी तक 350 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया है। इन मेलों में बोलोना बाल पुस्तक मेला (3 से 6 अप्रैल, 2017), अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (26 अप्रैल से 2 मई, 2017), तेहरान अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (3–13 मई, 2017), एशियाई बाल–सामग्री समारोह, सिंगापुर (17–21 मई, 2017), नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (10–16 अगस्त, 2017), बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (23–27 अगस्त, 2017), इंडोनेशिया पुस्तक मेला (6–10 सितम्बर, 2017), कोलम्बो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (15–24 सितम्बर,

2017), फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला (11–15 अक्टूबर, 2017), ग्वालाहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (25 नवम्बर–2 दिसम्बर, 2017), काहिरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (27 जनवरी–10 फरवरी, 2018) और बोलोना अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला (26–29 मार्च, 2018) शामिल हैं।

एनबीटी एफएपी

ट्रस्ट ने भारतीय पुस्तकों का विदेशों में संवर्धन करने के उद्देश्य से अनुवाद कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत उन विदेशी प्रकाशकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने में रुचि रखते हैं। अभी तक यह सहायता संहिता अर्नी लिखित "द मिसिंग क्वीन" (मूल प्रकाशक जुबान), कालिट एदिजिओनी एसआरएल द्वारा इतालवी में प्रकाशित, मनोज दास की लिखी "माई लिटिल इंडिया" (मूल रूप से भारत के एनबीटी द्वारा प्रकाशित) का कोरियाई भाषा में बुकसी पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशन, "लुकिंग बैक : इंडिया इन ट्वेंटिएथ सेंचुरी" (मूल रूप से एनबीटी, भारत द्वारा प्रकाशित) का कोरियाई में बुकसी द्वारा प्रकाशन और अम्बाई रचित "अम्बाई" (मूल प्रकाशक कालाचुवाडा) का फ्रांसीसी भाषा में एडिशन्स जुल्मा द्वारा प्रकाशन, को दी गई है। इसी कार्यक्रम के भाग के रूप में ट्रस्ट ने 2018 के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशकों के लिए छठे राइट्स टेबल फोरम आयोजित किया जिसमें भारत और विदेशों के 60 से ज्यादा प्रकाशकों ने भाग लिया। इनमें भारत के सभी भागों के प्रमुख प्रकाशकों के साथ मिस्र, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, स्लोवेनिया और अमेरिका के प्रकाशक भी सम्मिलित हुए।

पुस्तक परिक्रमा – ग्राम स्तरीय मोबाइल प्रदर्शनी का आयोजन

ट्रस्ट देशभर में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तरीय पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करता रहा है, ताकि वहां भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। अभी तक पूर्वोत्तर राज्यों सहित समूचे देश में 16,000 से भी ज्यादा मोबाइल प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं। समीक्षा अवधि में, ट्रस्ट द्वारा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली/एनसीआर, गुजरात, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित 17 राज्यों में 677 स्थानों पर मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। एनसीसीएल, देश में बच्चों की पुस्तकों के सृजन और अनुवाद तथा बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की मॉनीटरिंग, संयोजन, योजना और सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनसीसीएल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों के साहित्य के तीव्र और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त भारतीय और विदेशी सामग्री और विशेषता को उपलब्ध कराना है। एनसीसीएल स्कूल में रीडर्स क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित भी करता है और माता–पिता, शिक्षकों, शिक्षाविदों और योजनाकारों के बीच बच्चों के साहित्य पर सूचना को प्रोत्साहित करता है। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित और विकसित करने की दृष्टि से एनसीसीएल देशभर में स्कूलों में रीडर्स क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करता है। अब तक देशभर में 36,000 रीडर्स क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। समीक्षा अवधि के दौरान, एनसीसीएल ने देशभर के विभिन्न भागों में लेखक से मिलिए कार्यक्रम, कहानीवाचन सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार, पाठक क्लब अभिमुखी कार्यक्रम और बच्चों के अन्य कार्यकलापों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, रीडर्स क्लब बुलेटिन के 4 त्रैमासिक संस्करण, बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए द्विभाषी पत्रिका भी निकाली है। इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न स्थानों में 60 से अधिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

एनबीटी स्थापना दिवस का आयोजन

2017 में एनबीटी ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पैनल परिचर्चाएं और विशेष पुस्तक मेले आयोजित किए गए। ट्रस्ट ने नई दिल्ली आईआईसी में 1 से 2 अगस्त, 2017 तक "भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता का बोध" विषय पर दो दिन की गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने वीडियो संबोधन के माध्यम से किया। जाने–माने विद्वान, विचारक और लेखक डॉ. कृष्ण गोपाल मुख्य वक्ता थे और केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के कुलपति डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री इस अवसर पर विशेष अतिथि थे। सुविख्यात लेखिका और गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर बल्देव भाई शर्मा और निदेशक डॉ. रीता चौधरी ने भी विचार व्यक्त किए। एनबीटी के कुछ नए प्रकाशनों, नामतः, *फिजिक्स इन एनशेंट इंडिया, महाजीवन : श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत की मौलिक एकता, बिहार : इंद्रधनुषीय लोकरंग, भारत राष्ट्र और उसकी शिक्षा पद्धति* का भी इस अवसर पर लोकार्पण किया गया। सेमिनार के दौरान, साहित्य में राष्ट्रवाद, बाल लेखन के समक्ष चुनौतियां और अन्य विषयों पर चर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें जाने–माने विद्वानों, साहित्यकारों और लेखकों ने भाग लिया। सेमिनार के समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पांडे थे। इस अवसर पर प्रसिद्ध लेखक श्री रंगाचारी और श्री नरेन्द्र कोहली विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे।

साथ ही, 1 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एनबीटी के सातवें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रोफेसर मकरंद आर. परांजपे ने "बुक्स एंड रीडिंग इन टुडेज इंडिया" विषय पर व्याख्यान दिया।

नई पहलें

एनबीटी ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोहों के भाग के रूप में कुछ नई पहलें शुरू कीं जिनमें पंचायत और संस्कृत पुस्तक मेले, छात्राओं के लिए प्रकाशन पाठ्यक्रम भारतीय पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के सहयोग से आयोजित किए। महिला लेखकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने "महिला लेखन प्रोत्साहन योजना" शुरू की है जिसके अंतर्गत हिन्दी में लिखी तीन पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, ये हैं – सुश्री यशस्विनी पांडे की लिखी 'य से यशस्विनी य से यात्रा', सुश्री कौशल पंवार रचित 'जौहड़ी' और सुश्री इंदिरा डांगी की लिखी 'रानी कमलापति'।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों के अंतर्गत ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाइक की पुस्तक 'चरैवेति–चरैवेति' और एम वी नादकर्णी की पुस्तक 'गांधी–तत्व–शतकम' का प्रकाशन किया।

लाभवंचित बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एनबीटी ने स्नैपडील के सहयोग से "हर हाथ में किताब" परियोजना शुरू करके लोगों को वंचित बच्चों के लिए पुस्तकें दान करने के प्रति प्रेरित किया।

किताब क्लब

किताब क्लब (बुक क्लब) योजना लोगों में पुस्तकें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। ट्रस्ट ने समीक्ष्य अवधि में बुक क्लब के 3,404 नए सदस्य बनाए। इस योजना के तहत एनबीटी के सभी प्रकाशनों पर 20% छूट दी जाती है।

सेमिनार, कार्यशाला और पुस्तक विमोचन तथा प्रकाशकों और लेखकों की बैठक जैसी साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि में ट्रस्ट ने सेमिनार, लेखकों से मिलिए, सलाहकार समिति बैठक, कार्यशाला जैसे 150 से ज्यादा साहित्यिक आयोजन किए। "रोल ऑफ लिटरेचर" और "रोल ऑफ मीडिया इन लिटरेचर" के बारे में चर्चा और हाल ही में ही एनबीटी प्रकाशनों – "काकोरी से पहले, काकोरी के बाद", "कमाल का जादू", "चरैवेति–चरैवेति" आदि का विमोचन तथा "रीडिंग हैबिट" (पठन आदत) पर सेमिनार और "माई विजन–करप्शन–फ्री इंडिया" पर व्याख्यान भी इन प्रयासों में शामिल रहे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती

एनबीटी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयन्ती के अवसर पर 1 नवम्बर, 2017 को बीकानेर के केंद्रीय विद्यालय नम्बर–1 में सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा आयोजित की। इस चर्चा में जाने–माने लेखक और साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर बुलाकी शर्मा, प्रसिद्ध लेखक श्री मधु आचार्य आशावादी, गंगाशरण विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा, सुविख्यात आलोचक डॉक्टर नीरज दहिया और केंद्रीय विद्यालय, बीकानेर के प्रधानाचार्य श्री सरजीत सिंह जैसे प्रबुद्ध वक्ताओं ने व्याख्यान दिए। एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर बल्देव भाई भी आयोजन में उपस्थित थे। बाद में निबंध लेखन प्रतियोगिता भी कराई गई जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया।

पुस्तक संवर्धन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ट्रस्ट की पुस्तक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन/पुस्तक मेले आयोजित करने हेतु स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना सौंप दी। आलोच्य वर्ष में पुस्तक मेले/प्रदर्शनी/सेमिनार/कार्यशालाएं आदि के आयोजन के अनुमानित व्यय के 75% की भरपाई के लिए ट्रस्ट ने 67 संगठनों को अनुदान जारी किया। अनुदान की कुल राशि 20,50,531 रुपये है।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

ट्रस्ट, प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों का टैलेंट पूल बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पुस्तक प्रकाशन के अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। समीक्ष्य अवधि में छह पाठ्यक्रम– नई दिल्ली में (18–25 अप्रैल, 2017); कोच्चि में (19–26 जुलाई, 2017); बवाना में (4–11 अगस्त, 2017); हैदराबाद में (4–11 अक्टूबर, 2017); पोर्ट ब्लेयर में (24–31 अक्टूबर, 2017) और आगरा में (20–27 फरवरी, 2018) आयोजित किए गए।

भारत–चीन अनुवाद कार्यक्रम

सांस्कृतिक कूटनीति की महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार और चीन गणराज्य की सरकार ने महत्वाकांक्षी अनुवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें चीनी भाषा की प्राचीन साहित्य और समकालीन पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद कराने और भारतीय साहित्यिक कृतियों के चीनी भाषा में अनुवाद की व्यवस्था है। इसमें दोनों देशों की 25–25 पुस्तकों का अनुवाद कराना शामिल है। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और चीन गणराज्य की सरकारी प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन ने समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रयास में चीन गणराज्य और भारत सरकार प्राचीन और समकालीन रचनाओं के एक–दूसरे की भाषा में अनुवाद में सहयोग करेंगे। समझौता–ज्ञापन पर चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत–यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का दायित्व एनबीटी को सौंपा गया था। इस परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जन कूटनीति डिवीजन और नेशनल बुक ट्रस्ट ने चीनी भाषा की 25 पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

चीनी भाषा की लगभग 20 साहित्यिक कृतियों में से 6 इस समय प्रकाशन के विभिन्न चरणों में हैं। "कंफ्यूशियस के चार ग्रन्थ" पुस्तक का प्रोफेसर बी.आर. दीपक द्वारा किया अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।

ब्रह्मपुत्र साहित्यिक समारोह

नेशनल बुक ट्रस्ट ने असम के प्रकाशन बोर्ड के सहयोग से गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में 9 से 11 फरवरी, 2018 तक दो दिन के ब्रह्मपुत्र साहित्यिक समारोह का आयोजन किया जिसका उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने किया।

जाने–माने लेखक श्री इन्द्रनाथ चौधरी और विख्यात फ्रांसीसी लेखक डेविड कॉलिन इस अवसर पर विशेष अतिथि थे। आयोजन में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री नबाकुमार डोले, माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री हृषिकेष गोस्वामी, माननीय मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार श्री शान्तनु भराली, असम सरकार के मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार पिपेरसेनिया, असम सरकार के प्रधान सचिव श्री अजय तिवारी भी मौजूद रहे। साथ ही, एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर बल्देव भाई शर्मा; एनबीटी की निदेशक डॉक्टर रीता चौधरी तथा असम प्रकाशन बोर्ड के सचिव श्री प्रमोद कालिता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

तीन दिन के इस भव्य आयोजन में मीडिया, लोकतंत्र, बाललेखन, पूर्वोत्तर के साहित्य, हिन्दी साहित्य, मौखिक साहित्य, भारतीय सिनेमा और अन्य संबद्ध विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चाएं, वार्ताएं और पत्र/लेख पढ़ने के सत्र आयोजित किए गए। अनन्त विजय, बी रौलट, अवनिजेश अवस्थी, ईरोड तमिलनबान, वाणी त्रिपाठी, यतीन्द्र मिश्र, ओइनम डोरेन, मालिनी अवस्थी, सुरेश ऋतुपर्ण, सैंटियागो रुय सांचेज, डेल्फिम डीसिल्वा, चार्ल्स चैसी, रवि टेकचंदानी, वायु नायडू, जेमिमा मराक, अशोक फैरी, कुला सैकिया जैसे देश–विदेश के सुविख्यात लेखकों ने इस समारोह में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) पुस्तकों, पैम्फलेट्स, शिक्षण किट, माइक्रोफार्म, सीडी रोम और अन्य डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों जैसे मोनोग्राफिक प्रकाशनों की पहचान की विशिष्ट पहचान संख्या है। 1 जनवरी, 2007 से राष्ट्रीय आईएसबीएन पंजीयन एजेंसियां अब 13 अंकों की (पहले यह 10 अंकों की थी) नई आईएसबीएन संख्या दे रही हैं जिसमें नीचे दी विशेष बातें शामिल हैं :

जीएसआई एलीमेंट
पंजीकरण समूह एलीमेंट
रजिस्ट्रेंट एलीमेंट
प्रकाशन एलीमेंट
चैक (जांच) डिजिट

आईएसबीएन लागू होने से लम्बे विवरणात्मक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं रह गई है जिससे समय की बचत के साथ ही स्टाफ पर लागत भी कम आती है। आईएसबीएन के सही प्रयोग से पुस्तक के उत्पादन और संस्करण, चाहे प्रिंटेड हो या डिजिटल, को स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जा सकेगा और प्रकाशनाधीन पुस्तकों का कैटलॉग तैयार किया जा सकेगा। उपलब्ध पुस्तकों के बारे में जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी।

1. किसी पंजीकृत समूह के भीतर आईएसबीएन प्रणाली का जिम्मा आईएसबीएन पंजीयन एजेंसी का है और भारत के मामले में आईएसबीएन के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आरआरआरएनए) है जो नई दिल्ली में संसद मार्ग पर स्थित जीवनदीप बिल्डिंग में कार्यशील है। आईएसबीएन पंजीयन एजेंसी प्रकाशकों को

आईएसबीएन प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में हर तरह की सहायता देती है। राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन भारत में स्थित प्रकाशकों, लेखकों, सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आईएसबीएन संख्या अलॉट करती है।

2. समय के साथ प्रकाशन उद्योग के विकास और आईएसबीएन के प्रति जागरूकता बढ़ने से आईएसबीएन जारी कराने के अनुरोधों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है। समूचे देश के आवेदकों की जरूरत पूरी करने में लगी इस एजेंसी की कार्यप्रणाली को सुचारु और सुगम बनाने की दिशा में समय–समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को और सुचारु बनाने के उद्देश्य से आईएसबीएन ने आईएसबीएन अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है और इसके लिए वेब पोर्टल है http://isbn.gov.in। इस प्रकार, 30 अप्रैल, 2016 से सभी आईएसबीएन आवेदनों का निपटान ऑनलाइन पोर्टल से किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि में 11,085 नए यूजर पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं। आईएसबीएन जारी करने हेतु 16,810 आवेदन प्राप्त हुए और प्रकाशकों/लेखकों/सेमिनारों की पुस्तकों के लिए 1,52,249 आईएसबीएन नम्बर जारी किए जा चुके हैं। 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि में आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर आवंटित आईएसबीएन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

श्रेणी	आईएसबीएन आवंटित किए गए पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या (लगभग)
(10 आईएसबीएन)	4,713
(100 आईएसबीएन)	1,626
(1000 आईएसबीएन)	30
लेखक/सेमिनार सह प्रकाशक	6,934

******

अध्याय 25

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अध्याय 25

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक–आर्थिक सुधार में मुख्य भूमिका निभाता है जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करने और उनकी समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करके बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 (1992 में यथा संशोधित) विभिन्न सामाजिक वर्गों में असमानता को दूर करने पर बहुत अधिक बल देती है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी बल देती है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। उन क्षेत्रों का उल्लेख करने के साथ–साथ, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह दिशा–निर्देश भी निर्धारित करती है ताकि असमानता को दूर किया जा सके और समानता को बढ़ाया जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के सहायक उपाय जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कक्षाएं, छात्रावास सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा के औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रमों के अन्य रूपों का भी सुझाव दिया है।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना (एससीएसपी और टीएसपी)

राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की सलाह के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एससीएसपी टीएसपी के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए थे। एससीएसपी और टीएसपी के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) प्रतिशत में निधियों का आवंटन

विभाग	एससीएसपी	टीएसपी
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	16.20	10.70
उच्चतर शिक्षा विभाग	15.00	7.50

(ii) लाभार्थी फोकस: एससीएसपी टीएसपी के तहत केवल कार्यक्रमों की उन्हीं योजनाओं/घटकों को शामिल करना चाहिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करती हों।

(iii) आगे बढ़ाना: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संबंधित अनुपात (प्रतिशत) से अधिक व्यक्तियों को लाभ देने के लिए, लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या कवर की जानी चाहिए।

(iv) नई योजनाएं: परियोजना/योजनाओं के मामले में, जो सामान्य प्रकृति की हैं और व्यय जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अविभाजित हैं, ऐसे मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई योजनाओं को उनके और अन्य के मध्य अंतराल को पाटने हेतु बनाया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत 2017–18 हेतु निर्धारित निधि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

एससीएसपी और टीएसपी के तहत निर्धारित निधियां (बजट अनुमान–2017–18)

(रूपये करोड़ में)

विभाग	ब.अ.	एससीएसपी	टीएसपी
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	46,356.25	8473.94	4533.36
उच्चतर शिक्षा विभाग	33329.70	2953.00	1477.00

स्कूल शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.9% (जनगणना 2001) से 73% (जनगणना 2011) तक बढ़ गई है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में 10 प्रतिशत बिन्दुओं का सुधार हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों हेतु साक्षरता दर 12 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन भाग (20.24%) है जो उनकी जनसंख्या (16.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में बढ़ रही प्रवृति को देखा जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन शेयर (10. 85%) है जो उनकी जनसंख्या (8.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में बढ़ रही प्रवृति को देखा जा सकता है। यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन सामान्य के लिए 47.72 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का नामांकन 48.55 तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का नामांकन 48.36 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के साथ ही, भारत ने सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया है। सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) वर्ष 2000–01 में शुरू किया गया था। एसएसए हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ–साथ, नए स्कूलों को खोलना, स्कूलों का निर्माण और अतिरिक्त कक्षा–कक्षाएं, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधाओं का निर्माण, शिक्षकों हेतु प्रावधान बनाना, शिक्षकों हेतु सेवा–कालीन प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहयोग, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी, अध्ययन उपलब्धि स्तरों, अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरिंग में सुधार करने हेतु सहायता शामिल है। हाल ही के वर्षों में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु संवैधानिक और कानूनी आधार की स्थापना एक मुख्य उपलब्धि है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, दिनांक 01 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए):

इस योजना में प्रत्येक आवास की उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराके कक्षा IX–X के लिए नामांकन बढ़ाने के लिए सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, महिला–पुरूष, सामाजिक–आर्थिक और विकलांगता अवरोधकों को दूर करने, 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विशेष फोकस अ.जा. और अ.ज.जा. सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों से संबंधित बच्चों का शैक्षिक विकास करने की ओर है। आरएमएसए के अंतर्गत, अ.जा., अ.ज.जा और अल्पसंख्यक बहुल जिलों की विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) के रूप में पहचान की गई है। कुल 61 जिलों की पहचान अ.जा. बहुल जिलों के रूप में और 109 जिलों की पहचान अ.ज.जा. बहुल जिलों के रूप में की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के रूप में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान एसएफडी के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, 2017–18 तक निम्नलिखित मदों को अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अनुमोदित किया गया है :

क्र.सं.	घटक	कुल अनुमोदित संख्या	अ.जा. बहुल जिलों में अनुमोदित	अ.ज.जा. बहुल जिलों में अनुमोदित	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अनुमोदित
1	नए/स्तरोन्नत सरकारी माध्यमिक स्कूल	12682	1221	2862	1375
2	वर्तमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों का सशक्तिकरण	37779	3857	4685	3038
3	बालिका छात्रावास	2549	174	477	350
4	स्कूल में आईसीटी	88757	9136	7968	9261
5	व्यावसायिक शिक्षा	8227	1520	1002	948

अ.जा.अ.ज.जा विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) में सकल नामांकन अनुपात निम्नानुसार है :

वर्ष	माध्यमिक स्तर पर अ.जा का जीईआर (कक्षा IX-X)	माध्यमिक स्तर पर अ.जा का जीईआर (कक्षा IX-X)
2013–14	78.02	69.43
2014–15	81.95	71.35
2015–16	85.32	74.53

**यूडीआईएसई के अनुसार*

केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल):

केन्द्रीय विद्यालय संगठन दिनांक 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हुआ। संगठन का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण भारत और विदेश में सेंट्रल स्कूल (केन्द्रीय विद्यालय) स्थापित करना, रखरखाव करना, नियंत्रित और प्रबंधित करना है। भारत सरकार संगठन को पूर्ण रूप से वित्तपोषित करती है। पिछले कई वर्षों से, दिनांक 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या निरंतर रूप से बढ़कर 1183 हो गई हैं जिसमें विदेश में स्थित 03 केन्द्रीय विद्यालय शामिल हैं (काठमांडू, मास्को, तेहरान)।

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। आरटीई कोटा के तहत दाखिल एससी और एसटी छात्रों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है और उन्हें निःशुल्क किताबें, वर्दी और परिवहन सुविधा भी दी जाती है। सभी एससी/एसटी छात्रों को कक्षा 12 तक ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) :

अपनी स्थापना से ही, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों जैसे एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। परिषद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कल्याण के प्रोत्साहन पर फोकस की दृष्टि से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चला रही है। परिषद वर्तमान कार्यकलाप की समीक्षा के लिए अनुसंधान आयोजित करता है और अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल का सुझाव देती है, शिक्षकों, अध्यापक शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए फेस–टू–फेस और एडुसैट के माध्यम से उन्हें अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए रणनीतियों के प्रति जागरूक करने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, परिषद ने महिल–पुरूष परिप्रेक्ष्य से, आरटीई अधिनियम 2009 को प्रभावी बनाने के लिए

और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में आरएमएसए प्रावधान, आश्रम स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर मराठी भाषा के शिक्षण–अध्ययन मामले के लिए, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान में प्रयोगशाला कौशल और प्रक्रिया कौशल के लिए, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के शिक्षण–अध्ययन में प्रभावी शिक्षाशास्त्रीय रणनीतियों, आदि के लिए आश्रम स्कूलों के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया है। एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों में स्कूल और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद ने स्कूल प्रबंध में गुणवत्ता सुधार, प्रारंभिक चरण में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, शिक्षामें महिला–पुरूष, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, बहुभाषाई शिक्षा, किशोर शिक्षा शिक्षण में आईसीटी, विज्ञान में वर्चुअल प्रयोगशाला, सकारात्मक शिक्षा शास्त्र, समावेशी शिक्षा, एनसीईआरटी द्वारा विकसित विज्ञान और गणित किट के प्रयोग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

देश के विभिन्न भागों के जनजातीय ग्रामीण युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने और सांस्कृतिक एकीकरण और सामाजिक सदभावना के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2017 में आरआईई, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय ग्रामीण और जनजातीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद :

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपनी सांविधिक भूमिका में अध्यापक शिक्षा संस्थानों को अपने अधिनियम द्वारा उसे अधिदेशित मान्यता प्रदान करता है। समय समय पर बनाए गए विनियम में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश लेते समय आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है: "एससी/एसटीओबीसी/निःशक्तजनों और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण और अंकों में छूट, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार होगी।"

उच्चतर शिक्षा

जहां तक उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत प्रतिनिधत्व का संबंध है, अनुसूचित जाति के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक लगभग 6.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक लगभग 8.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि इनमें से प्रत्येक की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है।

उच्चतर शिक्षा में जीईआर (18–23 वर्ष)

(प्रतिशत में)

वर्ष	सभी वर्ग	अ.जा.के छात्र	अ.ज.जा. के छात्र
2013–14	23.0	17.1	11.3
2014–15	24.3	19.1	13.7
2015–16	24.5	19.9	14.2
2016–17	25.2	21.1	15.4

स्रोतः अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

महत्वपूर्ण रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गो हेतु, कई उपाय पहले से ही शुरू करने के बावजूद, सामाजिक और महिला–पुरूष अंतर मौजूद है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक–आर्थिक विकास में इन बाधाओं के कारण, 12वीं पंचवर्षीय योजना, शैक्षिक अवसरों के असमानता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस असमानता कम करने के उद्देश्यार्थ उपायों के लिए निधियन को बढ़ाना और उच्चतर शिक्षा में समानता संबंधित सभी योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाना है। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने के लिए विधान एवं संकल्प, पहुंच, कौशल विकास, छात्र सहयोग कार्यक्रम और समानता प्रोत्साहन के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई थीं।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2006 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु दाखिलों में 15% और 7.5% आरक्षण है, जो उच्चतर शिक्षा को जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करता है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के निर्धारित प्रतिशत का नामांकन करने हेतु संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के निरन्तर कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जाते हैं। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में समानता के प्रोन्नयन के साथ 2012 में शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक विनियम तैयार किए हैं। एआईसीटीई ने भी शिकायतों के निवारण हेतु उपाय किए हैं। ये विनियम, उच्चतर शिक्षा में समानता को प्रोत्साहित करने और इसके लिए स्थापित समानता संबंधी मानदण्ड का अनुपालन न करने की शिकायतों का निपटान करने के लिए संगठनों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये विनियम और कानून उच्चतर शिक्षा में समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन की दर में सुधार लाने के लिए प्रत्यक्ष भूमिका निभाएंगे।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए, केन्द्रीकृत वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थान उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां से पहले से मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और अन्य योजनाएं जैसे सामुदायिक कॉलेज, पोलिटेक्निक संबंधी उप–मिशन, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विकास सहायता और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में इग्नू अध्ययन केन्द्रों को खोलना, ये सभी समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव डाल रहे हैं। पहुंच में सुधार लाने के लिए लगभग 874 नए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

इनके अतिरिक्त, कई अन्य कार्यक्रम/योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निःशक्त छात्रों के शैक्षिक विकास पर समान रूप से बल देती हैं, जिनमें विभिन्न छात्र सहयोगी पहलें, जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कोचिंग कक्षाएं, विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ को खोलना, राजीव गांधी अध्येतावृत्तियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, नेट/सेट हेतु उपचारी कोचिंग, आईआईटी हेतु प्रारंभिक कक्षाएं, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, विशेष तौर पर बालिकाओं हेतु छात्रावास सुविधाएं शामिल हैं। उपचारी कोचिंग हेतु लाभार्थियों की संख्या जिनमें नेट/सेट कोचिंग शामिल हैं, करीब 19 लाख है। अब 250 विश्वविद्यालयों और 2252 कॉलेजों ने समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

बेरोजगारी की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए कौशल विकास हेतु कई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार क्षेत्र में छात्र की सुकर गतिशीलता को समर्थ बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। अन्य योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, सामुदायिक कॉलेज योजना और सामुदायिक विकास योजना, पोलिटेक्निकों के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण पर फोकस करती हैं और समुदाय, कॉलेजों और रोजगार क्षेत्र के बीच सहक्रिया स्थापित कर रहीं हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कार्यक्रम/योजनाएं

1. **राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्येतावृतति (अब इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्येतावृत्ति के रूप में पुनः नामकरण किया गया है):** यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल. और पीएचडी डिग्री (पूर्णकालिक) में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृततियां प्रदान करना है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2015–16 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

वर्गों में क्रमशः कुल 20707 और 7664 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

2. **अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां:** इस योजना का उद्देश्य मान्यता–प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों के व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तरीय अध्ययन हेतु 1000 अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2006–07 से इसके आरंभ होने से वर्ष 2015–16 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 7896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

3. **अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृतिः** योजना का उद्देश्य मान्यता–प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन और पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2006–07 से इस योजना के आरंभ होने से लेकर वर्ष 2015–17 तक कुल 1042 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

4. **अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्प संख्यकों हेतु उपचारी कोचिंगः** अवरस्नातक/स्नात्कोत्तर विद्यार्थियों के ज्ञान, विभिन्न विषयों में शैक्षिक कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार लाने और परीक्षा में समग्र निष्पादन को सुधारने और उनके लाभ के लिए उपचारात्मक कोचिंग।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवर्ती	7.00 लाख रूपये प्रति वर्ष

कालेज के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवृर्ती	5.00 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवर्ती	2.00 लाख रूपये प्रति वर्ष

यूजीसी ने 2015–16 के दौरान 32 विश्वविद्यालयों और 144 कालेजों के अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारी कोचिंग योजना के तहत 1372.30 लाख रूपये संस्वीकृत किए हैं।

5. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों हेतु एनईटी/एसईटी के लिए प्रशिक्षणः** योजना का मुख्य उद्देश्य एनईटी अथवा एसईटी में भाग लेने वालों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को तैयारी करवाना है, जो विश्वविद्यालय और कालेजों में लेक्चरर बनने के लिए अनिवार्य पात्रता शर्त है।

उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवर्ती	7.00 लाख रूपये प्रति वर्ष

कालेज के लिए अनुदान की सीमा

गैर– आवर्ती	3.50 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवर्ती	1.50 लाख रूपये प्रति वर्ष

यूजीसी ने 12वीं योजना (2012–17) के दौरान 735 विश्वविद्यालयों और कालेजों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एनईटी/एसईटी हेतु कोचिंग योजना के तहत 23.48 करोड़ रूपये संस्वीकृत किए हैं।

6. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की आवासीय कोचिंग अकादमीः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आवासीय कोचिंग अकादमी योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यकों, महिलाओं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आवासीय कोचिंग अकादमिकों की स्थापना हेतु पांच विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू

विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का मुख्य उद्देश्य समतुल्य वृद्धि के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना है जो अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार और अन्य सेवाएं जैसे एसएससी, बैंकिंग इत्यादि में प्रवेश लेने के लिए, कोचिंग के लिए उपर्युक्त वर्ग को ट्यूशन शुल्क के बिना निःशुल्क/नाममात्र शुल्क पर हॉस्टल सुविधाओं के साथ छात्रों को कोचिंग कार्यक्रम प्रदान कर सकारात्मक कार्रवाई करने पर बल देता है।

यूजीसी ने योजना के अंतर्गत इन पांच विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार निधियां उपलब्ध कराई हैः

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	अब तक जारी अनुदान
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	1400.00
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	783.78
3.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	1319.28
4.	डा. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28
5.	जामिया हमदर्द	1395.38	1385.38
	कुल	**6131.72**	**5883.72**

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिअल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या की सूचना दी हैः

विश्वविद्यालय का नाम	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अल्पसंख्यक	अ.पि.व.	लाभार्थियों की कुल संख्या
बीबीएयू	283	08	195	43	–	529
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	542
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	27	08	90	741	–	866
जामिया मिलिया इस्लामिया	22	13	50	115		200
जामिया हमदर्द	12	12	–	72	72	168

7. **विश्वविद्यालयों/कालेजों में समान अवसर प्रकोष्ठः** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभवंचित सामाजिक वर्गों की आवश्यकताओं और बाधाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन को देखने और अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और और काउंसलिंग प्रदान करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना बनाई।

पात्रताः ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत आते हैं और 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य है।

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

2.00 लाख रूपये प्रति योजना

कालेज के लिए अनुदान की सीमा

स्नात्कोत्तर	75,000 प्रति वर्ष
अवर स्नातक	55,000 प्रति वर्ष

यूजीसी ने बारहवीं योजना (2012–17) के दौरान 1820 विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ योजना के तहत 8.55 करोड़ रूपये संस्वीकृत किए हैं।

8. **सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना:** सामाजिक बहिष्कार से न केवल तनाव, हिंसा और बाधाएं उत्पन्न होती है बल्कि इससे समाज में असमानता और हानि भी होती है। भारत में, विकास का लाभ उठाने के मामले में कुछ समुदाय जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/धार्मिक अल्पसंख्यक प्रणालीगत बहिष्कार का अनुभव करते हैं। सामाजिक बहिष्कार जटिल और बहु आयामी प्रकरण है जिसके सामाजिक, संस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अस्वैच्छिक प्रवसन जैसे मैक्रोइकोनॉमिक घटकों के परिणाम पीडित को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यों से बाहर करते हैं। ऐसी प्राथमिक जगह, जहां 'बहिष्कार' का अध्ययन किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, वे हमारे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें समाज के कर्णधार के रूप में कार्य करना चाहिए। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्कार के मामले में अनुसंधान का समर्थन करने का निर्णय लिया है जिसका नीतिगत के साथ साथ सैद्धांतिक महत्व है। प्रयास यह है कि निम्नलिखित उद्देश्यों को विश्वविद्यालयों में अनेक शिक्षण–सह–अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जाए:

उद्देश्य :

- ✓ जाति/संस्कृति/धर्म के आधार पर भेदभाव, बहिष्कार और समावेशन को संदर्भगत बनाना,
- ✓ भेदभाव और बहिष्कार की प्रकृति और गतिशीलता की समझ विकसित करना,
- ✓ भेदभाव, बहिष्कार और समावेशन का संदर्भ और समस्या का पता लगाना,
- ✓ आनुभविक स्तर तक भेदभाव की समझ को विकसित करना,
- ✓ इन वर्गों के अधिकारों की संरक्षा और बहिष्कार तथा विभेद की समस्या के निवारण हेतु नीतियां बनाना।

कार्य :

- ✓ एमए और एमफिल स्तरों पर शिक्षण पाठ्यक्रम जिससे सामाजिक बहिष्कार अध्ययन में संपूर्ण एम.ए और एम.फिल कार्यक्रम किए जा सकें।
- ✓ एम.फिल और पीएचडी पर्यवेक्षण करना।
- ✓ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से आनुभविक अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययन और नीतिगत/कार्यक्रम मूल्यांकन हेतु समयबद्ध डाटा बैंक बनाना।
- ✓ सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए सामाजिक–आर्थिक डाटा पर आधारित विस्तृत मूल्यांकन करना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार के विषय पर कांफ्रेंस, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करना।
- ✓ संकाय और छात्रों के अनुसंधान परिणामों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- ✓ प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- ✓ विजिटिंग संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष रूप से युवा शिक्षाविदों तक पहुंचना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार की लड़ाई लड़ रहे सिविल सोसायटी संगठनों के साथ संपर्क बनाना।
- ✓ राजनैतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियन और मीडियाकर्मियों के लिए लघु–अवधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाना।

यूजीसी आवर्ती और गैर आवर्ती मदों के लिए केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए चयनित विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के प्रारंभ से ही, यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किए हैं। यूजीसी ने 12वीं योजना (2012–17) के दौरान 28.07 करोड़ रूपये संस्वीकृत किए हैं।

9. **विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष सेल की स्थापनाः** आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1983 में विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है:

उद्देश्य :

- ✓ अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करना;
- ✓ दाखिलों, शिक्षण और शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति आदि के संबंध में नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित डाटा एकत्र करना;
- ✓ ऐसी अनुवर्ती कार्यवाई करना जो इस उद्देश्य हेतु बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सके;
- ✓ यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में 126 अनुसूचित जाति अनुसूचित प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

10. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए सेवा में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएंः यूजीसी ने केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप 'ए' 'बी' अथवा 'सी' राज्य सेवाओं अथवा निजी सेक्टर में उपयोगी रोजगार दिलाने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग योजना बनाई और कार्यान्वित की है। इन केन्द्रों को शैक्षिक कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवती	7.00 लाख रूपये प्रति वर्ष

कालेज के लिए अनुदान की सीमा

गैर–आवर्ती	5 लाख रूपये (एकमुश्त)
आवर्ती	2 लाख रूपये प्रति वर्ष

यूजीसी ने 12वीं योजना (2012–17) के दौरान 2360 विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए कोचिंग कक्षा योजना के तहत 68. 11 करोड़ रूपये का अनुदान संस्वीकृत किया है।

11. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाः यह छात्रवृत्ति कक्षा 12 से उत्तीर्ण उन पात्र छात्रों को दी जाती है, जिनके किसी परीक्षा बोर्ड में 80 पर्सेंटाइल से अधिक अंक हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हो।

वार्षिक लक्ष्य 82000 छात्रवृत्तियां (छात्रों के लिए 41000 और छात्राओं के लिए 41000) प्रदान करना है जो 18–25 आयु वर्ग में राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्ड के बीच विभाजित की जाती है। प्रथम तीन वर्षों के लिए छात्रवृत्ति की दर 10000/– रूपये प्रति वर्ष और चौथे और पांचवे वर्ष के लिए यह दर 20000/– रूपये प्रति वर्ष है।

सभी वर्गों में केन्द्रीय आरक्षण नीति अपनाई गई है अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और शारीरिक रूप से निःशक्त हेतु समानांतर क्रम में 5% आरक्षण निर्धारित है।

वितरण पद्धतिः प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी): यह योजना दिनांक 1.1.2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत कवर है, जहां छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्ष	कुल बजट परिव्यय	निम्नलिखित के तहत आवंटित राशि		निम्नलिखित के तहत किया गया व्यय		वितरित नई/नवीकृत छात्रवत्तियों की संख्या	
		एससीएसपी	टीएसपी	एससीएसपी	टीएसपी	एससीएसपी	टीएसपी
2017–18	257.50 करोड़ रूपये (एफजी)	41.10 करोड़ रूपये (एफजी)	19.40 करोड़ रूपये (एफजी)	14 करोड़ रूपये	4.96 करोड़ रूपये	12819	4433

नई पहलें : 'कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्द्रीय सेक्टर की छात्रवृत्ति योजना' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in शुरू किया गया।

12. जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजनाः जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर शैक्षिक संस्थाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें मुख्यधारा का भाग बनने में सहायता प्रदान करके, देश के शेष भाग से उनके साथियों से पस्पर संपर्क करने का अवसर प्रदान करेगा। जो विद्यार्थी अंतिम मेरिट सूची में हैं और जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर आवंटित संस्थाओं या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या चिकित्सा/इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश लिया है वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, जिसमें से 2070 छात्रवृत्तियां सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, 2830 तकनीकी पाठ्यक्रमों और 100 चिकित्सा अध्ययनों के लिए होती हैं।

ट्यूशन फीस के लिए छात्रवृत्ति सीधे संस्थान को वितरित की जाती है और रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।

यह योजना एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। छात्र को एआईसीटीई पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वास्तुकला, नर्सिंग और सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अधिसंख्यक कोटे की सीटें दी गईं हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (30.11.2017) में एआईसीटीई को नई और नवीकृत छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए 85 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण नीति अपनाई गई है अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 प्रतिशत और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

13. **शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में सब्सिडीः** यह केन्द्रीय सेक्टर की योजना है जिसका नाम केन्द्रीय सेक्टर की ब्याज साहयिकी योजना (सीएसआईएस) है जो दिनांक 01.04.09 को आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए तक है और जो भारत में उच्च शिक्षा के संबंधित निकायों द्वारा मान्यता–प्राप्त और अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, को ब्याज सब्सिडी दी जाती है। 2019 में योजना के प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक निपटाए गए मामलों सहित लाभार्थियों का वर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

श्रेणी	छात्र	राशि (करोड़ रु. में)
सामान्य	13,25,424	5098.90
ओबीसी	9,39,367	3225.75
एससी	1,69,129	579.42
एसटी	56,125	199.88
कुल	24,90,045	9,103.95
अल्पसंख्यक (कुल छात्रों में से)	8,84,526	2,560.54

पिछले तीन वर्षों में ब्याज सहायकी योजना पर किया गया वर्ग वार वास्तविक व्यय निम्मनानुसर है:

वर्ग	वि.व 2014–15	वि.व. 2015–16	वि.व. 2016–17	कुल
सामान्य	1,225.27	1,400.75	1,409.00	4,035.02
अ.जा.	173.55	158.22	111.00	442.80
अ.ज.जा.	44.27	35.25	50.10	129.63
कुल	**1,443.09**	**1,594.22**	**1,570.13**	**4,607.45**

14. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** केन्द्र सरकार ने बारहवीं योजना के दौरान जहां शिक्षा संस्थाएं नहीं है या कम है, उनमें गुणवत्तापरक नई संस्थाएं स्थापित कर और वर्तमान संस्थाओं की अवसंरचना तथा सुविधाओं में सुधार कर पहुंच, समानता और गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नामक केन्द्र प्रयोजित योजना आरंभ की है। सीसीएस उच्च शिक्षण संस्थाओं को अवसंरचनात्मक अनुदानों, वर्तमान संस्थाओं के स्तरोन्नयन, कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के सृजन जैसे विभिन्न घटकों के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने पर फोकस करता है। राज्यों को राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों का समाधान करने के लिए प्रत्येक राज्य की कार्यनीति पर ध्यान दिया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार 29 राज्य और 06 संघ राज्य क्षेत्र रूसा में भागीदारी कर रहे हैं। बजट अनुमान 2017–18 में रूसा के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 12वीं योजना के दौरान नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि के शैक्षिक रूप से पिछड़े विभिन्न जिलों को निधि जारी की गई है। इन कॉलेजों के प्रमुख लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कमजोर वर्गों से हैं। नागालैण्ड, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न कॉलेजों को अवसरंचनात्मक अनुदानों, उच्चतर शिक्षा के व्यावसायिकरण, समानता पहल, नए व्यावसायिक कॉलेजों आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए भी निधि जारी की गई है। राज्यों को जारी इस निधि में से लगभग 15% निधि अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत और 7.5% निधि जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत जारी की गई है।

मॉडल डिग्री कालेज की स्थापना: मॉडल डिग्री कालेजों को 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित करने का लक्ष्य था, जिसमें 64 अल्पसंख्यक बहुल जिले शामिल थे। एमसीडी में 29 मॉडल डिग्री कालेज स्थापित करने को अनुमोदित कर दिया गया है। एमसीडी मॉडल

डिग्री कालेज स्थापित करने की योजना रूसा के तहत जारी है।

15. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की उच्च बहुलता वाले कालेजः** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तक पहुंच को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत 3028 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

16. **सामुदायिक कॉलेज योजनाः** फरवरी, 2012 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में समिति की सिफारिशों के अनुसार उच्चतर शिक्षा लेने वाले छात्रों की नियोजनीयता में वृद्धि के लिए विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे सामुदायिक कॉलेजों के पैटर्न पर, वर्तमान कॉलेजों/पॉलिटेक्नीकों में अकादमिक वर्ष 2013–14 से पायलट आधार पर 200 सामुदायिक कॉलेजों को संचालित करने की योजना प्रारंभ की गई। ये कॉलेज विशेष रूप से जनसंख्या के लाभवंचित वर्गों, स्थानीय समुदाय को दाखिला देने को प्राथमिकता देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 199 सामुदायिक कॉलेजों को संस्वीकृति प्रदान की है जिसमें 109. 00 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा, इससे इन संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को सीधा लाभ होगा।

17. **सामाजिक विज्ञान में डॉ एस. राधाकृष्णनन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तिः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधकृष्णन पोस्ट–डॉक्टरल अध्येताविद् नामक नई योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत चयनित अध्येताओं को 3 वर्ष की अवधि हेतु 25,000 रुपए प्रति माह और एचआरए आदि की 300 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। आरक्षणः अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

18. **ईशान उदयः** यूजीसी ने शैक्षिक सत्र 2014–15 से 'ईशान उदय' पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले छात्रों के लिए 10000 छात्रवृत्तियों की पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की परिकल्पना की गई है और इसमें देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक स्तर में पढ़ने के लिए 5400 से 7800 तक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

19. **एससी/एसटी के लिए एआईसीटीई की छात्रावास निर्माण योजनाः** अच्छे इंजीनियरी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को पेश आ रही मुश्किलों पर विचार करते हुए, एआईसीटीई ने संस्था की आवश्यकतानुसार पुरूषों और महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों अनुसंधानकर्ताओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु छात्राओं/छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता–प्राप्त इंजीनियरी कॉलेजों को सहायता प्रदान करना है। पिछले पांच साल से विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायता–प्राप्त इंजीनियरी कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग और जिनमें पिछले तीन वर्षों में 150 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं वे अनुदान के पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित अनुमोदित छात्रावास को 03 किश्तों में 2 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाएगा।

वर्तमान में कुल 69 छात्रावास हैं, जिसमें से 16 छात्रावास पूरे हैं, 37 पूरे किए जाने हैं, 07 छात्रावास 2017–18 में संस्वीकृत किए गए हैं, शेष 09 ऐसे छात्रावास हैं जहां निर्माण कार्य देर से प्रारंभ हुआ है/ईवीसी प्रक्रियाधीन है। आज की तारीख तक, वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्तमान 69 छात्रावासों के निर्माण के लिए 101.50 करोड़ रूपये का कुल अनुदान जारी किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का

प्रस्ताव है जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। आवेदन प्राप्त हो गए हैं और निधि के वितरण के लिए उन पर कार्यवाई की जा रही है।

क्र सं	वर्ष	लाभार्थी संस्थाओं की संख्या	वितरित की गई राशि
1	2016–17	28 संस्थान	20,01,45,977 रूपये
2	2017–18 (07 पुराने मामले अनुमोदित हो गए हैं/शेष राशि छात्रावास के चल रहे निर्माण की दूसरी और तीसरी किश्त पर व्यय की गई।)	12 संस्थान	3,76,25,968 रूपये
	कुल	**40**	**23,77,71,945 रूपये**

टिप्पणियां :

i. 2020 के दौरान संस्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित छात्रावासों की संख्या

ii. 2017–18 = 50

iii. इन छात्रावासों के लिए जारी किया जाने वाला कुल अनुदान = पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रूपये

iv. निम्नलिखित तारीख समाचार पत्र विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए

क) 27 अगस्त 2017

ख) एलडी को 30 नवंबर 2017 तक आगे बढ़ाया गया

v. आनलाईन प्राप्त आवेदनों की संख्या = 93

vi. ड्रॉईंग और अन्य ब्यौरा मूल प्रति में प्राप्त = 50 (93 में से)

20. एससी/एसटी छात्रों के लिए एआईसीटीई की कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केन्द्र योजनाः केन्द्र का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों में इंजीनियरिंग अवर स्नातक/डिप्लोमा छात्रों में उभरते हुए रोजगार अवसरों के आलोक में स्वयं को पुनः अनुकूलित करने के लिए संस्थाओं में एससी/एसटी छात्रों को अवसर प्रदान करना है। यह नियमित अध्ययन के अतिरिक्त विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके एससी/एसटी छात्रों को सशक्त करने के लिए है। यह योजना संचार मॉड्यूल, व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी भाषा में दक्षता की सहायता से एससी/एसटी अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए लागू की गई है।

यह एससी/एसटी अभ्यर्थियों के विश्वास को बढ़ाएगा और उनको बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करेगा जिससे उद्योग में उनकी नियोजनीयता बढ़े। अधिकतम निधियन को 25 लाख रूपये तक सीमित किया गया है और परियोजना की अवधि 3 वर्ष होगी। यह योजना 2014–15 के दौरान प्रारंभ की गई थी जिसके लिए निधि 2016–17 के दौरान जारी की गई थी। 31 संस्थाओं को निधि जारी करने के लिए 6,86,83,249 रूपये की कुल राशि जारी करने की सिफारिश की गई थी। जिसमें से 31 से अधिक संस्थाओं को 3,17,33,249 रूपये जारी किए गए क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान राशि के 50 प्रतिशत की सिफारिश की गई है।

क्र सं	वर्ष	लाभार्थी संस्थाओं की संख्या	वितरित की गई राशि
1	2016–17	3	25,30,000 रूपये
2	2017–18	31	3,17,33,249 रूपये
	कुल	**34**	**3,42,63,249 रूपये**

21. **जीएटीई अर्हता प्राप्त एमई/एम.टैक छात्रों हेतु एआईसीटीई की स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** महिला–पुरूष पर ध्यान दिए बिना जीएटीई अर्हता प्राप्त एमई/एमटेक छात्रों और जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 18 छात्रों के बैच के लिए 2 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों (2012–13 से 2016–17) के दौरान जारी निधि का ब्यौरा और 24.10.2017 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र सं	वित्तीय वर्ष	एससी (छात्र)	वितरित की गई राशि	एसटी (छात्र)	वितरित की गई राशि
1	2016–17	5718	515598859	908	80106608
2	2017–18	3010	221236611	479	35013335
	कुल	**8728**	**736835470**	**1387**	**115119943**

22. **तकनीकी शिक्षा पहल में बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना (प्रगति) – एआईसीटीईः** इस योजना में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्हता परीक्षा में मैरिट के आधार पर 6 लाख/प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की एकल बालिका के चयन की परिकल्पना की गई है। लगभग 4000 बालिकाएं प्रति वर्ष इन छात्रवृतियों का लाभ उठा सकेंगी। छात्रवृत्ति की राशि 30000/– रुपए अथवा ट्यूशन फीस अथवा वास्तविक, जो भी कम हो और आकस्मिक भत्ते के रूप में दस माह के लिए 2000/– रुपए प्रतिमाह है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना से लाभान्वित एससी/एसटी छात्रों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

एससी/एसटी छात्र के लिए प्रगति के तहत जारी की गई छात्रवृत्ति का वर्षवार ब्यौरा				
वर्ष	एससी (छात्र)	एससी (राशि रू)	एसटी (छात्र)	एसटी (राशि रू)
2014–15	82	2550250	18	531560
2015–16	287	6192447	101	2254557
2016–17	20	400000	4	85350
2017–18 (आज की तारीख तक)	258	5248323	77	1609900

23. **एआईसीटीई की ट्यूशन फीस में छूट की योजनाः** यह योजना अनिवार्य रूप से एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित ऐसी सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू होती है जो 3/4 वर्ष के अवर स्नातक कार्यक्रम, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करते हैं। इन दाखिलों के लिए प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत दाखिले की अधिकतम 5% सीटें उपलब्ध हैं। ये सीटें अधिसंख्यक सीटें होती हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल वही छात्र पात्र हैं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 6.0 लाख रुपए से कम होती है।

24. **सीएसआईआर/डीआरडीओ में पीएचडी करने वालों को एआईसीटीई छात्रवृत्तियांः** एआईसीटीई ने सीएसआईआर/डीआरडीओ प्रयोगशालाओं अथवा अन्य विख्यात संस्थाओं में पीएचडी करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की है। इस उद्देश्यार्थ छात्रवृत्तियों का भुगतान सरकार के मानकों के अनुसार किया जाता है। आरक्षणः अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

25. **निःशक्त छात्रों के लिए एआईसीटीई की सक्षम छात्रवृत्तिः** एआईसीटीई ने तकनीकी शिक्षा करने के लिए अर्हता परीक्षा में मेरिट के आधार पर तकनीकी शिक्षा करने के लिए निशक्त छात्रों को सक्षम के तहत प्रति वर्ष 4000 छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है। छात्रवृत्ति की राशि 30000/– रुपए अथवा ट्यूशन फीस अथवा वास्तविक, जो भी कम हो और आकस्मिक भत्ते के रूप में दस माह के लिए 2000/– रुपए प्रतिमाह होगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% है। 2014–15 बैच से कुल 34 छात्र लाभांवित हुए और आज की तारीख तक 10.06 लाख रूपये का अनुदान जारी किया गया। 2015–16 बैच से कुल 12 छात्र लाभांवित हुए और आज की तारीख तक 3.83 लाख रूपये का अनुदान जारी किया गया। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना से लाभान्वित एससी/एसटी छात्रों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सक्षम के तहत जारी की गई छात्रवृत्ति का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	एससी (छात्र)	एससी (राशि रू)	एसटी (छात्र)	एसटी (राशि रू)
2014–15	4	124956	1	21200
2015–16	3	90000	0	0
2016–17	0	0	0	0
2017–18 (आज की तारीख तक)	1	20600	शून्य	शून्य

26. **प्रेरणा (एआईसीटीई की नई योजना):** इंजीनियरिंग और पोलीटेकनिक कालेजों में संकाय की अत्यधिक कमी है। इस समस्या का समाधान डिग्री छात्रों को स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। इस योजना को ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से डिजाइन किया गया है जो जीएटीई/जीपीएटी/सीएटी/सीएमएटी और जीआरई के लिए एससी/एसटी छात्रों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के इच्छुक हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीएटी/जीपीएटी/सीएटी/सीएमएटी और जीआरई जैसी प्रवेश परीक्षा द्वारा उच्चतर शिक्षा के इच्छुक आकांक्षी एससी/एसटी छात्रों की सहायता करना है। इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और निधि के वितरण के लिए कार्यवाई की जा रही है।

निधियन की सीमा	प्राप्त आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों की कुल संख्या	पहली किस्त/संस्थान में औसत राशि (रूपये लाख में)	बजट अनुमान (रूपये लाख में) वर्तमान वर्ष
10	220	25	9	225

27. **समृद्धि (एआईसीटीई की नई योजना):** बाजार में रोजगार की कम उपलब्धता को देखते हुए, एससी/एसटी छात्रों को अपने उद्यम प्रारंभ करने का अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम/इनक्यूबेशन केन्द्र द्वारा अपने स्वयं का व्यवसाय/स्टार्टअप डिजाइन करने, प्रारंभ करने और चलाने में एससी/एसटी अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और निधि के वितरण के लिए इन पर कार्यवाई की जा रही है।

निधियन की सीमा	प्राप्त आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों की कुल संख्या	पहली किस्त/संस्थान में औसत राशि (रूपये लाख में)	बजट अनुमान (रूपये लाख में) वर्तमान वर्ष
20	65	25	19	475

उपरोक्त मामले में, यह एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान मे चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश में और संकाय सदस्यों की भर्ती में संबंधित राज्यों की आरक्षण नीति अपनाने के लिए स्पष्ट नीति है।

28. **एआईसीटीई द्वारा किए गए अन्य उपाय**

i. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी और फार्मेसी में स्नात्कोत्तर कार्यक्रमों के लिए, एआईसीटीई ने जीएटीई/जीपीएटी अर्हता प्राप्त पूर्णकालिक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और उन्हें एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में दाखिल किया है।

ii. शैक्षिक वर्ष 2013–14 के दौरान, एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सरकारी संस्थाओं में एससी/एसटी छात्रों के लिए 'छात्रावास की स्थापना' के लिए अनुदान प्रदान करने की नई योजना प्रारंभ की है।

iii. एससी/एसटी छात्रों के लिए कौशल विकास पहल को 'एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण' हेतु वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त ऐसी सभी संस्थाओं में कौशल ज्ञान के साथ एससी/एसटी छात्रों को सशक्त करने के लिए 'समुदाय कौशल विकास केन्द्र' की सुविधा के प्रावधान द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। कौशल विकास, संबंधित संस्थान में एससी/एसटी छात्रों के लिए कौशल को बढ़ाने के लिए ऐसे छात्रावास की अनिवार्य आवश्यकता है।

iv. एआईसीटीई सभी स्तरों पर इंजीनियरिंग अवर स्नातक/डिप्लोमा छात्रों में उभरते हुए रोजगार अवसरों के आलोक में उन्हें पुनः अनुकूलित करने के लिए एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में एससी/एसटी छात्रों को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''एससी/एसटी छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केन्द्र'' नामक योजना प्रस्तावित करता है। यह एससी/एसटी छात्रों को नियमित अध्ययन के अतिरिक्त विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके शक्ति प्रदान करता है और संचार, व्यक्तित्व विकास पर माड्यूल और अंग्रेजी भाषा में दक्षता की सहायता से एससी/एसटी अभ्यर्थियों के कौशल को बढ़ाता है। यह एससी/एसटी छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराएगा जिससे उद्योग में उनकी नियोजनीयता में वृद्धि हो।

v. एससी/एसटी छात्रों के लिए कौशल विकास पहल को 'एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण' हेतु वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त ऐसी सभी संस्थाओं में कौशल ज्ञान के साथ एससी/एसटी छात्रों को सशक्त करने के लिए 'समुदाय कौशल विकास केन्द्र' की अतिरिक्त सुविधा के प्रावधान द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। कौशल विकास, संबंधित संस्थान में एससी/एसटी छात्रों के लिए कौशल को बढ़ाने के लिए ऐसे छात्रावास की आवश्यक और अनिवार्य आवश्यकता है।

29. **स्वयम प्रभा और स्वयमः** स्वयम प्रभा और स्वयम योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई हैं। ये योजनाएं उनकी जाति, धर्म और क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना उनक लिए उपलब्ध हैं। तथापि ये योजनाएं ग्रामीण और जनजातीय लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

स्वयम प्रभा : स्वयम प्रभा 24x7 आधार पर देश के सभी क्षेत्र में डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) द्वारा 32 उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक चैनल उपलब्ध करने की पहल है। यह अधिक प्रभावी लागत और समावेशी ढ़ंग से ई–शिक्षा प्रदान करने में समर्थ बनाएगा। अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिए

दो जीएसएटी –15 ट्रांसपोंडर आवंटित किए हैं। स्वयम प्रभा पोर्टल (http://swayamprabha.gov.in) उपयोगकर्ताओं के लिए है। यह पोर्टल सभी चैनल की कार्यक्रम समयसारणी, फीडबैक, तंत्र, वीडियो अभिलेख और खोज और ब्राउज सुविधा उपलब्ध कराता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों अर्थात सीईसी, इग्नू, आईआईटी, एनआईओएस और एनसीईआरटी द्वारा सामग्री तैयार की जाती है।

'स्वयम' – भारतीय ई–अध्ययन मंचः 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुसार, एमएचआरडी को देश में प्रशिक्षुओं के लिए 'व्यापक ऑनलाईन मुक्त पाठ्यक्रम (एमओओसी)' विकसित करने और उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तदनुसार 'युवाओं के लिए सक्रिय अध्ययन का अध्ययन वेब (स्वयम)' नामक मुख्य और नई पहल शुरू की है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सभी उच्चतर शिक्षा विषयों और कौशल सेक्टर पाठ्यक्रमों का प्रयोग करके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच और पोर्टल उपलब्ध करेगा सिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे देश में प्रत्येक छात्र की वहनीय लागत पर उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा में पंहुच हो सके। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 9 जुलाई 2017 को स्वयम मंच http://swayam.gov.in प्रारंभ किया है।

30. आईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभः

(क) आईआईटी में एससी/एसटी छात्रों का प्रतिशत भाग

क्र सं	वर्ष	एससी	एसटी
1	2015–16	13.53 प्रतिशत	5.60 प्रतिशत
2	2016–17	13.03 प्रतिशत	5.54 प्रतिशत

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के मानकों के आनुसार सीटों के आरक्षण का पालन किया जाता है।

(ग) जेईई द्वारा प्रवेश के लिए एससी/एसटी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाती है।

(घ) एससी/एसटी/निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण रूप से न भरी गई आरक्षित सीटों के मामले में, सीमित अभ्यर्थियों को प्रवेश मापदंड में छूट के आधार पर एक वर्ष के तैयारी (प्रीपरेटरी) पाठ्यक्रम में दाखिल किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए चयन उन एससी/एसटी अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रवेश परीक्षा सूची से किया जाता है जो प्रवेश में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। आईआईटी में प्रीपरेट्री पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, वे बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के पात्र होंगे और उन्हें जेईई को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है।

(ड.) सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

(च) अनेक आईआईटी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी.टेक कार्यक्रम के छात्रों को निवास स्थान से संस्थान तक जाने के लिए यात्रा भत्ता (II क्लास ट्रेन किराया/सामान्य बस का किराया) प्रदान कर रहे हैं।

(छ) उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है जिसमें 250 रूपये प्रति माह का जेब खर्च और मूल मैन्यू में निःशुल्क खाना शामिल है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सेमेस्टर के लिए निशुल्क पुस्तक बैंक की सुविधा मिल रही है।

31. **एनआईटी द्वारा अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभः** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय निधिबद्ध स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (जून, 2012 में यथासंशोधित) के तहत दिनांक 15.08.2007 से 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किया गया है।

वर्तमान में, देश में 31 एनआईटी और आईआईईएसटी, शिबपुर चल रहे हैं। एससी/एसटी/पीएच छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2016–17 से अवर स्नातक स्तर में पूर्ण रूप से शुल्क छूट मिल रहा है।

32. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन (न्यूपा) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभः

i एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का पालन भारत सरकार के मानकों के आनुसार किया जाता है।

ii एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट दी जाती है।

iii अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्येताओं के लिए अंकों मं 5 प्रतिशत तक की छूट 55% से 50% तक, या ग्रेड की समकक्ष छूट लागू है।

iv न्यूपा द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सभी अध्येताओं को 16000/– रूपए जेआरएफ और 18000/– रूपए एसआरएफ की अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

v दिल्ली/एनसीआर से बाहर रहने वाली महिला अध्येताओं के लिए छात्रावास सुविधा है।

33. **आईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभः**

i विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए भारत सरकार के मानकों के अनुसार सीटों के आरक्षण का पालन किया जाता है।

ii ऐसे केन्द्रीकृत निधिबद्ध आईआईटी में एससी/एसटी छात्रों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है तथापि आईआईआईटी पीपीपी में छात्रों के किसी वर्ग को कोई छूट नहीं दी जाती है।

iii पात्र छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य और निःशक्त जन विभाग की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

34. **इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभः** देश भर के विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और छात्र सहायता केन्द्रों को संचालित करने के लिए फरवरी, 1986 में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग (आरएसडी) स्थापित किया गया। वर्तमान में पूरे भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 46 अध्ययन केन्द्र चल रहे हैं।

इग्नू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बहुल जनसंख्या होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय केन्द्र स्थानीय मेलों, त्यौहारों में भाग लेते हैं और छात्रों की अकादमिक, व्यवसायिक और कौशल आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उपयुक्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करने में सहायता के लिए स्कूल और कालेज का दौरा करते हैं।

विश्वविद्यालय ओडीएल पद्धति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप से लाभवंचित समूह की भागीदारी बढ़ाने के लिए रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उपयुक्त शुल्क प्रतिपूर्ति/छूट की योजना प्रदान करता है।

क. अनुसंधान कार्यक्रम (एमफिल, पीएचडी)

ख. अवर स्नातक स्तर कार्यक्रम (बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएसडब्लू, बीटीसी)

ग. डिप्लोमा स्तर पर सभी शैक्षिक कार्यक्रम

घ. प्रमाणपत्र स्तर पर सभी शैक्षिक कार्यक्रम

एससी/एसटी छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति/छूट योजना एससीएसपी और टीएसपी अनुदान घटकों के माध्यम से निधिबद्ध की जाती है।

******

अध्याय 26

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

अध्याय 26

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

क. उच्चतर शिक्षा विभागः

1. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई):** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को हुई थी जिसका कार्य अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासित करना तथा संबद्ध मामलों पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना था। इस आयोग की शक्तियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 और 2010 के माध्यम से और अधिक बढ़ाया गया है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

   वर्ष 2017 के दौरान (1.4.2017 से 30.11.2017 तक) आयोग में कुल 369 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। 369 मामलों में से, 505 मामलों का कोर्ट में निपटान किया गया था जिनमें पुराने मामले भी शामिल थे।

   आयोग ने 01 अप्रैल 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक 272 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इन्हें मिलाकर आयोग ने 30.11.2017 तक कुल 13201 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

2. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरिंग समिति (एनएमसीएमई):** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 3 अगस्त, 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इस समिति में प्रख्यात शिक्षाविद, संसद सदस्य, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

3. **मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापनाः** मॉडल डिग्री कॉलेज 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी), जिनमें 64 अल्पसंख्यक बहुल जिले शामिल हैं, में स्थापित किए जाने के लिए लक्षित थे। एमसीडी में 29 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। एमसीडी में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत जारी रहेगी।

4. **महिला छात्रावासः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य को प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावना का लाभ उठाने हेतु छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एवं महिलाओं में महिला–पुरूष समानता लाने और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व करने हेतु महिला छात्रावास के निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

   राष्ट्रीय स्तर पर 152.16 करोड़ रूपये की लागत पर संस्वीकृत 322 छात्रावासों में से, प्रधानमंत्री के नए 15 बिन्दु कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 61 (18.94%) को 28.10 (18.46%) करोड़ रूपये की राशि संस्वीकृत की गई।

5. **समान अवसर प्रकोष्ठः** चूंकि उच्चतर शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक समानता हेतु एक साधन है, यूजीसी भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करके एवं लाभवंचित समूहों हेतु कई योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके तथा सामाजिक असमानता को दूर करके पहुंच, साम्यता, समानता के राष्ट्रीय सरोकारों का समाधान कर रही है। लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाधाओं के लिए कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और अकादमिक, वित्तीय सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की एक योजना प्रारंभ की है।

पात्रता : इस योजना के तहत उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो धारा 2 (च) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

2.00 लाख रुपए प्रति योजना

कॉलेज के लिए अनुदान की सीमा

स्नातकोत्तर	प्रति वर्ष 75,000/– रुपए
अवर स्नातक	प्रति वर्ष 55,000/– रुपए
अवधिः	5 वर्ष

12वीं योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल 5.55 करोड़ रूपये जारी किए गए।

6. **उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधनः** 12वीं योजना के दौरान उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अकादमियां शुरू की गई थीं। ये अकादमियां तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, (एएमयू), अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद में स्थापित की गई हैं।

एएमयू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एएमयू कैम्पस में स्थापित एक उर्दू अकादमी है। हाल ही में, एएमयू ने अपने संचालन और शिक्षण में सुधार करने के लिए विख्यात संकायों को नियुक्त किया है। अकादमी उर्दू भाषा के व्यावसायिक विकास के लिए उर्दू स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित करती है। यूजीसी द्वारा अकादमी को सौंपे गए मुख्य कार्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है। उर्दू भाषा के विकास और अकादमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रस्ताव है:

- यूजीसी एचआरडीसी, एएमयू में उर्दू/फारसी/अरबी में 52 सेवाकालीन उच्चतर शिक्षा अध्यापकों के लिए तीन सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- एएमयू स्कूल ऑन टीचिंग मेथॉडोलॉजी ऑफ लेंग्वेज एडं लिट्रेचर के सेवाकालीन शिक्षकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद एमएचआरडी ने सर सैयद अहमद खां पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
- सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला में भागीदारी :18
- प्रकाशित पत्रिकाएं : 02

एएमयू में आवासीय कोचिंग अकादमी है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना "अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना" की संस्वीकृति के अनुपालन में वर्ष 2010 में रजिस्ट्रार, एएमयू की अधिसूचना के माध्यम

से तत्कालीन कोचिंग और मार्गदर्शन केंद्र के साथ विलय करके स्थापित किया गया था जो निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित करता है:

I. एससी, एसटी और महिलाओं के लिए:

- 105 छात्रों हेतु सिविल सर्विस कोचिंग कार्यक्रमय
- 91 छात्रों हेतु न्यायिक सेवा कोचिंग कार्यक्रमय

  (चयन दिनांक 10 सितंबर, 2017 को आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित है)
- आवासः शेरवानी हॉल में 63 लड़के और आरसीए गर्ल्स होस्टल में 14 लड़कियां।
- स्नातक अंतिम वर्ष/उत्तीर्ण छात्रों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल/बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी कोचिंग कार्यक्रम –139
- 48 छात्रों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की गई।

II. केवल एएमयू छात्रों के लिए:

- 63 छात्रों के लिए गेट कोचिंग कार्यक्रमय
- फरवरी, 2017 से इंजीनियरिंग जोन, नई दिल्ली से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई, (एएमयू और इंजीनियरिंग जोन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के आधार पर)।
- कला और मानविकी के लिए विभिन्न विभागों से 122 छात्रों हेतु यूजीसी–नेट (पेपर– I) कक्षाएं।

एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलेपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर, जेएमआई की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट।

1. जोधपुर, राजस्थान में 24.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि के दौरान जोधपुर, राजस्थान के उर्दू शिक्षकों के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में 61 उर्दू शिक्षकों ने भाग लिया।
2. अकादमी ने 2017 में शैक्षिक और साहित्य पत्रिका तदरीस नामा–7 प्रकाशित की।

उपरोक्त 2017–18 के वार्षिक आंकड़ों के अतिरिक्त, एपीडीयूएमटी, जेएमआई ने अपनी स्थापना से अब तक निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए :

कार्यक्रम	संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1. सम्मेलन	01	550
2. अभिमुखी कार्यक्रम	38	1385
3. कार्यशाला	27	307
4. प्रोत्साहन कार्यक्रम	01	58

एमएएनयूयू की स्थापना अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ जनवरी 1998 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई। विश्वविद्यालय उर्दू माध्यम से सामान्य, व्यावसायिक, और तकनीकी विषयों में प्रारंभिक स्तर से उच्चतर शिक्षा तक विशिष्ट पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करता है। उर्दू मुस्लिम समुदाय के बड़े भाग की मातृ भाषा होने के नाते, यह देश में अधिकांश अल्पसंख्यक जनसंख्या की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करती है और सुस्थापित स्कूल, केन्द्रों, संस्थाओं और परिसरों के साथ साथ शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और पंहुच द्वारा शिक्षा प्रदान करती है।

विश्वविद्यालय यूजीसी के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए एमएचआरडी द्वारा निधिबद्ध दो केन्द्र चला रहा है अर्थात :

1. **उर्दू माध्यम के शिक्षकों का व्यावसायिक विकास केन्द्र (सीपीडीयूएमटी)** को प्रभावशाली शिक्षण की कला में सुधार करने और उन्हे शिक्षाशास्त्र के नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए उर्दू माध्यम के स्कूलों और मदरसों के सेवाकालीन

उर्दू शिक्षकों, उर्दू माध्यम के शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए अक्तूबर 2006 में स्थापित किया गया। सीपीडीयूएमटी ने स्कूलों और मदरसों के उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लक्ष्य से विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए।

केन्द्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. शिक्षकों को शिक्षाशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में नवीनतम विकास और नवाचार की जानकारी देना।
2. मदरसा शिक्षकों को मुख्य धारा के शिक्षकों के समकक्ष प्रशिक्षण देना।
3. नए अनुसंधान और प्रविधिओं के अनुसार शिक्षकों के ज्ञान का अद्यतन करने के लिए उनके संबंधित विषयों में शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना।
4. उर्दू माध्यम के स्कूलों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण, कप्यूटर इंटरनेट आदि में जागरूकता बढ़ाना।
5. उर्दू माध्यम की शिक्षा की समस्यओं को सुलझाने के लिए परस्पर संपर्क बनाने के लिए उर्दू माध्यम शिक्षण समुदाय, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के लिए मंच उपलब्ध करना।
6. केंद्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उर्दू अकादमियों, एससीईआरटी, एनसीईआरटी और अन्य सार्वजनित और निजी एजेंसियों से संपर्क बनाना।

केन्द्र ने अब तक देश भर में 57 अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें से 41 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शिक्षकों और 16 कार्यक्रम मदरसा शिक्षकों के लिए आयोजित किए गए।

सीपीडीयूएमटी ने 6 राज्यों के 30 से भी अधिक शहरों में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम हैदराबाद और तेलांगना, आध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और ओडिसा के अन्य जिलों में आयोजित किए गएय समग्र रूप से सीपीडीयूएमटी से सैकड़ों स्कूलों और मदरसों के 2915 शिक्षकों को लाभ हुआ। केन्द्र ने उर्दू माध्यम के शिक्षकों की समस्याओं का पता लगा कर उसका उपाय करने के लिए सर्वेक्षण भी आयोजित किए। केन्द्र ने आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि आरंभ किए। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने विशेष रूप से सामान्य और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की उर्दू बोलने वाली जनसंख्या के लाभ के लिए उर्दू संस्कृति अध्ययन केन्द्र, उर्दू ज्ञान संवर्धन केन्द्र के सहयोग से सेमीनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करवाई।

2. **सीएसई – आवासीय कोचिंग अकादमी (सीएसई–आरसीए):** सिविल सेवा परिक्षा – आवासीय कोचिंग अकादमी प्रतियोगी परीक्षा आकांक्षिओं को कोचिंग प्रदान करने के लिए 2009 में स्थापित की गई। अकादमी अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी समुदाय और महिला छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस अकादमी 18 कोचिंग कार्यक्रम आयोजित किए जिसके तहत 799 अभ्यर्थियों को लाभ हुआ। अकादमी से कोचिंग लेने वाले अभ्यर्थी बैंकिंग भर्ती, राज्य लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्ती और अन्य मल्टीनेशनल कंपनी (एमएनसी) में रोजगार लेने में सफल हुए हैं।

2016–17 के दौरान, अकादमी से 82 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवाओं की आरंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग ली, जिसमें से यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा में 6 अभयिर्थियों ने परीक्षा उतीर्ण की। हमारे प्रतिभागियों में से एक का चयन भारतीय वन सेवा में हुआ। अकादमी ने अल्पसंख्यक छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के आकांक्षियों को कोचिंग

प्रदान करने के लिए विख्यात रिसोर्स व्यक्तियों को रखा है।

सीएसई–आरसीए समान अवसर प्रकोष्ठ के सहयोग से यूजीसी के तहत कवर किए गए कोचिंग कार्यक्रम को सुकर बना रहा है जिससे यूजीसी–नेट परीक्षा उतीर्ण करने के लिए अनेक अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ हुआ। 23 बैच को कोचिंग दी गई जिसमें 1251 छात्र कवर किए गए और अब तक 42 छात्रों ने नेट–जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें इतने ही छात्र लेक्चररशिप के लिए उत्तीर्ण हुए। सेवा में जाने के लिए कोचिंग लेने से समूह –I, बैंकिंग और अन्य राज्य सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुछ अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ है। उपचारात्मक शिक्षा के लिए कोचिंग ने उत्तीर्ण दर को 18 प्रतिशत तक बढ़ाया है और इससे विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक कार्यक्रम के 1533 अल्पसंख्य छात्रों को लाभ हुआ है।

7. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् (एनसीपीयूएल):** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रोत्साहन के कार्य को देखता है और उर्दू भाषा से संबंधित मामलों और उसे शिक्षा में दिए गए कार्य पर भारत सरकार को सलाह देता है।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषी डीटीपी केंद्रों की स्थापनाः वर्ष 2017–18 के दौरान (30.11. 2017 तक), एनसीपीयूएल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग तथा बहु–भाषीय डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) में एक–वर्षीय डिप्लोमा के संचालन के लिए पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 452 अध्ययन केन्द्र चला रहा है जिसमें 11906 बालिकाओं सहित 30514 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया ताकि उर्दू भाषी लड़कों और लड़कियों को रोजगार योग्य प्रौद्यगिकीय कार्यबल बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके।

कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्रः पारंपरिक कैलीग्राफी के संरक्षण और संवर्धन के लिए, 71 कैलीग्राफी तथा ग्राफिक डिजाईन केन्द्रों ने इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत करीब 1900 बालिकाओं सहित 3350 छात्रों को पढ़ाया।

सहायता अनुदान (उर्दू): चुनिंदा उर्दू सवंर्धन गतिविधियों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें सेमिनार के आयोजन के लिए 137 एनजीओ/संस्थाएं/एजेंसी, 52 लेक्चर सीरिज, 143 पांडुलिपि और लेखकों की 42 परियोजनाएं तथा बड़ी खरीद योजना के तहत मूल लेखकों की 401 उर्दू पुस्तकों/पत्रिकाओं का अनुमोदन शामिल है।

उर्दू प्रेस प्रोत्साहनः एनसीपीयूएल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवा प्राप्त करने के लिए 337 लघु और मध्यम उर्दू पत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लगभग 1335 समाचार पत्रों ने डीएवीपी दर पर विज्ञापन भी प्रदान किए।

प्रकाशन कार्यकलापः एनसीपीयूएल, भारत सरकार के तहत मुख्य उर्दू प्रकाशन गृह है। वर्ष में प्रकाशन कार्य प्रकाशित किया गया है जिसमें 24 नए शीर्षक, 02 पुर्नमुद्रण, 31 पाठ्यक्रम पुस्तकें, उर्दू दुनिया पत्रिका के 07 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया के 07 अंक, तिमाही पत्रिका फिक्र–ओ–तहकीक के 03 अंक और खवातीन दुनिया के 04 अंक शामिल हैं।

पुस्तक संवर्धनः उर्दू पुस्तक मेलों के आयोजन द्वारा बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों का संवर्धन किया जाता है। शोलापुर, एमएस में 23 से 31 दिसंबर, 2017 तक वर्ष 2017–18 के पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। एनसीपीयूएल ने अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 02 पुस्तक मेलों में भाग लिया और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में चल प्रदर्शनी के 04 दौरे किए।

अकादमिक परियोजना/सहयोगः एनसीपीयूएल ने शैक्षिक प्रकाशन परियोजनाओं को जारी रखा है जिसमें 01 शब्दावली और 06 प्रक्रियाधीन, 03 शब्दकोश प्रक्रियाधीन, वृहतकोश के 03 खंड प्रक्रियाधीन, 20 प्रोजेक्ट्/पांडुलिपि प्रकाशित किए गए, 07 मोनोग्राफ प्रकाशित और 12 प्रक्रियाधीन हैं। 16 बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गईं, साहित्य, भाषा विज्ञान और सामाजिक भाषा विज्ञान, उर्दू साहित्य का इतिहास और वृहतकोश, यूनानी औषध, विधि अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, पारसी, अरबी, इस्लामिक अध्ययन और सृजनात्मक लेखन पैनल के प्रोजेक्ट्स प्रक्रियाधीन हैं।

राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/कांफ्रेंस/कार्यशाला/सांस्कृतिक कार्यक्रमः

- भारत में उर्दू की सांविधिक और कानूनी स्थिति पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिनांक 29.04.2017 से 30.04.2017 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया गया।

  टीवी पर उर्दू दुनिया का निर्माण और प्रसारण

  उर्दू भाषी लोगों को उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए की गई गतिविधियों के बारे में जागरूकता लाने और उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए एनसीपीयूएल ने आधे घंटे के साप्ताहिक एपीसोड के निर्माण और प्रसारण के लिए ईटीवी (उर्दू) को अनुबंधित किया है।

- ईटीवी द्वारा 31 एपीसोड बनाए गए और प्रसारित किए गए।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू): एनसीपीयूएल प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। वर्तमान में 811 केन्द्र हैं और कुल 1263 केन्द्र बनाने हैं (811 उर्दू डिप्लोमा और 452 सीएबीए–एमडीटीपी) जिनमें कम्प्यूटर केन्द्र शामिल हैं। जिसमें कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सीख रहे प्रशिक्षुओं के लिए उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है।

करीब 1414 अंशकालिक उर्दू शिक्षकों को रोजगार प्राप्त हुआ और 86946 (56432 उर्दू डिप्लोमा . 30514 सीएबीए–एमडीटीपी) छात्र जिनमें 37300 (25394 उर्दू डिप्लोमा . 11906 सीएबीए–एमडीटीपी) बालिकाओं ने दाखिला लिया। उर्दू ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रम शुरू हुआ जिनमें 23263 भारतीय और 2452 विदेशियों को मिलाकर 25715 शिक्षुओं ने पंजीकरण लिया।

अरबी और फारसी प्रोत्साहनः उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी को प्रोन्नयन करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे आने वाले अध्येताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। 44415 शिक्षुओं को अरबी शिक्षण के लिए 695 अध्ययन केंद्र हैं जिनमें दोनों पाठ्यक्रमों में 20523 लड़कियां दाखिल की गईं। फारसी भाषा में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र हेतु 24 केंद्र चल रहे हैं जिसमें 1143 छात्र पंजीकृत हैं।

अनुदान सहायता (अरबी/फारसी): चयनित अरबी और फारसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु 21 पांडुलिपियों, 10 सेमीनार, 14 लेखक परियोजनाओं को मुद्रण सहायता प्रदान करने हेतु एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई तथा मूल लेखकों की 12 अरबी/फारसी पुस्तकों को अनुमोदित किया गया।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमः जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए 03 केन्द्रों में पेपर मेशे में छह माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया।

******

अध्याय 27

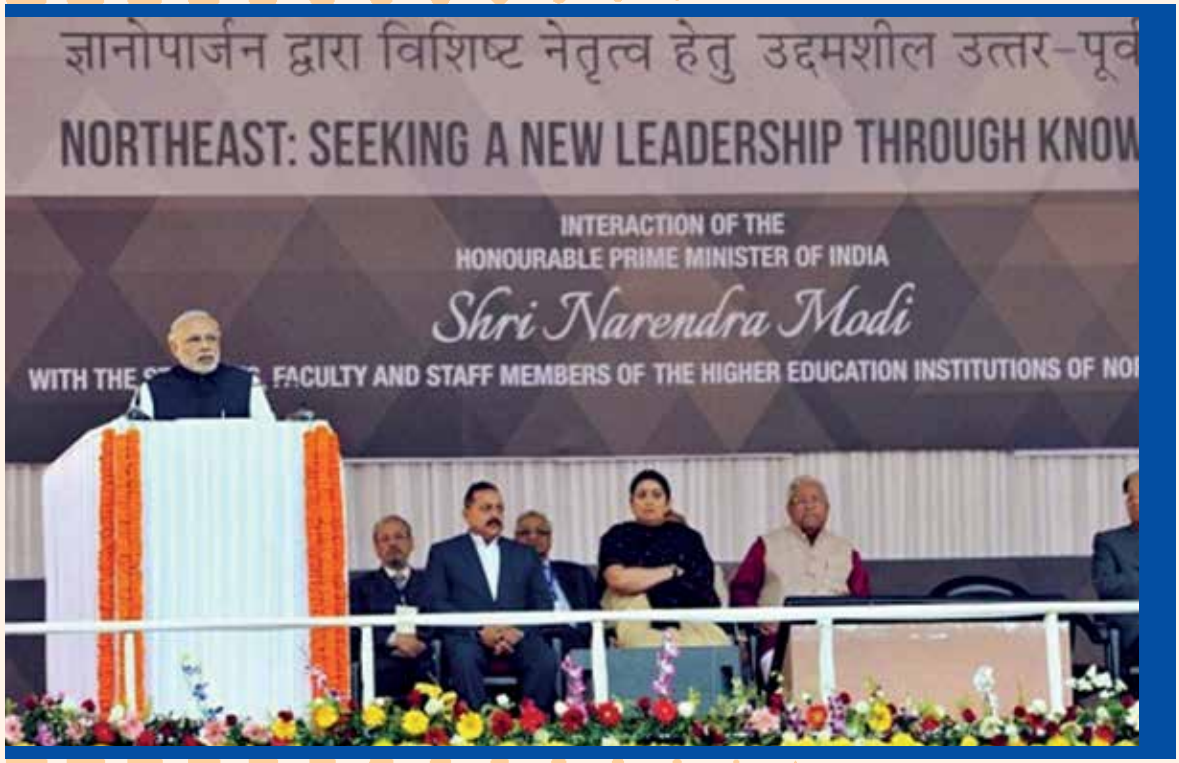

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

अध्याय 27

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जो विशेष श्रेणी वाले राज्य के अन्तर्गत आते हैं: अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन राज्यों की कुछ भिन्न विशेषताएं हैं। इनकी अतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पर्वतीय भू–भाग हैं और विशिष्ट रूप से भिन्न सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मानदंड हैं। इन राज्यों को अवसंरचनात्मक विकास हेतु अपने प्रयासों में भौगोलिक असुविधाएं भी होती हैं। इन राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास भी देरी से शुरू हुआ है। उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों को योजना सहायता में अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत संस्वीकृति प्रदान करती है।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में शिक्षा की एक झलक

क्र.सं.	राज्य	उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की संख्या 2016–17	उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में नामांकन 2016–17	सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2016–17	लैंगिक समतुल्यता इंडेक्स उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2016–17	जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में शिक्षा पर व्यय (2014–15)
1	अरुणाचल प्रदेश	58	46564	28.9	0.97	8.78
2	असम	648	640270	17.2	0.93	7.37
3	मणिपुर	109	101062	35.0	0.98	5.18
4	मेघालय	96	80292	23.5	1.03	5.00
5	मिजोरम	48	31719	24.5	0.94	8.53
6	नागालैंड	86	40762	16.6	1.06	6.64
7	सिक्किम	32	29110	37.3	1.20	5.08
8	त्रिपुरा	69	83244	19.1	0.78	5.02
9	जम्मू और कश्मीर	403	337850	25.6	1.17	5.52
10	हिमाचल प्रदेश	493	270210	36.7	1.23	4.48
11	उत्तराखंड	630	404686	33.4	0.98	3.54

स्रोत: उच्चतर शिक्षा 2016–17 पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और शिक्षा 2014–15 पर बजटीय व्यय का विश्लेषण

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में उच्चतर शिक्षा के सुधार की संभावना कुछ समय से भारत सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक रही है। यह स्पष्ट रूप से विश्वास किया जाता है कि उत्तर पूर्व के समग्र विकास का शैक्षिक नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत संबंध है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 दिसम्बर, 2014 को आयोजित अ.जा, अ.ज.जा एवं निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति की बैठक में भी इनके लिए रोड़–मैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पूर्वोत्तर के लोगों की राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदार बनने की चिर–प्रतीक्षित अभिलाषा को पूरा किया जा सके।

विशेष श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं

राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	आईआईएम	आईआईटी	एनआईटी	अनुमोदित मॉडल डिग्री कॉलेज	पोलिटेक्निकों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	01			01*	06	14
असम	02		01	01	12	21
मणिपुर	02			01*		8
मेघालय	01	01		01*	05^	4
मिजोरम	01			01*	07^	6
नागालैंड	01			01*	01	8
सिक्किम	01			01*	04^	2
त्रिपुरा	01			01	04	3
हिमाचल प्रदेश	01			01	02	5
जम्मू और कश्मीर	02			01	08	18
उत्तराखंड	01					1

**प्रस्तावित ^नए एनआईटी*

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

आरयूएसए का उद्देश्य भी उच्चतर शिक्षा में योजनागत निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। योजना के घटक में क्लस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना, शोध तथा नवाचार में सुधार, डिग्री कॉलेजों का उन्नयन इत्यादि शामिल है। केन्द्र–राज्य निधियन पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में होगा। सहायता केवल सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए दी जाएगी। 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की पूर्व योजना को पोलिटेक्निकों को शामिल करने के साथ ही आरयूएसए के तहत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विशेष श्रेणी के राज्यों में मॉडल डिग्री कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं।

राज्य	मॉडल डिग्री कॉलेज
नागालैंड	1
त्रिपुरा	4
हिमाचल प्रदेश	2
उत्तराखंड	1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

भारत सरकार ने एनईआर (पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए योजनागत अनुदान का 10 प्रतिशत आवंटित

किया है)। इग्नू पूर्वोत्तर क्षेत्र इकाई (ईडीएनईआरयू) के शैक्षिक विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहलों के अवसरों को प्रदान करके एनईआर में शैक्षिक विकास के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है।

इशान उदय– पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा के प्रोन्नयन के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "इशान उदय" विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 5400 रूपए प्रति माह है और तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 7800 रूपए प्रति माह है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत 10000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यूजीसी तथा केनरा बैंक के बीच किए गए समझौते (एमओयू) के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सीधे ही केनरा बैंक द्वारा की जाती है। 17901 छात्रवृत्तिधारकों पर 31 अगस्त, 2017 (वर्ष 2017–18 के दौरान) तक 8.13 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। पूर्वोत्तर छात्रों के लिए इशान उदय विशेष छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर डाली गई है।

इशान विकासः इशान विकास में चुने हुए स्कूली बच्चों और पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को उनके अवकाश के दौरान आईआईटी, एनआईटी तथा आईआईएसईआर के घनिष्ठ सम्पर्क में लाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूली बच्चों के लिए इन संस्थाओं में से एक में दस दिन की अवधि के दौरे की परिकल्पना की गयी है। इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, और आईआईएसईआर में इंटर्नशिप कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का समन्वय आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जा रहा है।

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, उनमें डिग्री/डिप्लोमा स्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों पर सीटों के आरक्षण की योजनाः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/फार्मेसी के पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की योजना उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए तैयार की गई है, जिनमें, इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक नहीं हैं या जिनमें, तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा और विदेशी छात्रों सहित कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। अकादमिक सत्र 2015–16 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में चिन्हित सीटों की संख्या इस प्रकार हैः

क्र.सं.	राज्य का नाम	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	डिग्री पाठ्यक्रम
1	त्रिपुरा	25	50
2	मिजोरम	18	121
3	मणिपुर	35	113
4	नागालैंड	50	150
5	अरुणाचल प्रदेश	162	150
6	असम	30	19
7	मेघालय	27	100
8	सिक्किम	30	40

उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या जिनको यूजीसी द्वारा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों का आबंटन किया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामुदायिक कॉलेज	बी.वोक	डीडीयू कौशल केंद्र
1	अरुणाचल प्रदेश	2	–	–
2	असम	31	13	2
3	मणिपुर	6	9	2
4	मेघालय	5	–	–

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामुदायिक कॉलेज	बी.वोक	डीडीयू कौशल केंद्र
5	मिजोरम	1	1	–
6	नागालैंड	–	2	1
7	सिक्किम	–	–	–
8	त्रिपुरा	–	1	–
9	जम्मू और कश्मीर	3	2	1
10	हिमाचल प्रदेश	2	–	1
11	उत्तराखंड	2	1	1

12वीं योजना (2012–2017) के दौरान, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए आबंटन

(क) विश्वविद्यालय

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटन (2012–2017) (रु. लाख में)	जारी अनुदान (2015–2016) (रु. लाख में)
	असम		
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़–786004 असम	200.00	80.00
2.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोली नगर, गुवाहाटी– 781014, असम	240.00	96
	जम्मू और कश्मीर		
3.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी–185131 जम्मू और कश्मीर	200.00	80.00
	उत्तराखंड		
4.	दून विश्वविद्यालय मोथ्रोवाला रोड, देहरादून–248001	240.00	96.00

(ख) कॉलेज

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत छात्रावासों की सं.	आबंटित अनुदान	जारी अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	340	261
2.	असम	156	8153.65	5099.73
3.	मणिपुर	49	2226.77	2024.94

4.	मेघालय	6	280	505.19
5.	मिजोरम	3	95	355.4
6.	नागालैंड	19	930	1265.75
7.	सिक्किम	–	–	–
8.	त्रिपुरा	1	80	91

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी): न्यास ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, न्यास ने अगरतला और गुवाहाटी में अपने पुस्तक संवर्धन केन्द्र भी खोले। न्यास ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान पुस्तक पढ़ने की प्रवृति का सृजन करने और घाटी में लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में, पुस्तकों के संवर्धन और पढ़ने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में, न्यास बच्चों के लिए शिक्षा शिविर आयोजित कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए छूट: देश के अन्य भागों में शैक्षिक संस्थाओं में कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के दाखिले के मामले में कुछ छूट की अनुमति दी गयी थी। चूंकि कश्मीरी प्रवासी निरंतर कठिनाईयों का सामना करते हैं, देश के अन्य भागों की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कश्मीरी प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित छूटें भी प्रदान की गई है:

(i) न्यूनतम पात्रता शर्त के अध्यधीन कट–ऑफ प्रतिशत में 10% तक की छूट

(ii) प्रवेश संख्या में 5% पाठ्यक्रम–वार की वृद्धि।

(iii) तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं में मेरिट कोटा में कम–से–कम एक सीट का आरक्षण।

(iv) मूल निवास संबंधी शर्तों में छूट प्रदान करना।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अधिसंख्य सीटें:

सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में, जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अधिसंख्या कोटा के अंतर्गत 2 सीटों का सृजन किया जाना है।

******

अध्याय 28

महिलाओं का शैक्षिक विकास

अध्याय 28

महिलाओं का शैक्षिक विकास

वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986, एक दिशा परिवर्तक नीति दस्तावेज है जिसमें भारत सरकार की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट होती है कि ''महिलाओं की स्थिति में मूल बदलाव लाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक एजेंट के रूप में किया जाएगा। अतीत की विकृतियों को निष्क्रिय करने के लिए, महिलाओं का एक सुविचारित पक्ष होगा.... यह विश्वसनीयता और सामाजिक निर्माण की कार्रवाई होगी... महिलाओं की निरक्षरता तथा उनकी सेवाओं की बाधाओं को दूर करना, समय संबंधी लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करना।''

महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना उच्चतर शिक्षा विभाग का एक निरंतर प्रयास रहा है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना एक फोकस क्षेत्र है। देश में उच्चतर शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। छात्रा नामांकन का अंश, जो स्वतंत्रता के समय कुल नामांकन का 10 प्रतिशत से कम था, शैक्षिक वर्ष 2015–16 में 46.23% तक पहुंच गया है। पुरुष और महिला दोनों के लिए जीईआर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 2010 से 2015 की अवधि के दौरान, जीईआर में महिला–पुरुष अंतराल कम हुआ है।

(क) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

विगत 4 वर्षों में महिला–पुरुष, दोनों के सकल नामांकन अनुपात (सामान्य) सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जाति) और सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जनजाति) में समय–श्रृंखला परिवर्तन को नीचे की तालिकाएं प्रदर्शित करती हैं।

तालिका 1: सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सभी वर्ग		
	पुरुष जीईआर	महिला जीईआर	कुल जीईआर
2012–13	22.7	20.1	21.5
2013–14	23.9	22.0	23.0
2014–15	25.3	23.2	24.3
2015–16	25.4	23.5	24.5
2016–17	26.0	24.5	25.2

(स्रोतः उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

तालिका 2: महिला जीईआर

वर्ष	कुल महिला जीईआर	अ.जा. महिला जीईआर	अ.ज. जा. महिला जीईआर
2012–13	20.1	15.0	9.8
2013–14	22.0	16.4	10.2
2014–15	23.2	18.2	12.3
2015–16	23.5	19.0	12.9
2016–17	24.5	20.2	14.2

जहां तक जीईआर (महिला) का संबंध है, राज्य जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों ने प्रभावशाली प्रगति की है।

वर्ष 2016–17 के लिए उच्चतर शिक्षा में राज्यवार महिला नामांकन

क्र. सं.	राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,857	5639	51.94
2	आंध्र प्रदेश	1799433	792,027	44.02
3	अरुणाचल प्रदेश	46,564	22963	49.31
4	असम	640,270	316,380	49.41
5	बिहार	1645518	696,770	42.34
6	चंडीगढ़	100,849	50,868	50.44
7	छत्तीसगढ़	500046	246,920	49.38
8	दादरा और नगर हवेली	5626	2708	48.13
9	दमण और दीव	3119	1185	37.99
10	दिल्ली	1027806	496,750	48.33
11	गोवा	48,669	24,568	50.48
12	गुजरात	1458104	590,959	40.53
13	हरियाणा	925,290	432,180	46.71
14	हिमाचल प्रदेश	270,210	144,358	53.42
15	जम्मू और कश्मीर	337,850	176,716	52.31
16	झारखंड	671,037	319,552	47.62
17	कर्नाटक	1871294	917,218	49.02
18	केरल	1033143	604,623	58.52
19	लक्षद्वीप	524	375	71.56
20	मध्य प्रदेश	1773253	795,143	44.84
21	महाराष्ट्र	4016309	1776545	44.23
22	मणिपुर	101,062	50,996	50.46
23	मेघालय	80,292	41,411	51.58
24	मिजोरम	31719	15,441	48.68
25	नगालैंड	40762	20,570	50.46
26	ओडिशा	972,285	439,779	45.23
27	पुडुचेरी	66,918	33,472	50.02
28	पंजाब	917,550	444,691	48.47
29	राजस्थान	1808451	813,479	44.98
30	सिक्किम	29110	15,415	52.95

क्र. सं.	राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन का प्रतिशत
31	तमिलनाडु	3371351	1635815	48.52
32	तेलंगाना	1438737	677,484	47.09
33	त्रिपुरा	83,244	37,396	44.92
34	उत्तर प्रदेश	6157971	2937514	47.70
35	उत्तराखंड	404,686	194,592	48.08
36	पश्चिम बंगाल	2015996	952,808	47.26
	अखिल भारतीय	35705905	16725310	46.84

स्रोतः उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, एमएचआरडी

जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठः जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन एक ऐसे तरीके से मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन करने और उसे प्रभावित करने, जो जेंडर असमानताओं को दूर कर सके, जेंडर समानता और विकास का संवर्धन कर सके तथा मंत्रालय के बजट से सार्वजनिक संसाधन सुनिश्चित कर सके, के उद्देश्य से विभिन्न जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग (जीआरबी) पहलों के कार्यान्वयन और उनके प्रति वचनबद्धता के लक्ष्य से किया गया था। अध्यक्ष के रूप में आर्थिक सलाहकार (एचई) के साथ 16 मार्च, 2017 को मंत्रालय में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

घटकों की प्रगति – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के विभिन्न घटक महिलाओं और महिला विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन घटकों में प्रत्येक घटक की प्रगति निम्नलिखित रूप में रही हैः

मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालय में उन्नयनः कुल 7 स्वायत्त कॉलेज विश्वविद्यालयों (2016) में रूपान्तरित करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ओडिशा में स्वायत्त कॉलेज को रूपांतरित करके विश्वविद्यालय के रूप में सृजित किया जाने वाला विश्वविद्यालय एक महिला विश्वविद्यालय होगा।

कॉलेजों का क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरणः 20 कि.मी. के घेरे के भीतर उच्च निष्पादक कॉलेजों को चिन्हित करके 8 क्लस्टर विश्वविद्यालय सृजित करने के लिए अनुमोदित किया गया है(2016)। ये कॉलेज अन्तर विषयी और बहु–विषयी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करेंगे और अधिक सृजनात्मक, नवाचारी और समग्रता पूर्ण अधिगम के लिए परिस्थितिकी उपलब्ध कराएंगे। 5 राज्यों, उदाहरणार्थ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर और कर्नाटक में मौजूद 5 महिला कॉलेज इन क्लस्टर विश्वविद्यालयों के भाग हैं।

विश्वविद्यालयों को अवसरंचना अनुदानः इस घटक के अन्तर्गत, प्राप्त किए जाने वाले 150 के लक्ष्य में से 115 राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही है। तमिलनाडु में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय और हरियाणा में बीपीएम विश्वविद्यालय, दो ऐसे महिला विश्वविद्यालय हैं, जिनको इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

नए मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य): शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में नए मॉडल डिग्री कॉलेजों को सृजित करने का प्रयोजन, उच्चतर शिक्षा में प्रवेश (एक्सेस) और सुसंगत गुणवत्ता चेतना में सुधार करना है। यह भी लक्ष्य रहा है कि युवकों को सशक्त करके उच्चतर शिक्षा के अवसरों को उनके समीप लाकर उनके पिछड़ेपन के मुद्दों के समाधान किए जाएं। इस घटक के अन्तर्गत 72 मॉडल डिग्री कॉलेज पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में, कुपवाड़ा जिला स्थित

एक महिला कॉलेज को इस घटक के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेजों के रूप में प्रोन्नयनः मौजूदा डिग्री कॉलेजों को रुसा के घटक मॉडल कॉलेज के रूप में प्रोन्नयन करने में, गैर–आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित संस्थाओं का समावेशन करने की संकल्पना की गई है। अब तक ऐसे कुल 56 कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। तीन महिला कॉलेज हैं, जो बिहार, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना के राज्यों में प्रस्तावित हैं। ये घटक, देश के कठिनतम भागों में पहुंच (एक्सेस), समानता के मुद्दों का समाधान करेंगे और उस सुसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रदान करेंगे जो अब से पहले उपलब्ध नहीं थी। तेलंगाना में, तीन निम्नलिखित मौजूदा महिला कॉलेजों को, प्रत्येक को 4 करोड़ रुपयों की रुसा निधियन के साथ शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), करीमनगर, पिंगले शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), वारंगल और शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), हुसैनी आलम, हैदराबाद का मॉडल डिग्री कॉलेजों के रूप में प्रोन्नयन किया गया था।

कॉलेजों को अवसरंचना अनुदानः इस योजना के अंतर्गत 3,500 कॉलेजों के लक्ष्य में से अब तक 1211 कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 17 राज्यों में 123 महिला कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है।

उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरणः– केंद्र सरकार द्वारा कौशल में सुधार लाने और लाभकारी रोजगार के लिए अवसरों को सृजित करने पर बल दिए जाने की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सरकार के कौशल प्राथमिकता के बृहत्तर ढांचे के भीतर सार्थक गतिविधियों को सहायता प्राप्त होती रहे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 20 लक्ष्यों में से लगभग 7 राज्यों को (2016) इस पहल में सहायता प्रदान की गई है। जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु के दो राज्यों में क्रमशः 4 और 19 महिला कॉलेजों को इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

इक्विटी पहलेंः योजना के वृहद लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, समान पहुंच (एक्सेस) के लिए अवसरों को प्रदान करना और उनमें वृद्धि करना है। इस घटक ने अब 20 लक्ष्यों में से 17 राज्यों को कवर कर लिया है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना को छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब आदि राज्यों में समर्थन प्राप्त हुआ है, इस घटक के अंतर्गत ओडिशा में जिन कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है वे महिला कॉलेज हैं। हरियाणा और झारखंड में बालिका छात्रावासों के निर्माण में सहायता प्रदान की जा रही हैं। केरल में, चयनित शासकीय महिला कॉलेजों में और जहां पर छात्राएं अधिक संख्या में हैं, हिन्दुस्तान लैटेक्स की सहायता से आटोमेटिक सैनिटैरी नैपकिन वेंडिग मशीनें स्थापित की जाएंगी। पंजाब में, बालिका कॉमन रूम और बालिका शौचालयों के निर्माण/नवीकरण और छात्राओं को आवश्यक आत्म–रक्षा तकनीकों और युद्धकला में दक्ष करने में सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने, तेलंगाना के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए कम से कम एक मॉडल आवासीय डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में 22 महिला छात्रावास शासकीय कॉलेजों में पहले से ही क्रियाशील हैं।

रुसा के अंतर्गत महिला संस्थाओं को दी गई सहायता का सारांश

घटक का नाम	महिला कॉलेजों/संस्थाओं की संख्या	संख्या/राज्यों के नाम
स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में रूपातंरण	1	ओडिशा
क्लस्टर विश्वविद्यालयों का सृजन	5	जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर और कर्नाटक
इक्विटी पहलें	6	छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, असम

घटक का नाम	महिला कॉलेजों/संस्थाओं की संख्या	संख्या/राज्यों के नाम
कॉलेजों को अवसरंचना अनुदान	121	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, त्रिपुरा
विश्वविद्यालयों को अवसरंचना अनुदान	2	हरियाणा और तमिलनाडु
नए मॉडल कॉलेज	1	जम्मू और कश्मीर
मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में प्रोन्नयन	3	ओडिशा, बिहार और पंजाब
उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण	23	जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु
कुल योग	**162**	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से महिलाओं की उच्चतर शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन के संबंध में अग्रणी सर्वोच्च निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए महिला शिक्षा प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने नामांकन को प्रोत्साहित करने और उच्चतर शिक्षा में बालिकाओं के प्रोन्नयन हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। यूजीसी द्वारा संचालित ऐसी योजनाएं संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित हैं:

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दैनिक परिचर्या केंद्र: इस योजना का लक्ष्य, लगभग 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मांग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर दैनिक देखभाल उस परिस्थिति में प्रदान करना है जब उनके माता–पिता (विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी/छात्र अध्येता) दिन के समय में घर से दूर होते हैं और कार्य के घण्टों के दौरान उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान और वातावरण भी उपलब्ध कराना है।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में अध्ययन करने के लिए एकल बालिका (सिंगल गर्ल चाइल्ड) हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति: इस योजना का प्रयोजन, छात्रवृत्ति के माध्यम से उन बालिकाओं की सहायता करना जो अपने परिवार की अकेली कन्याएं हैं और उन्हें छोटे परिवार से संबंधित मूल्यों का महत्व भी समझाना है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के समय पर केवल 30 वर्ष तक आयु वाली छात्राएं ही पात्र हैं। योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लाटों की संख्या 1200 प्रतिवर्ष है। छात्रवृत्ति की राशि 3100/– रुपए प्रतिमाह की दर से देय है।

कॉलेजों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण: महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और समाज के विकास के लिए संभावित उपलब्धता का दोहन करने तथा एक विशेष योजना 'महिला छात्रावासों के निर्माण' के माध्यम से लैंगिक समानता और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूजीसी, छात्रावास और अन्य अवसरंचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता रहा है। मुख्य लक्ष्य, छात्राओं अनुसंधानकर्ताओं/शिक्षकों और अन्य स्टॉफ को आवासीय स्थान उपलब्ध कराने की

दृष्टि से, महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सभी पात्र कॉलेजों की सहायता करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्रों का विकासः यह योजना, विश्वविद्यालयों को नए महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने और 12वीं योजना तक स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली में उनको सांविधिक रूप में स्थापित करके विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों को सहायता प्रदान करने, उनकी क्षमता को अन्य संघटक में नेटवर्क हेतु इस प्रकार सुविधाजनक बनाने की संकल्पना करती है, जिससे उनमें परस्पर मजबूती और सहक्रियाशीलता उत्पन्न हो सके। इन केंद्रों की मुख्य भूमिका, जब तक कार्रवाई और प्रलेखन किया जाता है, उस समय तक शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान का अनुरूपण और ज्ञान का प्रेषण है।

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता–निर्माण योजनाः यह कार्यक्रम, उच्चतर शिक्षा में अकादमिक और प्रशासनिक शाखाओं में महिलाओं को जानकारी देने और उनको प्रेरित करने और, उसके पश्चात् उनको उच्चतर शिक्षा में निर्णय लेने वाले पदों, जहां वर्तमान समय में ऐसे पदों को गिनी–चुनी महिलाएं धारण करती हैं, के लिए तैयार करना है। इस योजना का प्रयोजन, जेंडर सुग्राहीकृत प्रशासकों का एक महत्वपूर्ण समूह विकसित करना, जेंडर हितैषी पर्यावरण सृजित करना और ग्लास सीलिंग दूर करना है।

यह कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित करता हैः

- सुग्राहीकरण, जागरूकता, अभिप्रेरणात्मक कार्यशालाएं, आवासीय कार्यशालाएं।
- सुग्राहीकरण, जागरूकता, अभिप्रेरणात्मक कार्यशालाएं, गैर आवासीय कार्यशालाएं।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण/यात्रा समय को छोड़कर छः दिवसीय मास्टर प्रशिक्षक कार्यशाला
- प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं।
- यात्रा समय को छोड़कर पांच दिनों के लिए पुनश्चर्या कार्यशाला पाठ्यक्रम

महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृतिः इस योजना का कार्यान्वयन, बेरोजगार महिलाएं जो अपने संबंधित विषय क्षेत्र में पीएच.डी धारक हैं, के लिए इस लक्ष्य सहित किया जाता है कि महिला उम्मीदवारों की प्रतिभाशाली वृत्तियों को अग्रिम अध्ययनों और अनुसंधान को शीघ्र पूरा किया जा सके। योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है। अवार्ड की अवधि पांच वर्ष है, जिसमें पुनः विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य मुक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 55 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 60 वर्ष है, जो आवेदन वर्ष की 1 जुलाई को गणना में ली जाएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) महिला छात्रों, विशेष रूप से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला छात्रों तक महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों के माध्यम से अपनी पहुंच बनाने का सचेतन प्रयास करता रहा है। अब 38 विशेष अध्ययन केंद्र और 07 नियमित अध्ययन केंद्र हैं (कुल 45) जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था में संलग्न हैं। विश्वविद्यालय ने 2007 में महिला–पुरुष और विकास अध्ययन स्कूल की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य, अकादमिक कार्यक्रमों के शिक्षण द्वारा और महिलाओं के क्षेत्र में जेंडर अध्ययन एवं विकास अध्ययन में अनुसंधान का आयोजन करके महिला–पुरुष न्याय और समानता की उपलब्धि करना है। स्कूल, निष्णात (मास्टर), स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र स्तर पर पांच अकादमिक कार्यक्रमों का शिक्षण प्रदान करता है। अन्य अध्ययन विद्यालय भी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अकादमिक कार्यक्रमों का शिक्षण प्रदान करते हैं। जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल, स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, शिक्षा निरंतरता स्कूल, मानविकी स्कूल, अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण स्कूल, सामाजिक–कार्य, मंचकला और दृश्य कला स्कूल तथा स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले अकादमिक कार्यक्रमों में बालिका छात्राओं के नामांकन की संख्या 50% से अधिक हो गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई):

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने की दृष्टि से, एआईसीटीई, नए महिला तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए विनियमों में विशेष छूट प्रदान करती हैं। इनमें, भूमि की उपलब्धता के लिए मानकों में छूट, संसाधन शुल्क में रियायत, जमाओं आदि की छूटें शामिल हैं। सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में, कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क को माफ करने की योजना का कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रगति (बालिका छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति) :

प्रगति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) की एक योजना है, जिसका लक्ष्य, तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी के लिए सहायता प्रदान करना है। विकास की प्रक्रिया में, पूर्ण रूप से भागीदारी करने के लिए महिलाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त करने के साधनों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रत्येक युवा महिला को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और ''तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने'' के माध्यम, से एक सफल भविष्य के लिए तैयार होने के अवसर प्रदान करने का प्रयास है।

योजना की मुख्य विशेषताएंः छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्षः 4000 'एक बालिका' प्रति परिवार, जहां पर पारिवारिक आय, प्रति वर्ष 6 लाख रुपए से कम है। अभ्यर्थियों का चयन, तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही छात्रों के मध्य अर्हक परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

उम्मीदवारों को वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य/केंद्रीय सरकार की केंद्रीकृत दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि 30000/– रुपए या शिक्षा शुल्क या वास्तविक में जो भी कम है और प्रत्येक वर्ष के 10 माह के लिए आकसमिक व्ययों के रूप में प्रतिमाह 2000/– रुपए होगी। आरक्षणः अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों आवेदकों के लिए 27% आरक्षण। प्रत्येक योजना में, छात्रवृत्तियों की कुल संख्या में से 50% छात्रवृत्तियां प्रत्येक डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपलब्ध हैं और पात्र आवेदकों की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी डिग्री/डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम में अंतरणीय भी हैं।

******

अध्याय 29

निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास

अध्याय 29

निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास

शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, न्याय और गरिमा को सुनिश्चित करता है और सभी निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा का स्पष्ट रूप से अधिदेश देता है। हाल ही के वर्षों में निःशक्त व्यक्तियों की अवधारणा के प्रति समाज में बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास उपायों के लिए समान अवसर और प्रभावी पहुंच होने पर अच्छी गुणवत्ता का जीवनयापन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) निःशक्तजनों की शिक्षा पर विशेष जोर देती है। यह नीति उल्लेख करती है कि उद्देश्य, शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तजनों को समान भागीदारों के रूप में सामान्य समुदायों के साथ जोड़ना, सामान्य विकास के साथ उन्हें तैयार करना और उन्हें साहस और विश्वास के साथ जीने के योग्य पात्र बनाना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6–14 आयु वर्ग समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई बच्चा, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित निःशक्तता से पीडित है तो उसका उक्त अधिनियम के अध्याय–V के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 और जो 1 अगस्त, 2012 से प्रभावी हो गया है, में निःशक्तजनों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

(i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में ''लाभवंचित समूहों से संबंधित बच्चों'' की परिभाषा में निःशक्त बच्चों का समावेशन।

(ii) सेरेबरल पाल्सी, मंदबुद्धि, ऑटीजम और बहु निःशक्तता सहित निःशक्त बच्चों को निःशक्तजन (समान अवसर, संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय V के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) ''बहु–निःशक्तता'' और ''गंभीर निःशक्तता'' वाले बच्चों को भी गृह आधारित शिक्षा अपनाने का अधिकार होगा।

निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने समावेश की अवधारणा की एक विस्तृत और व्यापक समझ को अपनाया है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को पढ़ाने के बहु–विकल्प मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मॉडल को अपनाने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत और अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाना है।

1. **निःशक्तजनों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस):** वर्ष 2009–10 से निःशक्तजनों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस) शुरू की गई है। माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) घटक को वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल कर लिया

गया। यह कक्षा IX–XII में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना का लक्ष्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात् एक समावेशी और समर्थकारी वातावरण में आगे चार वर्ष की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII) जारी रखने के लिए सक्षम बनाना है।

इस योजना में प्रारंभिक स्कूलों से उत्तीर्ण बच्चों और सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे उन सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो निःशक्तजन अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999) के तहत यथा परिभाषित अनुसार एक या अधिक निःशक्तताओं अर्थात (i) दृष्टिहीनता, (ii) कम दृष्टि, (iii) उपचारित कुष्ठरोग, (iv) श्रवण बाधिता, (v) लोकोमोटर (गति–संचालन) निःशक्तता, (vi) मंदबुद्धि, (vii) मानसिक रोग, (viii) ऑटिज्म (स्वलीनता), और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त हैं और इसमें अंततोगत्वा स्पीच (बोलने) बाधिता, अधिगम निःशक्तताओं इत्यादि को शामिल किया जाता है।

(क) योजना के घटकों में दो प्रमुख घटक अर्थात निम्न के लिए सहायता शामिल है। (क) विद्यार्थी–उन्मुखी घटकः– i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन ii) विद्यार्थी विशिष्ट सुविधाओं जैसे सहायक उपस्करों, चिकितसीय सेवा, पुस्तक सहायता सेवाएं इत्यादि का प्रावधान, iii) अधिगम सामग्री तैयार करना, iv) स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की खरीद पर निःशक्त बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और योजना के अंतर्गत, निःशक्त बालिकाओं के लिए 200/– रू. के मासिक स्टाईपैंड के प्रावधान से ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे वे माध्यमिक स्कूलों में जा सकें। केंद्रीय सहायता के रूप में 3000/– रूपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष और राज्य द्वारा प्रति वर्ष 600/– रू. प्रति निःशक्त छात्र उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) अन्य घटकः i) विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति, ii) विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों के लिए 400/– रू. प्रति माह का विशेष वेतन, iii) संसाधन कक्षों का निर्माण और उन्हें सुसज्जित करना, iv) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरते पूरी करने हेतु सामान्य स्कूल शिक्षकों के लिए क्षमता–वर्धन संबंधी प्रशिक्षण v) स्कूलों को बाधारहित बनाना।

केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संशोधित निधियन पैटर्न के अनुसार योजना में शामिल सभी मदों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (विधान के साथ) के लिए निधियन पैटर्न 60:40 है। हिमालयी राज्यों सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 90% (भारत सरकार): 10% (राज्य) है जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए (बिना विधान के) योजना का 100% निधियन किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का स्कूल शिक्षा विभाग, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

केन्द्रीय स्तर पर, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), राज्य सरकारों से प्राप्त और मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। इसमें सदस्यों के रूप में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। तद्नुसार, 3245 विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति/उनको जारी रखने हेतु

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता करने के लिए अनुमोदन दिया गया था।

आरएमएसए की परियोजना निगरानी प्रणाली (पीएमएस) ने सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की आधार नामांकन प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेने के लिए वास्तविक समय ऑनलाइन तंत्र का भी विकास किया है। यह तंत्र सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के वस्तु रूप में और नकद डीबीटी लाभों के संवितरण की निगरानी भी करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले कुल 225690 बच्चों (बालिकाएं 106155 और बालक 119535) को शामिल किया गया है। पीएमएस के अनुसार, आईईडीएसएस घटक के लिए आरएमएसए के अंतर्गत, 20.03.2018 तक अनावर्ती के तहत 86.56 लाख रूपए और आवर्ती के लिए 7896.00 लाख रूपए की केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in/iedss पर उपलब्ध हैं।

2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

एक समावेशी प्रकोष्ठ बोर्ड में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक आधारित पाठ्यक्रमों का विकास करना और स्कूलों में विशेष शिक्षकों को नियुक्त करना है।

बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए बोर्ड की नीति को तैयार करने हेतु एक समिति भी गठित की है और स्कूलों को अपने सुझावों को भेजने के लिए आमंत्रित भी किया है। समिति निम्न पर नीति का प्रतिपादन करेगी:

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की समावेशी शिक्षा
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशन (समावेशन बनाम एकीकरण)
- सीडब्ल्यूएसएन की परीक्षा
- 'मंदबुद्धि' के लिए दिशा–निर्देश

3. राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान

13.1 भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और मौजूदगी सहित एक स्वायत्त संगठन, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान (ओडीएल) मोड के माध्यम से पूर्व–डिग्री स्तर तक सतत और शिशु केंद्रित गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराता है। एनआईओएस इसके प्राथमिकता वाले उन लक्ष्य समूहों को पूर्व–डिग्री तक शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रम कराता है, जो अन्यथा फेस–टू–फेस (आमने–सामने) की शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एनआईओएस, अधि–प्रमाणन कराने के लिए मांग आधारित, मांग–उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम करा रहा है और इस प्रकार कौशलों को अपग्रेड करा रहा है और साथ ही अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर भी दे रहा है।

13.2 विगत पांच वर्ष के लिए 2.02 मिलियन बच्चों के इसके संचयी नामांकन और लगभग 500 हजार बच्चों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ ही वह विश्व में सर्वाधिक बड़ी मुक्त शिक्षा पद्धति मानी गई है। एनआईओएस ने लक्ष्य समूहों को प्राथमिकता दी है जिनमें से अधिकांश औपचारिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ने वाले (ड्रापऑउट) और जनसंख्या के लाभवंचित वर्ग से है, जो अन्यथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और भावनात्मक कारणों से औपचारिक शिक्षापद्धति का लाभ नहीं उठा पाए हैं। ऐसा ही एक प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य समूह विशेष रूप से योग्य शिशु हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वार्षिक रूप से शैक्षिक (माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक) दोनों स्तरों तथा व्यावसायिक विषयों में 10,000 से अधिक शिक्षुओं को दाखिला प्रदान करता हैं। एनआईओएस लाभवंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित 85 संस्थाओं (एसएआईईडी) की सहायता के जरिए इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करता है, जो देश–भर में विभिन्न राज्यों में विशेष स्कूलों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ के परिसरों में स्थित हैं।

भारत सरकार के नियम के अनुसार शिक्षुओं को फीस में छूट प्रदान की जाती है। शिक्षा को उनकी जीविका के संगत बनाने के लिए विद्यार्थियों को उनकी Xवीं और XIIवीं करने के समय पर एक व्यावसायिक विषय लेने के लिए पुरजोर सहायता दी जाती है। चूंकि यह प्रणाली आंतरिक है और लोच–सहित स्थापित की गई है ताकि शिक्षुओं की क्षमता के अनुसार उनके अध्ययन को गति दी जा सके, उनके द्वारा चयन किया गया विषय भी उनकी अभिरूचि और अभिवृत्ति के अनुरूप होते हैं।

13.3 निःशक्त शिक्षुओं की परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे अपने पेपर को पूरा करने के लिए एक लिपिक (या एक लिखने वाला) अथवा अतिरिक्त समय ले सकते हैं। उनके बैठने के लिए पृथक प्रबंध किए जाते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षुओं को ब्रेलर टाइपराइटर अथवा कम्प्यूटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही उन्हें उपकरणों का जैसे कि बोलने वाला केल्कुलेटर, एबेकस, टेलर फ्रेम और रेखागणित ड्राईंग किट का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। प्रश्नों को समझने के लिए श्रवण–बाधित परीक्षार्थियों के लिए कक्ष में एक दुभाषिया (इंगित भाषा व्यक्ति) की अनुमति दी गई है।

13.4 अनुकूल हार्डवेयर जैसे माउस के स्थान पर ट्रेकबॉल, तेज गति के बोर्डों की अनुमति भी दी जा सकती है। अत्यंत निःशक्त बच्चों (बहु–निःशक्तता/ मस्तिष्क घात (सेरेब्रल पल्सी) के लिए परीक्षा कक्ष में अनुकूल कुर्सी, मेज, बिस्तर, इत्यादि की अनुमति दी जा सकती है, यदि उन्हें इनकी आवश्यकता है। कुछ असाधारण मामलों में एक विशेष मामले के रूप में शिक्षुओं के निवास पर परीक्षा भी आयोजित की जाती है। इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र प्रश्नों के स्थान पर एक वैकल्पिक प्रश्न दिया जाता है।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदः

एनसीईआरटी सभी बच्चों के लिए शिक्षा की समावेशी प्रणाली को कार्यान्वित करता है जो विशेषतया सामाजिक रूप से लाभवंचित और निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में व्यस्थित सुधारों के लिए अधिक महत्व रखता है।

परिषद शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए आमने–सामने और एडुसैट के माध्यम से मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए शोध का अनुपालन करता है और निःशक्तता वाले व्यक्तियों के शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलों का सुझाव देता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समावेशी पाठ्यचर्या के विकास को सहयोग देता है, समावेशी कक्षाओं, समावेशी पाठ्यपुस्तकें, उचित शिक्षा–शास्त्र के लिए यूडीएल आधारित पठन सामग्री का विकास करने के लिए इनपुट प्रदान करता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का प्रोन्नयन करने के लिए विशेष जरूरतों वाले समूहों के परिप्रेक्ष्य से जांच प्रक्रियाओं में सुधारों का सुझाव देता है, समावेशन, प्रशिक्षण दिशा–निर्देश और साक्षरता पाठ्यचर्या (ब्रेल और अन्य) के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक गाइड,मैन्युअल, इंडेक्स का विकास करता है और शिक्षा में भी सीब्ल्यूएसएन के समावेशन और उन्हें शिक्षा के आधारभूत अधिकार का बोध कराने के लिए केंद्र, राज्य, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का संसाधन सहायता देता है और समावेशन और नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र, राज्य, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर एजेंसियों को सलाह देता है और सहायता करता है और सीडब्ल्यूएसएन के लिए एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत विशेष फोकस वाले समूहों की शिक्षा में शामिल विभिन्न विभागों, संगठनों और लोगों के बीच संपर्क बनाता है और गतिविधियों के लिए संसाधन सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, परिषद ने समावेशी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिदोष वाले छात्रों की भाषा समझ पर श्रवण पठन (आईसीटी आधारित) का प्रभाव, माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के संबंध में विज्ञान शिक्षण की स्थिति, निःशक्तता वाले छात्रों के लिए रसायन प्रयोगशाला वातावरण की

पहुंच और माध्यमिक स्कूल स्तर पर समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण के प्रभाव पर शोध किया। नियमित विज्ञान शिक्षकों को सशक्त करने और विज्ञान प्रयोगशाला गतिविधियों में दृष्टि दोष वाले बच्चों के अवसरों को भी प्रदान करने के लिए, परिषद विज्ञान प्रयोगशाला गतिविधियों में दृष्टि दोष (वीआई) वाले बच्चों का समावेशन करने के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुदृढ़ करने में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने 'समावेशी शिक्षा' पर एक मैन्युअल का विकास किया है। समावेशी पूर्व–सेवा शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री कार्यक्रमों के लिए समावेशी शिक्षा परिप्रेक्ष्य दिशा–निर्देशों से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए मुख्य संकेतकों पर एक मेन्युअल का भी विकास किया है। प्रारंभिक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन के लिए कौशल आधारित शिक्षा पर संसाधन पुस्तक और अपर प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और गणित में स्पर्शीय पुस्तकों का भी विकास किया जा रहा है।

5. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषदः एनसीटीई द्वारा सुझाए गए शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या, जिसमें समावेशी शिक्षा शामिल है, जिसमें निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है। संगत प्रावधान निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः ''संबंधित राज्य या क्षेत्र के लिए इसे प्रासंगिक करते हुए, यह शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचों वाला व्यापक पाठ्यक्रम होगा। आईसीटी, जेंडर, योग शिक्षा और निःशक्तता/समावेशी शिक्षा पाठ्यचर्या का एकीकृत भाग होंगे।''

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तीन योजनाओं का संचालन करता है – विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एचईपीएसएन), विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टीईपीएसई) और दृष्टि–बाधित अध्यापकों के लिए वित्तीय सहायता

क. **विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एचईपीएसएन):** एचईपीएसएन योजना में निम्नलिखित तीन घटक हैंः

(i) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए समर्थनकारी यूनिटों की स्थापना

उच्च शिक्षा पद्धति में जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ ही विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को आवश्यक दिशा–निर्देश और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए देश में संसाधन यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिन्हें समर्थकारी यूनिटें कहा जाएगा। इन समर्थकारी यूनिटों के कार्य निम्नलिखित होंगे'

(क) विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के दाखिले में सहायता करना;

(ख) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को दिशा–निर्देश और परामर्श उपलब्ध कराना;

(ग) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उनके शिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(घ) विशेष रूप से योग्य स्नातकों को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त करने मे सहायता करना।

ii. विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को पहुंच उपलब्ध कराना: यह अनुभव किया गया है कि विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए वातावरण में विशेष प्रबंधों की आवश्यकता होती है। यह भी एक तथ्य है कि कई संस्थानों में वास्तुकला संबंधी बाधाएं हैं जिनको निःशक्तजन उनके दैनिक कार्यों के लिए कठिन पाते

है। इस योजना के तहत कॉलेजों से आशा की जाती है कि वे निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुबंधों के अनुसार पहुंच क्षमता संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मौजूदा संरचनाओं के साथ–साथ उनके परिसरों में भविष्यगामी निर्माण परियोजनाओं को निःशक्तजन के अनुरूप बनाया जा रहा है।

iii. निःशक्त व्यक्तियों के लिए शैक्षिक सेवाओं में वृद्धि करने के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराना: विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को उनके दैनिक काम–काज के लिए विशेष सहायक सामग्रियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये सहायता सामग्रियां, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सहायक तंत्र के अधिप्रापण के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थान को उच्च शिक्षा में नामांकित विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों की सहायता करने के लिए विशेष शिक्षण और मूल्यांकन यंत्रों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पाठकों की आवश्यकता होती है।

यूजीसी, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति कॉलेज 1.50 लाख रु. का एकमुश्त तदर्थ अनुदान उपलब्ध कराएंगी। विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) की योजना के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के दौरान 1,24,66,000/– रूपए का अनुदान यूजीसी (एससीटी अनुभाग) द्वारा पहले ही संस्वीकृत किया गया था।

ख: **विशेष शिक्षा योजना में अध्यापक तैयार करना (टीईपीएसई)–** टीईपीएसई योजना शिक्षा के सहायक विभाग के लिए है ताकि निःशक्त विद्यार्थियों को विशेष और समावेशी दोनों परिवेशों में पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापक तैयार करने के लिए विशेष शिक्षा अध्यापक तैयारी कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। यह योजना किसी एक निःशक्त विषय शिक्षा अध्यापक तैयार कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। यह योजना किसी एक निःशक्त विषय में विशेषज्ञता सहित बी.एड और एम.एड डिग्री पाठ्यक्रम कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

यूजीसी ने विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयारी की योजना के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में दो केंद्र अनुमोदित किए हैं।

(ग) **दृष्टि–बाधित अध्यापकों के लिए वित्तीय सहायता (एफएवीसीटी)–** यह योजना पाठक को भत्ता और ब्रेल पुस्तकों, रिकॉर्ड की गई सामग्रियों इत्यादि के लिए निधियां उपलब्ध कराने के माध्यम से दृष्टिबाधित स्थायी अध्यापकों के लिए तैयार की गई है ताकि वे एक पाठक की सहायता से और अध्यापन और अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हुए अध्यापन और शोध को जारी रख सकें। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी अध्यापकों को सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण और शोध के लिए विभिन्न सहायक यंत्रों का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों का भत्ता 36,000 रूपए प्रतिवर्ष होगा। सभी दृष्टिबाधित अध्यापक, जो भारत के कॉलेजों में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें यूजीसी अधिनियम की धाराओं 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल किया गया है, को योजना के तहत शामिल किया जाता है।

7. **उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सामान्य योजनाएं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन के लिए) भी हैं जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं:**

(क) **विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर प्रकोष्ठों (ईओसी) की स्थापनाः** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाधाओं के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए यूजीसी ने लाभंवचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में दिशा–निर्देश और परामर्श–सेवा उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना करने के लिए संस्थाओं को वित्त–पोषित किया है। समान अवसर प्रकोष्ठ कार्यालय की स्थापना करने के लिए 2.00 लाख रु. का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस समय, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 1820 ईओसी कार्य कर रहे हैं।

यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष कोचिंग योजनाओं के माध्यम से सोसायटी के कम लाभवंचित वर्गों की सामाजिक समतुल्यता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए योगदान कर रहा है। 12वीं योजना के आरंभिक वर्षों में, अनुदान यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कॉलेजों को जारी किया गया था। वर्ष 2014–15 के बाद, विश्वविद्यालयों और कॉलजों के लिए कोचिंग योजनाओं से यूजीसी के स्वतंत्र प्रकोष्ठ अर्थात एससी/एसटीओबीसी में शिफ्ट की जाती है।

ख. **यूजीसी द्वारा निःशक्तजनों को एनईटी परीक्षा में उपलब्ध कराई गई छूट**

i. पात्रता शर्तों में छूटः नेट में उपस्थित होने के लिए निःशक्तजन अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यद्यपि सामान्य वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों से 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने या उनके मास्टर डिग्री में समतुल्य अंकों की अपेक्षा की जाती है। निःशक्तजन अभ्यर्थियों से उनकी मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है।

ii. शुल्क और आयु में छूटः यूजीसी–नेट के लिए निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों क एक चौथाई है। 08.07.2018 को होने वाली यूजीसी–नेट की अधिसूचना के अनुसार, सामान्य वर्ग के आवेदन का शुल्क 1000/– रूपए है जबकि निःशक्तजन का 250/– है। इसके अलावा, 5 वर्ष तक की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग अ.जा.अ.ज.जा./निःशक्तजन (गैर–क्रीमीलेयर, अ.पि.व. की केंद्रीय सूची के अनुसार) से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती रही है।

iii. स्क्राइब राइटर का प्रावधानः नेत्रहीन अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सेवा प्रदान की जाती है। शारीरिक रूप से विक्लांग अभ्यर्थी जो स्वयं अपनी लिखावट में लिख नहीं सकते, वे संबंधित केंद्र अधीक्षक को लिखित पूर्व अनुरोध करके (यूजीसी–नेट की तारीख से कम से कम 1 सप्ताह पहले) स्क्राइब की सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं।

अभ्यर्थी के पास स्वयं अपने स्क्राइब को चुनने का विवेक है या परीक्षा होने से कम से कम एक सप्ताह पहले लिखित में स्क्राइब के लिए संबंधित केंद्रीय अधीक्षक को अनुरोध करे। ऐसी स्थितियों में, अभ्यर्थी को अनुमति दी जाती है कि वे परीक्षा होने से पहले स्क्राइब से मिले ताकि इस बात की प्रमाणिकता हो कि क्या स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं। वे अभ्यर्थी जो स्वयं अपना स्क्राइब चुनते हैं उन्हें परीक्षा होने से पूर्व कम से कम एक दिन पहले शैक्षिक अर्हताओं के अपने प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित केंद्रीय अधीक्षक के समक्ष स्क्राइब को प्रस्तुत करना चाहिए।

iv. प्रतिपूरक समय का प्रावधानः नेत्रहीन अभ्यर्थियों और लेखन विक्लांगता वाले अभ्यर्थियों का क्रमशः पेपर–। और पेपर–।। के लिए 20 मिनट और 40 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाता है।

v. अर्हताप्राप्त मानदंड में छूटः निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए परिणाम की तैयारी पर विचार किए जाने हेतु कुल अंकों में 5 प्रतिशत की छूट है।

जुलाई, 2018 यूजीसी–नेट के लिए अधिसूचना के अनुसारः

'कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और केवल सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता' दोनों पर विचार करने के लिए, अभ्यर्थी को दोनों पेपरों में उपस्थित होना चाहिए और सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दोनों पेपरों में कम से कम 40 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त होने चाहिए और आरक्षित वर्ग (अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी (गैर–क्रीमी लेयर से संबंधित) और निःशक्तजन) और ट्रांसजेंडर से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने वाले दोनों पेपरों में कम से कम 35 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त होने चाहिए।

vi. निःशक्तजन वर्ग में आरक्षणः इस संबंध में भारत सरकार की नीति के अनुसार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) के साथ सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु स्लॉटस में निःशक्तजन वर्ग के लिए आरक्षण है।

जब भी यूजीसी–नेट की अधिसूचना जारी की जाती है ये सभी प्रावधान व्यापक प्रसार के लिए यूजीसी/सीबीएसई की वेबसाइट पर हमेशा अधिसूचित किए जाते हैं।

ग) **दाखिले में आरक्षणः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए दाखिले में आरक्षण हेतु 5 प्रतिशत से कम सीटें और कैडर संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या को 4 प्रतिशत से कम सीटें नहीं प्रदान करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निःशक्तजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

8. **निःशक्तता की श्रेणियों के अनुसार पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठनः** निःशक्तजनों की नियोजनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निःशक्तजनों के वर्गो के अनुसार उचित पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए श्रीमती नीलम नाथ, भा.प्रशा. सेवा, पूर्व सचिव, (ईएसडब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मई, 2014 को प्रस्तुत कर दी है और उचित कार्रवाई हेतु सभी स्टेक–होल्डरों को यह रिपोर्ट पहले से ही परिचालित कर दी गई है। सिफारिशों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

i) सभी पाठ्यक्रमों तक पहुंच,

ii) एचईपीएसएन योजना का निजी संस्था में विस्तार करना,

iii) शैक्षिक अध्ययन के साथ मैपिंग कार्य,

iv) निःशक्तता प्रबंधन पर उच्चतर शिक्षा व्यावसायिको का अभिमुखीकरण,

v) निःशक्तजनों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना,

vi) उच्चतर शिक्षा के लिए निधियन बढ़ाना,

vii) पॉलिटेक्निक योजना का प्रसार,

viii) समावेशी कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए पुरस्कार,

ix) निःशक्तता सेक्टर में उत्तम कार्यों का प्रलेखन,

x) नियोजनीयता कौशलों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

9. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू):** इग्नू समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक ज्ञान सोसायटी का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बहुत ही थोड़े समय में, इग्नू ने शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार कार्यकलाप और सतत व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफी वर्षों से इग्नू सोसायटी के सीमावर्ती वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने की उम्मीदों पर देश के लिए खरा रहा है। एक महत्वपूर्ण वर्ग निःशक्तता छात्र नामांकित है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में अध्ययनरत है। नामांकित छात्रों की निःशक्तता के प्रकारों में नेत्रहीनता, वाक और श्रव्य क्षीणता, मंद दृष्टि और लोकोमोटर निःशक्तता शामिल है। इसी प्रकार की सहायता समीप अध्ययन केंद्रों की सहायता से अपने अध्ययनों को पूरा करने के लिए इग्नू मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा इन छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

विक्लांगता अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीएस) विक्लांगता अध्ययन और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेष रूप से वकालत, अनुसंधान और विकास का प्रोन्नयन करने के लिए स्थापित किया गया है। अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा करने में छात्रों को सुविधा देने के लिए, विश्वविद्यालय रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित गतिविधियों का अनुपालन करता है।

i नेत्रहीन और मंद दृष्टि वाले छात्रों के लिए चुने गए पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट प्रतियां उपलबध कराना और विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्ट प्रतियों का उपयोग करने के लिए काउंसलिंग भी आयोजित कराना।

ii. ऑटिज्म दिवस जागरूकता फैलाने और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर वाले व्यक्तियों हेतु 6 अप्रैल, 2017 को मनाया गया।

iii. निःशक्तजन के व्यावसायिक पुनर्वास और आर्थिक समावेश पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 24–25 अक्टूबर, 2017 को आयोजित हुआ था।

iv. निःशक्तजन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पेंटिंग पूरी करना, नारा पूरा करना और व्याख्यान आयोजित हुए थे।

v. निःशक्तता पर आईआरसी (इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग) पर चार लाइव सत्र।

vi. निःशक्तता वाले छात्रों के ''निःशक्तता अध्ययन में भारतीय अनुसंधार सार का संकलन'' दूसरा वोल्यूम) और ''इग्नू के लोकप्रिय और अलोकप्रिय कार्यक्रमों का अध्ययन'' पर दो अनुसंधान अध्ययन।

vii. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सहयोगी प्रौद्योगिकी पर एक श्रव्य दृश्य कार्यक्रम।

10. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न निर्णय दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नीतिगत निर्णय के संबंध में विश्वविद्यालयों और समवत–विश्वविद्यालयों को समय–समय पर निर्देशों से अवगत करा रहा है।

11. निःशक्तजन के अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 19.04.2017 को लागू हुआ था और 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित हुए थे, अधिनियम का सार नीचे दिया गया है:

- अधिनियम की धारा 32 के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश जारी करना।
- धारा 39(2) (घ) के अनुसार निःशक्तजन के अधिकारों के संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उन्मुखीकरण और सुग्राहीकरण के लिए तंत्र का विकास करना और अधिनियम की धारा 39(2) (च)

के अनुसार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या में निःशक्तजन के अधिकारो को भी शामिल करना।

- अधिनियम के अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में इसके नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थापनाओं को सामान्य निर्देश जारी करना।

एससी/एसटी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा विभाग ने निःशक्तजन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी ब्यूरो को अधिनियम की एक प्रति परिचालित की है।

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति परिचालित की जिसमें निम्नलिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का नोट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है:

- अधिनियम की धारा 32 के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश जारी करना।
- धारा 39(2) (घ) के अनुसार निःशक्तजन के अधिकारों के संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उन्मुखीकरण और सुग्राहीकरण के लिए तंत्र का विकास करना और अधिनियम की धारा 39(2) (च) के अनुसार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या में निःशक्तजन के अधिकारो को भी शामिल करना।
- अधिनियम के अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में इसके नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थापनाओं को सामान्य निर्देश जारी करना।

******

अध्याय 30

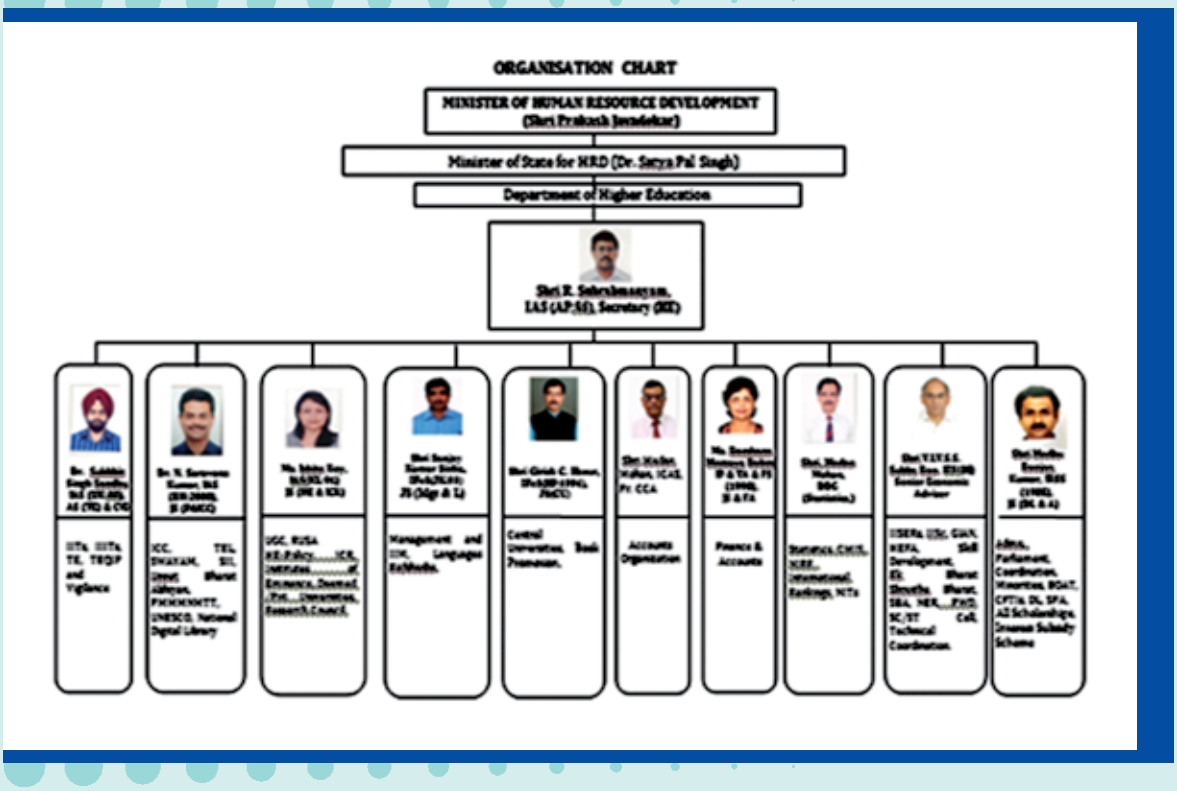

प्रशासन

अध्याय 30

प्रशासन

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री के समग्र प्रभार में है जिनकी सहायता दो राज्य मंत्री करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग नामक दो विभाग हैं।

2. प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष भारत सरकार के एक सचिव हैं। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सहायता के लिए 1 विशेष सचिव, 4 संयुक्त सचिव तथा 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप–निदेशक सामान्य (सांख्यिकी) है। इसी प्रकार सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की सहायता के लिए 1 विशेष सचिव, 1 अपर सचिव, 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार तथा 1 उप–महानिदेशक (सांख्यिकी) हैं। इसके अलावा दोनो विभागों के लिए समान रूप से काम करने हेतु 1 संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं।

3. विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों और एककों के रूप में संगठित हैं। प्रत्येक ब्यूरो अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के समग्र प्रभाराधीन है जिनकी सहायता निदेशक/उप–सचिव/उप–शैक्षणिक सलाहकार के स्तर के प्रभागाध्यक्षों द्वारा की जाती है।

4. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्रमशः संलग्नक–I और संलग्नक–II में संलग्न है।

5. दोनों विभागों के सचिवालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना और सेवा संबंधी मामले उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं। वर्ष 2017 के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) दोनों विभागों के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना और केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और संवर्ग बाह्य पदों अर्थात सलाहकारी कैडर, सांख्यिकी कैडर आदि के तहत नियुक्त अधिकारियों के स्थापना मामले।

ख) कैलेंडर वर्ष 2017 (01.01.2018 की स्थिति के अनुसार) के लिए अचल सम्पतति रिटर्न, संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों के पास भेजना।

ग) इस मंत्रालय में अगले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवापंजियों का सत्यापन, वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ परामर्श करके पूरा किया जा रहा है।

घ) राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना तथा मिशन मोड परियोजनाओं के तत्वाधान में इस मंत्रालय ने ई–ऑफिस (फाईल ट्रेकिंग पद्धति, ई–अवकाश, ई–दौरा), विधिक/न्यायालय मामलों की मॉनीटरिंग प्रणाली तथा कोम्प डीडीओ के माध्यम से कर्मचारी भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। ई–फाइल प्रणाली विचाराधीन और प्रक्रियाधीन भी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में सभी भा.प्रशा.सेवा अधिकारियों/भा.व.सेवा अधिकारियों और सीएसएस/सीएसएसएस के उपसचिव/प्रधान निजी सचिव के स्तर के अधिकारियों के लिए "स्पैरो" (स्मार्ट परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एक ऑनलाइन पद्धति सफलतापूर्वक शुरू की गई है। साथ

ही वर्ष 2016–17 के लिए सीएसएस/सीएसएसएस के अवर सचिव/पीपीएस स्तर अधिकारियों के लिए 'स्पैरो' प्रणाली कार्यान्वित की गई है। इन अधिकारियों के एपीए और मामलों पर कार्रवाई केवल इस पोर्टल के जरिए की जा रही है। साथ ही पेन्शन स्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग पद्धति के लिए "भविष्य" नामक एक ऑनलाईन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।

ड.) शाखा में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के प्राप्त होने पर आंकड़ों को अद्यतन किया जाता है। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रतिधारण के लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रेषित करने से पूर्व संबद्ध अधिकारियों को प्रकट की गई थी।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

1. स्थापना प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, दोनों विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह विभिन्न क्वार्टरों के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रबंधन, जनप्रशासन, सतर्कता, रोकड़ और लेखा, कार्मिक इत्यादि के क्षेत्र में दोनों विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद इत्यादि संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।

2. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, विदेशी प्रशिक्षण, कोलम्बो योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम इत्यादि के घरेलू निधियन के तहत विदेश में अल्पावधि एवं दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और आर्थिक कार्य विभाग इत्यादि द्वारा जारी परिपत्रों के उत्तर में पात्र और समुचित अभ्यर्थियों के नामांकनों को भी भेजता है।

3. वर्ष 2017–18 (1.04.2017 से 15.11.2017) के दौरान विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों/पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण/नामांकन में भाग लेने हेतु भेजा गया था जिनका विवरण सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु की नामावली	प्रशिक्षण संस्थान	अधिकारियों की संख्या
i.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/समूह 'क' अधिकारी की विदेशी प्रशिक्षण योजना के घरेलू वित्तपोषण के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण	डयूक विश्वविद्यालय, यूएसए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्केले, जेएफके स्कूल, हावर्ड विश्वविद्यालय	4
ii.	डीओपीएंडटी/समूह 'ए' अधिकारी के विदेशी प्रशिक्षण योजना के घरेलू वित्तपोषण के अंतर्गत अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूएसए	2
iii.	समूह 'ए' अधिकारियों के आईएएसआईईएस अधिकारी अन्य वर्ग के लिए अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एलबीएसएनएए, मसूरी, आईआईएम, बंगलौर	2

क्र.सं.	प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु की नामावली	प्रशिक्षण संस्थान	अधिकारियों की संख्या
iv.	आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सिंगापुर में प्रतिस्पर्धात्मक कानून और बाजार विनियमन में अग्रिम व्यावसायिक पाठ्यक्रम	सिंगापुर	1
v.	एसएजी और उच्च स्तर अधिकारियों के लिए ''वेल्यू ऑफ पब्लिक गुड'' पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी,, यूसीबी, यूएसए	1
vi.	आईएसएस अधिकारी के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण का अंतिम चरण	एनएसएसटीए, नोएडा	1
vii.	डीओपीएंडटी द्वारा आयोजित विभिन्न स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी,डी,ई स्तर ।।, स्तर ।।। इत्यादि)	आईएसटीएम, नई दिल्ली	22
viii.	विभिन्न पहलुओं पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम अर्थात निदेशक/डीएस स्तर के लिए जो पेंशन मामले इत्यादि पर पहली बार उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए सीएसएस में तैनाती कर रहे हैं।	आईएसटीएम, नई दिल्ली	8
ix.	वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एनआईएफएम, फरीदाबाद	1
x.	सीएसएस/सीएसएसएस के अंतर्गत अधिकारी, एआईएस अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस, पंचगनी	1
xi.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तर अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	शास्त्री भवन, नई दिल्ली, एनआईसी, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली	180

सतर्कता कार्यकलाप

मंत्रालय में सतर्कता ढांचा सचिव (उच्चतर शिक्षा) के समग्र पर्यवेक्षण में है जिनकी सहायता के लिए अवर सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी स्तर के अवर सचिव तथा अन्य सहायक स्टाफ हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में विभिन्न स्रोतों से कुल एक हजार तीन सौ बहत्तर (1372) संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरों से प्राप्त संदर्भ भी शामिल हैं। सत्रह (17) शिकायतें लोकहित प्रकटन संकल्प के तहत प्राप्त हुई थी, जो जांच के विभिन्न चरणों पर हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके 42 शिकायतों का निपटान किया गया। अनेक शिकायतें अन्वेषण के अंतिम चरण पर हैं।

वर्ष के दौरान 13 मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर नियमित विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभिन्न स्वायत्त संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

"मेरा दृष्टिकोण – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर 30 अक्टूबर, 2017 से 04 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। बैनर और पोस्टर लगाए गए एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी सार्वजनिक लेन–देनों में ईमानदारी बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की शिकायतों संबंधी समिति मौजूद है।

सूचना एवं सुविधा केंद्र (आईएफसी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आने वाली आम जनता और गैर सरकारी संगठनों को तुरंत और उचित सूचना प्रदान करने के लिए जून, 1997 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (एनआईसीनेट) आधारित सूचना और सुविधा केंद्र की स्थापना की गई थी। सूचना और सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य एक कारगर, प्रतिक्रियाशील और नागरिक–अनुकूल प्रशासन को प्रोत्साहित करना है। केंद्र आगंतुकों और गैर सरकारी संगठनों, भारतीय विद्यार्थियों और भारत आने वाले विदेशी विद्यार्थियों को मंत्रालय की योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यानवित की जा रही योजनाओं के संबंध में सूचना और सेवाओं का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रिया यथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशानिर्देश और आवेदन फॉर्म मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। आंकड़े/जानकारी इंटरनेट की सुविधा वाले कम्प्यूटर से ली जा सकती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट का पता www.mhrd.gov.in है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट: सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया है। जब भी इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होते हैं तो सामान्यतया उसी दिन सूचना एवं सुविधा केंद्र द्वारा संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। प्रति आवेदन 10/– रूपये का आवेदन शुल्क, विभाग के खाजांची के पास जमा कराया जाता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की बढ़ती संख्या (ऑनलाइन सहित) के मद्देनजर तथा सूचना के आदान–प्रदान में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में अधिकारियों को पदनामित करने के कार्य की समीक्षा की गई है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव एवं अवर सचिव स्तर के अधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं तथा विभागीय प्रमुखों को धारा 19(1) के तहत अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। दोनों विभागों नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबासाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना वार्षिक आधार पर अद्यतन की जाती है। केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 (31.12.2017 के अनुसार) के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में सूचना संकलित की गई तथा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

यह विभाग, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख अपने स्वायत्त संगठनों द्वारा ब्यूरो प्रमुखों के माध्यम से करता है। 2010–2011 से केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकत्र करने की प्रणाली को सीआईसी ने संशोधित किया है। यह तिमाही आधार पर तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सभी संगठनों को पासवर्ड दिए गए हैं तथा सीआईसी की साइट पर सूचना स्वयं अपलोड करने के लिए उन्हें सूचित किया गया है।

निम्नलिखित विवरण, मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदनों और अपीलों की वर्षवार प्राप्ति दर्शाता है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों की संख्या और की गई कार्रवाई
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681
2015	16643
2016	16336
2017	13645
(ऑफलाइन एवं ऑनलाइन सहित 31.12.2017 तक की स्थिति)	

लोक शिकायतें

उच्चतर शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अपर सचिव के स्तर के लोक शिकायत निदेशक के अधीन एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। रिपोर्ट वर्ष (01.04.2017–31.12.2017 तक) के दौरान वास्तविक रूप और पीजी पोर्टल अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग सहित विभिन्न स्रोतों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा विकसित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईएनजीआरएएम) पोर्टल के जरिए कुल 35,955 शिकायत याचिकाएं प्राप्त हुई, जिन पर कार्रवाई की गई और शिकायतों का निवारण समय–समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

कर्मचारियों तथा आम जनता की शिकायतों को प्रत्येक बुधवार सुबह 10.बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनने के लिए मंत्रालय में निदेशक, शिकायत को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति सभी कार्य–दिवस पर कार्य के समय के दौरान निदेशक (पीजी) से मिल सकता है। लोक शिकायतों के पूर्ण निवारण के संबंध में सरकारी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन स्वायत्त अधीनस्थ संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भी अपने अपने अधिकारियों को निदेशक, शिकायत के रूप में नामोद्दिष्ट किया है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक को संदेय सेवाओं के संबंध में सशक्त बनाने के उद्देश्य और साथ ही उन्हें प्रदान की जा रही ऐसी प्रत्येक सेवा के प्रति इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता के साथ, नागरिक प्रशासन इंटरफेस के वास्तविक माध्यमों के रूप में चार्टरों की सुपुर्दगी के माध्यम से नागरिक और सरकारी अधिकारियों के मध्य सेतु का निर्माण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभाग (अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग) ने उत्तम अभिशासन पर बल देने के लिए अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) प्रकाशित किए हैं। सीसीसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

1. सरकार ने गुणवत्तावरक शिक्षा, नवाचार और शोध के संबंध में जनसंख्या की अपेक्षाओं की जरूरतों की पूर्ति हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अनिवार्य कौशलों और ज्ञान से लैस करके और विज्ञान, प्रौद्यागिकी, अकादमिकी और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त करने के लिए भारत को एक ज्ञान की एक महाशक्ति बनाना है।
2. परामर्श प्रक्रिया निम्नानुसारः त्रि–आयामी थीः (i) ऑनलाईन परामर्श (ii) गांवों/जमीनी स्तर

से राज्य स्तर तक परामर्श और (iii) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्शी सहित विषयक परामर्श। 26 जनवरी 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 के बीच www.MyGov.in पोर्टल पर ऑनलाईन परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी और लगभग 33 चिन्हांकित विषयों (स्कूल शिक्षा संबंधी 13 विषय और उच्चतर शिक्षा संबंधी 20 विषय) पर 29,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन 33 विषयों का संक्षिप्त ब्यौरा www.MyGov.in पोर्टल पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों और 6,000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मई से अक्तूबर, 2015 के बीच एक व्यापक, समयबद्ध, सहभागी, बॉटम–अप परामर्शी प्रक्रिया संचालित की गई।

3. सरकार द्वारा, भारत सरकार (जीओआई) में स्टेकहोल्डर मंत्रालयों के साथ और राज्य सरकारों के साथ भी एनईपी पर वैयक्तिक रूप से परामर्श किए गए। नई शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु परामर्शी प्रक्रिया पर विचार–विमर्श करने और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 14.02.2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक ली गई। 21 मार्च, 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें, MyGov पर सिफारिशें अपलोड करने की प्रक्रिया सहित परामर्शी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया गया प्रक्रिया तथा साथ ही विषयों (थीम्स) पर राज्यों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए।

4. सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और अनेक केंद्र वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों, वैयक्तिक विषयों में डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले संबद्ध कार्यालयों के साथ विषयक परामर्श भी संचालित किए जिसमें सभी विशेषज्ञों, अकादमिकों, उद्योग संबंधी प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी आदि सहित सभी संगत पंणधारकों को जुलाई–अक्टूबर, 2015 में आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विषयक परामर्श भी संचालित किए जिसमें डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया।

5. 'परामर्श प्रक्रिया' 19 अगस्त, 2015 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (केब) की बैठक की कार्यसूची की मदों में से एक थी। परामर्श प्रक्रिया और विषयों पर सभी राज्यों और केब के सदस्यों के विचार आमंत्रित किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा सितंबर–अक्तूबर, 2015 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पूर्वी, मध्य, उत्तर–पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी मंडलों में छ मंडलीय बैठकें आयोजित की गई। नई शिक्षा नीति पर अक्टूबर, 2016 में आयोजित 64वीं केब बैठक में भी चर्चा हुई थी।

6. मंत्रालय ने श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 31 अक्तूबर, 2015 को नई शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए)) इसके सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा था। समिति ने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट के अवलोकन और विभिन्न परामर्शो से प्राप्त सिफारिशों और प्राप्त मतों और टिप्पणियों के पश्चात, एमएचआरडी ने मसौदा नई शिक्षा नीति, 2016 पर कुछ इन्पुट्स तैयार किए हैं। इन दोनों दस्तावेजों को नीति के लिए इनपुट रूप में माना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी संसद सदस्यों को और मंत्रालय ने भी भारत सरकार के संगत मंत्रालयों और राज्य सरकारों को 31 अक्टूबर, 2016 तक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर उनकी टिप्पणियां/विचार/सुझाव आमंत्रित करते हुए लिखा है। तदुपरांत, इस संबंध में सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। माननीय सांसदों के साथ 10 नवंबर, 2016 को भी एक

'शिक्षा वार्ता' का आयोजन किया गया, जिसमें सुझावों पर विचार–विमर्श किया गया तथा उनके विचार प्राप्त किए गए।

7. सरकार ने, हाल ही में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पद्म विभूषण डा. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार ने 24 जून, 2017 को हाल ही में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसकी 31.03.2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। समिति इस नीति पर मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसके लिए अब तक सात बैठकें आयोजित हुई हैं।

******

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री

उच्चतर शिक्षा विभाग

सचिव
विशेष कार्य अधिकारी

एसएस (टीई)

आईआईटी/एनआईटी, आईआईईएसटी, डीएएसए, तकनीकी समन्वयक, एडसिल, एसपीए, स्वयम, एमओओसीएस, एआईसीटीई, (तकनीकी शिक्षा में समग्र नीति मामले) टीईएल

एएस (सीयूएंडएल) एवं सीवीओ

केंद्रीय विश्वविद्यालय और भाषाएं, सतर्कता, सार्वजनिक शिकायतें

जेएस (पीएंडआईसीसी)

आईसीसी, यूनेस्को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मामले, नीपा, एनएमटीटी कैब मामले, आईआईआईटी

जेएस (एचई)

एचई – नीति उच्चतर शिक्षा, (सीडीएन) रूसा, यूजीसी

जेएस (सीएसएस) (छात्रवृत्तियां)

विदेशी छात्रवृत्ति डिवीजन से संबंधित सभी मामले, विभिन्न देशों से संबंधित छात्रवृत्तियां, एनओआरआई, "जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना" से संबंधित मामले

जेएस (प्रबंधन और आईसीआर)

आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईएससी, जीआईएएन, सम विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता के संस्थान, अनुसंधान परिषद, प्रशासनिक सुधार, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, नागरिक चार्टर की समीक्षा, कोर्ट मामले, ई–कार्यालय कार्यान्वयन

जेएस एवं एफए

वित्त और लेखे

डीडीजी (सांख्यिकी, पीएवं एम)

सांख्यिकी, सीएमआईएस, बजट, योजना और निगरानी

आर्थिक सलाहकार

एनईआर, उन्नत भारत अभियान, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मीडिया सेल, सीडीएन, संसद एवं एससी/एसटी प्रकोष्ठ, पीडब्ल्यूडी

जेएस (डीएलएंडबीपीएंडए)

पोलिटेक्निकों के माध्यम से बोट, एनआईटीआईद्यई, एसएलआईईटी, नेरिस्ट, सीआईटी, जीकेसीआईईटी, सामुदायिक कॉलेज, निट्टर पीडब्ल्यूडी योजना

इग्नू सहित दूरस्थ शिक्षा, पुस्तक प्रोन्नयन/राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, एनसीएमईआई, प्रशासन, ऑनलाइन निधि प्रवाह तंत्र तैयार करना और पदम पुरस्कार

संलग्नक–II

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

सचिव

एसएस (एसई)

ईई–I, एई एवं सीओओआरडी ब्यूरो से संबंधित कार्य, स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति और योजना केवीएस के उपाध्यक्ष, सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) द्वारा सुपूर्द किए गए कोई अन्य कार्य

जेएस (एसई–I)

आरएमएसए, एनवीईक्यूएफ सहित व्यावसायिक शिक्षा, स्कूल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), मॉडल स्कूल, बालिका छात्रावास योजना, माध्यमिक स्तर पर निःशक्त के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), माध्यमिक स्तर से संबंधित नीति और योजना, डीबीटी/आधार से संबंधित कार्य, ई–ऑफिस सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय, शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), महिला समाख्या योजना, मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना, (एसपीक्यूईएम), अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई), स्कूल शिक्षा और साक्षरता से संबंधित प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

जेएस (एसई–II)

राष्ट्रीय साधन–सह–मेरिट छात्रवृत्ति योजना, संघ राज्यक्षेत्र, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), किशोर शिक्षा, एनआईओएस

जेएस (एई एवं समन्वय)

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता, साक्षर भारत मिशन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का समन्वयन और संसदीय कार्य

जेएस (ईई–I)

मध्याहन भोजन योजना, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण फाउंडेशन (एनएफटीडब्ल्यू) शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएटी), बाल भवन इत्यादि

सलाहकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता)

वार्षिक और पंचवर्षीय योजना, एससी/एसटी, सांख्यकी, आर्थिक विश्लेषण, वैक्तिक योजना स्कीम, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, इंडो मंगोलियन स्कूल, आरएफडी सहित एसईएण्डएल के कार्य का समन्वयन

डीडीजी (सांख्यिकी)

सांख्यिकी, दस्तावेज तैयार करना श्शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषणश्, यूनेस्को सांख्यकी संस्थान (यूआईएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को डाटा प्रदान करना।

अध्याय 31

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

अध्याय 31

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

परिशिष्ट – I

उच्चतर शिक्षा विभाग
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद अनावश्यक व्यय	डीएसटी द्वारा निर्धारित परियोजना की पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की विफलता और एमएचआरडी को परियोजना के संवर्धित संस्करण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप परियोजना को बंद कर दिया गया और 1.41 करोड़ रुपए रुपये का अनावश्यक खर्च हुआ। (पैरा सं. 10.3) *2016 की रिपोर्ट सं.11*
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर अनियमित प्रतिपूर्ति	एलटीसी नियमों का उल्लंघन करते हुए आईआईटी, खड़गपुर ने एलटीसी लेने वाले अपने संकाय और कर्मचारियों द्वारा निजी वाहनों से की गई यात्रा के लिए 62.03 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की। (पैरा सं. 10.4) *2016 की रिपोर्ट सं.11*
3.	हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबंधन और अवसरंचना विकास	विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा और कम ब्याज के साथ 6.53 करोड़ रुपए की अव्ययित राशि वापसी की। इसके किरायेदारों से 48.38 लाख रुपए का किराया नहीं वसूला जा सका। परिष्कृत केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला सहित निर्माण कार्यों में असामान्य देरी हुई। सबसे कम बोली लगाने वाले की अनदेखी करके उपकरणों की खरीद में जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन, निविदाओं को खोलने के बाद संशोधित बोली की स्वीकृति और बिना कोई कारण बताए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरण खरीदा गया। (पैरा सं. 13.1) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
4.	आईआईटी, जोधपुर अधिभुगतान पर अनियमित छूट	शासी बोर्ड ने इसके संकाय को किए गए 59.38 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली में अनियमित रूप से छूट दी, जो अब ऑडिट करने पर वसूली में है। (पैरा सं. 13.2) *2017 की रिपोर्ट सं.12*

5.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर कार्य अनुबंध और संपदा प्रबंधन में अनियमितताएं	एमएनआईटी का संपदा प्रबंधन पर्याप्त नहीं था क्योंकि एमएनआईटी द्वारा 1163.77 करोड़ रुपये की अतिक्रमण की गई भूमि के कब्जे को वापस लेने और राजस्व विभाग के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को सुधार करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। एमएनआईटी ने पट्टेदार के साथ समझौते को कार्यरूप नहीं दिया था और समय–समय पर किराए का पुनः निर्धारण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 58.67 लाख रुपये के किराये राजस्व का नुकसान हुआ था और पुनर्मूल्यांकन के बावजूद 56.98 लाख रुपये का किराया वसूल नहीं हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की संविधि के तहत सभी छात्रों को छात्रावास सुविधा प्रदान नहीं की गई और 30.86 फीसदी छात्र छात्रावास सुविधा से वंचित थे। एमएनआईटी के कार्य संविदा तंत्र में कमी थी क्योंकि अतिरिक्त आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। एमएनआईटी ने सब्सिडी के कारण आरईआईएल को 1.47 करोड़ रुपए का अनुचित भुगतान किया और ठेकेदारों के दावों से 3.22 करोड़ रुपए रोकने/कम करने मे असफल रहा। (पैरा सं. 13.4) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
6.	आईआईआईटी, इलाहाबाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में निर्माण गतिविधियाँ	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक से 17 महीने के लिए काम प्रदान करने में देरी से 19.35 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च हुआ। आरजीआईआईटी, अमेठी में प्रशासनिक और अकादमिक भवन के निर्माण कार्य पहले बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 39.81 करोड़ रुपये के व्यय के बाद भी अपेक्षित लाभ नहीं मिला। (पैरा सं. 13.5) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की निरर्थक व्यय	आईआईटी रुड़की द्वारा रुड़की और सहारनपुर कैंपस में एनएच–58 और एसटीपी पर सीवर लाइन का निर्माण नहीं कर पाने से सीवर लाइन के निर्माण पर लगने वाले 15.06 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जिसका पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका। (पैरा सं. 13.6) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
8.	1. आईआईटी, रुड़की 2. बीबीएयू, लखनऊ 3. आईआईएम, रांची 4. आईआईटी, पटना और 5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संस्थान सेवा कर का अनियमित भुगतान	चार संस्थानों ने आउटसोर्स सेवाओं पर 12.42 करोड़ रुपये सेवा कर का भुगतान किया, हालांकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट दी गई थी। (पैरा सं. 13.7) *2017 की रिपोर्ट सं.12*

9.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड पेंशन लाभ का अनियमित भुगतान	भारत सरकार की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को जीपीएफ–सह–पेंशन योजना के प्रदान करने के परिणामस्वरूप 61.20 लाख रुपये का व्यय उचित अनुमोदन के बिना पेंशनरी लाभ के लिए किया जा रहा है। (पैरा सं. 13.8) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
10.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय निरर्थक व्यय	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना और प्रतिबंधित क्षेत्र में बेली फार्म पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप 4.99 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय हुआ। (पैरा सं. 13.9) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
11.	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत गलत वेतन निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान	सहायक प्रोफेसरों को आवश्यक सेवा पूरा किए बिना शैक्षणिक ग्रेड पे 9000 के साथ पीबी–4 में रखने की वजह से वेतन के गलत निर्धारण के कारण 2.69 करोड़ रूपए की राशि का अतिरिक्त भुगतान। (पैरा सं. 13.10) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
12.	गुजरात विद्यापीठ, मानव संसाधन प्रबंधन	भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए पद आधारित रोस्टर नहीं बनाया जा रहा है। यूजीसी/जीओआई के निर्देशों के उल्लंघन में शैक्षिक और गैर–शैक्षिक पदों पर की गई नियुक्तियों के परिणामस्वरूप 2.29 करोड़ रूपए का अधिक भुगतान करना पडा। (पैरा सं.13.11) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड चारदिवारी के निर्माण कार्य पर अनावश्यक और निरर्थक व्यय	आईआईटी रूड़की की सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसके अनुसार यह स्थान उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह भूकंपीय जोन–4 में आता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनौतियों से भरा हुआ है, को नजरअंदाज करते हुए नए स्थायी परिसर स्थल की चारदिवारी के निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रूपए का स्टील के कार्य पर निरर्थक व्यय एवं 0.78 करोड़ रूपए बाड़ लगाने के कार्य पर किया गया व्यय और एजेंसी के लागत की अदायगी निष्फल हो गया। (पैरा सं.13.12) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
14.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मेडिकल भत्ते का अनियमित भुगतान	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को 2013–16 के दौरान सिविल सेवा (मेडिकल देखरेख) नियमावली, 1944 और सामान्य वित्तीय नियम 209 (6) (पअ) (क) के प्रावधानों के उल्लंघन में 1.96 करोड़ रूपए की राशि संबंधित वर्ष की पहली जुलाई को उनके वेतन के बारहवें हिस्से के बराबर मासिक मेडिकल भत्ते का भुगतान किया। (पैरा सं.13.13) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*

15.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर अनावश्यक व्यय	निधि के संपूर्ण प्रावधान को बनाने में असम विश्वविद्यालय, सिलचर (एयूएस) की असफलता के परिणामस्वरूप पूरी ई–गवर्नेन्स परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया। एचआर माड्यूल में कई कमियों के बावजूद एयूएस की कार्रवाई, प्राईसवाटरहाऊसकूपर प्राईवेट लिमिटेड को 60.02 लाख रूपए के भुगतान को जारी करना और 37.50 रूपए के बैंक गारण्टी को इनकैश न करना, अनियमित था। इसके अतिरिक्त, परियोजना को फिर से चालू करने के लिए एयूएस की निष्क्रियता ने परियोजना पर 1.75 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय किया। (पैरा सं.13.14) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
16.	1. आईआईटी, खड़गपुर 2. आईआईटी, बाम्बे 3. एनआईटी, वारंगल 4. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5. एनआईटी, हमीरपुर (एनआईटीएच) पांच केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा एलटीसी क्लेम की अनियमित प्रतिपूर्ति	2012–16 के दौरान यात्रा रियायत भत्ता का लाभ उठाने के लिए एमओएफ दिशानिर्देशों के उल्लंघन में उनके कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत एजेंटों से एयर टिकट खरीदने के नामे 6.90 करोड़ रूपए की एयर किराए की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने, दावे प्रस्तुत करने में देरी के बावजूद, 1.14 करोड़ रुपये की एलटीसी अग्रिम राशि की वसूली नहीं की, जिसमें 19.85 लाख रुपये जब्त किए जाने थे। एयरलाइंस के दावों के क्रॉस सत्यापन से यह भी पता चला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए हवाई किराए 18.56 लाख रुपए तक बढ़ाए गए थे। (पैरा सं.13.15) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर कैरियर प्रोन्नयन योजना के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त भुगतान।	एमएचआरडी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत संकाय सदस्यों को पदोन्नत करने पर 1.46 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान हुआ। (पैरा सं.13.16) *2017 की रिपोर्ट सं.12*
18.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धनराशि को अवरुद्ध करना और अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त न होना	2009 में तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन में दो लेडीज हॉस्टल के निर्माण के लिए यूजीसी द्वारा जारी किए गए अनुदान सात साल बीत जाने के बाद भी न तो उपयोग किया गया और न ही वापस किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.27 करोड़ रूपए (ब्याज सहित) फंस गए और अपेक्षित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (पैरा सं.13.17) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास बिजली की खपत पर दंडात्मक शुल्क के लिए परिहार्य व्यय	आईआईटी, मद्रास ने स्वीकृत मांग की वृद्धि और गैर–समीक्षा के कारण अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान अनुबंधित मांग से अधिक पैनाल्टी के लिए 1.05 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय किया था। (पैरा सं.13.18) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*

20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संकाय को परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान।	अवकाश की अवधि के दौरान पूर्ण कैलेंडर महीनों के लिए ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए शिक्षण संकाय के लिए परिवहन भत्ता और महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान हुआ जिसके कारण 95.96 लाख रूपए का अनियमित व्यय हुआ। (पैरा सं.13.19) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
21.	हैदराबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में हैदराबाद स्कूल का अनुचित रूपांतरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुमोदन के बिना केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल (यूएचसीएस) में हैदराबाद विश्वविद्यालय के कैम्पस स्कूल (यूएचसीएस) के अनुचित रूपांतरण के परिणामस्वरूप उनके यूएचसीएस शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ का कम उपयोग करते हुए केवी प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टॉफ के वेतन और भत्ते के लिए 7.07 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ। (पैरा सं.13.20) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*

परिशिष्ट – II

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार

क्र. सं.	योजना संस्थान का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में निष्पादन लेखा परीक्षा	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने मिजोरम और तेलंगाना को छोड़कर 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 113 जिलों और 3376 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का निष्पादन लेखा परीक्षा किया। निष्पादन लेखा परीक्षा में 2009–10 से 2013–14 की अवधि शामिल है। सीएंडएजी ने रिपोर्ट को 18 दिसंबर, 2015 को संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 36 के रूप में रखा। (2015 का पीए 36)
2.	केंद्रीय विद्यालय परियोजना से सांबंधित अनियमित व्यय	केवीएस ने खाता कोड की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में परियोजना केंद्रीय विद्यालयों पर व्यय किया। (पैरा सं. 13.3) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
3.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	मार्च, 2016 में समाप्त वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन हुआ। पैरा सं. 23 *2017 की रिपोर्ट सं. 12*

परिशिष्ट – III

2016 और 2017 के दौरान लेखा परीक्षा पैरा की समग्र स्थिति

उच्चतर शिक्षा विभाग

	सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा पैरा	इस दौरान निपटान	लंबित
2016	8	6	2
2017	19	–	19
कुल	**27**	**6**	**21**

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

	सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा पैरा	इस दौरान निपटान	लंबित
2016	2	2	–
2017	2	–	2
कुल	**4**	**2**	**2+1***

**2015 से संबंधित*

******

अध्याय 32

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
हिंदी सलाहकार समिति की बैठ
22 मई, 2017
विज्ञान भवन एनेक्सी, समिति कक्ष 'ए', नई दिल्ली
सचिव
सचिव

राजभाषा

अध्याय 32

राजभाषा

परिचय

मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ओर यथोचित ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय के दोनों विभाग, नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित हैं।

मंत्रालय में राजभाषा का कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के साथ–साथ राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित किए गए कार्यालय

रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दोनों विभागों के तहत 54 अन्य कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष 107 कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग

(क) उक्त अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा 33 कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की ओर से समय–समय पर अधीनस्थ कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(ख) मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन अपर सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं भाषा) की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में उचित कार्रवाई की जा रही है।

(ग) मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, संगठनों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की निगरानी के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्राप्त कर उनकी समीक्षा करता है तथा उपचारात्मक उपायों के सुझाव देता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22 मई, 2017 को आयोजित की गई।

प्रशिक्षण

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में मंत्रालय के शेष कर्मचारियों, जिन्हें अभी हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जाना है, को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

मंत्रालय में ऐसा कोई कर्मचारी शेष नहीं है जिसे अभी हिन्दी भाषा और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना बाकी हो।

अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सभी प्रकार के पत्रों,

दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि के अनुवाद कार्य को निष्पादित किया है जिन्हें मंत्रालय द्वारा द्विभाषी रूप (हिन्दी और अंग्रेजी) में जारी किया जाना अपेक्षित है।

मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा

उपर्युक्त अवधि के दौरान, सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर, हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन, हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी वाद–विवाद, स्वरचित कविता पाठ, तथा हिन्दी प्रश्नमंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 147 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 4 दिसंबर, 2017 को एक भव्य 'समारोह' आयोजित किया गया जिसमें सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा 48 विजेता प्रतिभागियों को कुल 68 पुरस्कार प्रदान किए गए।

अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों को एक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ऐसी ही एक दो दिवसीय संगोष्ठी दिनांक 7 व 8 फरवरी, 2018 को तिरूवनन्तपुरम, केरल में आयोजित की गई जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस संगोष्ठी में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों तथा हिन्दी अनुवादकों के साथ राजभाषा हिन्दी के कार्य में वृद्धि करने के उपायों के साथ–साथ कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी गहन विचार–विमर्श किया गया।

वेबसाइट

मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अपनी वेबसाइट को द्विभाषी बनाने से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

******

अध्याय 33

वित्त प्रभाग

अध्याय 33

वित्त प्रभाग

भारत सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीचे दिए दायित्व संभालेगी :–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सुधार।
2. श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक एवं अकादमिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। प्रमाणन और रैकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान करके उन्हें मान्यता दी जाएगी। परिणाम–आधारित प्रमाणन और साख–आधारित कार्यक्रमों का संशोधित प्रारूप तैयार किया जाएगा।
3. केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी और कम से कम 350 ऑनलाइन कार्यक्रम शामिल करके **स्वयम प्लेटफार्म** शुरू करेगी। इससे छात्र श्रेष्ठतम संकायों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे; सर्वश्रेष्ठ पठन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे; चर्चा–मंचों में भाग ले सकेंगे; परीक्षा दे सकेंगे और अकादमिक ग्रेड प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों की लिंकेज विस्तृत करके स्वयम तक पंहुच का विस्तार किया जाएगा।
4. केंद्र सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों की सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली स्वायत्त और आत्मनिर्भर नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) का गठन करेगी। इसके फलस्वरूप सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य अग्रणी संस्थान इस प्रशासनिक दायित्व से मुक्त हो जाएंगे और अकादमिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

उच्चतर शिक्षा विभाग

रु. करोड़ में

क्र. सं.	एबी निकाय/उद्देश्य शीर्ष का नाम	बजट अनुमान 2017– 18	संशोधित अनुमान 2017–18	बजट अनुमान 2018–19
क.	**केंद्र का व्यय**			
(i)	**अनिवार्य/स्थापना व्यय**			
1	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	101.73	101.73	103.23
2	हिन्दी निदेशालय	46.53	46.53	46.30
3	वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	12.10	12.10	12.10
4	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र	40.50	42.50	40.07
5	विदेश में शैक्षिक संस्थाएं'	7.27	7.27	7.27
	कुल– अनिवार्य/स्थापना व्यय	**208.13**	**210.13**	**208.97**

II	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**			
6.	राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	1300.00	1300.00	1400.00
II (क)	**राज्यों को अन्य अंतरण**			
7.	विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमानो में सुधार	700.00	670.60	950.00
III	**केंद्रीय सेक्टर स्कीम**			
	उच्चतर शिक्षा			
8	खेल और कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय पहल	1.00	0.62	1.00
9	उच्चतर शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों को शामिल करने से संबंधित राष्ट्रीय पहल	2.00	2.00	2.00
10	सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल	1.00		1.00
11	कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन			
12	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	1.30	1.30	1.30
13	कॉपीराइट बोर्ड			
14	कॉपीराइट कार्यालय			
15	अन्य मदें			
16	केंद्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस), का सृजन और मानविकी में उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्टता केंद्र और राष्ट्रीय केंद्र के सृजन को शामिल करके बहु विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना	10.00		10.00
17	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए)	250.00	250.00	2750.00
18	विश्व स्तर के संस्थान	50.00		250.00
19	प्रधान मंत्री बालिका छात्रावास	20.00	20.00	30.00
	कुल– उच्चतर शिक्षा	335.30	273.92	3045.30
	छात्र वित्तीय सहायता			
20	ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड के लिए योगदान	1950.00	1950.00	2150.00
21	कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	319.00	293.00	339.00
	विदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों पर विदेश जाने वाले भारतीय विद्वान	1.00	1.00	1.00
22	प्रधान मंत्री शोध फैलोशिप	75.00		75.00
23	एम टेक प्रोग्राम टीचिंग असिस्टेंटशिप	35.00		35.00
	कुल – छात्र वित्तीय सहायता	2380.00	2244.00	2600.00
	डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग			

24	आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	150.00	160.00	150.00
25	वास्तविक शिक्षण कक्षों और बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसीएस) की स्थापना	75.00	90.00	90.00
26	ई–शोध सिंधु	240.00	240.00	180.00
27	उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	12.00	12.00	16.00
28	राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी	10.00	10.00	10.00
29	इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टैक्नोलॉजी (आईएनडीईएसटी) कंसोर्टियम			
30	राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी	10.00	6.00	10.00
	कुल– डिजिटल इंडिया ई–लर्निंग	497.00	518.00	456.00
	अनुसंधान एवं नवाचार			
31	अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	15.00	15.00	15.00
32	अंतर संस्थागत केंद्र की स्थापना, उत्कृष्टता क्लस्टर और नेटवर्क का सृजन, संस्थानों में सहयोग की स्थापना	2.00		2.00
33	डिजाइन इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पहल	32.00	32.00	32.00
34	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय पहल	86.45	86.45	84.23
35	उन्नत भारत अभियान	20.00	9.62	17.60
	स्वच्छता कार्य योजना		2.78	2.40
36	उच्चतर आविष्कार अभियान	75.00	88.48	95.00
37	इंम्प्रिट अनुसंधान पहल (एम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नालॉजी) का कार्यान्वयन	85.00	85.00	102.00
	कुल – अनुसंधान एवं नवाचार	315.45	319.33	350.23
38	शिक्षक और शिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय मिशन	120.00	100.00	120.00
39	नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क	5.41	3.41	3.00
40	ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर शैक्षणिक नेटवर्क (जीआईएएन)	25.00	25.00	30.00
41	भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	260.00	158.75	275.00
42	सामुदायिक महाविद्यालयों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा के लिए सहायता	50.00	25.00	40.00
43	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम– छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड	110.00	110.00	125.00
44	योजना प्रशासन और वैश्विक भागीदारी	67.59	71.73	67.59
	कुल–केंद्रीय सेक्टर स्कीम/प्रोजेक्ट	4165.75	3849.14	7112.12

	कुल– (योजना घटक/केंद्रीय सेक्टर स्कीम)	6165.75	5819.74	9462.12
	अन्य केंद्रीय सेक्टर व्यय			
	सांविधिक एवं विनियामक निकाय			
45	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता	4691.94	4922.74	4722.75
46	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	485.00	485.00	485.00
	स्वायत्त निकाय			
47	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को अनुदान	6439.25	7214.74	6398.55
	आईएमबी (बीएचयू), सीयू को अनुदान	46.68	46.68	46.68
48	केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	10.00		10.00
49	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	20.00		20.00
50	समवत विश्वविद्यालयों को अनुदान	60.00	60.00	60.00
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
51	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	7171.00	7503.50	5613.00
52	आईआईटी, आंध्र प्रदेश	50.00	51.30	50.00
53	आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	75.00	75.00	75.00
54	भारतीय खनिज विद्यापीठ, धनबाद	210.00	240.00	240.00
55	नए आईआईटी की स्थापना	350.00	350.00	338.00
56	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी		25.00	10.00
	भारतीय प्रबंधन संस्थान			
57	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता	800.00	917.00	828.00
58	आईआईएम, आंध्र प्रदेश	40.00	41.00	42.00
59	नए आईआईएम की स्थापना	190.00	110.00	166.00
	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
60	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	3280.00	3484.40	3019.40
61	एनआईटी, आंध्र प्रदेश	50.00	53.77	54.00
62	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएसयू और सीयूएसएटी)	110.00	130.00	130.00
	भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)			
63	भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	600.00	665.00	640.00
64	आईआईएसईआर,आंध्र प्रदेश	50.00	50.00	49.00
65	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता	450.00	520.00	455.00

	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)			
66	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम)	240.00	240.00	214.47
67	पीपीपी मोड में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना	109.45	109.45	119.45
68	आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश	30.00	20.00	30.00
69	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषद/संस्थानों को अनुदान	285.00	293.50	285.00
70	भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	351.00	390.31	351.00
71	भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल	4.00		1.00
72	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई	35.10	38.25	37.25
73	योजना और वास्तुकला के नए स्कूल	100.00	102.00	
74	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	130.00	132.00	
75	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर	19.00	23.50	202.00
76	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	100.00	100.00	100.00
77	अन्य संस्थानों को सहायता	373.40	438.45	396.65
	कुल (गैर–योजना)	**26955.82**	**28832.59**	**25339.20**
	सकल योग (योजना/गैर–योजना)	**33329.70**	**34862.46**	**35010.29**

लेजर टाइपसेट और मुद्रण : इण्डिया ऑफसैट, नई दिल्ली - 110 064

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग